राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का अठाइसवां दिवस [संख्या : 18

बुधवार

28 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम राम सा, राम राम। श्री महीपाल मदेरणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु निर्धारित लक्ष्य

152. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु 15 बिंदु कार्यक्रम के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2006 को माननीय मुख्य मंत्री के नाम लिखे गये पत्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किन-किन कार्यक्रमों के तहत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये? उक्त निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? जिलेवार व कार्यक्रमवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त 15-बिंदु कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007 तथा 2008 में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध किस विभाग में कितनी राशि के क्या-क्या कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कितने उर्दू अध्यापकों की भर्ती हेतु सहायता प्रदान करने का आवेदन किया गया? आवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक राज्य के मदरसों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनीकरण हेतु कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित।

(स्थगित)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह जो सवाल है 152 नम्बर का, यह तीन बार स्थगित हो चुका है। आप स्वयं गौर फर्माएं, इसके अन्दर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसका सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं हो। तीन बार स्थगित करने के बाद इन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा लिखे गये 15-बिंदु कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो कोई योजना बनायी न किसी जिला परिषद को भेजी न कोई काम किया और न आगे इनकी कोई काम करने की मंशा है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे को संरक्षण प्रदान करें, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि यह जो सवाल है, जिसको तीन बार स्थगित किया गया है, सरकार इसी सत्र के अन्दर इसका जवाब दे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे कि माइनोरिटी से सम्बन्धित कोई भी मामला है यह सरकार उस पर कंसिडर करने को ही तैयार नहीं है। इसमें ऐसा कोई न लम्बा जवाब आना था, न कोई दिक्कत होनी थी इसमें, पोस्टपोन करे जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को यह आश्वस्त करें कि इसी चालू सत्र में इस सवाल का जवाब आ जाना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में जवाब देने का आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माइनोरिटीज का कोई लेना-देना नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं, उठा कर अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित सवाल है और इसको बार-बार स्थगित किया जा रहा है। यह सरकार की मानसिकता का परिचायक है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तीन बार स्थगित हो चुका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कम से कम माननीय मंत्रीजी से यह तो जानकारी दिलवा दें कि इसका जवाब कब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात सही है कि यह प्रश्न दिनांक 14.03.2007 को सूचीबद्ध हो चुका था परन्तु सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण इस विभाग से सम-संख्यक पत्र दिनांक 12.03.2007 द्वारा निवेदन कर स्थगित करवाया गया था।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको स्वयं पढ़ें, इसमें ऐसी कौनसी सूचना है जो नहीं मिल सकती?

श्री उपाध्यक्ष: इस दिनांक के पश्चात् विभाग द्वारा पत्राचार एवं व्यक्तिश: सम्बन्धित विभागों से कई बार सम्पर्क किया गया ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: और सूचना प्राप्त नहीं हो पाने के कारण ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हकीकत में बात यह है, समाज कल्याण मंत्रीजी यहां बैठे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: सूचना प्राप्त नहीं हुई तो ज्यादा सूचना प्राप्त करने के लिए ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोग्राम में मैंने खुद सुना है, समाज कल्याण मंत्रीजी ने कहा कि मैं कोई हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक मानता ही नहीं, न यहां कोई अल्पसंख्यक नाम की चीज है, इसलिए यह इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है, प्रश्न स्थगित हो चुका। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जिस मंत्री की इस तरीके की मानसिकता हो, यह कभी भी इसका जवाब इस सदन में नहीं आने देंगे। लेकिन हम आसन से प्रोटेक्शन चाहे रहे हैं कि आप आश्वस्त करें कि इसका जवाब आएगा या नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री महीपाल मदेरणा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक हम मानते ही नहीं, सभी बहुसंख्यक हैं। टोटली बहुसंख्यक हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ई टी वी के प्रोग्राम में मंत्रीजी मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि काई अल्पसंख्यक नहीं मानता हिन्दुस्तान में। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम अल्पसंख्यक मानते ही नहीं हैं किसी को। हिन्दुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति बहुसंख्यक है, हम अल्पसंख्यक किसी को मानते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगित कर दिया है इसको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमने कहा कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है, इन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं मानते अल्पसंख्यक किसी को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, देखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो सदन को यह आश्वस्त कर दें कि इस चालू सत्र में इसका जवाब आ जाएगा कि नहीं आएगा। या आएगा ही नहीं इसका जवाब, यह बता दें आप तो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी बहुसंख्यक हैं, सब को समान रूप से माना जाता है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आसन से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। आसन इस बात का जवाब दे दे कि इसका जवाब इसी सैशन में आएगा या नहीं आएगा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्रीजी बताएं कि वो इस सत्र की समाप्ति से पहले-पहले इसका उत्तर देंगे कि नहीं? समाज कल्याण मंत्रीजी को कहना चाहिए, सारे विभाग यहां पर हैं राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप लोगों को संकीर्ण मानसिकता के आधार पर ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा कोई यह कठिन प्रश्न है नहीं कि वो जानकारी दे नहीं सकते।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप लोग खाली संकीर्ण मानसिकता पर समाज को तोड़ना चाहते हो और बार-बार अल्पसंख्यकवाद इस सदन में उठाया जाता है जब कि देश में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्रीजी को बताना चाहिए कि वो जवाब देंगे या नहीं देंगे। आप खड़े होकर बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अब अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में काहे के लिए बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, इस पर कोई बहस नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सम्भव होगा तो देंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब अंकित नहीं हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न स्थगित हो चुका है। श्री संयम लोढ़ा।

माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। अब अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके कहने से मैं नया कुछ नहीं ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, बिना परमिशन के अंकित नहीं होगा। बीच में, माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन लिये क्यों बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें रोक रहे हो बार-बार, प्रश्न हमारा है और तीन दफे स्थगित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार स्थगित हुआ है, माननीय नेता महोदय, 14.03 को हुआ है। लेकिन आज रखा गया था उसके बावजूद भी, पूरे प्रयत्न के बावजूद भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पायी हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब तक हो जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष: अब कब तक हो जाएगा ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह वहां मुगदर घुमा रहे थे, तैयारी कहां कर रहे थे जवाब की।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब तो आ रहा है न, सुनो तो सही। क्यों स्थगित हो रहा है, मान्यवर, यह?

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा सूचनाएं हैं। होता है, कई बार होता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो जवाब नहीं आ रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आया नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं आया?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी सूचना ऐसी नहीं है जो ज्यादा हो। आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं आया। व्यक्तिश: भी एप्रोच हो गयी, पूरे प्रयत्न हो रहे हैं। ज्यादा सूचनाएं एकत्रित करनी थीं। बहुत बार होता है ऐसा। ऐसी कौनसी प्रश्न के अन्दर, अगर प्रश्न आ जाए, अब आ जावे तो छिपाने की ऐसी क्या बात है? ऐसा कोई नहीं है कि जानबूझकर इसके अन्दर सरकार कोई तरह से लापरवाही कर दी गयी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप आज क्या फर्माते हैं, यह बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यही कहा कि आज स्थगित हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज आसन की क्या व्यवस्था है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्थगित कर दिया आसन ने।

श्री उपाध्यक्ष: अब ये तो जो सूचनाएं हैं, व्यक्तिश: भी कोशिश हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो सदन को भी स्थगित करके भाग जाओ लेकिन भागने नहीं देंगे हम। आपकी मंशा इसको भी स्थगित करके ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आप भागोगे उसके बाद हम, हमारी सोचना आप। आज तक तो निहाल किया नहीं आपने।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसका जवाब पांच दिन में नहीं दे सकते हो। आप स्वयं गौर फर्माएं, जानबूझकर सरकार गलत नीयत से इसका जवाब नहीं देना चाहती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अख़बार लिखते हैं कि प्रतिपक्ष को विधान सभा ढो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको इस सैशन में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपके साथ हमारी संवेदनाएं हैं इसलिए ज्यादा मत बोलो आप। हमने आपको संवेदना संदेश भेजा है, हमारे उसकी लिहाज रखो कुछ तो।

आसन की क्या व्यवस्था है, मान्यवर, आज की।

श्री उपाध्यक्ष: आज तो स्थगित कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): स्थगित कर दिया। नहीं, आप आश्वासन दे रहे हैं न कि सरकार से जवाब मंगाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अगर सूचनाएं प्राप्त हो गयीं तो इसी सदन के समय में ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं उतनी दिलवा दीजिए। जितनी भी उपलब्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब जितनी का तो ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस सरकार के पास पूरी सूचना नहीं होंगी, जितनी उपलब्ध हैं वह कह दीजिए आप। क्या तकलीफ है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगित होते हैं। ऐसी परम्परा है। ...(व्यवधान) इसमें कोई नयी बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके पास जितनी सूचना उपलब्ध है उतनी सूचना कर दीजिए, बात खतम हुई।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी व्यवस्था के बाद में सरकार मजबूर हो जाएगी और वो देगी आपको। आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वैश्म में मिलो।

श्री उपाध्यक्ष: कोशिश की जाएगी, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, जवाब, कोशिश है बराबर, अगर सूचनाएं प्राप्त होंगी तो लगा दिया जाएगा। 14 तारीख से आज की तारीख निश्चित करके लगाया था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अलाउ तो कर दीजिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जवाब आए।

श्री उपाध्यक्ष: कोशिश करेंगे, बराबर कोशिश करेंगे, इसमें कोई टालने की नीयत थोड़े ही है। श्री संयम लोढ़ा।

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार की नीलामी योग्य सम्पत्ति हेतु गठित समिति

153. श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में नीलामी योग्य सम्पत्ति का ब्यौरा प्राप्त करने हेतु समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब हुआ तथा उक्त की बैठकें किसकी अध्यक्षता में होती हैं ? उक्त समिति में कौन-कौन से अधिकारी सदस्य हैं ? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह अगस्त, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक उक्त समिति की बैठकें कितनी बार व कब-कब हुई ?

(3) क्या यह सही है कि जोन संख्या-9 के उपायुक्त द्वारा ग्राम टीलावाला योजना (जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी योजना) के व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु भूखण्डों की सूची उक्त समिति की बैठकों में प्रस्तुत की गई है ?यदि हां, तो सूची कब व कौनसी बैठकों में प्रस्तुत की गई ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी द्वारा करोड़ों की राशि के भूखण्ड की सूचना नीलामी हेतु अब तक क्यों नहीं दी गई तथा विभाग द्वारा उक्त उपायुक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) जोन संख्या-9 के उपायुक्त द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी सम्पत्ति का ब्यौरा नीलामी हेतु दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय (श्री प्रताप सिंह सिंघवी): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के खण्ड एक के उत्तर अनुसार समिति का गठन नहीं होने से बैठक होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं, ग्राम टीलावाला योजना में व्यावसायिक भूखण्डों के लिए चार ब्लॉक सृजित हैं। इन ब्लाकों को विस्थापितों/हितधारकों को पुनर्वासित/क्षति पूर्ति स्वरूप देने हेतु आरक्षित किया हुआ है। खुली नीलामी हेतु इन व्यावसायिक ब्लॉकों को निर्धारित नहीं किया हुआ है। अत: उपायुक्त जोन-9 के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(4) माह अगस्त, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि में उपायुक्त जोन-9 द्वारा महल योजना के भूखण्ड संख्या सी- 43, 44, 70, 71, 89, 150, 152, 155, 156, 160, 166, 171 व डी- 20, 70, 93, 94, 101, 192, 117 व 219 नीलामी शाखा को प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से भूखण्ड संख्या सी-43, 44, 70, 71, 155, 156, 159, 160, 166 व 171 का नीलामी द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। शेष भूखण्डों की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न के पहले और दूसरे भाग में जो मैंने पूछा है उसमें मेरा पूरा स्ट्रैस नीलामी पर है। सिर्फ चार महीने की अवधि की जानकारी मैंने मांगी है और दोनों की जानकारी आपने जी नहीं, जी नहीं में दे दी। आपके जयपुर विकास प्राधिकरण की 15 दिसम्बर को जो बैठक हुई है उसके कार्यवाही विवरण की सिर्फ पहली तीन लाइनें मैं आपको सुना देता हूं। ''जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर कार्यवाही विवरण, नीलामी हेतु सम्पत्तियों की समीक्षा के क्रम में आज दिनांक 15.12.2006 को प्रात: 11.30 बजे आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में उपस्थित होने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।'' उसके बाद में पूरी डिटेल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक, बहुत पाइन्टेड नीलामी के बारे में बात पूछी थी, दोनों बातों का उत्तर छिपाने के पीछे मंत्री महोदय की क्या मंशा है, यह तो वही बता सकते हैं।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, टीलावाला योजना 2003 में बनी तो विस्थापितों को व्यावसायिक भूमि देने का फैसला जे. डी. ए. ने किस तारीख को किया और राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति किस तारीख को प्रदान की ? दोनों पत्र एक साथ कापी टेबल पर रख देना, जवाब इसका दे देना। जिन लोगों को आपने इसमें व्यावसायिक भूखण्ड दिये हैं इसका क्या आपने कोई सर्वे करवाया था ? करवाया था तो उसकी सर्वे सूची क्या है, वह टेबल पर रख दो। सर्वे नहीं करवाया तो आपने जिन लोगों के पास कोई पट्टा नहीं था, जिन

(श्री संयम लोढ़ा)

लोगों के पास स्वामित्व नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, उनको भूखण्ड देने का फैसला किस आधार पर किया?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है, समिति की मीटिंग नहीं हुई है। जिस प्रकार का मैंने प्रश्न में जवाब दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, मेरे पास है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं टेबल कर दूं यह प्रोसीडिंग्स का पेपर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह रुटीन की बैठक थी, समीक्षात्मक बैठक थी और जे. डी. ए. की सम्पत्तियों के चिन्हीकरण व निस्तारण बाबत थी।

दूसरा, आपने निवेदन किया कि टीलावाला योजना में जो जगतपुरा के विस्थापित हैं उनको जमीन किस प्रकार से आबंटित की गयी या किस प्रकार से दी गई। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 44 में इस प्रकार के जे. डी. ए. को पावर हैं कि वह लैण्ड फार लैण्ड दे सकता है। जमीन के बदले जमीन दे सकता है, इस प्रकार का है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जमीन के बदले जमीन तो दे सकते हैं पर मालिकाना हक तो होना जरूरी है, बिना टाइटल के आप जमीन कैसे दे सकते हैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं आपको बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले जवाब आने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सम्बन्धित मामला रेलवे ओवर ब्रिज से है। जगतपुरा में जो ओवर ब्रिज बन रहा है वहां पर कुछ दुकानें और कुछ मकानात आ गये थे। हमको पब्लिक इंटरेस्ट में उन दुकानों को और मकानों को हटाना आवश्यक था। इस स्ट्रक्चर को हटाने का निर्णय इन्हीं की सरकार के टाइम पर हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 133 दुकानें और 38 मकानों का चिन्हीकरण शेष रह गया है, बाकी सब हटा दिये हैं हमने। उसके बदले में हमने इनको टीलावाला में पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

आबंटन किया है। फिर भी मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि टीलावाला में कुल चार व्यावसायिक ब्लाक में कुल क्षेत्रफल 4225.07 वर्ग मीटर भूमि में पच्चीस विस्थापितों को 749.62 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई है। बाकी चार को आनन्द विहार में 99.38 वर्ग मीटर व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं तथा दस विस्थापितों को महल विस्तार योजना में आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग देने का निश्चय हमको इसलिए करना पडा कि उनकी खुद की चाइस थी। पहले आओ और पहले पाओ की नीति के तहत उन्होंने जहां पर भी इससे भूखण्ड मांगा, उसको हमने दिया है। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हमारी तरफ से नहीं रही है, न ही जोन आयुक्त की जिनकी बात कर रहे हैं डीसी-9 की। उस मामले को मैंने काफी गम्भीरता से देखा है, किसी प्रकार की गलती नहीं पाई है। फिर भी माननीय सदस्य जो डी सी 9 के लिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें कुछ गड़बड़ियां करके किसी को आबंटन में आगे पीछे किया है तो निश्चित रूप से वह मेरे को अवगत करा दें, अगर गलती पाई गई तो निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने दो पाइन्टेड सवाल पूछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे दिया ।

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, दो पाइन्टेड सवाल पूछे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इन विस्थापितों को टीलावाला योजना में भूखण्ड देने का फैसला किस तारीख को किया? राज्य सरकार को किस तारीख को प्रस्ताव भेजा, राज्य सरकार ने किस तारीख को इसकी स्वीकृति प्रदान की? मैंने दूसरी सूचना पूछी है कि जब आपने कोई सर्वे नहीं करवाया, कोई सूची नहीं बनाई तो यह पहले आओ पहले पाओ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के पीछे वे सैकड़ों शिकायतें हैं जो भ्रष्टाचार इसके अन्दर हुआ है, मर्जी आए जिसको पैसे लेकर जमीन दे दी, मर्जी आए जिसको आगे-पीछे कर दिया। सारे लोगों के ....

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

श्री संयम लोढा (सिरोही): आप बता दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देने का कोई सवाल नहीं है, मैंने स्पेसिफिक पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष: स्पेसिफिक जवाब आ जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बात तो सुनिये। जिन लोगों के पास कोई स्वामित्व नहीं था, कोई पट्टा नहीं था ...(व्यवधान) वही तो उपाध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं, सर्वे के अलावा कौनसा माध्यम हो सकता है उनको देने का ? यह खुद कह रहे हैं कि अगर हुई है तो मैं जांच करा लूंगा, यह क्या बात हुई ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले को काफी गम्भीरता से देखा है। माननीय सदस्य का प्रश्न लगने के बावजूद किसी भी प्रकार की डी सी-9 की कोई गलती नहीं पाई गई है। फिर भी माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक बात को मेरे को बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच करा लूंगा। जहां तक बैठक का सवाल है, बैठक में यह जो निर्णय हुआ है यह 22.12.2006 को निर्णय हुआ और सरकार ने 27.9.2006 को ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उससे पहले तो आपने दे दिये, उससे पहले तो कब्जा करा दिया आपने वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैं पिछले सत्र में भी लगा चुका हूं । दिसम्बर के अन्दर तो उन्होंने फैसला किया। दो महीने पहले यह फैसला भी तब हुआ जब पिछले छठे सत्र में मैंने विधान सभा में प्रश्न लगा दिया था। उसके बाद सारी कार्यवाही से बचने के लिये जे.डी.ए. के अन्दर यह फैसला कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे पहले ही यह सारा भ्रष्टाचार हो चुका है। सारे पैसे हड़पे जा चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कोई एक्सप्लेनेशन मांगना चाहें तो मांगिये, बाकी जवाब आ चुका है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कौनसी बात हुई ? 2003 की यह हो जाए और अन्दर फैसला करा रहे हो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह बता दें, क्या यह सच है कि 22 तारीख के पहले वहां पर लोग काबिज हो गये ? इसकी जांच करवा दें आप। खाली इसकी जांच करवा लें। आपने फैसला 22 तारीख को किया है, 22.12 के पहले यदि वहां पर लोग काबिज हो गये, जिन लोगों को जिम्मेदारी थी कि वहां काबिज नहीं हो क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अगर इस प्रकार का भी कोई प्रकरण है तो उसकी भी मैं जांच कराऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वामित्व की जांच है, जिन लोगों का स्वामित्व था उन लोगों को जमीन आबंटित की है। जिन लोगों को भूखण्ड आबंटित किये हैं उसके अलावा किसी और को नहीं दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सी .डी. देवल।

महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षक

154. श्री सी. डी. देवल (रायपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) के पद पर प्रतिनियुक्ति पद अन्य विभागों से अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के अधिकारी व किस विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाते हैं? इस सम्बन्ध में जारी नियम व परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) के पद पर कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि विभाग से जिन कृषि पर्यवेक्षकों को महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) बनाया गया है, उनके लिये कृषि विभाग से सहमति नहीं ली गयी ? यदि सहमति ली गयी तो सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। और यदि सहमति नहीं ली गयी तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? सरकार इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा): (1) जी हां। निम्न श्रेणी के अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं:-

(श्री कनकमल कटारा)

क्रम संख्या	श्रेणी	विभाग जिससे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये
1	राजस्थान शिक्षा सेवा	माध्यमिक शिक्षा विभाग
2	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	आयुर्वेद विभाग
3	राजस्थान कृषि सेवा	कृषि विभाग
4	राजस्थान सिंचाई सेवा	सिंचाई विभाग
5	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6	राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा	कालेज शिक्षा विभाग
7	पशुपालन विभाग	पशुपालन विभाग

नियमों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि पर्यवेक्षकों को सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। वर्तमान में दो कृषि पर्यवेक्षक सर्वश्री अनोप सिंह व हनुवन्त सिंह, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त हैं, जिन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के विरुद्ध अस्थाई तौर पर लगाया गया है।

(3) कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि विभाग की सहमति से ही इस विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है (आदेशों की प्रति संलग्न है) विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद रिक्त होने के फलस्वरूप वर्तमान में इन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के विरुद्ध अस्थाई तौर पर लगाया हुआ है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है वह कौन से नियम के तहत लिया गया है? सरकार ने नियमों में किस-किस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रावधान रखा है?

(श्री सी.डी. देवल)

नम्बर दो, जब विभाग के अन्दर महिला पर्यवेक्षक उपलब्ध हैं जिनकी बीस-बीस साल से पदोन्नति नहीं हुई है और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद पदोन्नति का है, तो इस पर आपने प्रतिनियुक्ति पर क्यों लिया?

नम्बर तीन, प्रतिनियुक्ति पर रखने की अवधि आपके नियमों में कितनी है और जिन दो कृषि पर्यवेक्षकों का मैंने प्रश्न किया है इनको प्रतिनियुक्ति पर आये कितने साल हो गये हैं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त थे इन पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। कृषि विभाग से लगाये गये हैं वे दोनों ही 2002-2003 से लगाये गये हैं। इसके बाद हमने कभी भी इस प्रकार की नियुक्ति नहीं दी है। ये तो पद रिक्त थे। हमारी तकलीफ यह है कि महिला बाल विकास विभाग प्रतिनियुक्तियों पर लेकर ही चलाता है इसीलिए हमने ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसीलिए मुख्य मंत्री को भी प्रतिनियुक्ति पर लिया है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसीलिए मुख्य मंत्री को भी प्रतिनियुक्ति पर लिया है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि ए.सी.डी.पी.ओ. का पद पदोन्नति का पद है तो उसके विरुद्ध आपने प्रतिनियुक्ति पर क्यों दिया? दूसरा, जो नियम है इस नियम के 32 में अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति का प्रावधान है उसमें तीन साल हैं। इनको आपने 2002-2003 में लिया है तो इनको तीन साल पूरे हो गये, अब इनको आप कब हटाना चाहते हैं? वापस इनकी सेवाएं कृषि को कब भेजेंगे?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं बताता हूं। ऐसा है कि जो इनको प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, रिक्त स्थान है, उनको हमने उसका लाभ वेतन पर नहीं दिया है। आपके समय का लगाया हुआ है। हमारे पद रिक्त हैं तो उसको उसी मूल वेतन पर कार्य संचालन की दृष्टि से लगाया गया है उससे हम काम ले रहे हैं और इसीलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। मूल वेतन पर ही हमने लगाया है उसको। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-32 जो परिशिष्ट में दिया है, वह बहुत स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि सिर्फ एक साल हो सकती है। अर्जेंट एक साल हो सकती है अधिकतम तीन साल हो सकती है। इन दोनों कृषि पर्यवेक्षकों को तीन-तीन, चार-चार साल हो गये, इस तरह ये अनियमितता बरतने के दोषी हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कहीं पद का लाभ, सी.डी.पी.ओ. के पद का लाभ नहीं दिया है। उसका पावर है वह भी डी.डी.ओ. के पास है, पावर भी नहीं दिया है । पद रिक्त होने की स्थिति में हमने इनको लगाया है। वह तब से ही लगे हुए हैं, उसके बाद हमने नहीं लगाया है। तब से ही लगे हुए हैं जब से आपने लगा रखा है। वह भी उसी मूल वेतन पर लगाया है। ऐसे नहीं लगाया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रश्न यह नहीं है। माननीय मंत्रीजी, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि मूल वेतन पर लगाया या नहीं लगाया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप हटाना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हालांकि ए.सी.डी.पी.ओ. पर जिस किसी ने भी लगाया, चाहे हमारी सरकार ने लगाया, चाहे आपने लगाया, जिन्होंने भी लगाया गलत लगाया। ए.सी.डी.पी.ओ. के लिए लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाए। जब इनकी अधिकतम अवधि तीन साल आपके नियमों में है तो नियम विरुद्ध तरीके से इनको क्यों रखा जा रहा है? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हटाते इनको?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने वही निवेदन किया, माननीय सदस्य। पद रिक्त होने की वजह से समय-समय पर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने अवधि बढ़ाकर रखी है और जब भी यह हमने प्रयास किये हैं ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नियम 32 है आपका, परमानेंट आप लगा ही नहीं सकते। अवधि बढ़ाने के ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो अभी जो प्रयास किये हैं आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि आपके सरकार के समय में ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बिलकुल धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने न्याय किया है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): धन्यवाद देना चाहिए कि हमने दो सी.डी.पी.ओ. इनके ए.सी.डी.पी.ओ. और डी.डी.ओ. इनको पदोन्नत करके पहली बार इतनी संख्या में लगाया है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह आप नियम विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? नियम विरुद्ध कार्य करने का क्या कारण है? आपने ही नियम बनाये, नियम 32 स्पष्ट है उसके अन्दर तीन साल से ज्यादा रह नहीं सकते। इनको तीन-तीन साल हो गये। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नियम विरुद्ध नहीं है। विभाग की आवश्यकता के कारण होता है। पिछले साल तक की इसकी अवधि ... (व्यवधान) चार साल की अवधि तक के हम लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ऐसी आवश्यकता है, नियमित रूप से कार्य-संचालन की दृष्टि से हमने इसको लगाया है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): (व्यवधान) कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी अर्जेंट आवश्यकता में भी अधिकतम तीन साल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेण्ट आवश्यकता में अवधि तीन साल है, अब आप इसको नियम विरुद्ध क्यों रखते हैं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां पर खाली रहे, कोई काम नहीं हो तो फिर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, आप बताएं जैसा भी ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप खाली की बात करते हो, आपने जो नियमित आपके विभाग का सी.डी.पी.ओ. था उसको तो हटा दिया, ए.पी.ओ. कर दिया। उसकी जगह आपने जो कृषि पर्यवेक्षक था उसको चार्ज दिला दिया, यह कौनसा न्याय है आपका?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आ चुका है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके विभाग का सी.डी.पी.ओ. है उसको आपने ए.पी.ओ. कर दिया ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सदस्य, यह जो आपकी राजनीति चल रही है न उसी आधार पर ही हो गया है, बाकी ऐसा नहीं है। आप नहीं चाहो, दूसरे माननीय सदस्य नहीं चाहें तो यह विवाद ही खड़ा नहीं हो या राजनीतिक स्टंट नहीं बने। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम तो यह चाहते हैं कि जिनको तीन साल पूरे हो गये, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको आप वापस विभाग में भेजिये। किसी को भी लगाओ, आपकी मर्जी। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए मूल वेतन पर कार्य-संचालन की दृष्टि से लगाया गया ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह कौनसा नियम है? नियम बता दें। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में यह खाली रहे, कार्य-संचालन नहीं हो तो फिर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, आप जैसा भी कहें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियमों से बंधे हुए हैं, नियम बता दें कि इसके तहत आप उनको रख रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब तो बढ़ाई है अवधि। जैसी विभाग की आवश्यकता थी उसके अनुसार बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देसूरी सी.डी.पी.ओ. को स्थानांतरण की रोक के बावजूद किस आधार पर हटाया गया और कृषि पर्यवेक्षक को वहां पर लगाया गया? (व्यवधान) मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किस कारण से सी.डी.पी.ओ. को हटाया गया देसूरी में ? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही निवेदन किया, माननीय देवल साहब और अन्य माननीय सदस्य अगर राजनीतिक भूमिका वहां पर नहीं रखें, कार्य सम्पादन की दृष्टि से, संचालन की दृष्टि से, तो मैं यह सोच रहा हूं कि हटाने का विषय नहीं था। एक दूसरे का यह विवाद चल रहा है कि इनको लगाना है। आजकल एक चपरासी, एक मामूली ड्राइवर और मामूली सी.डी.पी.ओ. के लिये अगर कोई माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे को हटाना है, इसको नहीं लगाना, इस प्रकार का विवाद करें तो विभाग कैसे काम कर सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिये ... (व्यवधान) आपको धन्यवाद देना चाहिये था इसके लिये तो ...(व्यवधान) यह आपके द्वारा ही लगाया था ...(व्यवधान) हमारा विषय ही नहीं है ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरा प्रश्न तो केवल यह है कि आपने नियमों के तहत इनको लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको चार-चार साल हो गये, तीन साल से ज्यादा आपके नियमों के तहत कहीं प्रावधान नहीं है कि तीन साल ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तो आप इनको क्यों नहीं हटाते हो ? आप किसको लगाओ आप जानो, हमने तो आपको न तो उस सी.डी.पी.ओ. को लगाने का कहा, न बाबू लगाने का कहा और न चपरासी लगाने का कहा। जो नियमानुसार है वह काम करें आप।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए किया। उस वजह से किया है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तीन साल हो गये, इनको हटाएं, मेरा तो प्रश्न सिर्फ यह था। या तो नियमों में संशोधन कर दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, या तो नियमों में संशोधन कर दें या इनको हटा दें। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): तीन साल के बाद से नये आदेशों से प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या बढ़ायी गयी है और बढ़ायी गयी है तो वह कितनी बढ़ायी गयी है, इसका जवाब आप दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लगाने और हटाने के लिए विधान सभा में सवाल लगाये गये हैं, यह स्वयं के हित से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अवधि बढ़ाई है समय-समय पर, इसके आदेश भी मेरे पास यहां मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैं पूरा पढ़ दूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह ट्रांसफर विधायक का कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्या देख रहे हैं आप ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अवधि बढ़ाने की प्रति सदन के पटल पर रख दें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह विधान सभा का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह विधान सभा नियमों के उपयोग के लिए हो रही है, डुबकी लगाने के लिए नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। जवाब आ गया है ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह इन नियमों के तहत हो रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आप +++ कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जो गलत काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए यह विधान सभा है ताकि आप पर अंकुश लग सके, आपकी गलत गतिविधियों पर अंकुश लग सके ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रमोद जैन ''भाया'' ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जो नियम हैं उनका पालन होना चाहिए, हमारा तो कहना इतना-सा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री प्रमोद जैन ''भाया''।

जिला खेल अधिकारी/कोच के रिक्त पद

155. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 33वें राष्ट्रीय खेल 2007 में राज्य के खिलाड़ियों को कितने स्वर्ण पदक किस-किस खेल में प्राप्त हुए। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस-किस जिले में जिला खेल अधिकारी के पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के किस-किस जिले में किस-किस खेल के कोच के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के किस-किस जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खेल मंत्री (श्री युनूस खान): (1) 33वें राष्ट्रीय खेल, 2007 में राज्य के श्री जुबिन कुमार एवं कुमारी विशाखा विजय ने मिश्रित युगल टेबिल टेनिस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

(2) राज्य के निम्नलिखित जिलों में खेल अधिकारी के पद रिक्त हैं:-

क्र.सं.	जिले का नाम	रिक्त रहने की दिनांक
1.	अजमेर	01.05.2001
2.	अलवर	13.03.2000
3.	बांसवाड़ा	30.03.1999
4.	बारां	05.08.2000
5.	भरतपुर	05.05.1999
6.	बूंदी	20.12.1997
7.	धौलपुर	14.11.2000
8.	दौसा	03.07.2001
9.	डूंगरपुर	02.11.1994
10.	हनुमानगढ़	14.11.2002
11.	जैसलमेर	09.05.1988
12.	जालौर	21.12.1995
13.	करौली	17.07.2001
14.	सिरोही	19.06.1999
15.	बाड़मेर	22.04.2003
16.	सवाई माधोपुर	15.12.2000
17.	टौंक	30.06.1999

(3) राज्य में जिलेवार प्रशिक्षकों (कोच) के पद स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(4) राज्य में ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं है जहां स्टेडियम नहीं है। परिशिष्ट 'क' संलग्न सूची में अंकित राज्य के उप खण्ड मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य उप खण्ड मुख्यालयों पर स्टेडियम नहीं है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि 33वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

को स्वर्ण पदक मिला, यह चीज हम सब के लिए एक सोच का विषय है। मणिपुर जो एक छोटा-सा राज्य है, जिसकी आबादी और क्षेत्रफल जयपुर शहर के बराबर है, वहां के खिलाडि़यों ने 51 स्वर्ण पदक प्राप्त किये। मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 33वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य का पदक तालिका में 24वां स्थान, स्वर्ण पदकों की संख्या एक, राजस्थान के रणबांकुरों का सिर गर्व से उठेगा या झुकेगा, सदन को अवगत कराएं ?

दूसरा, 17 जिलों में आपने उत्तर में बताया है कि खेल अधिकारियों के पद रिक्त हैं, इसमें से जैसलमेर में 19 वर्षों से, डूंगरपुर में 13 वर्षों से, बारां में 7 वर्ष से खेल अधिकारी नहीं है। विभाग पदस्थापन के स्थान पर वर्षों से रिक्त पद रखकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराने की भावना से कार्य कर रहा है या अन्य कोई कारण से, सदन को अवगत कराएं ?

तीसरा, खिलाडि़यों का वर्ष दर वर्ष घटिया प्रदर्शन, 33वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को प्राप्त स्वर्ण पदकों की कम संख्या के लिए दोषी कौन है ? खेल नीति, संसाधन एवं प्रशिक्षकों की कमी या खिलाडि़यों के चयन में भाई-भतीजावाद या माननीय मंत्री महोदय के पास खेलों के विकास और नीति बनाने हेतु समय का अभाव, कृपया सदन को अवगत कराएं ?

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: इनका जवाब आने दें।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): इनका जवाब दिला दें। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, यह बात सही है कि राजस्थान एक जमाने में खेलों का सिरमौर हुआ करता था, पर शनै:-शनै: राजस्थान की स्थिति खेलों की दृष्टि से कमजोर हुई। मात्र राजस्थान की ही नहीं, अगर हम ओलंपिक, एशियाड या किसी भी तरह की अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा देखें, आपने देखा होगा कि अभी-अभी वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का...

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): हम तो हमारे प्रदेश की देखें। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की स्थिति है उसमें बताएं आप तो। (व्यवधान) वर्ल्ड कप की तो सब को याद है, इंडिया की टीम ने जो दुर्गति की है वह तो सब के सामने है। आप अपने प्रदेश को तो सम्भालें, जिसके आप मालिक हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): क्रिकेट का तो कोई मैच ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह खेलों की स्थिति भारत में खराब है। राजस्थान में भी अभी 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई उसमें जो स्टैंडर्ड रहा खेलों का, उसमें भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्हीं में से चुन लिया। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में खेल अधिनियम, 2005 हम लेकर आये उसकी बदौलत ओलंपिक संघ ने राजस्थान के बहुत सारे खेलों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। हमारी राजस्थान की टीमें उसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। राजस्थान की बास्केटबाल, बालीबाल टीम और एथलीट जिनमें हमारे पास अन्तरराष्ट्रीय स्तर के भी प्लेयर हैं, जो अच्छा स्टैंडर्ड रखते हैं शूटिंग वगैरह में, उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। आज हमारी बास्केटबाल और दो टीमें भी थीं जो बाहर दूसरी प्रतिस्पर्धा में गयी हुई थीं, उसकी वजह से यह कमजोर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और माननीय सदस्य की चिंता भी सही है कि राजस्थान की स्थिति खेलों की दृष्टि से कमजोर है। पिछले वर्षों में देखा जाए तो बजट की कमी होना कारण रहा। दूसरे कारणों में खेल अधिकारियों, कोचेज की भी कमी रही क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती नहीं हुई। भर्ती नहीं होने का भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि राजस्थान में खेल सेवा नियम नहीं बने हुए हैं। जो भर्ती पुराने समय में हुई थी उसके पश्चात नई भर्तियां नहीं हुईं। हमने नये खेल सेवा नियम बनाये हैं उनके तहत हम अब भर्ती करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी-अभी जो बजट इसी वर्ष में पेश किया है...

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): भर्ती कब तक करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप बैठें तो सही। अभी बजट जो पेश किया है उसमें पहली बार राजस्थान में खेलों के प्रति रूझान वित्त मंत्री के रूप में किसी ने रखा है तो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे ने रखा है। गांवों तक खेलों को ले जाने के लिए जिन गांवों में पांच हजार की जनसंख्या है उनमें ये भर्तियां की जाएंगी। माननीय सदस्य ने कारण पूछा है, सबसे बड़ा कारण तो यह रहा है कि ओलंपिक संघ ने हमारी बहुत सारी टीमों को अलाउ ही नहीं किया, जहां तक 33वें राष्ट्रीय खेलों की स्थिति है, क्योंकि

(श्री युनूस खान)

हमारा पार्टिसिपेशन ही कम हुआ। इसमें स्वतंत्र रूप से खेल संघ अपनी टीमों को भेजते हैं। हमने बार-बार आग्रह किया। इसी चिंता की वजह से इस बार शुरूआत से ही खेल संघों के साथ बैठकर ऐसे खिलाड़ी जिनमें दक्षता है, योग्यता है, उनको चर्चा करके शुरू से ही प्रशिक्षण देंगे। नये प्रशिक्षक जब तक भर्ती नहीं होंगे, अप्रैल, मई और अलग-अलग शिड्यूल के मुताबिक हम कांट्रेक्ट पर भर्ती लेंगे। हर खिलाड़ी इस तरह से प्रशिक्षण लेगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर दक्ष हैं, उनको नये प्रशिक्षक लगाकर हम प्रशिक्षण देंगे। जहां तक पदोन्नति और भर्ती का सवाल है, इस वर्ष तो हमारी यह मंशा है कि हम कांट्रेक्ट पर लेंगे। निश्चित रूप से नयी भर्ती भी 2007-08 में राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। तब तक खेल सेवा नियम भी बन जाएं। हमारी खेल नीति भी अंतिम दौर में है। उसके कुछ पार्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषित कर दिये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अंदर यह भी कहा है कि 30 जून तक हमारी यह खेल नीति सम्पूर्ण रूप से राजस्थान प्रदेश में आ जाएगी। पहली बार यह हमारी खेल नीति राजस्थान में लागू होगी जिससे खिलाडियों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि खिलाडियों को भी प्रोत्साहन मिले। खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित करें। पिछले तीन सालों में सरकार ने इसका प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एस.एम.एस. स्टेडियम में है। एस.एम.एस. स्टेडियम ही नहीं हमारे जितने भी डिवीजनल हैडक्वार्टर हैं, उनमें बाकायदा ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): आपके तीन साल के प्रयास तो यह पदक तालिका बता रही है, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): तीन साल का ही है आपका, मंत्री महोदय ...(व्यवधान) कि इसमें राजस्थान की स्थिति क्या रही। आपको और हम सब को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उनके लिए क्या कर रहे हैं, आप यह तो बताएं। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): चिंता करके राजस्थान को वापस

(श्री युनूस खान)

हम खेल जगत में ला रहे हैं। खिलाडियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेल की संस्था भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जब भी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा होगी, उनमें हमारा स्टेट आगे आएगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनको क्रमवाइज गिनकर बताएं और उसके लिए आपने जो पैकेज दिया है वह भी बताएं। उनके लिए हाल ही में जो पैकेज मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया है, वह बताएं। दूसरा, आप यहां राजस्थान के खेलों में बैलगाड़ी दौड़ाकर, सितोलिया खिलाकर और उनको प्रोत्साहित करके दूसरे खेलों को रोकना चाह रहे हैं। रोक रहे हैं और रोकना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, जो ओलम्पिक में पोजीशन ला सकते हैं, उनको आप ट्रेनिंग देने के लिए क्या कोई व्यवस्था कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप यह बताएं कि कृष्णा पूनिया नाम से एक एथलीट है जो ओलम्पिक में लास्ट पोजीशन से दो मीटर पीछे रही है, उसको ट्रेनिंग के लिए आपके पास एक रिक्वैस्ट आई है उसको सैंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आपने बताया कि वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय खेलों पर ध्यान दे रही हैं? कृपया स्पष्ट करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइण्टेड प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन कर रहा हूं, यह अच्छी बात है कि आप राजस्थान को बड़ी अग्रणी पंक्ति में ले जाना चाहते हैं, आप मुझे यह बता देना कि वर्ष 2006 में राजस्थान के किसी भी जिले में आपके किसी भी कलक्टर ने जिला क्रीड़ा समिति की एक भी बैठक बुलाई है क्या?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा सवाल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो पैकेज अनाउन्स किया है, चूरू डिस्ट्रिक्ट की राजगढ़ तहसील की

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कृष्णा पूनिया जो दोहा एशियाड गेम्स, 2006 के अंदर कांस्य पदक जीतकर आई है, उसको आप प्रोत्साहन के रूप में क्या देंगे, यह भी आप अभी घोषणा कर दें क्योंकि पैकेज तो आगे से लागू होगा। 2006 के अंदर जिसने कांस्य पदक जीता एशियाड कम्पीटिशन में, उसका आप बताएं कि क्या करने वाले हैं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड चार पर परिशिष्ट में इन्होंने दिया है, उसका हैडिंग है निर्मित और निर्माणाधीन की सूची, 6 नम्बर पर शाहपुरा, जयपुर है। पहले तो माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि कंस्ट्रक्टेड में आता है शाहपुरा वाला स्टेडियम या अण्डर कंस्ट्रक्शन में आता है? अगर अण्डर कंस्ट्रक्शन में आता है तो कंस्ट्रक्शन का क्या टाइम पीरियड होता है, दस साल, बारह साल, छह साल, पांच साल? स्टेडियम अगर अण्डर कंस्ट्रक्शन है तो इसकी कोई समयावधि है या वैसे ही जमीन लेकर, एक्वायर करके आपने पटक रखी है? अगर उसको अण्डर कंस्ट्रक्शन आपने दिखा रखा है तो क्या कोई निश्चित समयावधि में उस स्टेडियम को बनाकर तैयार करने की परिस्थिति में हैं या नहीं हैं? इस वित्त वर्ष में जो एक अप्रैल के बाद चालू होने वाला है, क्या आप उस निर्माणाधीन स्टेडियम को पूरा करेंगे कि नहीं? निर्माणाधीन भी नहीं है और निर्माण किया हुआ भी नहीं है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अलग-अलग जगह से आने वाले सम्मानित माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और खेलों के बारे में बातें कहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पिछले तीन वर्षों में प्रयास किए हैं। जो हमारे परम्परागत खेल हैं उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है कि उनके कोचेज भी तैयार हों। यह बात सही है कि पिछले तीन साल में नई भर्तियां नहीं लीं। हमारे पास अभी 18 कोचेज ऐसे हैं जो अस्थाई हैं, 5 कोचेज अभी भी..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह इस प्रश्न के जवाब से डाइरेक्ट सम्बन्धित नहीं है इसलिए जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप तो शाहपुरा वालों का जवाब दे दीजिए।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): (व्यवधान) आपका ही आ रहा है, लिखा हुआ है आपका। (व्यवधान) मेरे पास जवाब है, मैं दे दूंगा।

(श्री युनूस खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णा पूनिया हमारी अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एथलीट हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसकी ट्रेनिंग के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं था उसके पश्चात भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा की कोचिंग के लिए पांच लाख रुपए की राशि जाने से पहले उनको दी है। अभी जो बजट पेश किया गया उस बजट में एशियन, ओलम्पिक और अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं के बारे में एक पैकेज घोषित किया गया है। उस पैकेज में भी जो कमियां रही हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में नीचे यह भी कहा है कि 30 जून तक इसमें संशोधन करके हम खेल नीति घोषित कर देंगे। जहां तक कृष्णा पूनिया का सवाल है, मैंने अभी-अभी इस हाउस में आने के बाद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को परसों ही लिखा है और अभी मुख्य मंत्री कार्यालय से जवाब आया है, अभी जो वर्तमान पैकेज है, जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2007-2008 के बजट में प्रस्तुत किया है, उसी के मुताबिक जो मैडल लेकर आए हैं, हमारे एशियाड के अंदर 6 खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के, उनको उसी के मुताबिक देने का प्रस्ताव भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास वित्त मंत्री के रूप में भेजा है। मुझे विश्वास है कि इसी 30 मार्च तक यह पैसा हम नए पैकेज के अनुसार उन खिलाडियों को देंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुडा हुआ, आप हाथोंहाथ ही बता देना।

एक डिसएबल्ड जो ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतकर आया है उसका इसमें जिक्र किया है, देवेन्द्र झाझड़िया, जिसका नाम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी लिया है, वह ओलम्पिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर आया है, उसका उस पैकेज के अंदर कोई उल्लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं जवाब दे दूंगा, कोई शंका नहीं रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 3 चीजें मेंशन की हैं, उसमें लास्ट में नीचे एक और लाइन लिखी है कि 30 जून तक हम सम्पूर्ण रूप से खेल नीति, जिसको संशोधित करते हुए मैं आपको बता दूं कि ओलम्पिक खेल,

(श्री युनूस खान)

एशियन गेम्स, एशियाड, सैफ गेम्स और इसी तरह कामनवैल्थ गेम्स, सब को क्लासीफाई करके 30 जून तक हम बिलकुल डिक्लेयर कर देंगे और उसी डिक्लेरेशन के मुताबिक (व्यवधान) पैरा ओलम्पिक की जहां तक आपने बात कही है, देवेन्द्र झाझड़िया की बात कही है...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप तो, माननीय मंत्रीजी, यह बताने का कष्ट करें कि जिस कृष्णा पूनिया का नाम यहां जिक्र में आ रहा है उसने कांस्य पदक प्राप्त किया, उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसकी जो मांग है 60 लाख रुपए के पैकेज की, कोचिंग के लिए उसको स्वीकृत करने का आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह खेल विभाग पर जनरल डिस्कशन थोड़े ही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं, यह आने ही नहीं देते आप तक तो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णा पूनिया का मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि उस पर हमारा पहले से ही ध्यान है क्योंकि वह अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एथलीट है और आज भी वह विदेश में कोचिंग ले रही है। उसका एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया है। प्रथमत: तो एशियाड में मैडल लाने पर जो भी नए पैकेज में प्रावधान है उसके अनुसार पारितोषिक देंगे। द्वितीय, उनका जो प्रस्ताव आया है, उन्होंने वैसे ही लिख दिया कि मेरे विदेश जाने के लिए 60 लाख रुपए हैं। तो उनको हमने पूछा है कि कोचिंग के लिए कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा, खाने-पीने में कितना लगेगा और कितने समय तक रुकेंगी, यह सारी डिटेल मंगवाई है। उनका यह सारा डिटेल प्रस्ताव आ जाएगा तो निश्चित रूप से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृष्णा पूनिया जो राजस्थान की ऐसी एथलीट हैं जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मैडल ला सकती हैं, उसके लिए हम प्रावधान करेंगे।

जहां तक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने देवेन्द्र झाझड़िया की बात की, यह बात सही है कि पैरा ओलम्पिक का न तो राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर इस तरह का इन्द्राज है लेकिन हमने उसकी योग्यता को देखते हुए उसको रिकोग्नाइज किया। जब वह पहली बार पैरा

(श्री युनूस खान)

ओलम्पिक के अंदर गोल्ड मैडल लेकर आया तो राज्य सरकार ने 11 लाख रुपए नकद और 25 बीघा भूमि आबंटन हेतु यू डी एच विभाग को लिखा है। चूंकि वहां भी इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है उसमें शिथिलता के लिए उनसे पुन: निवेदन किया है। कल ही मेरी बात हुई है।

जहां तक देवेन्द्र झाझड़िया और पैरा ओलम्पिक की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो संशोधित खेल नीति आ रही है उसमें भी उसका इन्द्राज रहेगा और वह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भी माना जाएगा क्योंकि वह विकलांग है और विकलांग होने के बावजूद भी उसकी परफोर्मेंस अच्छी है। उसकी परफोर्मेंस को देखते हुए हमने प्रस्ताव रखा था कि उसके कृत्रिम हाथ लगवाए जाएं। सरकार ने विशेष रूप से लगभग साढ़े तीन लाख रुपए के कृत्रिम हाथ लगवाए हैं और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर रही है या जो भी और सुविधाएं चाहिए।

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की बात भी सही है कि शाहपुरा में पुराने समय में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ था, आपकी यह चिंता है कि वह अर्द्ध निर्मित है या निर्मित है। आपने बार-बार इस हाउस में अलग-अलग प्रावधानों के तहत पूछा है। यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से हमने जांच करवाई है। उसकी जो जमीन वहां आबंटित हुई थी, उस आबंटित जमीन में खड्डे, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिला क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, जयपुर जिला कलक्टर हैं, उनसे भी हमने रिपोर्ट मंगवाई है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से भी रिपोर्ट मंगवाई है, हमने जांच भी करवाई है। उनका जवाब यह है कि जो पैसा अलाट हुआ था, उसके समतलीकरण में लगा है। इसलिए शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है कि जो पैसा था वह स्टेडियम निर्माण में दर्शाया गया है लेकिन निर्माण हुआ नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नए बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसके अनुसार आपके इस स्टेडियम को भी लेंगे, आपके साथ चर्चा करके जो नए प्रावधान हैं उनके मुताबिक हम प्रावधान करके वहां स्टेडियम निर्माण करवाएंगे। आपकी चिंता वाजिब है, आप खेल प्रेमी हैं, खेलों के प्रति चिंता रखते हैं।

(श्री युनूस खान)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, काफी जिलों में बैठकें हुई हैं, इसका मेरे पास अभी कोई विवरण नहीं है। मैं जहां-जहां बैठकें हुई हैं, उनकी रिपोर्ट मंगवाकर, माननीय सदस्य, आपको प्रेषित कर दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक जिले में एक भी बैठक नहीं हुई है। पूरे राजस्थान में सवा तीन साल में एक जिले के अंदर जिला क्रीडा परिषद की बैठक नहीं हुई है। पूरे राजस्थान में इन्होंने खेलों का भट्ठा बैठा रखा है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): बहुत ही सिम्पल सवाल है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय मंत्री महोदय, पिछले समय से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार, गोल्ड मैडल और एशियाड खेलों में पदक लिये हैं जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाय की थड़ियों पर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। क्या उनके लिए कुछ करने की चिन्ता रखते हैं?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, 1998 से 2003 के दौरान विशेष प्रोत्साहन खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए किये गये थे, उनकी कोई सूची आपके पास में है? ये सारे के सारे प्रोत्साहन इसी सरकार में हो रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): एशियाड खेलों में लालसिंह बांसवाड़ा का तीरंदाज था, उसने दो बार गोल्ड मैडल लिया है। स्वर्ण पदक भी लिया है और आज वह धनुष के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उसका धनुष डेढ़ से पौने दो लाख रुपये का है, क्या उसको आगे ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए उस धनुष की व्यवस्था करेंगे?

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अर्जुन पुरस्कार, गोल्ड मैडल लिये हुए हैं जो आज चाय की थड़ियों पर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ करें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि बूंदी में बहुत बड़ा कुम्भा स्टेडियम है जिसमें जितने कार्यक्रम होते थे वे सब बंद हो गये हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रम हैं वे पुलिस परेड ग्राउंड में हो रहे हैं और आप कह रहे हैं 20 या 22 लाख का फण्ड दे रहे हैं स्पोर्टस और स्टेडियम के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि वह कुम्भा स्टेडियम के लिए दे रहे हैं या दूसरा स्थान आपने चयनित किया है?

दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूं, बूंदी में जो जैतसागर झील है उसमें वाटर स्पोर्टस के प्रोग्राम दो साल से ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट करवाता है बूंदी उत्सव के समय, लेकिन वहां कमल जड़ों का ठेका इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के जरिये दिया जा रहा है। क्या आपने जिला कलक्टर से पूछा कि वह इस बारे में ध्यान दे रहे हैं या नहीं? अगर कमल जड़ें ही उसमें करना है तो वाटर स्पोर्टस कहां होंगे? जिन स्पोर्टस की आप बात कर रहे हैं कि हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मैं चाहती हूं आप इन दोनों बातों का जवाब दें, स्टेडियम का पैसा कहां लग रहा है और दूसरा जैतसागर के बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: एक साथ ही जवाब दे देना।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, ग्रामीण एरिया में नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से यूथ मण्डल बने हुए हैं और उन यूथ मण्डलों के द्वारा हर वर्ष ग्रामीण एरिया में जिला स्तरीय टूर्नामेंट्स करवाये जाते हैं और उनमें ऐसी-ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको स्टेट लेवल पर चयनित किया जाता है। तो ग्रामीण एरिया के युवाओं को प्रोत्साहन देने का क्या खेल नीति में कोई प्रावधान कर रखा है कि ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाए नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से? साल में दो बार उनके टूर्नामेंट होते हैं ऐसे प्रतिभावान युवाओं को भी आप अपनी खेल नीति में सम्मिलित करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय मंत्रीजी, कुम्भा स्टेडियम पर भू-माफिया जबर्दस्त रूप से कब्जा कर रहा है। भू-माफिया उस पर कालोनी काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसमें कुछ न कुछ एक्शन करना बहुत जरूरी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): मैं एक प्रश्न पर, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तोपदड़ा खेल स्टेडियम बहुत पुराना स्टेडियम है और कई अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं उस स्टेडियम पर हुई हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

लेकिन आज की स्थिति में वह स्टेडियम इतनी जर्जर अवस्था में है कि वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती। जैसा कि बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा है, भू-माफिया गलत रजिस्ट्रियां करवाकर उस खेल स्टेडियम की जमीन को बेच रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेडियम निर्माण नीति की घोषणा की है कि एमपी या एमएलए लैड से यदि पैसा दिया जाए तो उस पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। मैंने आपको लिखकर दिया है कि मैं अपने फण्ड से पैसा देने के लिए तैयार हूं, एमपी साहब भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्या आप उस स्टेडियम के निर्माण की घोषणा करेंगे या इस प्रस्ताव में लेंगे ताकि हम उस बेशकीमती जमीन को भू-माफिया से रोक सकें? आप अपने उत्तर में बताएं कि आप इसको प्राथमिकता से स्वीकृत करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी, जोधपुर के अंदर पुराने स्टेडियम के नाम से पहचाना जा रहा है और महाराजा उम्मेद सिंहजी का बनाया हुआ है, उनके नाम की इन्होंने स्वयं घोषणा की कि इसका नाम बदल दिया जाएगा और महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम रखा जाएगा। मगर आज की तारीख में उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? मंत्री महोदय इसका जवाब दें। ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मंत्री महोदय, आपने घोषणा कर रखी है ...(व्यवधान) इसलिए परबतसर स्टेडियम में भी 25 लाख की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मत्री महोदय, परबतसर में विशाल कार्यक्रम में आपके श्रीमुख से घोषणा हुई थी, आज वापस नये बजट में घोषणा कर दें कि 25 लाख रुपये परबतसर स्टेडियम को दिये जाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद भी खिलाड़ी रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी किशनगढ़ में नागरिक स्टेडियम खेल मैदान के लिए यदि घोषणा कर दें, कई वर्षों से वह यों ही पड़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय भी खिलाड़ी रहे हैं और अब भी दिलचस्पी ले रहे हैं, यह खुशी की बात है। एक नई बात उन्होंने बतायी कि वसुंधराजी राजे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिलचस्पी ले रही हैं। साढ़े तीन साल के दरमियान, मान्यवर, आपके 17 जिलों में खेल अधिकारी नहीं हैं, उन जिलों का क्या हाल होगा जहां 10-12 वर्ष से पद रिक्त पड़े हैं और आपके राजस्थान में जिलेवाइज कोच नहीं हैं? मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि हर जिले के अंदर खेल अधिकारी हो और हर जिले के अंदर कोच हो। खेल अधिकारी आपके प्रति वफादार है, वह आपका कहना मानेगा। आपने जिला कलक्टर को चेयरमैन बना रखा है, आपकी क्या परवाह करता है जिला कलक्टर? जिला कलक्टर सिवाय मुख्य मंत्रीजी के किसी की परवाह ही नहीं करता। अब राजेन्द्र सिंह राठौड़ जैसे लोग तो राठौड़ी में मना लेंगे कोई बात, लेकिन आप तो बहुत सीधे, सिम्पल और भले इंसान हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसका क्या मतलब है? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है। ये सीधे, सज्जन या भले हैं और मैं राठौड़ हूं, मैं भला नहीं हूं? आप क्या कहना चाहते हो, मैं भला नहीं हूं? इन्होंने यह सवाल खड़ा किया है, ये सीधे, सज्जन और भले हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके मामले में दिलावर साहब बताएंगे, आपको चक्कर में मत डालो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको राठौड़ कहने में आपत्ति हो तो हम बंद कर देंगे। आप राठौड़ नहीं हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पक्का हूं, पर राठौड़ी की बात मत करो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो, नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ये आप पर स्नेह रखते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो मैं प्रेमवश आपको कह देता हूं, आपके प्रति मेरी दुर्भावना नहीं है। मंत्री महोदय, आप खेलों के लिए दो काम करवा दीजिए, हर जिले के अंदर खेल अधिकारी हो, हर जिले के अंदर एक कोच हो। उसके बाद में वे दोनों आपके प्रति जवाबदेह हैं और आपके प्रोग्राम को कैरीआउट करेंगे। आज आपके पास खेल अधिकारी नहीं है, आपके पास कोच नहीं है, काहे से एशियाड में जाएंगे, काहे से दुनिया में जाएंगे, क्या कोच जाएंगे? जो जा रहे हैं वे ही बहुत हैं। खेल अधिकारी नहीं हो तो आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता

(श्री युनूस खान)

प्रतिपक्ष ने खेलों के प्रति इस उम्र में चिन्ता व्यक्त की, यह राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, पोजिटिव बात है कि आपने खिलाड़ियों के प्रति इतनी चिन्ता की। यह बात सही है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से एक अनुरोध और करूंगा, आप इतनी चिन्ता कर रहे हैं यह हमारे लिए अच्छी बात है। केन्द्र के अंदर यूपीए की सरकार है, मैं यह कहूंगा कि खेल विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिस विभाग को केन्द्र सरकार से 1.4.2005 से एक रुपया भी किसी भी तरीके का अनुदान नहीं मिला, मैं निवेदन करूंगा वह भी आप हमको दिलाएं। जहां तक 17 जिलों के खेल अधिकारियों की बात है ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): यह तो दिख रहा है 17 पद रिक्त हैं। तीन साल से आप मंत्री हैं, आपने आज तक इन पदों को नहीं भरा। आप केन्द्र की बात कर रहे हैं, आपने जो किया वह बताओ, आपने क्या सोचा आज तक? खिलाड़ियों के लिए आपने क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं, आप जवाब सुनें। जवाब सुनिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बात याद दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान) एक परिवार था, दो भाई थे, एक भाई के लड़कियां ही लड़कियां होना शुरू हो गई और दूसरे भाई के लड़के ही लड़के। दूसरे लोगों ने महिला से कहा कि तू इन बच्चियों को कैसे ब्याहेगी, क्या पढ़ाएगी। उसने कहा, सब करेंगे, हमने कोई जेठ के भरोसे बेटी नहीं जनी। यदि आप भारत सरकार से ही मदद लेकर खेलों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ...(व्यवधान) फिर आप भारत सरकार का नाम लेकर बचना चाहते हैं। राजस्थान सरकार खेलों में व्यवस्था नहीं कर सकती?

श्री उपाध्यक्ष: आपका सहयोग चाहते हैं ये तो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो सहयोग देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(समय : 12.00 बजे)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस बात को टालने के लिए भारत सरकार का नाम ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमको कहां जरूरत है भारत सरकार की ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका सहयोग मिलेगा इनको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई योजनाएं भेजी हों तो आप बताओ, हम उनके लिए चेष्टा करेंगे। आप हमें बताइए, भारत सरकार को कोई योजना भेजी है क्या? और भेजी है तो कब-कब भेजी है? तो हमको चिट्ठी दें, हम चेष्टा करेंगे।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जेठ के भरोसे बेटी नहीं जन्मी, जब ही तो तीन साल से हम राजस्थान में हमारे खुद के बलबूते पर पैसा खर्च कर रहे हैं और राजस्थान के खिलाड़ियों को दे रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा चैम्पियंस ट्राफी कराई, उबेर कप करवाया। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): आप जो तीन साल से करवा रहे हैं उसका परिणाम क्या निकला ? माननीय मंत्री महोदय, खाली लीपापोती से जवाब देने से कुछ होने वाला नहीं है। (व्यवधान) आप खिलाडियों के लिए चिंतित हो, खिलाडियों के हितों की रक्षा करें। यह शर्म की बात है कि हमारे राजस्थान का एक पदक प्राप्त कर रहा है खिलाड़ी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त, अंकित नहीं होगा।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): xxx

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्न काल समाप्त।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से जिला झुन्झुनूं की बिगड़ती कानून व व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

2. श्री महिपाल सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में वर्ष जनवरी, 2006 से जनवरी, 2007 तक मंदिरों से करोड़ों रुपये की मूर्ति चोरी की वारदात होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं । वैसे भी गृह विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुढा एवं श्री महिपाल सिंह यादव को बोलने का अवसर उपलब्ध था।

3. श्री मांगी लाल गरासिया एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कोटड़ा की पांच पंचायतों को गोगुन्दा पंचायत समिति में नहीं मिलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य श्री गरासिया को आज राजस्व विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का अवसर है।

4. डा. सी. एस. बैद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों के संचालन में अनियमितता के संबंध में।

दिनांक 3 अप्रैल को बिजली की स्थिति पर चर्चा रखी गई है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से जिला पाली में पारम्परिक तरीके से कजावा पद्धति द्वारा ईंट बनाने वालों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में।

इन्हीं माननीय सदस्य की इस विषयक सूचना दिनांक 16 मार्च को प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सूचीबद्ध हुई थी, जिसे पढ़ा हुआ माना जाकर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

6. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा इन्टरनेशनल कन्वेंशन एवं होटलों के लिए जमीन दिये जाने में घोटाले के संबंध में।

प्रस्ताव का विषय अनुमान पर आधारित है, कोई घटना विशेष का उल्लेख नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से ग्राम उण्डावासन तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद के निवासियों पर जानलेवा हमला करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

8. मो. माहिर आजाद एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से वन वीक सीरिज में प्रैस लाइन के बिना आपत्तिजनक उल्लेख करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री माहिर आजाद को प्रस्ताव के विषय पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के बालोतरा की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के दायीं ओर अवस्थित कच्ची बस्ती को भूमाफिया के हाथों नहीं उजड़ने देने के संबंध में।

2. श्री अर्जुन सिंह बामणिया, सदस्य की ओर से तहसील बांसवाड़ा की कतिपय पंचायतों को जिला प्रतापगढ़ के स्थान पर जिला बांसवाड़ा में ही रहने देने के संबंध में।

3. श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की अतिवृष्टि से क्षतिगस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत करने के संबंध में।

4. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से खैरथल में महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

5. श्री के.डी. बाबर, सदस्य की ओर से लक्ष्मणगढ़ शहर के गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किये जाने के संबंध में।

6. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी की नहरों की मरम्मत कराने के संबंध में।

7. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से जिला पाली के धार्मिक स्थलों को डामर की सड़कों से जोड़ने के संबंध में।

8. डा. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में माह अगस्त में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ध्वस्त हुए मकानों की सहायता राशि बढ़ाने के संबंध में।

9. श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर के सारेलकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरा मेडिकल स्टाफ लगाने के संबंध में।

10. श्री अर्जुन लाल मीणा, सदस्य की ओर से सलूम्बर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड का क्रमोन्नत करने के संबंध में।

11. श्री हीरा लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के अनावृष्टि, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में।

12. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला में चिकित्सा एवं चारे के अभाव से गायों की मौत होने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई उपरोक्त विषयक सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री माहिर आजाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील के गांव उण्डावासन के निवासियों पर जानलेवा हमला

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को उण्डावासन गांव, देवगढ़ तहसील, राजसमंद जिले में गुमानसिंह जो कांस्टेबल है, उसकी गाड़ी में 10-15 आदमी और एक प्राइवेट गाड़ी में अन्य 25

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आदमियों ने मिलकर ग्रामवासियों पर हमला किया। 10 बजे के बाद उन्होंने उदयपुर में भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री को यह इत्तिला दी कि ग्रामवासियों को अवैध खनन रोकने के कारण इन लोगों ने आकर मारा है, पीटा है और उसकी एफआईआर लाज नहीं की जा रही है। (व्यवधान) अगले दिन ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस पवित्र सदन में असत्य बयान किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपको काफी समय हो चुका है, आप बीच में बिना परमिशन के मत बोलें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप बीच में नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी दे देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड, मैं आपकी शंका का निवारण कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत झगड़े लेन-देन के, आपस में प्रोपर्टी के हो सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल केस को अगर यहां हाउस में डिसकस करेंगे तो यह परिपाटी गलत हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि अभी कोई इस तरह की बात है, एक-एक व्यक्ति के केसेज को यहां अगर डिसकस करेंगे तो उचित नहीं होगा। बाकी जैसा आसन का रहेगा मैं उसके अनुसार पालना करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, जानकारी प्राप्त की जा रही है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई मामला नहीं है... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: यह व्यक्तिगत मामला यहां नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जानकारी ली जा रही है। माननीय कल्ला साहब, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कल्ला साहब, यह कोई यहां पर व्यक्तिगत.... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जानकारी प्राप्त की जा रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: जवाब किस आधार पर देंगे, माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण पिछले 5-6 दिन से चल रहा था किसी खनन को लेकर, किसी की भूमि में से अवैध खनन को लेकर। पहला मुकदमा देवगढ़ में हरिसिंहजी के भाई फतेहसिंह ने इनके खिलाफ दर्ज किया कि आप हमारी जमीन में से अवैध खनन ले रहे हैं, उसका मुकदमा एक दर्ज हुआ। फिर उसके बाद यह 27 तारीख वाली, कल रात्रि में ही यह घटना घटित हुई और इसमें दोनों की तरफ से एक 86 नम्बर का मुकदमा.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, यह घटना रास्ते की है। इनके गांव की तरफ कोई रास्ता है जो भीम से कुछ दूर है, वहां की घटना है। दोनों की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक की तरफ से नहीं। दोनों की तरफ से.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वो वहां कितने बजे पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम मेरे पास इस समय नोट नहीं है लेकिन दोनों केस एक-दूसरे के विपरीत दर्ज हुए हैं। एक 86 नम्बर पर हुई है वह इनके परिवार के भाई ने कराई और 87 नम्बर लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई है। ये दोनों 27 तारीख की घटना हैं। मेरे को टेलीफोन पर जैसे ही सूचना मिली, एस. पी. से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा कि किसी से भी झगड़ा नहीं हो, अपना काम है एफ आई आर दर्ज करके जो घटनाक्रम हुआ है उसकी कार्यवाही करना। मैं सदन को बताऊं कि न लक्ष्मण सिंहजी के कोई चोट है, न कुछ भी है। गाड़ी को रोकने का प्रकरण है एक दूसरे का। इनका कहना है कि उनके लोगों ने इनके घर पर हमला किया, उनका कहना है कि हमारी गाड़ी रोककर हमको रास्ते में रोका। दोनों के मुकदमे दर्ज हैं। सारी तफ्तीश होगी। एग्जैक्ट समय नहीं है कि लक्ष्मण सिंहजी थाने पर कितनी बजे पहुंचे, जो भी समय होगा वह भी मैं आपको बता दूंगा। किसी के प्रति कोई सवाल नहीं है। जो भी जिसका अपराध होगा जिसने किया होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, केवल मैं इतनी ही जानकारी दे रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं निश्चित रूप से आपकी बात का पता करूंगा कि कब वो पहुंचे और कब एफ आई आर दर्ज हुई। मेरे पास अभी एग्जैक्ट समय नहीं है कि उनके पहुंचने के कितनी देर बाद दर्ज हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री माहिर आजाद। माननीय कल्ला साहब, अब नहीं। माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास सूचना है 27.3.2007 को 8.15 पी.एम. पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, घटना जो हुई है वह 8.15 पी.एम. के बीच में है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रश्न यह है कि वह कितने बजे थाने पहुंचे। जो मुझे दिया है उसमें 8.15 की घटना है, दोनों पक्षों के बीच में, दोनों ने एक ही दिनांक 27.3. को 8.15 पी.एम. श्री लक्ष्मणसिंह रावत पूर्व विधायक, भीम वगैरह और श्री हरिसिंह रावत वर्तमान विधायक के परिजनों के बीच गांव नंदावट में आपसी विवाद हुआ जिस संबंध में प्रार्थी श्री बन्नेसिंह पिता भूरसिंह नंदावट ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि आज श्री लक्ष्मणसिंह पूर्व विधायक और उनका पुत्र अनुरागसिंह, दर्शनसिंह, सुदर्शनसिंह गाडियां लेकर मेरे मकान के बाहर आये। सुदर्शन के हाथ में तलवार और लक्ष्मणसिंह के हाथ में रिवाल्वर था, उनके साथ गैंग थी। पीटीआई भगवानसिंह अध्यापक, दिलीपसिंह, मुकेशसिंह ये-ये लोग उनके घर आये थे, हमला किया। यह रिपोर्ट तो लिखवाई है हरिसिंहजी के भाई ने। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई है इन लोगों ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी देकर, और उनका भी समय ही है। उन्होंने जो लिखा है वह 87, 147, 148, 149, 36, 504, 352, इसमें भी समय वही लिखा है 27.3.2007 को 8.15 पी.एम. श्री लक्ष्मणसिंह रावत पूर्व विधायक वगैरह ने हरिसिंह रावत वर्तमान विधायक के परिजनों के बीच गांव नंदावट में आपसी विवाद हुआ। जिस संबंध में प्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह पिता फतेहसिंह ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नंदावट में लिखित रिपोर्ट पेश की कि 25.3.2007 को हुडावास ग्रामवासियों पर विधायक भीम के भाई-भतीजा 20-25 द्वारा हमला कर चोट पहुंचाने को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई देवगढ़ थाने में। वृताधिकारी यह जो घटना बता रहे हैं वह 8.15 पी.एम. की है और आप बता रहे हैं 8.11 पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई। वह थाने पर कब पहुंचे और कब रिपोर्ट दर्ज हुई अगर उसमें कोई विलम्ब है, दर्ज करने में कोई बात है...

श्री उपाध्यक्ष: 2-3 घंटे तो करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): दोनों रिपोर्ट लगभग एक ही समय दर्ज हैं, दोनों की। इनकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज है। इसको दिखवा लूंगा, अगर 8.15 की घटना है, वह पहुंचे कब और जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दर्ज कराई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब, अब देखो इसमें फिर आप ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: हमला हो गया तो बहुत बुरी बात है। (व्यवधान) इसका इन्वैस्टिगेशन हो रहा है, माननीय कल्ला साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब, अब आप स्थान ग्रहण करें, आपका अंकित नहीं हो रहा है। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सीताराम भगवान मंदिर, देवस्थान में दर्ज है वह जमीन और उसमें कब्जा हो रहा है। 131 के तहत मैंने ध्यानाकर्षण दिया है, अभी सरकार को भेजा है या नहीं। वहां कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं। इस पर आपने कोई व्यवस्था फर्मायी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरे से चैम्बर में मिल लेना, मैं पूछकर बता दूंगा आपको। चैम्बर में सम्पर्क कर लेना मेरे से, बता दूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): कोई झगड़ा न हो जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बता दूंगा दो बजे।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन है और मैं तो बहुत कम बोलता हूं। वैसे भी हमारे जयपुर राजधानी में हर महीने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका रिजैक्ट हो गया है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। नहीं, बीच में आप अपना बंद कीजिए, माननीय सदस्य, व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हर महीने चोरी हुई है न कि हर दिन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): xxx

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: मैंने आपको कोई अनुमति नहीं दी है, अंकित नहीं हो रहा है, समय बर्बाद नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): xxx

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बीच में व्यवधान नहीं डाले, मैंने कह दिया आपको आपका अंकित नहीं होगा।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैंने कह दिया आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): xxx

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं होगा, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकार को चिंता है आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अब कोई सीधा प्रश्न नहीं है, अब कोई प्रश्न नहीं,

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है आपका, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कोई अंकित नहीं होगा आपका, आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

वन वीक सीरीज में प्रैस लाइन के बिना आपत्तिजनक उल्लेख

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस रोज पुलिस विभाग की डिमांड थी उस रोज माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सदन को यह बात कही थी कि जब से यह गृह मंत्री बने हैं और सरकार बनी है, राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव कायम हुआ है, भाई-चारा बढ़ा है, साम्प्रदायिकता की घटनाओं में कमी हुई है। मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में निवेदन यह करना चाहता हूं, सब यह चाहते हैं कि राजस्थान का साम्प्रदायिक सद्भाव, कौमी-एकता और भाईचारा बना रहे। सदियों से जो लोग आपस में मिल-जुलकर रह रहे हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग की भावनाओं का सम्मान कर, किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने का काम न हो। लेकिन सुपर वन वीक सीरीज के नाम से एक पास बुक है जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर भी गैर कानूनी तरीके से छाप रखा है। द्वितीय वर्ष राजनीति की यह पास बुक है। हमारे यहां यह कानून है कि अगर कोई एक हैंड-बिल और पर्चा भी छापेगा तो उस पर उसको प्रैस लाइन देनी पड़ेगी, प्रैस का नाम और पता देना पड़ेगा। यह पास बुक मैं सदन पटल पर रख दूंगा और आदेश देंगे, निर्देश देंगे तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी को भी प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें कहीं प्रकाशक का अपना नाम और पता नहीं है केवल लिखा है आरबीडी जयपुर। अगर इसकी हिन्दी का अर्थ भी लगाएं तो राजस्थान बुक डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर, कौन से बाजार में है, क्या दुकान का नम्बर है, कहीं कुछ नहीं दिया। नागौर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का जहां भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है वहां पर बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हैं केवल एक धर्म के लिए नहीं, इसमें हिन्दू धर्म के लिए भी, इसमें इस्लाम धर्म के लिए भी, इसमें सिक्ख धर्म के लिए भी, सब धर्मों के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कहीं हैं, मैं संक्षेप में उनको यहां उद्धृत करना चाहूंगा। इस पास बुक के पृष्ठ संख्या 108 पर लिख रखा है कि सिक्ख और अकाली दल खालिस्तान की मांग कर रहे हैं,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इसमें नीचे लिख रखा है, जमात-ए-इस्लामी उर्दू के लिए दबाव डाल रही है और मुस्लिम मतदाताओं को भड़का रही है। इसके पृष्ठ संख्या 110 क्रम संख्या 9 पर लिखा है मुसलमानों की धर्मान्धता तथा धार्मिक कट्टरता भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। मुसलमानों में पृथक्करण। आगे हिन्दू धर्म की भी सुन लो जरा, फिर भी सही बोलना। मैंने पहले कहा था, यह ऐसी बीमारी है, इस सदन को कभी गम्भीरता से नहीं लेते हैं आप। जब मैंने पहले ये सारी बातें कहीं हैं, पहले ही कहा है, अभी आगे सुनना जब भी कहना सही है। अगर मैं हिन्दू धर्म को गलत बताऊं और आप मुस्लिम को, यही तो साम्प्रदायिकता फैलाने की बात है। जरा गम्भीरता से लेओ इस चीज को और सुनो, क्या कह रहा हूं। आगे इसमें लिखा है कि मुसलमानों की धर्मांधता तथा धार्मिक कट्टरता भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। मुसलमानों में पृथक्करण की भावना, मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण पाकिस्तान का दुष्प्रचार तथा षड्यंत्र और फिर लिखते हैं आगे कि हिन्दू धर्म भी इससे अछूता नहीं है। हिन्दू धर्म की संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद की भावना से भी जो अछूत जातियां हैं वो हिन्दू धर्म के साथ सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। कह दो कि ये भी सही है ? अब बोली बंद क्यों हो गयी? मैं सबकी आपत्ति कर रहा हूं कि इसमें घोर आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई हैं। फिर इसमें आगे लिखा है कि संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद आदि मुसलमानों की धर्मांधता के प्रमुख कारण हैं। इतना ही नहीं, मुसलमान अपने को हिन्दुस्तान का नागरिक भी नहीं मानते हैं, आज भी पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं और पाकिस्तान की हार पर दुःखी होते हैं। आगे लिखा है कि आज भी हिन्दुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के कहे अनुसार कार्यों का संचालन कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब एक से नहीं हो सकते। हो सकता है, इस्लाम धर्म में भी दस-बीस लोग ऐसे हों, मैं उससे इनकार नहीं करता, जो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। हिन्दू धर्म में भी सारे ठीक नहीं हो सकते। सिक्खों में दो-पांच लोग खालिस्तान के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन पूरे समुदाय, पूरे धार्मिक लोगों के बारे में इस तरीके की भावना कही जाए, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये वो ही हिन्दुस्तान है जिसके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब कलकत्ता की जेल में नजरबंद थे और उनकी बीवी का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इंतकाल हो गया तो जेल सुपरिन्टेंडेंट ने जाकर कहा कि मौलाना बुरी खबर है, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, अगर आप चाहो तो दरख्वास्त दे दो, हम पैरोल पर आपको जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं। मुझे फख्र है उस कायदे आजम पर, उसने कहा कि मेरी एक की जगह चार बीवियां भी होतीं तो मैं मुल्क की आजादी के लिए चारों को क़ुर्बान कर देता। मैं जेल छोड़कर माफी मांग कर किसी भी सूरत में उसके जनाज़े में शामिल होने के लिए नहीं जाऊंगा। कैप्टन अश्फाक उल्लाह खान का भी उदाहरण है, कैप्टन अब्दुल हमीद का भी है। हिन्दू धर्म के भी सारे लोग राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत हैं। सारे सिक्खों को खालिस्तान समर्थक नहीं कहा जा सकता। सुरेन्द्रपाल सिंहजी टीटी और गुरजंट सिंहजी भी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने ऐसे ही नहीं किया, मेरा हवा में बात उठाने का मकसद नहीं है। मैंने यह पता लगाने के लिए कि आखिर यह आरबीडी कहां है, मेड़ता के और भीलवाड़ा के जो लोग मेरे पास आये उनसे कहा कि पहले पता लगाओ कि ये मिल कहां रही है। वो बोगस व्यापारी दुकानदार बनकर गये तो चौड़ा रास्ता में दुकान नं. 290, अजंता प्रकाशन के ऊपर यह सुपर वन वीक सीरीज मिली। उन्होंने कहा कि मेड़ता के अन्दर हमारी दुकान है और हमको यह वन वीक सीरीज चाहिए, तब उसने उनको ये किताबें दीं, तब वहां से मिलीं। बाकी इस पर कहीं प्रैस लाइन नहीं है। वहां का बिल लेकर आये हैं वो बिल भी मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा। आप भी किसी को भेज दो उसके पास ये मिल रही हैं, इसको छाप रहा है । यहां पर शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का इससे कोई संबंध नहीं है उसके बावजूद भी इसने छाप दिया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर। न इसमें प्रैस लाइन है न यूनिवर्सिटी से यह रिकोग्नाइज्ड है न कोई मतलब है और इसमें इस तरीके की घोर आपत्तिजनक चीजें लिखी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी दोनों बैठे हैं, मैं यह चाहता हूं कि सदन के ज़रिये ये आश्वस्त करें कि इस पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाए और जो प्रकाशक और बुक सेलर इसको बेच रहे हैं उनके खिलाफ प्रैस एक्ट के तहत कि इसमें बिना प्रैस लाइन दिये छापी है, कार्यवाही की जाए और राजस्थान के साम्प्रदायिक सद्भाव, भाई-चारे और कौमी एकता को बरकरार रखने का काम किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय सदन के ध्यान में लाये नगर से आने वाले माननीय विधायक, मैं इस किताब पर अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा करूंगा, कहां-कहां, किन-किन धाराओं के तहत इस पर केस बन सकता है, क्या इसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। जो आपने मंशा रखी वो तो सदन की प्रापर्टी बन गई, मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठकर किन नियमों के तहत इस पर कौन सी कार्यवाही हो सकती है, उसकी कार्यवाही करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं, आप कहें तो मैं गृह मंत्रीजी को दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी को दे देना।

श्री उपाध्यक्ष: नियम 295 के अन्तर्गत चर्चा। श्री मोहन मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर के बालोतरा की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित कच्ची बस्तियों की सुरक्षा

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत आपके मार्फत माननीय नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग राज्य मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर शहर के बालोतरा की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के दायीं ओर एक बहुत बड़ी कच्ची बस्ती स्थित है। यह बस्ती राजीव गांधी कच्ची बस्ती पाललिंक रोड के नाम से जानी जाती है जिसमें लगभग 2600 गरीब अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार के नियमानुसार इस बस्ती का भी वर्ष 1998 व 1999 में अन्य बस्तियों की तरह नियमन बाबत सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे के आधार पर गत कांग्रेस सरकार ने इस बस्ती के नियमन में अपनी पुरानी परम्परा का निर्वाह करते हुए भेदभाव बरता एवं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों के पांच सौ कब्जों का तो नियमन कर पट्टे जारी कर दिये किन्तु गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को जानबूझ कर नियमन का फायदा नहीं दिया। इस बस्ती का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके आसपास में धनाढ्य वर्ग की कालोनियां विकसित हो गईं जिससे इस क्षेत्र की भूमि की कीमत लगातार बढ़ती गई जिस कारण से इस कच्ची बस्ती के अधीन आने वाले मकानादि को

(श्री मोहन मेघवाल)

येन केन हड़पने की साजिश रचनी आरंभ हो गई। इस कच्ची बस्ती में नियम से वंचित परिवारों को किस प्रकार बेदखल किया जाए, इस पर अमल के धनाढ्य व्यक्तियों, भूमाफिया व इनसे जुड़े स्थानीय निकाय के अधिकारी व कर्मचारी नए-नए तरीके ईजाद करने लगे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने पहले तो इस क्षेत्र में बसी श्याम नगर आवासीय योजना का मानचित्र बिना किसी सक्षम प्रक्रिया अपनाये तब्दील किया एवं इस बस्ती के एक बड़े भूभाग को इसमें सम्मिलित करते हुए भूमि तस्करों के इशारों पर धनाढ्य वर्ग के लोगों को पट्टे जारी कर दिये। तत्पश्चात् श्याम नगर विस्तार योजना के नाम से बस्ती में घुसने की कोशिश की गई एवं यह निरंतर जारी है। इनकी इस भावना व साजिश का स्थानीय राजीव गांधी कच्ची बस्ती के लोगों ने भी एकजुटता दर्शाते हुए डटकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। कच्ची बस्ती के निवासी अपनी कुटिया का नियमन कराने को आतुर हैं तो भूमाफिया उजाड़ने को।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कच्ची बस्ती में आबाद परिवारों को नियमन करने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही कर रही है? यदि कार्यवाही जारी है तो उसकी प्रगति से अवगत कराया जाए। यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? सरकार इस बस्ती में निवास करने वाले सर्वे से वंचित परिवारों को भी शामिल करने की मंशा रखती है? मैं इस बस्ती के हजारों परिवारों के हितों की रक्षार्थ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस सदन में यह घोषणा करेंगे कि इस कच्ची बस्ती को किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं के हाथों उजड़ने नहीं देंगे तथा इसके नियमन में बरती गई कोताही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनसिंह बामणिया। (अनुपस्थित)

श्री नानालाल अहारी। (अनुपस्थित) श्री जयराज जाटव।

खैरथल में महाविद्यालय की स्थापना

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खैरथल कस्बे में महाविद्यालय खोलने के क्रम में निवेदन है कि जिला अलवर का सबसे बड़ा कस्बा विधान सभा क्षेत्र खैरथल है, जिसकी आबादी लगभग पचास हजार है। खैरथल कस्बे के चारों तरफ विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर, बानसूर व तिजारा का क्षेत्र लगता है। इस ग्रामीण अंचल में

(श्री जयराम जाटव)

कोई कालेज नहीं होने के कारण इस ग्रामीण क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राएं जिनको आगे अध्ययन करने के लिए अलवर जाना पड़ता है, अलवर आने-जाने में इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्र-छात्राओं का लगभग तीन चार घंटे का समय खराब हो जाता है। अनुसूचित जाति व गरीब ग्रामीण छात्र-छात्राओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा से महरूम होना पड़ता है।

आज के बढते हुए शिक्षा जगत में ग्रामीणों को आधुनिकतम युग में मिलने वाली शिक्षा मिले । इस बाबत मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मांग करता हूं कि खैरथल कस्बे में इसी वित्तीय वर्ष में राजकीय महाविद्यालय खोलकर मुझे कृतार्थ करें । यदि सरकार खैरथल कस्बे में महाविद्यालय खोलती है तो उक्त महाविद्यालय को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल बामनिया । श्री के.डी बाबर

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल लूं ।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए ।

बांसवाडा की कतिपय पंचायतों का यथास्थिति कायम रखना

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा से बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र दानपुर की पंचायतें जोघी लेजपुर, मकनपुरा, जहापूरा, छापनबडी बागतालाब खजूरी, गागरवा को नया जिला प्रतापगढ़ में मिलाने की प्रक्रिया की जा रही है । उपरोक्त पंचायतों की जनता को प्रतापगढ़ जाने के लिये काफी परेशानी आएगी। जनता को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय नजदीक एवं सड़क मार्ग से जुडा होने से यथास्थिति में ही रहने दिया जाने की कृपा करें। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल ।

देसूरी की नहरों की मरम्मत

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

(श्रीमती लक्ष्मी बारुपाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र देसूरी की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है, एक तरफ अरावली पर्वत माला से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पूर्ण मैदानी भाग है । यहां पर छोटे-बडे 20 बांध आये हुए हैं, जिनमें सिंचाई विभाग से 9 व पंचायत विभाग से 11 बांधों से सिंचाई होती है । इस वर्ष अक्टूबर, 2006 को सभी बांधों पर चादर चलनी शुरू हुई जो सिंचाई के लिये नहरें नहीं खोलने तक चालू रही । वर्तमान में इन बांधों की नहरें व वितरिकाएं 40 वर्ष पूर्व निर्मित हैं जिनकी दशा काफी जर्जर में है। इनकी वितरिकाएं पूर्णतया कच्ची हैं, किसान स्वयं फावड़ों से कच्ची खालियां बनाकर अपनी फसल की पिलाई करते हैं जिससे पानी की अधिक बर्बादी होती है। अत: जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन है कि इन नहरों की मरम्मत करावें तथा वितरिकाओं को पक्का निर्माण करावे ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके एवं इसका वितरण सुचारु रूप से हो सके। बांधों की क्षमता को देखते हुए उसमें इकट्ठा हुए पानी को एक वर्ष की बजाय दो वर्ष तक सिंचाई के लिये काम में लिया जा सकेगा, जिससे किसानों के खेतों में सिंचाई जैसी समस्या से निजात मिलेगी एवं राज्य में अच्छी फसल से उन्नति एवं खुशहाली आवेगी। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सी. डी. देवल ।

पाली जिले के धार्मिक स्थलों का डामर की सड़कों से जुड़ाव

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धार्मिक स्थलों को सड़क से जोडने हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल आस्था के केन्द्र हैं जिनके लिये आगमन एवं जाने के लिए संपर्क सड़क उपलब्ध नहीं है। इन स्थलों पर मेले आदि भी भरते रहते हैं। मुख्यत: रायपुर तहसील के बिराठिया गांव में रामदेवजी का मंदिर बना हुआ है जिसमें वर्ष भर मेला-सा लगा रहता है। अजमेर व मेवाड से आने वाले यात्रियों को बडी परेशानी होती है। यहां जनहित में झाला की चौकी से बिराठिया खुर्द की 7 किलोमीटर की दूरी में से केवल 2.5 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण होना है, जिसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने की घोषणा के अनुसार जोड़ दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।

(श्री सी. डी. देवल)

सोजत तहसील के धारेश्वर महादेव को जाने के लिये भी यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है । गुढा श्यामा से तीन किलोमीटर की दूरी पर धारेश्वर महादेव का ऐतिहासिक मंदिर आया हुआ है जहां हर सोमवार हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिये जाते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र में आता है इसलिए इस धार्मिक स्थल को गुढा श्यामा से डामर की सड़क से जोड़ा जाय एवं बीच में नालों पर सीडी वर्क कराया जाए।

इसी प्रकार ब्यावर तहसील में दूधलेश्वर का मंदिर आया हुआ है जहां पाली जिले के विशेषकर मारवाड़ जंक्शन व सोजत तहसील के सैकडों लोग दर्शन के लिये आते हैं, जिनको ब्यावर होकर जाने में बडी परेशानी होती है। अत: ग्राम सारण से दूधलेश्वर महादेव के बीच 7 किलो मीटर का टुकडा कच्चा है उसका डामरीकरण कराया जाए।

इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन में गोदावास गांव में बायासा माताजी के मंदिर में काफी अच्छी तादात में महिलाएं आती हैं और पूर्णिमा पर महिलाओं का मेला लगता है, इसलिए गोदावास गांव से मंदिर तक एक किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराया जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की विधान सभा में घोषणा के अनुरूप इन धार्मिक स्थलों को डामर की सड़क का निर्माण कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जालम सिंह रावलोत

(अनुपस्थित)।

श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)।

श्री अर्जुन लाल मीणा ।

सलूम्बर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैयाओं की बढ़ोतरी

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने बाबत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित अरावली पहाडियों के बीच तथा एशिया की प्रसिद्ध सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के पास सलूम्बर है। सलूम्बर वर्तमान में उप जिलाधीश कार्यालय है जिसमें तहसील सराड़ा, तहसील सलूम्बर तथा तहसील खैरवाड़ा का प्रशासनिक उप खंड कार्यालय मुख्यालय है।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

सलूम्बर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । वर्तमान में 50 बैड का हास्पिटल संचालित है । यह उप खंड मुख्यालय जनजाति बहुल क्षेत्र है । यहां से 70 किलोमीटर की परिधि में कोई बड़ा हास्पिटल नहीं है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में पर्याप्त वार्ड भवन बना हुआ है। यहां पर वर्तमान में एएनएम प्रसाविकाओं का ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित है। यह उदयपुर से बांसवाडा राज्य स्टेट हाइवे पर स्थित है। सलूम्बर में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन उप खंड, खनन विभाग, कृषि विभाग, एडिशनल एसपी कार्यालय, सीआईडी कार्यालय सभी अधिशासी अभियंता स्तर के कार्यालय हैं। सलूम्बर उदयपुर जिले की सबसे बडी नगर पालिका क्षेत्र है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी भेजा गया है। राज्य सरकार के नार्म्स के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर 100 बैड में क्रमोन्नत होने की पात्रता रखता है, अत: 100 बैड में क्रमोन्न्त करने की कृपा करें। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल ।

निवाई के अनावृष्टि प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र इस वर्ष पूर्णतया अनावृष्टि, ओलावृष्टि से पीड़ित रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में न कोई नहर है, न तालाब कोई बड़ा बांध है। निवाई विधान सभा क्षेत्र पूर्णतया वर्षाजनित कृषि पर निर्भर है। इस बार रबी की फसल कम वर्षा से नष्ट हो गई है। जो बोयी वह ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। साथ ही जिन किसानों ने अपने कुओं से सरसों, अनाज बोया था वह ओलावृष्टि से नष्ट हो गया। जिन्हें सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है इसके लिये धन्यवाद ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लघु सीमांत कृषक बारानी भूमि पर खेती करता है। परंतु वर्षा नहीं होने से रबी और खरीब की फसल नहीं बोई गई । अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे-छोटे किसान जिनकी दोनों फसलें ही खेतों में नहीं बोई गई, ऐसे कृषकों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि इन्हें भी राहत मिल सके। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला में चिकित्सा व्यवस्था एवं चारे का अभाव

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा चारे के अभाव में नगर निगम हिंगोनिया गौशाला में प्रतिदिन लगभग दो दर्जन गायों की मृत्यु होने की ओर स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर में विभिन्न स्थानों से पकड़ी गई गायें, बछड़ें, बैल आदि को ट्रक में भरकर निगम द्वारा संचालित हिंगोनिया में स्थित गौशाला में लाकर रखा जाता है ।

हिंगोनिया स्थित गौशाला में अप्रैल, 2003 से अक्टूबर, 2006 तक 28 हजार 778 गायों को शहर से पकड़ कर लाया गया जिनमें से 778 गायों को जुर्माने के बाद मालिक को सौंपा गया । इनमें से 70 प्रतिशत गौवंश हिंगोनिया गौशाला में दम तोड़ चुका है तथा यह सिलसिला अब तक 20,000 गायों की मौत के बाद भी जारी है । इस आशय के समाचार 'पत्रिका' के 4 नवम्बर, 2006 व 8 दिसम्बर, 2006 में प्रकाशित हुए हैं।

हिंगोनिया की गौशाला में एवं दवाबखानों में सभी श्रेणी के गौवंश को एक साथ रखा जाता है जिससे बड़े पशु छोटे एवं बीमार वंश को भोजन पानी आदि नहीं लेने देते जिसके कारण ज्यादतर भूखे रह जाते हैं। कई बार नि:शक्त व छोटे बछड़े गिर जाते हैं। उन से बड़े पशु गाय-बैल खाने को दौडते समय गुजरते हैं जिससे वो घायल हो जाते हैं। गौशाला के कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में आठ गायों को 7 दिसम्बर, 2006 को सड़क पर डाल दिया। इन मरणासन्न स्थिति में आ चुकी गायों को कुत्ते खाते रहते हैं। गौवंश की इस पीड़ा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ।

प्रशासन द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि ज्यादातर गायें सड़क पर प्लास्टिक की थैलियां खा जाती हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। दूसरा उनमें अधिकांश गायें बीमार रहती हैं जिनके कारण मौत होती हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 20,000 गायें जिनकी मौत हिंगोनिया की गौशाला में हुई उनमें से कितनी गायों का पोस्टमार्टम कराया गया? यदि इन गायों का पोस्टमार्टम कराया गया है तो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इन गायों के मरने के कारणों को सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महादेय, आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से इन गौशालाओं व दबावखानों में समुचित व्यवस्था हेतु तत्काल निम्नांकित आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन करता हूं:-

1. निगम की इन गौशालाओं में छोटे, बड़े व बीमार पशुओं को समुचित चारा दिया जाए इसके लिए कर्मचारियों को पाबन्द किया जाए कि वे भूसा समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रति दिन दें तथा दानदाताओं द्वारा भिजवाये जाने वाला हरा चारा गुड व बांट भी नियमित रूप से गौवंश को उपलब्ध कराएं। इसके लिए पर्याप्त बड़ी भूसा ट्राली कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए।

2. इस गौशाला में कर्मचारी गौवंश को समय-समय पर पर्याप्त चारा देते हैं अथवा नहीं, इसके निरीक्षण की भी समय-समय पर व्यवस्था की जाए।

3. निगम की इन गौशालाओं व दबावखानों में छोटे शिशुओं एवं निर्बल गौवंश के लिए पृथक से समुचित व्यवस्था की जाए तथा बैलों व अन्य स्वस्थ गायों के लिए पृथक से बाड़ों की व्यवस्था की जाए।

4. बीमार तथ नि:शक्त गायों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था की जाए तथा गायों के पेट से प्लास्टिक की थैलियां निकालने की व्यवस्था चिकित्सक सुनिश्चित करें तथा चिकित्सक को वहीं रहने को पाबंद किया जाए। बीमार/मरणासन्न गायों को गौशाला से निकालकर कर्मचारी उन्हें बाहर कुत्तों को खाने के लिए नहीं डाले और यदि ऐसा कृत्य कोई कर्मचारी करे तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

5. इन गौशालाओं में बीमार व शिशु गायों/बछड़ों के कक्ष को जाली से कवर करवा दिया जाए ताकि कौए इनकी आखें फोडकर मांस नोचकर वीभत्स रूप से इन्हें अकाल मृत्यु का ग्रास न बनावें।

6. निगम की गौशाला में प्रत्येक गाय जिसकी मौत गौशाला में हो, उसके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जाए ताकि गायों की मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में इन कारणों की रोकथाम के लिए निगम समुचित कार्यवाही करे ताकि इन गौशाला में भूख व बीमारी से गायों व बछड़ों की अकाल मौत नहीं हो।

7. बस्सी के हिंगोनिया गांव से निगम की गौशाला/दबावखाने तक, ढाई किलोमीटर सांभरिया तक जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त सड़क बनाई जावे तथा उसकी मरम्मत कराई जावे।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

8. इस गौशाला के पास के क्षेत्रों के सभी जंगली कुत्तों, भेडियों को पकडकर निगम के जयसिंहपुरा स्थित श्वानघर में भिजवाया जाए।

9. हिंगोनिया गौशाला की ओर मुडने वाले सांभरिया मोड़ पर ईश्वर मार्केट के पास गौशाला के लिए कोई पथ प्रदर्शक साइन बोर्ड नहीं है, अत: यहां सुगम पथ प्रदर्शक शीघ्र लगाया जाए। धन्यवाद।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह गाय का, भूस का पार करके... (व्यवधान) राजनीति की वैतरणी पार करने वालों के यहां 20,000 गायें मर गईं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये गायों के नाम पर वोट लेकर आये हैं। (व्यवधान) डूब मरने की बात है, गायों की रक्षा नहीं कर सकते।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगली कुत्ते राजस्थान में हैं ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए, जंगली कुत्ते राजस्थान में हैं ही नहीं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): जंगली कुत्ते राजस्थान में नहीं हैं। (व्यवधान) आपको गलतफहमी है, इसको करैक्ट कर लीजिए, जंगली कुत्ते राजस्थान में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये गायों के रखवाले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: (व्यवधान) चर्चा, कतई नहीं होगी। कोई रिकार्ड पर नहीं आएगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा। किसने परमीशन दी आपको बोलने की ? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxxx

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री के डी बाबर ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री के डी बाबर।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने हिंगोनिया गौशाला की चिंता यहां जाहिर की, निश्चित रूप से गायें जो मर रही हैं सबके लिए चिंता का विषय है। मैं सी.ओ., नगर निगम को कह रहा हूं, वह जाकर वहां स्थिति को देखें और जो भी उचित व्यवस्था हो, करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री के डी बाबर।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: श्री के डी बाबर।

लक्ष्मणगढ़ शहर में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के

(श्री केसर देव बाबर)

तहत लक्ष्मणगढ़ शहर में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किये जाने विषय विशेष का प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, मैं पिछले तीन वर्षों से निरन्तर माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से विशेष उल्लेख के प्रस्ताव, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ शहर में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने हेतु निवेदन करता आ रहा हूं परन्तु आज तक भी लक्ष्मणगढ़ के निवासीगण गंदे पानी के एक स्थान पर जमा होने से हो रही परेशानियों से निरन्तर जूझ रहे हैं एवं अनेक व्यक्ति गंदे पानी से उत्पन्न बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। बच्चों एवं बड़े-बूढ़ों को गंदे पानी की झील बन जाने के करण आवागमन में भी भारी परेशानी होती है। हालत यह है कि लक्ष्मणगढ़ शहर की आबादी साठ हजार की है एवं वहां पर नगरपालिका भी कार्यरत है परंतु शहर में गंदे पानी की निकासी की कोई समुचित योजना आज तक नहीं बन पाई है, न क्रियान्वित हो पाई है। शहर में जो अनुसूचित जाति की बस्ती है वहां पर गंदे एवं प्रदूषित पानी की झील बनी हुई है जिससे संक्रामक रोगों का फैलाव होता जा रहा है। बारिश के दिनों में तो लोगों का जीना ही दूभर हो जाता है, सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। शहर में चार बस्तियां अनुसूचित जाति की हैं, उन सभी में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। अत: लक्ष्मणगढ़ शहर के वाशिन्दों को इस समस्या से निजात दिलाया जाना अति आवश्यक है।

मैं राज्य सरकार एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, कृपया लक्ष्मणगढ़ शहर के गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किये जाने हेतु विशेष योजना कर स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

खैरवाड़ा में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सबंधी नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ओलावृष्टि से कई सड़कें व पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई। इनकी मरम्मत व रिपेयर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तख्मीने के साथ 6.95 करोड़ की मांग की है, मगर बजट में पैसा नहीं मिलने के कारण सारी सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। कई पंचायतों का आवागमन भी अभी रूका हुआ है। वहां की

(श्री नानालाल अहारी)

जनता के लिए ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरा सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें, पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बजट उपलब्ध करावाकर ठीक करवाया जाए ताकि जनता के आवागमन चालू हो सकें एवं आवश्यक वस्तुओं को वे आसानी से ला सकें। साथ ही कृषि मण्डी, टी ए डी से विधायक मद से, सांसद मद से भी पुलियाएं एवं सड़कें बनी हुई हैं। इन सडकों एवं पुलियाओं को विभाग से मरम्मत नहीं करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में इन सडकों की देखभाल कोई नहीं कर सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सडके व पुलियाएं हैं, मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन है कि आप इन सडकों का भी सर्वे कराकर सभी सड़कों एवं पुलियाओं का वापस निर्माण करावें ताकि वहां के आवागमन के साधन पुन: चालू हो सकें और जनता को राहत मिल सके। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आशा करता हूं कि आप शीघ्र ही हमारी मांगें स्वीकार करेंगे ताकि जनता की आवश्यकता पूरी हो। धन्यवाद।

(समय : 13.00 बजे)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खेतड़ी में कृषि मण्डी की स्थापना

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री दाताराम।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अपनी पैदावार बेचने के लिये दूसरी कृषि मण्डियों में जाना पड़ता है। खेतड़ी में कृषि मण्डी का अभाव है इसकी वजह से मेरे क्षेत्र के किसानों को या तो नारनौल अपनी पैदावार बेचने के लिये जाना पड़ता है या फिर चिड़ावा जाना पड़ता है, या दूसरी पड़ौस में नीमकाथाना जो मण्डी लगती है उसमें जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत किसान हैं और करीब 38 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वैसे ही पानी की कमी है। फिर भी जैसे-तैसे करके किसान अपनी फसल पैदा करता है उसका उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। न ही मेरे क्षेत्र में उचित मूल्य का कोई खरीद केन्द्र है जिसके कारण से या तो सरसों बेचने के लिये उचित मूल्य के जो केन्द्र हैं उसमें चिड़ावा जाना पड़ता है या फिर नीमकाथाना। कई बार किसानों

(श्री दाताराम गुर्जर)

को पर्ची नहीं मिलती वहां, उसके बाद वह अपनी पैदावार को लेकर दूसरी जगह जाता है। पड़ौसी क्षेत्र नारनौल मण्डी लगती है, उसमें जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसानों को इस बजट के माध्यम से अरबों रुपये सुविधा के लिये सरकार ने दिये हैं और नई कृषि मण्डी भी सरकार ने खोली हैं। मैंने पिछले साल भी मांग रखी थी कि मेरे क्षेत्र में कृषि मण्डी का अभाव है और 3 साइड में मेरा क्षेत्र विभक्त हो जाता है, एक साइड में नीमकाथाना में लोग चले जाते हैं, दूसरे चिड़ावा में और तीसरे नारनौल मण्डी में, इसलिये उनका सही आकलन नहीं हो पाता है। कृषि मंत्रीजी से मैं मिला था, उन्होंने आश्वस्त किया था। जब सर्वे करवाया तो अधिकारियों ने गलत उनको गाइड करके यह बताया कि यहां किसानों की इतनी पैदावार नहीं होती है कि उनके यहां मण्डी खोलना उपयुक्त हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने किसान हैं उनकी पैदावार का आकलन करके जिन-जिन मण्डियों में इनकी पैदावार को बेचा जाता है उसका आकलन किया जाए तो पता पड़ेगा कि मेरे क्षेत्र के किसानों को कितना नुकसान होता है। 60-70 किलोमीटर किसान किसी ट्रैक्टर के माध्यम से या अन्य किसी साधन से अपनी पैदावार को लेकर जाता है। जितनी मेहनत वह फसल पैदा करने में लगाता है, उससे ज्यादा तकलीफ उसको बेचने के लिये जब जाता है तब होती है और वह किसान निश्चित रूप से मायूस हो जाता है। पहले तो जब खुले आसमान के नीचे फसल तैयार करता है, उसकी चौकसी करता है। रात-रात पानी देता है और दिन को उसकी चौकसी करता रहता है। और जब बेचने के लिये जाए तो वहां भी उसको उचित मूल्य नहीं मिले तो उस किसान के साथ जो बीतती होगी, यह वहां का किसान जानता है। इस बारे में निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह मांग रखना चाहूंगा कि सरकार जब किसानों के लिये इतनी चिन्ताशील है, इतना अरबों रुपये का बजट सरकार ने किसानों के लिये दिया है, किसान के लिये तरह-तरह की सुविधाएं देने का सरकार ने तय किया है, किसानों को जिंसवार मण्डियां उपलब्ध करवाई हैं-कहीं धनिया मण्डी, कहीं जीरा मण्डी, कहीं लहसुन मण्डी, कहीं प्याज मण्डी, तो क्यों नहीं हर उप खण्ड क्षेत्र के ऊपर कृषि मण्डी खोल दी जाए? एक तरफ तो वह किसान है जो अपनी सब प्रकार की फसलों के लिये दूसरी मण्डियों में जाता है, उसका कितना किराया लगता है। मेरे क्षेत्र में प्याज भी खूब उपलब्ध होता है, चना

(श्री داताराम गुर्जर)

भी खूब पैदा होता है और सरसों भी खूब पैदा होती है, गेहूं भी खूब पैदा होता है, जौ भी पैदा होता है, तारामीरा भी पैदा होता है। जब सारी फसलें मेरे क्षेत्र में पैदा होती हैं तो हमारे क्षेत्र के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? आजादी के पहले खेतड़ी में अनाज मण्डी होती थी लेकिन धीरे-धीरे आजादी के बाद में किसानों को एक तरह से गुलामी का पर्याय बना दिया गया है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिये कम रेट पर बेचने के लिये भी मजबूर होना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों को हरियाणा में अपनी जिंस बेचने के लिये जाना पड़ता है, उसका वहां उचित भाव नहीं मिलता है। वह 3-3, 4-4 रोज तक, कई बार हफ्तों तक भी वहां पड़ा रहता है। लेकिन उसका सही मूल्य नहीं मिलता है। उसको कम दामों के ऊपर भी फसल बेचने पड़ती है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दु:ख है। जब किसानों के प्रति चिन्तनशील सरकार है और किसानों के प्रति इतना सब कुछ कर रही है तो क्यों नहीं खेतड़ी में भी एक कृषि मण्डी खोली जाए ताकि खेतड़ी के किसानों को भी उचित मूल्य मिल सके? किसानों के लिए जो खरीद केन्द्र खोला जाता है, तीन साल से मैं मांग कर रहा हूं। हमारे मंत्रीजी कह रहे हैं कि ये खरीद केन्द्र तो सेंटर के यहां से खुलकर आते हैं, तो तीन साल में हमारे क्षेत्र का कोई नम्बर ही नहीं आया? तीन साल से मैं बराबर मांग कर रहा हूं और अब जब फसल तैयार हो गयी है, जब भी मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो जनता इस बात के लिये दुबारा मांग करेगी। पिछली बार चिड़ावा में काफी दिनों इंतजार करने के बाद भी उचित मूल्य के ऊपर सरसों की बिक्री नहीं हो सकी थी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बजट में कृषि मण्डी खोली जाए या उसका सब्स्टीट्यूट जो भी हो, वह किया जाए, सब-यार्ड वगैरह जो भी हो, खोल सकें, ताकि हमारे किसानों को अपनी जिंस का उचित मूल्य मिल सके। फसल के लिये जो भी बिक्री केन्द्र हैं, वह भी खोलने की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य पर अपनी सरसों, अपने चने, अपने गेहूं, जो भी उसके उपयोग में आने के अलावा बिक्री के लिये होते हैं, उनका मूल्य मिल सके, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। खेतड़ी

(श्री रामनारायण चौधरी)

बहुत इम्पार्टेण्ट जगह है झुंझुनूं जिले की और राजस्थान की। किसानों की वह जमीन है, वह बहुत बढ़िया जमीन है खेतड़ी की। झुंझुनूं जिले के अन्दर सबसे अच्छी जमीन खेतड़ी की है। वहां आपको कोई कठिनाई नहीं है खोलने में। आपका कोई बजट नहीं लगता है। कुछ पैदा होगी तो ज्यादा पैदा होगी, इसलिये आप यहां विचार करें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने और प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर किसान को फसल बेचने के लिये मण्डियां उपलब्ध कराना सरकार का धर्म है। लेकिन वर्तमान में खेतड़ी में गौण मण्डी यार्ड हमने घोषित कर रखा है और गौण मण्डी का जो यार्ड होता है उसके अन्दर पहली शर्त यह होती है कि 15 लाइसेंस होल्डर होने चाहिए, 20 किलोमीटर तक कोई मण्डी नहीं होनी चाहिए और उसके अन्दर 40 हजार की रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में वहां केवल एक लाइसेंस होल्डर है और उसने भी तीन साल से कोई काम नहीं किया है। इसलिये वहां जो आय है वह शून्य है और 10 किलोमीटर पर सिंघाना मण्डी उसके पड़ौस में है। फिर भी हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, अगर वहां लाइसेंस होल्डर बढ़ेंगे ओर मण्डी की आय भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस मण्डी को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वहां लाइसेंस होल्डर एक है और आय जीरो है। थोड़े लाइसेंस होल्डर बन जाएं तो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री महोदय, सीकरी के अन्दर गौण मण्डी है उसको पूरी मण्डी बनाने के लिये प्रस्ताव दिया है, कृषि मंत्रीजी को भी दिया है। सारी फाइल तैयार हो गयी, सीकरी में भी मण्डी बनाएं जल्दी से। वहां दुकानदार भी हैं, लाइसेंस होल्डर भी हैं। सीकरी में तो अच्छा खाद्यान्न आ रहा है, अच्छा कारोबार आ रहा है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): ऐसा है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, जो हमारी गौण मण्डी है, उसके लिये 15 लाइसेंसी और यह सीमा है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): आपने कहा, सिंघाना मण्डी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): जब किसी भी मण्डी की आय 20 लाख हो जाती है तो उसको डी-मण्डी घोषित कर देते हैं और जब

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी)

उसकी आय 75 लाख से ऊपर चली जाती है तो सी-मण्डी घोषित कर देते हैं। इसी तरह से डेढ़ करोड़ हो जाती है तो उसको ए-मण्डी घोषित कर देते हैं। ढाई करोड़ के ऊपर सुपर क्लास मण्डी में चली जाती है। तो आपकी आय के हिसाब से अगर वह अपग्रेड होने वाली मण्डी होगी तो निश्चित तौर पर करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डी-क्लास ही कर दो आप तो। डी-क्लास की योग्यता रखती है वह। कृषि मंत्रीजी ने भी कहा है और डी-क्लास की योग्यता रखती है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अगर डी-क्लास की योग्यता रखती है और नार्म्स में आती है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार करके कराएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है, धन्यवाद।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंघाना मण्डी बताई है, सिंघाना में कोई मण्डी नहीं है, वह तो सूरजगढ़ में है मण्डी। और एक बात है, निजामपुर के नजदीक टीबा-बसई का जो मेरा किसान जाएगा, उसको 30-40 किलोमीटर पड़ता है। आपने 20 किलोमीटर का दायरा बताया है। तो सिंघाना में तो कोई मण्डी नहीं है अभी तक। आपके अधिकारियों ने गलत सूचना दी है आपको कि झुन्झुनूं जिले में मण्डियां हैं। जो भी चुनाव हुए सबको मालूम है कि सूरजगढ़ में मण्डी है, चिड़ावा में मण्डी है, नवलगढ़ में मण्डी है और झुन्झुनूं में मण्डी है। बाकी मण्डियां हैं ही नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लाइसेंस तो करवा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया । वह आपको बता देंगे।

सूरतगढ़ में उपनिवेशन क्षेत्र से सम्बन्धित बकाया प्रकरण

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के अन्दर टी.सी. का एक प्रकरण है, उसकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग व्याख्या करूंगा, आप इस विषय को अलग मत मान लेना। यह एक टी.सी. से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ तहसील, पीलीबंगा तहसील और विशेषकर सूरतगढ़ में 47 गांव ऐसे हैं जहां पर उपनिवेशन क्षेत्र में उन गांवों को सम्मिलित कर लिया और कानून-कायदे उन गांवों में वही लागू हैं, जो सिंचित एरिया में हैं और पीने के लिए वहां पानी नहीं है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षो से उन लोगों ने नहर के लिए मांग की, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। पिछले दिनों एक आन्दोलन भी चला था। टेल और हैड ... (व्यवधान) जिसका नाम है, सिंचाई मंत्रीजी उस बात से वाकिफ हैं। कुछ लोगों ने गुमराह करके उनको आन्दोलन की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी गांवों में गया कि जब समय था तब चूक हो गयी। अब बहुत बड़ा खर्चा है, लिफ्ट की योजना है, एरिया समतल नहीं है, तो ये आपके गांव जो हैं इनको पानी मिलना बहुत कठिन है। अगर आप चाहो तो आपको सरकार डीकोलोनाइजेशन करके, कम से कम नियमों में छूट दे सकती है जिससे आपके कीमत नहीं लगे। सीलिंग सीमा जो है वह ज्यादा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात कही थी कि ये विषय बार-बार मेरे सामने आते हैं। मैंने कई बार कह दिया कि इनका निस्तारण करो। उच्चाधिकारियों को ये निर्देश भी दिये थे कि टी.सी. जो है उसको पुख्ता किया जाए। कीमत कम करने की बात थी और एरिया जो गजट में है, डीनोटिफाई करने की बात थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है फिर भी ये पत्रावलियां दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मेरी भाषा कोई समझ में नहीं आ रही है, मैंने कई बार इस विषय को हाउस में उठाया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि प्रथम तो आप उन 47 गांवों को अगर पानी दे सकते हो तो पानी दो। पर मुझे पता है कि किसी भी तरह से पानी देने में सरकार सक्षम नहीं है तो उनको डीकोलोनाइजेशन तो कम से कम करने में कोई खर्चा नहीं लगता सरकार का। डीकोलोनाइजेशन किया जाए।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़े हुए जो रेट थे, एक लाख से चार लाख रुपये कांग्रेस के टाइम जो किस्त बढ़ाई थी सिंचित एरिया की, वह किश्त कम करने के आदेश दिये। ब्याज माफ किया पर इसका लाभ हमारे काश्तकार नहीं ले पाये। नहीं ले पाने का कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर किलाबंदी हो रही थी कुछ इलाकों में। ये जो 47 गांव हैं यहां कोई किलाबंदी या मुरब्बाबंदी नहीं हो रही थी। पर आबंटन पर रोक लग गयी इस कारण से ये लोग वंचित रह गये फायदा नहीं उठा पाये, किश्त कम हुई, ब्याज भी माफ हुआ उसका, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन काश्तकारों को पूर्व

(श्री रामप्रताप कासनिया)

में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, पुरानी दर जो 2001 में लागू थी प्रति बीघा चार हजार रुपये कमांड और तीन हजार रुपये बीघा अनकमांड, दो हजार रुपये बारानी, यह तो वर्तमान की रेट बोल गया मैं, अब रेट है, 16 हजार रुपये प्रति बीघा सिंचित, 3 हजार रुपये बीघा अनकमांड और दो हजार रुपये प्रति बीघा बारानी और 2001 में कीमत थी चार हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से सिंचित, 750 रुपये प्रति बीघा अनकमांड, असिंचित और 500 रुपये बारानी यानी कोलोनाइजेशन से जो बाहर क्षेत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि इन गांवों को दस वर्ष की माली रकम लगकर दस साला और पांच साला टी.सी. आबंटन होता था, आटोमेटिक ही काश्तकार को खातेदारी देने का प्रोविजन था, पर उपनिवेशन लागू होने के कारण से ये 47 गांव आबंटन नहीं करवा पा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, इन टी.सी. धारकों के अन्दर क्या हुआ है कि कइयों को जमीन आबंटन है, पटवारियों ने जानबूझकर उस रकबे को रकबा-राज में पकड़ लिया। कइयों की पत्रावली एस.डी.एम. के विचाराधीन थी। स्थगन आदेश हुए, स्थगन आदेश होते हुए भी गजट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों काश्तकार ऐसे हैं इस प्रकरण से संबंधित जिनका रकबा गजट में प्रकाशित हो गया। उनको हम बेदखल नहीं कर सकते। वे आबंटन करवाने की पात्रता रखते हैं। सरकार उनको बेदखल कर नहीं सकती और काश्तकार की इतनी एप्रोच नहीं है कि वह जयपुर तक आकर अपना रकबा गजट से निकलवा लें। इतनी हैसियत नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तहसील में काश्तकार पटवारी के पास जाए, पटवारी के बाद तहसीलदार के पास आए, तहसीलदार के बाद एस.डी.एम. के पास आए, एस.डी.एम. के बाद कलक्टर के पास आए, कलक्टर से फिर डी.एस. के पास आए और फिर सैक्रेटरी के पास आए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना गांव का भोलाभाला काश्तकार आकर अपना रकबा निकाल सकता है?

मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्पष्ट निर्देश हैं कि काश्तकारों के जो बकाया मामले हैं उनका शीघ्र, अतिशीघ्र निस्तारण होना चाहिए। कीमत कम करने का भी मामला है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

इसी से जुड़ा हुआ रायसिक्ख प्रकरण है। वे भी टी.सी. होल्डर हैं, उनको सरकार ने एक लाख 25 हजार रुपये मुरब्बा के हिसाब से आबंटन किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने, कोई 400-500 रायसिक्ख परिवार हैं, वहां पर आर.ए.सी. लगायी, कमिश्नर आये, पूरी पुलिस फोर्स यूज कर ली पर उनको सरकार बेदखल नहीं कर पायी। उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है। उनका काम था मजदूरी करना। 1955 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनका। वह इसलिए नहीं था कि उस समय राजनीतिक पार्टियां भी वोट बनाने के प्रति इतनी जागरूक नहीं थीं। वहां नहर नहीं थी, वे लोग मजदूरी का काम करते थे तो कई लोगों ने तो नाम वोटर लिस्ट में अंकित करवा लिये और कइयों ने नहीं करवाये, तो 55 के बाद में उन्होंने टी.सी. आबंटन करवा लिया। 55 के सबूत के अभाव के कारण उनको पुख्ता आबंटन नहीं हो पायी। पूर्ववर्ती भैरोंसिंहजी की सरकार ने उनको एक लाख रुपये सामान्य कीमत पर और 25 हजार रुपये पैनल्टी लगाकर प्रति मुरब्बा आबंटन के आदेश दिये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना है कि वह आबंटन एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में होना था। यह था, काश्तकारों से एप्लीकेशन मांग ली, दो महीने, तीन महीने का समय दिया और सरकार ने यह आदेश दिया कि छह महीने में आबंटन करके सूचित करो वापस। कोई विशेष आबंटन नहीं हुआ। दो-चार-पांच पत्रावलियों में 1 लाख 25 हजार के हिसाब से आबंटन हो गया। उसके बाद में सरकार चेंज हो गयी, रेट बढ़ा दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच लाख रुपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से आबंटन हो गया। पूरी किस्त जमा करवा दी। खातेदारी नहीं मिल रही है। खातेदारी नहीं मिलने के पीछे जो कारण है वह भी मैं निवेदन कर दूं कि ये आडिट वाले जो हैं उन्होंने कोई आडिट आक्षेप लगा दिया कि इसमें 7 करोड़ 25 लाख रुपये सरकार की हानि हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आडिट विभाग इतना ही सचेत है तो शहरों के अन्दर बहुत कुछ पड़ा है। गरीब काश्तकार से, कहां से अब खजाना भर रहे हो इनसे? सवा लाख रुपया तो बड़ी मुश्किल से ये जमा करवा पाएंगे। तो इस आडिट पैरा के कारण से जिन लोगों ने किस्त जमा करा दी, पूरा पैसा जमा करा दिया और खातेदारी लेने के लिए मांग कर रहे हैं, पर उन्हें खातेदारी प्राप्त नहीं हुई। सरकार खातेदारी नहीं दे रही है वह इसलिए नहीं दे रही है कि आडिट पैरा बन गया।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने, जिस सरकार ने आबंटन आदेश जारी किये हैं, उसको फांसी चढ़ाओ, कार्यवाही करो, कुछ भी करो। उन बेचारे काश्तकारों का क्या दोष है जिनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने यह जो काम किया। पिछड़ी जाति के रायसिक्ख 400-500 परिवारों के लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गंगारामजी को, उन्होंने उनकी पीड़ा जानकर ये आबंटन आदेश किये थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को आप गम्भीरता से लें। अभी कुछ लोग खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अभी मैंने जो डिकोलोनाइजेशन वाला मामला बताया है, इसको टच कर रहे हो और कोई समस्या बाकी नहीं है गंगानगर जिले में । मैं समय रहते आपसे बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, एक तो मुझे पता लगा है उसको थोड़ा बहुत पता लग गया, डिवीजन की बैठक में मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया है। डिकोलोनाइजेशन हो गया तो माई का लाल भूख हड़ताल पर बैठा है आज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन है ?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पर हमारे यहां राजस्थान में जो सस्ती लोकप्रियता चली है, कोई भी सरकार कार्य करे, इसकी थोड़ी-सी भनक कानों में पहुंच जाए तो राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरा मामला डिकोलोनाइजेशन का ...(व्यवधान) आपको पर्ची के माध्यम से, मामला एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है बात, समस्या वास्तव में गम्भीर है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मेरा पुन: आपसे निवेदन है, एक तो कीमत कम करना, दूसरा डिकोलोनाइजेशन करना और तीसरा गजट में जो गलती से रकबा पकड़ा गया है, उसको गजट से बाहर आप एक ही लाइन में कर दो। सब काश्तकार जो पात्र हैं, वे जयपुर तक आकर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते। जैसे गंगानगर में आपने दो अभियान चलाये थे, 600 फाइल एकमुश्त निकली थीं। उसी तरह से हनुमानगढ़ जिले की और गंगानगर जिले की जितनी भी विशेष आबंटन पात्र लोगों की फाइल है, उसका गजट नोटिफिकेशन कर

दिया जाए तो काश्तकारों को राहत मिलेगी। कीमत कम करने के लिये आपने जो पहले आदेश निकाले हैं, उसकी समयावधि बढ़ा दो। डिकोलोनाइजेशन होने से बारानी वालों को तो अपने आप ही खातेदारी मिल जाएगी। शेष बचे हुए लोगों के 2001 की रेट लगनी चाहिये गंगानगर जिले में । आज के दिन अगर काश्तकार का जमीन से संबंधित कार्य पैंडिंग है तो यह मैंने जो निवेदन किया है, यह कार्य है। इतने कार्य आपने कर दिये, काश्तकारों को राहत दे दी तो यह भी आपके लिये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल मीणा। (व्यवधान) आज राजस्व की मांग होगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): एक मिनट, माननीय सदस्य, जवाब आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: कासनियाजी, मांग के समय विस्तृत जवाब दे देंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इन्होंने रखा तो है मांग के समय। उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जमीन की बात की, जब कैनाल आई और उसके अंदर एरिये का नोटिफिकेशन किया तो ऐसी जमीनों को, एरिये को ले लिया गया जहां बाद में पानी नहीं पहुंच सका। उसी के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, करीबन 47 गांव घोषित हो चुके हैं इस पीलीबंगा और सूरतगढ़ में।

श्री उपाध्यक्ष: कालोनी घोषित हो गयी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हां, कालोनी घोषित हो गयी। मगर 32 गांव ऐसे हैं जहां आज तक कोई एक पानी की बूंद भी नहीं पहुंची और 15 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर आंशिक रूप से पानी लगा है। यदि हम हैक्टेयर के अंदर बात करें तो 81,180.175 हैक्टेयर जमीन कालोनी एरिये के अंदर ली गयी और उसमें 72,288.635 हैक्टेयर ऐसी हैं, जिसमें सिंचाई सुविधा नहीं है, यानि केवल नाम मात्र की जमीन को पानी की सुविधा मिली। मगर

(श्री रामनारायण डूडी)

सारे कानून और कायदे कालोनी एरिये के लागू हो गये। यह मैटर सरकार के सामने भी आया, हम इस पर परीक्षण करवा रहे हैं बड़ी गम्भीरता से। एकमुश्त जितने भी मैटर हैं, सभी पहलुओं पर इनका परीक्षण करवाकर परीक्षणोपरान्त जो भी डिकोलोनाइजेशन करना है, और रेट वगैरह का जहां तक मामला है, अभी उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उनका भी जिस स्तर पर काश्तकारों को किस प्रकार से, जो प्रभावित हैं, उनको सुविधा दी जा सके, एकमुश्त सारे मामले को लेकर हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें ऐसा करें ...(व्यवधान) माननीय कासनियाजी, एक मिनट।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) बीच में नहीं आ जाएं। माननीय मंत्री महोदय, आप थोड़ा-सा ध्यान रखें । मुख्य मंत्रीजी तो इस प्रकरण के लिये तैयार हैं, यह मैं निवेदन कर दूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधि वाली बात भी कही, कहीं आडिट पैरा की भी बात कही। बहुत पुराना मामला है, किस प्रकार से उस सारे मामले को एग्जामिन किया जा सकता है काश्तकार के हितों के अंदर, क्योंकि हमने पूर्व में जितने भी राजस्थान कोलोनाइजेशन सेंटर्स के मामले थे, इस बात का प्रयास किया कि ये सारे जो मैटर हैं, वह एक-एक व्यक्ति का हिस्सा नहीं होकर एक ही नेचर के जितने मुद्दे हैं, यदि वे प्रभावित हैं उससे काश्तकार के इकजाई करके उनके एक ही आदेश के अंदर आदेश दे दिये जाएं। इस मामले के अंदर भी हमने पूर्व में इनकी किस्तों को कम करके, ब्याज माफी करके, मगर समय थोड़ा कम था, उसमें ये पूरे डील नहीं हो सके थे। आज माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं पूरे के पूरे मैटर को मंगा लिया गया । हमारे पास हमने रिपोर्ट भी मंगाई है, जिसके अंदर पूरी जमीन हैक्टेयर के अंदर बताई है और मेरे पास वे गांव भी हैं, जहां सिंचाई नहीं हुई है या आंशिक रूप में सिंचाई हुई है, यह सारा मामला हमारी सरकार के सामने है और सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके जो वर्षों से समस्या काश्तकार भोग रहे हैं, उसका समाधान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें कासनियाजी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वास्तव में यह गम्भीर मामला है और मेरी आपको यह सलाह है

(श्री उपाध्यक्ष)

कि आप इसको एक बार अलाटमेंट कर दीजिये, चकबंदी चाहे नहीं हो तो कोई बात नहीं। अलाटमेंट होकर किस्तों के मुताबिक पैसा बारानी रेट से भरवा लें, उससे यह करीब-करीब स्थाई हो जाएगा और काश्तकार अपनी उस जमीन की देखभाल कर सकेगा। डिकोलोनाइजेशन से एक नुकसान हुआ कि कभी न कभी पानी उपलब्ध हो सकता है, फिर यह समस्या पैदा हो जाएगी और कई इसका विरोध करेंगे। इसलिए एक तो यह..

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): गांवों में जाकर मैं यह विषय उठा रहा हूं। मैंने जो गांव बताये हैं पानी नहीं जा सकता उन गांवों में। उन लोगों की सहमति है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वहां की राजनीति का अपन को पता है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपका कथन सही है, पर मैंने कोई राजनीति नहीं की। मैंने सब तरह के लोगों, जितनी पार्टियों से संबंधित है उन सबकी राय लेकर हमने बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय करके डिकोलोनाइजेशन वाला फैसला करवाया है । मैंने हस्ताक्षर तक करवाये हैं सरपंचों से, डायरेक्टरों से। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो समझते हो । जो क्षेत्र कोलोनाइजेशन में सम्मिलित नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां पानी चला गया तो कोलोनाइजेशन में सम्मिलित हो गये। अगर पानी मिलेगा, सरकार की कोई योजना होगी तो बाद में दे देना । वह भी कानून कायदे बाद में लागू कर देना। पर वर्षों से, उपाध्यक्ष महोदय, आठ साल से लगातार अकाल पीड़ित हैं ये 47 गांव। इसलिए डिकोलोनाइजेशन करके आपने जो फर्माया है, सही है। आबंटन होना चाहिये, यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष: वह ठीक है बात। यह देखो, यह भी सरकार ने इस बात पर ध्यान रखकर 2004 में जो संशोधन किया है उस आधार पर इनका अलाटमेंट परमानेंट हो सकता है परमानेंट होने के बाद में जब कभी पानी आएगा, तब देखा जाएगा। ऐसी की ऐसी स्थिति हमारे फलौदी में भी 26 गांवों की है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 2004 में तो, उपाध्यक्ष महोदय, 16 हजार रुपये बीघा रेट के मुताबिक सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप चैम्बर में बुलाकर बात कर लेना। आपका ज्ञान बड़ा अपार है इस विषय पर।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। 2000 के 4000, नियमों के संशोधन के मुताबिक सब को रिलीफ मिलेगा। पैसों का कमती-बत्ती किया जा सकता है। चकबंदी से पूर्व इस समस्या को हल करें तो ठीक है। चकबंदी में शायद और समय लग सकता है। 26 गांव ऐसे फलौदी के भी आये हुए हैं। (व्यवधान) पानी की जल्दी कोई लाभ नहीं है।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी डेट बढ़ायी जाए। जो पुख्ता आबंटन की डेट 31.12.2006 थी वह 31.12.2007 कर दी जाए तो किसानों को राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल मीणा।

बस्सी में मूर्ति चोरी की बढ़ती घटनाएं

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह मूर्ति चोरी की कोई गैंग है, यह कहा जाए कि कोई बहुत प्रभावशाली गैंग है जो मेरे यहां क्षेत्र में सक्रिय है। जैसे बूंदी में और करौली में चोरी हुई, उसी तर्ज पर 26 जनवरी, 2007 की रात्रि को 8 अष्ट धातु की मूर्तियां जिनकी कीमत लगभग आंकी जो जा रही है, वैसे तो ज्यादा हो सकती है, करीब डेढ़ करोड़ रुपये से भी ज्यादा बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आठ मूर्तियां गयीं हैं उनमें पार्श्वनाथ भगवान की चार मूर्तियां, अष्ट धातु की हैं, महावीरजी भगवान की अष्ट धातु की एक मूर्ति गयी है, पदमावती माता की एक मूर्ति, शिव भगवान की एक मूर्ति और 24 तीर्थंकर भगवान की एक मूर्ति, इस प्रकार आठ मूर्तियां 26 जनवरी को बस्सी कस्बे से गयी हैं। इससे पूर्व भी चारभुजानाथ की तुंगा से, चारभुजानाथ की सामरिया गांव से गयीं। ये भी अष्ट धातु की मूर्तियां थीं। जिस दिन चोरी हुई पूरा कस्बा बंद रहा। इसके बाद में पुलिस ने वादा किया, फिर भी नहीं मिलने पर दोबारा से कस्बा बंद हुआ। अब पुन: कस्बे वाले, आम जनता इस बात पर उद्वेलित हैं, जैन मन्दिरों की मूर्तियां और हिन्दू मन्दिरों की जो मूर्तियां चोरी हो रही हैं उन चोरियों के नहीं खुलने से, मूर्तियों के नहीं मिलने से लोगों में काफी आक्रोश है।

अभी एस.एच.ओ. और सब-इन्सपेक्टर चार सिपाहियों के साथ में बेसीणा गांव, टोडाभीम में गये और वहां से उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उस गैंग ने हमला किया। गोलियां तक भी वहां चलीं।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

गोलियां चलने की वजह से एस.एच.ओ. और सब-इन्स्पेक्टर नियाज खान, ये घायल भी हुए। उनके बेहोश होने के बाद में उन्होंने पूरे गांव में भी हमला कर दिया। पत्थरों से भी उनको बुरी तरह से मारा। कम स्टाफ होने की वजह से बहुत भारी समस्या इन चोरियों को बरामद करने में लग रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च स्तरीय किसी अधिकारी के निर्देशन में एक टीम का गठन करके, अधिक स्टॉफ लगा कर, दो-तीन टीमें बना कर, इन चोरियों को बरामद कराएं। इसमें पुलिस अपना सहयोग कर रही है लेकिन लोकली उनके पास इतने मुकदमे हैं कि वो टाइम टू टाइम जा नहीं पाते, बराबर उस पर पूरी तरह से निगरानी नहीं रख सकते। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बेशकीमती मूर्तियां हैं इससे वहां का जैन समाज ही नहीं हिन्दू समाज भी उद्वेलित है। पूरा कस्बा पूरी तरह से बंद रहा है। मैं चाहूंगा कि आप उच्च स्तरीय किसी अधिकारी को लगा कर इन मूर्तियों को बरामद करने की कृपा करें।

इसी प्रकार से पूर्व में जो सामरिया की चारभुजानाथ की तुंगा से मूर्ति गयी थीं, उन मूर्तियों को भी बरामद करने की आप कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि बस्सी थानान्तर्गत 2001 से 2007 तक लगभग 6 वारदात हुई हैं मूर्ति चोरी की। 2002 में तीन हुई थीं, उसमें बरामदगी एक ही में हुई, दो अभी भी बाकी रह गयीं जिनकी बरामदगी नहीं हुई। 2004 में दो वारदात हुई थीं मूर्ति चोरी की, एक में बरामदगी हुई, एक में अभी भी नहीं हो पायी। अभी जो 2007 में जनवरी में वारदात हुई है, निश्चित रूप से अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, आठ मूर्तियां हैं। पुलिस ने प्रयास किया, जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा, हमने अलग से टीम का गठन किया और उस टीम ने जाकर करौली में जो पुराने मूर्ति चोर हमारी सूची पर हैं, उनको लाने का प्रयास किया। पुलिस पर हमला भी हुआ और पुलिस को चोट लगी, लेकिन हमने दोबारा फिर अटैम्प्ट किया और उन लोगों को हम पकड़ कर भी लाये। उनसे कुछ चोरियां बरामद भी हुईं। लेकिन यह जो बस्सी की चोरी है, इसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो सकी। हमने अलग से टास्क फोर्स बनाया है वो इस बात के लिए प्रयास कर रहा है निश्चित रूप से।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण क्या है कि अन्य कई स्थानों पर भी इसी प्रकार की वारदातें लगभग कहीं न कहीं, कहीं न कहीं हो रही हैं तो कोई न कोई बहुत बड़ी गैंग होनी चाहिए। अब से पहले कभी एक गैंग हाथ लगी थी तो कुछ चोरियां खुली थीं, विशेषकर दूदू की 21 मूर्तियों की जो चोरी हुई थी वो बरामदगी हुई है, भीलवाड़ा की भी बरामदगी हुई है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो टास्क फोर्स हमने गठित की उससे भी और अगर अतिरिक्त और जरूरत पड़ेगी तो करके हम सारे राजस्थान की इस प्रकार की घटनाएं हैं, उनको खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मंत्री महोदय, हमारे उस थाने के जो एस.एच.ओ. और सब-इन्सपेक्टर गये हैं और चार सिपाही गये हैं, और कोई अलग से टास्क फोर्स आपने गठित नहीं की तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टास्क फोर्स अलग से आप गठित करें और आप गठित करके उसमें से बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: हो रहा है, हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हम राज्य स्तर पर ही अलग गठित कर रहे हैं। मूर्ति चोरियों की वारदातें जैसी बूंदी की भी हुई है, आपके यहां हुई, टोंक में हुई है, दूदू में हुई है, तो इन सब को करने के लिए एक अलग से ही टास्क फोर्स गठित करके इन सब चीजों का पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: हो रहा है। श्री रणवीर सिंह गुढा।

जयपुर के जल महल के गंदे पानी की निकासी

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कानोता बांध की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जल महल मैसर्स रिसोर्टस कम्पनी का जो सीवरेज का गंदा पानी है, उस मैसर्स कम्पनी को इस बात के लिए पाबंद किया गया था कि सीवरेज का पानी पहाडियों में निकाला जाएगा न कि कानोता बांध के अन्दर। कानौता बांध है, चार साल पहले जयपुर के पेयजल संकट के समाधान के लिए उसका निर्माण हजारों श्रमिकों के योगदान से किया गया था। जे.डी.ए. और नगर निगम की लापरवाही से वो पूरा का पूरा जो जलदाय विभाग का पानी है, दूषित हो गया। लाखों मछलियां उसमें मारी गयीं। सैकड़ों गाये, सैकड़ों बकरियां, भेड़ें मारी गयीं उस पानी को पीने से।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विभाग ने साफ-साफ यह दोषी माना है कि जे.डी.ए. ने जल महल का सीवरेज कानोता बांध के स्वच्छ पानी में छोड़ा। मत्स्य विभाग ने कहा है, जे.डी.ए. की गलती से हुआ हादसा। एक तरफ तो सरकार बूंद-बूंद बचाने की बात करती है, राजस्थान के अन्दर जल चेतना यात्रा निकाली जाती है। दूसरी तरफ पूरे जयपुर के अन्दर जल का जो संकट था, उसका समाधान किया जा सकता था, उस पूरे के पूरे जल को इतनी बुरी स्थिति में ला दिया कि उसने आज गंदे पानी का रुप ले लिया है। कानोता बांध का पानी था स्वच्छ पानी जो पूजा-अर्चना में काम लिया जाने लगा था, वहां पर्यटन स्थल बन गया था और वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैसर्स कम्पनी को पत्र लिखने के बावजूद भी, जिन्होंने जल महल को अधिग्रहण किया, जल महल को सरकार ने बेचा मैसर्स कम्पनी को, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय आज तक जो मत्स्य पालक सैकड़ों परिवार हैं वो दर-दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, दो जून की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है, पूरा पानी खराब हो गया है।

एक तरह से तो हमारे कृषि मंत्रीजी बहुत अच्छे मंत्री कहलाते हैं, लेकिन जो छोटे कृषक भी इसमें आता है उसके लिए आपने कोई भी चिंता नहीं की। अच्छा-खासा कानोता बांध, राजस्थान के अन्दर मछली पालन की दृष्टि से प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध, इस बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसके अन्दर भी यह प्रश्न आया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह सरकार क्या चाहती है? जयपुर के अन्दर इतना जल संकट है, लोग सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जलदाय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, आपके खुद जो अधिकारी हैं उनका कहना है, जे.एस. यादव, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग हैं, इन्होंने कहा है, जल महल के पानी का खामियाजा कानोता बांध को भुगतना पड़ रहा है। अभी बांध से जयपुर को पानी देने का सपना धूमिल हो गया है। जे.डी.ए. अधिकारियों से बातचीत में तय हुआ था कि शहर का जल महल का गंदा पानी पहाड़ियों में छोड़ा जाएगा न कि कानोता बांध में। इस प्रकार का आपका एग्रीमेंट भी हुआ था उसके बावजूद जे.डी.ए. और नगर निगम के खिलाफ आपने क्या किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

माध्यम से कहना चाहता हूं, मैसर्स कम्पनी से बड़ी रकम रिश्वत के रूप में माननीय बड़े-बड़े अधिकारियों ने, जलदाय विभाग ने ली है। इसीलिए वहां मत्स्य पालकों ने बार-बार इनसे आग्रह किया, मुआवजा देने के लिए आग्रह किया, उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। जल महल का पानी पूरा का पूरा दूषित कर दिया। इसके अन्दर भी पूरी उदासीनता बरती गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी मत्स्य पालक हैं और जो भी भेड़, बकरियां, गायें मरी हैं, आज कानोता बांध का जो पानी है, उसमें सीवरेज का पानी जाकर वह पूरे गंदे नाले का पानी बन गया है। जलदाय विभाग का स्वच्छ पानी, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इतने ज्यादा पानी को खराब करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसमें क्या कदम उठाया ? आप इतने अच्छे मंत्री हैं तो एक घूँट पानी की पीकर बता दें, मैं आपको सफलतम मंत्री मान जाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जयपुर के अन्दर पानी का संकट, संकट के समाधान के लिए राजस्थान की सरकार चिन्तित, पूरे राजस्थान प्रदेश में, मैं गुढा के पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उदयपुरवाटी में पानी का जल स्तर जो नीचे जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फ्लोराइड की समस्या की बात भी नहीं कर रहा, जो हमारे पास में इकट्ठा पानी था, जिस पानी से पूरे जयपुर की ही नहीं आस-पास के छोटे कस्बों की भी प्यास बुझाई जा सकती थी, लेकिन इतने पानी को खराब किया गया राजधानी के बिलकुल पास में कानोता में। कानोता बाँध के पानी के अन्दर मत्स्य पालक जो मछली पालन का काम कर रहे हैं, लाखों मछलियां मरीं उस बांध के अन्दर। अब तक जो सीवरेज का पानी जा रहा था वह नहर का रूप ले चुका है। जल महल से बराबर वह सीवरेज का पानी कानोता बांध के अन्दर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय पी एच ई डी मिनिस्टर से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

दूसरी तरफ कृषि मंत्री से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के लिए किसानों को मुआवजा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हो कि मत्स्य पालकों को बढ़ावा दिया जाएगा, मुर्गी पालकों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो मत्स्य पालक हैं, बीस लाख से अधिक मछलियां मारी गयीं, इतना बड़ा मछली प्रोडक्शन का केन्द्र कानोता बांध बन गया था, इतना स्वच्छ पानी खराब हो गया था उसके लिए जो जिम्मेदार

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

अधिकारी हैं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जे. डी. ए. के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा सुझाव है, माननीय मंत्रीजी कोई ...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कानोता बांध के अन्दर पानी नहीं गया जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। गत वर्ष और उसके पहले, जब बरसात के मौसम में यह मानसागर है, यह पूरा भर जाता है तब कानोता तक यह गंदा पानी मिल मिलाकर पहुंचता है। इस वर्ष हमारा जे. डी. ए. डिपार्टमेंट है, सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर रहा है। अब यह आपकी चिंता ठीक है, निश्चित रूप से यह गंदा पानी जाता है, रास्ते के खेत वाले किसान इससे सिंचाई कर लेते हैं। पर विगत वर्षो के अन्दर यह दुर्घटना हुई थी और उससे मच्छियां भी मरी हैं। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार अब इस ओर धीरे-धीरे, सारी चीजें जानकारी में आती हैं तो उस हिसाब से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अब राजस्थान में लगना शुरू हुए हैं तो यहां जयपुर में भी लगेगा और उसके बाद में ट्रीटेड वाटर ही इस जल महल में जाएगा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मंत्री महोदय, जल महल से ज्यादा इसमें यह बूचड़खाना जो लगा हुआ है ...(व्यवधान) जमवारामगढ़ के पास में, उस बूचड़खाने का जो पानी है और बूचड़खाने का जितना भी खून है वह बहकर ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): कानोता में आता है। बूचड़खाने के मरे हुए जानवर भी आ रहे हैं कानोता के अन्दर। मैं निवेदन करना चाहता हूं जल महल से ज्यादा वह है बीमारी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि कानोता और इसके बीच में काफी दूरी है, जब बरसात से ओवरफ्लो वाटर होता है तब यह पानी पहुंच सकता है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में जब ड्राई है, अभी इस टाइम में कोई पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी. पी. जोशी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: रणवीर सिंहजी, कह दिया ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): क्या कह दिया उपाध्यक्ष महोदय? इतना बड़ा मछली उत्पादक बांध, लाखों मछलियां जो विभाग की गलती से मारी गयी हैं, उन मत्स्य पालकों के मुआवजे के लिए आपके पास में क्या कोई योजना है? उपाध्यक्ष महोदय, उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो वह पूरा का पूरा बांध आज जो बात की जा रही है कि उसमें रोक दिया जाएगा, अभी तक तो कोई पानी जाने से नहीं रुका है। आपसे मैं यह भी कहना चाहता हूं, इस प्रकार से अनदेखी करके और जनता की आंखों में आप धूल झोंककर राजस्थान के अन्दर लम्बे समय तक राज नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, कानोता बांध इतना गम्भीर मामला है, जयपुर की पूरी ...

श्री उपाध्यक्ष: इसकी चिन्ता मत करो आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): जनता के अन्दर इस बात को लेकर आक्रोश है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बात तो चिन्ताजनक है, मंत्रीजी ने जवाब भी दे दिया, आप तो इतना आश्वस्त कर दें कि बरसात में या बिना बरसात इसको जाने से रोका जाएगा। यह बात सही है। कानोता बांध में हमने भी श्रमदान किया, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी ने, सुब्बारावजी जब आये, राष्ट्रीय युवा योजना का शिविर लगा, हम लोगों ने भी जाकर श्रमदान किया है। कानोता बांध, जयपुर के बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बांध बना है, पेयजल की भी उससे सुविधा हो सकती है। तो आप तो यह कह दें कि कोशिश करेंगे, कैसे भी उसमें बरसात या बिना बरसात के गंदा पानी नहीं जाने दिया जाएगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही अर्ज किया कि ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा और लगाने जा रहे हैं। इस वर्ष शुरू कर देंगे उसके बाद तो ट्रीटेड वाटर ही जाएगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, आपको पूरा कहने का अवसर मिल गया, आपने पूरी कह दी, माननीय सदस्य ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): लाखों मछलियां उस पानी में मरी हुई पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: देखो गम्भीरता से ......

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा आस-पास का पांच सात किलोमीटर का वातावरण प्रदूषित हो गया है, मैंने जाकर देखा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात के ऊपर पूरा गौर किया गया है, जवाब दे दिया, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): वह गंदे पानी में तब्दील हुआ पानी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपने पूरा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): क्या उस पानी को जयपुर की जनता को पिलाने का विचार रखते हैं ? इतना गम्भीर विषय है उपाध्यक्ष महोदय, जो मत्स्य पालक हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृषि मंत्रीजी से आश्वासन दिलवा दीजिए कि जो मत्स्य पालक हैं, जिनकी पूरी की पूरी मछलियां मारी गयीं, वे सारे के सारे बर्बाद हो गये, उनके मुआवजे के लिए क्या आपने कुछ सोचा है, विचार किया है? एक तरफ तो आप बड़ी-बड़ी बात करते हो, सारा सदन कृषि मंत्रीजी की तारीफों का पुल बांधने से पीछे नहीं हटता है। दूसरी तरफ इस प्रकार की जो बात हुई है, निश्चित रूप से ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब नहीं दिया। यह कह रहे हैं, जे. डी. ए. ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। जे. डी. ए. जब तक ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं बनाएगा तब तक वह गंदा पानी तो उसमें जाता रहेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वैसे भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि आपके राज में तो कभी बरसात हुई नहीं, गया ही नहीं पानी, इस बार भी इस साल बरसात नहीं हुई तो गया नहीं। जब ओवरफ्लो होता है तब स्पीड बनकर यह गंदा पानी कानोता तक पहुंचता है। बाकी रास्ते में जगह-जगह काश्तकार इसको सिंचाई के लिए काम में लेते हैं । तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि ट्रीटमेंट प्लाण्ट बनाने की कार्यवाही हमने चालू कर दी। अब इसके अलावा तो ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चालू कर देंगे ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां, इसी बजट में शुरू कर रहे हैं। भविष्य की हुई है और अभी वर्तमान में नहीं जा रहा।

श्री उपाध्यक्ष: नगरीय विकास मंत्रीजी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मत्स्य पालक हैं वे सारे के सारे बर्बाद हो गये। सैकड़ों परिवार उस बांध के पीछे अपना पेट पालते थे, उनके लिए आपने क्या कोई मुआवजे की व्यवस्था रखी है? नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): रखी है, इतना-सा आश्वासन आपके माध्यम से चाह रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा ...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गयी, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा गम्भीर मामला, इतनी बड़ी भूल जो राजस्थान की सरकार के विभाग द्वारा की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये तो सही, जवाब दे रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह और कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए इसको।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): इस पूरे प्रकरण में मत्स्य विभाग ने ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने कह दी बात।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी दुनिया में कहीं मच्छियां मरने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है। आपकी चिन्ता है तो विधान सभा में विचार भी करेंगे और कोई ऐसा होगा तो ...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): मैसर्स कम्पनी के खिलाफ ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा आपका।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आप गलत कह रहे हो। मेरे फिश पौंड के अन्दर मछलियां मरी थीं, मुझे मुआवजा मिला था, आप चाहेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने बीमा करवा लिया होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, यह कहो तो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बीमा तो जिसका कराओगे उसी का मिलेगा। बीमा कम्पनी से लो फिर सरकार से क्यों ? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप इसमें अनुचित लाभ ... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये। डाक्टर सी. पी. जोशी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है, 2003-04 में कानोता बांध का मछली का विकास और आखेट के लिए ठेका हुआ था और यह बात भी सही है कि 9 जून और 2 जुलाई को इस प्रकार का पानी आने से वहां मछलियां मरी हैं। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं ज्यों ही विभाग को इसकी जानकारी मिली है, हम लोगों ने हमारे अधिकारियों को वहां भेजकर उसका मौका निरीक्षण भी कराया है। जहां तक मुआवजे की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संवेदक से जिस प्रकार का कांट्रेक्ट था, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि यहां अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अन्य कोई कारण से कोई हानि होती है उसके लिये विभाग जिम्मेदार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं विभाग ने उसी दिन संवेदक को एक पत्र लिखकर यह भी बताया था, यदि पोल्यूटेड वाटर से आपकी मछलियां मरी हैं तो निश्चित रूप से आप एफ.आई.आर. दर्ज कराइये। जो भी दोषी व्यक्ति होगा, कार्यवाही की जाएगी। विभाग ने जितनी भी समय रहते जो कार्यवाही करनी थी, हम लोगों ने करायी है। हम लोगों ने पानी का सैम्पल लेकर उसकी भी जांच करायी है। जांच में जो एनेलिसिस रिपोर्ट आयी है उसमें भी पानी के दूषित होने का कहीं भी किसी प्रकार का नहीं मिला है। मछलियों के मरने का जो कारण रहा, हम लोगों ने इनको यह भी सलाह दी कि पानी में आक्सीजन की कमी हो गयी है और उसके लिये आक्सीफार एक दवा आती है, लिखित में हम लोगों ने उस संवेदक को यह कहा था कि इसमें आप डालिये। डालने के बाद क्या हुआ ? इन्होंने उसको डाला नहीं, इसी कारण से मृत्यु हुई है। मुआवजा देने का प्रावधान न तो विभाग के पास कभी रहा, न ही हमारे किसी प्रकार यह कांट्रेक्ट में था।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, और आगे नहीं ... (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आपको अच्छी तरह से जवाब दे दिया गया। आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो मत होइये। बैठ जाइये। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। कोई रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: तो आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। डा. सी. पी. जोशी ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। आप बैठ जाइये। आपको समय दिया गया उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं आप।

डा. सी. पी. जोशी, सभापति, जन लेखा समिति 2006-2007 समिति के आठ प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (सं. 187 से 194)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन लेखा समिति, 2006-2007 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 187वां प्रतिवेदन।

(2) जनलेखा समिति, 2004-2005 (12वीं विधान सभा) के 89वें प्रतिवेदन में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन

(डा. सी. पी. जोशी)

द्वारा की गयी कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 188वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 189वां प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1999-2000 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 190वां प्रतिवेदन।

(5) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 191वां प्रतिवेदन।

(6) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 6.1 तथा वर्ष 2003-2004 का 4.2.6 से संबंधित मामलों पर समिति का 192वां प्रतिवेदन।

(7) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2001-2002 में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 193वां प्रतिवेदन।

(8) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 194वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से धौलपुर शहर की नई कालोनियों में पाइप लाइन बिछवाकर पानी उपलब्ध कराने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निजी संस्था को सशर्त आबंटित भूमि पर मेडिकल कालेज का निर्माण करवाने बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. भंवरलाल राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)

श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को वापस विथड्रा करना चाहता हूं। इसको दुबारा हम आगे ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): धन्यवाद। समझदारी की एक आपने। आपने पहली बार समझदारी का काम किया है। समझदारी की है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): समझदारी का काम किया है। नहीं तो यह जन विरोधी और एक काला कानून आ जाता। यह काला कानून गलत हो जाता और इस सरकार के गले की फांस बन जाता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। आपने वापस ले लिया। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): गले की फांस क्या बन जाता, भारतीय जनता पार्टी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वापस ले लिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वापस ले लिया इसके लिये सदन से अनुमति तो ले लें।

श्री उपाध्यक्ष: पुर:स्थापित हुआ ही नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, जिस घबराहट की वजह से आप यह नहीं ला रहे हो, अपने जन-प्रतिनिधियों को काम-काज ठीक करने के लिये पाबंद करना उससे ज्यादा ठीक रहेगा आपका।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं तो आपको भी पाबंद करूंगा कि आप भी काम-काज ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रस्ताव किया है, सदन से अनुमति तो ले लें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): विथड्रा की आज्ञा तो लें।

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने रखा ही नहीं है। पुर:स्थापित ही नहीं किया है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8 - राजस्व की प्रस्तुति

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,61,73,000/- (दो अरब सैंतालीस करोड़ इकसठ लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, नगरीय विकास राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 20-आवास एवं मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 20 – आवास की प्रस्तुति

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,62,36,000/- (बयालीस करोड़ बासठ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,34,75,51,000/- (तेरह अरब चौंतीस करोड़ पिचहत्तर लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनुदान की मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति की प्रस्तुति

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,27,62,000/- (तियालीस करोड़ सत्ताईस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि तीन बड़ी महत्वपूर्ण मांगें हैं और शेष मांगों का पारण भी आप मुख बंद करके करेंगे, आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का टैटू शो भी है इसलिये आप कृपया दोनों तरफ से माननीय सदस्य बोलें, इस तरह से रैगुलेट करें कि 5.00 बजे तक मंत्री महोदय का उत्तर अगर प्रारम्भ हो जाए, जरा आपकी कृपा हो तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन के सहयोग से ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बाकी आपने पहले व्यवस्था दे रखी है, 4.30 बजे मुख बंद का समय दे रखा है आपने, 4.30 बजे मुख बंद होकर मांगों का पारण होना है।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे। इस हिसाब से ही करेंगे ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): वह तो हमेशा-हमेशा ही बढ़ता है।

(समय : 13.57 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको ज्यादा जरूरी है, हम यहां बैठे रहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुखबंद है क्या आज? उसको हटाओ मुखबंद को। बहस चलने दो सुबह तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने 4.30 बजे मुखबंद करने का समय तय कर रखा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 4.30 बजे सुबह के हैं।

श्री सभापति: माननीय कालीचरणजी।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 8, मांग संख्या 20, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 32 पर चर्चा हो रही है।

मांग संख्या 20-आवास एवं मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर अपने विचार मैं प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय सिंघवी साहब को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा, नयी सरकार बनने के बाद उन्होंने नयी सोच के साथ जयपुर के चहुंमुखी विकास को जो नयी दिशा दी है उसी का यह परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में जयपुर शहर का चहुंमुखी विकास हुआ है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का यह सपना है कि पांच साल में नया जयपुर बनाएंगे। जयपुर शहर को विश्व के मानचित्र पर सुन्दर शहर के रूप में विकसित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज यह सपना साकार होने लगा। अभी हाल ही में जयपुर शहर को एशिया के सबसे खूबसूरत दस शहरों में चुना गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार यह लक्ष्य लेकर चल रही है कि जयपुर शहर के हैरिटेज स्वरूप को बरकरार रखते हुए हाईटैक सिटी के रूप में जयपुर शहर का विकास किया जाए। पिछले तीन साल में जिस दृढ़ निश्चय और नयी सोच के साथ हमारी सरकार ने जयपुर शहर के चहुंमुखी विकास का बीड़ा उठाया था।

(समय : 14.00 बजे)

आज उसमें हम सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पिछले तीन साल में जयपुर शहर का जिस तेजी से विकास हुआ है, यदि मैं यह कहूं कि कांग्रेस के पिछले 45 साल के शासन में इतने विकास के काम नहीं हुए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। चारदीवारी के बाहर की सभी प्रमुख सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम चल रहा है। यातायात के दबाव को कम करने तथा निर्बाध गति से यातायात के लिए कहीं ओवर ब्रिज, कहीं अंडर ब्रिज, कहीं फ्लाई ओवर, कहीं रेलवे ओवर ब्रिज का जिस तेजी के साथ काम चल रहा है, वह इस बात का द्योतक है कि जयपुर शहर का चहुंमुखी विकास हो रहा है। गत तीन वर्षों में हुए विकास कार्यों के कारण आज जयपुर शहर विश्व का प्रमुख पर्यटन केन्द्र बन गया है और विश्व के मानचित्र पर जयपुर शहर नये पेरिस के रूप में उभर रहा है।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सभापति महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण की बात करूं, 1982 में जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। स्थापना के बाद जे.डी.ए. कर्जे में डूबा रहता था, ओवरड्राफ्ट की स्थिति सदैव बनी रहती थी। जे.डी.ए. में जो राजस्व प्राप्त होता था वह वहीं के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और रख-रखाव पर ही खर्च हो जाता था। विकास के लिए पैसा नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को और नगरीय विकास मंत्रीजी को कि तीन साल पहले जब राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सत्ता सुपुर्द की उसके बाद पिछले साल से जे.डी.ए. पर कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। पिछले साल 2005-06 में जे.डी.ए. को 506 करोड़ 85 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ, 84 करोड़ का जो जे.डी.ए. पर कर्जा था वह जे.डी.ए. ने चुका दिया, 10 करोड़ रुपये कर्ज के पेटे सरकार को चुका दिये और 28 करोड़ रुपये जे.डी.ए. ने नगर निगम को दे दिये। इतना ही नहीं, इस वर्ष जे.डी.ए. ने कुल 651.45 करोड़ की आय का अनुमान किया है, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुशल वित्तीय प्रबंधन को कि 651.45 करोड़ रुपये की आय का जहां अनुमान था, जनवरी, 2007 तक 792.39 करोड़ रुपये जे.डी.ए. ने प्राप्त किये और 31 मार्च, 2007 तक कुल 821.15 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में जयपुर के विकास के कामों पर दुगने से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। आने वाले वर्ष 2007-08 में तो जे.डी.ए. ने जो बजट पास किया है 891.30 करोड़ रुपये जयपुर के विकास पर खर्च किये जाएंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक मुद्दा बना रखा था कि गृह कर समाप्त किया जाए, गृह कर समाप्त किया जाए, हमने उस समय भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और करती है वह कहती है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): तीन साल बाद किया है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपने तो जो पांच साल के लिए वादे किये थे वे तो एक दिन में पूरे कर दिये होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान की जनता ने पांच साल के लिए मेंडेट दिया है, पांच साल के लिए 245 वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किये थे, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि तीन साल समाप्त होने के बाद 231 वादे पूरे हो गये हैं, केवल 14 वादे बाकी बचे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ा यह भी बताने का कष्ट करें कि आपने वादा किया था 18 रुपये रोज में मकान देने का, उसका क्या हुआ ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): वह आप बता देना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आए तब बोलना ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सभापति महोदय, कांग्रेस को पिछले तीन साल से जो मुद्दा मिला हुआ था, गृह कर समाप्त करो, गृह कर समाप्त करो, आज यह गृह कर समाप्त हो गया, अब तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा।

सभापति महोदय, बताने की आवश्यकता नहीं है, जब-जब राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है, जब-जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जयपुर शहर में कोई विकास का काम इस सरकार ने नहीं किया। पिछली कांग्रेस की सरकार ने क्या किया ? सड़कें चौड़ी करने के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की गयी पूरे शहर में। लगभग 20 हजार गरीब लोग जो फुटपाथ पर बैठकर अपना व्यवसाय करते थे, उनको वहां से बेदखल कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया। जिन 20 हजार लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया उनको कोई रोजगार मुहैया नहीं कराया। इनकी सरकार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो तोड़फोड़ की गयी, उसके परिणामस्वरूप उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके राज की बात बता रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनके सारे एम.एल.एज. ने आत्महत्या कर ली, जयपुर से जो आते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): वह सब गये, एक बचे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपने अपनी उपस्थिति का एहसास पहली बार कराया है दस दिन में ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब तीन-तीन मुख्य मंत्री इस सदन को सुशोभित करते हैं और उन सबकी उपस्थिति का लाभ इस सदन को मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि मेरी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती है।

श्री सभापति: मायने नहीं रखती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो काम आप करते थे वही का वही काम पूरे सदन में राजेन्द्रजी राठौड़ ने किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो हमारे बॉस हैं, करेंगे ही।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): बॉस हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप टाइम मत जाया करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप प्लीज आपस में बातें नहीं करें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में मुख्य मंत्री रोजगार योजना की घोषणा की गयी कि एक लाख कियोस्क पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष बनाये जाएंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। क्या हुआ? आनन-फानन में आपने कियोस्क बना दिये। कियोस्क कहां बनाये ? श्मशान घाट के बाहर, निर्जन स्थानों पर, नालों के किनारे, आज उसी का परिणाम है कि हजारों कियोस्क खाली पड़े हैं, वहां पर कोई जाकर धंधा नहीं करना चाहता। आज वहां यह स्थिति हो रही है कि या तो उनमें जानवर सोते हैं या वहां पर गलत धंधे होते हैं।

सभापति महोदय, जब-जब राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने लांघी हैं। मैं जयपुर की बात करूं, जब-जब कांग्रेस ने राजस्थान में राज किया, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ायी गयीं। अपने चहेते लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लाभ देने के लिए जिस मनमाने तरीके से लैंड यूज चेंज किया गया, उसके मैं तीन-चार उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नम्बर एक, बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल के कोने पर मास्टर प्लान में अर्द्ध सरकारी भवनों के लिए जमीन आरक्षित थी, 99 साल की लीज पर एक रुपये प्रति माह में दे दी गयी क्योंकि बिड़लाजी राजस्थान से कांग्रेस के सांसद थे। इसी प्रकार बलदेव प्लाजा कांग्रेस के नेता राम निवास मिर्धा के पुत्र ने बनवाया, मास्टर प्लान में इसका रेजीडेंशल यूज था, भूमि अवाप्ति में भी था। फाइल गायब कर दी गई, फाइल आज तक नहीं मिली, इजाजत दे दी। कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया और आज तक उसकी फाइल नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, स्टेशन रोड पर सौ करोड़ से भी अधिक की कीमती जमीन 24 हजार वर्ग मीटर जिसे अटल वन के नाम से जाना जाता था, मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में थी,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लैण्ड यूज चेंज नहीं हो सकता था। लैण्ड यूज चेंज कर दिया, वहां पर फाइव स्टार होटल बनाने के लिए परमिशन दे दी गई क्योंकि उस जमीन के मालिक जे के अटल हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के रिश्तेदार थे, इसलिए उनको परमिशन दी गई।

आदरणीय शिवचरणजी माथुर जो यहां बैठे हैं, श्याम नगर में पूरी की पूरी जमीन अवाप्ति में थी, अवाप्ति से मुक्त कर दिया, क्योंकि वहां पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर की जमीन थी, उनकी जमीन भी वहीं पर है। चाणक्य ने कहा है, माननीय सभापति महोदय, मैं उसका हिन्दी अनुवाद बता देना चाहता हूं कि पानी में रहते हुए मछली कब पानी पी जाती है दुनिया का कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): कौनसी जमीन मेरी थी, आप बताएंगे, डिटेल बताएंगे उसकी?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप, साहब, अपना जब बोलें तब बोलना।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): गलत बात मत कहिए।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): विराजिए प्लीज, बैठिए, बैठिए, आप।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): मैं कैसे बैठूंगा ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका मकान श्याम नगर में नहीं है? वह जमीन अवाप्ति में नहीं थी?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): यह बहुत पुरानी बात है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह पुरानी बात है इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैंने यह कहा है कि जब-जब कांग्रेस का राज आया है राजस्थान में, तब-तब पूरे मनमाने तरीके से अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की। आपने न मास्टर प्लान की चिंता की, न आपने लैण्ड यूज की चिंता की। मैं यही कहना चाहता हूं कि श्याम नगर में आपके मकान को भूमि अवाप्ति से मुक्त करने के लिए पूरे श्याम नगर की जमीन को भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): हां, मैं चैलेंज करता हूं इसको, इसकी जांच करवा लीजिएगा आप और अगर आपका असत्य कथन हो तो आप सदस्यता छोड़ देना। क्या बात करते हैं आप? ऊटपटांग बातें कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं ऊटपटांग बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बिलकुल सही कह रहा हूं, आपका समय आए तब बता देना आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था, चाणक्य ने कहा था कि पानी में रहते हुए मछली कब पानी पी जाती है दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। इसी प्रकार से कांग्रेस ने पिछले पचास सालों में ऐसी हजारों मछलियां पालीं जो भ्रष्टाचार के रूप में कब पानी पी जाती हैं इसका पता नहीं चलता।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिये यह आरोप लगाया वर्तमान सरकार पर कि जे डी ए द्वारा वर्ल्ड ट्रेड पार्क भूमि आबंटन में 9 सौ करोड़ रुपए का महा घोटाला किया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह इनकी गलती नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार की जननी है। इनकी जब-जब प्रदेश में सरकार थी तब-तब इन्होंने भूमि आबंटन में जमकर घोटाले किये थे, यह सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेसी मित्रों से कि सुराणा मल्टीप्लैक्स, जहां आज एण्टरटेनमेंट पैराडाइज बना हुआ है जवाहर सर्किल पर, 17853 वर्ग मीटर कमर्शियल जमीन केवल 1260 रुपए प्रति वर्ग मीटर की रेट से मात्र सवा दो करोड़ रुपए में आबंटित कर दी। क्या कीमत थी उस जमीन की उस समय? माननीय सभापति महोदय, उस समय उस जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, यदि रिजर्व प्राइस पर भी जमीन की कीमत का आकलन करें। केवल सवा दो करोड़ रुपए में दे दी।

मैसर्स ग्रीन फायर हास्पिटल को 23535 वर्ग मीटर भूमि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर केवल 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मात्र सवा चार करोड़ रुपए में आबंटित कर दी जब कि उस समय उस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। (व्यवधान) मैसर्स ग्रीन फायर हास्पिटल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जहां आज एस्कोर्ट हास्पिटल बना हुआ है।

इसी प्रकार से मैसर्स जी ई कैपिटल इण्डिया को जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 11487 वर्ग मीटर जमीन मात्र 750 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से केवल 86 लाख रुपए में आबंटित कर दी गई जब कि उस समय उस जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार लाला चमनलाल एजुकेशन ट्रस्ट को बम्बाला सांस्थानिक क्षेत्र में 22054 वर्ग मीटर जमीन केवल एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आबंटित कर दी गई। कितने में? एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। मजेदार बात देखिए, जब कि यह ट्रस्ट राजस्थान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यह राजस्थान के बाहर रजिस्टर्ड है और इसकी कोई गतिविधि या क्रियाकलाप हमारे प्रदेश के किसी भी हिस्से में नहीं चलता है।

इसी प्रकर इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मारवाड़ी एन्टरप्रिन्योर को 12991.75 वर्ग मीटर जमीन झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में कितने रुपए में दी? एक रुपए टोकन राशि पर दी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कौन है यह?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अब यह क्यों खुलवाते हो कि कौन है, आप सब को पता है कि कौन है। मत खुलवाओ, अब जो ऊपर चले गये उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, जोशीजी का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि वह ऊपर चले गये। हरिदेवजी जोशी का नाम नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय रामनारायणजी थे, इनको पता है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं कह रहा हूं कि पता है इनको।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आल लैण्ड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, रेडिसन होटल, होटल बन रही थी उनको 18 हजार गज जमीन आश्रम रोड, जवाहरलाल नेहरू सर्किल के पास आबंटित कर दी। कितने रुपए में? केवल 18 सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। मैं कई उदाहरण बता सकता हूं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी हाउस में हमने ये मामले उठाये थे, एक साल पहले भी, कि जितने भी इनके समय के इल्लीगल अलाटमेंट हैं, चाहे वह ई पी का हो, आज भी ई पी ने सरकारी हजारों वर्ग मीटर जमीन कब्जे में कर रखी है। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि मैं कार्यवाही करूंगा। मैं अभी नहीं चाहता कि अभी आप जवाब दें, लेकिन आप जब जवाब दें तो बताएं, उस समय क्लैरीफाई करें

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कि ये जो इल्लीगल अलाटमेंट हुए, करोड़ों रुपए की जनता की सम्पत्ति कुछ लोगों या व्यक्तियों को दे दी गई और आज भी जो सरकारी जमीन को दबाकर बैठे हैं इल्लीगल, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे। पिछली बार आपने कहा था कि कार्यवाही करेंगे। अब तक क्या कार्यवाही हुई, उसकी सदन को जानकारी दे दें और यह भी अब आप आगे क्या करेंगे। ये सारे मामले हम सब कई बार उठा चुके हैं। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ...(व्यवधान) टोटल 119 मामले हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, ये तो पांच-सात मामले मैंने बानगी के रूप में उठाये हैं। पूरे प्रदेश का यदि देखा जाए तो 5 साल के कांग्रेस के राज ने इसी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को, बेशकीमती जमीन कौड़ियों के मोल दे दी। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि हमने कम कीमत पर जमीन दे दी, अब आप वह भी देखिए। हमारी सरकार ने जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गोल्ड सूक को जमीन आबंटित की। किस रेट में की? इस समय आरक्षित दर है 6 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और हमने उनको आबंटित की उस आरक्षित दर से चार गुना, यानी 25 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इसमें उनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। 700 रुपये में जी ई कैपिटल को दी, उसमें इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है। रेडिसन होटल को 1800 रुपये में दी, इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है और हमने 25 हजार रुपये वर्ग मीटर की दर से जमीन आबंटित की, इनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह नीलाम क्यों नहीं की? आक्शन करना चाहिए था।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जी ई कैपिटल को आक्शन नहीं करना चाहिए, रेडिसन होटल की जमीन को आक्शन नहीं करना चाहिए था? ई पी जहां कमर्शियल काम्प्लैक्स बना है उसकी नीलामी करने की आवश्यकता नहीं थी? वर्ल्ड ट्रेड पार्क को तो नीलामी की आवश्यकता थी और आपके चहेतों को आपने जमीन दी उसकी नीलामी की आवश्यकता नहीं थी? 700 रुपये गज में, 1800 रुपये गज में, 1100 रुपये गज में।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): रिजर्व प्राइस का नाम जहां भी आता है वह पब्लिक लैण्ड होती है ऑक्शन के लायक। जहां कहीं भी रिजर्व प्राइस पर दी है, डबल पर दी है, ट्रिपल पर दी है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हमने तो, विपक्षी दल के माननीय नेताजी, तब 6 हजार रुपये की रिजर्व प्राइस थी उससे चार गुना 25 हजार रुपये वर्ग मीटर में दी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वहां पर मार्केट रेट क्या है?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मार्केट रेट उस समय क्या थी जब आपने 700 रुपये में दी थी, 1100 रुपये में दी थी, 1800 रुपये में दी थी?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप तो साहूकार हो रहे हैं। आप तो साहूकार हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हमने तो रिजर्व प्राइस के चार गुना रेट में दी है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसीलिए आपने ...(व्यवधान) आज क्या है?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह तो जानने का अधिकार है ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अनर्गल बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कोई अनर्गल नहीं बोल रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि हरिदेव जोशी का नाम आपने ...(व्यवधान) हरिदेवजी जोशी के ऊपर आज आप बता रहे हो, उस मामले में प्रतिपक्ष के तत्कालीन नेता भैरोंसिंहजी शेखावत, जो आज उप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अनगिनत आरोप लगाये थे और वे सब मिथ्या साबित हुए।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका समय आए तब बता देना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो समिति की जमीन थी। इसी तरह से आप शिवचरणजी माथुर साहब पर आरोप लगा रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): गलत नहीं लगा रहा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह भी सोसाइटी की जमीन थी। सोसाइटी की जमीन कन्वर्ट कर दी तो इन्होंने भी अपना प्लाट ले लिया। इसमें क्या बेइमानी हुई?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं बता रहा हूं, विराजिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बेइमानी हुई, बैठे हैं आपके सामने, पूछ लो इनको। आपके सामने बैठे हैं, आप धड़ाधड़ आरोप लगा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इनका मकान नहीं है क्या? जमीन अवाप्ति में नहीं थी? क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री सभापति: माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं माननीय शिवचरणजी और माननीय हरिदेवजी जोशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो जिन-जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीनें कम रेट में दी गईं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट न तो बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं, ये तो जहां उनको कमाई होती है उसके साथ चिपक जाते हैं पैसों के। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन छोटी-मोटी चीजों में अपन आपस में उलझते हैं, इसकी बजाय सभी दलों को, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, ये जितने भी लोग हैं, चाहे आपके समय में हुआ हो तो आप यह कहकर इनको जस्टिफाई कर देंगे क्या? कहीं गलती से कोई कम में ले गया तो कह देंगे कि सारा ही जो बोल रहे हो सब गड़बड़ है? आपको यह कहना चाहिए कि आज भी ईपी ने हजारों वर्ग मीटर सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या आप लोगों की यह ड्यूटी नहीं है कि आप मांग करो?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सरकार में हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सरकार की ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। (व्यवधान) आप उसको जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसान ने अपनी जमीन सस्ती रेट पर दे दी, सोसाइटी की जमीन को आपने ले लिया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): क्योंकि आपके समय अलाट हो गई तो आप जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें जेडीए, यूआईटी बहुत बेइमानी कर रही थी, किसानों को बर्बाद कर रही थीं, इसलिए किसानों ने अपनी जमीन सोसाइटियों को बेचना शुरू कर दिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यही है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अगर आपके समय दे दी तो उनको जस्टिफाई कर रहे हो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों की जमीन जो सोसाइटियों को बेची वह इसलिए बेची कि सरकार उनको मार्केट प्राइस नहीं देना चाहती थी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह आपके समय में हुई थी। आप जी ई कैपिटल ..(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष के नाते आप इसका जवाब दे दीजिए क्या इससे सहमत हैं जो ई.पी. और जी.ई. कैपिटल को सस्ती रेट पर दी है और नाजायज सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आपने अभी अपनी बात बता दी है ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सरकार आपकी है, सरकार क्या कर रही है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जो कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इससे सहमत हैं आप? उस समय जो प्रिवलिंग रेट थी उसमें जी.ई. को दिया, आज आपने वर्ल्ड ट्रेड को कितने में दिया?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं यही बता रहा हूं। बैठिए आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका काम है कि वह बेचे वहां पर ? वर्ल्ड ट्रेड के लिए आपने उसको दिया, वह सबलैट कर रहा है। यह ठीक है ...(व्यवधान) कांग्रेस ने किया, तीन साल से सरकार में बैठे हो, कार्यवाही करो। आप यह काम तो करते नहीं, कांग्रेस ने यह कर दिया, वह कर दिया। आप करिए अगर हिम्मत हो तो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बैठिए, बैठिए आप। यह भी करेंगे, बिलकुल करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किस मुंह से बोल रहे हो आप। पूरे जयपुर को बेच खाया, भाषण दे रहे हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अभी मैंने मांग की है, कार्यवाही करो।

श्री सभापति: आप विराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मांग करिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पैसा दिया, वह सबलैट कर रहा है, आप रोकिए उसको। यह काम तो नहीं करेंगे और यहां पर भाषण देने खड़े हो गये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): ई.पी. के लिए मैंने मांग की है कार्यवाही करने के लिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज राजस्थान की जितनी भी आपने व्यवस्था की है वह राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है। आप उन लोगों को पैसा कमाने के लिए फैसिलेटर का काम कर रहे हो। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सबलैट करवा रहे हो आप। हजारों करोड़ रुपये वह वर्ल्ड ट्रेड वाला कमाकर ले जाएगा राजस्थान से। आपकी हिम्मत होती तो आप नियम करते कि राजस्थान का इतना शेयर होगा और हम इसमें इक्विटी में पार्टनर बनेंगे। यह काम तो आपने नहीं किया, वर्ल्ड ट्रेड को जमीन देकर आपने सबलैट करके करोड़ों रुपये कमाने का मौका दिया उसको ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ये कह रहे हैं कि हमारे शासन में गड़बड़ी हुई तो उसको ठीक करने के लिए सत्ता दी है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बिलकुल करेंगे, बैठिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उसको ठीक करने की बजाय ये हमारे से भी चार गुना ज्यादा ठोक रहे हैं। ये जनता का पैसा लूटकर खा रहे हैं। हमने खाया उससे भी कई गुना ज्यादा आगे, और होड़ मची हुई है। आपका काम है, हमने गलत किया ठीक कर देते। राज आपको क्यों सौंपा?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या स्वीकार कर रहे हो कि आपने लिया?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): राज इसीलिए तो सौंपा कि हमने ठीक नहीं किया तो पांच साल में सब ठीक-ठाक कर देते। कुछ करते नहीं और आप ठोकने में लगे हुए हो और खूब खा रहे हो। खा लो। आपके पास है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक साल और है, और ठोक लो।

श्री सभापति: गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपने खाया, यह स्वीकार कर रहे हो क्या?

श्री सभापति: आहोर से आने वाले माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): स्वीकार करें या न करें, अब सत्ता आपके पास है, अब आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, हमने कोई गलत काम किया है उसको ठीक कौन करेगा? अब आपकी सरकार करेगी या हम करेंगे? हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अब आप अगर उसको ठीक नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय। अंकित नहीं हो रहा है। प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: आप प्लीज कनक्लूड करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कनक्लूड करें, मैंने तो बात ही शुरू नहीं की, आप कह रहे हैं कनक्लूड करें। इन्होंने सारा टाइम खराब कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि ...(व्यवधान) सुनिए, आप। बैठिए आप।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने एंटरटेनमेंट पैराडाइज को 1100 रुपये वर्ग मीटर में जमीन दी उस समय वहां आरक्षित दर थी 3 हजार रुपये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अब आप विराजें, इस तरह उत्तेजित न हों।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बैठें आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री सभापति: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका समय आए जब बोल लेना आप, विराजिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जी.ई. कैपिटल को 3 हजार रुपये आरक्षित दर, उस समय दी 700 रुपये में। एंटरटेनमेंट पैराडाइज को उस समय 3 हजार की आरक्षित दर, आपने दी 11 सौ रुपये में। उनमें तो भ्रष्टाचार नहीं और हमने आज 6 हजार रुपये आरक्षित दर है, उसकी 4 गुना 25 हजार वर्ग मीटर में जमीन दी है, उसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): पिछली सरकारों ने नहीं किया सबलैट ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आए तब बोल लेना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कहां पर नहीं कर रहे हैं ? आज ई.पी. के अन्दर सबलैट नहीं किया, इसमें आपने कैसे दी इनको 1100 रुपये में ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): फूडकार्ट सबलैट नहीं है ? बातें कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें, आप विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े नहीं हों।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, सुनिए, राकेशजी।

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यदि आपने रेडिसन होटल को जमीन सही तरीके से दी तो हाई-कोर्ट ने उसको कैंसिल क्यों किया ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हाई-कोर्ट ने स्टे कर दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कन्फर्म करके ही बोल रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एक और काम किया।

श्री सभापति: ये सब चीजें जांच का विषय हैं, आप इस प्रकार से आपस में क्यों उलझ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका समय आए जब जवाब दे देना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती उठ रहे हैं।

श्री सभापति: आधा घंटा हो गया।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आधे घंटे में 15 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिये, मैं क्या करूं ? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अपने चहेतों को जमीनें सस्ती दरों पर देने के लिए और डिस्प्यूटेड मामले सुलझाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा समझौता समितियों के माध्यम से जे.डी.ए. और राज्य सरकार की करोड़ों की ही नहीं, अरबों की जमीन कोडियों के भाव बेच कर अरबों रुपये का आपने लोगों को फायदा पहुंचाया। आज मैं बताना चाहता हूं, 2,4,5 बताना चाहता हूं, खातेदार श्री छोटूराम पुत्र प्रताप व अन्य ग्राम बीड़ ग्राम खातीपुरा के खसरा नम्बर 193/248, 194 कुल रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि आज की तारीख में लगभग, सुनना जोशी साहब, दो सौ करोड़ की है, अल्सर एक्ट में अधिग्रहित होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम पर चढ़ी हुई थी। समझौता समिति के राज्य सरकार के भूमि नियमन के आदेश 26.5.2000 की आड़ में चित्रकूट योजना में आरक्षित दर 1650 रुपये का 25 प्रतिशत 412.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मात्र 6 करोड़ रुपये में नियमन के आदेश दे दिये। कौन था यह छोटू राम ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप अपना नम्बर आए तब बात कीजिए, बैठिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): समझौता समिति को हमने भंग कर दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इनको बहुत चिंता हो रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जब आपका नम्बर आए बोलने का तब, खड़े होना आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ...(व्यवधान) वाह साहब, बहुत बढ़िया काम किया आपने। बहुत बढ़िया भ्रष्टाचार का काम किया आपने, अब आप सुनिए।

माननीय सभापति महोदय, समझौता समिति में दिनांक 10 अप्रैल, 2002 को निर्णय दिया था लेकिन इससे पूर्व ही विगत सरकार 26.5.2000 के नियमन के आदेश में संशोधन कर 16.2.2000 को आदेश ला चुकी थी जिसके अनुसार जिन योजनाओं में दो बीघा से अधिक राजकीय भूमि सम्मिलित है एवं 50 प्रतिशत से कम निर्माण है, ऐसा नियमन राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय समिति ही कर सकती थी, लेकिन विगत सरकार द्वारा भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए गठित समझौता समिति ने नियम विरूद्ध तरीके से नियमन के आदेश दे दिये। यह दूसरा उदाहरण है। अब और सुनिए, समझौता समिति ने दूसरे प्रकरण में बीड़ खातीपुरा में खसरा नम्बर 145/147 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जिसकी कीमत आज की तारीख में, सुनिए जोशीजी, आज की तारीख में सौ करोड़ से अधिक है, भूमि को राज्य सरकार के नियमन के आदेश 26.5.2000 के अनुसार चित्रकूट योजना में आरक्षित 1650 रुपये प्रति वर्ग मीटर की चौथाई 412.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सौ करोड़ की 1 करोड़ 16 लाख रुपये में नियमन के आदेश दे दिये। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। पर यह समझौता समिति में ...(व्यवधान) फिर आप खड़े हो गये ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप बिराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य। (व्यवधान) बोल रहे हैं, जवाब दे देना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): विराजें आप।

श्री सभापति: यह डिमाण्ड पर बोल रहे हैं, बोलने के लिए आसन ने आज्ञा दी है। यह बोल रहे हैं, आप अपना नम्बर आए तब बोल लेना।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इनके पापों को उजागर कर रहा हूं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति: अब आप प्लीज कनक्लूड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इसीलिए 200 में से 124 सीटें आईं और आपकी 56 आईं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अगली बार भी जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मुंगेरी लाल के सपने देखना बन्द कर दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं करें। आहोर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, जो समझौता समिति ने गड़बड़ी की उसके कारण ही हमारी सरकार बनने के बाद....

श्री सभापति: अब आपने मुद्दे बहुत बता दिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हमने 6 अगस्त, 2004 को इस समझौता समिति को भंग कर दिया। इस समझौता समिति ने कई कीर्तिमान स्थापित किये थे इसलिए हमने आते ही 2004 में उसको भंग कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, सेज के मामले में मैं कहूंगा। विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने समय-समय पर जयपुर में स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित किया गया उसके बारे में शंकाएं प्रकट कीं, उसके बारे में आलोचनाएं कीं। (व्यवधान) आप अपना टाइम आए तब बोल लेना, मुझे बोलने दो। (व्यवधान) आप चिंता क्यों कर रहे हो? माननीय सभापति महोदय, चाइना और अन्य देशों में....

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): चिंता तो इस बात की है कि आप पीछे के रिकार्ड तोड़ रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): फिर खड़े हो गये। माननीय सभापति महोदय, चाइना और अन्य देशों का तीव्र आर्थिक विकास जिस प्रकार से हुआ है उसको देखते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी यह निर्णय किया कि हमारे देश के विभिन्न शहरों में सेज की स्थापना की जाए। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के सहयोग से चेन्नई में सेज के माध्यम से जो विकास हुआ उसको देखते हुए हमारी सरकार ने भी यह फैसला किया कि जयपुर में सेज की स्थापना की जाए। अब आरोप लगाये जा रहे हैं कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को सस्ते दामों पर जमीन दे दी। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने डी.एल.सी. की जो रेट है उस रेट पर सेज को जमीन दी है। यह भी कहा गया कि किसानों का बड़ा भारी विरोध है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार, और राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में एक इस प्रकार का स्टेट है कि जहां 25 प्रतिशत जमीन-20 प्रतिशत रेजीडेंशल और 5 प्रतिशत कमर्शियल, किसानों को मुआवजे के रूप में दी है। आज उसी का यह परिणाम है कि कांग्रेस के कई नेता किसानों के पास गये कि विरोध करो, विरोध करो परन्तु कोई किसान इनके साथ विरोध करने को तैयार नहीं हुआ। आज यह स्थिति है हमारे जयपुर के आस-पास के किसानों की.....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक ही किसान घनश्यामजी हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप विराजो, फिर खड़े हो गये। आज किसानों की यह स्थिति है कि सब के तो बंगले हो गये, सब के पास स्कार्पियो गाड़ी हो गई। इतनी सम्पन्नता हमारे जयपुर शहर के आस-पास के किसानों को इस सेज के कारण मिली है कि आज सारे किसान इस सेज की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं, आगे आकर अपनी जमीन को सरेण्डर कर रहे हैं। जब कि ये कह रहे हैं कि इसका विरोध हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लड़की कभी ससुराल गई नहीं और बहू कहलाई नहीं। आपने तो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव कभी लड़ा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा मंत्रीजी ने चुनाव लड़ा है। शहर से तंग आकर ग्रामीण क्षेत्र में आये हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपने कभी शहरी क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो आप कह रहे हो वो इनसे कहला दो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इनका नम्बर आएगा तो ये भी बोल देंगे। आप विराजो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किया है तो आप करा दो इनका समर्थन।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ठीक है, विराजो।

श्री सभापति: इन्होंने कई जगह से चुनाव लड़े हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह कहना है कि सेज की स्थापना के बाद 5 साल में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम एक लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रकार आपने जयपुर में सेज की स्थापना की है, बाकी बड़े शहरों में भी सेज की स्थापना निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे विपक्षी मित्रों ने जे डी ए ने लैंड बैंक स्थापित किया, उसकी भी आलोचना की। मैं बताना चाहूंगा कि लैण्ड बैंक की स्थापना से 55430 बीघा जमीन....

श्री सभापति: प्लीज अब वाइंड-अप करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, आधा टाइम तो इन्होंने खराब कर दिया। मुझे 15 मिनट ही हुए हैं बोलते हुए। आधा टाइम खराब कर दिया उन्होंने।

श्री सभापति: आप 5 मिनट में कनक्लूड कर दें। आप फटाफट 5 मिनट में कर दें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कितना टाइम खराब कर दिया, मैं क्या करूं? आप बोलने तो दो साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इनका परपज पूरा हो गया। जिस मकसद से ये कर रहे हैं वह पूरा हो गया। अब बैठ जाओ आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप विराजो। आपके कहने से नहीं बैठूंगा। माननीय सभापति महोदय, लैण्ड बैंक में 55430 बीघा जमीन हमने चिन्हित की है, लैण्ड बैंक बनाया है। उसमें 13293 बीघा जमीन आवासीय, 5215 बीघा जमीन कमर्शियल, 11547 बीघा जमीन सांस्थानिक और 16549 बीघा जमीन वातावरण के लिए चिन्हित की है। अब जब भी हम कोई रेजीडेंशल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल योजना बनाएंगे तो हमको जमीन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जो 55430 बीघा जमीन चिन्हित की है उसमें से हम उनको जमीन दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं जयपुर शहर की कुछ जो महत्वपूर्ण समस्याएं जे.डी.ए. से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, पृथ्वीराज नगर योजना में 22 राजस्व गांवों की 11618 बीघा जमीन पूर्व में अवाप्त की गई थी। वर्तमान स्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जुलाई, 2005 में इसका सर्वे कराया था तो 11618 बीघा जमीन में से मात्र 2800 बीघा जमीन खाली पड़ी है, बाकी जमीन पर मकान बन गये, प्लाट बन गये। प्रजातंत्र में लगभग 8 हजार बीघा जमीन पर बने हुए मकानों को तोड़ा नहीं जा सकता इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको अवाप्ति से मुक्त किया जाए और जो बने हुए प्लाट हैं उनको कैम्प लगाकर नियमित किया जाए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आगरा रोड पर मास्टर प्लान में इकोलोजिकल जोन दिखाया हुआ है। आज उस इकोलोजिकल जोन की भी यह स्थिति है कि वहां हजारों मकान बन गये सोसाइटियों के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माध्यम से। प्रजातंत्र में इतने मकान तोड़े जाना सम्भव नहीं है और हाई-कोर्ट ने भी यह कहा है कि इकोलोजिकल जोन नहीं बचा तो दूसरे स्थान पर इकोलोजिकल जोन के लिए जमीन रिजर्व कर दी जाए। तो मेरा यह कहना है कि उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो इस प्रकार आगरा रोड पर कालोनीज बसी हुई हैं, उनको इकोलोजिकल जोन से मुक्त किया जाए और कैम्प लगाकर उनका नियमन किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में अभी जे.डी.ए. ने सर्वे कराया था कोर्ट के निर्देश पर जिसमें 55440 इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो रेजीडेंशल एरिया में चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में जिस प्रकार से सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और व्यापारियों में हड़कम्प मच गया, आज जयपुर में भी यह स्थिति आने वाली है। 55 हजार कमर्शियल एक्टिविटीज रेजीडेंशल एरिया में चल रही हैं, तो मेरा यह कहना है कि सरकार समय रहते मास्टर प्लान में इसके लिए जो भी परिवर्तन करना सम्भव हो वह परिवर्तन करके उनके बारे में निर्णय लें। मैं 5 मिनट और लूंगा, प्लीज 5 मिनट।

श्री सभापति: अब 5 मिनट नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): छठी मिनट नहीं लूंगा, पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: आप एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इसी प्रकार से सहकारी समितियों के द्वारा जो कृषि भूमि पर काटी गई कालोनियां हैं, जे.डी.ए. इनका समय-समय पर नियमन शिविर लगाता है, उसके बाद भी अभी 1100 योजनाएं इस प्रकार की हैं जहां हजारों भूखण्डधारी नियमन से वंचित हैं। भूखण्डों का नियमन नहीं होने के कारण वहां के नागरिक बिजली, पानी, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पिछले महीने जे.डी.ए. ने कैम्प लगाने की घोषणा भी की थी परन्तु राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई क्रमांक प.2 (26) वित्त/कर/98-124 दिनांक 3.2.07 को और उसमें यह कहा है कि पूर्व कैम्पों में भूखण्ड का पट्टा लेने से वंचित भूखण्डधारियों के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आरक्षित दर पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा। जब कि आज तक यह व्यवस्था थी कि नियमन की जो राशि थी उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन होता था, मेरा यह कहना है कि इस अधिसूचना को वापस ले सरकार। इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड और रीको द्वारा जो ज़मीनें अवाप्त की गई थीं, उनमें कालोनियां बस गई हैं वो जेडीए को एनओसी दें, उसके बाद ही इन कालोनियों का नियमन हो सकता है। तो इस प्रकार की जो कालोनियां हैं उनकी हाउसिंग बोर्ड और रीको एनओसी दें जिसके कारण उनका भी नियमन हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं पांच मिनट के लिए, कितना समय मेरा खराब किया है...

श्री सभापति: नहीं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य...

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): पांच मिनट लूंगा बस।

श्री सभापति: देखो, साढ़े चार बजे मुख बंद का प्रयोग करना है प्लीज, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं आपसे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अच्छा, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका ले रहे हैं अब इनके बाद।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कब ले रहे हैं? इन्होंने टाइम लिया इससे दुगना ये ले लेंगे।

श्री सभापति: आप दस मिनट में खतम करें प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय कालीचरण जी अभी जो अवाप्ति से बाहर करनी है भूमि, उसमें आपका मकान तो नहीं है?

श्री सभापति: आप बिराजें, आप मुद्दे की बात कर लें फटा-फट।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शहरी विकास पर चर्चा है, शहरी विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अधिकांश काम स्थानीय निकायों के जिम्मे हैं। किसी व्यक्ति का राज्य सरकार से साल में या दो साल में एकाध बार काम पड़ता हो, लेकिन शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय निकाय से जरूर काम पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि राज्य सरकार इनको सहायता दे कोई दिक्कत नहीं, अधिकार भी दे, राशि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भी दे उसमें भी दिक्कत नहीं है लेकिन राज्य सरकार के अनुरूप ये काम करें, इसके लिए बहुत प्रभावी अंकुश लगाना भी आज की आवश्यकता हो गई। सारे लोग चाहते हैं कि-शहर की सड़कें अच्छी हों, शहर सुंदर हो, व्यवस्थित बसा हो, गंदगी नहीं हो, सुंदर बग़ीचे भी हों, खेल के मैदान भी हों, कोई शादी समारोह करना है तो उसका भी स्थान हो। यह हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन कुछ बड़े शहर छोड़ दो आप राजस्थान के और उसके बाद में आप छोटे शहरों में चले जाओ तो इन सारी चीजों की, इन सारी सुविधाओं की आपको वहां कमी नजर आएगी। बहुत बड़ी-बड़ी बस्तियां बस गईं, बहुत बड़ी बस्ती है, मगर न बग़ीचा है, न कोई खेल का मैदान, न कोई शादी-समारोह करने की जमीन। इसके पीछे कारण एक ही है कि हमने सारा काम स्थानीय निकाय के जिम्मे सौंप दिया। उस पर नजर नहीं रखी कि हमारे जो भी स्थानीय निकाय हैं वे जनता की आशा के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सहायता के नाम पर जो छूट दी, जैसे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे सहायता के नाम पर जो छूट दी उस छूट का लाभ जनता को मिलने की बजाय भ्रष्टाचार पनपाने को हो रहा है। आज भ्रष्टाचार के कारनामे आप देखो स्थानीय निकायों में तो शायद आंखें खुली की खुली रह जाएं। हमने दिया उनको अधिकार काम का, हमारा काम करेंगे, हमें सुविधा देंगे, आवश्यकता होगी तो हमें सस्ती दर पर जमीन या प्लाट देंगे, गरीब को और आवश्यकता हुई तो किश्तों में मकान देंगे, यह स्थानीय निकाय से एक व्यक्ति उम्मीद करता है। लेकिन उम्मीद के विपरीत जब उसका पट्टाशुदा प्लाट स्थानीय निकायों के चुने हुए जन-प्रतिनिधि भी फर्जीवाड़ा करके हड़पने का प्रयास करते हैं और उस समय भी स्थानीय निकाय अगर प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकता तो आप चाहे कितनी भी कल्पनाएं कर लो, कितनी भी छूट दो, कितने भी अधिकार दे दो, चाहे कितना भी पैसा दे दो जनता को उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। यह नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ जयपुर में हुआ है, जिस शहर में चले जाओ भ्रष्टाचार के कारनामों की लम्बी लिस्ट है। आज मैं यह कह सकता हूं कि उस लम्बी लिस्ट में मेरा पाली नगर परिषद पहले नम्बर पर है। अगर आप जांच करवा दें ईमानदारी से तो हम भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे पाली में हैं। पाली में नगर परिषद में भ्रष्टाचार ने जो रिकार्ड कायम किया फर्जी पट्टे बनाने में, रिकार्ड में हेराफेरी करने में, ओवरराइटिंग करने में, और यह मेरी बात एक नहीं, एक के बाद एक दस बार जिला कलक्टर को पाली की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जनता के, पाली के नागरिकों की ओर से ज्ञापन दिये गये कि साहब यह भूखण्ड मेरा है, मेरे पास इसका असली पट्‌टा है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका पट्‌टा बना ले आएगा, नगर परिषद से महीनों तक अख़बार में आता है इस भूखण्ड का फर्जी पट्‌टा बन गया, इस रिकार्ड में हेराफेरी हो गई, इस प्लाट में हेराफेरी हो गई। एक के बाद एक कई प्रकरण। जयपुर से भी जांच अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं। जांच जब करते हैं तो स्पष्ट पाते हैं कि वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है, ओवरराइटिंग की गई है रिकार्ड में, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी पट्‌टे भी बन गये, यह मानते भी हैं वो लेकिन किसने बनाये, उस मामले में जांच का विषय कह कर अपने आपको अनजान बना लेते हैं कि किसने बनाए। जब इतनी बड़ी संख्या में रिकार्ड में हेराफेरी हुई है, रिकार्ड में ओवरराइटिंग हुई है तो कोई आफिस में बैठकर वो काम नहीं हो सकता। आफिस का कोई रिकार्ड बाबू है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अपना रजिस्टर घर पर तो भेजने वाला नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह भी जांच का विषय है, आप विराजें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह भी जांच का विषय है, इसकी भी जांच कराइए कि हेराफेरी किसने की है, पट्‌टे का रजिस्टर कौन घर पर ले गया है और 24 घंटे अपने पास रखकर हेराफेरा किसने की। इसकी भी जांच कराइए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जांच कराएं, चाहे हेराफेरी किसने भी की हो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एक बार तो जांच करा ली। एक दफे तो इसकी जांच हो गई...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रोज करने से, माननीय सभापति महोदय, रोज इनका एक ही रहता है

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हेराफेरी किसने की है, वह चाहे किसी पार्टी का हो...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जांच कराई जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कर रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): भ्रष्टाचार करने वाला, हेराफेरी करने वाला चाहे किसी भी पार्टी को, अगर आप चाहते हैं कि स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार खतम हो, समाप्त हो, स्थानीय निकाय सही तरीके से सही काम करे तो चाहे हेराफेरी करने वाला किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उस ओर देखने की आवश्यकता नहीं। चाहे किसने भी की हो, उसकी गहराई तक जाएं। मान्यवर, एक नहीं दस मुक़दमे पुलिस में दर्ज होते हैं, दस मुक़दमे। दस में स्पष्ट बताते हैं कि इन-इन व्यक्तियों ने इस-इस तरीके से मुझ से पैसे की मांग की या हमसे यह कहा कि आप यह काम करें, हम आपका यह काम कर देंगे। स्पष्ट मुक़दमे दर्ज हैं। हमारे जांच अधिकारी यह पाने के बावजूद कि बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी के लिए कौन-कौन जिम्मेवार हैं उस तक नहीं पहुंच पाते। मात्र एक दो बाबूओं के ऊपर तलवार चलाकर अपनी कार्यवाही की इति कर देते हैं। अब बाबू बेचारे का क्या दोष? बाबू से कोई रजिस्टर मांगे, कोई फ़ाइल मांगे, वह बाबू है किसी जिम्मेदार आदमी ने फाइल मांगी होगी, रजिस्टर मांगे होंगे, घर पर मंगवाई होगी और उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी मना करने की। चाहे कोई भी हो आप बिलकुल जांच करवा लें, ईमानदारी से जांच करवा लें। माननीय रायपुर से आने वाले सदस्य, आपको अच्छी तरह से पता है...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर यह हेराफेरी किस स्तर पर हुई है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री सभापति: आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं? माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कर रहे हो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं तो इनको संबोधित कर रहा हूं, मुझे टोक रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, अब कहां टोक रहे हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मुझे अफसोस है कि माननीय रायपुर से आने वाले सदस्य भ्रटाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको शह दे रहे हैं, मैं आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर।

(समय : 15.00 बजे)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मान्यवर, मेरा बिलकुल यह कहना है कि ये जो आपके स्थानीय निकाय हैं ये छेद वाली मटकी होती है उसके समान हैं, ऊपर से चाहे कितना भी पानी डाल दो अन्दर की मटकी भर जाएगी पर मटकी में छेद होगा तो सारा पानी बह कर निकल जाएगा, अन्दर बचने वाला कुछ नहीं। राज्य सरकार कितना भी पैसा दे दे, उनको, चाहे शहरी रोजगार के नाम से दे दे, या कच्ची बस्ती विकास के नाम से दे दे या चुंगी के पुनर्भरण के नाम से दे दे, बड़ी-बड़ी राशि कुछ भी दे दे, अगर आपने भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगायी, प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किये और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यदि आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो शहर हमारे सुन्दर हों, अच्छे हों, इसका लोगों का सपना सपना रह जाएगा। लोगों की अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताएं नगर परिषद से होती हैं, वे उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद हमारा यह काम करेगी, उनकी उम्मीदें भी हम कभी पूरी नहीं कर सकते।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, मेरा जो मेन मुद्दा है जो राज्य सरकार से मेरी मांग है...

श्री सभापति: हां, फटाफट मांग कर लो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी राज्य सरकार से मांग है, माननीय मंत्रीजी चले गये यहां से पता नहीं क्यों। मैंने कहा कि हमारी पाली नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामले में आज अगर ईमानदारी से जांच करके देखें तो शायद हम पहले नंबर पर होंगे, इसलिए मेरा बिलकुल है कि ये भ्रष्टाचार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

समाप्त कैसे हो। इसके लिए जो भी दोषी हैं, जांच में भी दोषी पाया, जांच पूरी तो करें, अधूरी जांच आपकी है। मान लो ये हुआ, लेकिन किसने किया, इस तह तक पहुंचने की जो आवश्यकता है वहां तक भी जाना जरूरी है।

अगर गहराई से जांच करोगे, जैसे उदाहरण है नया गांव में भूखंड संख्या 37-38 का फर्जी पट्टा बना। मान्यवर, जिसके पास असली पट्टा है, जिसकी पत्रावली नगर परिषद में मौजूद, जिसकी रसीद बुक नगर परिषद में मौजूद, उन सारे लोगों को इजाजतें मिलती हैं तीन-चार महीने बाद और जिसका ओरिजिनल पट्टा गुम हो चुका है, जिसकी मूल पत्रावली परिषद कार्यालय में उपलब्ध नहीं, रसीद बुक उपलब्ध नहीं, अगर मौके पर नक्शे से मिलान करें तो उसमें भी ढेरों विभिन्नताएं और उसके बावजूद भी यदि दस दिन में इजाजत मिल जाए और उसके बाद हमारे शक की सूई वहां तक नहीं पहुंचे। बाकी इजाजतें तीन-चार महीने बाद जिनके पास ओरिजिनल पट्टा है उनको मिलती हैं। जिसके पास फर्जी पट्टा है, कोई रिकार्ड परिषद में नहीं और इजाजत मिल जाती है। उस फर्जी पट्टे पर बिना मिले पत्रावली, बिना रसीद बुक के, बिना मौके पर जमीन मिलान किये इजाजत देने में जो भी भागीदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही में भी हम किसी प्रकार की कोई जांच में स्पष्ट नहीं कर पाते।

साथ ही, पाली में इंटेक आफिस को बहुत बड़ी जमीन दे दी पाली नगर परिषद ने। बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट है कि ये भूमि सशर्त दी गई है, इसका उपयोग मात्र कार्यालय के लिए किया जाएगा। आज मौके पर जाएं, हमारे जांच अधिकारी भी मौके पर गये तो बड़ा काम्प्लैक्स बना हुआ है। नहीं 6 दुकानें और वो भी किराये पर दे दीं। वो 6 दुकानें कोई एक घंटे में या एक दिन में बनने वाली नहीं हैं। ये 6 दुकानें बनीं, कई बार जनता ने शिकायतें कीं। शिकायतें करने के बाद भी नगर परिषद ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद तो कुछ मानेंगे आप कि नगर परिषद में कहीं न कहीं जान बूझ कर इस बात की अनदेखी की गयी।

यही नहीं, नया गांव में भूखंड संख्या 5 का भी फर्जी बेचान हो जाए, दो साल बाद यह मुद्दा परिषद की बोर्ड की मीटिंग में उठा कि एक पार्षद ने इस प्लाट का जो नगर परिषद का है, फर्जी बेचान कर दिया। जिसके नाम फर्जी बेचान किया वो महिला जो अनपढ़ है, गरीब है, बोर्ड की मीटिंग में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आकर चिल्लाती है, हल्ला करती है कि यह प्लाट मुझे इस व्यक्ति ने दिया है। उसके बाद में उसका पट्टा बनाने के नाम पर जो उसके बेचान के कागज हैं ओरिजिनल, उसको धोखा देकर सभापति ले लेते हैं। यह बात पुलिस रिकार्ड में है, ले लेते हैं। उसके बाद भी हम कार्यवाही करने में हिचकते हैं। मेरा बिलकुल स्वायत्त शासन मंत्री से आग्रह रहेगा, विपक्ष चाहे हल्ला करे या न करे, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने गड़बड़ की है, हेराफेरी की है, रिकार्ड में ओवरराइटिंग की है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है और गलत काम करने वाला गलत काम करने वाला है सरकार की ओर से उसके विरुद्ध कार्यवाही इस बात की...

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या 8, 20, 29 और 32 पर विचार कर रहे हैं और इसमें नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की भी चर्चा कर रहे हैं, मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के 6 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में करीब चालीस प्रतिशत जनता रहती है, और अगर कुछ और बड़े शहरों को जोड़ लें तो ये संख्या करीब पचास-पचपन प्रतिशत हो जाती है। अत: जरूरी है कि शहरी क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता तथा यहां पर चल रही गतिविधियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। सबसे पहले जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसकी चर्चा की जाए। हालात जो सामने आये हैं और जो तथ्य उजागर हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जयपुर को दो भागों में बांटा जाए जिनका संस्थापन जेडीए और नगर निगम करता है। सबसे पहले मैं जेडीए की चर्चा करना चाहता हूं।

जेडीए में पिछले तीन वर्षों में, यह सरकार जब से आयी है तब से आज तक कितने घोटाले हुए हैं उन सब का सोच कर ऐसा लगता है कि ये सरकार प्रापर्टी डीलर्स की सरकार या भूमाफियाओं की सरकार बन कर रह गयी है। पिछले तीन सालों में 90-बी की कार्यवाही कितनी बार बंद हुई, कितनी बार खुली, यह सर्वविदित है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान की आम जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन के

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

ध्यान में लाना चाहता हूं कि 90-बी की कार्यवाही में किस तरीके से सरकार ने घोटाले किये हैं। किस तरीके से 90-बी की कार्यवाही कब खोली और कब बंद की, इसका उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। 7 मार्च, 2005 को रोक लगी, 15 जुलाई, 2005 को रोक हटाई और 16 जुलाई को फिर रोक लगा दी। क्या जरूरत आ गयी थी कि एक दिन के लिए रोक खोल दी ? और उसमें किसको किया पास, किसकी फाइलें पास कीं, किसकी 90-बी की कार्यवाही की, वो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। ओमेक्स एक फाइल जिसमें आठ सौ बीघा जमीन की 90-बी की कार्यवाही करके उसको पास किया। क्या जरूरत थी? ओमेक्स सिटी जो आ रही है सरकार को क्या जरूरत थी उसकी आठ सौ बीघा जमीन की 90-बी की कार्यवाही करने की? इसी तरीके से पांच सौ बीघा की फाइल वाटिका की एक दिन में की। एक दिन में दो फाइलें मंजूर करने की खातिर 90-बी की कार्यवाही खोली और वो कार्यवाही पूरी होते ही 90-बी की कार्यवाही बंद। सरकार ने 90-बी की बदनामी से बचने के लिए जो पिछले तीन साल से बार-बार होती रही उससे बचने के लिए, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जयपुर में आम चर्चा है और जयपुर में ही नहीं राजस्थान में आम चर्चा है कि 90-बी की कार्यवाही में 3 से 5 लाख रुपये का खर्चा आता है। जब इसकी बदनामी हो गई, उस बदनामी से बचने के लिये सरकार एक भले, ईमानदार जेडीसी को ले आयी। उस जेडीसी के आने के बाद सरकार को यह कैसे मंजूर होता, मंत्रीजी को यह कैसे मंजूर होता कि एक ईमानदार जेडीसी इसमें आ जाए और 90-बी की कार्यवाही वह कैसे खोले। 10 दिन भी चार्ज लिये हुए नहीं हुए और 10 दिन में ही वापस 90-बी के अधिकार माननीय मंत्री जी ने ले लिये । बडी अच्छी बात है। यह समझ में नहीं आता कि मंत्रीजी को 90-बी से ऐसा क्या मोह हो गया है, किस लिए ? मैं और उदाहरण देना चाहता हूं, आज जेडीए में 800 फाइलें जो करीब 25 हजार बीघा की हैं, वे 90-बी के इंतजार में पडी हैं। क्यों, सब दुनिया जानती है और आप सब भी अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से ओमेक्स और वाटिका ने 90-बी एक दिन में करवाई, वे भी अगर वही रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो ये फाइलें भी जल्दी ही निकल जाएंगी। 90-बी होने के कारण आज जयपुर शहर में 1350 कालोनियां, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, 1100 कालोनियां हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 1350 कालोनियां ऐसी हैं जिनका नियमन होना बाकी है और उनमें अधिकांश कालोनियों का नियमन सिर्फ इसलिए नहीं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

हो रहा कि वे 90-बी के इंतजार में पडी हैं। वे 90-बी कब हो? 90-बी के लिये जब तक उसकी वाजिब फीस, वाजिब खर्चा सरकार के पास नहीं पहुंचे तब तक वह 90-बी नहीं होगी और उन कालोनियों का रैगुलराइजेशन नहीं होगा ।

सभापति महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बडी सेज की बात कर रहे थे, ठीक है, सेज का मामला निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार का मामला है, केन्द्रीय सरकार की एक अच्छी योजना है । हम सेज का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेज में जिस तरीके से क्लाज डाला गया है कि अगर एम एण्ड एम तीन साल में सेज का कार्यक्रम ठीक नहीं चले, वह फेल हो जाए तो तीन साल में उस सेज की जमीन को बेच कर जा सकता है । ऐसा क्लाज शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं भी नहीं लगा है । बडी अच्छी बात है, वह जानें इस बात को ।

इस सरकार ने कैसे लुभावने कार्यक्रम घोषित किये, वह मैं बताना चाहता हूं। स्पोर्टस सिटी, फिल्म सिटी, नोलेज कोरिडोर, वाटिका, ओमेक्स, अंसल, सन सिटी, आईटी, स्पेशल इकोनोमिक जोन, पार्कों की जमीन, डीएलएफ, सेज, जलमहल योजना इन सब में सरकार ने कई तरह के घोटाले किये हैं । एक दो नहीं, मैं उसके उदाहरण दे रहा हूं । पहले घोषणा की थी कि स्पोर्टस सिटी 692 एकड़ में आएगी। कहां आएगी? जयपुर-दिल्ली रोड पर अचरोल के पास। अब क्या हुआ ? यह फैसला है 20.10.06 का, अभी तो 6 महीने भी नहीं गुजरे और फैसला बदल दिया । 692 एकड़ जमीन में जिस किसान की जमीन आ रही थी उस किसान ने अपनी जमीन को आते हुए देख वह जमीन को औने-पौने भाव में बेच दी। किस को बेच दी, जो सरकार के प्रापर्टी डीलर हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को अगर आप यहां बुला लें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नोट कर रहे हैं ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 692 एकड का जो फैसला हुआ था उसको 6 महीने भी नहीं हुए और 6 महीने में ही वह 400 बीघा पर रह गई । आपने जो पहले 692 एकड़ की घोषणा की थी, आज 400 एकड़ पर किस तरीके से रह गई ? उन किसानों ने जिन्होंने अपनी जमीन को औने-पौने भाव में बेच दिया, उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा? इस 400 बीघा जमीन में

(श्री बृजकिशोर शर्मा)
मात्र एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिये, एक चिह्नित आदमी को लाभ पहुंचाने के लिये कानून-कायदे सब ताक में रख दिये । नये कानून बना दिये, जमीन देने का तरीका बदल दिया। डीएलसी की दरों में 99 वर्षो की लीज का 3 प्रतिशत में जमीन देने का फैसला कर लिया। जब जेडीसी महोदय से इस बारे में पूछा गया तो जेडीसी महोदय का बहुत साफ बयान है कि यह मेरे द्वारा नहीं किया गया है, यह तो सरकार का फैसला है । सरकार किस तरीके से चल रही है, यह सब जयपुर का ही नहीं राजस्थान का आम आदमी जानता है कि सरकार जमीनों के मामले में कितने घोटाले कर रही है ।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य पार्क की बात कर रहे थे, और तो छोड़ो इस सरकार के जमीन बेचने के मामले में जहां 20 हजार की आबादी रहती है, सिर्फ 2902 स्कवायर मीटर का पार्क है, उस पार्क में से 2062 स्कवायर मीटर जमीन एक ट्रस्ट को बेच दी। पार्क में से जमीन बेच दी। जिक्र किया जा रहा था कि 59 लाख 86 हजार में बेच दी। जब कि अगर आज इस जमीन का वास्तविक भाव बाजार मालूम किया जाए तो शायद 25-30 करोड़ रुपये तक है ।

सभापति महोदय, आई.टी. और नोलेज कोरिडोर की बहुत घोषणा की गई है, आईटी बनाएंगे, नालेज कोरीडोर बनाएंगे। वह आईटी, नालेज कोरीडोर के नाम पर जिस समय घोषणा की गई थी, वहां के किसान उस जमीन को औने-पौने भावों में बेच कर, इस सरकार के भू-माफियाओं को बेच कर, सरकार के प्रापर्टी डीलरों को बेच कर अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। अंत में क्या हुआ? अंत में यह हुआ कि सरकार पीछे हट गई कि हम न तो आईटी बनाएंगे और न नालेज कोरीडोर बनाएंगे और इस योजना को ही समाप्त कर दिया। आपको किसने कहा था कि यह घोषणा करो ?

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अभी 3-4 रोज पहले ओलावृष्टि के नाम पर सरकार किसानों की बडी वाहवाही लूट रही थी। बहुत अच्छी बात है, हम भी किसानों के पक्ष में हैं, कांग्रेस किसानों के पक्ष में है। लेकिन यह सरकार कैसे पक्ष में है, उसका मैं उदाहरण देता हूं, साढे 14 लाख हैक्टेयर जमीन इनके मंत्रिमंडल में इस बात के लिये गई, मंत्रिमंडल में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन साढ़े 14 लाख जमीन को 8 कम्पनियों को

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

बेच दिया। किस लिये दे दिया? रतनजोत की खेती करने के लिये । कम्पनी रतनजोत की खेती करेगी या किसान करेगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जरा नाम बता दीजिए ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी तिवाड़ी को मालूम है, बराबर में पूछ लो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह मंत्री मंडल का फैसला था। उस समिति की रिपोर्ट गई थी वहां पर यह क्लीयर हुआ है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह मंत्री मंडल का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अभी तक किसी कम्पनी को भूमि नहीं दी, बात जरूर चली थी ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चली थी न, चलो यही समझ लो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बात ही नहीं चली कभी।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सभापति महोदय, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, इस तरह के असत्य आंकड़े इस सदन के पटल पर नहीं रखे जाएं तो बहुत ही जनता के हित में होगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही मामला रिंग रोड का भी हुआ। बहुत बड़ी रिंग रोड, शायद जो हिन्दुस्तान के मैट्रोसिटीज हैं उन मेट्रोसिटीज में भी इतनी चौडी रिंग रोड का निर्माण आज दिन तक नहीं हुआ है। बहुत बहुआयामी योजना रिंग रोड की बनाई गई कि 18 लेन की रिंग रोड बनाएंगे। उसकी अवाप्ति के लिए लोगों को नोटिस दे दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? किसानों ने औने-पौने में अपनी जमीन बेच दी। बहुत पहले थे, आज बंगले हो गए, गाड़ी हो गई, होंगे ही। लेकिन कुछ दिनों बाद मंत्रीजी ने इसको 12 लेन की कर दिया 6 लेन में जिनकी जमीनें आई थीं वे बेचारे बर्बाद हो गये। लेन जमीन का मामला बड़े षड्यंत्र तरीके से किया गया। उस लेन जमीन में ऐसे आदमी का नाम लिया गया जो हिन्दुस्तान के लिए पूजनीय है, इनके लिए तो है ही। दीनदयालजी जैसे महान आदमी का नाम लेकर, उनके नाम से ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपये

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

की जमीन हड़पने का षड्यंत्र रच दिया। हुआ क्या? आखिर सरकार को उसमें थूककर चाटना ही नहीं पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। ऐसे इस सरकार के कारनामे हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जलमहल के अंदर, आज से ठीक दो साल पहले, मैंने इसी पवित्र सदन में जलमहल का मामला 295 के जरिये उठाया था, उसी कम्पनी को आज 47 हजार रुपये बीघा, जयपुर के अंदर किसी भी जगह पर 47 हजार मीटर में जमीन नहीं मिलेगी और इस कम्पनी को 47 हजार रुपये बीघा में कितनी जमीन दे दी? 150 एकड जमीन दे दी। क्या हाल है, क्यों दे दी? सिर्फ दो करोड रुपये सालाना लीज पर। (व्यवधान) बाजार की कीमत का आप अंदाजा लगा लीजिए, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये बीघा से कम की जमीन नहीं होगी। 150 एकड जमीन आपने 47 हजार में दे दी। बहुत चार्ज लगाए जा रहे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थे। कम्पनी का नाम भी बता दूं, इंडिया हैरिटेज कारपोरेशन फाउण्डेशन, सैंतालीस साढ़े सैंतालीस हजार रुपये बीघा, 150 एकड जमीन। इसके मालिक का नाम भी बता दूं, कोठारी साहब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): (व्यवधान) एक इसमें 4 लाख 70 हजार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब आप...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आज जयपुर में यातायात को देखते हुए पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग के बारे में मंत्रीजी ने दो बार सदन में, पवित्र सदन में घोषणा की थी कि जिन लोगों ने सैट बैक नहीं छोड़े हैं, जिन लोगों ने पार्किंग का इंतजाम पूरा नहीं किया, मैं मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाऊंगा और जयपुर शहर की यातायात की व्यवस्था को सुधारूंगा। क्या करें मंत्रीजी, मंत्रीजी की घोषणा तो घोषणा ही है। यहां तो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा नहीं चलती है। मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल बजट के टाइम पर इस सदन में घोषणा की थी, हज हाउस जल्दी बनाकर देंगे, आज तक उस हज हाउस पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। हां, मंत्रीजी ने एक काम तो किया, क्या किया? रामलीला ग्राउण्ड में पार्किंग का काम साथ में लिया। माननीय जौहरी बाजार वाले विधायक, किशनपोल के विधायक यहां बैठे हैं, 200 दुकानें, 1 रेस्टोरेंट,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

375 कार की पार्किंग का फैसला किया, आर्डर दे दिया। जब राजनैतिक दबाव पड़ा तो 48 घंटे भी नहीं लगे उस आर्डर को वापस ले लिया, क्यों ? यह सरकार की किस तरीके की नीयत है, इस बात को..(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में कनक्लूड करूंगा। जमीन के घोटाले तो हमने बहुत सुने हैं, चारे के घोटाले भी बहुत सुने हैं लेकिन इस सरकार ने तो कचरे में भी घोटाला कर दिया। जहां 80 रुपये से 100 रुपये टन में कचरा उठा करता था इस सरकार के नगर निगम ने आज 480 से 500 रुपये तक कचरा उठाकर सारे कानून-कायदे ताक में रखकर उसमें भी घोटाला कर लिया।

माननीय सभापतिजी , कफन का कमीशन खाने की बात तो बहुत सुनी, जग जाहिर है, सब जानते हैं, इसमें क्या हुआ, क्या होता है। लेकिन, माननीय सभापतिजी, आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार ने तो लावारिस लाशों को फूंकने के मामले में भी कमीशन खा लिया। (व्यवधान) माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का मामला हुआ। आज जयपुर में किस तरीके से अतिक्रमण हट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कौन अतिक्रमण हटा रहा है, जयपुर का एक एक जन, आदमी जानता है। माननीय सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया उसके पहले एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहता हूं, जवाब देवें तब, कि जयपुर को तो बेच दिया, कुछ बचा खुचा है उसको तो कोई बात नहीं लेकिन राजस्थान को मत बेच देना। धन्यवाद, जय हिंद।

श्री सभापति: माननीय श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समय की सीमा है, दस मिनट में आप कनक्लूड करें। एक मिनट भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। साढ़े चार बजे मुख बंद का प्रयोग है..

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आइ विल ट्राई माई बैस्ट।

श्री सभापति : और तीन मंत्रियों को जवाब देना है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आज हम नगरीय विकास विभाग की मांग पर चर्चा के लिए यहां खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नगर पालिकाओं को जो सुविधा दी जानी चाहिये थी, जो उनको अधिकार दिये जाने थे, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। 74वां संविधान संशोधन हो गया, नगरपालिकाओं के चुनाव भी हो गये लेकिन चुनाव होने के पश्चात नगरपालिकाएं अपने वित्तीय ढांचे को ठीक कर सकीं, प्रशासनिक ढांचे को ठीक कर सकीं, उनके पास में सफाई के लिए पैसा है, उनके पास में स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा है, उनके पास पार्क लगाने के लिए पैसा है, उनके पास में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए पैसा है क्या इस बारे में हमने सोचा ?

मैं इस बहस को गैर राजनीतिक आधार पर ले जाना चाहता हूं। पक्ष के सदस्य भी बैठे हैं, प्रतिपक्ष के सदस्य भी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि नगरीय विकास विभाग केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिये। 174 से ज्यादा जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी अधिकार का प्रश्न है। शहरों में जो नागरिक रह रहे हैं उनके भी अधिकारों का प्रश्न है कि क्या उनको स्वच्छ वायु मिल रही है, क्या उनको स्वच्छ पानी मिल रहा है, क्या उनको सस्ती दरों पर आवास मिल रहे हैं, क्या उन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। एक मूलभूत प्रश्न हैं।

मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि शहरों में आज बहुत सारे लोग रहते हैं बड़ी जनसंख्या शहरों में रहती है, उस बड़ी जनसंख्या के लिए आप निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था का प्रबंध करें, घर-घर के बाहर कचरा रहता है। पेड़ लगाएं, कचरे की सफाई करें, कचरा परिवहन के लिए नवीनतम साधन आप लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किस प्रकार से म्यूनिसिपैलिटीज कचरे का निस्तारण करेंगी। आज यदि केवल एक काम आप कर दें, यहां अधिकारी भी बैठे हुए हैं, केवल जमीनों के अलाटमेंट से शहरों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, केवल भ्रष्टाचार की चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके लोग भी स्वायत्त शासन मंत्री रहे हैं, शहरी समस्याओं के समाधान के संबंध में आपने क्या किया ? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कचरे का निस्तारण इस प्रकार से होगा, घर के बाहर कचरा बिलकुल नहीं रहेगा, अस्पतालों में कचरा बिलकुल नहीं रहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं रहेगा। उसके लिये क्या व्यवस्था की है। स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, शहरों में अंधकार है तो

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आखिर उसकी व्यवस्था कौन करेगा? हमारे जो सी.ई.ओ. हैं नगर निगम में, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज में जो म्यूनिसिपल अधिकारी हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। उनकी कलक्टर तक नहीं सुनता है। उनको कोई अधिकार नहीं हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अधिकारियों का एक संघ बनना चाहिए। उनको बहुत अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे शहरों की समस्याओं के सन्दर्भ में काम कर सकें। मैं समझता हूं कि एक संघ बना भी था। सरकार उनको सुनकर, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार देकर और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन के तहत उनको अधिकार देकर उनसे काम करवाना, उनको सहयोग देना और उनके ऊपर डण्डा नहीं घुमाना, डण्डा नहीं घुमाना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए कि आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्याओं के सन्दर्भ में मंत्रालय क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है, इस सन्दर्भ में हमको उनसे विचार-विमर्श करना चाहिए।

आज आवास की समस्या है, मैं कहता हूं कि जयपुर शहर में या उदयपुर शहर में या कोटा शहर में या अजमेर में या विभिन्न स्थानों पर जिस प्रकार से जमीनों के भाव बढ़ गये हैं, जिस प्रकार से जमीनों के लेन-देन का काम हुआ है, जिस प्रकार से जमीन के सौदागर यहां पर आ गये हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं कहता हूं कि एक सामान्य आदमी यहां पर मकान लेकर नहीं रह सकता है। एक आई.ए.एस. अफसर भी, आई.ए.एस. अफसर की जितनी तनख्वाह है, उतनी तनख्वाह में वह स्वयं जयपुर में मकान लेकर नहीं रह सकता है। उसकी ई.एम.आई. नहीं दे सकता है। वह प्लाट तो नहीं खरीद सकता है, वह फ्लैट भी नहीं खरीद सकता है। आज दोगुने-तिगुने-चौगुने-दस गुने भाव हो गये। तो क्या हमें उस समस्या का निदान नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं कि आवासन मण्डल को एन.आर.आई. के लिये मकान नहीं बनाना चाहिए। यह हमारा काम नहीं है। आवासन मण्डल की स्थापना इसलिये हुई थी कि वह आम आदमी को सस्ते मकान उपलब्ध कराएगा, मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराएगा। क्या हमने करवाये? मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें निश्चित रूप से इस बात पर विचार-विमर्श करना चाहिए कि आम आदमी को मकान मिले, सस्ता आवास मिले और वह उतनी ई.एम.आई. दे

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सके जितनी उसकी इनकम है। अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये, ई.डबल्यू.एस. वर्ग के लोगों के लिये हमने योजना बनाई है। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। मुझे गर्व है इस बात का कि जवाहर लाल अरबन रिन्युअल मिशन के तहत किशनपोल में उन्होंने जयपुर शहर का नहीं, राजस्थान भर का एक अनूठा प्रोजैक्ट लिया है। 175 करोड़ रुपये की योजना कच्ची बस्ती वालों के लिये बनाई गई है, उसकी स्वीकृति अभी दस दिन पहले केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। कच्ची बस्ती वाले लोगों के लिये बारह हजार मकान बनाकर हम देंगे। बारह हजार मकान हम दे रहे हैं केवल दस हजार रुपये की कीमत पर। केवल दस हजार रुपये की कीमत पर। डेढ़ लाख रुपये की कीमत का मकान, केवल हम दस हजार रुपये में दे रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं जयपुर नगर निगम ने लागू की हैं। ये उदयपुर में बननी चाहिए, जोधपुर में बननी चाहिए, अजमेर में भी बननी चाहिए। छोटे -छोटे शहरों में बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिये विशेष अधिकारी नियुक्त करके इस प्रकार के सुलभ, सस्ते, अच्छे आवास बनाने चाहिए। आज घरौंदा योजना हमने की है, उसका स्वागत है। दस रुपये रोज में, पन्द्रह रुपये रोज में हम उनको मकान देंगे। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग, मुनीम हैं, गुमाश्ते हैं, प्राइवेट काम करने वाले हैं, उन सब लागों के लिये भी मकान चाहिए। बहुत सारे लोग जयपुर शहर में काम करने के लिये आते हैं, उनको भी मकान चाहिए। अल्प आय वर्ग के लोगों के साथ मध्यम वर्ग के लागों के लिये भी मकान चाहिए। मैं समझता हूं कि आज की चर्चा के माध्यम से नगरीय आवासन मंत्री महोदय इस बात पर निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि अल्प आय वर्ग के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग को भी हम निश्चित रूप से मकान देंगे।

एक सूचना मुझे अखबारों के माध्यम से मिली है, जब आवासन मण्डल में मकान लेने के लिये उच्च आय वर्ग के लोग गये तो उन्होंने कहा कि जितनी ई.एम.आई. आप ले रहे हैं, जितने का मकान दे रहे हैं उच्च आय वर्ग के लोगों को, उतनी तो हमारी तनख्वाह ही नहीं है। उस तनख्वाह से हम चुका ही नहीं सकते हैं। यह उच्च आय वर्ग का व्यक्ति कह रहा है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब उच्च आय वर्ग का मकान नहीं ले सकता है, आई.ए.एस. अफसर मकान नहीं ले सकता है, आर.ए.एस. अफसर मकान नहीं ले सकता है, एक एम.एल.ए. मकान नहीं ले सकता है तो बेचारा मुनीम, गुमाश्ता, प्राइवेट काम करने वाला व्यक्ति, स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति, साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति जयपुर शहर में मकान की क्या कल्पना कर सकता है? (व्यवधान) आज जो कीमतें बढ़ गयी हैं, इसके बारे में कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक कंसेंसस बने। कांग्रेस सरकार के समय एक घोषणा की थी आप लोगों ने कि हम सारे सदन को बुलाकर, एक विशेष सत्र बुलाकर, म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन करेंगे। 74वें संविधान संशोधन के तहत अधिकार देंगे। आप लोगों ने वह काम नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जो अधिकार म्यूनिसिपैलिटेज को मिलने चाहिए, वे अधिकार निश्चित रूप से प्रदान करें। इसके लिये सदन की विशेष बैठक बुलाएं और बैठक बुलाकर बहुत सारे संशोधन उस एक्ट में होने हैं, निश्चित रूप से उन संशोधनों को करें।

जयपुर नगर निगम में एक एक्ट बनाना है, निश्चित रूप से उस एक्ट को भी आप बनाएं। नगर निगम के एक्ट को बनाएं। अभी नगरीय विकास मंत्री महोदय ने म्यूनिसिपैलिटीज के चेयरमैन को अधिकार दिये हैं, वित्तीय अधिकार दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के समय वे सारे अधिकार खतम कर दिये गये थे। जयपुर शहर में ही नहीं, अन्य शहरों में सहकारी समितियों की जमीनें हैं, आम व्यक्ति वहां रहता है। टाउनशिप में तो बहुत सारे लोग चले गये, वे 10 साल में बनेंगी, 15 साल में बनेंगी। केवल एक सट्टा बन रहा है उन टाउनशिप्स में, लेकिन आम व्यक्ति सहकारी समिति की कृषि भूमियों पर रह रहा है। उस आम व्यक्ति को पट्टा देने के लिये जो हमने शिविर लगाये हैं, उन शिविरों को तुरन्त लगाएं, उनमें गति प्रदान करें। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पट्टा नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनको पट्टा देने का भी हम काम करें। जो लोग यहां जयपुर शहर में अपने नक्शे पास करवाने के लिये आते हैं, जे.डी.ए. और नगर निगम, दोनों मिलकर इस प्रकार से कार्यवाही करें कि लोगों को चक्कर नहीं खाना पड़े। आम आदमी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)
के पास जाइये, दफ्तर में देखिये कि वह व्यक्ति किस प्रकार से चक्कर खा रहा है। छोटा-सा नक्शा पास कराने के लिये, अपनी सफाई के लिये, अपनी बिजली की समस्या को दूर करने के लिये, अपनी अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिये, अपने पार्कों की समस्या को दूर करने के लिये वह म्यूनिसिपैलिटीज में कितनी बार चक्कर खा रहा है, वह जे.डी.ए. में कितनी बार चक्कर खा रहा है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जाकर नीचे देखें, डाउन-टू-अर्थ बात करें। कितनी बार उसने चक्कर खाये, जे.डी.ए. में कितनी बार आ रहा है, कलेक्ट्रेट में कितनी बार आया है। आखिर उस आदमी के लिये कौन चिन्ता करेगा? उस आदमी की समस्या का समाधान कौन करेगा? हमने तो केन्द्र बना दिये। केन्द्र बना सकते हैं, हमने निश्चित रूप से केन्द्र बनाये हैं। लेकिन उन केन्द्रों पर भी तुरन्त न्याय हो, निर्णय हों और निर्णयों के बाद में हम कुछ कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात जरुर कहना चाहूंगा। जयपुर ग्रामीण से आने वाले हमारे मित्र ने बहुत सारे आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं उनको एक झलक दिखाना चाहता हूं। आपने तो आरोप ही लगाये हैं। हमने आरोप नहीं लगाये हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातें कांग्रेस की सिद्ध हुई हैं। रिश्वत लेते कैमरे में कैद तीन-तीन मंत्री कांग्रेस के, रिश्वत लेते तीन-तीन मंत्री कैमरे में कैद। यह कांग्रेस के लोगों को, शक्तावतजी, तकउद्दीनजी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): थोड़ा-सा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी हवाला दे दो। (व्यवधान) नहीं, उनसे ठीक रहेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, जो इस दुनिया में नहीं हैं उनका नाम ले रहे हैं। जो इस दुनिया में नहीं हैं उनका क्या नाम ले रहे हैं, शक्तावतजी का, कुछ तो शर्म करिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बंगारु लक्ष्मणजी। बंगारु लक्ष्मणजी की भी तो याद कर लो। माननीय गुप्ता साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): भ्रष्टाचार की बात, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान) हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिये हैं, पूर्णतया पारदर्शिता से लिये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बंगारु लक्ष्मण, जार्ज फर्नांडीस, ममता, जेटली, कितने नाम गिनाऊं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हागा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): किसने क्या कहा, यह बात तो ठीक है, आपके लिये कहा है। यह बात तो ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी.एम. साहब भी पैसे लेते हैं। हां, हण्ड्रेड परसेंट पक्का। मेरे को जमीन देंगे। रेडिसन को जमीन दी है तो तेरे को भी देंगे।

श्री सभापति: बात समाप्त करें, प्लीज।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): स्टे उठाये बिना, चीफ मिनिस्टर की जान निकल जाएगी। ढाई अभी और ढाई जिस दिन यहां से चली जाएगी उस दिन। पैसा मेरे दोनों ओर बह रहा है। मैं एम.एल.ए. बनकर क्या करुंगा। सोनिया गांधी ने भी कह दिया होगा कि जमीन अलाट कर दो। (व्यवधान) शनिवार को जारी इस सीडी में तत्कालीन नगरीय विकास राज्य मंत्री तकउद्दीन अहमद, उनके बेटे, प्रापर्टी डीलर और रघुवीरसिंह के बीच इस तरह से बातचीत सामने आयी है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ये भ्रष्टाचार के नमूने हैं आपके। आप आरोप लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के नमूने हैं और साथ ही साथ..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह सुप्रीम कोर्ट में कमलाजी के खिलाफ कहा है। लाल कोठी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कमलाजी के खिलाफ कहा है।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह आपके स्वायत्त शासन मंत्री का इस प्रकार का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय उद्धृत कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं सी.डी. के निर्णय उद्धृत कर रहा हूं, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अपने दामन में झांकें। हमने जो काम किये हैं वे सही किये हैं। बीडी ने जो निर्णय लिया है वह सही निर्णय लिया है। पूर्णत: पारदर्शिता का निर्णय लिया है। जो बीडी आपने ही बनायी थी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बीडी आपने ही बनायी थी। (व्यवधान) आपने ही बनाया है। जिन लोगों को जमीन हमने दी है वह उसी निर्णय के आधार पर दी है जो निर्णय आपने किये थे। धन्यवाद। जय भारत।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो नम्बर जोड़े हैं, कालीचरणजी के जोड़े या आपके जोड़े हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो फैसला कर लो कि नम्बर किसके बढ़े दोनों में। नम्बर किसके बढ़े हैं दोनों में? राठौड़ साहब खुद ही जांच करने वाले यही हैं, आज किसके लिए बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अब इसके लिए भी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज किसके लिए बोलेंगे? आज किसके लिए जाकर बोलेंगे, बता दो पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए अब जज बनाना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज किसके लिए बोलेंगे? आज किसके लिए जाकर बोलेंगे, बता दो पहले। आज किसके लिए जाकर बोलोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए जज बनाना पड़ेगा और इसमें आपसे अच्छा जज कोई हो ही नहीं सकता। आप से अच्छा जज कोई नहीं हो सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, नगरीय विकास मंत्रीजी कहां पर हैं?

श्री सभापति: आप विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, कहीं संसदीय कार्य मंत्रीजी बाद में यह कह दें कि उनकी तो तबीयत खराब हो गयी और जवाब मैं दूंगा। हमें पहले से ही यह अंदेशा लग रहा है। कहां हैं मंत्रीजी ? (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): नहीं, यह पूरी तैयारी करके आये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे लग रहा है पहले ही। कुछ न कुछ चक्कर तो नहीं है कहीं? भूमिका बना रहे हो, जैसे उस रोज आपने वित्त राज्य मंत्रीजी के टाइम में बनायी थी।

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जवाब तो वे ही देंगे न आकर? यह नोट उन्हीं को दे दोगे आप, पक्का है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बीच-बीच में यह खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उससे अच्छी, माननीय सी. पी. जोशी ने कहा कि किसका भाषण अच्छा है, इसका तो अब प्रमाण-पत्र की जरूरत ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी का यह निर्णय सही साबित हो गया कि दोनों बाहर रहने पर बहुत ज्यादा बढ़िया काम करते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत बधाई। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया 2007-08 का ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): घनश्यामजी के मंत्रिमण्डल में भी जगह नहीं है। (व्यवधान) विराजिये। यहां पर नहीं है तो वहां पर भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूं। मैं हालांकि बहुत कम बोलूंगी मगर मेरे को टोकना नहीं क्योंकि मैं मेरी बात भूल जाऊंगी अगर आप टोकेंगे तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दस मिनट में अपनी बात पूरी कर दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, जब 9 तारीख को राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यहां बजट पेश किया और जब मैं जोधपुर मेरे निवास पर पहुंची हूं तो रास्ते के अन्दर ही लोगों के फोन आने शुरू हुए। विशेष तौर से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बिलकुल सत्य बात बता रही हूं कि अगर एक कोई व्यापारी हो, एक उद्योगपति हो, उनको तो इस बजट से हो, मगर सफाई करने वाला, बरतन साफ करने वाली औरत, सब्जी बेचने वाले लोग उनको क्या स्वार्थ होता है? वे मेरे घर पर इतनी बड़ी मात्रा में इंतजार कर रहे थे कि मैंने क्या सोचा कि क्या मालूम किसलिए इंतजार कर रहे हैं? पानी नहीं आया होगा। मेरे मन में एक ही बात रहती है या तो पानी या गंदगी, दो बात हो सकती हैं। मेरे को जाने के बाद वहां मालूम पड़ा कि इतनी तादाद में महिलाएं खड़ी थीं, वह भी बुजुर्ग महिलाएं 70, 80, 90 साल तक की, इस तरीके से खड़ी थीं और विजयराजे सिंधियाजी की तस्वीर लेकर पुष्प चढ़ा रही थीं कि क्या जननी पैदा की है और क्या बजट दिया है। बताओ आप ऐसे लोगों को, उन सब्जी बेचने वालों को, ऐसी महिलाएं वहां पर मौजूद हुईं और मुख्य मंत्री के बजट की जो सराहना की है, मैं ... (व्यवधान) अब आप देखिये, साहब, आपकी बात पर कभी मैं बोलती नहीं हूं। आप मेरी, मैं जो कहूं, सुन लो, आपको अच्छा नहीं लगे तो नहीं लगे। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सब को अच्छा लग रहा है इसीलिए तो हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आज नगर विकास न्यास की बजट के अन्दर बात चल रही है, मैंने तो एक थोड़ा सा ट्रेलर बताया है आपको कि बजट से कितने लोगों को राहत मिली और मुख्य मंत्रीजी को कितने आशीर्वाद दिये हैं, उसकी बात कही है मैंने। माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आज की जो मांग संख्या है उसके बारे में मैं मेरी बात कहना चाहूंगी। अभी कई लोगों ने कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नगर विकास न्यास मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कि जोधपुर शहर नगर निगम की सीमा, पहले और आज में कोई अन्तर नहीं है, इसकी सीमा तुरन्त बढ़ायी जाए ताकि जोधपुर शहर का विकास हो सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे को बहुत अफसोस के साथ और दु:ख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि जोधपुर शहर, जयपुर से दूसरा नम्बर है जोधपुर शहर का और तीन-तीन मुख्य मंत्री वहां से रह चुके हैं फिर भी जयपुर से जोधपुर बहुत पीछे है विकास की दृष्टि से। इन तीन सालों के अन्दर जो विकास हुआ है, इसी तरीके से जो पहले मुख्य मंत्री तीन रहे वे अगर जोधपुर के बारे में सोचते तो आज जोधपुर न मालूम कहां पहुंच जाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां नगर विकास न्यास मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर एक बहुत बड़ा शहर है पर विकास की दृष्टि से हम जयपुर से काफी पिछड़े हुए हैं। यहां सड़कें, सीवर लाइन्स व पानी की लाइन्स का अभाव है। बरसात के मौसम में पानी भीतरी शहर में ही नहीं बल्कि बाहरी कालोनियों- शास्त्री नगर, सरदारपुरा की सड़कों पर भी इकट्ठा हो जाता है जिससे काफी परेशानी होती है। माननीय सभापति महोदय, सीवर लाइन्स और पानी की लाइन्स बदलने के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री ने करीब 10 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना बनाकर दे दी और वह पानी की लाइन्स डलनी भी शुरू हो जाएगी मगर जोधपुर नगर निगम की तरफ से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस का बोर्ड है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इस शहर को कैसे सुन्दर बनाया जाए। शहर के अन्दर गंदगी का भरमार रहता है। सीवर लाइन्स डटी हुई रहती हैं। वहां की महापौर, वहां के अधिकारी कभी इस बात के ऊपर सोचते नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि यू.आई.एस.एम.टी. परियोजना में राज्य के स्थान के रूप में जोधपुर नगर के लिए न्यूनतम 70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान बजट की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस बजट में कई चीजें हैं, मसलन प्रत्येक शहर में एक-एक गौरव पथ का निर्माण करना, पाठशालाओं को नियमित करवाना, पानी की पुरानी पाइप लाइन्स को बदलना, इनका जितना उल्लेख किया जाए उतना कम है। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उदयपुर की पिछोला व फतेहसागर झील, माउंट आबू की नक्की झील व अजमेर की आना सागर व पुष्कर झीलों के सौन्दर्यकरण के लिए मैं सरकार का स्वागत करती हूं। इसी माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एवं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर बाईजी का तालाब, आनासागर, क्या नाम है? भूल गयी। गंगलाब तालाब है उनके अन्दर इतना कचरा और गंदगी भरी हुई है कि कोई आस-पास रहना भी मुश्किल है। उसकी सफाई के लिए और सौन्दर्यकरण के लिए आपको विचार करना चाहिए और स्पेशल धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मैं कुछ बोली भी नहीं। माननीय सभापति महोदय, कभी नम्बर ही नहीं आता है और वैसे भी मैं तो बहुत डिस्टर्ब-सी हूं तो कुछ बात सोच-सोचकर बोलना चाहूंगी। मेरे शहर की समस्या कहूं, मैं कोई ऐसी बात थोड़े ही कर रही हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे को आप ऐसे कहेंगे, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि मैं कुछ ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपको मैंने पहले भी निवेदन किया, आप मेरे को ऐसे मत करना, मैं तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप पिछोला पर आ गये थे। (व्यवधान) इसलिए मैंने सोचा, जोधपुर का सवाल नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मेरे को ऐसा मत कहना। माननीय सभापति महोदय, मैं विकास की दृष्टि से ही बात करना चाहती हूं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से हूं, वह विधान सभा क्षेत्र इतना कंजेस्टेड और इस तरीके से है, उसके सौन्दर्यकरण की बात कर रही हूं। बाईजी का तालाब है, गंगलाब तालाब है, मानसागर है, वहां से खुद मुख्य मंत्री रह चुके तत्कालीन अशोकजी गहलोत, मगर उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि इस शहर को कैसे सुन्दर बनाया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूं कि उनके लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करायी जाए ताकि शहर की सुन्दरता बढ़ सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे जोधपुर सरदारपुरा क्षेत्र के विधायक अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे जब मैंने उनको स्पेशली, आपसे कह रही हूं कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इनके बारे में जरा सोचिए मगर उन्होंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शासन मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दें। जोधपुर शहर की सड़कों के बारे में ध्यान दें क्योंकि वे सड़कें बहुत संकरी हैं, वह नगर निगम के अलावा कोई नहीं बनाता है।

अभी-अभी यहां पर काफी कुछ चर्चा हुई बिल्डिंग के बारे में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि शहर के अंदर एक श्मशान है, वहां पर पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने बिल्डिंग बनाने के लिये परमिशन दी है, उसकी आप तुरन्त इंक्वायरी करवाएं। अगर हम गलत हो जाएं तो हमें कहना। श्मशान के अंदर अगर बिल्डिंगें बनेंगी, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी ? अब लोग श्मशान को भी नहीं छोड़ते तो फिर आगे जाकर क्या होगा ? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ? तालाब के अंदर देखो तो अतिक्रमण करवा रहे हैं, और जगह अतिक्रमण करवा रहे हैं। अतिक्रमण का मतलब क्या समझते हैं, जहां अतिक्रमण हैं वहां तो कुछ हटवा नहीं रहे और अतिक्रमण हटवाने के नाम पर जाते हैं जो सीढ़ी है वह हटाएंगे, बावडियां हटाएंगे, यह जाकर काम करेंगे और इस तरह से जाकर जनता को परेशान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर नगर निगम में, यू.आई.टी में वर्तमान में टैक्निकल अधिकारियों की काफी कमी है। यू.आई.टी. है जो काम करना चाहती है मगर उनके पास अधिकारियों की बहुत कमी है। चीफ इंजीनियर तो है मगर सुपरिंटेंडेट इंजीनियर पूरे नहीं हैं, जे.ईएन. पूरे नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे शहर में सौन्दर्यीकरण हो सके। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर नगर निगम का भगवान ही मालिक है। निगम का भवन काफी भव्य है परन्तु जन सुविधाओं एवं सफाई व्यवस्था में तो पोपाबाई का राज है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आवारा पशु पुलिस की गुमटियों में आराम फर्माते हैं। मेरी सफाईकर्मी बाइयों के पास पर्याप्त सामान नहीं है। सुरक्षा उपकरणों का अभाव है।

पूर्व भाजपा शासित बोर्ड ने नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे परन्तु सीमा विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। उस समय तेल कम्पनियों ने अपना व्यापार निगम सीमा से बाहर शिफ्ट कर लिया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जिसके कारण निगम की चुंगी आय में काफी कमी हो गयी। इसके कारण जोधपुर को चुंगी की जितनी राशि मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, 1992 के अंदर जब भैरोंसिंह जी शेखावत का राज था, यहां बहुत पुराने सदस्य भी सामने विराजमान हैं, मगर इन्होंने कभी अपने नेताओं के बारे में नहीं सोचा । स्व. जयनारायण व्यास के नाम पर इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम तक नहीं किया और हमारे भैरोंसिंहजी शेखावत, जो आज भारत के उप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तुरन्त इसके ऊपर मेरा प्रस्ताव आते ही एक्शन लिया और जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण विश्वविद्यालय किया। अभी जब सरकार आई तो मुख्य मंत्री वसुन्धराजी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने जितने स्वतन्त्रता सेनानी थे, उनके नामों के ऊपर किसी मार्ग का नामकरण करवाया, भले ही वे कांग्रेस वाले हों। उससे क्या मतलब हो गया, मगर उनकी जो भावना है, वह बता रही हूं। आज तक जो कुछ भी काम किया है बी.जे.पी. सरकार ने, हर में इस तरह से काम किया है। मगर इन्होंने स्व. जयनारायण व्यास जैसों का नाम नहीं लिया।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो बातें और कहनी हैं। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर शहर के अंदर गौशाला का बहुत बड़ा मैदान है और आज उसकी तरक्की में चार चांद लग गये, इतना काम हो रहा है। नगर सुधार न्यास करवा रही है और जिलाधीश भी अपने फण्ड से दे रहे हैं। खूब काम हो रहे हैं। मगर मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक मांग है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी शिवदत्त जबरू बोडा, उन्होंने राजेन्द्रजी राष्ट्रपति थे उनके हाथ से प्राइज लिया है, उस जमाने में खेले थे। मैं चाहती हूं, इस गौशाला का नामकरण उनके नाम से किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेते हुए मैं मेरी बात एक शेर से प्रारम्भ करता हूं-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

''शुक्रिया अहले हुकूमत मेहरबानी आपकी,
जनता समझती जा रही है हेरा-फेरी आपकी,
हम भला ओढ़े-बिछाएं या लपेटें, क्या करें?
बिन पैसे सरके नहीं, कोई भी फाइल आपकी।''

माननीय सभापति महोदय, यह शेर अपने आप में पर्याप्त है कि यह सरकार किस तरह का काम कर रही है। मैं भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री और चहुंमुखी प्रतिभा के धनी नगरीय विकास मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आईना में इन्होंने लिखा था कि जे.डी.ए. हमारा एक ब्रैंड नेम हो गया है। सही कहा इन्होंने, जे.डी.ए. एक ब्रैंड नेम हो गया है। जे.डी.ए. एक ब्रैंड नेम हो गया है गरीब को कसकर उसकी जमीन औने-पौने एक दलाल की भूमिका बनाकर अपने आदमियों को बिकवाने का। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया है कि इन्होंने जे.डी.ए. जैसी संस्था को ब्रैंड किया है भ्रष्टाचार से, यह अपने आप में एग्जाम्पल है। यह बात कर रहे थे, कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया, मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन साल आपके पास राज था, कानून आपके हाथ में था। अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे, कहां गयी आपकी पुलिस, कहां गया आपका डिपार्टमेंट, कहां गये आपके मंत्रीजी? लेकिन आपके मंत्रीजी को यह फुर्सत नहीं कि 90-बी का हिसाब कब होगा, कौन लेगा, कहां लेगा, कैसे करेगा । मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता और न आरोप लगाना चाहता, माननीय सभापति महोदय, जे.डी.ए. की स्थिति यह है कि 90-बी होने के बाद हर वीक में हिसाब होता है। कितनी बीघा जमीन का हुआ, कितने रुपये लगे, कितने रुपये आये और रुपये कहां बंटते हैं, मंत्रीजी जानते हैं इस बात को, यह मैं नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जे.डी.ए. ने किस कदर इस जयपुर के अंदर जमीनों के भाव बढ़ाये हैं। आईना में यह भी छपा था माननीय मुख्य मंत्री महोदय की प्रशस्ति के अंदर, कि आज ठेले वाला, पान वाला भी जमीनों के भाव पूछता है। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि जयपुर के अंदर एक सामान्य आदमी मकान नहीं ले सकता। क्या जे.डी.ए. भूमाफिया है ? अभी जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि जे.डी.ए. ने इतना पैसा कमाया। जे.डी.ए. कोई एजेन्सी है क्या पैसा कमाने की ? जे.डी.ए. बनाया गया था गरीबों को सस्ता मकान दिलाने के लिये।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

जे.डी.ए. वह काम नहीं करके, जमीन बेचकर मुनाफा कमाकर यह दिखाना चाहती है कि हम नफे में हैं। जो सरकार आपकी लोकतांत्रिक सरकार है, जन हित की सरकार है, उसका काम यह है ? यू.आई.टी. किसलिये बनी थी? यू.आई.टी. बनी थी गरीबों का काम करने के लिये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि तीन साल में किसी भी यू.आई.टी. में नियमन हुआ? कृषि भूमि में नियमन हुआ, कच्ची बस्ती का नियमन हुआ आपने पहले कहा था, हम नियमन के कानून बदलेंगे। कानून बदले? आपने कानून नहीं बदले। आपने यह बदला कि जो 500 मीटर की जमीन जिले में होती थी लैण्ड चेंज, वह आपने बना ली जयपुर में। जयपुर में कहां बना ली? अभी अख़बार में न्यूज आई थी, इसका फैसला सी.एम. करेंगी। वह कौन बदलेगा? मंत्री महोदय बदलेंगे या सी.एम. बदलेंगी? क्या हम करप्शन को सिंगल विण्डो करना चाहते हैं? यह आपने किया। इसके अलावा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपके विभाग के अंदर आपने भ्रष्टाचार का सिंगल विण्डो कर दिया है। आज जनता बहुत त्रस्त है । आपने हर बड़े शहर के अंदर वहां की जमीन खुर्द-बुर्द करवा दी है। किसान को लुटवा दिया है। अपनी पार्टी के लोगों को और अन्य लोगों को लाभ देने के लिये आपने पता नहीं क्या-क्या किया। सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन चूंकि उन लोगों ने आरोप लगा दिये इसलिए मुझे इतनी बात कहनी पड़ी । मैं बताना चाहता हूं, आप देखिये, इनके यहां देखिये ...(व्यवधान) आप शांति रखिये। अभी क्या हुआ हाउसिंग बोर्ड में, एक बहुत जोरदार बात है। जहां-जहां हाउसिंग बोर्ड की स्कीम बनती है, वहां पर हाउसिंग बोर्ड की स्कीम के बाद, अब मैं फिर नाम लूंगा, हल्ला करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लगाओ तो सही।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): लगा दूं ? हाउसिंग बोर्ड के अंदर वहां के चेयरमैन साहब और कोई व्यक्ति है विशाल नाम का, वे मिलकर वहां जमीन परचेज करते हैं किसानों को दबाकर, कि तेरे यहां स्कीम आने वाली है और उसके बाद उस जमीन को वे मंहगे दामों में बेचते हैं। उसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको। मानसरोवर में 15 हजार वर्ग मीटर जमीन हाउसिंग बोर्ड से डिएक्वायर कराई, कमर्शियल पट्टा लिया और 65 करोड़ रुपये में बेच दी। उसके बाद में भी हम बहुत पारदर्शी हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। राजस्थान का बहुत विकास कर रहे हैं। जबर्दस्त बात है।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(समय : 16.00 बजे)

यही नहीं, इसी के पास 23 बीघा जमीन और की थी एक्वायर जिसकी बोली चल रही है और 188 करोड़ रुपये उसके लग चुके हैं। अब यह तो मंत्रीजी अपने जवाब में बता दें कि ये आरोप झूठे हैं। भगवान करे, झूठे निकलें। यह विशाल कौन है? यह चेयरमैन कौन है? ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इसी काम के लिए नियुक्तियां होती हैं, यह भी देख लें। मुझे कई बार लगता है कि इनके मुख्य सचेतक महोदय ने जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि न शुचिता है और न सफाई है, वो सही साबित हो रहा है। यू.डी.एच. ने तो यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार इस राजस्थान को इतना गर्त में डालना चाहती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, इसके अलावा और देखिये आप। टाउन प्लानिंग जो आज विषय है, बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि टाउन प्लानिंग के काम करने को मंत्रीजी को फुर्सत नहीं है। आज भी टाउन प्लानिंग होता है अरबन इम्प्रूवमेंट रूल्स के आधार पर। टाउन प्लानिंग कहीं भी म्यूनिसिपल एक्ट के आधार पर नहीं बनता है। जो टाउन प्लानिंग बनता है उसकी कोई गाइडलाइन इश्यू की हुई नहीं है। डी.टी.पी., एस.टी.पी., जिसका जो दिमाग है, चलती है वो कर लेता है। जहां भू-माफियाओं से एडजेस्ट हो जाता है, वो जमीन का लैंड यूज जो बना देता है, यह हकीकत है। आज का मैं आपको उदाहरण देता हूं, भीलवाड़ा के अन्दर ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी हुआ। पर उसमें आपत्तियां आयीं लोगों की, वे आपत्तियां ठीक नहीं की गयीं और ड्राफ्ट मास्टर प्लान के आधार पर लैंड यूज चेंज हो रहा है। यदि हमें लैंड यूज मर्जी से चेंज करना है तो यह ड्राफ्ट मास्टर प्लान नाम की जो तलवार है किसान पर क्यों लटकाते हैं हम?

सभापति महोदय, यह मास्टर प्लान इस डिपार्टमेंट के लिए एक ऐसा कमाऊ पूत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने इस विभाग में काम किया है इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, इस विभाग के अन्दर स्थिति यह है कि इस विभाग के अन्दर मास्टर प्लान बनता है उस एरिया का जिसके अन्दर पैरीफेरियल एरिया को काउंट करते हैं आप। अब आप क्या करते हो कि उस मास्टर प्लान के अन्दर पैरीफेरियल एरिया में काश्तकार की जमीन के अन्दर आप सड़क का एक नैटवर्क डाल देते हैं। मेरी जमीन है,

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मैं काश्तकार हूं, उसमें सड़क आ गयी तो कोई होशियार आदमी आया मेरे पास कि तेरी जमीन जा रही है सड़क में, तू मुझे दे दे। मैंने दे दी इनको। ये गये जयपुर, जयपुर आकर जो आपकी लैंड यूज कमेटी है, सभापति महोदय, वो लैंड यूज कमेटी इतनी उस्ताद है कि यू.आई.टी. से पूछे बिना, म्यूनिसिपैलिटी से पूछे बिना और रिपोर्ट लिये बिना वे लैंड यूज चेंज कर देती है। ये कमाएंगे करोड़ों रुपये, मुझे देंगे लाख रुपये। यह आपकी बहुत-बहुत तारीफ है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है।

यह स्थिति यहीं पर खतम नहीं होती, सभापति महोदय, कितना बड़ा मखौल इस डिपार्टमेंट ने राजस्थान की जनता के साथ किया है। अभी कुछ दिनों पहले इनके डिप्टी सैक्रेटरी काक एक लैटर लेकर गये यू.आई.टी. में कि यू.आई.टी. का गठन नहीं हुआ है। अजमेर के प्रकरण में कह रहा हूं कि यू.आई.टी. का गठन नहीं हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी किस को धोखा देना चाहती हैं। चेयरमैन आपने बना दिया, चेयरमैन गाड़ी काम में ले रहा है, स्टाफ काम में ले रहा है, टेलीफोन काम में ले रहा है और सब काम में ले रहा है लेकिन वो यू.आई.टी. के काम नहीं कर सकता है। आपके डिप्टी सैक्रेटरी का लैटर गया हुआ है यूआई.टी. के अन्दर कि यू.आई.टी. का गठन नहीं हुआ है। इतना बड़ा मखौल जनता के साथ, इतना क्रूर मजाक और फिर भी आप कहो हम बहुत बढ़िया आदमी हैं तो आपकी मर्जी है।

सभापति महोदय, यहीं बात खतम नहीं होती है, यू.आई.टी. के विरोध के बाद भी यह सरकार इस स्कीम एरिया से बिना यू.आई.टी. की स्वीकृति के या बिना रिकमण्डेशन के केवल प्राइवेट पार्टी के लैटर पर अपनी कमेटी में आउट आफ एजेंडा प्रस्ताव लेकर जमीन डीएक्वायर कर देती है। कौनसा विकास कर रहे हैं अपन ऐसा? डा. बाहेती को जमीन देकर आप कौनसा विकास कर लोगे? जो जमीन प्राइम लैंड है, अजमेर के अन्दर प्राइम लैंड कह रहा हूं आपसे मैं, वो जमीन कर दी डीएक्वायर, उसके बाद भी कह रहे हैं हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं।

यह सब आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, ये बातें मैं तथ्य से बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इन बातों का जवाब दें।

सभापति महोदय, एक बात और बताता हूं कि आपके पास ...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मेरे को थोड़ा टाइम और दीजिए बोलने के लिए, मैंने चालू किया है अभी तो।

श्री सभापति: आप दो मिनट में कनक्लूड कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं आपसे यह कह रहा था उस बात को लेकर, आप देखिये.....

श्री सभापति: अब वो काल्पनिक है कि वास्तविक है, इनको कहने दो आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप यह देखिये, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लैंड यूज कमेटी को ...

श्री सभापति: यह कह रहे हैं कि काल्पनिक है, मैंने कहा काल्पनिक है या वास्तविक है, कहने दो उनको।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मैं बात काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि नाम रखूं, वो मेरे से मत कराओ आप। आप चाहते हैं आपके मंत्री फंसें? वो वैसे ही फंसे हुए हैं, मेरा यूज क्यों करना चाहते हैं आप? सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मास्टर प्लान के अन्दर लैंड यूज कमेटी को ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपका क्या उपयोग करूंगा ...(व्यवधान) मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि यहां काल्पनिक बात नहीं की जा सकती, अपने नियमानुसार, जब तक आपकी कोई नालेज नहीं हो। आपकी नालेज के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात की जाती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो आपकी नालेज का ही फायदा उठा रहे हैं। जो नालेज आपने गैदर की है ओर जो वक्तव्य आप देते रहते हैं उसी का फायदा उठा रहे हैं। वो ही सेफिशिएंट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो कह रहे हैं कि फंसाना चाहते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जितनी बात मैंने बोली है वो उसमें टेप है, आप मंगा लें और, माननीय मंत्रीजी, उसकी जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किस की जांच कराएंगे मंत्रीजी? मंत्रीजी किस की जांच कराएंगे, काल्पनिक बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डा. बाहेतीजी, महावीरजी तो चाहते हैं कि इन मंत्रियों के नाम यहां पर रिकार्ड पर लाओ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): शिक्षा मंत्रीजी जांच कर लें मंत्रीजी की, ठीक रहेगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, लैंड यूज कमेटी को यह अधिकार तो है कि वो लैंड यूज चैंज करे, पर उसे यह अधिकार नहीं है कि पैसे उनसे वसूल करे। कोई उसका नियम नहीं है, इसके बाद भी लैंड यूज कमेटी दादागीरी के अन्दर पैसे वसूल रही है। 73(क) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि मास्टर प्लान में लैंड यूज जो है उस लैंड यूज के ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, बिलकुल कल्पनाओं के आधार पर, बिना किसी तथ्यों के अनर्गल बोले जा रहे हैं। लैंड यूज कमेटी को अधिकार है, लैंड यूज तो चैंज करे परन्तु पैसे इकट्ठे नहीं करे। किसी मामले में पैसे, कोई तथ्य तो सामने रखें, यह कोई बात थोड़े ही हुई, सभापति महोदय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, रख रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सब्र रखो, सारे तथ्य आएंगे अभी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, मैं रख रहा हूं। मैं रख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन का उपयोग इसके लिए होगा क्या?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं रख रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप किस के पक्ष में बोल रहे हो? (व्यवधान) पक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ में बोल रहे हैं? सारे पक्ष में बोल रहे हो क्या? मदद करना चाहते हो इनकी? क्या कर रहे हो आप?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मंत्री महोदय, एक बात और दखिये आप। आज के अख़बार में पढ़ा होगा आपने, 250 करोड़ का फायदा दे रहे हैं डी.एल.एफ. को इन्टरनेशनल कन्वेन्शन और होटल नीति के लिए। इनके मंत्रीजी ने आपत्ति की है उसके बाद भी डी.बी. की जुर्रत देखिये कि डी.बी. ने प्रस्ताव पास कर दिया कि हम दे देंगे। डी.एल.एफ. चाहती है कि पैसे और कम हों। इसके बाद आप कहते हो कि आरोप का सवाल है। यह आपके सामने रहा एक आरोप, यह लो आप इसका प्रमाण लो। एक यह है आपके, सभापति महोदय ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, समाचार पत्रों के आधार पर आरोप लगाये जा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समाचार पत्रों में कोई चीज छप गयी है उस आधार पर आरोप लगा रहे हैं यह। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): चलो, नहीं लगाऊंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समाचार पत्रों का उद्धरण दिया जा सकता है सदन में?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विज्ञापनों तथा मीडिया के ऊपर आपकी सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, करोड़ों रुपये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): समाचार पत्रों के आधार पर अगर मानते हैं तो आप लोग ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सवाईमाधोपुर में था, किरोड़ी लालजी का आदमकद फोटो छप रहा था ...(व्यवधान) आप तो अख़बार वालों को खूब खुश कर रहे हो और यहां अख़बार वालों की बात करें तो परेशानी होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सरकार का एक पैसा नहीं लगा है, एक पाई नहीं है सरकार की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह नहीं कह रहा, अच्छा काम किया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और आप रो-रो कर मर गये, वहां 50 साल की मांग थी जनता की, भला हो वसुंधराजी का, सांवर मलजी का, यह मांग पूरी हुई है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो कह रहे हैं, अखबारों की तरफ ध्यान देते हो न।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, जनता खुशी मना रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह अखबारों का विरोध क्यों कर रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दर्द हो रहा दिखता है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दर्द तो किस के होगा, जब पता पड़ जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं समाप्त कर रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री महोदय, नाराजगी नहीं है, हमें तो इस बात की खुशी है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, डी.एल.एफ. को जो जमीन यह सरकार दे रही है वह जमीन है 337 करोड़ की, और दे रही है 117 करोड़ रुपये के अन्दर, यह बहुत बड़ा मुद्दा इसके अन्दर है। वो कमर्शियल लैंड है, इनको चाहिए था कि उसको आक्शन करते, उसकी नीलामी लगाते, उसके बाद देते। लेकिन नहीं, केवल एक पार्टी को लाभ देने के लिए यह ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद भी यह कहते हैं कि हम बहुत पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब आप समाप्त करें प्लीज।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं पक्षपात। पुष्कर में नगर पालिका का चेयरमैन जिसने करोड़ों रुपये की जमीन गवर्नमेंट की बेच दी, कलक्टर ने जांच की, कलक्टर ने जांच रिपोर्ट भेजी है एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए, आपका डी.एल. भी गया, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी पार्टी का है। और दूसरी पार्टी के लोगों को ये फट करते हैं।

एक एजेंसी है वियान सिटी, मैं नाम लेना चाहता हूं, वह अजमेर में जमीन बेच रही है बिना 90-बी के। जमीन परचेज नहीं की, वो आज वहां मकान बेच रही है और पैसे इकट्ठे कर रही है। सरकार मूकदर्शक बनी हुई है क्योंकि सरकार की इसमें पार्टनरशिप है, मंत्रीजी की इसमें पार्टनरशिप है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, मंत्रीजी, आप जवाब में यह भी बताइये।

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मंत्रीजी, जवाब में यह भी बताएं कि यह विशाल कौन है और दूसरा कौन है? और मैं उम्मीद करता हूं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर कह रहे हो आप? क्या तथ्य हैं आपके पास, क्या प्रमाण हैं आपके पास?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसके तथ्य हैं मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात हुई, सभापति महोदय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरे पास बहुत तथ्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हर कोई मामले में मंत्रीजी की पार्टनरशिप ...(व्यवधान) यह क्या है, सभापति महोदय? (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास जानकारी है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिना सबूत या बिना आधार के कोई भी इस तरह से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सुनने के लिए बैठे हैं, सभापति महोदय, हम यहां? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, वह अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं ...(व्यवधान) और कह सकते हैं उनके पास जानकारी है तो। आपके पास सबूत है तो आप ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरी जानकारी है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पूरा जयपुर बिक गया ...(व्यवधान) दलाल घाटे में ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सदस्य, जयपुर तो बिक गया, अब राजस्थान को बेचना है ...(व्यवधान) आप अपने जवाब में बताएं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जिस वियान सिटी का जिक्र कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान) या उसकी मैंने कभी शक्ल भी देखी हो ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्री जी, जयपुर तो बिक गया ...(व्यवधान) अब राजस्थान को बेचना है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ...(व्यवधान) तो माननीय सदस्य ...(व्यवधान) मैं यहां पर छोड़ने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपका नाम तो लिया ही नहीं, मंत्री हैं, इन्होंने तो यह कहा है मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय सभापति महोदय, टेबल करवाएं आप ...(व्यवधान) आरोप लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रमाणित हो न, टेबल पर रखवाओ ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं यह कहता हूं माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: ऐसा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

श्री सभापति: जो-जो आरोप लगाये हैं और तथ्यों से परे हैं तो उनको देख लेंगे और उनको कार्यवाही से निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मैंने कह दिया है ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, बैठें आप ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिये आप, विराजिये। टाइम बढ़ाना है, आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री सभापति: विराजें, आसन पैरों पर है।

अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

आप आसन को आदेश कर रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सचेतक महोदय, इस प्रकार से ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये पहले ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री सभापति: आप आसन के आदेश की पालना कीजिये, विराजिये आप। (व्यवधान) एक मिनट समय बढ़ा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजें, अंकित नहीं हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतकजी ने जो प्रस्ताव रखा है आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बंद का समय जो 4.30 बजे है, 4.30 के बजाय 6.00 बजे तक मुख बंद का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज जो मुखबंद का समय 4.30 बजे था उसकी जगह 6.00 बजे तक किया जाए ?

(स्वीकृत)

मुख बंद का समय 6.00 बजे किया गया।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय विपक्ष के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार के सारे मंत्री खड़े हो गये माननीय सदस्य को धमकाने के लिए, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। आप आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, उधर वो चढ़ा रहे हैं, यह कोई कायदे की बात थोड़े ही हुई। विनम्रता दिखाओ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैंने कह दिया है कि कार्यवाही में अगर तथ्यों से परे कोई गलत आरोप लगाया है मंत्री महोदय के ऊपर, तो देख लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इसमें अगर मगर की बात नहीं, इसके अपने यहां पर नियम बने हुए हैं, कोई भी सदस्य सदन में आरोप लगा सकता है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपने यहां नियम हैं लेकिन वह तथ्यों के आधार पर लगाएंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तथ्यों के आधार पर नहीं लगाये तो मैं यह कहना चाहता हूं ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो आरोप लगाये हैं उनके लिए वह क्षमा मांगें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसे थोड़े ही चलेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्रीजी उसमें पार्टनर हैं ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इस प्रकार के जो आरोप लगाये गये हैं या तो वह प्रमाणित करें या माफी मांगें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: इस प्रकार का आरोप लगाया है कि अगर वह पार्टनर हैं तो ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 272 में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसमें यह है कि किसी सदस्य के विरूद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा। बोलते समय पालनीय नियम-किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषारोपण नहीं करेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने क्या कहा है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: आप बिराज जाएं ... (व्यवधान) आप बिराज जाएं ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब वह माननीय सदस्य ने कहा है उसका एंटीसिपेशन यह करेंगे ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: आप बिराज जाएं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैंने कह दिया। आसन से व्यवस्था हो गयी है।

अगर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाये हैं तो ... (व्यवधान) हाउस में लगाये हैं तो ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री सभापति: आप विराज जाएं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): xxx

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री सभापति: माननीय नेता महोदय, आप अपने माननीय सदस्यों को समझाएं, हर कोई सीट से खड़ा हो जाता है, ऐसे आसन की ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बैठ गये, साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सरकारी चीफ व्हिप ने नियमों का हवाला दिया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: नियम 212 ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह नियमों का हवाला तो चौथी, पांचवीं क्लास के लड़कों को पढ़ाने का है। इस सदन में वे परम्पराएं कायम हुई हैं अध्यक्षीय व्यवस्था के द्वारा जो इन तमाम नियमों को सुपरसीड कर जाती हैं। माननीय मंत्रीगण एक आध को छोड़कर सब नये हैं। सब नये हैं पढ़ते हैं नहीं। अध्यक्षीय व्यवस्था माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई ने जो दी थी, वह आप पढ़ लो। वह व्यवस्था पढ़ लो और उसके बाद में आप खड़े होकर

(श्री रामनारायण चौधरी)

बोल देना, हम मान जाएंगे आपकी बात को। माननीय पूनमचन्दजी यह व्यवस्था दी थी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या दी थी ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कि मंत्री के खिलाफ चलते हुए वक्ता कोई आरोप लगाता है तो मंत्री उसी वक्त उसका खंडन कर सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है इसलिये आरोप की परिभाषा में वह नहीं आता। आरोप वह है जो कोई गैर हाजिर हो और वह जवाब देने के लिये अवेलेबल नहीं हो, वह आरोप में आएगा। मंत्री खुद सामने बैठा हो उसको यह नहीं कहा जाएगा कि आपके अन्दर यह खोट नहीं है। अगर खोट नहीं है तो कह दो, मेरे में कोई खोट नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आप लेकर आया करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजिये, सचेतक महोदय ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो व्यवस्था आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कह दें, नहीं है क्या ? तो आप कह दें, नहीं है क्या? (व्यवधान) तो आप कह दो ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने पढ़ी भी है और मैं पूनमचन्दजी के समय मौजूद भी था। उन्होंने जो व्यवस्था दी है वह यह है कि कोई भी माननीय सदस्य जो यहां पर सदन में जवाब देने के लिये उपस्थित है उसको जवाब ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री सभापति: आप विराज जाएं। आप क्यों खड़े हो रहे हो ? आप बैठें ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्योंकि वह यहां पर जवाब देने के लिये उपस्थित हैं उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लगा सकता है तो वह उसी में आता है यह..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन साथ के साथ उन्होंने यह कहा है कि कोई भी माननीय सदस्य यहां पर जो आरोप लगाएगा वे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

काल्पनिक नहीं होंगे। यह भी कहा है कि अखबार के आधार पर नहीं होगा। स्वयं की जानकारी के आधार पर आरोप लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी स्वयं विधायक अभी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो स्वयं, अख़बार नहीं। स्वयं को जानकारी है ...(व्यवधान) वह लगा सकता है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आप सुन लो। उन्होंने यह भी कहा है कि जो माननीय सदस्य अपनी जानकारी और स्वयं जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार है, ऐसा माननीय सदस्य आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो लगा दिया न ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब आप तो भाग रहे हैं। वह तो इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि नहीं, हमने तो यह नहीं कहा। हमारा आरोप नहीं है। हमने तो काल्पनिक आधार पर, अख़बार में है और यह ऐसा जनता में ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जनता में ऐसा इम्प्रैशन पड़ा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप सहित मंत्रिमंडल के सब सदस्य उछलते हैं, उनको मैं कहता हूं कि पूनमचन्दजी ने जो व्यवस्था दी हुई है, रूलिंग दी हुई है वह आप इनको पढ़ा दीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, तो मैं पढ़कर ही सुनाता हूं आपको।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाएं या माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाएं, परन्तु उस आरोप ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री सभापति: सबूत के आधार पर लगाएं आरोप। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सभापति: अब आप विजाएं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। माननीय रामलाल शर्मा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, कर रहा हूं। जो आरोप मेरे पर माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने लगाया, मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, दोनों ही बनाओ कमेटी एक ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जांच कर ले कि मैंने कितनी दलाली की है, यह मेरा आहवान है। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसके साथ-साथ जांच करा लो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने जो बात आपसे यहां पर कही है कि जिस प्रकार से ... (व्यवधान)

आप करवा लो। आप करा लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक। अब आप विराजें ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जिस प्रकार अजमेर ...(व्यवधान) समाप्त कर रहा हूं मैं...

श्री सभापति: आप बिलकुल समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जिस प्रकार अजमेर में वियान सिटी की जमीन बिक रही है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल शर्मा। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सभापति: आप विराज जाएं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री सभापति: आप विराज जाएं, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। कोई अच्छी बात की जरूरत नहीं है। आप विराज जाएं। समय ...(व्यवधान)

आप विराजें। माननीय श्री रामलाल शर्मा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):xxx

श्री हीरालाल (निवाई): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

विराजें माननीय सदस्य। श्री रामलाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज नगरीय विकास की चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज से पहले जहां जयपुर विकास प्राधिकरण वार्षिक

(श्री रामलाल शर्मा)

रूप से 150 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाता था, पिछले तीन साल से जयपुर विकास प्राधिकरण लगभग 350 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवा रहा हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली की आलोचना कर रहे हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर नगर के अलावा आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के शहर हैं उनका विकास कराने में भी कभी पीछे नहीं रहा।

सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अनेक ऐसे कार्य किये गये। फील्ड फायरिंग रेंज के जो प्रभावित किसान थे, वे 1983 से लेकर आज तक संघर्ष करते आ रहे थे कि एक दिन हमारा भी आएगा जिस दिन हमें मुआवजे के आधार पर विकसित भूखंड मिलेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा 1983 से विकसित भूंखडों के लिए संघर्ष करने वालों को जिनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी अनंतपुरा और जैतपुरा के किसान शामिल हैं, विकसित भूखंड देकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके आंसू पोंछने का काम किया है। फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित किसानों को विकसित भूखंड मात्र देकर ही नहीं जयपुर शहर के अंदर जो कई माननीय सदस्यों ने भी चिंता प्रकट की कि कच्ची बस्तियों के अंदर कई अपराध करने वाले व्यक्ति रहते हैं, उनको जयपुर शहर से हटाकर ताकि जयपुर शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, उनको बाहर पालड़ी मीणा वाले क्षेत्र के अंदर बसाकर जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने का काम जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है।

(समय : 16.32 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आज पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण में यह महसूस हो रहा है कि आम आदमी की सुनवाई हो रही है, उसकी समस्या का समाधान हो रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे कामों में भी तकनीकी रूप से गुणवत्ता को जांचने के लिए गुणवत्ता प्रकोष्ठ बनाया गया है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार पांच साल का शासन करके गयी थी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जयपुर विकास प्राधिकरण की यह स्थिति थी कि वहां पर विकास के नाम पर ओवरड्राफ्ट का बहाना बनाकर एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ करते थे। लेकिन पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने साधन जुटाते हुए जयपुर का समग्र विकास करने

(श्री रामलाल शर्मा)

के लिए पैसा इक्टठा करके जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर की परिधि में काम किया है।

सभापति महोदय, आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। कांग्रेस के राज में जिन सिवाय चकों और गोचर जमीनों पर कब्जे हुआ करते थे, अतिक्रमण हुआ करते थे, पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण ने पहल करते हुए उन अतिक्रमियों को बाहर करके अपना लैंड बैंक बनाकर लगभग 60 हजार बीघा सरकारी भूमि को अपने अधिकार में लेते हुए वहां पर आवासीय, व्यावसायिक भूखंडों को काटकर योजना बनाने का काम किया है।

सभापति महोदय, आलोचना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पद पर रहते हुए, इच्छा शक्ति रखते हुए काम करें उनकी बड़ाई भी करनी चाहिए। हम सबको निश्चित रूप से एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, दोनों पक्ष देखकर बात करनी चाहिए। आज की स्थिति में जयपुर शहर की पापुलेशन जिस गति से बढ़ रही है, उस पापुलेशन के आधार पर सुविधाएं किस तरीके से हम उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी योजनाएं भी बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन दो-चार सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी सिवाय चक और गोचर जमीन थी, वह आज जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, छोटी-छोटी कास्ट के लोग हैं। गांव में रहने वाले नाई, गांव में काम करने वाले धोबी, गांव में काम करने वाला खाती, जो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं। ग्राम पंचायतों की जमीन, चाहे सिवाय चक हो या गोचर हो, उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को योजना बनाकर 20 प्रतिशत आरक्षित कर दें ताकि उस गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को ग्राम पंचायत नि:शुल्क आबंटित कर सके। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो योजनाएं बनती हैं, उनमें कम से कम 20 प्रतिशत जमीन आरक्षित की जाए।

सभापति महोदय, एक और सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिन जमीनों को विकसित करने का काम जयपुर विकास प्राधिकरण करता है, सभी क्षेत्रों के अंदर सुविधाएं भी अभी उपलब्ध नहीं हैं। आने वाले समय में उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चाहे स्कूल खुलें, चाहे हास्पिटल खुलें, चाहे अन्य सरकारी कार्यालय खुलें, उनके लिए भी जमीन आरक्षित करने की नितांत

(श्री रामलाल शर्मा)

आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैतपुरा गांव है, उसके अंदर मात्र चार बीघा जमीन के प्रस्ताव तैयार करके जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये हैं, उस चार बीघा जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए रिजर्व करने का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जितने भी नगर को विकसित करने के काम होते हैं उनके पूरे प्लान तैयार होने चाहिए। ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में जो भी जयपुर विकास प्राधिकरण काम करवाता है, उनका तकनीकी रूप से पूरा प्लान उन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में उपलब्ध रहे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता काम करते हैं और वे साल, दो साल के अंदर स्थानांतरित होकर के चले जाते हैं तो वर्तमान समय में काम करने वाले सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को यह पता नहीं रहता है कि पानी की पाइप लाइन किधर से डाली हुई है, पुरानी बिजली की लाइन किधर से डाली हुई है और पुराने क्षेत्र में सीवर की लाइन या पाइप लाइन कहां डाली हुई है, कहां पानी की निकासी की व्यवस्था की गयी है। इसलिए जो भी विकास के काम होते हैं उनकी डी.पी.आर. के माध्यम से एक प्रोजेक्ट फाइल प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में, पंचायतों में भी उपलब्ध रहे ताकि भविष्य में होने वाली समस्या यदि कोई होती है, तो उसको देखकर उनका निदान किया जा सके।

सभापति महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि नगर पालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि पर जो कालोनियां बसी हुई हैं, वहां शिविर लगाकर उन कालोनियों का नियमन किया जाना चाहिए। उन कालोनियों को बसे करीबन 20-25 साल हो गये, कालोनियां कौन काटकर गया था उसका भी अता-पता नहीं है और जब जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बात की जाती है तो जिसने कालोनी काटी है उस कालोनाइजर के माध्यम से फार्म लगाकर नियमन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कई कालोनियां तो ऐसी हैं जिनको काटने वाले का पता ही नहीं है। इसलिए यदि जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा प्लान तैयार करके कृषि भूमि पर स्थित ऐसी कालोनियों का नियमन किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोगों को उसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सा क्षेत्र है जिसमें एक नगर पालिका क्षेत्र और दो पंचायतें आती हैं, जे.डी.ए. ने वहां इतने काम किये हैं कि लगभग आठ करोड़ के विकास कार्य करवाये हैं और चार करोड़ के अभी भी चल रहे हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

यदि चौमूं नगर पालिका क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सीवरेज पाइप लाइन डाली जाती है तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम सीवरेज की घोषणा चौमूं के लिए अपने उत्तर के अंदर वह निश्चित रूप से करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं चाहे स्कूल हों, चाहे हॉस्पिटल हों, इनके बारे में आपको नीति तय करने की आवश्यकता है। जब हम लिखकर देते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी जगह का प्रस्ताव है कि स्कूल खुलेगी, स्कूल के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखकर देते हैं, तो वह कहते हैं कि आपका आबंटन इतने करोड़ में किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, एक स्कूल को आबंटन के लिए करोड़ों रुपयों की राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है। कोई जमा नहीं करवाता है तो फिर दूसरा लैटर देना पड़ता है कि आबंटन नि:शुल्क किया जाए। फिर उसके अंदर लीज राशि लिख कर दी जाती है कि आबंटन राशि निरस्त की जाती है, लीज राशि आप जमा करवाओ। माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक उपक्रमों में लीज राशि भी जमा नहीं करवा सकते। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरे राजस्थान के लिए एक नीति ऐसी बननी चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रमों के काम आने वाली जगह का आबंटन चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण करे चाहे यू आई टी करे, चाहे नगर निगम करे, वह नि:शुल्क आबंटन होता है उसमें प्रक्रियागत देरी लगती है।

मेरे एक अणतपुरा ग्राम पंचायत है, आज ढाई साल हो गए उसमें एक स्कूल को खुले हुए, बार-बार लैटर देने के बावजूद अभी भी जब सम्पर्क किया जाता है तो कहते हैं कि फाइल सरकार के पास भेजी हुई है, जब आपका नि:शुल्क आबंटन होगा, नि:शुल्क लीज राशि की जाएगी उसके बाद में आपको नक्शा और उसका आबंटन लैटर दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सार्वजनिक उपक्रम के काम आने वाली जगहों के लिए जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर कई योग्य कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने लगभग 8 या 10 साल की सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं को खुद जयपुर विकास प्राधिकरण भी मानता है कि इन

(श्री रामलाल शर्मा)

कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, मेरा निवेदन है कि प्रतिनियुक्ति पर आए हुए कर्मचारियों के बाद भी उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है जबकि वहां पर काम करने वाले सक्षम कर्मचारी हैं, उनको निश्चित रूप से पदोन्नति दी जानी चाहिए। पिछले कई वर्षों से पैंडिंग पदोन्नति का काम जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है, निश्चित रूप से उसके लिए मंत्रीजी और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो पदोन्नति के हकदार कर्मचारी हैं उनको भी पदोन्नति देकर उनका उत्साहवर्द्धन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं ज्यादा कुछ निवेदन नहीं करते हुए एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, 55 किलोमीटर की दूरी है, मेरे चौमूं से दो किलोमीटर दूरी पर नेशनल हाइवे पर एक गांव है टांटेड़ा, वह छूट गया है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव को भी उस सूची में शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सुख-सुविधाएं हम दे सकें, इसके लिए हमें पूरे प्लान के साथ काम करने की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: प्रोफेसर बीरू सिंहजी राठौड़।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रतापसिंहजी सिंघवी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 50 सालों के इतिहास में पहली बार जयपुर शहर को एशिया में नम्बर सात पर रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र अजीब तरह का है इसलिए मैंने आजकल इसका नया नाम रख दिया है, बनीपार्क उर्फ चम्बल का बीहड़। 11 लाख लोगों की आबादी है इसके अंदर, 5 लाख 8 हजार इसके अंदर मतदाता हैं, नगर निगम के 70 में से 20 वार्ड हैं, लगभग 5 हजार कालोनियां हैं, 40 कच्ची बस्तियां हैं, 12 गांव और 40 ढाणियां हैं, इतना विशाल मेरा विधान सभा क्षेत्र है। जयपुर का लगभग 45 प्रतिशत इलाका इस विधान सभा क्षेत्र में आता है। इसकी मुख्य-मुख्य बातों की आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी और अब तीन साल

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

हो गये इस स्टेट गवर्नमेंट को, इन तीन सालों में इस क्षेत्र की क्या स्थिति बनी है। सूर्यनगर, तारों की कूंट, दुर्गापुरा, मानसरोवर, मालवीय नगर, टौंक फाटक, बरकत नगर, महेश नगर, करतारपुरा, गुर्जर की थड़ी, श्याम नगर, लालकोठी योजना, स्वेज फार्म, सी स्कीम, सिविल लाइन्स, हसनपुरा, सोढ़ाला, वैशाली नगर, पृथ्वीराज नगर, खातीपुरा, झोटवाड़ा, निवारू रोड, नांगल जैसा बोहरा, चरण नदी, मुरलीपुरा, आदर्श नगर, आनन्दपुरी, राजापार्क, इतना विशाल विधान सभा क्षेत्र, इस विधान सभा क्षेत्र की स्थापना 1967 में हुई थी और लगभग 40 साल हो गये इस विधान सभा क्षेत्र को बने हुए। अब तक इस बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र से बी जे पी के मात्र दो ही विधायक रहे हैं, बाकी सालों में कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मैं किसी भी विधायक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने जमीनें खरीदीं, सोसायटी बनाई, प्लाट काटे, भू-माफिया के साथ मिलीभगत की और पूरे बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र को बेच खाया, जितने भी मैंने नाम यहां लिए हैं उन कालोनियों को लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं इस 3 साल के कार्यकाल में जितने भी जे.डी.सी. रहे हैं उन सब का विशेष तौर से आभारी हूं- माननीय थानवी साहब, उसके बाद माननीय पवार साहब, फिर जगदीशचन्द्रजी कातिल, फिर माननीय गुप्ताजी, इन सब लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिला। कमल के फूल का मतलब है, कंसेप्ट आफ डवलपमेंट, विकास की अवधारणा और हाथ चुनाव चिन्ह का मतलब है, जेब में हाथ डालो, चोरी करो और उस पैसे को वापस जेब में डालो। मैं यहां भ्रष्टाचार की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इस अवधारणा के कारण से पिछले तीन सालों में अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से 1 अरब 51 करोड़ रुपए, इतना तो आपके अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंटों का साल भर का बजट भी नहीं नहीं होगा, आप चाहें तो मैं इन पूरे आंकड़ों को टेबल कर सकता हूं, एक-एक कालोनी का, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 हजार कालोनियां हैं, उनमें इतने विकास के काम किये गये हैं कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। 1 अरब 51 करोड़ रुपये की पूरी डिटेल तो अभी नहीं बताना चाहूंगा लेकिन विशेष तौर से जो काम हैं, वे हैं- सड़कों का काम, सीवरेज का काम, पार्कों का विकास, 4 आर ओ बी का निर्माण, हसनपुरा पुल। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह द्रोपदी का चीर बन गया है, इसका आप समाधान करें ताकि इसके आसपास के मेरे जो 6-7 वार्ड हैं उनको यातायात की सुविधा हो जाए। टौंक रोड का सौन्दर्यीकरण दस करोड़ की लागत से किया गया है। माननीय

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

मंत्रीजी, मेरा सुझाव है कि इसमें जितना भी आपने पैसा लगाया है, विज्ञापन के लालच में नहीं आएं और इन लाइटों पर जितने भी विज्ञापन लगे हैं उनको आप तत्काल हटाएं। किसी प्रकार के आपने टेंडर दिये भी हैं तो उनको निरस्त करें, इससे सारा सौन्दर्यीकरण समाप्त हो रहा है।

इसके बाद झोटवाड़ा और मुरलीपुरा क्षेत्र की 258 कालोनियों में सीवरेज का काम चल रहा है, यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। अभी जो नया बजट आया है उसमें ऐसी कालोनियां जो जयपुर विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड हैं, 322 कालोनियों में सड़कों का काम चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर हमने नया प्लान चालू किया है। इससे आम पब्लिक को काफी हैल्प मिल रही है। सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया गया है, सर्किलों और चौराहों का सौन्दर्यीकरण किया गया है, विद्युत का काम किया है। मुरलीपुरा में एक वार्ड पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जितनी भी सैक्टर रोड हैं, उनका काम हो रहा है, उसके लिए मैं जयपुर विकास प्राधिकरण का धन्यवाद करना चाहूंगा। एच टी और एल टी लाइनों को भूमिगत किया गया है। इसके अंदर भी जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। नालों का निर्माण किया गया है। सिरसी रोड पर मूर्तिकला नगर योजना का विकास किया गया है। ऐसे ही अनेक प्रकार के काम जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, विकास का दूसरा डिपार्टमेंट है नगर निगम। पिछले तीन सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र के 20 वार्डों में, मैं माननीय अशोकजी परनामी, महापौर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जितने भी पार्षद हैं, चाहे वे कांग्रेस के पार्षद हों चाहे बी.जे.पी. के पार्षद हों, मेरा सभी से तालमेल है, सभी मेरे से मिलते हैं, सब लोग मुझे प्रपोजल बनाकर देते हैं, मैं स्वयं भी प्रपोजल बनाकर देता हूं, पिछले तीन साल में 9 करोड़ रुपये के काम अकेले नगर निगम के माध्यम से किये गये हैं। इसमें सड़कों का निर्माण, सीवरेज निर्माण, नालियों का निर्माण, पार्कों का विकास, श्मशानों का विकास, विद्युत लाइनों का विकास, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, नालों का निर्माण किया गया है। एक संस्था जिसके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी काम हुए हैं, आर यू.आई.डी.पी., लगभग 38 करोड़ रुपये के काम इसके माध्यम से हुए हैं। इसमें सड़कों का निर्माण, सीवरेज लाइन का निर्माण, पुलियाओं का निर्माण मुख्य है।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

मानीय सभापति महोदय, आवासन मण्डल के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास के कई काम किये गये हैं। पिछले तीन साल में ढाई करोड़ रुपये के काम किए गए हैं जिनमें सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण मुख्य है। इसके जो चेयरमैन हैं माननीय अजयपाल सिंहजी, उनका भी मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर के लिए एक विशेष योजना चालू की है। पूरे जयपुर में 70 वार्ड हैं उन 70 वार्ड में से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12 वार्डों का चयन किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का वार्ड नम्बर 9 और मेरे विधान सभा क्षेत्र का वार्ड नम्बर 33, भी इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। मुझे प्रसन्नता भी है और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन साल में डेढ़ करोड़ का काम मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर किया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो हमको आब्जैक्ट तय करना पड़ता है कि उस संस्था का आब्जैक्ट क्या है। उस आब्जैक्ट को प्राप्त करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है-फिजिकल रिसोर्सेज एण्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब तक भौतिक संसाधन विकसित नहीं होंगे हम किसी भी प्रकार के काम नहीं कर सकते। यह पूरा विधान सभा का परिसर है इसको मैं फिजिकल रिसोर्सेज के नाम से पुकारता हूं। यह आपका पंखा है, ये आपकी कुर्सियां हैं, यह आपकी टेबल है, यह कंप्यूटर है, जब तक ये भौतिक संसाधन डवलप नहीं होंगे आपका विकास नहीं होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय वसुंधराजी और माननीय प्रताप सिंह सिंघवी ने 400 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराये हैं। कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा-महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, मुस्लिम मुसाफिरखाना, बनीपार्क के इतिहास में इस बीजेपी के विधायक ने 6 लाख रुपये दिये और पिछले 40 साल में एक भी कांग्रेस विधायक ने इस मुस्लिम मुसाफिरखाने के अंदर पैसा नहीं दिया है, केवल आपने वोट प्राप्त किया है। रामनिवास बाग़, पांच करोड़। सवाई मानसिंहजी की मूर्ति स्थापना, वह दृश्य मुझे आज भी याद है जब माता गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गये थे, ऐसा भावुक दृश्य था। कांग्रेसी मित्रों ने 5 साल तक उस फाइल को दबाये रखा

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

और जयपुर की सारी जनता के साथ आप लोगों ने विश्वासघात किया। इसके बाद में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जेके लोन अस्पताल, सेंट्रल पार्क, जेडीए परिसर, नगर निगम परिसर, विधान सभा परिसर, किसान भवन का निर्माण, लाल कोठी, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जन पथ पर अमर जवान ज्योति, सचिवालय परिसर, मुख्य मंत्री कार्यालय, कृषक भवन, हाई-कोर्ट का परिसर, अपैक्स को-आपरेटिव बैंक, वैशाली में सहकारी भवन, जयपुरिया अस्पताल, न्यू आतिश मार्केट की मानसरोवर में स्थापना। मानसरोवर में 50 करोड़ की लागत से एक अस्पताल का निर्माण, अन्तरराष्ट्रीय बस टर्मिनल 500 करोड़ रुपये। खोल के हनुमानजी, हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता है, जयपुर ग्रामीण में आता है, 25 करोड़ की लागत से इस मंदिर का विकास किया जा रहा है। इतने विशाल संसाधन माननीय प्रताप सिंहजी सिंघवी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उपलब्ध कराये हैं, यह लगभग 900 करोड़ के आसपास आता है, इसके लिए आप सब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

मेरे दो-तीन सुझाव हैं। इस हिन्दुस्तान को आजाद कराने में और इस हिन्दुस्तान की रक्षा करने में सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने बांग्लादेश बना दिया, उस बांग्लादेश की जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त की उस व्यक्ति का नाम है जनरल सगत सिंह, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी के अंदर सिपाही थे, खातीपुरा सर्किल पर इनकी मूर्ति लगायी जाए। झोटवाड़ा में दुर्गादास राठौड़ जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं, इनकी भी मूर्ति लगाया जाए। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत, जो उप राष्ट्रपति हैं, राजपूतों में शेखावत भी होते हैं, अम्बाबाड़ी सर्किल पर एक राव शेखाजी की मूर्ति लगायी जाए, सारे के सारे राजपूत आपको बधाई देंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नम्बर 3 में चित्रकूट स्टेडियम है, अगर इसका नाम प्रताप स्टेडियम कर दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अमानीशाह नाला आता है, 50 हजार परिवार उससे प्रभावित हैं, आप इसका निर्णय लें, उनको बसाएं और उनकी समस्या का समाधान करें।

इसके अलावा एक सुझाव मैं आपको और भी देना चाहूंगा। जयपुर के अंदर ऐसी कम से कम 500 सोसाइटियां हैं जिन्होंने आज तक जेडीए में कोई रिकार्ड जमा नहीं कराया। पता नहीं, 100 साल में उनका नियमन होगा या नहीं। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि आप इनके बारे में

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

कोई पालिसी बनाएं और जिन सोसाइटियों ने रिकार्ड जमा नहीं कराया है उसका आप विकल्प दें ताकि उन लोगों का भी कैम्प लगाया जाए और पट्टे मिलें। आपको इस बारे में सहयोग करना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी, जयपुर में जितने भी पार्क हैं और जितने भी आपके सुविधा क्षेत्र हैं, पुरानी तारीख में सोसाइटी द्वारा उनको पट्टे दिये जाते हैं, पार्कों पर कब्जे हो रहे हैं, सुविधा क्षेत्र में कब्जे हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार आपका 900 करोड़ का बजट है, जितनी भी खाली जमीन है कम से कम दो-दो, तीन-तीन फुट बाउण्ड्रीवाल बना दें तो आपके पार्क भी बच जाएंगे, सुविधा क्षेत्र भी बच जाएंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, नमस्कार, भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा।

एक माननीय सदस्य: सच बोलना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं सच बोलूंगा, लेकिन आपको सच नहीं लगेगा। मैं सच ही बोलता हूं, लेकिन सच इतना कड़वा होता है, राठौड़ साहब, आपको ठीक नहीं लगता।

श्री सभापति: Will you restrict yourselves to 10 minutes?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सत्य के लिए एक नियम है, ''सत्यम् ब्रुयात, प्रियम् ब्रुयात, न ब्रुयात अप्रियम् सत्यम्।''

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं कभी-कभी आपके द्वारा उठाये गये कदमों से प्रभावित होकर थोड़ा कड़वा हो जाता हूं। सम्मानननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कहना चाहता हूं ''सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, त्रिया तेल, अबीर हठ, एक बार ही चढ़ते हैं।'' तो ये सिंह वचन हैं, अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सम्माननीय सभापति महोदय, नगरीय विकास पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, मैं सबसे पहले राजस्व की डिमाण्ड पर जो कि किसानों के हित का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसके संबंध में कुछ बात निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद यह राजस्थान ही है जहां मोहनलाल सुखाड़ियाजी के नेतृत्व में, जयनारायणजी व्यास के नेतृत्व में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किसानों के हित में जितने भी कानून बने, उसके बाद आने वाली सरकारों ने उतनी गंभीरता से और उतने तरीके से काम नहीं किया जो राजस्थान में उस समय आजादी के बाद इतिहास कायम हुआ। चाहे वो जागीर रिजम्पशन एक्ट हो, चाहे वो टिनेंसी एक्ट हो, चाहे वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे सीलिंग के संबंध में कानून, जितने भी मुख्य-मुख्य कानून थे जिसके अंतर्गत किसानों को खातेदारी अधिकार दिये गये, किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, जागीरदारों को मुआवजा सरकार ने दिया, किसानों को बिना पैसे-कौड़ी के मुफ्त में उनका मालिक बनाया गया, यह राजस्थान की वही कांग्रेस की सरकार थी जिसने किसानों के हित में पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और किसानों को भूमि का मालिक बनाया। मैं चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह पद दिया है वह यह मानकर दिया है कि आप किसानों के हित में कोई ऐसी अमिट छाप छोड़ेंगे जिसे राजस्थान का किसान और राजस्थान की जनता याद करे। केवल मात्र गाड़ी में बैठकर आना, अपने दफ्तर में जाना, फाइलों पर दस्तख्त करना, वापस घर आ जाना और पत्रों के जवाब में दिखवाने का पत्र लिखना, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको अपनी योग्यता के आधार पर, किसानों के हित के आधार पर जो मंत्री बनाया गया, आप ऐसी अमिट छाप छोड़ें कि राजस्थान की जनता याद करे कि या तो किसी जमाने में जयनारायणजी व्यास, मोहनलालजी सुखाड़िया, ने व्यापक संदर्भ में काम किया था या रामनारायणजी डूडी राजस्व मंत्री बने जब कोई काम हुआ था। लेकिन अब तक इन तीन साल गुजरने के बाद आप कोई कारगर कदम उठा रहे हों, ऐसा आम जनता व किसानों को आपने महसूस नहीं कराया। मेरा विनम्र अनुरोध है, आप इस मामले में पहल कर किसानों के हितों की बात करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार की खाल, दरड़े, बरड़े किस्म की, पठार किस्म की

(समय : 17.00 बजे)

जमीन है और लाखों हैक्टेयर है। केवल मात्र मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में एक लाख 8 हजार बीघा जमीन इस किस्म की है जिसमें करीब 10 हजार बीघा जमीन पर किसान खेती करते चले आ रहे हैं वर्षों से, लेकिन आपके अलाटमेंट रूल्स में यह प्रावधान है कि इस किस्म की जमीन पर किसानों को आबंटन नहीं होगा। लगातार तीन सालों से विधान सभा में आपका ध्यान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आकर्षित किया जा रहा है, जिला कलक्टर के यहां से सविस्तार रिपार्ट आ गई कि हां, यह 8 हजार बीघा, 10 हजार बीघा जमीन ऐसी है, केवल हिण्डौली तहसील में। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, हिण्डौली में। लगातार उन किसानों को सजाएं हो रही हैं उनको जुर्माना किया जा रहा है, उनसे पैनल्टी ली जा रही है। जिला कलक्टर के द्वारा प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी और मेरे द्वारा 5, 6, 7 पत्र लिखने के जवाब में आप कार्यवाही को दिखवा रहे हैं, आज तक आपके इस कार्यालय में उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज भी वे किसान जेल की सज़ा और यातनाएं भुगत रहे हैं और उनका अलाटमेंट भी नहीं हो रहा है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ ही, कि कुछ लोगों को बूंदी जिले में ही नहीं बल्कि अन्य जगह में भी जो लैण्ड अलाटमेंट हुआ था उस समय वहां मीडियम एण्ड माइनर इर्रिगेशन प्रोजैक्ट नहीं बने थे, न उनकी घोषणाएं हुई थीं। उन किसानों को लैण्ड अलाटमेंट हो गया, उनको गैर-खातेदारी अधिकार दे दिये गये। उसके 5, 6 और 7 साल बाद उस एरिया में माइनर इर्रिगेशन का या मीडियम इर्रिगेशन का प्रोजैक्ट हो गया। उनको आज तक आप खातेदारी अधिकार नहीं दे रहे हैं। उन्हें खातेदारी अधिकार देने की एवज में अब आप यह कहने लगे हैं कि चूंकि उसमें इर्रिगेशन प्रोजैक्ट हो गया इसलिए आज का जो मूल्य है, जो उस प्रति बीघा का तय किया है, 15 हजार या 16 हजार रुपये बीघा या 10 हजार बीघा का, वह दो तो हम खातेदारी अधिकार आपको देंगे। नहीं तो आप गैर-खातेदारी अधिकार में ही दे दो। और उनको क्या था? जब वहां पर माइनर इर्रिगेशन प्रोजैक्ट नहीं था, जब उनको अलाटमेंट किया, उन्हें गैर खातेदारी तो स्वत: ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज की तारीख में भी किसानों को इस प्रकार परेशान किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्रीजी, कि इसी प्रकार नैनवां और हिण्डौली और इसके अलावा भी पूरे राजस्थान में अनेक भागों में इर्रिगेशन प्रोजैक्ट बनाने से पूर्व उनको लीजदारी की जमीन दे दी, लीजदारी की जमीन देकर उनको लीजदार बना दिया। लीजदार बने उनको 25-30 साल हो गये, बल्कि 35 और 40 साल हो गये, अब जब उन लीजदारों को खातेदारी नहीं मिलेगी तो न तो उनको लोन मिलेगा, न उनको खातेदारी अधिकार के तहत जो उनकी योजना है, वह पूरी होगी। न वह बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

न वह किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। लगातार राज्य सरकार से, आपसे, और सरकारों से निवेदन किया जाता रहा कि उनको आप खातेदारी अधिकार दो, तो आपने कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 या कुछ में कह दिया कि आज की तारीख में जो उस एरिया का मूल्य है वह जमा कराओ तब आपको खातेदारी अधिकार देंगे। यह उन किसानों के साथ सरासर अन्याय है। हां, अगर आपको पैसा लेना है तो जिस समय उनको लीजदार बनाया, उस समय आपकी प्रति बीघा जो दर थी, उसका आज तक आप ब्याज ले लीजिए, ब्याज लेकर उनको खातेदारी अधिकार दीजिए। उस समय रेट थी 45 रुपये बीघा, उस समय रेट थी 50 रुपये बीघा। आज की तारीख में है 10 हजार रुपये बीघा। आप 10 हजार रुपये से उसको चार्ज करके ब्याज समेत चूकना चाहते हैं? यह किसानों के साथ आपकी सरकार का घोर अन्याय है। इस प्रकार से उन किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, वह अन्याय काबिले बर्दाश्त नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार जो आपने पटवारियों के पद समाप्त कर दिये ...(व्यवधान) अब तो आपको करना है न। पटवारियों के पद समाप्त हुए, पटवारियों के पद समाप्त होने के बाद इर्रिगेशन का जो चार्ज था उसकी डिमाण्ड देना आपने बन्द कर दिया। 4 साल हो गये, उनको कोई डिमाण्ड नहीं दी। अब 4 साल बाद बिना डिमाण्ड दिए हुए, यह तो समझ में आता है कि आप उनके इर्रिगेशन चार्जेज के जो पैसे बनते हैं, वह लें। लेकिन 4 साल से बिना डिमाण्ड दिए हुए आज की तारीख तक का जो उनसे मय ब्याज के आप वसूल कर रहे हैं और जितना इर्रिगेशन चार्ज है उससे दुगना और तीन गुने का पैसा उनका बनता जा रहा है। यह किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी प्रकार से जिन किसानों की 5 बीघा, दो बीघा, एक एकड़, दो एकड़ जमीन है, समीपवर्ती जमीन है, आपने उनको अलाटमेंट कर दिया। अलाटमेंट करने के बाद में जो वहां के अलाटमेंट की रेट थी, वह आपने ले ली, उनको खातेदारी अधिकार दे दिये। इसके बाद आप उनको एक ऐसा नोटिस पकड़ा रहे हैं कि नहीं, हमसे तो गलती हो गई, आपसे वहां की जो प्रति बीघा की सिंचाई की दर थी, वह ली है, आपसे तो उस जमीन की मार्केट रेट से हम पैसा लेंगे। मार्केट रेट जो डीएलसी की तय कर रखी थी, जो वहां पर प्रिवेलिंग

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रेट तय कर रखी है रजिस्ट्रेशन की, आप यह कह रहे हैं कि हम तो उससे पैसा लेंगे। पैसा जमा होने के बाद, उनको खातेदारी के अधिकार मिलने के बाद, आपकी तहसील के करीब 50 और 60 किसानों को एक आदेश पकड़ा दिया कि यह तो आपको हमने अलाटमेंट किया है, इसमें हमने आपसे कम पैसा लिया है, आप इसका पूरा पैसा जमा कराओ और मार्केट रेट जमा कराओ। सरकार की और विभाग की यह न्यायसंगत बात नहीं है।

इसी प्रकार लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जहां पर किसानों को जमीन अलाट हो गई, उनको भी गैर-खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है। एक बड़ी समस्या यह है कि लैण्ड अलाटमेंट हुआ और लैण्ड अलाटमेंट होने के पश्चात् वहां पर कब्जा दिया गया। हुआ क्या कि कब्जा तो दे दिया दूसरे खसरा नम्बर में और अलाटमेंट कर दिया दूसरे खसरा नम्बर पर। एक नहीं, एक ही गांव में सौ-सौ, पचास-पचास ऐसे किस्से हैं कि कब्जा तो दूसरी जमीन पर, अलाटमेंट दूसरी जमीन का। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिला कलक्टर को कोई भी तरीके से निर्देश प्रदान करें कि वह मौके पर पटवारियों को भेज कर मौके पर कब्जे के आधार पर नम्बर परिवर्तन कराने के लिए जो भी कोई वैधानिक कार्यवाही हो, वह वैधानिक कार्यवाही शीघ्र कर ताकि उन लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

इसके अलावा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में प्रोविजन है, और प्रोविजन यह है कि जो ट्रेस-पासर होगा उससे 50 गुना लगान लिया जाएगा और अगर कंटीन्युएशन में वह है तो उसको तीन महीने की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन बूंदी जिले में एक ऐसा अन्याय और ऐसा अत्याचार किया जा रहा है कि इसका 50 गुना आप प्रोविजन करो, समझ में आता है लेकिन इसके साथ उस हरी फसल का जो कटी नहीं है, उसके पहले 91 का नोटिस पटवारी वहां जाएगा, रिकार्ड में लिखेगा कि यह जो फसल है, हमने नीलाम कर दी, नीलामी की तीन सौ रुपये के हिसाब से इसने बोली लगा दी और तीन सौ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पैनल्टी के 50 प्रतिशत, जो पैनल्टी को 30 प्रतिशत करके तीन सौ रुपये, ढाई सौ रुपये और दो सौ रुपये बीघा वह उसमें पैनल्टी लगा कर एक मुश्त उसी से लिखवा लेते हैं कि यह फसल मैंने वापस खरीद दी। यह सरासर किसानों के साथ अन्याय है। इस प्रकार के अन्याय से किसानों में रोष है। भले ही आप यहां बैठ कर, जयपुर में, राजधानी में बैठ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर यह महसूस करें कि किसान वर्ग, गरीब वर्ग और एक साधारण तबका आपके इस प्रशासनिक रवैये से बहुत खुश है, आपकी वाहवाही हो रही है। पर मैं आपको समय पर चेतावनी दे रहा हूं, सुधरना और नहीं सुधरना, काम करना और नहीं करना, परिपाटी को बदलना और नहीं बदलना, किस रास्ते को ठीक समझते हो तो उस पर चलना या नहीं चलना, यह तो आपका काम है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि लोग इस डेढ़ साल का इंतजार कर रहे हैं, आपके इस कुशासन से ग्रामीण, मजदूर, गरीब इतने त्रस्त हैं कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हो कि आप जयपुर में विराजे हुए हो, आप कल्पना कर सकते हो कि जयपुर बड़ा चमन हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हो कि आपने बहुत स्कीमें बना लीं। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आपको धन्यवाद करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं पांच या सात मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: 15 मिनट तो आपको हो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको तो कर्णप्रिय लगना चाहिए, अभी तो मैं उस मुद्दे पर आया ही नहीं हूं जिससे आप चर्चित रहते हो। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, राजस्व मंत्रीजी, कि यह समस्या छोटी है लेकिन किसान पीड़ित हैं, बहुत तरीके से परेशान हैं, जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। अलाटमेंट अपन कर नहीं पा रहे हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करने में अगर आप अपनी कोई छाप छोड़ना चाहते हैं तो आप मेहरबारी करके इसको करें। लेकिन केवल मात्र कागजों को, फाइलों को, जिला कलक्टर के प्रस्तावों को ठण्डे बस्ते में पटक कर इस इंतजार में कि पूरे राजस्थान में जब होगा तब एक साथ इन समस्याओं का समाधान करेंगे, यह कतई उचित नहीं है और किसानों के साथ अन्याय है। मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके ये जो वाजिब समस्याएं हैं जिनमें न आपका पैसा खर्च हो रहा है न और कोई बात है...

(समय : 17.10 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष को पाकिस्तान की सफल यात्रा पर बधाई एवं उनके द्वारा सदन का आभार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप हिन्दुस्तान की सरहद के बाहर पधारीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर यह चर्चा चली कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर संसदीय परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिए शानदार हमारा प्रतिनिधित्व किया और भाषण दिया। आपकी विदेश यात्रा के लिए आपको पूरे सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद सदन का।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका बहुत स्वागत और अभिनन्दन, साहब।

श्री अध्यक्ष: फर्मा दें, आप तो आगे चलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पाकिस्तान यात्रा से आने वाले बिरलों का ही स्वागत होता है, साहब, नहीं तो कई बड़े-बड़े नेता उलझ गये।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आप तो अपनी बात पर आइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्षजी जिन्ना की मजार पर जाकर नहीं आई हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसी प्रकार जिला कलक्टर ऐसे-ऐसे पक्षपातपूर्ण निर्णय करते हैं एन.ओ.सी. जारी करने के मामले में। एक ही खसरा नम्बर में एक आदमी को एन.ओ.सी. जारी कर दी और एक ही खसरा नम्बर में दूसरे आदमी को एन.ओ.सी. जारी नहीं की। एक ही खसरा नम्बर में एक को लाभ पहुंचा दे और उसी खसरा नम्बर में दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाएं। यह उचित नहीं है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसी परिपाटी और ऐसे डायरेक्शन आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दें कि कम से कम वह निष्पक्ष बना रहे, क्योंकि करता तो कलक्टर है और जाएगा वह सरकार पर। सरकार कोई गलती करेगी तो सरकार की गलती मानी जाएगी। जयपुर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, राजस्थान के अन्य शहरों में अनेक उदाहरण हैं, अलवर में अनेक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ऐसे उदाहरण हैं, जिन पर विनम्रतापूर्वक मेरा अनुरोध है कि आप आवश्यक निर्देश दें।

इसी प्रकार से जो देवस्थान की जमीन है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन पर मकानात बनाने लग गये, उन पर दुकानें बनाने लग गये। वक्फ पर कब्जा कर लिया। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सब बातों की ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

इसके साथ ही मैं नगरीय विकास के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहला मेरा अनुरोध और निवेदन यह है कि जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को आप हवा में न उड़ाएं, उन चर्चाओं पर सरकार और मंत्रिमण्डल के सदस्य, माननीय मुख्य मंत्रीजी गंभीरता से चर्चा करें। जो बाजार में अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों पर आपने अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जिनको आप अफवाहें मान रहे हो वो सच्चाई का कड़वा रूप जनता के सामने आ रहा है और यह माना जा रहा है कि नगरीय विकास में, जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कई ऐसे मामले हैं जिनमें चर्चा है कि न्यू आतिश मार्केट, मानसरोवर की 18 हजार वर्ग गज जमीन आवासन मण्डल ने डीएक्वायर कर दी। जिनको आपने मनोनीत कर रखा है या जो कोई पद पर बैठे हैं या कोई उनके रिश्तेदार हैं या कोई उनके साले हैं या कोई उनके भाई हैं, उन्होंने उस जमीन को डीएक्वायर करने के बाद 65 करोड़ में बेच दिया। आप यह कह सकते हो कि इसमें हम सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं लेकिन आपको यह अपने मन में संतोष कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार हमने वैधानिक तरीका, एक आवरण पहना कर गलत तरीके से, भ्रष्टाचार आप उसको नाम नहीं दें लेकिन अनुचित लाभ अगर रिश्तेदारों या पद पर बैठे रहने वाले आदमी ने उठाया है तो क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? कोई सीधे रिश्वत लेना ही थोड़े आता है। यही थोड़े आता है कि आपने इस फाइल पर दस्तखत कर दिये तो दो करोड़ आ गये, वो ही थोड़े है। अगर आपने मिसयूज आफ प्रोसेस किया है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 18 हजार गज पर बना ही नहीं है न्यू आतिश मार्केट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस न्यू आतिश मार्केट की बात आप कर रहे हो वहां कोई जमीन डीएक्वायर नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में जवाब दे देना, फिर मौका मिलेगा। उनको आप आराम मत दो, उनको बोलने दो। बीमार हैं वो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: लिखा हुआ नहीं है इसमें, कितने बजे से शुरू किया है। लिखा हुआ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ग्रेटर कैलाश, आपने पत्रावली पर लिख दिया कि दूसरे प्लाट नहीं दिये जा सकते और आप ही ने 23.3.07 को उनको यह कह दिया कि इन लोगों को भी बेशकीमती जमीन इस कीमत के बराबर की दूसरी जगह दे दो। आपने फाइल पर लिख दिया, देने योग्य नहीं है, नहीं दी जा सकती, इनका कोई हक नहीं बनता है, फिर आपने कैसे कर दिया 23.3.07 की मीटिंग को? वो कैसे कर दिया? 23.3.07 की जो मीटिंग है उस हवाले में आपकी पत्रावली या तो आप प्रस्तुत कर दें, अगर मैं गलत हूं तो I will feel sorry for that । अगर आपकी पत्रावली में यह लिखा है कि इनको नहीं दिया जा सकता और यह नहीं किया जाएगा और आपने मीटिंग में दूसरा प्रस्ताव लेकर यही किया है तो इसको क्या कहेंगे? मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन आप दो आदेश दो, एक को गलत बताओ, एक को सही बताओ और उस पर शंका करो और आज नाराज हो कि हम पर आरोप लगाते हो तो ऐसी परिस्थितियों में आरोप लगना स्वाभाविक है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं आपको करैक्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, आराम से कर देंगे। इसी प्रकार यहां जिस ज्योति नगर वाली कालोनी में हम रहते हैं वहां कितनी जमीन बेकार पड़ी है, कितनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप किसी खातेदार को 15 प्रतिशत जो भी नियम है, हक बनता है वो तो दो, लेकिन उसके एवज में उस करोड़ों रुपये की जमीन का दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपये की जमीन है, आपकी ही आमद होगी। आपने वैसे ही डाल रखी है। उस खातेदार का फैसला जो भी आप मुनासिब समझो वो करो, कानून में जो वाजिब बनता है, लेकिन दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से उस पर अतिक्रमण कर लिया सोसाइटी का फार्मेशन करके और उसको वो हड़पना चाहते हैं। हाउसिंग बोर्ड की आपकी जमीन है उस जमीन को तो आप कब्जे से मुक्त करवा लो जिसमें करोड़ों रुपये का फायदा हो जाएगा।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इसी प्रकार एन.आर.आई. कालोनी, जगतपुरा में 15 हजार वर्ग मीटर जमीन, यह भी ईमानदारी की श्रेणी में, आपको यह याद है कि सरकार क्या फैसला लेगी, आपको यह याद है कि किस कालोनी को आप डवलप करेंगे, आपको यह याद है कि कहां क्या प्रोजैक्ट बनेगा, उस प्रोजैक्ट बनाने की सारी गतिविधियां, नालेज, फर्स्ट हैण्ड नालेज आपको, सरकार को है और आपका मनोनीत व्यक्ति, आपने जिनको पदों पर बिठाया है वो व्यक्ति उस सारी भावना का पता लगाकर किसानों को धोखा देकर वहीं प्लॉट लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे, यह ईमानदारी की श्रेणी में है? यह ईमानदारी की श्रेणी में नहीं है। यह मिसयूज आफ प्रोसेस है। उसने अपनी जानकारी का मिस-यूज किया। पूरी ईमानदारी से अरबपति, करोड़पति भी बन गया और कोई वह भी नहीं। ईमानदारी की बात भी करो और आरोप लगाओ तो कह दो कि हम पर गलत आरोप लगाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते। चाहे करोड़ रुपये की हमारी सम्पत्ति बन गई तो वो जादू के टोने से बन जाएगी? कोई तरकीब, कोई प्रोसेस तो आपको उसमें करना पड़ेगा। इसलिए ये जो बातें हैं, मिसचीवियस तरीके से जिस प्रकार मनोनीत व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके अपने को आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ कर रहे हैं, क्या यह करप्शन की श्रेणी में नहीं आता? इसी प्रकार चर्चाएं, अजमेर रोड पर पिंक पर्ल के पीछे 400 बीघा की जमीन किन लोगों ने खरीदी, आप रजिस्ट्री मंगवा लें। अपने कोई रिश्तेदार हों तो हों, इस तरह के काम तो सब कर सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार यहां क्यों खरीदे? उसी जगह पर क्यों खरीदे ? वो तो आप पता लगा लेना और आप गंभीरता से देखना कि किन लोगों ने खरीदी है, किन-किन के उसमें नाम हैं। इसी प्रकार से चाहे वो भिवाड़ी हो, जमीन कोई भी खरीद सकता है, आपका रिश्तेदार भी प्रापर्टी डीलर का काम कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है, लेकिन राजकीय जानकारी के आधार पर तोड़फोड़ करके उस जानकारी का लाभ उठाकर किसानों को भ्रमित करके इस प्रकार का जो धन अर्जन करे, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा।

आखिर में मैं डी.एल.एफ. के मामले में एक निवेदन करना चाहता हूं। डी.एल.एफ. के मामले में हां-हां, नहीं पढ़ूंगा वैसे ही बोल दूंगा याद है मुझे। डी.एल.एफ. के मामले में आज एक बहुत, नहीं, नहीं अखबार तो वैसे ही सब झूठ बोलते हैं लेकिन पूरी राजनीति अखबारों से ही चलती है।

श्री अध्यक्ष: आपके भाषण को 24 मिनट हो गये, अब आप समाप्त करिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, बस आखिरी है। डी.एल.एफ. के मामले में जो विस्तार से समाचार पत्र में छपा और जिसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी की बात थी और जिसमें माननीय उद्योग मंत्रीजी का हवाला था, तो उद्योग मंत्रीजी ने इस प्रकार गलत कारनामों की, जो डी.एल.एफ. को हम दे रहे हैं उसकी कटु आलोचना की, मीटिंग में उन्होंने विरोध किया। सरकार पूरी की पूरी, उन मंत्रीजी का हवाला देने के बाद उन्होंने विरोध किया फिर भी डी बी ने या जिस किसी भी स्तर पर, सारी, बी डी ने जो फैसले किये, उनके विरोध के बाद किये और आज समाचार पत्रों में छपा, इस सरकार को क्या सांप सूंघ गया? अब एक आदमी नहीं बोला, सरकार भी नहीं बोली। माननीय प्रवक्ता हैं, कभी-कभी लक्ष्मीनारायणजी बोलते हैं, वो भी आज चुप थे। जब आप चुप हों, मंत्रिमण्डल के सदस्य का उसमें हवाला हो, करोड़ों रुपये की हेराफेरी हो, उसकी हम बात करें और आपसे कहें तो आप उनको आरोप समझो, यह आपकी मर्जी की बात है। आरोप तो खुलेआम लग रहे हैं। इन आरोपों से जो कुछ जेडीए पर लगे हैं, हो सकता है कि पंजाब के चुनाव में लड़ाने में आपका उपयोग किया गया हो। पंजाब के चुनाव लड़ाने में आप पर भार आया हो। यह भी हो सकता है कि यू पी के चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी भी राजस्थान सरकार की हो। यह भी हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में लगे। सारा ही जेडीए से करोगे क्या कबाड़ा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब कल्पनाओं के आधार पर अपनी बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सारे के सारे कबाड़े पूरे ही जेडीए से मत करो, आप कुछ और विभागों का भी चयन करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वहां पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा डाल रहे हैं, कल्पनाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, उसके बाद पंजाब चुनाव आपको लड़ाना होगा और यू पी का चुनाव भी कराना पड़ेगा, मतलब कोई कंक्रीट बात तो है नहीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको यह तो जानकारी है कि यू पी (व्यवधान) में आपका उपयोग वहां नहीं हो रहा है, यह जानकारी तो है आपको कि आपका उपयोग यू पी में नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर आपके पास क्या है यू पी के चुनाव... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप पंजाब में नहीं गये थे क्या? क्या आप पंजाब में नहीं गये थे? आप पंजाब चुनाव में गये थे या नहीं गये थे? तो इसमें क्या गलत कह दिया? और यू पी चुनावों में नहीं जाओगे क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पंजाब में भी जाओगे, यू पी में जाओगे और आपके अध्यक्ष के कहने तक असेम्बली में चुप भी रहोगे, तब भी बात थोड़ी ही छुपेगी। आप यू पी चुनाव तक इंतजार करो, यह कहना चाहते हो क्या विधान सभा में? यही बात कहना चाहते हो कि आपका उपयोग भी होगा और विधान सभा तक चुप भी रहना, यह भी गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप तो पार्लियामेंट में पाकिस्तान जाकर आये हैं, यह सरकार जिस सरकार के मंत्री अपने अध्यक्ष से मिले हुए हैं और अध्यक्ष इनको कहे और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कहें और सब कुछ ठीक हो रहा हो तो फिर सरकार के बारे में कुछ तो कमेंट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं न..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ऐसा कौन-सा चुनाव है पंजाब में कि किसी की आरती उतार कर चुनाव हो जाए? ध्यान में हो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं, बोल तो रहे हैं वे...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरा विनम्र अनुरोध है कि जैसा आपने कहा था कि वह कौनसा है, एन्टरटेनमेंट पैराडाइज जहां अपन जाते हैं सभी के सभी, आप हमको भोजन कराते हो और हम भी कभी-कभी चले जाते हैं, उस एन्टरटेनमेंट पैराडाइज के मालिक ने हो सकता है, ये जो व्यावसायिक लोग हैं ये न तुम्हारे हैं, आप राज में हो इसलिए आपके हैं, उसने वहां तो पहले हजार, दो हजार फीट जमीन का ही हुआ होगा मामला, लेकिन, मान्यवर आपने तो इसी आदमी को 150 एकड़ जमीन 47 हजार रुपये बीघा में वहां पर दे दी, यह क्या है? यह भ्रष्टाचार का खुला रूप है कि क्या है? माननीय कालीचरणजी सर्राफ उन्होंने वहां का हवाला दिया था, मैं नहीं कहता यह बात क्योंकि सेठों से पंगा लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है, फिर आप लोग उनके साथ हो तो मेरी तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

और मुसीबत है। लेकिन फिर भी आपने जो वहां एन्टरटेनमेंट पैराडाइज को दिया, आपने करोड़ों रुपये का लाभ उस आदमी को पहुंचा दिया। हजार-दो हजार फीट की जमीन की बात करने वाले, वहां पर भोजन करने वाले, पिक्चर देखने वालों को नहीं दिखता है, यह उसी की एवज में है कि पांच साल तक राज हमारा है उपयोग करो। हमको तो भोगने और ऐश करने की और हमारे कमाने की जगह दे दो। ये अरबपति लोग न आपके सगे हुए हैं, न हमारे सगे हुए हैं, अगर आपकी सरकार इसी प्रकार काम करती रही तो आपकी सरकार का समय आगे जनता नहीं बढ़ाएगी। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 8, 20, 29 और 32 में चर्चा में सम्मिलित होना चाहता हूं। अभी इन चार मांगों के बारे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से खूब भ्रष्टाचार के बहुत आरोप-प्रत्यारोप लगे, मैं इन भ्रष्टाचार के आरोप में जाना नहीं चाहता हूं, मुझे पता है कि इस मांग में मुझे मेरे क्षेत्र की बात करनी है। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय आप तो नौवीं दफा जन-प्रतिनिधि के रूप में यहां विराजे हुए हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व यदि कोई सरपंच भी होता तो उसकी बहुत बड़ी कद्र होती थी, परंतु इस भ्रष्टाचार ने आज इस कदर जन प्रतिनिधि को बेनकाब कर दिया है कि आज चाहे एम पी हो, चाहे एम.एल.ए. हो, उसकी जो कद्र होनी चाहिए वह कद्र नहीं है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अभी आरोप-प्रत्यारोप लग रहे थे। हम सब को सोचना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार से हमें सावधान होने की जरूरत है। अभी प्रतिपक्ष वाले बहुत कुछ कह रहे थे कि इस तरह से नगरीय विकास में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वह कांग्रेस है। आपको पता होना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी ने... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): (व्यवधान) कांग्रेस ही तो है, आपका बीजेपी का कोई स्वतंत्र सेनानी है क्या? एक भी सदस्य है क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सदस्य, मुझे बोलने दें। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा लंबी। जब भ्रष्टाचार के बारे में ही बात चल रही थी, मांग के बारे में कुछ नहीं चल रही थी, तो मैं सोचने लगा, इसका उदगम

(श्री भागीरथ चौधरी)

कहां से हुआ? यह तय है और आपको पता है कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी यह बात पहले ही स्वीकार कर ली थी कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 17 पैसा जनता तक पहुंचता है। आपके प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है इसलिए अब आपको भ्रष्टाचार की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ यह बात कह सकता हूं कि पिछले 56 वर्ष में जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं, इन तीन वर्ष के अंदर एक धाराप्रवाह गंगा के रूप में विकास का अनुपम रूप बहा है पूरे प्रदेश के अंदर। राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रदेशभर में विकास की सरिता के प्रवाह को शहरी क्षेत्रों में तुरंत गति प्रदान की है जिसमें राजस्थान आवासन मण्डल की महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय है। राज्य सरकार प्रदेश की आवासीय समस्याओं के समाधान की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है। पिछले तीन वर्ष में समाज के निर्धनतम तबक़ों के लिए अपने उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता को दर्शाते हुए घरौंदा आवासीय योजना के अंतर्गत 53 शहरों/क़स्बों में रिकार्ड आवासीय निर्माण कराकर आशानुरूप लगभग डेढ़ लाख बेघर परिवारों को छत मुहैया कराई गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि पिछले 56 वर्ष में जो विकास के कार्य नहीं हुए वे इन तीन वर्ष के अंदर हुए हैं तो गलत नहीं होगा। मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपये के इन तीन वर्षों में विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो....

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): भैरोंसिंहजी के राज में भी नहीं हुए हैं पहले विकास कार्य? कांग्रेस के तो 56 साल के राज में नहीं हुए लेकिन भैरोंसिंहजी के राज में विकास कार्य नहीं हुए, अभी तीन साल में ही हुए हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: खंडेला से आने वाले माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भैरोंसिंहजी के राज में ही काम हुए, बाकी आपने तो कुछ नहीं किया। आपने तो गरीब किसान को वोट बैंक बनाकर रखा और उनका शोषण किया। आपने यह जरूर किया है, आप कुछ नारे जरूर देते हो, आपने तो शोषण किया है और उनको वोट बैंक बनाकर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पांच मिनट का समय है आपके पास, अपनी बात कहें वर्ना आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो घंटे-घंटे भर तक बोलते हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप तो बोलें अपनी बात।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से यह निवेदन है कि हम सबको गरीब को गणेश मानकर उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। चाहे भ्रष्टाचारी आपकी तरफ से हो, चाहे भ्रष्टाचारी हमारी तरफ से हो, यदि कोई भी इस तरह की हम बात करते हैं तो जनता हमारे को बहुत मान-सम्मान के साथ यहां चुन करके भेजती है, इसलिए हमें भ्रष्टाचार की बात नहीं करके विकास की बात करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार ने हर तरह से महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है जिसमें शहीद सैनिकों की विधवाओं हेतु वीरांगना विहार, प्रताप नगर, जयपुर में प्रवासी भारतीयों हेतु राज आंगन योजना, ग्रुप हाउसिंग योजना, शहरी निर्धन हेतु द्वारिकापुरी योजना आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप मासिक किश्त पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गयी है और शास्ति ब्याज में भी चालीस से सत्तर प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार शहरी निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना की गई है। वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्री महोदय ने प्रथम बजट भाषण में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन का गठन दिसम्बर, 2000 में किया है और आरयूआईडीपी के प्रथम चरण में राज्य के 6 प्रमुख शहरों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर को शामिल कर एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना में राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना के द्वितीय चरण में 1500 से 1600 करोड़ रुपयों की लागत से राज्य के 15 शहरों को सम्मिलित किया जाकर विकास कराये जाएंगे जिसमें अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, नागौर, बूंदी, बाड़मेर, बारां, छबड़ा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद एवं झालावाड़, झालरापाटन शहरों को शामिल किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब मेरे क्षेत्र की मांग के ऊपर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी से

(श्री भागीरथ चौधरी)

निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय विकास की इस योजना के द्वितीय चरण में मेरे किशनगढ़ शहर को भी जुड़वाएं। आज वर्तमान में किशनगढ़ विश्वविख्यात मार्बल नगरी के रूप में अपनी एक अनोखी पहचान रखता है। यहां पर मार्बल, पावरलूम, ड्राइंग, चित्रकला, टैक्सटाइल उद्योग संचालित हैं। गत एक दशक में तीव्र औद्योगिक विस्तार के कारण यहां की नगरीय आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और आज शायद यह राजस्थान का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भूखंड है लेकिन यहां पर नगरीय विकास काफी पिछड़ गया है। यहां 24-25 नयी आवासीय कालोनियों का विस्तार हुआ है जिसमें शहरी आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी की पाइप लाइन, उच्च जलाशय, सीवरेज लाइन, पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था आदि का पूर्ण अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे किशनगढ़ शहर की आबादी राजस्थान के कुछ जिला मुख्यालयों के समकक्ष बल्कि उनसे भी ज्यादा है अत: आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण में किशनगढ़, अजमेर शहर को शामिल करा कर आवश्यक नगरीय विकास की योजनाएं स्वीकृत कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक दूसरी बहुत ज्वलंत समस्या है और मैंने तीन साल में इस समस्या को बार-बार उठाया है। हम भारत के नागरिक हैं, हम हमारे संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसमें आस्था रखते हैं। जब हम विधायक बने तो हमने श्रद्धापूर्वक बयान दिया था कि हम संविधान उल्लेखित समस्त विचारों का अक्षरश: पालन करेंगे। यही संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार भी देता है और इन मौलिक अधिकारों में भी सबसे प्रमुख अधिकार मतदान का कहलाता है। अध्यक्ष महोदय, इन मौलिक अधिकारों के कारण ही आज भारत का प्रजातंत्र विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहलाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ लोगों को प्रजातंत्र के इस सबसे बड़े देश में मतदान के अधिकार से स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनावों में वंचित रखा जाता है? मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक बजरंग कालोनी है, वह न तो ग्राम पंचायत में है और न ही नगरपालिका में है। 1996 में बजरंग कालोनी जहां पांच हजार की आबादी है, उन्होंने 1996 में नगरपालिका में मतदान किया है परंतु...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें अब।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ...दुर्भाग्य से आज न ही तो वो नगरपालिका क्षेत्र में है न ग्राम पंचायत में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है

(श्री भागीरथ चौधरी)

मंत्री महोदय से कि उसको नगरपालिका में सम्मिलित किया जाए। वो अपने अधिकारों से वंचित हो रखे हैं और वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, तो उनको उसका लाभ मिले। यही मेरा आपको कहना है, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश मीणा। पांच मिनट का समय है आपके लिए।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, दस मिनट का समय तो होता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, देखिये, 6 बजे गुलोटिन लग जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को बोलने का समय मिल सके इसलिए आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8, 20, 29 और 32 पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्व, आवास, नगर आयोजना पर जो यह डिबेट चल रही है इसमें यह सुन रहे हैं, इधर से कुछ सदस्य कुछ कहते हैं, कुछ लांछन लगाते हैं कि इधर के चोर हैं, इधर के चोर हैं, इधर चोरी की है इस तरह की बात यहां चल रही है।

श्री अध्यक्ष: आप इनकी भी छोड़ो, उनकी भी छोड़ो, अपनी करो।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोल कर आपकी तरफ से जो आदेश मिला है उसके अनुसार ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां-हां, बोलो आप तो अपनी बात।

श्री सुरेश मीणा (करौली): जितने भी माननीय सदस्य बोले वो कुछ भी बोले, लेकिन सबसे बड़ी एक बात है, राजस्थान में नगरपालिका हो या नगरपरिषद हो, जो दलित समाज के लोग हैं उनके बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि आज सफाई कर्मचारियों की यह प्राब्लम है। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार को कि कुछ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने नौकरी दी है-शिक्षा विभाग में दी है, दूसरे विभागों में दी है। लेकिन जहां तक सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है कि हम जड़ से गरीबी को मिटा देंगे, जड़ से गरीबी तो तब मिटेगी जब गरीबों की गरीबी मिटाएंगे। दलित समाज के लोग

(श्री सुरेश मीणा)

जो बिलकुल गरीब हैं, दो टाइम की उनको रोटी भी नसीब नहीं है, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? एक भी सफाई कर्मचारी को यदि सरकार ने नौकरी दी हो तो हमें बताएं तीन साल के अन्दर। उन लोगों को जो लोग सभी लोगों के मकानों की सफाई करते हैं, वो वो काम करते हैं जो हर आदमी नहीं कर सकता, उनको नौकरी दी जाए, यह मेरा निवेदन है सरकार से। शहरों का विकास हुआ है, शहर बहुत ज्यादा बढ़े हैं, काम भी बढ़ा है, लेकिन सफाई कर्मचारी वो ही हैं। उनको ठेके पर लिया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी सरकार आती है, चाहे सरकार कांग्रेस की आयी हो, चाहे बीजेपी की, मैं नहीं कहता, न मैं किसी के ऊपर लांछन लगाता, लेकिन हकीकत बात यह है कि गरीब लोगों की बात सोचनी चाहिए, गरीबों के बारे में बात करनी चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा, ये देश तरक्की करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी भी विराजमान हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां है, मैं मेरे क्षेत्र करौली के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में हम जाते हैं तो कहीं भी यात्री कर नहीं लगता, लेकिन हमारे करौली में खुले आम यात्री कर लिया जाता है। अभी कैला माता का मेला चल रहा है, दो जगह उन लोगों को यात्री कर देना पड़ा-सबसे पहले तो करौली में यात्री कर और उसके बाद में कैला देवी में यात्री कर दिया। कौन से कानून के तहत यात्री कर करौली में लिया, माननीय मंत्री महोदय, बताएं। करोड़ों रुपये उन लोगों ने उगाहे हैं। इसके बाद जो यात्री दूसरे राज्यों से आये उनकी बहू-बेटियों को पकड़-पकड़ कर उनकी बेइज्जती की गयी। अखबारों में छपा है, वहां के प्रशासन को पता है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भ्रष्टाचार सारी जगह फैले हुए हैं लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। जो लोग सबकी सफाई करते हैं उनकी कालोनियों को देखो, उन कालोनियों में न सड़क है, न कोई नाली है । उनके यहां अंदर घुसते हैं तो बहुत खराब स्थिति है । अध्यक्ष महोदय, उन गरीब लोगों के बारे में भी माननीय मंत्रीजी सोचें, उनको विकास के लिये पैसा दिया जाए। उनकी कालोनियों का भी विकास हो वे सडकों से जुडें, पानी मिले, उनको बिजली मिले इसकी व्यवस्था भी माननीय मंत्रीजी करें ।

अध्यक्ष महोदय, आवासन मंडल का भी यहां मामला है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट तो हो गये दो मिनट में बात समाप्त करें ।

श्री सुरेश मीणा (करौली): मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर जो जन प्रतिनिधि जीत कर आते हैं उनके लिये राजस्थान सरकार आवास की व्यवस्था करती है। हमें भी यहां पर मकान देने के लिये फार्म भरवाये गये। लेकिन जहां हमको स्वतंत्र मकान मिलने की उम्मीद थी वहां पर हमको इस प्रकार के मकान दिये जा रहे हैं जो फ्लैट के रूप में हैं। जन-प्रतिनिधि इससे संतुष्ट नहीं हैं, सारे माननीय सदस्य इससे असंतुष्ट हैं। हमारी यह मांग है कि जो भी जन-प्रतिनिधि चुन कर आता है वह जनता का प्रतिनिधि होता है, उसको ऐसी जगह आवास दिया जाए जहां से विधान सभा नजदीक हो, सचिवालय नजदीक हो, गांव से आने वाला आदमी सही टाइम पर आकर उसमें रुक सके, सारी व्यवस्था कर सके। ऐसा नहीं कि हमको दौसा में जाकर मकान दिया जाए। सारे माननीय सदस्यों की यह मांग है कि हमको स्वतंत्र मकान दिये जाएं वह भी मानसरोवर या आसपास ही दिये जाएं। सभी माननीय सदस्यों की ओर से यह मेरा निवेदन है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री मदन राठौड ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उधर से तो पहले ही दो बोल लिये, बीजेपी की ओर से दो बोल लिये, बीएसपी के बोल लिये, अब तो हमारे कांग्रेस की ओर से बुलाइए ।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने नाम पुकार लिया है, अब आपका ही नंबर आएगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): एक निर्दलीय को भी बुलवा लें बीच में से ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में जेडीए इतना हावी रहा कि अन्य विषयों पर चर्चा ही नहीं हो पाई, जैसे महंगाई। वास्तव में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की खरीद क्षमता से बाहर हो गई है और इसके लिये केन्द्र सरकार निश्चित रूप से दोषी है ।

श्री अध्यक्ष: समय सीमित है, आपको पांच मिनट में ही अपनी बात कहनी होगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा । पांच मिनट में तो कोई बात ही नहीं होगी। अभी हिण्डौली से आने वालों ने तो 35 मिनट बोला है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने अपनी पार्टी का समय खाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हिण्डौली से आने वाले अध्यक्षजी के नजदीक हैं, आप बहुत दूर हो ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, वैसे दिल के नजदीक हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हिन्दुस्तान में एनडीए की सरकार थी तब महंगाई की दर 3.4 थी और आज महंगाई की दर 8.4 हो गई है । यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की खरीद क्षमता से बाहर हो गई है । ईंधन की स्थिति यह है कि कल एक पत्रकार मेरे पास आये...

श्री अध्यक्ष: आप इन बातों में रह जाओगे, मुद्दे की बात पर नहीं आ पाओगे, आप तो मुद्दे की बात पर आ जाओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष: अपनी मांगों पर आओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कई माननीय सदस्य आरोप लगा रहे थे, मैं यह बताना चाहूंगा कि जो विकास के काम हुए हैं वे इनको नहीं दिख रहे हैं। आज राजस्थान में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और जब वह जयपुर को देखता है तो यहां का जो पेरिस की तरह विकास हुआ है वह देख कर निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहता है कि राजस्थान की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने पेरिस देखा है क्या ?

श्री अध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): देखा ही नहीं उसकी क्या कल्पना कर रहे हो? देखा ही नहीं आपने ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जो अप्रवासी राजस्थानी आते हैं उन्होंने जो भूरि-भूरि प्रशंसा की है वह मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा । निश्चित रूप से विकास हुआ है कई क्षेत्रों में । कल एक जज साहब मिले वह भी बता रहे थे। हमारे हाई-कोर्ट में जिस प्रकार से अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की है, यह बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है । सैक्रेटेरिएट में तो आप भी जाते होंगे, आप भी इस बात को मानते होंगे कि किस प्रकार का विकास राजस्थान में हुआ है। लेकिन आपकी सरकार के कारनामे यदि सुनना

(श्री मदन राठौड़)

चाहोगे तो मैं सुनाने को तैयार हूं । अध्यक्ष महोदय, यहां पूर्व मुख्य मंत्रीजी के बारे में बात कही गई, मैं उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कहूंगा लेकिन अभी जो निवर्तमान मुख्य मंत्रीजी थे उन्होंने तो सद्दाम हुसैन को भी मात दे दी । उन्होंने क्या किया, आपको जानकर आश्‍चर्य होगा। उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जोधपुर में एक पार्क बनवा दिया। मैं सोचता हूं कोई भी नहीं जानता होगा, उनके पिताजी, बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क, अब जोधपुर में बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क बनवा दिया जबकि उनके पिताजी कुछ भी नहीं थे। न तो कोई राष्ट्रीय नेता थे न कोई समाज सेवी थे, कुछ भी नहीं थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह बात पिछले साल भी बोल चुके ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वहां पर कितना रुपया खर्च हुआ? 64 लाख 68 हजार रुपये खर्च किये गये बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क पर । आप यह सुनकर आश्‍चर्य करेंगे। और, माननीय सदस्य, सुनिए ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हैं उनकी स्मृति को लेकर हर साल इस तरह से बोलना उचित है क्या ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप विराजो। मैं यह बात आपके सामने कहूं कि वो राष्ट्र पुरुष हों, उनके नाम से बनाओ, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन मेरे खानदान का नाम इस तरीके से रोशन नहीं होगा। यह ठीक बात नहीं है। उसके लिये कुछ करना पडता है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह जोधपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष हैं तो आप सदन के सामने बता दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। बिलकुल नहीं रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में जो अशोक उद्यान बनाया उसके बारे में थोडी-सी जानकारी देना चाहूंगा । वह सम्राट अशोक नहीं हैं, खुद ने अपने नाम से अशोक उद्यान बनाया। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आया है जब मैंने यह पूछा कि क्या अशोक उद्यान का नाम सम्राट अशोक के नाम से रखना चाहते हैं। राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि बिलकुल नहीं, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। यह मैं सदन के सामने रखने को तैयार हूं जो एक प्रश्न के उत्तर में आया है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उस अशोक उद्यान का निर्णय एक दिन में हुआ। 18 तारीख को यह निर्णय हुआ, यानी सारी प्रोसेडिंग एक दिन में तैयार कर ली गई । भ्रष्टाचार

(श्री मदन राठौड़)

की पराकाष्ठा है-एक दिन में विचार हुआ, एक दिन में फाइल चली, एक ही दिन में सारे निर्णय कर दिये गये। उसमें खर्चा कितना किया गया? झाड़ियों की कटाई के लिये 25 लाख तय हुआ, वहां 125 लाख रुपये खर्चा किया गया। इसमें जांच के लिये जो मैंने निवेदन किया, जांच में यह आया है कि वित्तीय हानि मंडल को हुई। यह जांच का नतीजा निकला है। यही नहीं, सड़क और पार्किंग के लिये 20 लाख रुपये खर्च करने का तय हुआ था, 90 लाख रुपये खर्च किये गये। मंडल को वित्तीय हानि दी गई। इसके बारे में आप विचार करें। क्या कहेंगे आप? ओपन एयर थियेटर जिसके लिये 30 लाख का प्रावधान था, 362 लाख रुपये का खर्चा किया गया। आप आश्चर्य करेंगे, 7 प्रतिशत अधिक दर दी गई। यही नहीं, स्वीमिंग पूल पर 15 लाख खर्च करना था, खर्च किया 398 लाख। कोई कम बात है। क्या करते रहे, केवल लूट मचाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया । किस पर आरोप लगाने चले हो ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 2007-08 की डिमांड पर चर्चा हो रही है या 98 पर चर्चा हो रही है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने इतनी देर क्या किया? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐसे-ऐसे आरोप लगाये, आप यहां पर आसन पर विराजमान नहीं थीं इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाये और आरोप लगाने के बाद यह कहा कि मैं वापस लेता हूं। आरोप लगाने के बाद वापस लेते हो +++ थोड़ी शर्म खाने की बात होनी चाहिये आपके सामने, आप इस प्रकार के आरोप लगा देते हो ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा मत बोलो ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): फिर कहते हो, भगवान करे, यह असत्य हो । यह क्या, कोई कैसा भी आरोप लगा दे और फिर कहे कि भगवान करे यह असत्य हो । आज मैं कैसा भी जघन्य आरोप लगा दूं और फिर मैं यह कहूं भगवान करे, यह आरोप असत्य हो, तो यह ठीक नहीं है ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने आरोप वापस नहीं लिये हैं । आप जांच कर लो, मैंने आरोप वापस नहीं लिये हैं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने आरोप लगाये थे, आपने लिये हैं, आपके माननीय सी. पी. जोशी साहब ने कहा है कि हम आरोप वापस लेते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उन्होंने कहा होगा, मैं आज भी मेरी बात पर स्टैंड हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): खुले आम कहा और जब माननीय मंत्री जी खड़े हुए तो आपने माफी भी मांगी थी इस विषय पर । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने और कुछ भी नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, केवल आरोप लगाये। आरोप के सिवाय कुछ भी नहीं लगाया । इनके पास कहने को कुछ भी नहीं था । इसलिए मैं यह बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गैस्ट हाउस के लिये बिना अनुमति के 45 लाख रुपये खर्च किये । इन्होंने हाट एवं क्राफ्ट बाजार के लिये, लिखा है, बिना वित्तीय स्वीकृति, बिना सलाहकार, बिना कोई कार्य स्वीकृति के आपने 380 लाख रुपये खर्च किये। क्या बात करना चाहेंगे आप ? चारदीवारी के लिये 125 लाख, किस किसका मैं आपको बताऊं। अध्यक्ष महोदय, मिट्टी भराई पर 50 लाख रुपये। मिट्टी भराई पर, क्या कोई तालाब था ? यह इस प्रकार के वहां पर कारनामे किये, काले कारनामे। आपको जोधुपर की जनता क्या, राजस्थान की जनता आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। यही कारण है कि 156 से 56 पर आकर रह गए। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप कहते हो आगे क्या होगा, आगे तो आपको राजस्थान की जनता ने बता दिया। कितने चुनाव हमने जीते हैं, सभी चुनावों पर आपको चारों खाने चित्त किया, कहीं भी आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय लोड स्टैपिंग पर इन्होंने खर्च किया 175 लाख, जो लेखा नियमों का उल्लंघन है। यह जांच रिपोर्ट रख रहा हूं मैं आपके सामने।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वैसे बात बिलकुल सही है कि आप कब की बात कर रहे हो, अब जो मांग हैं इन पर बोलो। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारी राजस्थान सरकार ने...

श्री अध्यक्ष: पहले आप मेरी बात सुनो। चूंकि आज सभी इर्रिलेवेंट बोलते हैं इसलिए मैं आपको अलाउ कर रही हूं। वर्ना कायदे की बात यह है कि जिन मांगों को बहुत, बीत गई, आपको 7-8 की मांग पर अपनी बात करनी चाहिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। यह चूंकि ऐसा बोले इसलिए मैंने यह रखा, अन्यथा...

श्री अध्यक्ष: हां, वह ठीक है (व्यवधान) सब इर्रिलेवेंट बोलते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजस्थान सरकार ने बहुत ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं..

श्री अध्यक्ष: इसलिए आपको अलाउ कर रही हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जैसे घरौंदा योजना, जिसमें 18 रुपये प्रतिदिन की बचत पर मकान मिलेगा। इन्होंने 3111 मकान आबंटित किये। आप पूछ रहे थे कि कहां आबंटन हुआ, नहीं हुआ आबंटन लेकिन यह आवंटन हुआ। 4559 आवासों का निर्माण किया। 3115 पूर्ण हुए,3111 आबंटित भी कर दिये, आप क्या बात करना चाहते हैं। यही नहीं, हमारी राज आंगन योजना है, इंदिरा गांधी नगर योजना है, प्रताप एनक्लेव है, द्वारकापुरी बहुमंजिली आवासीय योजना है, वीरांगना योजना है, कई योजनाएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।

मैं यह बताना चाहूंगा कि वाटर सप्लाई पर इन्होंने कितना खर्च किया, 50 लाख। विद्युतीकरण पर 1 करोड़।

श्री अध्यक्ष: बात तो अब की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनडोर स्टेडियम पर 350 लाख... (व्यवधान) यह थोड़ा सुन लें इनके कान फटेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया है, जरा अपने गिरहबान में झांक कर देखें। छलनी में जितने छेद हैं उतने छेद आप में और दूसरों को यह बता रहे हो कि आप में यह कमी है। मेरे कपड़ों पर बता रहे हो कि एक दाग है, आप तो पूरे के पूरे दागदार हो चुके हो, किसके बारे में बात करोगे, थोड़ा विचार करना चाहिये। आरोप लगाने से पहले सोचो कि कोई पत्थर फेकेंगा। जिसके शीशे की दीवार होती है वे दूसरों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिये कि हमारी क्या गुजरने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, टैक्नोलोजी पार्क पर 80 लाख, फव्वारे पर 70 लाख, क्लब हाउस रेस्टोरेंट पर 150 लाख, सर्विसेज पर 50 लाख, वास्तुकार पर 30 लाख, एडवान्स पेमेंट किया इन्होंने दो लाख रुपये वास्तुकार को, अपने चहेते को । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, बरकतुल्ला स्टेडियम पर इन्होंने कितना खर्च किया। बरकतुल्ला स्टेडियम को हमने पूरा तैयार करवाया। आपने केवल खर्चा किया वहां पर करोड़ों रुपये का। एक-दो करोड़ नहीं, आठ करोड़ रुपये, आपने उस पर खर्च किये और उसके बाद भी हमको वहां पर व्यवस्था करनी पड़ी। जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इन्होंने

(श्री मदन राठौड़)

वहां पर और निर्माण करवाये, उसको पूरा किया तब जाकर हिन्दुस्तान की नाक बच सकी। नहीं तो वहां पर जो मैच हुए, उस मैच में हम सबको शर्मसार होना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने किस-किस प्रकार की हाई मास्ट लाइटें खरीदीं, 4-5 करोड़ से कम नहीं। कितनी? एक-दो नहीं, पचासों। इस प्रकार 59 लाख 64 हजार रुपये आपने इसके लिए खर्च किए। आप थोड़ा विचार करें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। 5 के बजाए 10 ले लिये, अब कृपया समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केन्द्र सरकार ने गेहूं नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आप वास्तव में थोड़ा-सा दया करें, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने जो काम किये, हमने फ्लाई ओवर, रेलवे ओवर ब्रिजेज, ये 17 निर्माण किये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ये काम आपने किये, यह 2008 नवम्बर, 3 दिसम्बर को सारे लोग बता देंगे, पहले कोई नहीं बताएगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): निश्चित रूप से बता देंगे। यह बात आप मानकर चलिए, निश्चित रूप से बताएंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच-बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): निश्चित रूप से बता देंगे, इतना बता देंगे कि आप दिखोगे नहीं कहीं भी। सदन के बाहर-बाहर घूमते नजर आओगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मानकर चलो, आप सदन में अंदर नहीं आ सकोगे। बहुत घमण्ड करते हो। मुझे बोलते हो मैंने अध्यक्षजी को हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया, ये सब बातें भूल जाओ, वे रह गई इतिहास के पन्नों में। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक बात सुनो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भूल जाओ, आप कहीं भी नहीं रहोगे। राजस्थान की जनता आज भी वसुन्धराजी की अहसानमंद है और भारतीय जनता पार्टी का लोहा मानती है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मना कौन कर रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भारतीय जनता पार्टी को सभी स्थानों पर सम्मान मिला है, आपको कहीं भी सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 2008...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यह बात समझ लीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): बिराज जाओ, अपनी बचा लो केवल.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बची हुई है।

श्री अध्यक्ष: खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह किस पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे क्षेत्र में..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने मेरे क्षेत्र में जो काम किए हैं मैं आपके माध्यम से... (व्यवधान) धन्यवाद देना चाहूंगा स्वायत्त शासन मंत्री को..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने मेरे सुमेरपुर में साढ़े नौ करोड़ रुपये सीवर सिस्टम के लिए स्वीकृत किये, आज तक नहीं कर पाये हो, क्या बात करते हो। आपके समय में कांग्रेस की एक मंत्री भी थी जो मेरे वहां... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख बंद का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सम्मति है कि गुलोटिन का समय साढ़े सात बजे तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय गुलोटिन के लिए साढ़े सात बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: अब बस। You have taken ten minutes.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: आपने 10 मिनट ले लिए हैं। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कृपया तलवंडी नर्सरी योजना जो निर्मित की, उसकी आप जांच कराएं। इन्होंने वहां किस प्रकार से 15 प्रतिशत पहले, और आवास निर्माण करना था इन्होंने वहां 35 प्रतिशत किया, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया, इसकी जांच आप करवाएं, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा । यही नहीं, इन्होंने...

श्री अध्यक्ष: जिस-जिस बात की जांच करवानी है वह लिखकर दे देना। समय तो अब आपका समाप्त हो गया, आप दे देना इनको । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप तो मत कहो बैठो, मुझे कहेंगे तो अध्यक्षजी कहेंगे। आसन से जो निर्देश मिलेगा मैं उसकी पालना करूंगा। आप बैठे-बैठे बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह अनुशासन की पालना नहीं करते, बैठै-बैठे बोलते हैं, कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। इनको नियम की जानकारी...

श्री अध्यक्ष: इनके नम्बर कट रहे हैं। जो ऐसा करते हैं उनके नम्बर आसन की निगाह में कट रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन आपको जानकारी हो जाए कि यह बोले तब तो कटेंगे। चुपके-चुपके से नीचे मुंह करके बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: सब जानकारी है मुझे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूंगा राजस्थान की सरकार ने जो विशेष छूट दी किराया क्रय पद्धति में, उसका लाभ भी राजस्थान सरकार को मिला है। इन्होंने 1.6 से 31.8.2006 तक यानि 1 जून, 2006 से ...

श्री अध्यक्ष: अब आप कहां 6 पर चले गये, बात 7-8 की करो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 6 तो है, हुकुम। 6 तो अपना ही तो है, हमारे कार्यकाल की बात कर रहा हूं। जो उससे लाभ हुआ, मैं वह निवेदन कर रहा हूं आपके सामने।

श्री अध्यक्ष: कार्यकाल की बात जरूरी नहीं है करना आपके लिए (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को 70 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग को 60 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग को 50 प्रतिशत, उच्च आय वर्ग को 40 प्रतिशत और आर्थिक दृष्टि से कमजोर अल्प आय वर्ग की सैनिक विधवा, विकलांग हैं उनको शास्ति ब्याज में जो छूट दी है उसका लाभ यह हुआ....

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें। अब कृपया समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उसका लाभ यह हुआ कि राजस्थान को, यानि 60 करोड़ का राजस्व वसूल हुआ। यह मैं केवल हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहा हूं, केवल हाउसिंग बोर्ड की। आप यदि नहीं बोलने देंगे तो, अध्यक्ष महोदय सारा, एक मैं निवेदन करूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, बीच में नहीं बोलें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आंकड़े हैं, इनको हम वैसे ही समझ लेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बिलकुल नहीं हैं मंत्री जी के दिये हुए आंकड़े।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सर्कुलेट किया था...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये आंकड़े मंत्रीजी ने नहीं (व्यवधान) आपकी आदतें हमारे यहां नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ये मंत्रीजी ने दिये। यह सारी सामग्री मंत्रीजी की है, यह मंत्रीजी ने दी है। हम वैसे ही समझ रहे हैं, राजस्थान की जनता समझ रही है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप लोग जिस प्रकार से तैयारी करके आते हैं, आपको ऊपर से जो आदेश मिल जाता है वैसा ही आप करते हैं। मैं

(श्री मदन राठौड़)

खुद तैयारी करता हूं, पूरी तैयारी के साथ आता हूं। यही नहीं, मेरे पास आप देखना चाहें, पूरा बस्ता है, आपकी एक-एक बात का जवाब देने की स्थिति में हूं।

श्री अध्यक्ष: सबकी पोल है उनके पास। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप इस प्रकार से अपने जैसा सबको मत समझिये कि आप जैसे ऊपर से निर्देशित होते हैं। हमारे यहां स्वविवेक से चलते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप उनकी बातों का जवाब न दें, अपनी मांग पर बात करें। आपका समय समाप्त हुआ, प्लीज अब आप, मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजस्थान सरकार ने जो सतर्कता समितियां गठित की हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज अब आप, मैंने कहा स्थान ग्रहण कर लें, कनक्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं सतर्कता समिति की एक बात...

श्री अध्यक्ष: आधे मिनट में कनक्लूड कर दीजिए, आधे मिनट में। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तरफ से..

श्री अध्यक्ष: हां, आपका नम्बर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा टाइम खराब किया।

श्री अध्यक्ष: अब नम्बर इधर से है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, अब आपकी इच्छा नहीं है तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद बहुत-बहुत। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

(समय : 18.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8, 20, 29 और 32 पर चल रही चर्चा में मैं आपकी अनुमति से भाग लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि समय-समय पर सरकार ने राजस्व के क्षेत्र में प्रयास

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तो किये कि किसानों की समस्या को देखते हुए कुछ समाधान किए जाएं, लेकिन वे समाधान निचले स्तर तक उतने प्रभावी नहीं हो पाये जितने होने चाहिये।

इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 15 एएए के तहत अनेक खातेदारी के प्रकरण लम्बित चल रहे हैं। उनसे सम्बन्धित वाद लम्बित हैं। उनका निस्तारण करने के लिये समय-समय पर काश्तकारों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर अभी इसके अन्दर कोई प्रभावी निर्णय नहीं हो पाये। इनका वाद निस्तारण करने का जो आधार बनाया जा रहा है, वर्ष 1973 बनाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, जब कि भूमि का कमाण्ड होने के बाद इनके परिवार की स्थिति बदल गयी। मेरा निवेदन है कि ऐसा निर्णय कोई भी किया जाए तो उसमें परिवार की इकाई आज की मानी जाए, जिससे जो उनके बालिग पुत्र-पुत्रियां हैं उस भूमि के अन्दर उनका अपना हक बन सके। इसी के साथ-साथ जो कुछ इसके अन्दर संशोधन करने की बात की जा रही है या इसके ऊपर कुछ कानूनी परीक्षण कराये जाने की बात की जा रही है, मैं आशा रखता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। इस पर ध्यान देने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि सीलिंग सीमा का निर्धारण नहर की स्थिति के आधार पर किया जाता है। आज की हमारी नहरों की स्थिति को देखा जाए और उसी क्रम में भाखड़ा और गंग-कैनाल जिला गंगानगर की सीलिंग सीमा, जिस आधार पर इसका आकलन किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आई.जी.एन.पी. के क्षेत्र में भी इसका आकलन किया जाए तो निश्चित रूप से आज जो सीलिंग सीमा आप 43 बीघा का आकलन कर रहे हैं वह बढ़कर 85 बीघा पर जाएगी।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय में सरकार ने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किये और, कस्बा लूणकरणसर की आबादी भूमि का प्रकरण लम्बे समय से लम्बित था, इसके लिये 7.5.2005 को एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के चलते लगभग 945 बीघा भूमि को मण्डी क्षेत्र से निकालकर ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित किया गया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो भूमि स्थानान्तरित की गयी वह भूमि पूर्णतया वह भूमि नहीं थी जिसके ऊपर आबादी बसी हुई है। बल्कि उससे अलग हटते हुए कुछ इस प्रकार की भूमि और थी जो कि आबादी में नहीं आती है। उससे अलग हटकर ऐसी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बहुत सी भूमि इसमें आने से बकाया रह गयी जहां पर वास्तव में लम्बे समय से आबादी है। न सिर्फ आबादी है, बल्कि, मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कोर्ट, मन्दिर और इसके अलावा समाज कल्याण छात्रावास जैसी जगह भी हैं। पोस्ट आफिस जैसी जगह है लेकिन वह भूमि सारी छूट गयी है। इसके अन्दर एक कमी और भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि कस्बा लूणकरणसर का खसरा नम्बर 677, यह रिकार्ड के अन्दर तो एक बिस्वा बताता है लेकिन मौके पर इसकी स्थिति यह है कि 300 बीघा जमीन वहां पर है। ठीक इसी प्रकार से खसरा नम्बर 688 है जो 307 बीघा 11 बिस्वा का है, जिसमें समाज कल्याण छात्रावास और होस्टल इत्यादि हैं जो मैंने आपको निवेदन किया। खसरा नम्बर 683 है जो 197 बीघा का है। खसरा नम्बर 687 है जो 45 बीघा का है। 730/975 खसरा नम्बर है जो 605 बीघा का है। मेरा निवेदन यही है, अध्यक्ष महोदय, ये वे सारे खसरे हैं जिनके अन्तर्गत वार्ड नम्बर दो और तीन की आबादी है, उसमें से छूट गयी है, मैं आशा करता हूं कि आप इसमें संशोधन करके कस्बे के लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील लूणकरणसर के अन्दर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर, रिपोर्ट संख्या 6/2004 के आधार पर, ऐसी भूमि जो कि अनकमाण्ड से कमाण्ड हुई है, उस पर अंतर-राशि की मांग की जा रही है। इसी क्रम में आपके यहां से एक अधिसूचना जारी हुई है-एफ-92/राजस्व/उप निवेशन-91, दिनांक 21/1/1992, यह अधिसूचना जारी करने से पूर्व जो भूमि कमाण्ड हो चुकी है, जिसको कमाण्ड करने के लिये काश्तकार ने स्वयं का पैसा खर्च करके वहां पर वाटर-कोर्स का निर्माण किया है, उससे भी आज की बाजार दर मांगी जा रही है। यह सिर्फ यहीं नहीं, पूरे राज्य के सिंचित क्षेत्र का यही हाल है। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह चाहूंगा कि इस प्रक्रिया के अन्दर जो काश्तकार के ऊपर सीधा भार पड़ रहा है, पूर्व में भी उसने अपनी भूमि को तैयार करके कमाण्ड योग्य बनाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इसके अन्दर संशोधन कराया जाए।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर भू-दान आबंटियों को और सामान्य और विशेष आबंटियों को जो भूमि आबंटित की गयी, उसी भूमि का वन विभाग को भी आबंटन किया गया। दोहरे आबंटन के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सैकड़ों केस वहां के काश्तकार आज भी लड़ रहे हैं और उनका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। समय-समय पर विधि विभाग ने अपनी ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किये, लेकिन उन दिशा-निर्देशों के जारी किये जाने के बावजूद भी किसान को आज दिन तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। आपने इसी क्रम में 16.10.2004 को भी एक कोई सर्कुलर जारी किया, 13.1.2005 को जारी किया, और हो सकता है उसके बाद में भी किये होंगे, लेकिन मौके की स्थिति आज भी यही है कि ऐसे काश्तकार जिन्होंने अपनी पूरी राशि जमा करा दी किश्तों की, वे अपनी भूमि पर आज दिन तक काबिज नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी भूमि जो वन विभाग को आबंटित है, उसको आप ही के अधिकारी काश्तकार के द्वारा किसी प्रकार का एक दावा तक पेश कर देने से उनको स्टे दे देते हैं। एक ओर ऐसा काश्तकार जिसको आपने जमीन अलाट की है, उसको तो आप अपनी भूमि के ऊपर अधिकार नहीं दे रहे हैं दूसरी ओर वन विभाग की भूमि के ऊपर स्टे देने मात्र से उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। जिस काश्तकार की भूमि को आपने अलाट किया, जिसने अपनी पूरी राशि जमा कराई, चाहे वह सामान्य आबंटी है चाहे विशेष आबंटी है, चाहे फील्ड फायरिंग रेंज में स्थापित हो, उसका आप समाधान करने का कष्ट करें, यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तारबंदी का जो कार्य किया गया, उस तारबंदी के कार्य को करने के चलते काश्तकारों की भूमि उस तारबंदी की सीमा में आ गयी। न सिर्फ काश्तकारों की भूमि उस 40 फीट की सीमा में आयी, बल्कि उससे अलग हटते हुए सौ मीटर के दायरे में जो उनको भूमि काश्त नहीं करने दी जा रही है, उससे भी वे प्रभावित हैं। उसका मुआवजा आज दिन तक देने की बात तो दूर, उसका सर्वे तक पूरा नहीं हो पाया है। वहां पर अगर आप फसल उगाने की सुविधा भी देते हैं तो आपकी कण्डीशन यह होती है कि आप फसल उगाओगे तो एक निश्चित हाइट तक होगी। काश्तकार उसको सम्भाल नहीं सकता है। तो आप उसके मुआवजे की प्रक्रिया को पूर्ण करें और उनको मुआवजा दें। इसके साथ-साथ सेना की गतिविधियां वहां पर चलती रहती हैं, उन गतिविधियों के चलते रक्षा विभाग द्वारा अनेक जगहों पर सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन उन सड़कों के निर्माण करने के अन्दर अवाप्ति की कार्यवाही को नहीं किया गया और काश्तकार की जमीन उसके अन्दर आ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गयी, उसको आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया। विधान सभा लूणकरणसर के सैकड़ों इस तरीके के काश्तकार इससे प्रभावित हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर ध्यान रखते हुए कार्यवाही करेंगे।

वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर उस जमीन के साइड के अन्दर बम वगैरह बनाने के नाम पर सेना वाले आज वापस काश्तकारों की फसल को उजाड़ रहे हैं। इस बारे में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आपसे इस बारे में निवेदन किया गया है, आशा करता हूं कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए जब तक उनको मुआवजा नहीं मिले तब तक उनकी भूमि पर उनका अधिकार रहे और उसके पहले आप मुआवजे की भी जानकारी लेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में महाजन फील्ड फायरिंग की स्थापना की गयी थी, इसकी स्थापना करने के साथ ही वहां पर अवाप्ति के बाद में अलाटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले समय में सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, आदेश क्रमांक प.(3)(18) उप पार्ट-86, दिनांक 19.11.1996 के द्वारा आपने जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे, उसकी अन्तिम समय सीमा निर्धारित कर दी 3/1997 । मेरा निवेदन है कि जिस काश्तकार की भूमि को अधिग्रहित किया उसका हक है, वह अपनी भूमि का आबंटन आपसे लेने के लिये अधिकारी है, आप उसके ऊपर एक अन्तिम सीमा तय करके उसके अधिकारों को रोक रहे हैं। मेरा निवेदन है, इस अधिकार में संशोधन करें। इसी के साथ-साथ जिस भूमि के दोहरे आबंटन या कोई और तरीके के प्रकरण लम्बित हैं, आपने उसमें विकल्प की भी सीमा तय की है। आशा करता हूं कि आप इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और अन्तिम समय सीमा निर्धारण करने की दिनांक है उसको आप निरस्त करेंगे। काश्तकारों की जब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं उसमें आप किसी प्रकार की बंदिश नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया डिस्टर्ब न करें। मेरी बात को रिकार्ड पर आने दें। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन रहेगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध यह रहेगा...

श्री अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रकरण हैं। आपकी इजाजत हो तो निवेदन कर दूं क्योंकि...

श्री अध्यक्ष: नौ मिनट हो गये। आप कृपया एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): दो मिनट मेरे को दीजिएगा, मेरे प्रकरणों पर गौर करते हुए।

मैं चाहूंगा कि जो अनुदान से लम्बित ऐसे लोग हैं, उनकी समय सीमा जो आपने अन्तिम तय की थी उसको आप निरस्त करेंगे।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह है, आज सरकार बात करती है महिलाओं की, विधवाओं के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर ऐसी विस्थापित महिलाएं आज भटक रही हैं जिनकी भूमि के आबंटन का कार्य नहीं हुआ। दु:ख की बात है, मंत्री महोदय, कि आपके कार्यालय से भी लिखे जाने के बावजूद। मैं एक प्रकरण निवेदन करुंगा, एक श्रीमती मीरा पत्नी खूंभाराम हैं, जिनका एक लम्बे समय से, मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से मेरे प्रयास चल रहे हैं। कमिश्नर लिखता है, एस.डी.एम. कहता है, मेरे को कोई पत्र नहीं मिला। 5-5, 6-6 पत्र लिखे जाते हैं, राज्य स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। 1985 के विस्थापित लोग आज तक भूमि के लिये भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार आज वापस गांवों की अवाप्ति की कार्यवाही कर रही है। मंत्रिमण्डल ने अपनी एन.ओ.सी. दे दी है। आज से बीस-बीस, बाइस-बाइस साल पुराने विस्थापित हैं उनका पता नहीं है। जो कालोनी के लिए आपने भूमि आरक्षित की, वह कालोनी की भूमि आबंटित हो गयी और वहां पर जो कालोनी बसनी थी फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों की, उसका पता नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा 8 के.जे.डी.बी. खाजूवाला का, वहीं दूसरी ओर आपने ऐसे विस्थापितों को बसाने के लिए जहां पर भूमि आरक्षित की उस भूमि पर भी उनको अधिकार नहीं मिल पाये हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा आपको राजासर भाटियान के नापासरिया गांव का, वहां पर आपने विस्थापितों को बसाने के लिए भूमि आरक्षित की लेकिन वे विस्थापित आज पुन: विस्थापित की ग्रेड में आने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसी के साथ मेरा अन्त में एक निवेदन और है, भू-प्रबंध विभाग में लम्बित अनेकों प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए जो आपकी कार्यवाही है वह नहीं हो पा रही है। अनेकों गांव इससे प्रभावित हैं। तहसील लूणकरणसर का बकूसर, चुही शेरपुरा, जैतुर और मिठड़िया जहां पर सीमा का विवाद है। ठीक इसी तरीके से तहसील बीकानेर का जालवाली, लाखूसर, लूनिया बड़ावास, सेलेरा, बरजू, बरारा, दीनसर, करणीसर, भाटिया। ये सब वे गांव हैं जहां पर सीमा के विवाद के चलते आज काश्तकारों के अन्दर आपस के विवाद खड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसका निस्तारण चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पैमाइश के विवाद के चलते, अभी दुलमेरा स्टेशन, विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की तहसील लूणकरणसर का गांव है जहां पर खनन कार्य लम्बे समय से चल रहा था, वहां पर ऐसा पत्थर निकलता है जो पत्थर थाइलैंड और न जाने विदेशों में कहां-कहां तक जा रहा है, उस पत्थर का अपना एक नाम है। वहां पर आज किसी व्यक्ति विशेष ने बहुत लम्बी-चौड़ी भूमि खरीद कर पूर्व के खनन करने वाले लोगों को बेदखल करने का प्रयास किया। उसकी पैमाइश का आज तक निपटारा नहीं हो पाया। एक बीघा तीन बिस्वा जमीन वह है जो विवादास्पद है। मंत्री महोदय, यह एक ऐसा विषय है क्योंकि वे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो वहां पर खनन कार्य करते हैं। उनको बेदखल करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, आप उसके ऊपर निगाह करेंगे और उसके अन्दर पारदर्शिता बरतते हुए उन लोगों का कब्जा वहां बरकरार रहे इसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर आपके द्वारा अनेकों आदेश तो जारी किये जाते हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं होती। इसी विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेकों स्थानों पर समय-समय पर सेना का आवागमन रहता है, किसी भी खेत में सेना की यूनिट घुस जाती है, उसकी फसल को उजाड़ देती है, काश्तकार की सम्पत्ति को उजाड़ देती है। जब कि मैं जहां तक समझ पाया हूं, प्रक्रिया यह कहती है कि स्थान विशेष चिन्हित करके पटवारी के मार्गदर्शन के तहत उनको जाकर बसना चाहिए। वह नहीं होता। पटवारी के स्तर पर कार्यवाही नहीं होती। तहसीलदार आपका काम नहीं करता। एस.डी.ओ. उस पर ध्यान नहीं देता।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गरीब काश्तकार जो बड़ी मेहनत से अपनी फसल को वहां पर उगाता है, वह बर्बाद हो जाता है। किसी के आगे नहीं देख पाता। आशा करता हूं कि आप प्रकरण की गम्भीरता को समझेंगे। इसके साथ-साथ मेरा ...(व्यवधान)

(समय : 18.11 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अन्त में एक लास्ट लाइन है मेरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कुछ क्षेत्र मंडी थे, आप उन मंडियों को ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने वाले थे, वे आदेश आज दिन तक नहीं निकल पाये। इसके लिए 17.09.2005 को भी एक बैठक रखी थी जिसके द्वारा लूणकरणसर, जनतौर, खाजूवाला, घड़साना और अनेकों स्थानों की मंडियों को आपको स्थानांतरित करना था। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की कोई भी मंडी स्थानांतरित नहीं हो पायी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, हम आज ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के गेहूं की बात कर रहे हैं, कैरोसीन की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, माननीय सदस्य का कि मैं जब से बैठा हुआ हूं, मेरा विभाग ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपका काम बैस्ट है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आपने कम से कम मुझे ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप मुझे पांच मिनट दिलवाइये। यह ठीक नहीं चल रहा है।

एक माननीय सदस्य: आपका काम इतना अच्छा है, मंत्रीजी, आपका काम इतना अच्छा है कि किसी की कोई समस्या ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह और लो, एक सर्टिफिकेट भी दे दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जो बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के गेहूं का वितरण का कार्य चल रहा है और कैरोसीन का वितरण का कार्य चल रहा है, यह ठीक नहीं चल रहा है। स्थान-स्थान पर इसकी शिकायतें रहती हैं। अनेकों ऐसे डीलर्स हैं जिन डीलर्स को हमने डबल चार्ज दे रखा है। इंटरिम रिलीफ के लिए तो आप डबल चार्ज की व्यवस्था कहीं पर करें, लेकिन अनेकों वर्षों से कई डीलर्स हैं जो दूसरे डीलर का काम कर रहे हैं। यह क्यों है इसकी मैं आपसे ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपकी यह मांग भी, चूंकि आपने यह बात उठायी है, सात दिन में पूरी कर दी जाएगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब। इसके साथ दूसरा मेरा निवेदन और है, माननीय मंत्री महोदय ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, आप कह रहे हो न कि मेरी मांग कोई रखता ही नहीं। एक बच्चे के एक थप्पड़ मारते हैं तब ही वह रोता है। बीस थप्पड़ मारने के बाद तो रोएगा नहीं, वह हुचकी मारेगा। तो आप वाला डिपार्टमेंट तो गर्त में चला गया इसलिए चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अब चर्चा क्या करें, हम तो दु:खी हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके डिपार्टमेंट की बात कहना तो महामूर्खता होगी। एक बनिये ने कहा जाट को कि तू मूर्ख है तो उसने थप्पड़ मारा। तो जाकर किसी ने कहा कि तेरे थप्पड़ कैसे मारा? बोलता है कि यार, मैंने उस जाट को मूर्ख कह दिया। बोला, जाट कह देना ही काफी था, मूर्ख कहने की जरूरत कहां आयी? तो आपके डिपार्टमेंट को तो इतना कह देना ही काफी है। और की क्या जरूरत है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी के साथ गैस वितरण के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदयजी की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, गैस की वितरण व्यवस्था भी उचित नहीं है। अनेकों ऐसे बड़े कस्बे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको निवेदन करना चाहूंगा, कस्बा लूणकरणसर, जहां पर 1500 से ज्यादा गैस कनेक्शन हैं लेकिन किसी तरीके का डीलर नहीं है। ठीक इसी तरीके से कस्बा खाजूवाला है। तो इसकी भी कोई व्यवस्था की जाए। आशा करता हूं कि आप इसके अन्दर जल्दी ही कोई सुधार दिलवाएंगे।

अन्त में मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का कस्बा नापासर ऐसा कस्बा है, माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा सुनने का कष्ट करेंगे? मंत्री महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल एक सुविधा चाह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बा नापासर एक ऐसा कस्बा है जो पूर्व में नगरपालिका था, उसको नगरपालिका से बदल कर पुन: ग्राम पंचायत कर दिया गया। जब नगरपालिका की व्यवस्था चल रही थी उसी के साथ वहां पर सफाईकर्मी भी लगाये गये थे। वे सफाइकर्मी आज अल्प वेतन भोगी हैं, 1500 रुपये की राशि उनको मिल पा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनकी राशि को बढ़ाएं। आज की व्यवस्था को देखते हुए जो मिनिमम वेज है वह उनको दिलवाएं।

दूसरा, आपने पिछले समय में एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा आश्वासन दिया था कि आप अनेक ग्राम पंचायतों को पुन: नगरपालिका करने वाले हैं। तो क्या उनको भी करने वाले हैं, यह भी आप बताने का कष्ट करें। आशा करता हूं कि जो बड़े कस्बे हैं जहां की स्थिति खराब है, आप उसके अन्दर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि या तो नगरपालिका बने और आप अपनी ओर से राशि उपलब्ध कराएं जिससे उनका उद्धार हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपके लिए ही कह रहे हो ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): बिना पढ़ा जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप तो पहले कर्मचारी रहे हुए हैं आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह घरेलू मामला है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व, 20-आवास, 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास और 32 नागरिक आपूर्ति पर चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि तीन साल पहले आम चुनावों के समय जो जनता से हाउस टैक्स माफ करने का वादा करके आये थे, आपने दुबारा जनता के बीच में जाने से पहले इस वादे को पूरा किया और राजस्थान की जनता को हाउस टैक्स से राहत प्रदान की। मैं इसके लिए आपका और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

आज जब प्रारम्भ में नगरीय विकास की चर्चा हाउस में होने वाली थी तो प्रतिपक्षी पार्टी के लोग इतने उत्साह में नजर आ रहे थे कि मानो आज आसमान से उल्का पिंड गिराएंगे। लेकिन जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे ही तीन साल पुरानी कुछ परतें हटाईं, प्रतिपक्ष की स्थिति ऐसी हो गयी जैसे आसमान में उड़ते हुए गुब्बारों में आलपिन चुभो दिया हो। अच्छा होता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि लगातार भ्रष्टाचार की चर्चा करने के बजाए कुछ मुद्दों की बात करते। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आप भ्रष्टाचार की चर्चा को अफवाहों में मत लो। हवा में मत उड़ाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर भी हवा में बात न करें। आप अपने अपराध की गिल्टी महसूस करते कि हमने पिछले पांच साल के शासनकाल में राजस्थान के नगरीय विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में जो कमी रखी है, उसका दण्ड राजस्थान की जनता ने हमको दिया है। आज उस अपराध की गिल्ट स्वीकार करके राजस्थान की जनता से हम क्षमा-याचना करते। अच्छा होता, आप सब लोग इस बारे में बात करते और मौलिक सुझाव देते कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। राजस्थान की जनता को आज जरूरत है मूलभूत आवश्यकताओं की। आज कच्ची बस्ती को पट्टे की जरूरत, आज राजस्थान की धरती पर बसी हुई हजारों कृषि कालोनियों को नियमन की जरूरत है। लेकिन इस दिशा में किसी ने गंभीरतापूर्वक चर्चा नहीं की। भ्रष्टाचार का आरोप दर आरोप। जे.डी.ए. और 90-बी के बाहर निकलने की किसी ने चेष्टा नहीं की। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के आरोप लगना सामान्य प्रक्रिया है, पक्ष-विपक्ष के नाते एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगते हैं। लेकिन हम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

योजना से भ्रष्टाचार को कानूनी चेहरा प्रदान करने की कोशिश करें, लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। मैं अगर गलत हूं तो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे करैक्ट करेंगे, जब जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य समझौता समिति के प्रकरणों का उल्लेख कर रहे थे आपने बीच में टोका था कि क्या एक भी समझौता समिति के फैसले को राजस्थान के उच्च न्यायालय ने पलट दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझौता समिति के नियमों में आपने प्रावधान कर दिया कि जो मामले समझौता समिति में आएंगे, कोई भी पक्षकार राजस्थान के उच्च न्यायालय में उसको लेकर नहीं जा सकेगा। आपने कानूनी प्रावधान कर दिया। समझौता समिति के नाम पर खुला भ्रष्टाचार कर लो और भ्रष्टाचार को कानूनी चेहरा प्रदान करने के लिये कि कोई अदालत में नहीं जा पाए, उसकी लीगलिटी साबित करने के लिये क्लॉज डाल दिया कि समझौता समिति के बाद कोई पक्षकार अदालत में नहीं जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर जे.डी.ए. में समझौता समिति में जितने प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, हजार करोड़ रुपये का घपला। सैकड़ों करोड़ रुपये की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़ों रुपये का घपला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 90-बी की आप बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं पंजाब का चुनाव जे.डी.ए. ने लड़वाया, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव जे.डी.ए. लड़ाने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 जारी किया गया, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 में क जोड़कर संशोधन किया गया। इसी प्रकार राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 में ए और बी में क्लाज, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की उप धारा 1 में सब क्लाज 2 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया ? उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि सैकड़ों कोलोनाइजर्स ने बिना किसी कानून की परमिशन के राजस्थान की धरती पर हजारों कालोनियां काट दीं। कालोनी कटने से पहले, कालोनी बसने से पहले उसको रोके जाने के लिये जे.डी.ए. के, नगर विकास न्यास के सक्षम कानून खड़े थे लेकिन किसी ने कार्यवाही नहीं की और अब कानून में संशोधन लाकर आपने हड़कम्प मचाया कि जिस किसी ने भी कृषि भूमि का अकृषि कार्य के लिये उपयोग ले लिया, उसको सिवाय चक करके राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज कर दिया जाएगा। राजस्थान के तमाम कोलोनाइजर्स में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हडकम्प मचा। और कौन नहीं जानता, राजस्थान का एक-एक व्यक्ति, कि इस नाम पर राजस्थान के कोलोनाइजर्स से कितने सैकड़ों करोड़ों रुपये की राशि वसूल की गयी। राशि ही नहीं वसूली गयी जिस प्रकार से समझौता समिति के नाम से खुल्ला भ्रष्टाचार किया गया, कालोनियों में जिस प्रकार का तांडव मचाकर पैसा वसूल किया गया, पूरे राजस्थान में एक चर्चा बनकर खड़ी हुई कि राजस्थान का जे.डी.ए., ए.आई.सी.सी. और कांग्रेस की प्रमुख नेता का खर्चा चला रहा है इसलिए भ्रष्टाचार की छूट मिल रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और कोई बाकी हो तो लगाओ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा के दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप नहीं है, क्या प्रशंसा है ? फिर हम आरोप लगाएं तो आप कहो कि यह नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तीन साल तक क्या नींद निकाल रहे थे, गुंजल साहब ? आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि तीन साल तक, पिछली सरकार ने इतने करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किये, एक के खिलाफ प्रोसीक्यूशन नहीं कर सके आप?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हमारी सरकार आपके साथ सदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो आप किस पर बोल रहे हैं ? आप गवर्नर स्पीच पर बोल रहे हैं या डिमाण्ड पर ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तीन पकड़े, ए.सी.डी. में चल रहे हैं न।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सज़ा दो न उनको । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, देंगे न उनको। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बच जाओगे क्या ? आप बच जाओगे क्या ? ए सी डी में हैं तो ए सी डी में क्या होता है? (व्यवधान) सज़ा मिल गयी क्या ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): करोड़ों रुपयों की सम्पत्तियां आपके खुद के पास कहां से आयीं ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 25 केस चले, उसमें सज़ा मिल गयी क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपके पास 200 करोड़ की सम्पत्ति कहां से आयी ? (व्यवधान) आप इसका स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कांग्रेस वाले कहें तो आरोप, यह कहें ए.आई.सी.सी. का खर्चा चल रहा है तो आरती उतारो हमारी। (व्यवधान) दोहरे मापदण्ड नहीं चलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो खुली चुनौती है कि इनके खिलाफ कार्यवाही करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान) लेकिन हमारे भ्रष्टाचार के नाम पर इनके करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार बच जावें, यह भी सम्भव नहीं है। (व्यवधान) डिबेट को रैगुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। 2006-07 की डिमाण्ड के ऊपर बहस हो रही है, 2006-07 में भी कांग्रेस है क्या ? 2007-08 में भी कांग्रेस है ? अब राज पलट गया। तीन साल राज आपका रहा, राज में आपको सम्पूर्ण अधिकार हैं यदि कांग्रेस ने बेइमानी की है तो प्रोसीक्यूट करके सज़ा देते। आज डिमाण्ड चल रही है 2007-08 की, 2007-08 में यह विभाग क्या काम कर रहा है, कितनी जमीनें बेच रहा है, कितनी जमीनें पूरी दे रही हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस ने यह किया इसलिए हम भी यह करेंगे, यह गवर्नर की स्पीच में भाषण देते, एप्रोप्रियेशन पर भाषण देते तो मैं समझता हूं, ठीक रहता। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब डिबेट ढंग से नहीं हो रही हो तो आप इसमें इन्टरवीन करें। और आपको आरोप ही लगाने हैं तो लगाओ आरोप, क्या तकलीफ है । आरोप सुनने के लिये खड़े हो जाएं वापस। तब तो खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट मिनिस्टर कि पंजाब में पैसा नहीं दिया, यू.पी. में पैसा नहीं दिया, राजस्थान चलाने के लिये पैसा नहीं ले रहे हैं हम और आगे बी.जे.पी. चलाने के लिये पैसा नहीं लेंगे। यह आरोप नहीं लगाएंगे हम। दोहरे मापदण्ड नहीं हो सकते । यदि यह सत्य है कि कांग्रेस ने बेइमानी की है तो प्रोसीक्यूट करिये, आपको अधिकार है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ और घनश्यामजी तिवाड़ी ने अपने बच्चे की शादी ई.पी. में करवाई है, आपके बच्चे की शादी जलमहल में हो, इसलिये हम इतने करोड़ रुपये की जमीन दे दें, यह भी सम्भव नहीं है। दोहरे मापदण्ड नहीं हो

(डा. सी.पी. जोशी)
सकते। करोड़ों रुपये की जमीन देकर 4700 रुपये में आप अपना सर्टिफिकेट लेना चाहें, वह पैसा लेकर किसलिये करना चाहते हैं ? आप अपने लिये लेना चाहते हैं, पार्टी के लिये लेना चाहते हैं, यह आरोप लगाएं क्या हम ? मैं समझता हूं, हम अपनी जो डिबेट है, मात्र दूसरे के ऊपर काला छींटा रखकर अपने कालेपन को नहीं छिपा सकते। आपको पूरा अधिकार है, तीन साल तक इस सरकार ने यदि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो कोई अधिकार नहीं बनता है कि यह भ्रष्ट सरकार उन आरोपों से बचने के लिये हम पर आरोप लगाए। आपको पूरा खुला अधिकार है । आप तो बताएं, माननीय गुंजल साहब, दिल पर हाथ रखकर बताएं कि 90-बी के अंदर कोटा में क्या हुआ? 2006-07 में क्या हुआ ? 2007-08 में क्या होने वाला है, उस पर चर्चा करें न आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): वही बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रकरणों का उल्लेख आज आपके सामने करना चाहता हूं। कोटा में ग्राम बालाकुण्ड पंडित पंडरीनाथ ट्रस्ट का राज्य स्तरीय समझौता समिति में मामला गया। उपाध्यक्ष महोदय, पंडित पंडरीनाथ ट्रस्ट जिस जमीन का मालिकाना हक बताता था, कोटा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमा हारा, रेवेन्यू बोर्ड से मुकदमा हारा और केवल हाई-कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था, जिस पर जरूरत तो इस बात की थी कि राजस्थान सरकार के पक्ष को जोरदार तरीके से रखते। जिस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा हारा, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकदमा हराकर, कम से कम 200 करोड़ रुपये की जमीन सरकार के पजेशन में ली जानी चाहिये थी। उसको ओब्लाइज करने के लिये 50 करोड़ रुपये की जमीन ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक-एक चीज पर ...(व्यवधान) Don't compel me to say all these things. खड़े होकर जिनके शीशे के मकान होते हैं वे दूसरों पर पत्थर फेंका नहीं करते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): समझौता समिति में लेकर 50 करोड़ रुपये की जमीन उसमें सुपुर्द कर दी और दूसरा प्रकरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): दो-तीन बात कह कर कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों प्रकरण इस प्रकार के हैं जिसमें आप लोगों ने भ्रष्टाचार ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और करेंगे, हिम्मत हो तो कार्यवाही करो। क्या तकलीफ है, भ्रष्टाचार की सज़ा दीजिए, प्रोसीक्यूट करिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): और करोगे तब जब अब जनता अवसर देगी। अब तो जनता अवसर ही नहीं देगी आपको, करोगे कहां से? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नहीं बच सकते इसकी वजह से। यदि भ्रष्टाचार किया, सज़ा दीजिए, आपको अधिकार है, पर उससे आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिल सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अब आपको जनता अवसर नहीं देगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, आप इतने अक्षम आदमी हो कि सरकार आने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हो, फिर काहे का गुणगान कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य: भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): करिये कार्यवाही, आपको पूरा अधिकार है। उनका उदाहरण देकर आपके काले-कारनामे नहीं रुक सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल के लिए जमीन की कमी है और 1981 में आपकी सरकार ने ही 491 बीघा जमीन अवाप्ति की कार्यवाही कुन्हाड़ी में प्रारम्भ की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर दिया। 2002 में स्थगन आदेश जारी,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वो खतम हो गया, प्रशासन ने वापस अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सारे अवाप्ति के नियमों को ताक पर रख कर 491 बीघा की जगह 24 हैक्टेयर मात्र जमीन को एक्वायर करके बाकी जमीन को मुक्त कर दिया। आज कुन्हाड़ी की उस कालोनी के अन्दर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कौनसा उस सरकार के समय का मंत्री और विधायक है जिसका करोड़ों रुपये की लागत का भू-खण्ड नहीं है? इस प्रकार के फैसले किये और सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। आज भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, करोड़ों रुपये के चक्कर में मुझ को मत घसीटो। करोड़ों रुपये के चक्कर में तो ये संसदीय सचिव और रामगंजमण्डी वाले रह जाएं जो ही ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह मुझे मत जोड़ो, आप भी जानते हो किस मन से कह रहे हो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं नहीं जोड़ रहा, संसदीय सचिव जोड़ते हैं। उनके पास क्या दुर्गति हुई, याद है आपको?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कोई दुर्गति नहीं हुई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यहां मकान में रह रहे थे, वहां किस प्रकार की वारदात हुई, आपको याद है? आपने डेयरी का चुनाव लड़ा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मुझ से हाउस में मत कहलाओ, कोई दुर्गति नहीं हुई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी क्या दुर्गति की इस सरकार ने, आपको याद है? यह कोआपरेटिव मिनिस्टर थे। हां, मकान का। हां, यों मत करो बात। हम को मत छेड़ो, नहीं तो हम भी ...

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आप भी जानते हो, मैं किसी दुर्गति की परवाह नहीं करता। आप भी जानते हो, मैं किसी दुर्गति की परवाह नहीं करता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अपने मकान का सर्टिफिकेट भी ले लो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री के द्वारा, सहायता मंत्री, कृषि मंत्री के द्वारा जो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दुर्गति आपकी चुनाव में की गयी थी उसके बावजूद भी आप झूठी प्रशंसा के पुल बांध रहे हो। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। आपको कहना चाहिए कि आपके साथ क्या-क्या हुआ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अब आप सब जानते हो कि किसकी दुर्गति हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नगरीय विकास के साथ राजस्व की मांग भी है, मैं दोनों से जुड़ा हुआ एक मसला रखना चाहता हूं। कई बार राजस्व मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में चर्चा हुई। 91 और आबंटन के सम्बन्ध में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत मौलिक विचार दिये। आज भी राजस्थान के अन्दर बंजर और पठारी इलाके में जो लोग पसीने की बूंद-बूंद डाल कर धरती को उपजाऊ बनाने की चेष्टा करते हैं, पिछले 40-40, 50-50 साल से 91 के जुर्माने दे रहे हैं, उनको अलाटमेंट के राइट्स नहीं मिले। अलाटमेंट के राइट तो नहीं मिले, बेदखली के बाद आज हालात ये है कि तीन-तीन माह की सज़ाएं सुनायी जा रही हैं। सजाओं में अगर आप जुडीशियल कोर्ट में जाएंगे तो अपील का प्रावधान है, नियमों के दायरे में अपील हो जाती है। लेकिन तहसीलदार ने जिस को सज़ा सुना दी वो दर-दर की ठोकरें किसान खा रहा है। अगर कलक्टर प्रीजुडिश है तो उसकी अपील में सुनवाई नहीं हो रही। इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सरकार को विचार करना पड़ेगा।

दूसरा अहम मसला जो कभी राजस्थान में कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनने की स्थिति पैदा कर सकता है। जब शहर बसे थे, जो शहरों के पास गांव बसे थे, जिन लोगों ने जंगल में जीवन बिता कर जमीन को उपजाऊ बनाया और आज से बीसों साल पहले जिनको खातेदारी अधिकार मिल जाने चाहिए थे, अलाटमेंट राइट मिल जाने चाहिए थे, आपने जब 1971 में मास्टर प्लान लागू किया तो कानून बना दिया कि नगर निगम, नगर पालिका की पैरीफेरी के निश्चित किलोमीटर में आने वाले किसानों को अलाटमेंट नहीं होगा। क्या अपराध है उन किसानों का? 2001 तक इस प्रकार की अधिसूचनाएं जारी करके जो 96 में कब्जाधारी बैठा है उसको अलाटमेंट कर दो, लेकिन जब से शहर बना, जो सैकड़ों सालो से बैठा है लेकिन 1971 के मास्टर प्लान के दायरे से प्रभावित हो गया, किस आधार पर उसके अलाटमेंट के राइट को, आबंटन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के अधिकार को वंचित कर रहे हो? आज स्थितियां ये हो गयीं कि उन जमीनों को मास्टर प्लान की सीमा, नगर पालिकाओं की सीमा बढ़ने के बाद जिस पर सैकड़ों सालों से परिवार चला रहा है किसान, सैकड़ों सालों से गरीब अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहा है, नगर निगमों के खाते में दर्ज करने के कारण उनकी बेदखली के राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए प्रश्न खड़ा होने की स्थिति बन गयी। गैर खातेदारी के मामले में जो नगर निगम की सीमा में आ गये, मास्टर प्लान की सीमा में आ गये, अकेले अजमेर जिले में चार हजार प्रकरण विचाराधीन हैं जिनको गैर खातेदारी से खातेदारी किया जाना चाहिए। कोटा जिले में ऐसे हजारों प्रकरण दर्ज हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जिस जमीन पर पचास सालों से अपने परिवार को राजस्थान का किसान पाल रहा है, उसको किसी नगरीय कानूनों की सीमा में बाँध कर उसके पेट पर लात मारने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। हम गरीब के साथ न्याय करने के लिए शासन में बैठे हैं, गरीब के साथ अन्याय करके कोई कानून का कठोर डंडा उसके माथे पर चला कर उसके पेट पर लात मारने के लिए नहीं बैठे। यह बहुत गम्भीर मामला है जिसमें राजस्थान में किसी भी वक्त किसानों के मन में आग सुलग सकती है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुंजल साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कह कर, सुझाव देकर खतम कर रहा हूं।

दूसरा, राजस्थान में 91 का मास्टर प्लान चल रहा है, कई जगह 2001 का मास्टर प्लान लागू हो गया। 2001 का मास्टर प्लान लागू होने के बाद थोड़ा कृषि कालोनियों में नियमन की सहूलियत बढ़ी, लेकिन जहां 91 का चल रहा है और 2000 का बन कर तैयार हो गया, जहां पर अदर कम्युनिटी फैसिलिटी बोल रही है, जहां परिधि नियंत्रण पट्टी बोल रही है, 2001 के मास्टर प्लान में उसका दायरा बदल दिया, उसका उपयोग बदल दिया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2001 का रिवाइज मास्टर प्लान तुरन्त ही राजस्थान में लागू होना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को कृषि कालोनियों में पट्टे जारी किये जा सकें, उनका नियमन हो सके।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम बात आज और कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर को वाई-फाई सिटी बनाने का जो संकल्प किया है, यह स्वागत योग्य कदम है नगरीय ढांचे को मजबूत करने के लिए। और एक बात उन्होंने अपार्टमेंट कानून की कही है कि हम बहुमंजिला इमारतों के फ्लैट का स्वामित्व देने के लिए राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। फ्लैट वाले व्यक्ति को अपना मालिकाना हक मिलेगा। उसके आधार पर लोन वगैरह कई प्रकार की सुविधा उसको मिलेगी, कई प्रकार के काम वो कर पाएगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात मंत्रीजी से पूछ कर अपनी बात को विराम देता हूं कि जो कोटा में जीरो सैट बैक पर बहुमंजिला इमारतें बन गयीं, क्या कानूनन आप उनको रैगुलराइज करेंगे? या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिनके गिरने के कारण मौत हो गयी? इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री लालचंद मेघवाल।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति विभाग, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास और मांग संख्या 8-राजस्व पर जो मुख्य रूप से किसानों से जुडी हुई हैं, मैं इसमें सम्मिलित होते हुए कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि इन्होंने 01.01.04 के पूर्व बकाया किश्तों की राशि में ब्याज छूट देकर किसानों को एक विशेष तौर से तोहफा दिया है। इस दौरान अकेले मेरे रायसिंहनगर तहसील, गंगानगर जिले के किसानों ने करीब तीन करोड़ रुपये राजस्व वृद्धि करायी और कम से कम 1000 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 93 और 94 के अन्दर गंग नहर आबंटन एवं विक्रय अधिनियम, 56 की धारा तीन और चार के अन्दर नियम था गंग कैनाल क्षेत्र में एक टी.सी. से पुख्ता आबंटन को रकबा करने के लिए। एक मुरब्बे की कीमत 30975 थी। बारानी

(श्री लालचन्द मेघवाल)

क्षेत्र में मात्र 19 हजार 900 रुपये थी। उसको पुरानी कांग्रेस की सरकार ने 24.11.01 को, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करके एक मुरब्बे की कीमत नहरी क्षेत्र में आठ लाख रुपये और बारानी क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपये कर दी। क्या इसको किसानों की हितैषी सरकार कहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का विशेष आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक विशेष सर्कुलर के तहत मेरे आग्रह पर रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करके जो मूल आरक्षित कीमत थी आठ लाख रुपये, एस सी एस टी और ओ बी सी काश्तकारों को मूल आरक्षित कीमत की एक चौथाई और सामान्य काश्त के लोगों के लिए आधी कीमत में एक मुश्त राशि में पुख्ता आबंटन किया। इसके लिए मैं माननीय राजस्व मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा। इसी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1992 के अन्दर रायसिंहनगर तहसील के अन्दर कुछ टी सी से रकबा पुख्ता आबंटन किया गया था, लेकिन इस दौरान तत्कालीन जिला कलक्टर ने स्थानीय उपखण्ड अधिकारी से आपसी द्वेषता के कारण उस रकबे को जो खारिज कर दिया था। माननीय मंत्री महोदय ने हमारे विशेष आग्रह पर उस समय की रेट के मुताबिक, उस समय का रेट था 30 हजार 900 रुपये, उसी रेट में जिन लोगों ने एक या दो किश्तें अदा कर दी थीं, उन्हीं को पुख्ता आबंटन किया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा उपखण्ड मुख्यालय रायसिंहनगर है वहां RAA का कोर्ट कैम्प है और यह कोर्ट कैम्प राज्य आदेश के अनुसार एक महीने में सात दिन लगता है। पिछले 7.4.06 को रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर ने एक आदेश जारी करके यह कोर्ट कैम्प सात दिनों के बजाय एक माह में मात्र तीन दिन का कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर को कोई ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह कोर्ट कैम्प अलाउ किया था उसे रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर ने तीन दिन का कर दिया। आप यह जो रेवेन्यू का कोर्ट कैम्प है यह एक माह में सुनिश्चित करें कि सात दिन का कोर्ट कैम्प हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्युएंसी के कुछ सर्किल हैं, संविदा सर्किल और रेवेन्यू सर्किल जो गजसिंहपुरा उप तहसील के नीचे आता है। यह रायसिंहनगर तहसील से चिपता है और बीस किलोमीटर की डिस्टेंस

(श्री लालचन्द मेघवाल)

पर है और गजसिंहपुरा 45 किलोमीटर पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संविदा रेवेन्यू सर्किल है वह आप गजसिंहपुरा के बजाय तहसील रायसिंहनगर के साथ एड करें तो किसानों को निश्चित तौर पर वहां फायदा मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि आप गंग कैनाल क्षेत्र में कुछ किसानों को टी सी से पुख्ता आबंटन रकबा करते हैं उसमें कुछ नियमों में संशोधन करने की व्यवस्था करावें । जो आपने छूट दी थी टी सी से पुख्ता आबंटन की, एस सी, एस टी और ओ बी सी कास्ट के लिए वन फोर्थ और सामान्य कास्ट के लिये हाफ कीमत से पुख्ता आबंटन, एक मुश्त राशि भरने की जो डेट 31.12.06 थी आप निश्चित तौर पर वह डेट बढ़ाकर 31.12.07 करें। हमारा इस क्षेत्र का जो टी सी का रकबा है वह रायसिंहनगर तहसील और हनुमानगढ़ व रावतसर और सूरतगढ़ तहसील में ही पड़ता है, पूरे राजस्थान में ये तीन तहसीलें ही ऐसी हैं जहां टी सी प्रकरण चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जरूर-जरूर यह मियाद बढ़ाएं ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों का विशेष तौर से भला हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, गंग कैनाल क्षेत्र में किसानों को टी सी से पुख्ता आबंटन रकबा होता है। उसमें टी सी धारक के पास जो रकबा इनका रेवेन्यू एक्ट का सर्कुलर है गंग कैनाल का, उससे कहीं ज्यादा होता है। तो आप आई जी एन पी कैनाल की तर्ज पर उन किसानों के जो वारिस हैं चाहे पुत्र हों या पुत्रियां हों, उनके बालिग काबिजों को पुख्ता आबंटन करें ताकि हमारे गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों का भला हो सके। इसकी जो तारीख 1.1.85 है, बालिग पुत्रों की तारीख, इसकी जगह 1.1.2005 करें, क्योंकि उस समय के बच्चे आज बालिग हो गये हैं, उनके भी पुत्र हो चुके हैं, वे भी बालिग हो चुके हैं इसलिए जो डेट 1.1.85 की जगह आप निश्चित तौर पर 1.1.05 करें ताकि हमारे किसानों को लाभ मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने एकमुश्त राशि भरकर टी सी से पुख्ता आबंटन जमीन ली है, रेवेन्यू एक्ट में यह सर्कुलर है कि पात्र व्यक्ति जिसको पुख्ता आबंटन होता है उसको खातेदारी अधिकार तीन साल के बाद में दिये जाते हैं। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। पात्र किसान जिन्होंने एकमुश्त राशि अदा कर दी है, आप उनको एक माह में खातेदारी अधिकार दें ताकि किसानों को फायदा मिले।

(श्री लालचन्द मेघवाल)

रायसिंहनगर तहसील के कुछ एरिया डीकमाण्ड हैं, मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि आप उस एरिए को डीनोटिफाइड करें ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर क्षेत्र पूरा कस्टोडियन रकबा है लेकिन कस्टोडियन रकबे के किसानों के पास खातेदारी अधिकार नहीं हैं इसलिए न तो वे लोन ले सकते हैं न कोई और है। न उनके नाम है, जमा बंदी भी उनके नाम नहीं है। इसलिए आप एक विशेष योजना के तहत वहां कोई ऐसा कार्यालय स्थापित करें ताकि कस्टोडियन रकबा जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास काफी समय पूर्व उस रकबे की रजिस्ट्री हो चुकी है, उनका इन्तकाल दर्ज कराने की व्यवस्था हो ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमारे पूरे रायसिंहनगर क्षेत्र में करीब पच्चीस सोसायटियां काम कर रही हैं, 1958 में ये सोसायटियां बनी थीं। कुछ काश्तकारों के नाम जोड़ने के बाद कभी सोसायटियों का नवीनीकरण नहीं हुआ। सोसायटीज एरिये में कुछ काश्तकारों को जमीनों के पुख्ता आबंटन कर दिये गये लेकिन रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है। आप निश्चित तौर पर जिन काश्तकारों को सोसायटी रकबा पुख्ता आबंटन कर दिया गया है, उनका अमल दरामद करावें और 1962 या इससे पूर्व जो काबिज हैं उन सोसायटीज के रकबे पर उनको पुख्ता आबंटन करने की व्यवस्था करावें ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों का भला हो।

अब मैं मांग संख्या 29 पर थोड़े-से विचार प्रकट करना चाहूंगा। मेरी रायसिंहनगर तहसील के नगरपालिका क्षेत्र में बी एस एफ हैडक्वार्टर से मुख्य बस स्टैण्ड तक की सड़क बहुत खराब है। पिछले साल से नगरपालिका क्षेत्र में यहां से कोई विशेष पैकेज नहीं गया है, विशेष तौर से नगरपालिका क्षेत्र में आप ऐसा विशेष पैकेज दें। बार्डर नजदीक है, बिल्कुल डैड लाइन पर हमारा रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र है, आप बार्डर एरिये को समझकर चाहे वह बी श्रेणी के हैं चाहे ए श्रेणी के हैं, निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे, ऐसी मैं सोच रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि आप कस्टोडियन रकबे की कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे किसानों का भला हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सुन्दर अवसर उपस्थित किया है कि जब सदन की नेता भी वसुन्धराजी हैं, राज्य को नेतृत्व भी वसुन्धराजी प्रदान कर रही हैं और वसुन्धराजी का अर्थ है धरती, धरती से जुडी हुई मांगों पर आपने आज एक साथ चर्चा कराने का फैसला किया है- नगर आयोजना, प्रादेशिक विकास, रेवेन्यू और आवासन। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन उम्मीदों के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, इस चौथे बजट के पेश होते-होते वे उम्मीदें पूरी तरह धूल-धुसरित हो गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अपने सवा तीन साल के कार्यकाल में राजस्थान में एक भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया। जो बस्तियां अवैध रूप से बसी हुई हैं ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 175 करोड़ रुपये की योजना जयपुर में चल चुकी है। एक भी नहीं की है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब आपको बोलने का मौका दिया था तो मैंने टोका नहीं था आपको। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह बताया मैंने आपको। संशोधन कर लेना।

एक माननीय सदस्य: भूल नहीं जाएं यह तो याद कराता है आपको। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस सरकार की शिथिलता और उदासीनता की हद है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में अपनी निष्पक्ष नीति बनाकर लाइये, ढाई साल हो गये, यह सरकार फैसला नहीं कर सकी। अपना सोच और अपना दर्शन कच्ची बस्तियों के बारे में क्या है, उससे राजस्थान उच्च न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सकी। आज लाखों की तादाद में गरीब बस्तियों में बैठा हुआ आदमी उस एक पट्टे के लिये तरस रहा है।

यह जो प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय ने

(श्री संयम लोढ़ा)

अनुमोदित करके हमको भेजा है, मैं इसके माध्यम से बताऊंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर मंत्री महोदय वसुन्धरा चालीसा का पाठ करने और उनकी आरती उतारने के बजाय राजस्थान की जनता को सुविधा उपलब्ध कराने और भारत सरकार ने जो पैसा उपलब्ध कराया है उसको राजस्थान की जनता के बीच में खर्च करने में अपना ध्यान लगाते तो आज उनके विभाग का प्रदर्शन इतना कमजोर नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राज्य वित्त आयोग अनुदान इस सरकार को, 2006-07 में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन इस प्रगति प्रतिवेदन के मुताबिक 60 करोड़ रुपये के अनुदान के विपरीत यह सरकार सिर्फ 31 करोड़ रुपये अभी तक भेज सकी है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 12वें वित्त आयोग का अनुदान जिसके अन्दर 2006-07 में इस सरकार को 45 करोड़ 10 लाख रुपये नगर पालिकाओं को वितरित करने थे, उसके विपरीत मात्र 23 करोड़ रुपये यह सरकार वितरित कर सकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि 12वें वित्त आयोग के अन्दर जो धन उपलब्ध हुआ है, राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीकृत खरीद का फैसला क्यों किया ? क्यों आप राजस्थान की तमाम नगर पालिकाओं को मजबूर कर रहे हो कि जो आप राज्य सरकार के स्तर पर खरीद करोगे उसी खरीद को उनको स्वीकार करना पड़ेगा? जो माल आप लोगे, जो माल आप भेजोगे, राजस्थान की सारी नगर पालिकाओं को वही माल लेना पड़ेगा। इस केन्द्रीकृत खरीद की वजह से पिछले दिनों भी आपकी जानकारी में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कचरे के अन्दर कंटेनर की खरीद का मामला, वह भी 12वें वित्त आयोग का पैसा था जिसमें अनियमितता पायी गयी, भ्रष्टाचार पाया गया और इसी सदन में सरकार के मंत्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि मैं इसकी जांच कराऊंगा।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, स्व रोजगार हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, क्या आपकी हालत है ? 2006-07 में, मंत्रीजी, आपका 5,000 का लक्ष्य था, और

(श्री संयम लोढ़ा)

आपने कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया ? मात्र 1050 को। यह साल खतम हो रहा है, आपकी बीस फीसदी भी उपलब्धि नहीं है और आप सरकार की उपलब्धियों को पता नहीं क्या-क्या बताना चाहते हो।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि शहरी क्षेत्र में महिला व बच्चों का विकास कार्यक्रम द्वाकरा, 2005-06 का इसमें इन्होंने फिगर दिया है, पूरे राजस्थान में मात्र 34 समूह का आप गठन कर सके हैं दस-दस महिलाओं का भी और आप राजस्थान को शिखर पर ले जाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार आपको करोड़ों रुपये उपलब्ध करा रही है क्योंकि भारत सरकार शहरी क्षेत्र के अन्दर एक नया सोच लेकर देश के अन्दर आयी है और पूरे देश के तमाम लोगों को और शहरों को इस बारे में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा दे रही है।

बालिका समृद्धि योजना, आपकी मुख्य मंत्री ने तो पिछला बजट भी स्त्री शक्ति को समर्पित किया था, इस बार का बजट भी महिलाओं को समर्पित किया है, आपकी क्या उपलब्धि है बालिका समृद्धि योजना में ? 2005-06 में 1270 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था और 2006-07 में यह मार्च महीना आ गया, मात्र 506 लड़कियों को आप लाभान्वित कर सके हो। पिछले साल से 60 फीसदी कम, यह आपकी उपलब्धि है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी क्षेत्र नवीनीकरण मिशन, इसमें तीन शहरों का चयन किया गया अजमेर, जयपुर और पुष्कर। सात साल की अवधि है और 2005-06 में यह योजना शुरू हो गयी, अजमेर और पुष्कर के अन्दर आपने इस साल के अन्दर एक पत्थर भी लगाया हो या एक रुपया भी खर्च किया हो तो, मंत्री महोदय, जब जवाब दो तब आप खड़े होकर इस बात का जवाब दे देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक योजना है शहरी पुनरुद्धार हेतु विशेष अनुदान। पूरे राजस्थान के लिये 20 करोड़ रुपये का प्रोविजन, और खर्च कहां किया है ? 20 करोड़ में से 10 करोड़ रुपये अकेले झालावाड़ के अन्दर, 9 करोड़ रुपये अकेले झालरापाटन के अन्दर, 37 लाख रुपये अकेले धौलपुर के अन्दर। मुख्य मंत्रीजी का क्षेत्र है या मुख्य मंत्रीजी का ससुराल, उसके अलावा कोई जगह नहीं दिखती आपको। 20 करोड़ रुपया पूरा का पूरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़,

(श्री संयम लोढ़ा)

झालरापाटन और धौलपुर, इन तीन क्षेत्रों के अन्दर खर्च करने का इन्होंने फैसला किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता ने पहली बार वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन सारे विकास के फैसले करते वक्त राजस्थान के मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के उनके साथी ये बातें भूल जाते हैं और खाली मुख्य मंत्री को खुश करने के लिये एक योजना के प्रावधान का पूरा का पूरा पैसा या तो उनके और उनके बेटे के निर्वाचन क्षेत्र या उस क्षेत्र में जहां की वह बहू बनकर आयी हैं, खर्च कर लेते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हो सकता।

जे.डी.ए. के भ्रष्टाचार की बात बहुत चली, मैं उस पर बाद में आऊंगा क्योंकि हमारे बहुत-से मित्रों ने उस पर चर्चा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जयपुर से आग शुरू की है इसने पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है, यह मैं प्रमाण सहित, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने निवेदन करूंगा। मैं गंगानगर यू.आई.टी. का एग्जाम्पल दे रहा हूं अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में। आप देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. चक थ्री ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 41 में 7 बीघा भूमि की दिनांक 24.11.2005 को 90-बी जारी की गयी है। आपने 25 तारीख को न्यास की बैठक में इसी लैंड को यू.आई.टी. की रजत जयन्ती आवासीय योजना में प्रस्तावित किया है। यह क्या है, मंत्रीजी ? क्या यह सही है कि यह मालूम पड़ गया और उन प्रभावशाली लोगों ने सत्ता में बैठे हुए लोगों को एप्रोच किया कि 25 तारीख को हमारी भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव होने वाला है, रातों रात अधिकारियों को धमका करके 24 तारीख को उनको एन.ओ.सी. दे दी गयी और 25 तारीख को यू.आई.टी. यह प्रस्ताव ले रही है। अगर आपकी सरकार का दामन साफ है तो आप इस बात का जवाब देना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी तरीके से यह चक क, चक चार ए छोटी के मुरब्बा नम्बर छह की एक बीघा व मुरब्बा नम्बर 11 की 25 बीघा, कुल भूमि 6.51 हैक्टेयर श्री अमरजीत सिंह, चरनजीत पुत्र अवतार सिंह आदि को एन.ओ.सी. 7.6.2006 को जारी की गयी। आपने यह जारी की लेकिन आवासन मंडल ने इसके जारी करने से ठीक एक महीने पहले, यह 7 जून को जारी की है आपने और 6 मई को आवासन मंडल ने आपकी यू.आई.टी. को एक चिट्ठी भेज दी कि उक्त

(श्री संयम लोढ़ा)

भूमि अवाप्ति के अधीन है इसलिये 90-बी की कार्यवाही नहीं की जाए। आवासन मंडल मेरे घर की संस्था नहीं है, आपकी संस्था है या आपकी सरकार की संस्था है। जब आवासन मंडल ने एक महीने पहले यह सूचित कर दिया तो कौन से कारण थे कि उसी भूमि को जिसको आपका आवासन मंडल अवाप्ति के अधीन बता रहा है, भ्रष्टाचार के आधार पर आपकी गंगानगर यू.आई.टी. एक महीने बाद 90-बी की एन.ओ.सी. दे देती है? इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि, नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में चार चकों की कृषि भूमि में चार चक छह जैड ए के मुरब्बा नम्बर 33 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होना तथा चक तीन ए छोटी के मुरब्बा 26 से 33, 38, 40, 47 की भूमि तथा चक चार ए छोटी की भूमि मुरब्बा नम्बर 8, 9, 18, 19 व 31 न्यास की नयी प्रस्तावित रजत जयन्ती आवासीय योजना के अन्दर अवाप्ति के अधीन है, अधीन थी, फिर आपने इसमें 25.11.2005 को, इसमें जो यह 33 नम्बर का खसरा है इसकी 90-बी क्यों की ? जब आपकी यू.आई.टी. की स्कीम में यह अवाप्ति के अधीन थी, यू.आई.टी. की स्कीम है फिर आपने इसमें 90-बी कैसे की ? कौन से कारण हैं ? क्या वहां बैठे हुए अधिकारियों को जयपुर से बार-बार कोई निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि योजना जब वे प्रस्तावित कर रहे हैं उसी योजना के अंदर, उसी खसरा नम्बर के अंदर 90-बी की एन.ओ.सी. जारी हो जाती है?

(समय : 19.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एन.ओ.सी. संख्या 298 दिनांक 3.1.2006 रश्मि नागपाल, नीलम और ज्योति देवी के नाम की है, उसमें आपने क्या किया है? आपके सचिव ने क्या किया है। आपके यू.आई.टी. के अधिकारी लिख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने पर रोक लगा दी गयी है अत: नये निर्देश प्राप्त होने पर प्रस्तुत करें। अब आप बताएं अपने जवाब में कि राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में 90-बी की एन.ओ.सी. जारी करने पर कब रोक लगायी थी? अगर नहीं लगायी थी तो आपकी गंगानगर यू.आई.टी. ने फाइल पर यह कैसे अंकित किया? उसके अंदर न तो यह जिक्र किया गया कि किस दिनांक को राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया, रोक कब लगी, कब हटी। इन सब बातों की जानकारी न तो पत्रावली पर है और न संबंधित व्यक्ति को दी गयी।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चक 4 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 23.09.2004 में लिखा कि भूमि मास्टर प्लान में बाइपास के परे ग्रीन बैल्ट प्रयोजनार्थ आरक्षित है। बाइपास से पहले आवासीय परियोजनार्थ हेतु काफी भूमि आरक्षित है। अत: बाइपास से परे आवासीय व्यवस्था उचित बात नहीं है। इस बारे में प्रार्थी को सूचित किया गया। यह आपके सीनियर टाउन प्लानर का नोट है। और अब वापस उसके बाद 13 दिसम्बर को वही सीनियर टाउन प्लान पाजिटिव राय लिखकर भेज देता है। यह क्या है? क्या वज़न रखा है? कोई लिफ़ाफ़ा भेजा है, कोई सरकार में बैठे हुए लोगों के यहां अटैची भेजी है? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वही सीनियर टाउन प्लानर जिसने पत्रावली पर यह लिखा है, दो महीने पहले लिखा है कि यह उचित नहीं है, दो महीने बाद रातों-रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसको सब कुछ ठीक लगने लगता है?

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से गंगानगर यू.आई.टी. के अंदर जो बाह्य विकास शुल्क है उसके संबंध में भी अलग-अलग तरीके से भारी अनियमितताएं हुई हैं और सब रिकार्ड पर हैं। इसके अलावा मैं एक प्रकरण का और जिक्र करना चाहूंगा, चक 6 जैड.ए. के मुरब्बा नम्बर 35, रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा को नियमित करने के संबंध में, चक 6 जैड.ए. के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1, 2, 10 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो न्यास कॉलोनी कुंज बिहार से लगती हुई है, को अधिग्रहण करने के लिए न्यास की कार्यवाही चली तो न्यास ने, मंत्री महोदय आप सुनिये, न्यास ने अवाप्ति के लिए राज्य सरकार को विधिवत प्रस्ताव भेजा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां पर यू.आई.टी. ने एक कमेटी बनाकर उसको रिव्यू करने के लिए जांच को सौंप दिया, फिर आपने प्रस्ताव क्यों भेजा?

उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारे मित्र जो सत्ता में हैं, लगातार जिक्र कर रहे थे, एक-एक तथ्य इस सरकार के कारनामों की पोल खोलता है। यह जो चुनावों के अंदर चंदे की व्यवस्था की गयी थी, क्या यह गंगानगर यू.आई.टी. में एक के बाद एक जो घोटाले किये गये हैं, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को रखकर जो भ्रष्टाचार किया गया है, क्या हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के चुनावों का संचालन उस लूटे हुए धन से, जनता से बटोरे हुए धन का चुनाव संचालन में उपयोग किया गया है?

(श्री संयम लोढ़ा)

इतना ही नहीं, मंत्रीजी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, आपके गृह जिले बारां की तरफ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समय का ध्यान करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ 12 मिनट हुए हैं और रामगंजमंडी के सदस्य का रिकार्ड चैक कर लें, मेरे से ठीक पहले बोले हैं, 26 मिनट बोलने का उनको मौका दिया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बोल लिये न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक कहने के बजाय एक साथ कह दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक साथ तो कैसे, मेरे दस मुंह तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: एक साथ पढ़ दीजिये इसको ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, आप दो मिनट बोलने का मौका दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: करें, करें समाप्त।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो इनकी स्थिति सुधारने की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जल्दी कनक्लूड कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बारां शहर में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 19 बीघा 13 बिस्वा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की गयी। सैक्शन 4, सैक्शन 6 की कार्यवाही हो गयी, हाउसिंग बोर्ड ने 12.04.2000 को कब्जा ले लिया। खातेदार एक साल पहले एक रिट में चले गये। लेकिन 17.04.2000 को हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा ले लिया। उसके करीब एक महीने के बाद यथा स्थिति का हाई-कोर्ट ने आदेश दिया। जो आवासन मंडल ने कब्जा ले लिया उसके एक महीने के बाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं। हम बोल रहे थे तब तो टोक दिया और यह जो बोलते जा रहे हैं, इतना लंबा समय ले रहे हैं। हमको तो सिर्फ पांच मिनट में बैठा दिया। (व्यवधान) इनको कितना समय मिला ...(व्यवधान) यह बिना आधार के कभी गंगानगर, अपनी बात बोलें न, सिरोही की कोई है तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। कह रहे हैं अभी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि जवाब देना है तो मेरे प्रश्न का ही जवाब दे दें। तब भी समझ लेंगे, इतना ही दे दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसका भी दे दूंगा, आप विराजें तो सही।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इतना ही दे दें तो बहुत है, मैं मान लूंगा आपको। (व्यवधान) आपके ऊपर से ही निकल रहा है यह सब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नजदीक हैं तो आपके अनर्गल आरोपों से दूर नहीं हो जाएंगे। मैं आपकी बात का भी, माननीय सदस्य, जवाब दूंगा। आप विराजें तो सही, आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पूरी व्यवस्था है मेरे पास में। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सीमा है, हमको टोक दिया, पूरा नहीं बोलने दिया गया।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को पाँच मिनट में बैठा दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड कर रहे हैं, कनक्लूड कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह सदन को गुमराह करते हैं, उनको इतना समय दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, या तो दस मिनट का टाइम तय कर दें। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): 25 मिनट से आप बोलते जा रहे हैं, यह कौन से न्याय की बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या व्यवस्था है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) कर रहे हैं कनक्लूड ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यह तय कर लें कि कल मुख्य मंत्री को बोलने देना है कि नहीं देना है, यह व्यवस्था कर लेना आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड करें, कनक्लूड करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संयम लोढ़ा को बोलने नहीं दिया फिर बोलने की बात ...(व्यवधान) हम भी देखते हैं कि फिर कैसे बोलती हैं। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात बोलते रहें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप भी तथ्यों के साथ बोलें तो सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): फालतू बात करते रहें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कोई आरोप लगाने से नहीं ... (व्यवधान) यह आरोप लगाते जा रहे हैं, बिना आधार के आरोप लगाते जा रहे हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): इनके पास कोई आधार नहीं है ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अब सुनने की भी सीमा है, इतनी परेशानी हो जाती है। आधार सहित बोलें तो समझ में आता है ...(व्यवधान) पूरा इरिटेट करते हैं ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यहीन बात बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, हमेशा सदन को गुमराह किया जाता है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी जवाब दे देंगे, यह क्यों दु:खी हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुख बंद का समय तय है, सबका मुख बंद हो उससे पहले इनका मुख बंद करिये न। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, फिर हमारा तो नम्बर ही नहीं आएगा इस हिसाब से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सबका मुख बंद हो उससे पहले इनका मुख बंद करिये आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या ? (व्यवधान) जुलाब है मेरे पास आपके लिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भी कटौती प्रस्ताव हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको जरूरत क्या है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): आप हम लोगों को तो बाउंड रखते हैं दस मिनट ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको बोलने की जरूरत क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है ...(व्यवधान) मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिया है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक व्यक्ति आधा मिनट बोलेगा ...(व्यवधान) हमारे सदस्य को पांच-पांच मिनट बोलने का नम्बर मिला है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हम सबको मौका मिलना चाहिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): हमें भी बोलने का मौका मिले ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदस्य कह रहे हैं कि हमें भी बोलना है, क्या नदियां पानी पीती हैं क्या, क्या समुद्र पानी पीता है क्या, पेड़ खुद फल खाता है क्या? खुद राज में बैठे हैं और बोलेंगे, बोलेंगे हम, यह कोई बात है क्या? आपको बोलने की जरूरत क्या है ? (व्यवधान) हम तो बोलेंगे, आप लोग क्यों बोल रहे हो, आपको जरूरत कहां पड़ी बोलने की ? आप लोग तो अपराध करेंगे, हम आपके अपराध देखेंगे बस। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बोलें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सही बोलें, अनर्गल नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सही-गलत का फैसला आसन कर लेगा, इन पर छोड़ दें आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकार में थोड़ी भी शर्म होती ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक साथ मत बोलें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य बोलते हैं और बोलने के बाद बोलें कि भगवान करे यह गलत हो, अब क्या

(श्री मदन राठौड़)

मतलब निकला उस बात का? कभी बोलें और फिर कहें कि यह हो सकता है गलत हो। अगर हो सकता है गलत हो तो क्यों बोलते हो ? (व्यवधान) भगवान करे, गलत हो तो फिर क्यों बोलते हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस सदन का समय इसलिए थोड़े ही है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप दु:खी क्यों हो, व्हाई आर यू worried? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसलिए कि गलत मत बोलिये, गलत आरोप मत लगाएं, आप सही लगाएं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन का संरक्षण नहीं मिलने से मेरा वक्त जाया हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम तो यह कह रहे हैं कि आप सरकार की खिंचाई करो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन गलत बात मत बोलो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्षजी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारा भी काम निपटने ही वाला है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि मदनजी को एक बात समझाओ, एक मालिक के पास एक कुत्ता और एक गधा, दो जानवर थे। रात को कुत्ता सो गया और गधा रेंकने लग गया। मालिक उठा और उस गधे को पीटने लग गया तो गधे ने कहा, मालिक, मैं तो आपको चोर बता रहा हूं। मालिक ने कहा कि तू रात को चोर क्यों बता रहा है, रात को कुत्ते की ड्यूटी है। इसलिए मंत्रीजी की ड्यूटी मदनजी से क्यों करवा रहे हो, मंत्रीजी अपने आप जवाब देंगे। Why are you worrying? आप दु:खी क्यों हो रहे हैं? आपका कोई लेना-देना नहीं, आप क्यों दु:खी हो रहे हैं? आप बेकार में दु:खी हो रहे हैं, कोई मतलब की बात है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बात आप सुनो, आप तो कभी बोलते हो नहीं, आप जब बोलते हो तो अपनी ही खटिया खड़ी करते हो, आप अपने लोगों को ही कटघरे में खड़ा करते हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कोई चमचागीरी नहीं करता हूं और मुझे कोई मंत्री भी नहीं बनना है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि आपके पास कोई बात हो तो आप बोलिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मदनजी, मेरी बात सुनो, मुझे मंत्री नहीं बनना है। आपके ये मंत्री जब थैला लेकर घूमते थे उस समय मुझे मंत्री पद का ऑफर हुआ था। मैं मंत्री बनना नहीं चाहता और मैं वही बात बोलता हूं, कांग्रेस का हो या बी जे पी का हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप मंत्री मत बनो, आप विपक्ष के नेता बनो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक बात सुनो, एक बात कहता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप विपक्ष के नेता बनो, मंत्री कभी बनेंगे नहीं, बनेंगे तो उधर ही कुछ बनेंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक बात निवेदन करूं,

नजर ने कहा दिल ने धोखा दिया,
दिल ने कहा नजर ने धोखा दिया,
किस ने किस को क्या दिया,
हमको तो दोनों ने मिलकर तबाह कर दिया।

आप लोगों को मालूम नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं भी बोलता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय-

जो नाचीज थी वह चीज बन गई,
बेशऊर को शऊर आ गया,
सलाम तेरी सीढियों को ए सदन,
यहां आते ही दूध का नहाया हो गया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अब बता दिया, किसने क्या किया, हमें मालूम नहीं। कांग्रेस ने क्या किया, बी जे पी ने क्या किया, 5 करोड़ 70 लाख जनता के साथ दोनों ने मिलकर धोखा किया अभी तक तो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस ने या बी जे पी ने?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हां, दोनों ने किया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहले आप अपना सोचें, फिर दूसरों की बात करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आजादी के बाद से आज तक बजट का दायरा बढ़ता जा रहा है पर भ्रष्टाचार का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, क्या बात करते हो? मैं तरफदारी नहीं करता हूं किसी भी तरह की। आप लोग जो तरफदारी कर रहे हैं न, यह गलत कर रहे हैं, आप अपनी सीमा में रहो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हमारे राज में तो सर्वांगीण विकास हो रहा है। आपके राज में भ्रष्टाचार होता था।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अपनी कही बात को यहां पर चरितार्थ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो माननीय सदस्य अपनी बात को कह लेते, आप समय क्यों जाया करवा रहे हैं। अब तक तो अपनी बात को कहकर बैठ जाते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि पजेशन ले लिया 17.4.2000 को हाउसिंग बोर्ड ने। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बारे में प्रकरण में यथा स्थिति का आदेश कर दिया, 5.5.2000 को कब्जा लेने के बाद हाउसिंग बोर्ड और कुछ लोगों ने इसी लैण्ड को, 2 जून, 2005 को हाउसिंग बोर्ड का कब्जा होने के बाद, हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी बेचान कर दिया। इसलिए बेचान कर दिया कि बेचान करने वाले लोग माननीय मंत्रीजी के नैक्स्ट डोर नेबर हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आरोप, आरोप नहीं है तो कह देना, गलत तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुकदमा दर्ज हुआ है, एफ आई आर दर्ज हुई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एफ आई आर दर्ज हुई है, उस एफ आई

(श्री संयम लोढ़ा)

आर को यहां सी आई डी, क्राइम ब्रांच में लाकर पटका हुआ है। आज दो साल हो गये, कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके अंदर। किसको गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं? आपको हाई कोर्ट की परवाह नहीं। आपको अपने इस इन्स्टीट्यूशन की परवाह नहीं। जिस इन्स्टीट्यूशन के मंत्री बने हुए हो उसकी परवाह नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपके और मेरे बीच में तो एक नदी है, फिर नैक्स्ट डोर नेबर से क्या मतलब है? आप आरोप भी लगा रहे हैं और बिना आधार के लगा रहे हैं, आपके और मेरे बीच में नदी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे तो अड़ते ही नहीं हैं मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरोप नहीं लगाया, यह तो पता बताया है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके पड़ोसी रहते हुए भी मुझे शर्म आएगी, क्या मतलब है, खुद को नीचा देखना पड़ेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): गलत आरोप है यह बिलकुल। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरोप थोड़े ही है, यह तो पता है कि मंत्रीजी का नैक्स्ट डोर नेबर है। यह तो पता है, आरोप थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, क्या खरीदने वाले लोग आपके नजदीकी लोग नहीं है क्या?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): क्या कांग्रेस के राज में सी आई डी, सी बी से जांच नहीं होती थी क्या?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मुझे पता है कि आपको किसने बताया है, पर आपको सूचना थोड़ी गलत दी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे पास प्रामाणिक सूचनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर न केवल एफ आई आर दर्ज हुई है बल्कि चालान भी पेश हो गया, जो दोषी थे उनके खिलाफ न्यायालय में। न्यायालय में मामला चल रहा है। (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं, यह बड़े दु:ख की बात है। आप कहें तो मैं कागज प्रस्तुत कर सकता हूं। वह चालान प्रस्तुत हो गया । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप रजिस्ट्री कैंसिल क्यों नहीं करवाते हो? आपकी सरकार का दामन साफ है तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री जवाब में क्यों नहीं कहते यह बात? आपके मंत्री जवाब में कह दें यह सारी बात, क्यों बीच-बीच में समय खराब करते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जुबेर भाई !

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राठौड़ साहब, आपकी सरकार का अगर दामन साफ है तो यहां खड़े होकर कहें कि तीन महीने के भीतर उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा देंगे, कहो खड़े होकर। मिले हुए हो आप लोग, आपकी सरकार मिली हुई है इसके अंदर। इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी परवाह नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: न्यायालय में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कोर्ट का फैसला हो जाए उसके बाद देखेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह तो आपको जिसने जानकारी दी है, पूरी जानकारी नहीं दी है, अधूरी जानकारी दी है आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक-एक कागज मेरे पास है, मंत्रीजी, एक-एक कागज है मेरे पास। मैं बिना तथ्यों के, बिना कागज के कभी नहीं बोलता हूं। (व्यवधान) एक-एक शब्द प्रामाणिक है, एक-एक शब्द, और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 मिनट का समय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेरे को दबाने के लिए, व्यवधान पैदा करके खराब किया है, मुझे अपनी बात कहने का अब मौका दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन का संरक्षण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप उत्तेजना पैदा करने वाली बात क्यों कहते हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कनक्लूड ही कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

सांगानेर योजना का फेज चतुर्थ, अवाप्तशुदा भूमि, खसरा नम्बर 406-701, रकबा 15 बीघा, ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर, 28 नवम्बर, 2006 को आवासीय अभियंता खण्ड चतुर्थ ने रिपोर्ट भेज दी कि यह सारी जमीन 1993 में हमने कब्जा कर ली थी, यह जमीन हमारी है, बाउण्ड्री हमने बनाई है। लेकिन अब आवासन मण्डल ने यह फैसला कर दिया कि ब्लॉक ई का 19 बिस्वा जो है, जो बाउण्ड्री के अन्दर है, उसको छोड़ देंगे। वह जमीन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे हुए मंत्री का और आवासन मण्डल के अध्यक्ष का पूरा का पूरा हाथ है इसके अंदर, राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के अंदर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना तथ्यों के आधारहीन आरोप लगा देना, आपने आसन से व्यवस्था दी थी...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिना तथ्यों के है तो आप जवाब देना। यह बड़ी ऐतिहासिक रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट को टेबल कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, कर दीजिए टेबल। हां, कर दीजिए टेबल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात करते हो, आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के बाहर निकलते ही रामबाग सर्किल से एयर पोर्ट के बीच में जो खम्भे लगाये गये हैरिटेज के नाम पर, जो टेण्डर किया गया, उसमें जो क्वालिटी दी गई है, जिस कम्पनी का मार्का बताया गया है, सारी चीजें स्पेसीफिक रूप से मेंशन थीं। लेकिन लोकल मेड, यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोटो देखिए, ये बजाज के ओरिजिनल हैं और उसकी जगह लोकल मेड, नकली खम्भे लगाये गये जो टूट-टूट कर गिरने लग गये हैं। दो करोड़ रुपए का जे डी को चूना यह आपकी सरकार ने लगा दिया। सारी घटिया सामग्री उसके अंदर प्रयोग हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री संयम लोढ़ा)

माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का न तो एक्ट पर भरोसा है न नियमों पर भरोसा है और न एफ एण्ड आर पर भरोसा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की आज की स्थिति तो जे डी सी के बदल जाने से ठीक है, Because he is an honest person. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पहले न कोई बजट, न कोई बजटीय प्रोविजन, न कोई अथोरिटी की मीटिंग, मनमाने ढंग से जयपुर विकास प्राधिकरण के धन को लूटने का काम जो हुआ है, इस प्रजातंत्र के इतिहास में राजस्थान के किसी भी नगरीय विकास की संस्था के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता।

अमर जवान ज्योति, यह जो स्टेडियम के बाहर लगी हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई टेण्डर किया था इसको बनाने का? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वास्तुविद को नियुक्त किया था उस वास्तुविद की नियुक्ति का कोई टेण्डर किया था क्या? जवानों के नाम पर, उनकी स्मृति में कोई संस्था बनती हो, उसमें भी आपकी नीयत साफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में जिसको सराहा गया है, जो वास्तव में शहीदों की शहादत का स्थान बनाया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उन्हीं पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जिस वास्तुविद को एडवांस पेंमेंट किया आपने, उसके बारे में बोलो न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): शहीदों का तो पूरा सम्मान है लेकिन यह भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, इसके विरोध में है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमर जवान ज्योति, जगतपुरा फ्लाई ओवर, स्मृति उद्यान, खोले के हनुमानजी, इनके खाली शिलान्यास के फंक्शन पर 15-15 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिये, कोई टेण्डर नहीं। कोई टेण्डर का सिस्टम नहीं, अथोरिटी में बैठे हुए लोगों के मर्जीदान थे उनको बिना किसी टेण्डर प्रोसेस के ठेके देने का काम किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कनक्लूड ही तो कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, जो स्नातक इंजीनियर हैं उनको 10-10 लाख के काम बिना टेण्डर के दिये जाएंगे। अगर कोई किसी काम के अंदर एक्सपर्ट है तो उसको काम देना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपको अगर तकलीफ है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विज्ञापन का काम करते थे अखबारों में, उनको आपने ईवेंट मैनेजमेंट का काम दे दिया। जो विज्ञापन का काम करते थे, जो टैंट हाउस के काम के लिए आतुर रहते थे, उनको आपने काम दे दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ऐसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान) आपका काम केवल यह है ...(व्यवधान) जो पांच साल में आपने भ्रष्टाचार किया, आपको मालूम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हाथ में कागज लेकर बकवास कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक-एक कागज है, ये आपकी सरकार के दिये हुए जवाब हैं मेरे पास। एक-एक कागज है मेरे पास में। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ये अपने पास रखिए। बिना तथ्यों के कुछ भी कहा जा सकता है।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के घोटाले ही घोटाले हैं, मंत्रीजी जांच नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): क्या अफसर लिखेगा, उसको फाइनल मानेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को विवेक से निर्णय लेने का अधिकार है। आपने जो बात उठायी है उसको बता देंगे मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, उपाध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य: आप तो जो पहले मदनजी राठौड़ ने आरोप लगाये थे उनके जवाब दे दो। अशोकजी ने करोड़ों, अरबों रुपये के घोटाले किये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार कह दे, हमने टेण्डर किये हैं, दिक्कत क्या है इसमें? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): टेण्डर का अधिकार है सरकार को ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने क्यों टेण्डर नहीं किये? (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): अमर जवान ज्योति शहीदों का स्थान है, ये आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): जो सच नहीं है वह दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार सर्वागीण विकास कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कनक्लूड कर रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): निर्दलीयों की रक्षा करें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी समय निकलता जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार शहीदों की स्मृति को नहीं छोड़ रही है, वहां भी इनको तो कमीशन चाहिए, शहीदों की स्मृति के स्मारक में भी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अमर जवान ज्योति में आपने पैसे खाकर बिना टेण्डर के काम दिया है यह मेरा आरोप है। व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हो। यदि हिम्मत है तो इनमें से किसी का जवाब दो जो मैंने बोला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि कुछ कहना है तो सिरोही का बताओ। मंदिर की सड़क का बोलो जिसमें आपने क्या किया, वह बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जिसके लिए अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी को घोषणा करनी पड़ी और जो पहले ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये विराजें तो समाप्त करूं, उपाध्यक्ष महोदय। ये हुजूर विराजें तो करूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये तो बैठ रहे हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बड़ी रानी की तरह खड़े राजा हैं ये भी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो शहीदों का सम्मान किया, जो शहीद हुए ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उनके कफन में पैसा खाया। +++

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वह सारा कुछ किया है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है, मरे हुए आदमी का कोई पैसा खा नहीं सकता। यह बिलकुल निराधार, पूर्णत: असत्य बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य केवल सुर्खियों में आना चाहते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एनडीए की सरकार के टाइम में इतना बड़ा कफन ...(व्यवधान) ये सही है। जो सरकार मरे हुए कफन में पैसा खाती है, शहीदों के टेण्डर में पैसा खाती है, और भ्रष्टाचार क्या करोगे? (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): +++ यह कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख बंद का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है, मुख बंद का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

मुख बंद का समय 8.30 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, जेडीए के अंदर जोनल अभियंताओं के 19 पद हैं और सरकार ने 31 आदमी लगा रखे हैं। किस मद से पैसे देते होंगे, वह तो ये जानें, लेकिन इसके बावजूद जमीन का, भूमि के सर्वे का काम प्राइवेट लोगों से कराया गया। 89 लोगों को करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान सर्वे के नाम पर इस सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, कनक्लूड कर रहा हूं। शूटिंग रेंज ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बार-बार कनक्लूड करने की कहते हैं, आधा घण्टा तो उस बात को हो गया, कब तक कनक्लूड करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर विकास प्राधिकरण शूटिंग रेंज का निर्माण कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रतियोगिता इन्होंने फरवरी माह में करायी और यह कहा कि ...(व्यवधान

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको जनता ने, आदिवासियों ने भेजा है उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 20 लाख रुपये स्पोर्टस, ट्यूरिज्म और जेडीए तीनों मिलकर खर्च करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपये दूसरे डिपार्टमेंट ने नहीं दिये। सुराज, जिसकी अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं, उसके संबंध में यह घोषणा की थी कि आधा कंट्रीब्यूशन जेडीए करेगा और आधा सरकार करेगी, आज तक सुराज के लिए फूटी कौड़ी जेडीए ने नहीं दी है। पाँच सितारा होटलों में मीटिंगें होती हैं, पार्क प्लाजा में आकर हवाई जहाज में आने वाले लोग रुकते हैं, बीयर तक का पेमेंट जेडीए के द्वारा किया गया है जो

(श्री संयम लोढ़ा)
किसी नियम में नहीं आता, किसी फाइनेंस रूल्स में नहीं आता कि लिकर का पेमेंट जयपुर विकास प्राधिकरण या वहां की कोई सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास बिल हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): टेबल पर रखो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रख दूंगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आप रखो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप रख दीजिए, आपकी सारी बात मान लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल रख दूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप रखिए, यों धमकी देने से काम नहीं चलता। रखूं, रखूं, कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी आपने अमर जवान ज्योति का कहा, अमर जवान ज्योति जिसका निर्माण शहीदों की शहादत के लिए हुआ उसमें किसी प्रकार का टेण्डर नहीं हुआ। मेरी चुनौती है, अमर जवान ज्योति का हर काम खुली निविदा से हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने टेण्डर किया क्या? (व्यवधान) आपने टेण्डर किया क्या? (व्यवधान) आपने वास्तुविद ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप रख दीजिए और उसमें जो कंसल्टेंट थे अनूप भरतिया, उन्होंने एक नया पैसा नहीं लिया। जिन लोगों ने राष्ट्रभक्तों के लिए इतना कुछ किया उनको इस तरह अपमानित करने का काम सदन में कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अपमानित नहीं, आप बताइए आपने वास्तुविद की नियुक्ति की, आपने टेण्डर किया क्या? आपने काम दिया, आपने टेण्डर किया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उस अमर जवान ज्योति का काम खुली निविदा से नहीं किया हो तो मेरी चुनौती है। खुली निविदा से हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया आपने? अगर आपने किया तो मेरी चुनौती है, टेण्डर किया हो तो रखो यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने आरोप लगाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर आपने टेण्डर किया हो तो आप रखो यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अमर जवान ज्योति का काम खुली निविदा से हुआ। (व्यवधान) वस्तुस्थिति दूसरी है। उपाध्यक्ष महोदय, अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ, लोग उसको देखने आते हैं। आज जयपुर में जो आएगा, उन शहीदों को नमन करने जरूर आएगा, देखने जरूर आएगा। खुली निविदा से जो शानदार काम हुआ आज उसी को कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई निविदा नहीं हुई है। कोई निविदा नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई निविदा नहीं हुई है। हुई है तो आप टेबल पर रखें। मेरी सरकार को चुनौती है जिन-जिन कामों का मैंने जिक्र किया है अगर एक भी टेण्डर किया हो तो यहां पर टेबल पर रख देना। एक का भी टेण्डर किया हो तो मेरी चुनौती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अमर जवान ज्योति पर बात करो न। करो न बात। दो चुनौती। दो खुली चुनौती। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने अगर कर दिया होगा तो मैं इस हाउस में नहीं आऊंगा, अगर आपने टेण्डर का कर दिया हो ...(व्यवधान) तो मैं हाउस में नहीं आऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं आओगे न हाउस में?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप भाषण कर रहे हो। आपने भ्रष्टाचार और बेइमानी का नंगा नाच कर रखा है। वहां पर लूट मचा रखी है आप लोगों ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, मैं हाउस में नहीं आऊंगा। कल आपके वेश्म में आप समय तय कर लें, मैं कागजों के साथ प्रमाणित कर दूंगा कि अमर जवान ज्योति का काम विधिवत निविदा आमंत्रित करके हुआ है। हाउस में नहीं आएं तो ये नहीं आएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जयपुर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको इतना समय क्यों? बाकी का क्या होगा? बाकी को आपने पांच मिनट दिये हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन ये सारे वे काम कर रहे हैं जो बजट में प्रावधान नहीं, जेडीए एक्ट में जिनका प्रावधान नहीं, जो उसके लिए अधिकृत नहीं। (व्यवधान) पूरे जयपुर के अंदर लाखों रुपये ले लिये और स्टेच्यू पर खर्च किया। कौनसा प्रावधान आपने किया? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, समयसीमा बांधी थी किसी एक सदस्य के लिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्यों को सब को अपने समय का पूरा-पूरा खयाल है। डेढ़ घण्टे से हो रहा है, बाकी माननीय सदस्यों को आप समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) यह समय देने का इस तरह से हो रहा है तो दूसरे माननीय सदस्यों को समय कैसे मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी के लिए एक ही सिद्धान्त रखिए। जो माननीय सदस्य बोलना चाहे जितना समय दें सब को दें। किसी एक माननीय सदस्य को अलग समय और दूसरे माननीय सदस्य को अलग समय, यह सम्भव नहीं है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर उनकी बात गलत हुई तो वे सदन में नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिना मतलब खड़े हो जाते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक घण्टा हो गया है, आप कह रहे हैं कनक्लूड करें, माननीय सदस्य, कनक्लूड करें और ये बोलते जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूं, ये बीच में लपक-लपककर खड़े हो जाते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं तो हम जबर्दस्ती बोलना शुरू करेंगे और इनको नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, आप टेबल करेंगे? सिरोही के माननीय सदस्य, आपने कहा जो टेबल करो।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं, आपने बहुत अभियान चलाया था अखबारों में दोहरे पट्टे का। सोसाइटियों के खिलाफ आपने अभियान चलाया था। मैं पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने के लिए प्रिविलेज दे रखा है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 426 योजनाओं में दोहरे पट्टों की शिकायत प्राप्त हुई।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डेढ़ घण्टा हो गया बराबर।

(समय : 19.29 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने कहा था ...(व्यवधान) क्या हुआ उसका? क्या नागरिकों को आपने ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, डेढ़ घण्टे से बराबर बोल रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पाँच मिनट दिये थे।

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, आपको बोलते आधा घण्टे से ज्यादा समय हो गया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं माफी चाहता हूं, यह समय हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों ने मेरा खराब किया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आप इनको विराजमान करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका कुछ भी खराब नहीं किया, न इनका चरित्र खराब किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। 7.30 बजे गुलोटिन लग जाएगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कैसे आरोप लगाते हो मुझ पर? बहुत आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उससे पहले आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका चरित्र इन्होंने खुद खराब किया है, आप मुझ पर आरोप लगाते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पर कौन लगाता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पर लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। यहां वसुंधराजी से नीचे बात ही नहीं है, आपकी कहां बारी आती है ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इनका चरित्र खराब नहीं किया, यह झूठ आरोप लगाते हैं। इन्होंने खुद अपना चरित्र खराब किया है, झूठ आरोप लगाते हो। (व्यवधान) मैंने आपका कुछ भी खराब नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें। (व्यवधान) निवाई से और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप एक मिनट में बात समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने इनका कोई चरित्र खराब नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: आप पर यदि आरोप लगाया है इन्होंने, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर स्पष्टीकरण का अवसर मैं दूंगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देख लें, इनका नाम भी मैंने कहीं नहीं लिया। आप रिकार्ड चैक कर लें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने इधर इशारा करके कहा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसी की तरफ नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस विकास की कल्पना की जा रही है उस विकास की

(श्री संयम लोढ़ा)

कल्पना के लाभ का वास्तविक हकदार किसान कहां पर खड़ा है। जमीन ग्रीन बैल्ट की है, वह गरीब किसान, असहाय किसान, वह जानता है कि उस ग्रीन बैल्ट से उस जमीन को नहीं निकलवा सकता वह। वह लैण्ड डवलपर डेढ़ लाख रुपये बीघा में उसी जमीन को खरीद लेता है और उसके बाद में उसी जमीन को, सरकार से जमीन ग्रीन बैल्ट से निकलवा कर चार सौ रुपये फीट में बेच कर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाता है। इस गोरखधंधे में, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जोधपुर की अंसल सिटी 325 बीघा जमीन ग्रीन बैल्ट के दो लाख, डेढ़ लाख रुपये प्रति बीघा के भाव से इस सरकार को प्रभावित करके ग्रीन बैल्ट से वह जमीन निकलवा दी, आज चार सौ रुपये फीट के भाव से बेच रहा है। भीलवाड़ा की माधव नगर योजना 60 बीघा जमीन ग्रीन बैल्ट में थी, सरकार को प्रभावित करके ग्रीन बैल्ट की जमीन निकलवा दी और आज वह कई गुना दामों के अन्दर बेची जा रही है। जोधपुर की खुशी सिटी, 145 बीघा जमीन ग्रीन बैल्ट में थी, पता नहीं कहां अटैचियां पहुंचा कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बैल्ट की जमीन निकलवा दी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अगर इस सरकार की नीयत साफ है तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री संयम लोढा (सिरोही): अगर सरकार की नीयत साफ है तो आपको बहुत साफ यह परसेंटेज रखना चाहिए कि ग्रीन बैल्ट का परसेंटेज क्या होगा और दूसरी का क्या होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सत्ता पक्ष के एक साथी ने बात कही थी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जब जयपुर में आते हैं तो उनको यह लगता है कि वे पेरिस में आ गये, पेरिस जैसा अनुभव होता है। अध्यक्ष महोदय, आप तो पाकिस्तान यात्रा पर गई हुई थीं और आप विलम्ब से आईं, आपने आज सुबह के अख़बार नहीं देखे होंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो जयपुर में हैं, एनआरआईज के पेरेंटस, वहां पर मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के मुख पर कालिख पोतते हुए फोटे हैं। आज यह एनआरआई का रिएक्शन है आपकी सरकार के कामकाज के प्रति। उस एनआरआई कालोनी के अन्दर सिड्डा प्रोजेक्ट लिमिटेड, किस बात का इनको 10 परसेंट दे रहे हो ? किस बात की अतिरिक्त फ्लैट बनाने की बात कर रहे

(श्री संयम लोढ़ा)

हो? जो इंवैस्टमेंट तत्कालीन कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ था और वे प्रभावित हुए थे, आप उस स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: बहुत ले लिया आपने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कि राजस्थान की जनता की उम्मीदें इस सरकार ने अपने सवाल तीन साल के कार्यकाल में पूरी तरह धूल-धुसरित कर दी हैं। एक कच्ची बस्ती में रहने वाले आदमी को पट्टा नहीं दिया। प्रजातंत्र के 60 साल के इतिहास में इतना हाउस टैक्स नहीं वसूला गया, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर, लोगों के घर के बाहर ढोल बजा-बजा कर इस सरकार ने हाउस टैक्स वसूल किया। यह तो कांग्रेस पार्टी थी जिसने सदन के भीतर और सदन के बाहर इस सरकार के खिलाफ जनता का सहयोग लेकर लड़ाई लड़ी और इस सरकार को विवश किया कि जो चुनाव के अन्दर वादा किया गया था, पूरा करें।

मैं आपके माध्यम से अन्त में सिर्फ एक बात की तरफ आपका ध्यान, मंत्रीजी, आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार झीलों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दे रही है जिसमें हमारे जिले में माउण्ट आबू की नक्की झील भी शामिल है। मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका डिपार्टमेंट आज की तारीख में उस काम को करने के लिए किसी भी रूप में सक्षम मुझे दिखाई नहीं पड़ता इसलिए मेहरबानी करके जो भारत सरकार का मंतव्य है, जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि नक्की, पुष्कर और दूसरी तमाम झीलों का सही ढंग से संरक्षण हो सके, हमारे इस ऐतिहासिक गौरव की रक्षा कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक नागपाल ।

श्री रामप्रताप कासनिया। सॉरी, मैंने देखा नहीं।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 8-राजस्व, मांग संख्या 20-आवास, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास और मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर चर्चा हो रही है, मैं अपने आपको इसमें शामिल करते हुए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा।

(श्री अशोक नागपाल)

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति, इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा है, इसमें काफी बड़े गांव, कस्बे ऐसे हैं जिनमें अभी तक उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। शहरी क्षेत्र भी काफी बढ़ चुका है सूरतगढ़, अनूपगढ़, विजयनगर का और जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वे पूर्व में ही आबंटित हैं, उनको अभी तक और नहीं बढ़ाया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह कहना चाहूंगा कि जहां भी ये उचित मूल्य की दुकानें कम हैं, वहां नई दुकानें आबंटित की जावें।

मुख्य रूप से श्रीगंगानगर जिला किसान जिला है, राजस्व-मांग संख्या 8 पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय राजस्व मंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने सूरतगढ़ तहसील के 34 सौ के करीब अस्थाई काश्तकारों को पुख्ता आबंटन के लिए कार्यवाही कर रखी है। पूर्व में जब भी संभागीय स्तर पर बैठक हुई उसमें यह बात उठी और आज उसका यह परिणाम है कि उन 34 सौ काश्तकारों को मालिकाना हक मिलने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन 34 सौ अस्थाई काश्तकारों को टीसी से पुख्ता आबंटन किया जाना है, सूरतगढ़ तहसील श्रीगंगानगर जिले का एक भाग अवश्य है लेकिन जिस क्षेत्र में यह टीसी से पुख्ता आबंटन किया जाना है, करीब 48 गांव जिनमें बिलकुल भी कभी पानी नहीं लगता, ऐसी जमीनें हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वहां पर जो रेटें रखी गई हैं, वे बहुत ज्यादा हैं, उन रेटों को कम किया जाए ताकि वहां के किसानों को उनका जो वास्तविक हक है वह मिल सके।

इसके साथ-साथ मैं मेरे क्षेत्र की कुछ और बातें भी हैं जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। श्रीगंगानगर में तहसील मुख्यालय है लेकिन वहां पर एस.डी.एम. कोर्ट नहीं है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर एस.डी.एम. कोर्ट खोली जावे। सूरतगढ़ तहसील का रागियासर जो कि नेशनल हाइवे पर है, इसके क्षेत्र में बहुत-से गांव आते हैं, रागियासर को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। इसी तरह, घड़साना की रावलामंडी को भी उप तहसील का दर्जा देने के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा। सूरतगढ़ तहसील के जिन अस्थाई काश्तकारों को आबंटन किया जाना है उसमें कुछ क्षेत्र जहां पर अभी चकबंदी और किलाबंदी का काम चल रहा था, वह काम पूर्ण हो चुका है। क्योंकि अभी

(श्री अशोक नागपाल)

अप्रैल में सरसों और कणक की फसल होने के बाद में खेत खाली हो जाते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो काम पूर्ण हो चुका है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में अलग से ड्यूटियां लगा कर, अलग से एक आरएएस अधिकारी बिठा कर इस कार्य को पूर्ण करवाने में सहयोग प्रदान करें।

एक बात और, टी सी से पुख्ता गंग कैनाल के क्षेत्र में जो पूर्व में समय 31 दिसम्बर, 2006 तक का दिया हुआ था, उसे 31 दिसम्बर, 2007 तक बढ़ाने के लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा। एक यह भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने पूर्व में एकमुश्त पैसा टी सी से पुख्ता आबंटन के लिए जमा करवा दिया है उनको अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, क्योंकि तीन वर्ष के बाद उनको खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र की यह प्रमुख समस्या है, यह विशेष रूप से करें और खातेदारी अधिकारी शीघ्र से शीघ्र दिलवाये जाएं।

इसके साथ-साथ आई जी एन पी या गंग कैनाल में आबंटन के समय जो वोटर लिस्ट 1983 की लगाई जाती है, उसकी जगह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आबंटन के समय वोटर लिस्ट 2001 की लगाई जाए ताकि उस क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।

इसी के साथ एक आग्रह और करना चाहूंगा कि श्रीगंगानगर में आर ए ए का कार्यालय है जिसके अन्तर्गत करीब 70 प्रतिशत मुकदमे अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्र के हैं। मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से मंत्री महोदय से यह पुरजोर मांग करना चाहूंगा कि आर ए ए का एक माह में सात दिन का कोर्ट कैम्प अनूपगढ़ मुख्यालय में रखा जाए ताकि उस क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके क्योंकि गंगानगर घड़साना से 150 किलोमीटर, रावला से 180 किलोमीटर और अनूपगढ़ से 120 किलोमीटर पड़ जाता है। सूरतगढ़ तहसील के जिन 3400 काश्तकारों को आबंटन किया जाना है उसमें 85 प्रतिशत असिंचित भूमि है, मैंने जो पूर्व में आपके सामने यह बात रखी है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उसको जल्द से जल्द डी-कोलोनाइजेशन करके इस समस्या का समाधान करें।

मेरे क्षेत्र घड़साना की एक और प्रमुख समस्या है, इसमें 10 गुना खातेदारी के अधिकार के एवज में काफी किसानों के मामले अभी तक लम्बित

(श्री अशोक नागपाल)

पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा, आप अभी गंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री भी बने हैं, और आप वहां स्वयं कैम्प करके उन प्रकरणों का भी निस्तारण करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8, 20 और 29 पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कालीबंगा बहुत पुरानी सभ्यता है, पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है। उस सभ्यता की रक्षा करने के लिए, इसके संरक्षण व सौन्दर्यकरण, विकास के लिए पीलीबंगा नगरपालिका के पास तो कुछ है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह पर्यटन विभाग का विषय है, यह बात भी मैं जानता हूं, पर मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इतनी पुरानी जो सभ्यता है इसके सौन्दर्यकरण के लिए पीलीबंगा नगरपालिका को कोई विशेष पैकेज देकर राहत प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, यहां 15 हजार से 20 हजार देशी और विदेशी पर्यटक हर वर्ष आते हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्यटन को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है तो कालीबंगा जैसी जगह जो बहुत ही पुरानी सभ्यता है, वहां तो आज तक सारा काम होना चाहिए था। लेकिन न कोई रैस्ट हाउस है, न कोई डिवाइडर बने हुए हैं, न कोई रोड है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में उपनिवेशन क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 1955 से पूर्व के जो काश्तकार हैं, आज दिन तक भी लोगों को खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। ऐसे लोग हजारों की संख्या में पूरे जिले में हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सन् 1955 के बाद के जो काश्तकार हैं उनकी भी यही हालत है, उनको खातेदारी नहीं दी गई है। उस खातेदारी में बालिग पुत्रों की अभी तक कोई सदन में चर्चा नहीं हुई है तो मैं इस ओर आपका ध्यान पुन: आकर्षित करना चाहता हूं कि बालिग पुत्रों के प्रकरण बहुत पैण्डिंग पड़े हैं उन काश्तकारों के पास स्टे है, स्टे होने के बावजूद भी पटवारी और तहसीलदार द्वारा उनके खिलाफ कुर्की, तवान लगाना, इस तरह की कार्यवाही होती रहती है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हर वर्ष काश्तकार को पटवारी और तहसीलदार यह कहते हैं कि आप स्टे लेकर दो। अध्यक्ष महोदय, बार-बार स्टे लाकर देने वाला बहुत मुश्किल काम है, जब कि तहसीलदार को पता है, पटवारी को पता है कि इसके बालिग पुत्रों का प्रकरण पैण्डिंग है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, सरकार को करोड़ों रुपये की आय होगी और काश्तकारों का काम भी निपट जाएगा क्योंकि स्माल पेच, मीडियम पेच, विशेष आबंटन के बहुत-से प्रकरण लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन क्षेत्र में काफी कार्य अभी पैण्डिंग पड़े हैं, समस्याओं का आखिरी पड़ाव तब आएगा जब आप जिले में जाकर कैम्प करोगे और दौरा करोगे। विशेष आबंटन के लिए एक गजट नोटिफिकेशन सरकार के माध्यम से जारी हुआ है उसमें हजारों काश्तकार वो हैं जो भूमि आबंटन करवाने के पात्र हैं, चाहे बालिग पुत्रों का प्रकरण हो, चाहे टी सी का हो, चाहे पुख्ता का हो, लोगों ने किश्त जमा करवा दी पर खातेदारी इसलिए नहीं मिल रही है कि रकबा गजट में है तो आबंटन ही क्यों किया? जब आबंटन कर दिया, किश्त जमा हो गई तो फिर खातेदारी राइट क्यों नहीं मिल रहे हैं? काश्तकार ने अपने आप तो कोई भूमि आबंटन किया नहीं। तो ये छोटे-छोटे प्रकरण हैं।

उपनिवेशन क्षेत्र से 47 गांव बाहर निकालने की बात है, मैं पुन: दोहरा रहा हूं कि कई राजनीतिक लोग इस फिराक में हैं, ताक में बैठे हैं और उनको पता भी लग गया है कि सरकार यह काम करने जा रही है तो वो कोई आंदोलन खड़ा कर दें, ऐसा मौका आप दें ही नहीं। यानि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आजकल की सरकार कौनसा काम करने जा रही है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। तो मैं यह विशेष तौर से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल शहरों के अन्दर बहुत ही बुरी हालत है। मिलावट का मामला-मिर्च में मिलावट, चाय में मिलावट, तरह-तरह की डीजल में मिलावट, हर चीज में मिलावट के मामले आ रहे हैं। पहले प्रवर्तन निरीक्षक इस मामले को चैक करते थे। अध्यक्ष महोदय, अब तो पुन: सरकार ने शायद प्रवर्तन निरीक्षक को इस काम में सम्मिलित कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग भी इसमें बीच में आता है, पर जो मिलावट का धंधा वर्षों से चला आ रहा है इस धंधे पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अध्यक्ष महोदय, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज गरीब व्यक्ति खाने के लिए दाल तक भी खरीद नहीं सकता। भाषण तो बहुत होते हैं पर गांव, गरीब और किसान, इनकी तरफ कोई भी सरकार है, चाहे केन्द्र में बैठी है, चाहे राज्य में बैठी है, उसका दायित्व है कि गांव के लोगों को, गरीब लोगों को खाने-पीने का सामान सस्ते में उपलब्ध करवाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि यह केन्द्र सरकार का मामला है, केन्द्र महंगाई पर रोक लगा सकता है, यह केन्द्र सरकार का काम है पर मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों इस सदन के माध्यम से संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजें कि महंगाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज गेहूँ की क्या हालत है? हर चीज जब काश्तकार के खेत से खलिहान से होकर बाजार में चली जाती है उसके बाद में डेढ़े-दूने दाम हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के अंदर सबसे अगर कोई अहम भूमिका है तो वह राजस्व पटवारी की है, लेकिन राजस्व पटवारियों के हैडक्वार्टर गांव के अंदर नहीं रहते हैं, ये शहरों के अंदर रहते हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा कोई आदेश तो आपने मुझे पता है निकाल रखा है, पर आदेशों की पालना नहीं हो रही है। गांव के लोग तहसील हैडक्वार्टर पर छोटे से कार्य के लिए पटवारी के पीछे दो-दो, तीन-तीन दिन परेशान होते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा सरकार से कि पटवारियों को अपने हैडक्वार्टर पर रहने के लिए पाबंद करें। किसी जन-प्रतिनिधि को या पंचायत को प्रधान को कोई ऐसे पावर दें कि गैर हाजिर मिले तो उसके खिलाफ एब्सेंट लगाने या लिखकर देने से कार्यवाही हो।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, वर्षों से बिगड़ा हुआ ढर्रा है यह पटवारियों वाला। पटवारी किसानों को आज दिन तक वैसे ही लूटता जा रहा है ट्रैक्टर के मामले में। अध्यक्ष महोदय मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, और एक उदाहरण नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, जमाबंदी ट्रैक्टर का लोन लेने के लिए काश्तकारों से दस-दस हजार रुपए पटवारी लेता है। यह कोई अब की व्यवस्था नहीं है, पुरानी बता रहा हूं, 4-5 साल पहले की। मेरे पास केस कोई सैकड़ों में हैं, अब भी है, चल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, अब बंद हो गये हैं। मेरे जो जानकारी में

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हैं, वे ऐसे केस हैं, जमीन तो एक लाख रुपए की और ट्रैक्टर दे दिया चार लाख रुपए का। दे इसलिए दिया कि आपके पटवारी और तहसीलदार ने रिपोर्ट कर दी। अध्यक्ष महोदय, हालात ये है कि ट्रैक्टर जो कंपनियां हैं, बैंकों से, तहसीलदार से पटवारियों से मिल-मिल कर और काश्तकारों की जमीन जो है बैंक के रहन कर दी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब चूंकि पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दो मिनट में बात कहूँगा, दो मिनट में बोल पाएंगे केवल आप, दो मिनट के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगी। ऐसा है, कांग्रेस की तरफ से कई नाम बाकी हैं लेकिन अब तक कांग्रेस के माननीय सदस्य 3 घंटे 43 मिनट ले चुके हैं...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने तो आपसे पहले निवेदन किया कि मेरी पार्टी की तरफ से समय नहीं मिलेगा... (व्यवधान) आपने व्यवस्था दी थी मैं दूंगी आपको समय।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, यह तो आसन की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम पार्टी की ओर से आया है, लेकिन आपका नाम छठे नम्बर पर है और पांच माननीय सदस्य जैसा कि मैंने कहा 3 घंटे 50 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, यह आपकी ही व्यवस्था है। मैंने कहा आप पाकिस्तान पधार जाएंगी, आपने कहा मैं उपाध्यक्ष को कह कर जाऊंगी। यहां तक कहा है, मैं उनको कह कर जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पांच मिनट से ज्यादा छह मिनट नहीं दूंगी, पहले कह रही हूं आपको।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनट मेरे कब से गिनोगी?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हेमारामजी, उस पार्टी में काहे के लिए लड़ रहे हो जो आपका नाम ही नहीं ले रही है बोलने के लिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मेरा समय खराब कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप प्लीज..

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): जल्दी करिए, संसदीय कार्य मंत्रीजी करते हैं जल्दी करिए, टैटू शो जाना है, कभी कहते हैं आदेश श्रीवास्तव को सुनने जाना है।

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करिए, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं न भ्रष्टाचार के लफड़े में पड़ना चाहता हूं। यह सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, भ्रष्टाचार की कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: आप तो ज्ञान की बात कह दें बस, खत्म।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक बड़ी बीमारी है कस्टोडियन भूमि की, आप राजस्थान की कल्चर को भूल गये पाकिस्तान जाकर दो दिन में, कस्टोडियन भूमि थी उसमें क्या था? पहले पट्टे दिये जाते थे अब वे पट्टे देने बंद कर दिये। किसान 50 साल से उनको बो रहे हैं, मालिकाना हक भी है लेकिन जब पट्टा नहीं दिया जाता है तो उस पर कोई लोन भी नहीं ले सकता, न उसमें कोई कुआ खोद सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, कि कम से कम कस्टोडियन भूमि को तत्काल पट्टा दिलाया जाए और उनका कब्जा साबित किया जाए, एक। दूसरा...

श्री अध्यक्ष: ठीक है आपकी बात सुन ली, जवाब दीजिएगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नम्बर दो, रेट वाजिब-रेट वाजिब वे खुद ही देख लें, किसान के बेटे हैं।

भरा नहीं भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं,

हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें किसान के प्रति प्यार नहीं।

मैं नगर विकास की बात करुंगा, मैं नगर विकास के बारे में बात करुंगा, नगर विकास के बारे में चाहे कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आया हो, चाहे कोई बीजेपी का आया हो, चाहे बहुजन का आया हो, भ्रष्टाचार की बात चलती रहेगी पर विकास के ऊपर नजर किसी ने टेकी नहीं। पहले शांतिलाल धारीवाल जी थे तब भी यहां राजेन्द्रजी खड़े हो जाते थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब इधर से खड़े हो जाते हैं इस लफड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, मैं

(श्री श्रवण कुमार)

एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिलानी भारत की सबसे बड़ी शिक्षा की नगरी है और यहां का पढ़ा हुआ स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में जहां भी कोई जाता है तो बोलता है पिलानी में मैंने शिक्षा प्राप्त की है...

श्री अध्यक्ष: आप पिलानी के विधायक हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): और उसके बारे में क्या बताऊं? व्याख्यान तो आगे सुनो। बिड़लाजी नाम पुकारे जाने वाले पिलानी में केवल गंदगी के सिवाय बिड़लाजी ने कुछ नहीं दिया। किसी बड़े नेता को किसी को रुपया दे दिया होगा, पर आज साढ़े पांच बजे बिड़ला अपनी गटर लाइन खोलते हैं, सारा पिलानी गंदगी से सड़ जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात कहूंगा कि पिलानी का एक मेजर मिलिटरी में शहीद हुआ था और नगरपालिका में प्रस्ताव लिया गया था कि इस मेजर के नाम से एक शहीद रोड बनाई जाएगी और उस रोड का नाम फुलवारी रोड होगा। आज मंत्रीजी पिलानी नगरी में शहीद की रोड को आज ही बनाने के नाम की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: बस, आपकी दोनों बातें हो गई हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक मिनट तो हुई है...

श्री अध्यक्ष: दोनों बातें हो गईं तो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक ही कृपा करें। देखो, आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं।

श्री अध्यक्ष: 7.55 से शुरू किया, अब 7.57 हो रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नगरीय आपूर्ति मंत्री कह रहे थे मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहता, मैं नगरीय आपूर्ति मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सगी कजन ब्रोदर मेरे पंचायत का डीलर था, उसने तीन बार तेल को बेच दिया, मैं ईमानदारी से कहता हूं सदन के अंदर कि मैंने डीएसओ को बुलाकर उसको चार दिन जेल भिजवाया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह तेल बेचता था। उसी पंचायत के अंदर मैंने कहा कि एक चोर को तो मैंने मेरे कजन ब्रोदर को पकड़ा है, आप डीलर बढ़िया बनाना। इसी मंत्रीजी ने इसी पंचायत में एक शराब के तस्कर को...

श्री अध्यक्ष: आप कह किसको रहे हैं, मंत्रीजी तो है नहीं सदन में?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह मेरी गलती नहीं है, मंत्रीजी की गलती है, सरकार की गलती है, क्यों नहीं सुनता है वो? मेरी गलती थोड़े ही है। यहां मंत्रीजी बैठे हुए हैं राजेन्द्रजी सबकी बात सुनते हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां बैठे हैं मंत्रीजी?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजेन्द्रजी सुनते हैं सबकी, राजेन्द्रजी सबकी बात सुनते हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा राजेन्द्रजी सुनते हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजेन्द्रजी सबकी बात सुनते हैं। जब इनके हाथी के बारे में सबको सुना जाता है, यहां जब इनकी तरफदारी करते हैं तो सुनेंगे भी यही। मैं कहता हूं, पांच मुक़दमे शराब के खिलाफ में हैं और जज के वहां से 500 रुपए उसके खिलाफ में जुर्माना भी हो गया है, और उसी को डीलर बना दिया। मैं कहता हूं जो शराब का तस्कर है...

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्रजी ने सुन लिया है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उन जैसे लोगों को डीलर बनाते हैं। फिर मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मैं इस लफड़े में नहीं जाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप मांग पर आओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक मिनट में खतम करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य दो मिनट के आगे नहीं बोलेंगे आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्लीज, प्लीज..

नजर ने कहा दिल ने धोखा दिया,
दिल ने कहा नजर ने धोखा दिया,
किसने किसको क्या दिया, हमको
तो दोनों ने मिलकर तबाह किया।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पाकिस्तान जाकर आई हैं इसका जवाब तो आप ही देंगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): जवाब तो मैं दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हम नहीं बनना चाहते हैं, पर 5 करोड़ 70 लाख जनता के साथ दोनों ने मिलकर धोखा किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दोनों ने ही धोखा किया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आज तक किसी बंदे ने यह नहीं सोचा कि हमारी जनता के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बजट का दायरा हर

(श्री श्रवण कुमार)

साल बढ़ता जा रहा है पर भ्रष्टाचार का दायरा भी प्रति साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी समय है समय निकल जाएगा उसके बाद ट्रेन जाने के बाद टिकट दिखाने वाले को कोई पूछता है? अगर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और टिकट आपके पास है और सीट आपके पास है, इस भ्रष्टाचार पर अंकुश करिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री हेमारामजी। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, हेमारामजी, कृपया शुरू करें। पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगी आपको, फाइव मिनट ओनली।

(समय : 20.00 बजे)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं बाड़मेर पधारे है, मुख्य मंत्रीजी भी बाड़मेर पधारी हैं, आपको ज्ञापन दिया है, बाड़मेर में कच्ची बस्ती शिवाजी नगर में दस हजार परिवार निवास कर रहे हैं, वर्षों से, जिसका आपने नियमन का पैसा भी जमा किया है, कइयों को आपने पट्टे भी दिये हैं। उनको एक आप टाउनशिप योजना लाये बाड़मेर शहर के लिए, पता नहीं कहां से लाये। एक कोई होटल भी बना रहे हैं। वहां पर उस टाउनशिप योजना को लेकर आये, उसके लिए वहां जो हजारों परिवार बसे हुए हैं वर्षों से, 20-20, 30-30 साल से, उनको बेदखल करके आप टाउनशिप योजना जो बनाने जा रहे हैं, मेहरबानी करके आप उसको ड्राप करें। वो लोग 12.2.07 से धरने पर बैठे हैं आप से भी मिले थे, मंत्रीजी, 12.2.07 से आज पैंतालीस दिन हो गये और मैंने एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया लेकिन सरकार ने आज दिन तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप उस पर ध्यान दें, नहीं दें, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। मेरे कहने से कोई जरूरी नहीं, आप ध्यान दे दो। बाड़मेर के एमएलए साहब बैठे हैं, अगर वो मेरी बात की ताईद कर दें और इससे सहमत हों तो तो दे दो। मेरे कहने पर ध्यान नहीं दें, आपके सत्ता पक्ष के हैं, आपके विधायक हैं, अगर वो इस बात से सहमत हैं। इन परिवारों को बिना वजह जो

(श्री हेमाराम चौधरी)

वर्षों से काबिज हैं, उनको हटा कर 375 बीघा जमीन को टाउनशिप के लिए और होटल के लिए आप ले रहे हो, क्या यह सही है? इतने परिवार अगर बेघर हो गये, करीब दस हजार परिवार हैं, आप तो उनको बेदखल कर दोगे, पर बाद में वो भी आपको बेदखल कर सकते हैं, यह भी ध्यान रखना। जमीन से तो आप उनको बेदखल कर दोगे लेकिन सत्ता से वो आपको बेदखल कर देंगे, यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। नहीं तो आप इस पर ध्यान दो। 12.2.2007 से हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं, आज दिन तक आपने कोई उनको आश्वासन नहीं दिया, कोई उनसे बात नहीं की, कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। मेरा आपसे यह निवेदन है, यह जमीन नगरपालिका को कलक्टर, बाड़मेर ने दी है। 29.12.1980 का आदेश है इसके तहत यह गवर्नमेंट की भूमि थी, 29.12.1980 को तत्कालीन कलक्टर धर्मसिंहजी सागर ने नगरपालिका को दी। जमीन दी उस आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नगरपालिका समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास घर बनाने की योजना भी बनाएगी और आवासीय भूखंड आबंटन में इन लोगों को प्राथमिकता देगी। इस शर्त के साथ जमीन नगरपालिका को दी गई। अब आप उसमें इतने वर्षों बाद, 1980 में यह जमीन दी गई। और अब आप एक टाउनशिप योजना लेकर आये हो, पता नहीं आप कहां से लेकर आये हो? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज न जाने सेज के नाम से कितनी कंपनियां आ रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। आखिर आप इन बेचारों को उजाड़कर वहां बाड़मेर में क्या करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह नहीं हो। पूर्व में नगरपालिका बाड़मेर ने 7.10.2004 को एक प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव में भी इन लोगों को बसाने के लिए वहां पर निर्णय लिया था। यह प्रस्ताव संख्या 11 है, गरीब तबके के व्यक्तियों को भूखंड का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, उनके स्थान पर दी जाए। गरीब तबके के व्यक्तियों, शराणार्थियों आदि को सरकार एवं नगरपालिका द्वारा भूखंड आबंटित किये लोगों को जिनको कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें सदर थाने के पीछे खसरा नं. 1665/5/1 में भूखंड आबंटित किये जाने की स्वीकृति दी गई। यह नगरपालिका का प्रस्ताव है। उसके बाद अब दूसरी नयी नगरपालिका आयी, नये चेयरमैन साहब आये, नयी टाउनशिप लेकर आये। नयी टाउनशिप लेकर आये तो आपको उन गरीबों की ही जमीन मिली, उन पर ही आपकी नजर पड़ी? बाड़मेर में अगर आपको टाउनशिप बसानी है

(श्री हेमाराम चौधरी)

तो फिर अमीर लोगों को बेदखल करके वहां टाउनशिप बसा दो, गरीबों के घर आप क्यों उजाड़ रहे हो? अगर आपने गरीब के घर उजाड़े तो गरीब की दुरशीष आपको लगेगी और गरीबों की दुरशीष लगी तो आपका भी हाल ठीक नहीं रहेगा, बुरा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप कृपया गौर, करें उनको बेदखल नहीं करें। बाड़मेर के विधायकजी की राय हो तो, क्योंकि मेरे ध्यान में आया इसलिए मैंने कहा।

यहां भ्रष्टाचार की भी बहुत बात चली, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, वो तो कोयला खाएगा उसका मुंह काला होगा, नहीं खाएगा उसके कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाहे हमने खाया, चाहे हमारी पार्टी के लोगों ने खाया। चाहे आप खाओ, चाहे आपके लोग खाएं। वो तो कोयला खाएगा उसका काला मुंह होगा, कहने से किसी का होगा नहीं। मां के बखानने से बेटे का बखान होगा नहीं, दुनिया बखानेगी तब बखान होगा। मां अपने बेटा का चाहे कितना ही बखान करे, बेटा कपूत है तो कपूत रहेगा और सपूत है तो सपूत रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अब मां-बाप पर आओ मत । बात करो अपनी फटाफट। दो मिनट में बात समाप्त करो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं यह कहना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार की बात बहुत चली ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार की तो कह दीं बहुत सारी, अब और बातें आपको कहनी हों तो कह दें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं इतना कहना चाहता था कि ये राज्य मंत्री हैं सिंघवी साहब, आज तीन मंत्रियों के हैं पर सारे मामले एक ही मंत्रीजी पर केन्द्रित रहे। एक पर ही केन्द्रित क्यों रहे, इसका कोई कारण होगा। समझना चाहिए समझो तो, न समझो तो मर्जी आपकी। मामले एक पर ही केन्द्रित क्यों हुए, इसका कारण क्या है? अगर आप नहीं समझो तो मेरे पास तो समझाने के लिए कुछ है नहीं। इतने राज्य मंत्री हैं, एक राज्यमंत्री को ही इंडिपेंडेंट चार्ज, बाकी को एक को भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं? सिर्फ एक को ही इंडिपेंडेंट चार्ज क्यों दिया गया, इसका क्या कारण है, यह तो समझाना चाहिए। वो भी ऐसा महकमा स्वायत्त शासन जैसा महकमा और स्वायत्त शासन का महकमा ...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हेमारामजी, मैं आपका पुराना साथी हूं, किस बात की तकलीफ है आपको?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो योग्यता के आधार पर दिया गया है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, सिंघवी साहब।

श्री अध्यक्ष: योग्यता के आधार पर दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं आपको याद दिलाऊं, आप लोगों की सुनवाई करते हैं, नियमों से चलते हो, कायदों से चलने वाले आदमी हो, आप नियम और कायदों से चलें तो आपने एमएलएज के लिए एक आवासीय योजना जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में ली। आपने आवेदन मांगे कि नहीं मांगे? आवेदन सरकार ने मांगे, आपने नहीं हमारी सरकार ने मांगे। आवेदन मांगे और आपने साठ-साठ हजार रुपये पंजीकरण के लिए लिये कहा कि इंडिपेंडेंट देंगे। अब आपने कहा कि वहां इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, आप तो फ्लैट लो तो लो, नहीं तो दूसरी जगह कोई योजना ढूंढो। अब हमारे को ही आप ये जवाब दे दो, उसमें हम कोई विपक्ष वाले ही नहीं हैं सत्ता पक्ष वाले भी हैं। वो तो सभी हैं, उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, एमएलए का मामला है, तो उनको भी आपने टरका दिया और उनको कह दिया, अब आपको इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। उस समय आवेदन तो इंडिपेंडेंट का था, आपने यह कहा कि आपको इंडिपेंडेंट हाउस देंगे, आप फार्म भरना हो वो भरो, पैसे जमा कराने हों वो कराओ, रजिस्ट्रेशन कराना है वो कराओ। हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपको पैसा जमा करा दिया, सब कुछ कर दिया। अब इतने वर्षों बाद आप कहें कि नहीं, आपको इंडिपेंडेंट तो नहीं देंगे, फ्लैट लेना हो तो लें, नहीं तो आप दूसरी जगह जाएं, कोई दूसरी योजना में। या कोई दूसरी योजना बताएं वो आपको दे दें। अगर आप यह हमारे को जवाब दे सकते हो तो आम आदमी तो आपसे क्या न्याय की उम्मीद करेगा? एमएलएज को भी टरका दिया और चाहे सत्ता पक्ष का हो वो भी रो रहा है। कोई यह थोड़े ही है कि आपने खाली विपक्ष वालों को टरकाया है, सबको टरका दिया।

श्री अध्यक्ष: यह सदन कोई व्यक्तिगत पैरवी के लिए थोड़े ही है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नहीं, नहीं, मैंने कोई व्यक्तिगत पैरवी नहीं की, अध्यक्ष महोदय, यह एक मिसाल की बात कह रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए। आप कहीं दे देना भले ही, ये पैसा मेरा आप रख लेना, मुझे नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहिए। वो नहीं है, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा। आपने कहा कि क्या तकलीफ है, तो मैंने तो एक बात बतायी है। आज कहने का मतलब, गरीबों की कौन सुनेगा? आपके विभाग का ही सवाल नहीं है, कहीं भी जाएं, आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर सभी सोच लें, बिना पैसे के कितनी जगह काम होता है। ऐसा नहीं है कि हण्ड्रेड परसेंट पैसे से ही होता है, लेकिन कितने काम बिना पैसे होते हैं। अधिकांश काम कहीं भी जाओ आप, आपके पास भेंट चढ़ाने के लिए है तो काम होगा, बिना भेंट के कितने काम होते हैं, जरा सभी सोचें। आप यह बात कह रहे थे कि अब भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज कनक्लूड।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह पचास साल से आपकी कांग्रेस पार्टी की देन है भारत को।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। प्लीज कनक्लूड।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ये पचास साल की देन है, साहब। अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 56 साल में कुछ नहीं हुआ, तीन साल में ही हुआ जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब पहले इनकी भी सरकारें कई वर्षों तक रही भी होंगी।

श्री अध्यक्ष: अब आप ...(व्यवधान) 8 मिनट हो गये आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): भैरोंसिंहजी तीन बार मुख्य मंत्री बने, आपके कुछ साल ही नहीं? हमारे तो खैर होना ही नहीं, सवाल ही नहीं क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं, करने वाले तो आप ही हो। सेवा करने वाले तो आप ही हो। सेवा का तो आपका ही काम है सब, जनता की सेवा करना। आपके ही दिल में कुछ दर्द है, हमारे दिल में तो यह चीज है ही नहीं, नजदीक ही नहीं है। लेकिन यह तो एक किस तरीके से कैसे खुशामद की जाए ...

श्री अध्यक्ष: 8 मिनट हो चुके हैं। पांच मिनट की बात थी और आठ मिनट हो गये बोलते हुए। अब आप प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, नहीं, मैं समाप्त कर रहा हूं बस। इसलिए कहने का मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं है, अपने आपको देखो। 'बुरा देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई'। अपने खुद के बारे में देखो, न अपन दूसरे के

(श्री हेमाराम चौधरी)

ऊपर आरोपित करें, कौन कैसा है, कौन क्या-क्या था, कोयला खाये उसका काला मुंह। अपने तो अपनी सोचो कि अपन क्या करते हैं। अपन सही हैं कि नहीं, और तो कोई तो देखता है। आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां, सत्ता में आप भी रह रहे हो अभी और हम भी रहे, आपने हमको बुरा कहा, हम आपको कहते हैं, पर ऊपर वाला तो देखता है न।

श्री अध्यक्ष: आपने सीख अच्छी दे दी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ईश्वर तो देखता है जी, साहब।

श्री अध्यक्ष: सीख अच्छी दे दी आपने।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने सीख कुछ नहीं दी, मेरे तो कहने का मतलब मंत्रीजी, आपको इंडिपिंडेंट चार्ज इसलिए दिया है कि आप कमाऊ पूत हो। कमाऊ पूत हमेशा अच्छा लगता है, प्यारा होता है। उसको तो मां भी गर्म गर्म रोटी पुरस कर देती है। और जो कमा कर नहीं लाता है उसको मां भी माथे पर जूत देती है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, गुढामालानी से जो माननीय सदस्य आते हैं वह जब मेरे से मिले ..

श्री अध्यक्ष: सबसे पहले राम नारायण डूडी बोलेंगे ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मेरे से जब इनकी मकान के मामले में कोई बातचीत हुई तो इनको मेरी बातचीत में कुछ बुरा लगा हो तो आप दुबारा मेरे पास पधारें, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और आपका स्वागत भी करूंगा ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मुझे अकेले को चाहिये क्या? मैंने अकेले ने एप्लाई किया है क्या। आप किसी को मत दीजिए, मैं तो कहता हूं। धन्यवाद आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी जवाब देवें, खडे होवें ।

सदन की कार्यवाही

मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण की रिप्लाई तक मुख बंद का समय बढाया जाए।

श्री अध्यक्ष: वह तो पहले ही हो गया था, मुख बंद का नहीं हुआ था पहले ? क्या सदन की सहमति है कि मुख बंद का समय जब तक मंत्रियों के जवाब हों...

डा.बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुख बंद का समय बार बार नहीं बढ़ाया जाता है । मंत्रियों का मुख बंद करो आज ।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, कार्य सूची देख लीजिए, मुख बंद बाद में है, मंत्रीगण की रिप्लाई पहले है ।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि मुख बंद का समय मंत्रियों के जवाब तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

मुख बंद का समय मंत्रियों के जवाब तक बढ़ाया जाता है ।

मांग संख्या 8, 20, 29 व 32 पर विचार

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर आप कभी भी बोलने का मौका नहीं देतीं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका नाम है, उसके बाद में आपने मना कर दिया । यह तो कोई बात नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष: मैंने अब नाम पुकार लिया है ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बायस्ड एटीट्यूड हो गया । मैं वैसे भी सुझाव देती हूं, मैं अनर्गल वैसे भी नहीं बोलती, इर्रेलेवेंट मैं बोलती नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके सरकारी उप मुख्य सचेतक की ओर से मेरे पास लिखा हुआ आया है कि काफी समय हो चुका है, अब कृपया आप जवाब दिलवा दें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): दो-दो मिनट दे दें आप, ज्यादा मत दो। मैं खाली सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब मैं किसी को समय नहीं दूंगी, मैंने नाम पुकार लिया है राजस्व मंत्रीजी । आप पार्टी के अनुशासन में रहिए ।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): सारे काश्तकारों को रोका है, कनेक्शन दिया जा रहा है काश्तकारों को, आप दो मिनट का समय भी नहीं देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष: ... (व्यवधान) No, I won’t allow. मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, आप अनुशासन में रहना सीखिए । जब सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्य सचेतक ने यह बात लिख कर भेज दी, नहीं अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। नो, स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें आप, मैं कहती हूं, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 8 के बाबत इस सदन में चर्चा हुई और करीबन 69 माननीय सदस्यों ने 166 कटौती प्रस्ताव रखे । सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं और पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सरकार के सामने राजस्व से संबंधित मामले उठाये गये, 20 माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपने विचारों का उदबोधन किया और उनमें से केवल 8 माननीय सदस्यों ने रेवेन्यू पर अपने विचार रखे। अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य के बहुत बडे भू-भाग में कृषि योग्य जमीन है। हमारे 32 जिले पूर्व में थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने एक नये जिले प्रतापगढ़ की घोषणा इस सदन में की। कुल 33 जिलों के राजस्व प्रशासन और उन्हीं के साथ 7 डिवीजन इस प्रदेश में काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: वह तो ठीक है, इनकी मांगों का जवाब दे दो आप ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): क्यों भाई कोई तकलीफ हो रही है क्या ? कोई तकलीफ हो रही हो तो बता दो ।

श्री अध्यक्ष: कैसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए, पढ़ रहे हैं क्या वह?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण के संबंध में, खातेदारी, गैर खातेदारी के संबंध में, अतिक्रमणों का रैगुलराइजेशन हुआ नहीं उसके संबंध में बहुत भारी चिंता का मामला बना। मैं इस बात को मानता हूं कि अपने तीन साल में कई परिपत्रों के द्वारा, संशोधनों के द्वारा,

(श्री रामनारायण डूडी)

अधिसूचनाओं के द्वारा राजस्थान के अधिक से अधिक काश्तकार का हित हो और किसी प्रकार की कानूनी अडचनों में नहीं फंस कर उनको अधिकार मिले, इन सब बातों के बावजूद भी आज राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों में करीब 2,74,580 राजस्व वाद विचाराधीन हैं। इतने बडे राजस्व वाद ठेठ छोटे लेवल से लगाकर, तहसीलदार लेवल से लगा कर राजस्व बोर्ड तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पैंडिंग है। इन मामलों में हमने समय-समय पर मोनेटरिंग की, बहुत ज्यादा केसेज निपटाये भी गये, मगर उतने ही ज्यादा वाद फिर दायर हो गये, तो पेंडेंसी वैसे के वैसे बढ़ती रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में सहायक कलक्टर न्यायिक कार्य 188 उप खंड अधिकारी तथा 13 सहायक कलक्टरों के द्वारा निष्पादन किये जा रहे हैं और 34 नये एसीएम न्यायालय खोलने का भी हमारा प्रस्ताव है, वह भी हम राजस्थान में खोल रहे हैं । इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे कई अधिकारियों की कमी है, पटवारियों की कमी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: आप तो पटवारियों की कमी छोड़ो जो लोगों ने बात उठाई, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई, कासनियाजी ने उठाई, उन बातों का जवाब दे दो, खत्म हुई बात ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, कमी तो ठीक है, जो अधिकारी हैं वे भी इनके आदेश नहीं मानते ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप तो रहने दो, आपने कुछ किया ही नहीं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जैसलमेर में आपने दो आदेश किये, दोनो कलक्टर ने आपके आदेश नहीं माने। कलक्टर जैसलमेर ने दोनों आपके आदेश नहीं माने जो आपने किये। सब में आपने अलाटमेंट किया वह नहीं माना और जैसलमेर सिटी में आपने जो आदेश किया वह धूल खा रहा है वहां पर। उसने वापस लिख दिया, मैं नहीं मानूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप तो बैठ जाइए, आपको पूरा मौका मिला था आप कह देते ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, यह बीच में बोल रहे हैं। मंत्री महोदय का वक्तव्य हो रहा है और यह बीच में डिस्टर्ब करते हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों स्थान ग्रहण करें। आप आसन का काम करने लग जाते हैं, बैठे रहिए चुपचाप ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि 56 साल से जिन कानूनों के तहत कार्य हो रहा है उसमें किसी प्रकार का संशोधन वगैरह निकाला नहीं गया उसकी वजह से लोगों में आज सबसे ज्यादा बात आई है कि अतिक्रमण या रैगुलराइजेशन या नियमन या गैर खातेदारी से खातेदारी नहीं दी जा रही है । उनका मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 56 साल में 40 साल तक इन्होंने राज किया है। मैं भी आपका भागी हूं, इसमें क्या बात है। पाप के अंदर भागी हैं अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया तो। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी एरिया के अंदर इन्होंने 56 साल तक हमारे आदिवासी भाइयों को खातेदारी हक नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): खातेदार भाइयों को हक नहीं दिया। हमने एक अभियान चलाकर मुख्य मंत्री महोदय के आदेश से जो आदिवासी अतिक्रमी थे, उनकी भूमि की किस्म परिवर्तन करके उनका हमने नियमन किया। जो कार्य किया एक ऐतिहासिक मामला है। आज यह लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, आपको यह भी पता है यह कानून केन्द्र सरकार ने बनाया है कि आदिवासी को अधिकार दिया जाए वन क्षेत्र में, आपने नहीं बनाया यह?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह स्टेट एक्ट है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 21/1/2006 से 27/2/2006 तक टीएसपी क्षेत्र के अंदर उदयपुर, डूंगरपूर, सिरोही, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्व अभियान चलाया गया, उस तहत कृषि प्रयोजनार्थ 21088 व्यक्तियों को 7423 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया और 6200 व्यक्तियों को गैर खातेदारी से खातेदारी का हक राजस्थान के अंदर इस बीजेपी की सरकार ने दिया। इन्होंने 40 साल के अंदर उनकी सुध ली। यह वोट बैंक बनाना जानते थे।

(श्री रामनारायण डूडी)

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अप्रैल, 2006 से मई तक समस्त जिलों में जल चेतना के दौरान और 21.11.2004 से 31.12.2004 तक करीबन 2 लाख 70 हजार 680 नामान्तरण तस्दीक किये और 33529 गैर खातेदारों को खातेदार के अधिकार प्रदान करके 19577 व्यक्तियों को कृषि प्रयाजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन किया तथा 1 लाख 72 हजार 372 कृषि जोत पास बुकों का वितरण किया गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2006 समयावधि में सीलिंग की 1232.17 एकड सरप्लस भूमि का आबंटन किया गया तथा 932 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। अध्यक्ष महोदय, निष्काम कृषि भूमि पर काबिज काश्तकारों को लाभ देने की दृष्टि से सामान्य व्यक्तियों को डीएलसी रेट की दर का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवार के कृषक को उक्त दर के साढ़े बारह प्रतिशत कीमत लेने के आदेश जारी किये गये और उससे काफी काश्तकारों को फायदा भी मिला।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले की छतरगढ़ तहसील में भूदान आबंटियों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन निर्देश दिये गये। 989 प्रकरणों का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर संबंधित काश्तकार को लाभान्वित किया गया। भूतपूर्व सैनिक, काफी वर्षों से जिनकी एप्लीकेशन पैंडिंग थी, आज की तारीख में कोई भी भूतपूर्व सैनिक भूमि आबंटन से वंचित नहीं है, उनको दे दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं कि 4236 पात्र भूतपूर्व सैनिकों को हमने 25419 हैक्टयेर भूमि का आबंटन करके लाभान्वित किया। सबसे बड़ी उपलब्धि है। 84 से वे लोग कतार के अंदर खड़े थे, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ हमने अभियान के दौरान इस बात की भी सुध ली कि जितने भी वाद आज न्यायालयों के अंदर पैंडिंग हैं उनमें से कई वाद तो केवल रास्तों को लेकर हैं। मैंने जब यह महसूस किया, मैं इस मामले से जुडा हुआ हूं और मैंने इस बात की परेशानी काश्तकारों को होते देखी है, तो हमने एक परिपत्र के जरिए कहा कि जब भी काश्तकार अपना बंटवारा करावें उस वक्त बंटवारे के अंदर ही रास्ते का प्रावधान कर दिया जाए, खाता खोल दिया जाए और उनका बंटवारा कर दिया जाए। इस परिपत्र से, केवल

(श्री रामनारायण डूडी)

एक परिपत्र से जब राजस्व अभियान अपने द्वार चला था उस वक्त हजारों लोगों के बंटवारे हुए और हजारों लोगों को बंटवारे के साथ ही साथ उन्हें एक खेत से दूसरे खेत जाने का रास्ते का भी खुलासा हो गया। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वह तो कराओ आप, कराते ही हो जाएगा। उसी के साथ छोटी-मोटी बातों को न लेते हुए...

श्री अध्यक्ष: बंटवारे के साथ की साथ ही रास्ते का भी हो गया।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह पहले नहीं था।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बंटवारा करने वाले, एक प्रतिशत, पांच प्रतिशत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वो ही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हेमारामजी बीस साल पहले आपने सुध ले ली होती तो यह नौबत नहीं आती, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): 20 साल पहले तो आप और हम एक साथ ही थे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हां, एक ही थे, इसलिए भी बात करना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 20 साल पहले हेमारामजी से ज्यादा आपकी चलती थी कांग्रेस पार्टी में।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कह रहे हैं बहुत पाप कर लिया, तो उन पापों में आप भी साझेदार हो। अब तो कुछ पुण्य कमा लो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप 77 में बन गये थे एमएलए, मैं तो 80 में बना, आप तो मुझसे सीनियर थे, आप तो कुछ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व रिकार्ड के आवास और अन्य का अंकन करने का हमने प्रावधान किया। काश्तकार के जो आवास हैं उसके अंदर, खाते का अंकन किया जाए। और उसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: पहले का ही है, नया क्या किया ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): काश्तकारों द्वारा अपनी कुल भूमि का 1/50वें भाग का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का प्रावधान किया । इससे यदि वह काश्तकार...

श्री अध्यक्ष: यह तो पहले से ही है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं है हुकम। था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: कैसे नहीं था?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप किसको कह रहे हो ? (व्यवधान) आप बीच में मत बोलिए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 46 जो सिंचाई से संबंधित थी, हमारा कोलोनाइजेशन का मामला, जो उपनिवेशन का है वो तो उनके साथ, डिमांड तो पास हो गई मगर उनके साथ ही हमारे माननीय सदस्यों ने...

श्री अध्यक्ष: कौनसी डिमांड पास हो गई ?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कोलोनाइजेशन वाली, यह सिंचाई के साथ संबंध रखती है फिर भी इन्होंने जो रखा है मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने तीन साल के अंदर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ब्याज दरों में कमी कर काश्तकारों को राहत दी गई। उपनिवेशन क्षेत्र में लागू विभिन्न नियमों जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम, 1975, गंग परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन नियम, 1956, भाखड़ा परियोजना क्षेत्र के भूमि आबंटन नियम, 1955 के संबंधित नियमों में संशोधन। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं मेरे सभी माननीय सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान नहर के अंदर जो पूर्व में जमीन अलाट की जाती थी उस पर 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था और 18 प्रतिशत ब्याज लेने के बाद में 6 प्रतिशत पैनल्टी भी, यदि उनकी किश्त ड्यू रह जाती थी तो इतना बड़ा, 24 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, राजस्थान कैनाल के अंदर पूरी अव्यवस्था हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने राजस्थान नहर की मरम्मत करवाई, मोगे छोटे किये और काश्तकार के लास्ट मुरब्बे तक

(श्री रामनारायण डूडी)

पानी पहुंचाया। उस वक्त अव्यवस्था के चलते हुए बड़े-बडे मोगे थे, कुछ लोगों का पानी पर एकाधिकार था। उस वक्त के अंदर जो गरीब काश्तकार थे, जिनकी किश्तें ड्यू रह जाती थीं उन पर 24 प्रतिशत ब्याज, जो कि हिन्दुस्तान की कोई भी बैंक नहीं ले रही थी, राजस्थान के काश्तकारों से इन्होंने कई सालों तक वसूल किया। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मुझे यह पोर्टफोलियो मिला और मैंने जब सारी बातों को देखा तो मैंने कहा कि यह जजिया कर भी उस वक्त नहीं लगता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हो, यह तो खुद ही भागीदार थे उस समय।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 6 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज था उसको उसी वक्त हमने विथड्रा कर लिया। 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 12 प्रतिशत ब्याज पर रखा। 18 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत शास्ति, 24 प्रतिशत से घटाकर हमारी सरकार ने 12 प्रतिशत ब्याज का किया है। उसी के अनुसार किश्तों का निर्धारण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमने समस्त उपनिवेशन क्षेत्र में आदेश दिनांक 6.8.2004 के अन्तर्गत ब्याज में छूट दिये जाने की अवधि 31.12.2004 तक की और फिर बढ़ाकर 31.3.2005 तक की। हमने 30.6.2005 तक बढ़ाई और उसके बाद में भी हमने उस अवधि को 30.6.2006 तक बढ़ाया ब्याज माफी के मामले के अन्दर। आप सुनकर...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, आप प्रतिवेदन मत पढ़ो। हमारी जो मांग है उसके बारे में बताओ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं प्रतिवेदन नहीं, आंकड़े बता रहा हूं आपको, थोड़ा-सा विश्वास करो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आंकड़े मत बताओ, सब जानते हैं आंकड़े।

श्री अध्यक्ष: सुनने पड़ेंगे आंकडे। सारी उपलब्धियां सुननी पड़ेंगी आपको।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ब्याज माफी में, अध्यक्ष महोदय, 30 जून तक जो सुविधा मिली, बीकानेर के अन्दर 51.26 करोड़ रुपये की वसूली की गयी उसके अन्दर 22.25 करोड़ रुपये ब्याज की माफी मिली काश्तकारों को। वे कितने काश्तकार थे? अध्यक्ष महोदय, वे 43354 काश्तकार उनसे लाभान्वित हुए। मलव...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह मलव कोई मारवाड़ी शब्द है क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका तो बता दो कुछ। आपकी हर लाइन में यह मलव, मलव, यह है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने उर्दू भी पढ़ी है, हिन्दी भी पढ़ी है, अंग्रेजी भी पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है, यह कोई फारसी का शब्द है कि..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह गांव की भाषा है। गांव में जो रहते हैं, वह जानते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रोसीडिंग में देखो, कम से कम सौ बार आ गया, यह मलव, मलव, मलव।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माहिर आजादजी, इसका मतलब है मतलब।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं डालें। बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीगण, आप बीच में व्यवधान न डालें। माननीय मंत्रीगण, आप तो व्यवधान न डालें बीच में। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): समझते हैं, गांव में रहने वाले समझते हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे कोलोनाइजेशन के अन्दर, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी गम्भीरता से सुनो। कभी माफ किया नहीं। केवल ब्याज और पैनल्टी ब्याज लिया। इसकी चिन्ता थी हमारी मुख्य मंत्रीजी को काश्तकारों की जिन्होंने इतना... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 49701 काश्तकार, मैं इसलिये निवेदन करना चाह रहा हूं कि.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांतिपूर्वक सुनें, शांतिपूर्वक सुनें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मेरी यह जो आदत है थोड़ी-बहुत, ऐसे हंसने से तो कुछ होगा नहीं। यह तकिया कलाम है तो आपको क्या तकलीफ है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो गम्भीरता से इसका अर्थ समझना चाह रहा था, अध्यक्षजी। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश का नहीं हूं, मुझे तो इसका अर्थ बता दो, क्या है? मुझे समझ में भी तो आए। आपकी सारी बातों को गम्भीरता से सुन रहा हूं, आप बता दो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, शहरों में निवास करने वाले लोग गांव के लोगों की इस प्रकार मजाक उड़ाते रहेंगे तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कोई बात नहीं। काश्तकार न मजाक बनाने वाले, न बनते आये हैं। काश्तकार ने कभी मजाक बनाई नहीं, काश्तकार तो धरती-पुत्र हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। मैं तो कतई इसका मतलब जानना चाह रहा हूं। कई बार हमसे पूछते हो उर्दू में कि इसका क्या है। अब आपने कह दिया, तकिया कलाम है, बोली की भाषा है तो इसका मतलब बता दो, बस।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मलव का मतलब वह है जो आप बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप बोल रहे हैं, वही मतलब है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलो, बोलो। आप तो बोलिये। आप बीच में क्यों व्यवधान डालते हैं, बोलिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आईजीएनपी फर्स्ट स्टेज और सैकिण्ड स्टेज के अन्दर 49701 काश्तकारों को यह लाभ मिला और 28.15 करोड़ रुपये ब्याज में छूट दी गयी। लगभग 22 करोड़ जैसलमेर का और कुछ गंगानगर साइड का, यह पूरा मिलाकर 28.15 करोड़ की छूट दी गयी और 49701 काश्तकारों को इससे लाभ मिला। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने-आप में। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि नियम 12(1) के अन्तर्गत समय-समय पर भूतपूर्व सैनिकों को जमीन को आबंटित करने का जो मामला है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो 4236 हमारे प्रकरण थे उनको हमने निपटा दिया। करीब 1951 बीघा जमीन दी गयी। पिछड़े वर्ग के लिये हमने 20 प्रतिशत भूमि का आरक्षण किया। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों में दिसम्बर, 2006 तक 53515 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया। इसके अन्दर 7366 कृषक लाभान्वित हुए और 52.17 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई।

अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की किश्तों का सरलीकरण किया गया। पहले 8 थीं, 8 से 12 हुईं। समय-समय पर नियमों में

(श्री रामनारायण डूडी)

संशोधन किया गया और उसके बाद सामान्य किश्तें 15 थीं, उनको हमने 25 किया। विशेष आबंटियों को जो थीं, वह 15 किस्तें की गयीं। अभी 15 किस्तों पर हमने उसकी गणना की है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 15 किश्तें कौन सी डेट से करेंगे, यह बता दें?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह कर देंगे। वह डेट आपको भेज देंगे। आप इसकी चिन्ता मत करो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, इसकी चिन्ता तो करनी पड़ेगी न, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंत्री महोदय, किस्म परिवर्तन में तो कुछ बयान दो आप, हां या ना, करना कि नहीं करना। (व्यवधान) किस्म परिवर्तन के जो प्रपोजल आपके पास भेजे गये हैं, उसमें भी आप हां या ना तो बोलें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, हमने पी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर किस्म परिवर्तन करके ही तो उनको अलाटमेंट किया था। पूरे राजस्थान के अन्दर जितने भी इस प्रकार के मामले खरड़ा-बरड़ा, मगरा, बंजर जिनके अन्दर हाई कोर्ट से या अदालतों से प्रतिबंधित भूमि नहीं है, उन सारी भूमियों का जो काबिल काश्तकार हैं, लम्बे समय से काश्त कर रहे हैं, 40-40, 50-50 साल से, उनकी किस्म परिवर्तन नहीं होने की वजह से जो आज हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई, रामगंज से आने वाले माननीय सदस्य प्रहलाद गुंजल ने भी यह बात की, और दूसरे जो हमारे पास कटौती प्रस्ताव आये हैं उनमें भी करीबन काफी जिक्र है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक समयबद्ध समय में ही राजस्व अभियान चलाकर, जिस प्रकार से हमने कोलोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर ब्याज माफी के साथ-साथ जिन लोगों ने पैसे जमा कराये उनको खातेदारी हक देने का, करने का, साथ ही साथ अलाटमेंट का मामला किया, उसी की भांति पूरे राजस्थान के अन्दर मैं पूरे इन प्रकरणों को देखकर, यह अन्तिम चरण पर आया हुआ है, हम चाहते हैं कि कई वर्षों से जिनको जमीन नहीं मिली और जिन पर पैनल्टियां लग रही हैं, और जैसा कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उनकी 91 की कार्यवाही,

(श्री रामनारायण डूडी)

फसल की नीलामी, सजा का भी मामला, मगर यह चिन्ता यदि कुछ पहले कर ली जाती तो मैं समझता हूं, आज यह स्थिति इन काश्तकारों की नहीं होती।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हुकुम, मैं तो 3 साल से कर रहा हूं, आपके सामने चिन्ता, 3 साल हो गये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप किस्म परिवर्तन का कर रहे हैं क्या? माननीय मंत्रीजी, आपने भाषण तो दिया, किस्म परिवर्तन का कर रहे हैं क्या आप?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सारा ही हम करेंगे तो आपके लिये क्या रह जाता?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हजारों तरह के इतने प्रकरण, उनको इकजाई करके और एक ही कलम से यदि सबका भला होता हो तो इससे उनको क्या एतराज है।

एक माननीय सदस्य: आप कर रहे हैं क्या?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मंत्री महोदय, जो किस्म सेवज है और बारानी लिखी हुई है, उसको भी परिवर्तन करेंगे ना?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप एक महीने में तो कर देंगे ना?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप विश्वास रखो, हम कहीं नहीं जाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समयबद्ध बात करो आप। समय बहुत कम है, डेढ़ साल रह गया आपका। एक महीने में तो कर देंगे ना आप?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं एक थोड़ा-सा और आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मंत्री महोदय, एक बात थी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमने 21 जनवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2006 तक एक विशेष अभियान चलाया और उस अभियान के दौरान 5509 गैर खातेदारों को खातेदारी दी गई, 29570 नामान्तरण तस्दीक किये गये, 7724 लोगों को पास बुकों का वितरण किया गया और 380 व्यक्तियों को आबंटित भूमि का कब्जा देकर उनका रिकार्ड में इन्द्राज किया गया, 67

(श्री रामनारायण डूडी)

अस्थाई काश्तकारों को पुख्ता अलाट किया गया, 60 प्रकरणों में खारिज मुरब्बों की भी बहाली की गयी। केवल एक किश्त बाकी रह गयी और जिस काश्तकार का मुरब्बा कैंसिल हो गया था, उसको हमने नियम में छूट देकर, बाद के अन्दर उस किश्त को भरा कर ब्याज में भी छूट दी और किश्त को भरा कर ऐसे व्यक्तियों को, हमने पुन: उनके मुरब्बों को बहाल किया गया।

इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल के अन्दर बहुत काम शेष हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि यह काम भी हम समय पर करें। हमारा प्रयास बहुत ही तेज है और तेज गति के साथ यह कह रहे हैं। समय बहुत कम रहा है मगर हमने तीन साल के अन्दर, और न कहीं जाने हैं, काश्तकारों के हित का काम करके मुख्य मंत्रीजी ने जहां-जहां आज करोड़ों रुपयों की सहायता, करोड़ों रुपये की ब्याज माफी और बहुत ही सरलीकरण किश्तों का भी करके, जो हजारों लोग अभी कह रहे थे, कोलोनाइजेशन क्षेत्र के दर्द को, पीर को जो लोग जानते हैं वे ही बखान कर सकते हैं, उस दर्द को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने समझा और करोड़ों रुपये का फायदा एक-एक जेब के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, गया। गया, उसी के आधार पर जो बात हो रही है, मैं कहता हूं कि ऐसे छोटे-मोटे कारणों से जिनको जमीन वगैरह अलॉट नहीं हो रही है, हम इन बातों को सारी को देखकर, एग्जामिन करके उनके आदेश एक ही साथ निकाल दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात राजस्थान कैनाल की आयी। कई मुरब्बे डबल अलॉट हो गये। कई ऐसी भूमि हैं जो फोरेस्ट की थीं, वहां पर काश्तकार चला गया और काश्तकार की जमीन जो थी उसमें फोरेस्ट वाले, वन विभाग वाले हो गये। कुछ इस प्रकार की जो दुरुस्तियां वगैरह हैं, उनका भी हम एग्जामिन करके, इन सारी बातों को एक कमेटी के जरिए, बीकानेर कलक्टरशिप के अन्दर वह करवा रहे हैं और उसका निस्तारण भी बहुत जल्दी सारा करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने कई माननीय सदस्यों ने रखी है जिला बनाने की बात, कई सदस्यों ने एस.डी.एम. कोर्ट खोलने की बात, कई सदस्यों ने तहसील और उप तहसील खोलने की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री रामनारायण डूडी)

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिए हमारी कमेटियां बनायी हुई हैं उस कमेटी के आधार पर, गुणावगुण के आधार पर और राज्य सरकार जो भी नीतिगत निर्णय जिस वक्त भी उचित समझेगी उस वक्त के अन्दर जो जिले वगैरह हमें डिक्लेयर करने हैं वह भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बहुत अच्छा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एस.डी.एम. कोर्ट भी करेंगे, तहसीलों का गठन भी होगा।

इसी के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी परिसीमन में एक जनवरी 2006 के बाद के अन्दर 573 नये गांवों का गठन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर सुओमोटो सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिये हैं कि जो भी ढाणियां, मजरे 250 की आबादी से ज्यादा के हैं और यदि उनका प्रस्ताव पंचायतें भेजती हैं, या नहीं भेजती हैं, उसके बावजूद भी लिस्ट मंगाकर उन सभी को गांव घोषित करें। यह जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काफी लाभ होगा इससे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ये सारी बातें हो गयीं तो जितनी भी सुविधाएं आज गांव को मिलती हैं, पैरीफेरी के अन्दर चाहे वे लोग, आबादी गांव की गिनी जाती तो बिजली, पानी, सड़क वगैरह सारी की सारी सुविधाएं गांव की, हमारे चाहे हजार की आबादी का मजरा हो वहां सड़क इसलिए नहीं पहुंच सकती कि वह गांव नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): स्कूल तो मर्सी के आधार पर बना दी गयी होगी। मगर मेडिकल वगैरह इस प्रकार की सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए मैं समझता हूं कि राजस्व गांव बनेंगे तो चारों तरफ हमारे विकास की जो गंगा बहेगी और लोगों को जो सुविधा मिलेगी, यह हमने किया। चाहे किसी तरह से भेजें, इसी के आधार पर पूरे के पूरे राजस्थान से हमने प्रस्ताव मंगा लिये हैं। (व्यवधान) इसी के आधार पर पूरे के पूरे राजस्थान के प्रस्ताव मंगा लिये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जमीन की आवश्यकता है क्या? सब जगह कह रहे हैं कि जमीन लाओ, अब कहीं जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में बोलकर ...(व्यवधान) वे और बोलते हैं फिर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): देखिये, यह व्यवस्था तो जब सारा मामला गांव बनेगा तो जमीन भी आएगी। गांव आज तक, जो बैठते हैं वह जमीन पर बैठते हैं आप भी, जमीन पर बैठे हो कोई आसमान में नहीं बैठे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कौन से ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप चाहे आसमान की बात करते हो तो आपकी मर्जी है पर ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय मंत्रीजी, पैराफेरी के गांवों में जो पंचायतें हैं उनकी आबादी भूमि के लिए कुछ व्यवस्था की है क्या आपने?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरीफेरी की बात मैं बाद में करना चाहूंगा। ये कई तरह के मैटर्स हैं जो पहले से काफी पैंडिंग हैं, इस पर भी हमने एक कमेटी बना रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस काश्तकार की जमीन ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय मंत्री महोदय से मैं एक बात पूछना चाहूंगा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय मंत्री महोदय, एक तो आप जिला बना रहे हैं तो बालोतरा की भी कई वर्षों से मांग है, बालोतरा जिला बनना चाहिए। 22 हजार वर्ग किलोमीटर से बड़ा है बाड़मेर, इसलिए बालोतरा की बात है। दूसरा, मौके पर अगर कोई बारानी है और वह रिकार्ड के अन्दर अगर सेवज लिखी हुई है तो वह किस्म भी परिवर्तन होगी क्या?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह नियमों में जो भी होगा उसको देख लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आपका यह कोई ...(व्यवधान) कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जवाब देने का, पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलों की बात भी काफी राजस्थान से आयी हुई है, उस पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बस ठीक है, आप तो पारित करने की बात करो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसलिए मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मांग को पारित करने के लिए कहो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): साथ ही मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो पारित करने की बात कह दो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बैठे रहने दो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): गैर-खातेदारी, गैर-खातेदारी से खातेदारी का मतलब दिया जाता है, जब अलॉट की जाती है, जमीन नियमन की जाती है तो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल होते ही यदि गैर-खातेदार जिसको गैर-खातेदारी मिली हुई है, वह एप्लाई नहीं करता है तो हमारे अधिकारी लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे और सुओमोटो उसको खातेदारी देंगे, यदि वह पात्र है। उस वक्त उसको याद करके ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय मंत्रीजी, माइंस एरिया में भी करेंगे क्या आप? माइंस एरिया में भी करेंगे क्या? जो चालीस-चालीस साल से काबिज हैं गरीब भील, उनको अलॉटमेंट देंगे क्या आप? खातेदारी देंगे जो गैर-खातेदार है? माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सबकी बात तो जो नियमों में है और नियमों के अन्तर्गत जितने भी काबिज ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): राजनीतिक है वह, और क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: न फोरेस्ट की दे सकते हैं, न चरागाह की दे सकते हैं, यह तो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसी के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका तात्पर्य यह है कि ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, पिचोदा में पटवारी ने फसल दर्ज नहीं की तो भी क्या तीन साल में खातेदारी कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और नियमों में ही यह आएंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): पटवारी जानबूझकर बिना पैसे लिये नहीं करता, उस स्थिति का क्या करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल यह है। तीन साल वह तो अपने आप होती है पिचोदा में दर्ज होने के बाद, यह गम्भीर बात है कि पटवारी पिचोदा में दर्ज नहीं करता, उसका क्या करेंगे?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर जो शिकायतें वगैरह मिलती हैं तो उनके आधार पर भी, जैसा सारा सदन जानता है ...(व्यवधान) यहां तक कि कई व्यक्तियों को सस्पैंड भी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: ऐसे तो सारी भूमि पर अतिक्रमण करवा दोगे यहां पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और उन्हीं के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कहकर तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवा दोगे आप सब पर, इसलिए यह मत कहो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मांग संख्या-8 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बढ़िया। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

एक माननीय सदस्य: मांग तो पारित करवाओ।

श्री अध्यक्ष: मांग एक साथ। एक साथ पारित करवाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे आकर्षण का केन्द्र बनाये रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या ...(व्यवधान) ग़लतफ़हमी तो आपको है जो अभी दूर करूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आकर्षण का केन्द्र बनाये रखा या आपको निशाना बनाये रखा? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मांग संख्या 20-आवास और मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास में 66 माननीय सदस्यों ने 184 कटमोशंस के माध्यम से नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की मांगों पर चर्चा में भाग लिया।

श्री अध्यक्ष: मुझे आकर्षण का केन्द्र बनाया रखा, यह कहो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका जवाब मैं 48 घंटे के अन्दर-अन्दर भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया-बहुत बढ़िया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने कटमोशंस और जो बात उठायी है उनका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। बात सुनें आप। भाषण सुनें उनका।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में जो विचार उन्होंने यहां पर रखे, हमारे विभाग की आगामी कार्य योजना बनेगी उसमें उन विचारों को सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): और जो उनके कंक्रीट सुझाव हैं उन पर अमल करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से राजस्थान की अपनी एक अलग से पहचान है। अलग स्थान रखता है। नगरीय विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। नगरीय क्षेत्रों का विकास निरन्तर जारी रहता है। पर हमको नगरीय विकास से पहले यह सोचना पड़ेगा कि हम विकास किस ओर कर रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार का हम विकास चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको दूरगामी सोच रखकर, दूरगामी विचार रखकर ही नगरीय क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। वर्ना नगरीय क्षेत्रों की जिस

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)
प्रकार से स्थिति बनी है, वह आप सब लोगों से छिपी नहीं है। इसलिए इसकी कार्य योजना बनाकर ही हमको कार्य करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे महामहिम राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब ने बड़े सपने देखने की बात कही है और मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मात्र बड़े सपने देखे ही नहीं, उनको कार्यरूप में परिणत भी किया है। यह बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा, हमारे सत्ता पक्ष के लोग नहीं कह रहे, बल्कि राजस्थान प्रदेश में जो पर्यटक दो या तीन वर्षों में आ रहे हैं, वे खुद इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान का नक्शा पलट गया है। राजस्थान के शहरों में विकास नया आयाम छूता जा रहा है। यहां तक कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विश्वविख्यात पर्यटन पत्रिका है 'कोण्डेनास ट्रेवलर' उसमें जयपुर को एशिया के सबसे सुन्दर शहरों में दसवां स्थान दिया है और हाल ही में तीन-चार वर्षों बाद आये हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): श्री रविशंकरजी जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि जयपुर काफी बदल गया है। जयपुर का स्वरूप माडर्न लगने लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रयास रहा है कि मात्र बड़े शहरों पर ही ध्यान नहीं रहे, छोटे-छोटे कस्बों में भी उसी प्रकार से विकास करवाया जाए। हमने बड़े शहरों में प्रबन्धन की व्यवस्था की। अच्छी सड़कें की लाइटिंग दीं, व्यवस्था की। मात्र इनसे ही काम नहीं चल जाता, हमने पर्यावरण की व्यवस्था की और दूसरे ट्रैफिक की व्यवस्था की। इन सब बातों को लेकर हमने आवासीय और व्यावसायिक कैम्पस बनाये। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा देने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि प्रदेशवासियों का जीवन स्तर अच्छा हो और उन्हें बेहतर सुख-सुविधा मिले। नगरीय विकास ने न केवल आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया है बल्कि आगामी दो-तीन दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विजन के साथ कार्य योजना बनाकर ठोस कार्यवाही करने का प्रयास भी किया है। नगरीय विकास की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास गौरवमयी रहा है। सवाई जयसिंहजी जो जयपुर के राजा थे, दुनिया भर के नगरों का अध्ययन कराने के बाद 1727 में उन्होंने जयपुर

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

को बसाया। जयपुर को जब बसाया, उस समय में उन्होंने कल्पना की थी 2 लाख की आबादी के शहर की। आज यही शहर 40 लाख की आबादी को भी अपने में समेटे हुए है और सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

यद्यपि राजस्थान आज भी गांवों का प्रदेश है, हमारी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है पर नगरीय आबादी की दृष्टि से हमारा राष्ट्रीय औसत कम है। प्रदेश की 23.28 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जब कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय औसत 27.81 है। वर्ष 1951 में तो राजस्थान की मात्र 18 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती थी, पर धीरे-धीरे शहरों की तरफ लोगों का रूख बढ़ने लगा और गत दशक में शहरीकरण की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण बढ़ा है, उसके परिणामस्वरूप गांवों में अपेक्षाकृत कम लोगों की जरूरत रह गयी है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नये एम्प्लायमेंट की, अतिरिक्त रोजगार की मांग बढ़ी है। रोजगार की मांग बढ़ी है तो लोगों का पलायन शहरों की तरफ शुरू हुआ है। किसान भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये, अच्छा वातावरण और मनोरंजन के साधन, बेहतर सुविधाएं होने की वजह से शहरों की तरफ आकर्षित होने लगा है और शहरों में निवास करने लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उदारीकरण का दौर है और हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नगरीय क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से मुख्य केन्द्र बनते जा रहे हैं। हमारे देश में सन् 1951 में घरेलू उत्पाद में नगरीय क्षेत्रों का योगदान मात्र 29 प्रतिशत था, जो 2000 में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सत्ता में आने के तत्काल बाद नगरीय विकास की दृष्टि से संबंधित एक्सपर्ट थे, हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध लोगों की कमेटी गठित की, उनको जयपुर में बिठाकर उनसे चर्चा की। राजस्थान के शहरों में निवास करने वाले लोगों को किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं मिल सकें, किस तरह से लोग अच्छा जीवन जी सकें, इस प्रकार की हमने आने वाले दो-तीन दशक की योजनाएं बनाकर उन पर ठोस कार्यवाही शुरू कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, जो लोगों ने मांगें की हैं, आरोप लगाये हैं, घोटाले हुए हैं, उन पर जवाब दें। आप इसको क्यों पढ़

(श्री जुबेर खान)

रहे हो ? आपने दे रखा है, यह तो हमारे पास भी है। आप तो उन बातों का जवाब दो जिनको चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखा है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अभी बताऊंगा। आप बैठो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा जवाब दे रहे हैं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जवाब पूरा तो सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनो। गलत बात, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र में मात्र सड़क, बिजली और पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ हमको स्वच्छ पर्यावरण, यातायात के साधन, स्वास्थ्य, खेल के मैदान, इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सब सुविधाएं हमारे राजस्थान के सब शहरों तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के लिये आवश्यक है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। प्रदेश में चुंगी समाप्ति के बाद कांग्रेस के पिछले शासनकाल में चुंगी के पेटे नगरपालिकाओं को जो राशि दी जाती थी, वह 10 प्रतिशत से काटकर 5 प्रतिशत कर दी गयी। उसी का नतीजा रहा कि जो शहरों का विकास हो रहा था, उसमें एकदम ब्रेक लगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फिर जब राजस्थान का राज सम्भाला, जब उन्होंने इस प्रकार की स्थिति देखी तो उन्होंने बढ़ाकर वापस इसको 10 प्रतिशत कर दिया और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 2006-07 में 544 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। हमारी सरकार ने सभी नगर मण्डलों में आधारभूत सुविधाएं देने की योजना प्रारम्भ की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां उन्होंने पांच वर्ष में 2073 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये, वहीं हमने तीन साल के कार्यकाल में 2448 करोड़ 27 लाख रुपये उपलब्ध करवाकर यह बता दिया कि हमारी सरकार शहरों के बारे में किस प्रकार का विचार रखती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी राज्य में जब चुनावों में गयी

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

तो हमने वादा किया था कि हमारी पार्टी यदि सरकार में आती है तो हम गृह कर समाप्त कर देंगे। निश्चित रूप से हमने उस वादे को निभाते हुए गृह कर समाप्त किया है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना चलाई है जन सहभागिता योजना, जिसमें हम नगरीय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग हैं, उनसे हम जन सहयोग लेकर भी शहरों का विकास करवाते हैं। इस योजना को जब हमने चालू किया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 करोड़ 30 लाख रुपये जन सहयोग से और 44 करोड़ 35 लाख हमने लगाकर 483 कार्य पूर्ण करवाये हैं। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005-2010 में यह ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन से जो पैसा हमें मिलना था 220 करोड़ रुपया, उसके भी 88 करोड़ रुपये हमने 2005-06 में सभी नगरपालिकाओं को आबंटित कर दिये हैं।

(समय : 21.00 बजे)

इसी के तहत हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, मिशन अनुपम योजना चलाई। उसमें सब का सहयोग लेकर चाहे कोई किसी सड़क को लेना चाहे, किसी चौराहे को लेना चाहे, अगर शहरों का सौन्दर्यीकरण करना चाहे तो हम उसको स्पेसिफिक साइज का उसका कम्पनी का एड लगा कर या अपनी फर्म का नाम लिख कर देते हैं। मुझे खुशी है कि इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि हमने इस योजना की सफलता को देखते हुए पूरे राज्य में इस योजना को लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सपना है कि राजस्थान में कोई आदमी भूखा नहीं रहे, कोई आदमी भूखा नहीं सोए, उसी को लक्ष्य बना कर उनके निर्देशन में हमने 'अक्षय कलेवा' योजना चालू की। शुरू में हमारा प्रयास था कि राजस्थान के 32 जिलों में इस चीज को लागू करें, पर हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बार-बार हम पर दबाव था और उनके ये निर्देश थे कि इसको जितने नगरीय टाउन में फैला सको, आप फैलाओ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका विस्तार हमने राजस्थान के 58 शहरों में कर दिया है और प्रति दिन दस हजार लोग खाना खा रहे हैं। दस हजार लोग खाना खा रहे हैं।

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने सिटिजन हैल्प लाइन चालू की। जयपुर नगर में तो हमने सिटिजन हैल्प लाइन चालू कर दी है, कोई भी आदमी उसमें सूचना देता है उसका तुरन्त निराकरण करने की कोशिश करते हैं। यह योजना हमने बढ़ा कर अब कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर में भी इसका कार्य प्रारम्भ करवा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्थान आवासन मण्डल, आर.यू.आई.डी.पी. ने नगरीय क्षेत्रों में काफी काम किया है, उनका भी मैं आपको निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण की काफी चर्चा हुई। मैं आपको जे.डी.ए. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से विभाग ने कई विकास के कार्य हाथ में लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 2006-07 में विकास कार्यों पर 300 करोड़ रुपये से भी अधिक धन खर्च होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, भूतो न भविष्यति।

आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ हमने कई काम हाथ में लिये हैं जिसमें ब्यूटिफिकेशन का काम है, जगतपुरा आर.ओ.बी. का काम है, खासा कोठी फ्लाई ओवर का काम है, टौंक रोड का काम है, विभिन्न कालोनियों में सीवरेज का काम है, मालवीय नगर में रेलवे अण्डर पास का कार्य है, इत्यादि। पूरे शहर के सौन्दर्यीकरण का काम भी हमने हाथ में लिया है साइनेजेज लगाना, फुटपाथ बनवाना, स्ट्रीट लाइट, बैक लाइट टावर लगाना क्योंकि यहां ट्यूरिस्ट बहुत आता है, फोरेन ट्यूरिस्ट भी आता है, उसको यह शहर साफ-सुथरा और अच्छा लगे इसलिए यह भी सब हम कार्यवाही कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को जयपुर शहर अपने आप में आकर्षित कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने जयपुर को हराभरा बनाने के लिए, ईको ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्मृति वन का निर्माण कार्य करवाया है जिसका काम तीव्र गति से चल रहा है। साथ ही हमने प्रमुख यहां के पार्कों जैसे सेण्ट्रल पार्क, जवाहर सर्कल, नेहरू बालोद्यान, मिलेनियम पार्क में कई गतिविधियों जैसे स्नो पार्क, लेजर शो, फैमिली ट्रेन इत्यादि का समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है और निकट भविष्य में आपको इसके परिणाम सामने नजर आने लगेंगे।

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जगतपुरा शूटिंग रेंज बनायी, जगतपुरा तीरंदाजी बनायी, घुड़सवारी के खेल के लिए सुविधा विकसित की। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निशानेबाजी में ट्रैप एण्ड स्कीइंग रेंज तैयार की जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित हो चुकी है। इस प्रकार की शूटिंग रेंज मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान में कहीं और देखने को नहीं मिली है, जिस प्रकार से जो टूर्नामेण्ट में लोग आये थे, विदेशी लोग भी आये थे, उन्होंने बताया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इसमें आगे भी अभी टूर्नामेण्ट होने जा रहे हैं और हम इसको विश्वस्तरीय बनाने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया है। हमने मेडिकल पॉलिसी 2000 के तहत रिलाइंस मेडिसिटी, बाम्बे हास्पिटल, ट्रिनिटी मेडिकल कॉलेज, कैंसर हास्पिटल आदि को यहां पर जगह उपलब्ध करायी है। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जयपुर मेडिकल हब के नाम से पहचाना जाएगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जयपुर के विकास के लिए अब आपने काफी कुछ कह दिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): दो मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात सुन लो, इतना इनको सुना था, मुझे भी सुन लो, साहब।

श्री अध्यक्ष: आज आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में हमने 32 सड़कों के जवाहर लाल नेहरू सड़क और टौंक रोड की तरह ब्यूटिफिकेशन का काम हाथ में लिया है। इसमें प्रमुख सड़कें हैं- गांधी पथ प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, मोती डूंगरी रोड, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, एम.आई. रोड, परिवहन मार्ग, निर्माण मार्ग, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़ से दिल्ली बाइपास, जयसिंह हाई-वे, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन से चौमूं पुलिया, सहकार मार्ग, टौंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग में इनकम टैक्स कॉलोनी। अब काफी हमने ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, नौ बज कर पांच मिनट हो गये, आज बहुत अच्छा आपने जवाब दे दिया अब मैं चाहूंगी कि मांग पारित करने के लिए कहो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोलने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बहुत अच्छा दे दिया जवाब। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इसमें न्यू सांगानेर रोड, गोपालपुरा बाइपास, सीकर रोड, मतलब ऐसी कोई जयपुर की रोड नहीं है जो हमने छोड़ी है।

श्री अध्यक्ष: जयपुर के विकास में कोई कोर-कसर नहीं रखी है आपने। बोले भी अच्छे हैं आज। मेरी समझ में अब ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आम्रपाली ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निरुत्तर हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखो इनके चेहरे। इनके चेहरे देखो, सांप सूंघ गया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको क्या दिक्कत आ रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, सुनिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमने जे.डी.ए. के मार्फत दिसम्बर में यहां मालवीय नगर में पीकाक गार्डन बनाया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सांप नहीं सूंघा है, इन्होंने जो कहा है न मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि कोई भूखा नहीं रहे और भूखा नहीं सोए, साथ में एक और जोड़ दो, पी के सोए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): चलो, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: क्या जोड़ दो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, वो इनका टाइम हो गया तो इनको याद आने लग गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं बिलकुल नहीं बोल रहा हूं। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सुन लो, आप, मेरे को कहने दो। आपके क्या स्प्रिंग लगी हुई है क्या?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कह रहा हूं आप अच्छे बोल रहे हो, मैं धन्यवाद दे रहा हूं पर हमारे 1993 से ...

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाओ न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात पूछ रहा हूं। मैं मेरे हित की बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बोल दूंगा, बैठो तो सही। बैठ जाओ।

2006 में मालवीय नगर ब्रिज के नीचे हमने पीकाक गार्डन की स्थापना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुरवासियों ने ही नहीं, यहां आने वाले पर्यटकों ने भी इसकी काफी प्रशंसा की है। लोगों ने जिस प्रकार इस गार्डन की वाहवाही की है उसको देखते हुए मैं यह आज घोषणा करता हूं कि जयपुर में जे.डी.ए. द्वारा दो और अन्य थीम, जैसे यह पीकाक की थीम पर था, दो अन्य थीमों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गार्डन बनाये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अब सब ही आपकी वाहवाही कर रहे हैं, अब मांग पारित कराएं। (व्यवधान) अच्छा बोल रहे हैं, इसमें क्या बात है। (व्यवधान) अच्छा बोले हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2006-07 में (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर नियमन का भी मामला आया, कृषि भूमि के नियमन का मामला भी आया, सहकारी समितियों का भी मामला आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नौ बज रहे हैं। (व्यवधान) मुख बंद है अभी तो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी अच्छे बोल रहे हैं लेकिन हमारे एक बात तो सुनो। 1993 से हम एम.एल.ए. हैं, हमें आज तक वो मकान अलाट नहीं किये, क्या कारण है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अभी ठहरो, ठहरो, आप सुन कर जाना। सुन कर जाना ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या हुआ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): विराजें। सुन कर जाओ, अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एक-एक लाख रुपये जमा करा दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सदन किसी की व्यक्तिगत पैरवी के लिए नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारे लिए नहीं, पूरे एम.एल.ए. के लिए कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तो बोलती बंद हो गयी। हमारी बोलती बंद हो गयी, आप पारित कराओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पैरवी कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं, पैरवी कौन कर रहा था, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। पैरवी किस बात की करा रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बहुत हो गया। क्या बात है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006-07 में ...(व्यवधान) कालोनियों में 2400 पट्टे जारी किये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई मकान नहीं ले रहा हूं, मेरा जो राइट है यह राइट मांग रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया जा रहा था कि गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने 2400 पट्टे जारी किये, वहीं हमने जे.डी.ए. द्वारा 11 योजनाओं में 11,000 भू-खण्ड उपलब्ध कराये हैं। मई, 2007 में, मैं फिर आ रहा हूं कि मई, 2007 से रैगुलर कैम्प चालू किये जाएंगे, जितने चाहिए, जिसके वाजिब हक बनता है सब को पट्टा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अब जयपुर में जिस प्रकार से ट्रैफिक कन्जेशन बढ़ रहा है, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया और इसमें हमें भारत सरकार से भी मदद मिली। कोई यह नहीं समझे कि सारा भारत सरकार ही हम पर लुटा रही है या भारत सरकार ही कुछ कर रही

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

है । इसमें हमारा भी बीस प्रतिशत का हिस्सा है, इसमें तीस प्रतिशत हिस्सा जे डी ए का है और बीस प्रतिशत हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है। इसमें 469 करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है, इसका काम भी निश्चित रूप से शीघ्र ही चालू हो जाएगा। जयपुर में जिस प्रकार का एक ट्रैफिक हेजार्ड बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसमें भी आराम मिलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष: मांग पारित करने के लिए कह दो ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बसों का सिस्टम लागू करेंगे ...(व्यवधान) 469 करोड़ रुपए की बसें चालू कर रहे हैं क्या जयपुर में ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब ज्यादा पीक पर मत आओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं एक ही निवेदन करूंगा कि 75 करोड़ रुपया लगाकर 344 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली है जिससे जयपुर शहर के छह लाख लोग लाभान्वित हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप सब बातों का जवाब दे चुके।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह प्रतिवेदन तो हमारे पास सारा पहले ही आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, सब जवाब दे चुके, अब आप मांग पारित करने के लिए कहो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी आरोप लगाया गया कि जे डी ए में जाते हैं वहां पर कार्यवाही नहीं होती, आदमी इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कुछ समय पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी से एक वहां पर नागरिक सेवा केन्द्र की शुरुआत की है जो टोटली कम्प्यूटरीकृत है, उसमें तीन-साढ़े तीन महीने में चार हजार लोगों की हमको शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने सबका ही निपटारा कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बस आप...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, अब यह सिद्ध हो गया कि आज आपने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया है और अब आगे के लिए आप तैयार हैं ...(व्यवधान) अब इसको पास कराइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सुन तो लो आप।

श्री अध्यक्ष: हां, बहुत हो गया, बहुत हो गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने खोले के हनुमानजी में बाईस करोड़ रुपये की योजना बनाई है।

श्री अध्यक्ष: टूरिज्म पर तो पहले ही कह दिया आपने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, सिंघवी साहब...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हुकुम फर्माओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जे डी ए का फुल फार्म क्या है आपको मालूम है, जबरो डाकू आयो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वह कब था यह मालूम है क्या आपको? वह जब था जब आप थे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): वह डाकू कांग्रेस का ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जबरो दोस्त आपणो यह भी है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, यू आई टी की फुल फार्म मालूम है आपको, अन इन्वाइटेड ट्रबल। अगर किसी को अन इन्वाइटेड ट्रबल लानी हो तो यू आई टी में चले जाइये, यह अन इन्वाइटेड ट्रबल है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, डी एल बी, पब्लिम में फुल फार्म है दे, ले, भागो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): क्या-क्या किया है, देखे जाओ अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल ने तीन वर्षों के हमारे कार्यकाल में हमने सत्रह हजार मकानों का निर्माण किया। वहीं पांच वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने 12,214 आवासों का निर्माण किया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमने वीकर सैक्शन का ध्यान

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

रखते हुए घरौंदा स्कीम को लांच किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम राजस्थान के जहां भी पन्द्रह हजार की आबादी के शहर हैं इसका विस्तार वहां तक करेंगे ताकि गरीब आदमी को अपना छप्पर नसीब हो सके।

श्री अध्यक्ष: बस, अब आप मांग पारित करवा दें। (व्यवधान) क्या कर रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, सारा केन्द्र स्वायत्त शासन मंत्री रहे ...(व्यवधान) यह तो यह चाहते हैं, आरोप लगाकर चले जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आधा घण्टा मुख बंद में लगेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि सभी लोगों को उत्सुकता थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या तमाशा कर रखा है आपने ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अभी घोषणाएं बाकी हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय ने हाउसिंग बोर्ड का जिक्र किया, आप कृपा करके यह तो बताओ कि 1979 के रजिस्टर्ड लोग हैं, अभी तक उनको आपने आबंटन नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपने क्या किया ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता 1979 और 1979 के बाद 1980 से 1990 इसमें यह मंत्री भी रहे हैं और फिर ..

श्री अध्यक्ष: फिर उसके बाद 1985 और उसके बाद 1996-2000...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1998 तक आप रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बावले हो गये, मैं कब मंत्री रहा?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपने क्या किया ? पांच साल आपका राज रहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और 1998 से 2003 तक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पन्द्रह साल ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और उसके बाद आप उसका जवाब ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, आपको अच्छा नहीं लगता है यह ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इक्कीस और सात अट्ठाईस साल हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या कर रहे थे आप उस समय ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 1979 के रजिस्टर्ड लोग हैं हाउसिंग बोर्ड में, उनको आपने मकान उपलब्ध नहीं कराया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप विराजो तो सही, मैं बताऊं। आप विराजो तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह मेरे पास एक एप्लीकेशन आयी है, 1979 में मध्यम वर्ग-बी के पंजीकरण के तहत मैंने आवास आबंटन के लिए आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था ...(व्यवधान) आज इतना अरसा बीत गया, 1979 से लेकर आज तक 28 साल हो गये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): 1979 के बाद 16 साल इनका राज रहा और 11 साल हमारा रहा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 28 साल हो गये, आपने उन लोगों का, ...(व्यवधान) मकानों का आबंटन नहीं किया और कह रहे हो कि हमने हजारों मकान बना दिये। कहां बना दिये और किसको दे दिये ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 28 साल में आपका राज कितना रहा ?

श्री अध्यक्ष: उसमें एक में तो आप रह रहे हो। वे जो बनाये हैं इन्होंने, उसमें एक में तो आप रह रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो मैंने ही बनाये थे, इन्होंने कुछ नहीं बनाये ।

श्री अध्यक्ष: हां, यह भी मान लो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसकी फाउण्डेशन तो मैंने ही करवाई थी और सभी एम एल एज को वहां मिले ।

श्री अध्यक्ष: तो फिर ठीक है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तो अच्छा हुआ, आपने हमारे मंत्रीजी को और ज्यादा टाइम दे दिया तैयार होने के लिए ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जमीन मैंने दी थी, आज तक नहीं मिला है। सब आपने बंटाधार कर दिया वहां ।

श्री अध्यक्ष: आपने कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने चार-चार सौ गज के प्लाट दिये थे इंडिपेन्डैंट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बंटाधार तो आपने बिजली में कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने चेंज कर दिया, मैंने दिये ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1975 में स्वायत्त शासन मंत्री थे न?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): था, उस वक्त द्वारकादासजी थे, उनके जमाने की कोई बकाया नहीं है रजिस्ट्रेशन।

श्री अध्यक्ष: यह तो अस्सी में बने हैं आवासन बोर्ड के अध्यक्ष। रामनारायण चौधरी सन् 1980 में आवासन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उससे पहले मंत्री भी थे।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री भी थे स्वायत्त शासन के।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, था तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और अब अपोजिशन के ?

श्री अध्यक्ष: यह पोजिशन है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर, लीडर आफ अपोजिशन, 1979 की यानि सारे राजस्थान में घूम घुमाकर कोई एक एप्लीकेशन इनके पास आयी...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं नीति सम्बन्धी बात जानना चाहता हूं, आप बात को हल्का कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हल्का नहीं कर रहे हैं यह आपके पद की गरिमा के खिलाफ है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 1979 के हजारों आदमियों के रजिस्ट्रेशन आपके पास में पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जवाब देने के लिए तैयार हैं महावीरजी, आप विराजो तो सही। आपकी बात का माकूल जवाब देंगे। आप विराजो तो सही।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आप भी क्या एक केस की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, कोई एक केस की बात करता है क्या।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हजारों हैं, एक थोड़े ही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): विराजो तो सही, आपसे हम क्या सीखेंगे फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कोई स्पेसिफिक केस का मामला बताया, मैं निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद आपसे मिल लूंगा और अगर उसमें कोई कमी खामी है, कोई अड़चन है ....

श्री अध्यक्ष: अब आपको राज़ी कर देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कोई बात हो सकती है तो निश्चित रूप से मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपसे मिलकर राज़ी कर देंगे आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कह दें, निश्चित रूप से 1979 के रजिस्टर्ड तमाम लोगों को आप दे देंगे और कब तक दे देंगे, यही नहीं ...(व्यवधान) यह तो मैंने आपको एक इन्स्टांस बताई है, 1979 के रजिस्टर्ड अलाटी जितने हैं उनको सब को आप कब तक दे दोगे?

श्री अध्यक्ष: यह क्वश्चन आवर थोड़े ही है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): न तो आप तैयारी से आये हो न आपके अधिकारी आये हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आज पूरी तैयारी से आये हैं । यह गलत बात है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए नहीं कह रहा था, 1993 में जो जीतकर आये थे उनको ...(व्यवधान) नहीं दिये गये, मैं यह कहना चाह रहा था ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सब बता देता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह कह दें कि श्रवण कुमार अकेला कह रहा है यह मैं पूरे लोगों के लिए मांग कर रहा हूं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने टाउनशिप पालिसी, 2007 की घोषणा कर दी है। राज्य के नगरीय विकास को सुनियोजित, योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हमने एक नई योजना टाउनशिप, 2007 को मंजूरी दे दी है। इस नीति को बनाने से पहले हमने नगरीय विकास के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया था कि इस नीति को निवेशोन्मुख एवं व्यावहारिक बनाएं। न्यूनतम क्षेत्रफल जयपुर शहर दस हैक्टेयर, सम्भागीय मुख्यालय छह हैक्टेयर, अन्य जिला मुख्यालय व नगरीय क्षेत्र चार हैक्टेअर, यह काफी लम्बा है मैं बता दूंगा आपको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, इसको अलवर जिले में जहां पर एन.सी.आर. लागू है, वहां भी लागू करेंगे कि नहीं करेंगे ? आप तो यह बताइये, अलवर जिले में जहां एन.सी.आर. लागू है, वहां इस पालिसी को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिस प्रकार से मल्टी स्टोरी का चलन बन रहा है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब काहे की मल्टी स्टोरी ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हाई राइज बिल्डिंग का चलन बन रहा है, अभी तक 1500 गज से अधिक के फ्लैट्स के पुनर्गठन पर बैन था, उसको हमने हटा दिया है। नगरीय क्षेत्र नियम, 1975 की धारा के अन्तर्गत ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इसको कहो को जवाब दे रहे हो? दे दिया जवाब देना था जो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 1500 वर्ग गज से अधिक के भूखण्डों के सृजन एवं पुनर्गठन पर रोक थी जिसे समाप्त किया जा रहा है। उससे निजी निवेशकर्ता, विकासकर्ता के योजना

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

मानचित्र के अनुमोदन एवं पुनर्गठन की समस्या समाप्त होगी और विनिवेश को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं भी कराऊंगा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घोषणा ही कर दो आप तो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जिस प्रकार अभी माननीय सदस्य जुबेर खानजी बोल रहे थे, यह एन.सी.आर. में भी लागू होगा।

मैं घोषणा करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने वैसे तो बहुत अनर्गल आरोप लगाये हैं, आप धैर्य बनाये रखें। जो भी आपने कहा, मैंने शांति से सुना। आप भी बनाये मेहरबानी शांति से मेरा जवाब सुनकर पधारें, यही मैं आपको निवेदन करूंगा। जिस प्रकार से थोथे और मिथ्या आरोप इस सदन में लगे हैं, मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। इस प्रकार से माननीय सदस्य ने लगाये हैं जो अपने आपको सीनियर कहलाते हैं। जिनकी सीनियर समझकर एक तरह से सब लोग इज्जत करते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाये। यहां तक कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और मेरे ब्रदर जो चार साल से अमेरिका में हैं, विशाल के ऊपर आरोप लगाया। आपको इस प्रकार की नादानी यहां नहीं करनी चाहिये थी। मैं समझता हूं, बच्चे, भाई आपके भी हो सकते हैं। बच्चे, भाई आपके भी धंधा कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति यहां चार साल से मौजूद नहीं है उसके बारे में इस प्रकार आपका बर्ताव मैं समझता हूं, निश्चित रूप से निंदनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह फैंसला किया है कि राज्य की समस्त स्वायत्तशासी संस्था एवं स्थानीय निकायों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, इससे नगर निगम की वित्तीय शक्तियां 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो जाएंगी। नगर परिषदों की 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ एवं जिला मुख्यालय के स्थानीय निकायों की 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तथा अन्य स्थानीय निकायों की 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएंगी। मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जुलाई, 2006 में भी इन वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर दुगना किया था। इस प्रकार एक ही वर्ष में स्थानीय निकायों की वित्तीय शक्तियां बढ़कर चार गुना हो जाएंगी। इसी तरह, नगर

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

विकास न्यासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये की जाएंगी। राज्य के सभी नगर निकायों एवं नगर विकास न्यासों की कार्य प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से सरलीकरण किया जाएगा ताकि आम नागरिक के रोजमर्रा के कार्यों का निपटारा तुरन्त हो सके। हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी नगरीय निकायों की आवश्यकतानुसार सीमा के विस्तार के कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा ताकि इन नगरों का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में 7 करोड़ की लागत से कंवेंशन सेण्टर बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में रेहड़ी, ठेला लगाकर फुटपाथ एवं सिर पर टोकरी रख कर सामान बेचने वाले फेरी वालों के लिये हमारी सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर पालिसी बना ली है जिसका शीघ्र ही क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि इन वर्गों को सुव्यवस्थित एवं सम्मानजनक जीवन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा अपने नगरों को स्वच्छ व हरा-भरा रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये स्वच्छ व हरित नगर के रूप में राज्य स्तरीय निर्मल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। गणतन्त्र दिवस पर निर्मल पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिये जाएंगे और यह पुरस्कार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों को देय होगा। स्वतन्त्रता दिवस को तीन स्वच्छ नगरों को दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत दो लाख रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार एक लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों को देय होगा।

नम्बर सात, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्व ... (व्यवधान) थोड़ी गलती हुई, माफ कर दो। हंसो मत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बढ़िया बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप क्या किसी को मूर्ख मत समझो।

जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वस्तरीय शूटिंग रेंज का निर्माण करवाया जा चुका है। इसके साथ ही घुडसवारी एवं तीरंदाजी हेतु विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। माननीय सदस्यों को यह

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

जानकर खुशी होगी कि हाल ही में इस शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय स्तर की ट्रैप बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी जिसमें देश-विदेश के समस्त अन्तरराष्ट्रीय शूटिंग फैडरेशन एवं एशियन राष्ट्रीय राइफल एसोसियेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इस शिविर में रेंज को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की रेंज माना गया और हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में होने वाली एशियन एवं अन्तरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित करने हेतु जयपुर को चुना जाएगा। भविष्य में प्रतियोगिता के आयोजन को देखते हुए जवाहरलाल सर्किल से शूटिंग रेंज तक की मुख्य सड़क का सौन्दर्यीकरण मास्टर प्लान के अनुसार किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मंडल में पंजीकृत आवेदकों को ... (व्यवधान) आप सुनना, प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, ध्यान से सुनियेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): राजस्थान आवासन मंडल में पंजीकृत आवेदकों की संख्या लगभग 15,000 है जिन्हें अभी तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी आवेदकों को मार्च, 2008 तक आवास उपलब्ध करा दिये जाएंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तो सभी ने कह दिया यह ... (व्यवधान) मार्च, 2008 तक दे दिये जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2003 से पूर्व पंजीकृत सदस्यगण को इस दीपावली तक प्लिंथ लेवल तक निर्माण कर 400 वर्ग गज के भूखण्डों का आबंटन जगतपुरा में मण्डल द्वारा विकसित की जा रही इंदिरा गांधी नगर योजना में कर दिया जाएगा। सन् 2003 के बाद पंजीकृत माननीय सदस्यों को आगामी वर्ष 2008 की दीपावली तक मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

जयपुर में मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर हम सब के लिये श्रद्धा का केन्द्र है, इस पवित्र स्थान को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित एवं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा।

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम के महापौर का मासिक मानदेय भत्ता 5000 से 7500, नगर परिषद् के सभापति का 3000 से 4500, नगर पालिका के अध्यक्ष का 1000 से 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों को प्रति बैठक पारिश्रमिक वर्तमान राशि से दुगनी राशि अर्थात नगर निगम हेतु ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, प्रताप नगर बहुत दूर पड़ता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 100 से 200 रुपये ... (व्यवधान) नगर परिषद में 75 से 150 रुपये तथा नगरपालिका में ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी, नये पुराने सभी माननीय सदस्यों को एक ही कैटेगरी में रखकर दो। पुरानों को भूखण्ड दे रहे हो तो नये को भी दीजिए। आप फ्लैट क्यों दे रहे हैं, आप नयों को भी भूखण्ड दीजिए। पुरानों को भूखण्ड दे रहे हैं तो नयों को भी भूखण्ड दीजिए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): भूखण्ड चाहिए, हमें फ्लैट नहीं चाहिए। इतना भेदभाव क्यों करोगे आप? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इधर बैठकर बात कर लेंगे अपन।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): भेदभाव, ऐसी क्या बात है?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप तो भूखण्ड ही दीजिए। फ्लैट नहीं चाहिए। मंत्रीजी, भेदभाव मत करो, आप नये-पुरानों में अन्तर मत समझो।

श्री अध्यक्ष: बस, मांग पारित करने के लिए कहो अब आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर काफी माननीय सदस्यों ने कटमोशन के माध्यम से कई आरोप-प्रत्यारोप भी कहे। कई लोगों ने अपने भाषण के दौरान भी कुछ बातें रखीं। मैं समझता हूं कि मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने उनकी बात का जवाब देने का प्रयास किया है। मैं सूक्ष्म में बताने का प्रयास करूंगा। अगर किसी माननीय सदस्य का जवाब रह गया हो तो निश्चित रूप से मैं सम्पर्क

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

कर लूंगा, आप सम्पर्क कर लें, निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को संतुष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर डब्ल्यू.टी.पी. का मामला सी.पी. साहब ने उठाया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप मांगें पारित करवाओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ... (व्यवधान) जवाब तो जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: जवाब बहुत बड़ा हो गया आपका। दे दिया जवाब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, अब आपने अच्छी-अच्छी घोषणाएं कर दी, घोषणाओं के बाद तो फिर कोई जवाब होता नहीं है। अब तो मांग पारित करवाएं आप ...(व्यवधान) यह अनाउंसमेंट सबसे बाद में होता है। घोषणाएं कर दीं, बहुत अच्छा है, अब क्या है? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह अमर जवान ज्योति के टेंडर पड़े हैं, टौंक रोड की लाइटें, ये सब पड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 2008 में ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सदन को गुमराह करने की कोशिश मत करो, यह टौंक रोड का तो टेंडर हुआ है वह इलेक्ट्रिफिकेशन वाले का ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अमर जवान ज्योति का किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अमर जवान ज्योति का कोई टेंडर नहीं हुआ है ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने घोषणा की थी कि मैं सदन में नहीं आऊंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गुमराह करने की कोशिश मत करें, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप सदन में मत आइये ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय यहां पर टेबल कर रहे हैं इन टेंडर्स को तो आप अपना वादा पूरा कीजिये और सदन में नहीं आने की आपने जो घोषणा की थी उसको पूरा कीजिये। (व्यवधान) हमने अपना वादा पूरा किया है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो होने दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात उठा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आज सदन में चुनौती दी थी, इन्होंने कहा था कि अमर जवान ज्योति बिना टेंडर के की गयी है, अगर टेंडर से निर्माण हुआ है तो मैं सदन में नहीं आऊंगा। मैं टेबल करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि 14.12.2004 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सब में ये निविदाएं आमंत्रित हुई, 9 लोगों ने भाग लिया। 6 लोगों ने प्रतिस्पर्धात्मक जो निविदाएं दीं उसके अंदर सबसे कम जिसकी निविदा आयी निरमा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, उसको यह आदेश दिया गया। कहो तो मैं टेबल कर दूं। बिना किसी आधार पर, बिना किसी तथ्य के इस तरह से ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल गलत कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप अपनी घोषणा पर कायम रहिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इससे यह सिद्व होता है कि इन्होंने जो कुछ आरोप लगाये इससे पहले, वे सारे के सारे गलत थे। (व्यवधान) किसी में कोई तथ्य नहीं था ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप इस्तीफा दीजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कहें तो मैं टेबल करने को तैयार हूं। बेबुनियाद इन्होंने इस तरह से जो आरोप लगाये हैं, उनमें भी कोई दम नहीं था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने, मंत्रीजी, ये सारी जगह पर जो वास्तुविद लगाये हैं, क्या टेंडर से लगाये हैं वास्तुविद-अमर जवान ज्योति में, खोले के हनुमानजी, शुटिंग रेंज में ? सारे +++ (व्यवधान) मेरा आरोप है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको सदन में नहीं आना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा आरोप है कि +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं टेबल करने को तैयार हूं। इन्होंने कहा कि मैं सदन में नहीं आउंगा। यह बेबुनियाद बात करते हैं, बिना आधार के बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उलझ गये, उलझ गये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डा. राजीव शाह एंड एसोसिएट, सारे आपने बिना टेंडर के वास्तुविद, साढ़े तीन परसेंट आपने दिये हैं उनको कॉस्ट के ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): टेबल कर दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): टेबल कर दूं ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टेबल करो न, मना कौन कर रहा है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जिसकी बात की थी, जिसकी बात की है वह टेबल करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऐसी कोई बात नहीं है, टेबल कर दें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं टेबल कर देता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, रख दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): टेबल कर दें आप ...(व्यवधान) ताली बजाएं ताली ...(व्यवधान)

(भारी व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पत्रावली सदन पटल पर रखी गयी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, हां, कर देंगे। एक-एक कागज करूंगा, एक-एक कागज। (व्यवधान) इस सरकार के दिये हुए जवाब की कापी टेबल करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने दी है उसकी कापी टेबल करूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मांग पास कराएं। (व्यवधान)

श्री **हीरालाल** (निवाई): बाहर निकालें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, अब आप तय कीजिये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। (व्यवधान) और जो माननीय सदस्य असत्य बोल रहे हैं इनको आप प्रताड़ित कीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य को प्रताड़ित किया जाए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इस बात के लिए ताइद कीजिये कि वह सदन में नहीं आएं, अपना वादा पूरा करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपने कल यह कहा था कि यह मंत्री जी कांग्रेस वालों से मिले हुए हैं ...(व्यवधान) आप सच बोल रहे थे कि असत्य बोल रहे थे ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने यह कहा कि मंत्रीजी कांग्रेस वालों से मिले हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने सच बोला था या असत्य बोला था ...(व्यवधान) मोहनलालजी, जवाब दें, आपने कल यह कहा था कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी कांग्रेस वालों से मिले हुए थे, आप सच बोले थे या असत्य बोले थे, बताएं ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी आप इनकी बात कीजिये, मेरी बात तो हो गयी कंप्लीट ...(व्यवधान) अभी आप इनकी बात कीजिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो आप दिखवा लीजियेगा। आप कार्यवाही आगे चलाएं। मांग को पास कराएं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप जांच करके ...(व्यवधान) आप मत मांगें माफी ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आप सत्य बोलते हैं सारे ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सदन में माफी मांगें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या बोले थे, सच बोले थे या असत्य बोले थे? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप दिखवा लीजिये और मांग को पास कराएं आगे ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सच बोले थे या असत्य बोले थे? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इन्होंने आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस बात का जवाब दें आप कि सच बोले थे या असत्य बोले थे, क्या बोले थे? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी तो मुद्दा यह चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविद के लिए कहा है, वास्तुविदों का कोई टेंडर नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): कागज दीजिये आप ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं एक-एक का जवाब दे सकता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों के लिए कहा है इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सबूत है तो दीजिये आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविद के लिए कहा है और वास्तुविदों का कोई टेंडर नहीं हुआ है। आपने वास्तुविदों का टेंडर किया हो तो आप टेबल कर दें ...(व्यवधान) आप टेबल कर दें वास्तुविदों का ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): खुद के बोलने से ही मुकर गये हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों का कोई टेंडर नहीं हुआ। वास्तुविदों का टेंडर हुआ है तो आप पेश करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अमर जवान ज्योति का टेंडर ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों का नहीं है इसमें ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, वह तो बाद में कर लेना, सदन की कार्यवाही तो चलाएं आगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह वास्तुविदों का नहीं है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): टेबल कर दिया है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कार्यवाही चलाएं आगे, इनको तो आप अपने चैम्बर में देख लीजिये। (व्यवधान) कार्यवाही चलाएं आगे, बाद में देख लीजियेगा ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों का कोई टेंडर नहीं हुआ। वास्तुविदों का टेंडर हुआ हो तो आप करें टेबल। वास्तुविदों की तो बात हुई थी और दूसरे टेंडर की ओर ले जा रहे हैं अपनी बात को। (व्यवधान) वास्तुविदों का कोई टेंडर नहीं हुआ। आप पेश कीजिये, अगर वास्तुविदों का हुआ है तो। ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बात टेंडर की हुई थी ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने अमर जवान ज्योति वाला टेंडर नहीं हुआ, यह सदन में कहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो विभाग तक ही सीमित रहें ...(व्यवधान) आप अपने विभाग तक ही रहें, इस विभाग में आप नहीं फंसें, नहीं तो इसमें फंसे तो आप स्वयं फंसेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सारे कागज आपके पास लेकर आ रहा हूं और मैं एक-एक कागज आपको दिखाऊंगा कि इस सरकार ने जनता के धन का, एफ एंड आर रूल्स का वायलेशन करके किस तरह से दुरुपयोग किया है। एक-एक कागज लेकर आया, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह दुकान है उनके पास ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर चुनौती दी है तो एक-एक कागज लेकर आऊंगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह विधान सभा है, किसी की दुकान नहीं है। किसी की जागीर नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने चुनौती दी थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो कुछ कहा है यहां पर, वह भी मैं देखूंगी ...(व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण कर लें। आपने जो कुछ कहा है उसे भी मुझे देखना पड़ेगा। सदन की कार्यवाही में क्या आपने कहा है और ये जो टेंडर इन्वाइट किये गये हैं, यह पत्रावली भी मेरे सामने हैं, आपको भी कुछ अपने कागज यदि देने हैं तो दे दीजियेगा और इस बारे में मैं व्यवस्था दूंगी दो तारीख को ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सदन में माफी मांगें ...(व्यवधान) सदन को गुमराह किया है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह चुनौती है कि वास्तुविदों की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है, मैं देखूंगी तो सही ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, +++ और राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को उन पर लुटाया है ...(व्यवधान) मेरा आरोप है खुला यह, यह कागज पडा हुआ है, ये सारे प्रकरण हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वास्तुविदों के आज तक टेंडर हुए हैं क्या? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): टेबल करिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फोटो कापी करवाकर आज ही आपको टेबल करूंगा मैं, फोटो कापी करवाकर आज ही दूंगा मैं। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): टेंडर कामों का होता है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अभी रखवाएं अभी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान) मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उचित यह होगा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी जो कागज टेबल करना चाहते हैं उनको भी टेबल कर लें और यह आपके सामने है ही, फिर देखकर आप निर्णय कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें तो सही कम से कम ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह फोटो कापी मंगाकर टेबल कर दें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, प्लीज, मैं कनक्लूड कर लूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या तरीका हुआ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको क्या आसन पर इतना भी विश्वास नहीं है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे इनकी फोटो कापी दे देना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, फोटो कापी दे देंगे। यस, यस ...(व्यवधान) एग्रीड। नहीं, आप कागज गिन लीजिये, उनके ऊपर आप अपने ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उनके ऊपर दस्तखत करिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कागज गिन लीजिये, नम्बरिंग कर दीजिये। जो कुछ आपको करना है वह सब कर दीजिये ...(व्यवधान)

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा पत्र सदन की टेबल पर रखे गये)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह उचित नहीं है ...(व्यवधान) इस तरीके से दबाने की सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है, यह बोलने की स्वतंत्रता पर आघात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन में चुनौती दी है, चुनौती स्वीकार है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आगे बोलिये न ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो कहा न कि टेंडर ही नहीं हुए ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो सदन में यह कहा था कि टेंडर ही नहीं हुए ...(व्यवधान) मुफ्त में काम किया था ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों के टेंडर नहीं हुए, वास्तुविदों के टेंडर नहीं हुए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कहा था कि टेंडर ही नहीं हुए थे, मुफ्त में काम किया था ...(व्यवधान) मैंने वह सुन लिया था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जांच कराएं, वास्तुविदों के नहीं हुए हैं टेंडर ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कहा था कि फ्री में काम हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिना टेंडर के काम कर रहे हैं और दूसरे टेंडर ले रहे हो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कहा था कि फ्री में काम हुआ है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अमर जवान ज्योति के टेंडर हुए हैं, नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित हुई हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों के टेंडर नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कहा था कि फ्री में काम हुआ है ...(व्यवधान) मैंने सुना है, आपने कहा था कि फ्री में काम हुआ है अमर जवान ज्योति का। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फ्री में काम हुआ है। आपने कहा कि वास्तुविद तो फ्री में आये हैं, आपने कहा है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस तरह से दबाने की जरूरत नहीं है हमारे सदस्य। को...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कहा है, रिकार्ड उठकार देख लें आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वास्तुविदों की बात नहीं हुई है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविद फ्री में आये हैं, आपने कहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वास्तुविदों की बात ही नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वास्तुविदों के टेंडर नहीं हुए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं एक-एक शब्द को सुनता हूं ...(व्यवधान) इन्होंने कहा, अमर जवान ज्योति का काम फ्री में हुआ है, फिर ये टेंडर कहां से आ गये ...(व्यवधान) फ्री में करने का कहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कागज के अंदर 14.12.2004 को राजस्थान पत्रिका, नवज्योति और दैनिक भास्कर में इसके टेंडर इन्वाइट किये गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हरिमोहनजी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने कहा है कि अमर जवान ज्योति का काम फ्री में किया है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कल्ला साहब, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो अमर जवान ज्योति के वास्तुविद का टेंडर बताएं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुनें, संयमजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस वक्त आसन पर नहीं थीं जो कुछ सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और चुनौती दी, आप उसकी प्रोसीडिंग भी निकलवा लें, इन्होंने अमर जवान ज्योति के नहीं कहा, वास्तुविदों के लिए चुनौती दी थी, वास्तुविदों के अगर टेंडर हुए हों तो आप देखकर ...(व्यवधान) कागज देखकर व्यवस्था दे दीजिये, यह गुमराह करने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वास्तुविदों के लिए तो आपने कहा है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वास्तुविदों के लिए चुनौती दी थी, वास्तुविदों के कोई टेंडर नहीं हुए, बिना टेंडर के भुगतान किया गया है, अमर जवान ज्योति के नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन्होंने अमर जवान ज्योति के लिए कहा था ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप व्यवस्था दे चुके हैं। यह गुमराह करने की बात कर रहे हैं, वास्तुविद के लिए चुनौती दी थी कि वास्तुविद के कोई टेण्डर नहीं हुआ, बिना टेण्डर के भुगतान किया गया है। अमर जवान ज्योति के लिए नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन्होने अमर जवान ज्योति के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें बाकायदा लिखा गया है कि 9 टेण्डर तो भेजे गए, 6 वापस प्राप्त हुए, 11.2.2005 को ओपनिंग हुई टेण्डर की। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अमर जवान ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं हम। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): वास्तुविदों के टेण्डर लिए हों तो बताएं आप, वास्तुविदों के टेण्डर हैं क्या वे? आप यह बताएं कि वास्तुविदों के लिए टेण्डर हैं क्या? (व्यवधान) वास्तुविदों की बात थी, आप दूसरे टेण्डर की बात कर रहे हो। वास्तुविद की बात थी, वास्तुविद के टेण्डर बताओ आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बात है अमर जवान ज्योति की ...(व्यवधान) अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जो बात कहनी थी, आपको जो कागज देने थे, सबूत देने थे, आपने दे दिये, इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं, नो, नो, आप बैठ जाएं। स्थान ग्रहण कर लें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय सी पी जोशी साहब ने वर्ल्ड ट्रेड पार्क को सब लैट करने की परमिशन दी, इस प्रकार का यहां पर उन्होंने आरोप अपने भाषण में लगाया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड पार्क को सब लैट करने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि आबंटन पत्र

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

में मात्र इन्वैस्टमेंट आमंत्रित करने की अनुमति दी गई। शर्त भी लगाई गई है कि बकाया राशि जमा कराने तक भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व रहेगा। इसी कारण तीसरे पक्षकार का प्रभार या क्लेम नहीं रहेगा। प्राधिकरण की इस कारण कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा। राज्य हित में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सब कुछ तो बोल चुके हैं आप, अब आप मांग को पारित करने का प्रस्ताव रख दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बता दूं, यह जरूरी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि आज किसी भी सूरत में दो घण्टे से कम में बात मत कहना इसलिए दो घण्टे तक बोलेंगे वह आज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप इसका भी जवाब देना, मंत्रीजी कि आपके बीकानेर के सम्भागीय आयुक्त ने गंगानगर यू आई टी में घोटाला प्रूव किया है, 8 महीने से आप किस दबाव में फाइल दबाए बैठे हुए हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अब मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आरोप लगाए हैं तो जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं तो ...(व्यवधान) आप नए-नए आरोप लगा रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, मैं जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एन आर आई में सिद्धा को टैन परसेंट एग्रीमेंट का देने की बात यहां पर उठाई।

श्री अध्यक्ष: आप तो आरोपों की बात करो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एन आर आई से सिद्धा का एग्रीमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ था और उन्होंने ही टैन परसेंट देना मंजूर किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)
सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने गंगानगर यू आई टी के बारे में भी टीका टिप्पणी की।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपके मंत्री बोल रहे हैं, आप उनके और आसन के बीच से तो मत निकलो, कागज चाहे तो पीछे से दो या साइड से दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गलत हो गया। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य महोदय श्री संयमजी ने गंगानगर नगर सुधार न्यास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, मैं इसके सम्बन्ध में उनको अवगत कराना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की गई थीं। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से जांच करवाई गई एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विवरण पत्र तैयार किया जा रहा है। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों को निश्चित रूप से दण्डित किया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज भी मंत्रीजी, वही कलक्टर यू आई टी का चेयरमैन है, वही कलक्टर, आपने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर आप दोषी मानते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): दोषी को नहीं बख्शेंगे, जो दोषी होगा, सज़ा पाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप खुद कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार एडमिट कर रही है कि वहां अनियमित्ताएं हुई हैं फिर आपने यू आई टी के चेयरमैन को 6 महीने से वहां से क्यों नहीं हटाया? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): किसी को भी सज़ा देने के पहले उसकी जांच की जाती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, नहीं, आपकी गवर्नमेंट विधान सभा में एडमिट कर रही है, आपने सम्भागीय आयुक्त से जांच करवा दी। आप नहीं गये थे, जांच रिपोर्ट आ गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आगे भी सुनो। आप आगे भी सुनो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या बात हुई? एक तरफ सरकार कह रही है कि दोषी है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप जवाब तो पूरा सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि सरकार एडमिट कर रही है कि अनियमितता हुई है, फिर वही का वही है। अगर अनियमितता हुई है तो वही यू आई टी का चेयरमैन क्यों? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो, मैं बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। यह कोई अच्छी संसदीय परम्परा नहीं है कि सदन में सरकार कहे कि अनियमितता हुई है और उसके बाद भी कलक्टर वहां बैठा रहे यू आई टी के चेयरमैन के रूप में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह तो दिया है कि अनियमितता हुई है, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, दण्डित किया जाएगा, कह दिया और क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 महीने हो गए सम्भागीय आयुक्त को जांच रिपोर्ट दिए हुए, वह कौनसा कारण है कि सरकार ने अभी तक यू आई टी के चेयरमैन के पद से कलक्टर को नहीं हटाया? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सुनिए तो सही, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। हां, अब आप बताएं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय सदस्य को मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि गंगानगर विकास न्यास में उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है। यहां तक कि शक के दायरे में आने पर तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास श्री टी सी वोहरा को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर कार्मिक विभाग में लगा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उनकी पत्नी ने दूसरी शादी की शिकायत की थी इसलिए हटाया गया है। आपने इसकी वजह से नहीं हटाया है। इसकी आप गलत जानकारी दे रहे हैं सदन के अंदर। वह उससे पहले हट गया था, उससे पहले ही हट चुका था। वह 9 महीने पहले हट चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में सरकार मान चुकी है कि अनियमितता हुई है और यू आई टी के चेयरमैन के पद पर वही अधिकारी काबिज है, यह कौनसा तरीका हुआ? आपकी उपस्थिति में यह सब है, राजस्थान की जनता देख रही है, आप सरकार को निर्देशित करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया उन्होंने, बता तो दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार कह रही है कि अनियमितता हुई है, सम्भागीय आयुक्त ने जांच कर दी, फिर उसी आदमी को आपने चेयरमैन बनाकर बैठा रखा है। (व्यवधान) यह गलत एग्जाम्पल होगा, इस सदन की गरिमा और संसदीय परम्परा के घोर विपरीत होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब सरकार ने यह मान लिया कि अनियमितता हुई है तो यू आई टी के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया आपने? (व्यवधान) आपने सम्भागीय आयुक्त से जांच करवा ली, फिर क्यों नहीं हटाया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो सही।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बिना सुने किसी को सज़ा नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जवाब दे रहे हैं इनको?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हां, दिलाओ साहब जवाब।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कोई जांच हुई है उसकी रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर भी जब तक पूरी की पूरी जांच सरकार नहीं करे उससे पहले किसी को पैनल्टी देना कहां तक उचित रहेगा? आरोप पत्र जारी हुए हैं, उसके बाद सरकार उस पर कार्यवाही करेगी, कार्यवाही का भी एक तरीका होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा तो सुनिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह कोई राठौड़ी तो है नहीं कि आज रिपोर्ट आई, कल हटा दिया, परसों शिकायत मिली और तरसों हटा दिया उसको। यह तो नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आठ महीने से आप रिपोर्ट को दबा कर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: जांच तो हर जगह होती है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो फिर माननीय मंत्रीजी ने दोषी क्यों माना?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज सदन में वक्तव्य दे रहे हैं कि अनियमितता हुई है, 8 महीने पहले सम्भागीय आयुक्त ने जांच कर दी, उसके बाद भी वही आदमी यू आई टी का चेयरमैन है, यह सरकार का कौनसा तरीका है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए तो सही। बोलिए आप। आपको क्या कहना है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय सदस्य ने बारां के हाउसिंग बोर्ड के बारे में जिक्र किया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह ज्यादा बोल कर फंसेंगे, पहले कह दिया वही उत्तर अच्छा होगा। क्या फिर फंसेंगे? इनकी आदत है फंसने की, अब दुबारा फंसेंगे। बढ़िया या उत्तर हो गया था, बढ़िया काम हो गया था, अब फिर फंसेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें आप। शांति से सुन लें आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां हाउसिंग बोर्ड में किसी से मिलीभगत होने की और मेरे पड़ौसी होने का जिक्र किया कि इनके पड़ौसी हैं इसलिए फायदा दिया। अव्वल तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बात का जवाब दीजिए, खतम है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न मेरा कोई इस प्रकार का पड़ौसी है। किसने जानकारी दी है यह मुझे अच्छी तरह मालूम है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस आसन पर विराजमान हैं...

श्री अध्यक्ष: आप बोलने तो दें उनको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो आगे जा रहे हैं। आप पहले सम्भागीय आयुक्त की रिपोर्ट की बात कीजिए, यह आगे जा रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आगे कहां जा रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक तरफ तो सरकार वक्तव्य दे रही है, मंत्रीजी, हंसो मत, आप में अगर जरा भी नैतिकता है तो यू आई टी में घोटाला मान रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप में नैतिकता है तो। बात कर रहे हो आप। (व्यवधान) हंस रहे हो आप बिलकुल ..(व्यवधान).. You are the most irresponsible Minister.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां का अधिकारी है ...(व्यवधान) उसको एपीओ कर दिया, जांच चल रही है, एसीडी जांच कर रही है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। आप पहले इनकी बात का जवाब तो दीजिए, फिर आगे बढ़िए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम नलका में 19.13 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई। इस भूमि का एवार्ड दिनांक 10.4 ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गंगानगर का जवाब दो पहले।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): पहले उसी का दे रहा हूं। गंगानगर का ही दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मत जाइए बारां में।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5.5.2000 को इस भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी कर दिये गये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश की भी ये पालना नहीं कर रहे हैं। बेहयाई की हद होती है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): श्री नन्दलाल धाकड़ द्वारा खसरा नम्बर 435 की 7.8 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 2.6.2005 को किया गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हुजूर, हम सम्भागीय आयुक्त की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसको आप इस सदन में एडमिट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं और आसन ने आपको निर्देश दिये हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वह मैं बता रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन से आपको निर्देश दिये हैं, आप पहले गंगानगर के बारे में सरकार का अपना मत व्यक्त कीजिए यहां पर... (व्यवधान) हंसिए मत आप यहां पर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इस बेचान की सूचना मिलने पर भूमि के क्रेता, विक्रेता, तहसीलदार बारां एवं उप पंजीयक, बारां के विरुद्ध दिनांक 28.8.2005 को एफआईआर दर्ज करवायी गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, न तो आसन सुन पा रहा है, न कोई और सुन पा रहा है आपको मैंने क्या कहा, बात का जवाब दे दीजिए, जो कुछ आपको देना है। सवाल तो यही ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दे दिया जवाब।

श्री अध्यक्ष: क्या दे दिया जवाब? क्या दे दिया?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जवाब दे दिया साहब, एपीओ कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया, जांच करा ली, आ गई, नोटिस जारी कर दिये, डीओपी कार्यवाही कर रही है, सैक्रेटरी को एपीओ कर दिया। आगे सरकार को जो कार्यवाही करनी है वह करेगी। इनको एसीडी में ...(व्यवधान) एसीडी में करा दिया ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, जिस जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ये सारे फैसले हुए हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप उसको किस आधार पर छोड़ रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपके कहने से थोड़े ही करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे कहने से मत करो। आपकी सरकार ने जांच करायी है। जांच हमने नहीं की है, आपकी सरकार ने जांच की है। जांच आपकी सरकार ने करायी है, ऐसा नहीं चलेगा यह। (व्यवधान) कुछ नहीं, राज्य सरकार और भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट सरकार है यह।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के मामले में ...(व्यवधान) इस प्रकार से ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, जो भी माननीय सदस्य ने लगाये हैं वे बिलकुल बेबुनियाद है, मनगढ़ंत आरोप हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या बात हुई? यह कोई तरीका नहीं है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां समझौते ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह आपके आदेशों की पालना नहीं की जा रही है तो और लोग तो क्या करेंगे, अध्यक्ष महोदय? आपने स्पष्ट मंत्रीजी को कहा, माननीय सदस्य जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वे देना नहीं चाहते। (व्यवधान) जो बात सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, बीकानेर के सम्भागीय आयुक्त ने जो जांच की है उसमें कलक्टर को दोषी पाया है, वहां दोषी कलक्टर के रहते हुए आप क्या जांच कराएंगे? आप क्या जानकारी कराएंगे? आसन से कहा गया उसका जवाब दीजिए आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर समझौता समिति के मामले में भी...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह समझौते अपने घर पर जाकर कर लेना आप, जो भी करना हो। आप पहले इसका जवाब दीजिए। जब आपके वरिष्ठ अधिकारी ने जो बीकानेर डिवीजन का है उसने जांच कर ली, आठ महीने हो गये जांच रिपोर्ट को आये हुए और आप एडमिट कर रहे हो उसमें अनियमितता हुई है, फिर क्यों नहीं हटा रहे आप उसको? आप कहिए कि हम यूआईटी का चेयरमैन दूसरे को बनाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपके जोर से बोलने से तो मैं दबाव में आऊंगा नहीं। जांच कर रहे हैं, एसीडी जांच कर रही है, सैक्रेटरी को हटा दिया है, एपीओ कर दिया है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं धरने पर बैठूंगा।

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका है, अध्यक्ष महोदय? बैठना है तो बैठने दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्यों ने समझौता समिति के मामले में प्रश्न उठाये हैं ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बैठे रहने दो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने समझौता समिति में घोटाले या करप्शन के यहां मामले उठाये हैं मैं उनको निश्चित आश्वासन या विश्वास दिलाता हूं कि समझौता समिति में जो भी निर्णय हुए हैं उनको रिव्यू करवा लूंगा और आवश्यकता पड़ी तो उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 20 और 29 को पारित करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अभी आप नहीं बैठें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अभी तो आप न बैठें। आपने भी अपने कागज दे दिये, उनके भी आ गये और आपने जो चार्ज उन पर लगाया है, बीकानेर ...(व्यवधान)

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, आपने जो निर्देश दिये हैं उसकी मंत्री को पालना करनी चाहिए। यह सरकार आसन के निर्देशों की पालना नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान कर रही है। कितना पैसा लिया आपने कलक्टर को बचाने का? (व्यवधान) बताइए आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो इन्होंने प्रश्न किया है उसका जवाब आना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुख्य मंत्री के यहां अटैची पहुंची है क्या उसके यहां से? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो भी उनको जवाब देना है वह जवाब देना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुख्य मंत्री के यहां पहुंची है अटैची ...(व्यवधान) बेइमानियां कर रहे हो।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या आरोप लगा रहे हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बेइमानियां कर रहे हो।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आरोप लगा रहे हो ...(व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या है?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): +++...(व्यवधान) पूरे डूबे हुए हो आप (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान) सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, आपका यह व्यवहार उचित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह कौनसा तरीका है?

श्री अध्यक्ष: यदि उनका व्यवहार उचित नहीं था तो आपका भी उचित नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह विधान सभा है या चौगान है? ...(व्यवधान) आप इस तरह से एक माननीय सदस्य पर झपटते हैं।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, एक बार मैं कह दूं। ...(व्यवधान) प्लीज स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: कौन बोला यह? बहुत गलत बात है यह। माननीय सदस्य ने एक बात उठायी, मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन चूंकि आसन की तरफ से कह दिया गया था, जब मैंने आपसे कहा, मैं भी आखिर उन सब को देखूं, उन्होंने क्या कहा है, क्या इस पर कार्यवाही हुई है, आपने क्या चार्ज लगाया था और उसके बाद इसका फैसला जैसा कि मैंने कहा, उसकी भी व्यवस्था करूंगी। इसके बारे में मैं देखने के बाद कुछ कहने की स्थिति में हूं। लेकिन आपको भी इतनी जल्दी आपा खोकर आकर बैठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, आपको भी इस तरह का व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास केवल कहने के

(श्री अध्यक्ष)

अलावा और है क्या? आपको संयम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। वह कोई चार्ज लगाते हैं, गलत ही सही, आप अपने तर्कों के द्वारा उनके चार्ज को गलत साबित करिए। यह अधिकार सत्ता पक्ष का है, लेकिन माननीय सदस्य इस प्रकार से आपस में खड़े होकर डराने लगें और एकदम हावी हो जाएं, यह उचित बात नहीं है। भविष्य में ध्यान रखें। ऐसा उचित नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि संयम रखना चाहिए, संयम तो उधर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संयम तो संयम रखते ही नहीं हैं। वे तो संयम रखते ही नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को इस बात का संयम रखना चाहिए ...(व्यवधान) इनको संयम रखना चाहिए, राज करने वाले संयम नहीं रखें तो कौन रखेगा?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण संचालित की है, वातावरण अच्छा है पक्ष और विपक्ष का, आप पांच मिनट उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप व्यवस्था दे दीजिए वे क्या चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को यहां से उठाया तो उनसे मैंने वादा किया है कि आप अपनी सीट पर चलो और आप क्या चाहते हैं वह वहां से बोलो, अध्यक्षजी उस पर व्यवस्था देंगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को पुरजोर शब्दों में कह चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप आसन पर नहीं थे।

श्री अध्यक्ष: इसकी कार्यवाही देखने का आश्वासन दिया है। मैंने कहा कि कार्यवाही देखूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने दोनों पक्षों के पत्रादि ले लिये हैं और आपने यह कह दिया है कि आप बाद में व्यवस्था देंगे। अब क्या बात रह गई, अध्यक्ष महोदय? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं आसन से। आपने मंत्री महोदय को निर्देश दिये हैं। जब सम्भागीय आयुक्त ने जांच कर दी, रिपोर्ट सरकार को दे दी तो उसके बाद सरकार की कार्यवाही बताने के लिए आपने मंत्री महोदय को निर्देश दिये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, देखने के बाद आपने ...(व्यवधान) एक आदमी ने ठेका ले रखा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या दे दी, मैं भी तो देखूं। रिपोर्ट क्या दे दी, आसन भी तो देखे। आसन देखने के बाद यदि यह जरूरी समझेगा, आवश्यक समझेगा तो उस हिसाब से होगा।

(समय : 22.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने आपके सामने एडमिट किया, अनियमितता हुई। (व्यवधान) अनियमितता हुई, आपके सामने एडमिट किया, फिर क्या बाकी है ? सरकार ने कह दिया कि अनियमितता हुई, उसके बाद में भी 8 महीने से उसी चेयरमैन को बिठा कर रखे हुए हैं, उसका क्या मतलब हुआ, अध्यक्ष महोदय ? इस सदन का कोई महत्व नहीं है? इस राज्य के सर्वोच्च सदन में सरकार ने स्वीकार कर लिया कि अनियमितता हुई, सम्भागीय आयुक्त जैसे बड़े अधिकारी ने जांच की, उसके बाद क्या बच जाता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनके बैठने के बाद बोलिएगा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप इनको किस बात का मौका दे रही हैं? सुबह से सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने बकवास करने में लिया है। (व्यवधान) बकवास के अलावा क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अच्छा, ठीक है, हम बकवास करते हैं। ठीक है, बकवास करते हैं। ठीक है, आप अच्छा करते हैं। धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन के निर्देशों की सरकार पालना नहीं कर रही है। (व्यवधान) आसन ने मंत्रीजी को साफ निर्देश दिया है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब किस बात की है? (व्यवधान) आप हंसो मत ...(व्यवधान) किसी का मुंह बन्द करें। (व्यवधान) किसी को कहें कि आप यों मत करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप करें तो बहुत अच्छी बात है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सबूत तो यह है कि मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि गड़बड़ हुई है, इससे बड़ा कहां और क्या होगा, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बीकानेर यूआईटी में गड़बड़ हुई है, वह मानते हैं, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नहीं, आप तो कहो न सब बात बोलेंगे, पर यह क्या छाया में खड़े होकर बात करने लग गये? (व्यवधान) यह क्या है, इनको जवाब देना है क्या ? यह जवाब देंगे। (व्यवधान) आप कहो न कुछ कहना हो तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी तो खड़े हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य संतुलित बात अपनी कहेंगे 5 मिनट। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आरोप लगाये, राजस्थान की मुख्य मंत्री पर क्यों लगाये गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष से इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। स्थान ग्रहण करें, मैं कहती हूं, स्थान ग्रहण करें। मि. भाटी, स्थान ग्रहण करें। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष से इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है, आप जिस तरह से खड़े हो जाते हो। वह कह रहे हैं तो कहने दीजिए लेकिन आप इस तरह से खड़े होकर ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): राजस्थान की मुख्य मंत्री पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री ने इसमें

(श्री सांगसिंह भाटी)

पैसे खाये। ये आरोप लगाये, क्या तथ्य हैं इनके पास में? (व्यवधान) इतने पवित्र सदन में इस तरह के आरोप लगा दें ...(व्यवधान) अगर आपके पास कोई सबूत है तो टेबल करें। नहीं तो आइंदा सदन में इस तरह की भाषा काम में नहीं लेवें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस सदन के माननीय सदस्यों को किसी के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार है पुख्ता सबूतों के साथ। (व्यवधान) आप सुनिए तो सही। यह क्या तरीका है आपका ? यह कौन-सा तरीका हुआ ? कोई पुख्ता सबूतों के साथ यदि आरोप लगाता है और वह सिद्ध करता है तो यह अधिकार उनका है, लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत भी होने चाहिए। उनको तभी यह बात कहनी चाहिए वर्ना नहीं कहनी चाहिए। (व्यवधान) कैसेट में तो मैं देखूंगी, क्या कहा है, वह तो मैंने कह दिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और प्रतिपक्ष के नेता के ये जितने माननीय सदस्य हैं, या तो ये इनके अनुशासन में नहीं हैं, अगर हिसाब से आरोप-प्रत्यारोपण बार-बार ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अनुशासन में तो आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा इनका।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह व्यवस्था देंगे, सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप नोटिस देकर आओ। प्रतिपक्ष के नेता के अनुशासन में अगर माननीय सदस्य नहीं हैं, नोटिस दो, प्रक्रिया और नियमों के आधार पर आओ। यह कौन-सी बात है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सारा दृश्य देख कर आपने हमारे सदस्यों को प्रताड़ना नहीं दी है, माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): लगातार जिस हिसाब से आरोप और प्रत्योरापण चल रहे हैं उसके हिसाब से भ्रष्टाचार, आप नोटिस देकर आओ, जवाब देंगे माननीय मंत्री, क्या बात कर रहे हो ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दादागीरी से चलेगा क्या ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): चलेगा क्या ? आपके इस हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, नहीं चल सकता है यह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बैठ जाओ, अब आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हां, बैठ जाओ। क्या बात करते हो ? यह कोई तरीका हुआ है ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह कोई हाउस नहीं चला रहे हैं क्या ? हाउस कौन चला रहा है ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा बन गई है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये सारे लोग उसको सुनते हैं। (व्यवधान) और यह मंत्री धमकाने का व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान) आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको प्रतिपक्ष के नेता से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर उसको आप नोटिस दो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको प्रतिपक्ष के नेता से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) यह क्या बात हुई ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, आपको इस तरह संयम नहीं खोना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रतिपक्ष के नेता का यह दायित्व नहीं होता है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप हमेशा जलती अग्नि में घी डालने का काम करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपको बैठने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह कौन होते हैं मेरे को बैठने के लिए कहने वाले ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में नहीं हैं और मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाये गये कि अटैचियां पहुंचाईं। मुख्य मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने का इनका क्या अधिकार है बिना नोटिस दिये ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय ने कहा है, उनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): या तो संतोषजनक के लिए कहने के लिए इनको कहिए, नहीं तो हम सब यहां आएंगे।

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कई बार कह चुकी हूं कि आप मर्जी आए जब खड़े हो जाते हैं, मर्जी आए जो बोलने लग जाते हैं। माननीय सदस्यों, आप कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माफी मांगिए, मंत्रीजी। मंत्रीजी माफी मांगें, हमारे नेता के सामने बोले हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की बात कहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्यों खड़े हो आप लोग? (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, जो सामने खड़े हैं, सब बैठ जाएं। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को पुन: निवेदन कर रही हूं कि वह चाहे जब खड़े हो जाते हैं, मर्जी आए जो बोलने लग जाते हैं, यह सदन की परम्परा आज तक नहीं रही है। खड़े होते हैं, जो

(श्री अध्यक्ष)

मर्जी आती है वह बोलते हैं। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। आप भी अपने-अपने स्थानों को जाएं, मुझे कुछ कहने दें। (व्यवधान) आप अपने अपने स्थान पर तो जाएं। (व्यवधान) मैं कुछ कहूंगी, तभी तो आगे चलेगी न कार्यवाही। (व्यवधान) आप खड़े तो मत रहो, ऐसे कैसे कह दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं कहूंगी। ऐसे कैसे कहूंगी, यह क्या बात हुई ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप आसन को दबा कर कहना चाहते हो ?

श्री अध्यक्ष: आसन व्यवस्था ऐसे नहीं देता है। (व्यवधान) शांत रहें, कोई नहीं उठेगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा। माननीय सदस्यगण, यह इस सदन की परम्परा रही है कि सदन में सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों का ही अपना एक विशिष्ट स्थान रहता है। सदन के नेता के बाद में परम्परा की दृष्टि से सदन के प्रतिपक्ष के नेता का भी उनके बाद नम्बर आता है। माननीय मंत्रीजी, आज भावावेश में आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता को यदि कुछ कह गये हैं तो मैं समझती हूं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हां, नहीं कहना चाहिए था। कई बार भावावेश में आदमी कुछ कह देता है लेकिन सदन में यदि इस बात से सारी पार्टी और सदन के प्रतिपक्ष के नेता को भी इस बात से ठेस पहुंची है तो कोई इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप कहें आपको कि मैं खेद प्रकट करता हूं। क्या बात है, यदि आपने बुरा माना, कोई बात मुझे सदन के प्रतिपक्ष के नेता को नहीं कहनी चाहिए थी। क्या बात है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बीच में कहां से आ गये, जब वो मंत्रीजी बोल रहे हैं, अध्यक्षजी ने उनको कहा है, वो कोई बात कह कर खतम करना चाहते हैं? आप 10 दिन नहीं थे तो यह हाउस बहुत अच्छी तरीके से चला और जिस दिन से आप आये, वापस वो ही अव्यवस्था पैदा हुई। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने दीजिये। बीच में ही आप खड़े हो जाते हो।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को भी यह अधिकार है कि वो भी अपनी राय किसी भी समय प्रकट कर सकते हैं इसलिए वो कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ये आपका काम करते हैं कई बार।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम तो आप भी कर लेते हो कई बार।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आपने भावनाएं प्रकट की हैं और इस सदन की महान परम्परा रही है, सदन के नेता के प्रति, प्रतिपक्ष के नेता के प्रति और आसन के प्रति आदर का भाव सब का रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसे सर्वोच्च पद हैं जिन पर इनकी गरिमा का जहां सवाल है इनकी गरिमा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। यह हमारा सब का दायित्व है कि हम उसका निर्वहन करें। लेकिन उत्तेजित क्षणों में जब इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं, अब मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता के प्रति जो आरोप यहां पर लगाये गये, आप उस समय सदन में नहीं थीं।

श्री अध्यक्ष: हां, मैं नहीं थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसमें जिस प्रकार का अपमानजनक और ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे-ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि उसका जवाब भी पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपने एक आसन से व्यवस्था दे दी कि सारी प्रोसीडिंग आप पढ़ लेंगे क्योंकि उस समय आप यहां पर मौजूद नहीं थीं, प्रोसीडिंग पढ़ने के बाद उसमें जो भी निर्णय आपको देना है वो देंगे। जो सारे कागजात हैं वो सारे आपके पास रख दिये गये। अब यह सारा निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया गया। उसके बाद इस सदन को फिर वापस उत्तेजित करने का काम किया। उसके बाद हम अपने पदों के कारण सम्माननीय हैं लेकिन हमारे पदों के कारण हमारा यह पद भी सम्मानित रहे, इसके लिए हमारा यह दायित्व है कि हम ऐसे क्षणों में विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता महोदय जब वातावरण शांत हो गया हो उस समय उत्तेजना के क्षणों में एक आग का काम करें तो मैं समझता हूं उत्तेजना हो जाती है। उस समय यह सारा इतना बड़ा मामला, इसमें....

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आरोप-प्रत्यारोप लगे। सारा मामला निपट गया। केवल एक मंत्रीजी में उत्तेजना के क्षण में उत्तेजना आ गई उसके लिए आप उनको इस प्रकार की, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने कहा कि ये कोई छोटे नहीं हो जाते, कोई इससे छोटा नहीं होता। उससे हम में, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के मान-सम्मान में किसी प्रकार की कमी करने की न

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

तो इच्छा है, न कोई भावनाएं हैं और न प्रतिपक्ष के नेता का स्वयं का भी यह है। लेकिन वो ही जो उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं उन लोगों ने आकर प्रतिपक्ष के नेता महोदय को उकसाया और यह कहा कि हम सब इकट्ठे होकर यहां आते हैं और दबाव में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। मैं समझता हूं कि यह अहंकार का विषय हो जाएगा कि दबाव बनाकर आप एक मंत्री से खेद प्रकट करवाना चाहें। और जो सारे आरोप लगाये हैं वो कोई खेद प्रकट नहीं करें, उसके लिए तो आप प्रोसीडिंग देखेंगे.....

श्री अध्यक्ष: वो तो खेद प्रकट करेंगे देखने के बाद। क्यों नहीं करेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो तो आप प्रोसीडिंग देखेंगे और उसमें उसका निर्णय लेंगे। वह क्या निर्णय लेंगे, इसको भी आप प्रोसीडिंग में यह देख लीजिये कि यदि कोई मंत्री जी ने आपत्तिजनक शब्द कहे हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो गये, क्या बात है यह?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए इतना बड़ा कदम, जिसमें अहंकार का सवाल टकरा जाए, हमने सारे आरोप बिलकुल यहां चुपचाप बैठकर सुने हैं और वो जवाब भी नहीं सुनें। जवाब भी नहीं सुनें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय,....

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। चीफ व्हिप साहब, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी की है, हमारी तरफ से किसी ने ऐसा आरोप मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कुछ नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): लगाया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने जानकारी की है कि हमारे पक्ष की तरफ से...

श्री अध्यक्ष: आप अब क्यों खड़े होते हो तो? आप भी हो जाते हो। कोई नहीं, आप भी खड़े हो जाते हो। क्या बढ़िया बात कहते हैं। (व्यवधान) आप सुन तो लें उन्हें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे कोई दु:ख नहीं है। आपके मंत्रीजी ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइये तो मैं बैठ गया। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। उन्होंने जैसा व्यवहार किया वो जानें, आप जानें, मैं इसमें कोई

(श्री रामनारायण चौधरी)

ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसमें जो भी व्यवस्था दें वह आप करें, लेकिन हमारी तरफ से मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है, आप कार्यवाही देख लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप देख लीजियेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहा गया, जब पाली से आने वाले....

श्री अध्यक्ष: फिर दोहरा रहे हैं आप। आप क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहा कि इस प्रकार आपके चरित्र के ऊपर कोई नहीं लगाया तो उन्होंने कहा कि आपकी तो हैसियत ही नहीं है, मैं मुख्य मंत्री से कम तो आरोप ही नहीं लगाता हूं। यहां तक भी कहा गया है। केवल इतनी बात नहीं है, आपने स्वयं भी सुनी है, रिकार्ड पर है कि आपकी तो हैसियत ही नहीं है, मैं आपसे क्या बात करूं। और.....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या आरोप हुआ यह कहना कि मैं तो उसके नीचे आरोप नहीं लगाता। यह कोई आरोप हो गया क्या?

श्री अध्यक्ष: यह कोई आरोप नहीं.....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कह भी दिया कि मैं तो मुख्य मंत्री से नीचे आरोप नहीं लगाता तो यह आरोप थोड़े ही हो गया?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...बीच में प्रतिपक्ष के नेता खड़े हो गये। (व्यवधान) इनका मान-सम्मान हम करते हैं

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय महावीरजी आपने कहा, अगर शब्द का इस्तेमाल किया.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बोल रहे थे और बीच में प्रतिपक्ष के नेता महोदय खड़े हो गये और आपने यह कह दिया, बैठ जाओ। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हम इनका मान-सम्मान करते हैं, तो एक मंत्री भी बोल रहा था तो आपने बीच में ही डांट दिया कि बैठ जाओ, इस तरह डांटने का आपको भी नहीं करना चाहिए था, मेरा यह है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कई देर से इस विधान सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया और सीधे आपस में बातचीत करने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा नहीं है। फिर विपक्ष के नेता के सामने मंत्री उनको दबाने की कोशिश करे, यह तो बहुत शर्मनाक बात है। आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद कोई विवाद नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय खनन मंत्रीजी को सदन के सामने खेद प्रकट करना चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री, सदन के नेता के ऊपर जिस हिसाब से आरोप लगाये और मैं बोल रहा था, उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे बैठने को इंगित किया इसलिए प्रतिस्वरूप मैंने इनको कहा कि आप भी बैठ जाइये। मैं अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं, यह बात थी।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये। माननीय सदस्यगण, जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे उन्होंने बैठने को कहा और मैं बैठ गया। अब चाहे वो अपना खेद प्रकट करें चाहे न करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जैसा चाहें वैसा करें। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस सदन जो राजस्थान की 5 करोड़ 65 लाख जनता के विश्वास को लेकर उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है, उसके सामने किसी की ईगो नहीं हुआ करती। कोई ईगो किसी के नहीं होना चाहिए, न कोई अहम् होना चाहिए। कभी भी किसी से कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो मेरी समझ में, मैंने तो पूर्व में देखा है कि चाहे सदन के नेता रहे हों, चाहे प्रतिपक्ष के नेता रहे हों और चाहे कोई और माननीय मंत्री रहे हों, कभी भी किसी को खेद प्रकट करने में इस बात पर थोड़ा बहुत ही संकोच नहीं हुआ कि यदि आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो मुझे उसके लिए खेद है। क्या बात है? इसलिए मैं भी मंत्रीजी पर ही छोड़ती हूं। जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उनके कहने से वो बैठ गये। वो खेद प्रकट करें चाहे नहीं करें। सदन की परम्पराओं को यदि आपको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि इस सदन के सामने किसी का न कोई अहम है न ईगो रखना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च सदन है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रोसीडिंग दिखवा लें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जब मुख्य मंत्रीजी और सदन के नेता के ऊपर जिस हिसाब से आक्षेप लगाये और वह बात थी जब मैं बोल रहा था, मैं उसको प्रोटेस्ट कर रहा था, अध्यक्ष महोदय आपसे इंगित करके तब प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे बैठने को कहा। जब मैंने कहा, आप बैठिये, मैं अपनी बात पहले रख रहा हूं। यह बात थी। प्रतिपक्ष के नेता के स्वाभिमान पर, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी। जब मैं अपनी बात प्रस्तुत कर रहा था, माननीय सदस्यों ने बात की थी तो मैंने आपको कहा, आप बैठिये, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसमें इनको ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी और ऐसी कोई बात नहीं की, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लो। हां, करते ही हैं इनका मान सम्मान, यह बात थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबकी बात सुनते हैं हमारी भी बात सुनिये। जो बड़े लोग होते हैं वह अपनी बात, आपने कहा कि सारी कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जो फलदायी पेड़ होते हैं वो झुकते हैं और जो फलदायी पेड़ नहीं होते हैं, वो कभी नहीं झुकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो फल देने वाला पेड़ है वह हमेशा झुकता है और जो पेड़ फल ही नहीं देता है वह झुकेगा नहीं।

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।

और बड़े लोग वही होते हैं जो अपने आपकी गलती को सारी मानते हैं। इस सदन को अगर आपको सुचारु रूप से चलाना है और आपको इस गरिमामय परम्परा को कायम रखना है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसी बात को शर्म नहीं करें, अगर अध्यक्ष महोदय इस बात को कहेंगी तो हम भी इस बात को मानने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: अब छोड़ दीजिए न इस बात को।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्रतिपक्ष और पक्ष के दोनों नेता की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है तथा सदन को कोई ठेस पहुंचाता है तो सॉरी कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता हमारे सब के लिए सम्माननीय हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार उत्तेजना के ऐसे क्षण पैदा भी हो जाते हैं, आज अच्छा यह रहता कि वो भी, प्रतिपक्ष नेता भी अगर कुछ माननीय मंत्रीजी को कहना चाहते हैं तो वह आपके माध्यम से कहते और मंत्रीजी भी प्रतिपक्ष के नेता से कुछ आग्रह या कुछ प्रार्थना करना चाहते तो आपके माध्यम से करते। आपके प्रति हमारा सब का मान-सम्मान है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करुंगा कि इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना न तो मंत्रीजी चाहते थे, न हम चाहते थे, जो कुछ हुआ उत्तेजनावश हुआ और अब आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अब काहे को आप इस बात का इश्यू बना रहे हो ? क्यों इश्यू बना रहे हो इस बात को?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, एक शायर ने सही कहा है कि

खमे आसमां का नजारा करो तुम।
जमाने में झुककर गुजारा करो तुम।
झुकेगा वही जिसमें जान है,
अकड़ तो खाली मुर्दे की पहचान है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रजातंत्र की रक्षा आप भी तो करो। प्रजातंत्र की रक्षा आप भी तो करो, माननीय सदस्यगण। क्या कर रहे हो? तमाशा लगा दिया, क्या तमाशा लगाते हो? माननीय तगारामजी, बैठें आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई विचार नहीं था, मैं इनका मान-सम्मान करता हूं और सबसे ज्यादा मान-सम्मान करता हूं। मैं मात्र भूलवश अपने विचार रख रहा था। इन्होंने मेरे को आवेश में कहा कि आप बैठ जाओ, मैंने कहा पहले मेरी बात सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारी बातें समाप्त हो गईं, इसके साथ ही बहुत बड़ी बात कह दी, सारी बात समाप्त हो गई (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, इन्हें स्थान पर जाने को कह दो आप ताकि आगे की कार्यवाही चले।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की गरिमा का ध्यान आप भी तो रखा करो। आप भी तो रखा करो ध्यान। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कह दूं, एक ही बात है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने का अधिकार तो है, उन्हें बोलिए। बोलिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का हम सब सम्मान करते हैं, मंत्रीजी को कोई उनको ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी। फिर भी यह बार-बार कह दिया है, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे बहुत सम्मम्ननीय हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और पद के रूप में भी, इसलिए आप इसको इश्यू नहीं बनाएं। अब इनको कोई ठेस पहुंची है तो, उस समय के वातावरण से जो ठेस पहुंची है, हम किसी भी प्रकार से पूरा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और ईश्वर से यही कामना करते हैं, आप वहीं विराजे रहें, हम आपका सम्मान करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वर्षों-वर्षों तक विराजे रहें और हम आपका सम्मान करते रहें।

श्री अध्यक्ष: हो गई बात अब खतम करो न बात को। कम से कम इस पर मेहरबानी करें आप, माइक पर मेहरबानी करें आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मेरे को तो कोई एतराज नहीं है और आपको जब एतराज होने लग गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अब मांगें पारित करवा रही हूं। ठीक है, किरोड़ी लाल जी को सुनना चाहते हो तो मैं कहूं, वर्ना मैं मांग पारित करवा रही हूं। (व्यवधान) सुनना चाहते हो तो सब लोग स्थान पर जाएं। ऐसा है, देखिए सुनिये, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। अब आप आसन को सुनिये। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन यह जरूर उन्होंने कहा कि आप बैठिये और यह कहने का अधिकार उनको नहीं था। अब हो गई बात खतम, अब अपने-अपने स्थानों पर जाइए। यह कहने का स्थान उनको नहीं था, यह मैंने कह दिया। बस, अब आप बैठिए, अपने-अपने स्थानों पर जाइए। हो गई, बात अब खतम

(श्री अध्यक्ष)

हुई। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, now I request you, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप अपने माननीय सदस्यों को यह कह दें कि वो अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं ताकि आगे की कार्यवाही चल सके। माननीय नेता प्रतिपक्ष, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात और कह देती हूं कि भविष्य में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष को कोई जब वो खड़े हों तब न तो कोई खड़ा होगा और न कोई यह कहेगा कि आप बैठिये। यह कोई नहीं कहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन की आज्ञा सर्वोपरि है, अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया उसकी पालना करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था देने के बाद भी सत्ता पक्ष उसको नहीं मान रहा है इसका तो मुझे दुःख है लेकिन....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम तो पूरी तरह से मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें आप प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष आपकी दी गई व्यवस्था को नहीं मान रहा है और उसमें आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करता जा रहा है, इंसिस्ट करता जा रहा है। मेरी भावनात्मक और दिली इच्छा यह है कि सदन की कार्यवाही जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली है आज, और अब तक चलती आ रही है, वह चले, कोई कंट्रोवर्सी अन-नैसेसरी उपस्थित नहीं हो। मान्यवर, यह तो आप मानेंगे कि प्रथम स्थान स्पीकर का, उसके बाद लीडर आफ हाउस का और नैक्स्ट नेता प्रतिपक्ष का होता है...

श्री अध्यक्ष: हां, नेता प्रतिपक्ष का, यह सब मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लीडर आफ हाउस भी प्रतिपक्ष के नेता को नहीं कह सकता कि आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं कह सकता, यह तो मैंने कह दिया है, नहीं कह सकता। किसी को यह अधिकार नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और आप भी कहती हैं तो विनम्रतापूर्वक कहती हैं कि आप एक बार बैठिये। इन्होंने ऐसी कोई भावनावश बात नहीं थी, मैंने उनको कहा था कि आप एक बार बैठिये, यह मैंने कहा था, यह बात सही है...

श्री अध्यक्ष: हां, कहा है इन्होंने, यह बात कही थी कि एक बार आप बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता था और वह जो आरोप लगाया था उसमें यह स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने भी मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। यह मैं कहना चाहता था क्योंकि मैंने पूछ लिया था सबसे, क्या लगा दिया। यह बात मैं कहना चाहता था और वो भाषण दिये जा रहे थे तो मैंने कहा कि आप बैठिये, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिये। तो प्रतिपक्ष के नेता को नहीं कहना चाहिए। इसमें कोई मुझे, गरिमा और परम्परा तो है लेकिन भगवान उनको सद्‌बुद्धि दे, मैं उनको छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल ठीक। वैरी गुड। वैरी गुड। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग है पुअरेस्ट आफ दी पुअर और मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि आज शायद मेरे बोलने का नम्बर नहीं आता दिखता है। वैसी भी बड़ी कृपा रही मात्र ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आपके व्यवहार के कारण है।

श्री अध्यक्ष: आप यहां व्यवहार की वजह से करते हैं क्या, जो कुछ करते हैं, कि तथ्यों के आधार पर करते हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मात्र दो सदस्यों ने विचार प्रकट किये। या तो मेरे विभाग से पूरी तरह से खुश हैं। इसका जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था, आपके विभाग से ज्यादातर सदन संतुष्ट है। या यह है कि इस मुद्दे पर लोगों की रुचि कम है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, संतुष्ट हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन राज्य सभा की प्रोसीडिंग सुनने के लिए गया था, सभापति माननीय श्री भैरोंसिंहजी थे। वहां शरद पवारजी एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो चेयर से ही भैरोंसिहजी ने सवाल किया कि गरीब के पेट तक गेहूं पहुंचाना आप कैसे सुनिश्चित करोगे। उसका जवाब शरद पवारजी नहीं दे सके। बीपीएल का गेहूं है, एपीएल का है, एवाई का है, अन्नपूर्णा का है आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि उस गरीब के पेट तक गेहूं पहुंच जाए? अध्यक्ष महोदय,

(डा. किरोड़ीलाल मीणा)

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने राजस्थान में एक ऐसी योजना लागू की जिसका नाम है राशन टिकट। आपकी जानकारी में नहीं आया होगा, राशन टिकट में हमने उपभोक्ता को बारह महीनों के बारह राशन टिकट दिये बीस किलो, पन्द्रह किलो के दो बनाकर। वो चैक बुक टाइप है, अध्यक्ष महोदय, उसको उपभोक्ता पीडीएस की दुकान पर ले जाता है, वो काटकर उसमें से देता है और उसको उसका गेहूं मिल जाता है। उसका रीकंसिलिएशन डीएसओ आफिस में होता है। एक दाना भी दायें-बायें एफपीएस दुकानदार कर नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब देश भर के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ तो शरद पवारजी ने इस राशन टिकट की भूरि-भूरि प्रशंसा की और सभी राज्य सरकारों को यह कहा कि राजस्थान की सरकार ने जो राशन टिकट लागू किया है उस राशन टिकट को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। बिहार की सरकार ने किया। अभी हमारे लखनऊ में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की हुई थी, उसमें इसको स्वीकार किया और बिहार की सरकार ने उसको लागू किया है। मैं इसको अभी तो चूंकि बीपीएल की सूची पूरी तरह से हमारे पास आयी नहीं है, आ जाएगी तो हम उसको स्थायी रूप से लागू कर देंगे राजस्थान में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनके यहां कोई डीलर था रघुनाथपुरा में। मैंने पता भी कर लिया, डीएसओ से बात कर ली। इन्होंने हलके-फुलके शायद भ्रष्टाचार की और उस मुकदमे की भी चर्चा की। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि झुंझुनूं का डीएसओ एक ऐसा डीएसओ है जो किसी की चाय भी नहीं पीता। सबसे ईमानदार डीएसओ है।

श्री अध्यक्ष: हां, यू आर करैक्ट।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसकी वो ताइद ठोक रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो एफपीएस का दुकानदार था, बलवान इसका नाम है, इसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के मुकदमे लगे। इसका लाइसेंस सस्पैंड हुआ। जांच में यह दोषी पाया गया लेकिन कलक्टर के यहां अपील में चला गया। अपील क्वासी जुडीशियल सिस्टम है जिसमें न तो मंत्री कुछ कर सकता न डीएसओ कुछ कर सकता। कलक्टर के

(डा. किरोड़ीलाल मीणा)

यहां से इनको मौका मिल गया और ये अभी बहाल चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं उसके खिलाफ हैं तो आप मेरे को लिख कर दे दें, मैं उसकी जांच कराऊंगा और दोषी पाया गया तो उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब उन्होंने बात कह दी। नो-नो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नहीं कह दी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: विराज जाएं आप। बहुत अच्छा, बैठो, बैठो। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलें अब आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ एक्साइज ...

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सुना है और माननीय सदस्य ने भी सुना होगा कि अगर वो चोर है, भ्रष्ट है तो हमारा विभाग उसको बख्शेगा नहीं। (व्यवधान) आप शिकायत दें। शिकायत दें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: आप बीच में बोलते हैं गलत बात है आपकी। यह क्या तरीका है आपका? जवाब आप सुनिये। नेता प्रतिपक्ष, समझाएं इनको। नेता प्रतिपक्ष। यह क्या तरीका है आपका?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: आप चाहें जिस पर, जब आप चाहें जो बात कर लेते हैं, यह क्या तरीका है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: आप ऐसा क्यों कर रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग में 68 कटौती प्रस्ताव आये हैं जिनका जवाब मैं भिजवा दूंगा। और 68 के हिसाब से मैं तैयारी भी करके आया हूं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ जो दुकान आपस में अटैच कर रखी हैं एक या एक से ज्यादा, उनके निर्देश टेलीफोन से डीएसओ को दे दिये हैं और सात दिन के बाद में वहां पर इण्टरव्यू चालू हो जाएगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): यह सब जगह की व्यवस्था रखी है क्या?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सबकी, पूरी राजस्थान की है। वैसे हमने निर्देश दे रखे हैं पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था इसलिए इनकी बात है।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। सुन लें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दूसरा उन्होंने कही अतिरिक्त डीलर नियुक्त करने की बात, तो यह हम नहीं करते, भारत सरकार करती है। लेकिन हम इनका पत्र भिजवा देंगे भारत सरकार को और कम्पनीज को। तीसरा, बीपीएल और एपीएल का आबंटन बढ़ाने की बात इन्होंने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े मैं आपको दूं जो भले ही चौंकाने वाले हैं, हमारे राजस्थान में एपीएल के परिवारों की कुल संख्या एक करोड़ दस लाख है और 2006-07 की अवधि के दौरान एपीएल परिवारों के लिए राज्य को 1,57,682 मैट्रिक टन गेहूं मिला करता था। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया 23.5.2006 को, आप सभी ढंग से सुन लो, जिसमें उन्होंने कहा कि मात्र 16959 मैट्रिक टन गेहूं दिया जाएगा ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गेहूं नहीं उठाया पहले एपीएल का, जब भारत सरकार ने कहा है। जो आपको गेहूं अलाटमेंट था वह आपने नहीं उठाया कि राजस्थान को जरूरत नहीं है इसलिए कम हुआ है ।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप जब चाहे खड़े हो जाते हैं, यह अधिकार किसने दिया आपको ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साहब, सौ प्रतिशत असत्य को कैसे सुनेंगे? कल-परसों ही अख़बार में आया है कि एपीएल का गेहूं इन्होंने टाइम पर नहीं उठाया इसलिए केन्द्र सरकार ने कम किया था ।

श्री अध्यक्ष: आपको सुनना पडेगा, आप बाद में कहें जो आपको कहना है । अंकित नहीं हो ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अध्यक्ष: जो बीच में बोल रहा हो किसी का अंकित नहीं हो ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): xxx

श्री अध्यक्ष: यह आपके सदस्य बोले जा रहे हैं समझाइए आप इनको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एपीएल और बीपीएल का कोटा जो राजस्थान सरकार ने उस समय नहीं उठाया, भारत सरकार ने यह कह कर बंद कर दिया कि आपने वह उठाया नहीं। इसलिए उन्होंने कम कर दिया, यह बात आप तस्दीक कर दो, क्या यह सही है ।

श्री अध्यक्ष: आप बताइए जो प्रतिपक्ष के नेता पूछ रहे हैं ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमको 10 प्रतिशत गेहूं अब मिल रहा है । गेहूं की मात्रा बढ़े..

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह सही है क्या कि आपने नहीं उठाया ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप मेरी प्रार्थना सुन लें । गेहूं की मात्रा बढाये जाने के लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को बार-बार पत्र लिखे, मुख्य मंत्रीजी ने लिखे, मैंने लिखे और व्यक्तिशः: मुख्य मंत्रीजी ने प्रार्थना की, लेकिन भारत सरकार ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारा गेहूं बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके इलाके में भी होगी, अब हमारी मांग बराबर बढ़ रही है । जगह-जगह एपीएल गेहूं की मांग इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई कि अब मार्केट में गेहूं हो गया 1000-1100 रुपये और एपीएल की कीमत है 6 रुपये 80 पैसे। मैं पुन: प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको राजस्थान के गरीबों की इतनी चिंता है तो हमारा जो गेहूं 90 प्रतिशत काट दिया, इस कोटे को बढ़वाने की कृपा करें जैसा बेनीवालजी ने कहा है ।

अध्यक्ष महोदय, बीपीएल के आबंटन बढ़ाने की बात आई। वर्तमान में राज्य में कुल ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवारों की संख्या 25.84 लाख है और बी.पी.एल. का गेहूं हमको मिल रहा है मात्र ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बढ़ाने में तो हम आपके साथ प्रयत्न करेंगे, लेकिन, प्रभु, यह तो बता दो, आपका कोटा टाइम पर नहीं उठा था क्या? जब भारत सरकार यह कह रही है कि आपने चूंकि कोटा नहीं उठाया इसलिए हम इतना घटा रहे हैं ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि हम जो हमारा कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कृपया उस कोटे को बढ़वाने में हमको सहयोग प्रदान करें ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वर्तमान में मैं कैसे कह दूं? आप मेरे मुंह में बात डालोगे, आपके कहने से कैसे कह दूं ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मेरे से उम्मीद है तो मेरे को भी भारत सरकार से उम्मीद है, आप जाकर भारत सरकार को कहें कि हमको जितना कोटा मिलता था वह मिले ।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान में ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवार मिल कर 25.84 लाख परिवार हैं और हमको बीपीएल में भी भारत सरकार 24.31 लाख परिवारों का गेहूं दे रही है, 1.53 लाख का शार्ट फाल चल रहा है। हरिमोहनजी 1.53 लाख लोगों को आप गेहूं नहीं दे रहे हैं। एक लाख परिवार एएवाई के ऐसे हैं जिनको भी भारत सरकार गेहूं नहीं दे रही। मेरे कहने का लब्बोलुबाब यह है कि 2.53 लाख ऐसे गरीब हैं राजस्थान में जिनके पेट में दाना जाना चाहिये, उनको भारत सरकार गेहूं नहीं दे रही है। 2.53 लाख यह बहुत बडी संख्या है । जहां एक तरफ हमारे कटमोशन के जरिये आये हैं, और बेनीवालजी ने भी कहा था कि आबंटन बढ़ना चाहिये। आबंटन भारत सरकार बढ़ा नहीं रही। हम बार-बार भारत सरकार को बीपीएल का कोटा बढ़ाने का भी पत्र लिख रहे हैं और एपीएल का भी कोटा बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति अंत्योदय अन्न योजना में है। राजस्थान में 9.32 लाख एएवाई के परिवार हैं, इन 9.32 लाख में एक लाख ऐसे परिवार हैं जिनको गेहूं नहीं दिया जा रहा है । भारत सरकार को हमने कई बार पत्र लिख दिया लेकिन भारत सरकार इस चीज की परवाह नहीं कर रही है। बल्कि भारत सरकार ने हमको यह लिख कर दे दिया कि जो 24.31 लाख आपकी बीपीएल की सीमा है, जिसके लिये हम आपको गेहूं दे रहे हैं, उसी में से आप एएवाई के एक लाख लोगों को दो। भारत सरकार ने इनके लिये भी गेहूं देना मुनासिब नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अन्नपूर्णा योजना है, 10 किलो गेहूं इसमें निःशुल्क दिया जाता है। अन्नपूर्णा

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

योजना में राजस्थान में कुल चयनित व्यक्ति 2 लाख 6318 हैं और गेहूं मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े देख कर आपको भी अफसोस होगा, 1 लाख 5293 व्यक्तियों के लिये। 1 लाख 1025 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गेहूं नहीं मिल रहा । उनके लिये हमारी आवश्यकता है 12123 मैट्रिक टन गेहूं की । उसको राजस्थान की सरकार दे रही है । मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार न एपीएल का गेहूं दे रही है, न बीपीएल का गेहूं दे रही है, न एएवाई का गेहूं दे रही है, न अन्नपूर्णा का गेहूं दे रही है । मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप गरीबों के बहुत रखवाले और किसान के बेटे हो, आप मेरी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाएं तो इन गरीबों का कल्याण हो सकता है । गरीब आपको दुहाई देंगे तो आप प्रतिपक्ष के नेता सदा बने रहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी, आप तो यह बताओ कि निवाई के एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की फाइल कलक्टर ने आपके पास भेजी हुई है, 5 करोड के घोटाले की, और आपसे जब फोन पर लोगों ने पूछा तो कह दिया कि शीघ्र कार्यवाही कर देंगे। कलक्टर लिख रहा है सस्पैंड करने की, आप कह रहे हो कि मैं मेरे विभाग में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करुंगा और उसको एपीओ करके आपने इसकी इतिश्री कर ली। 5 करोड़ का एपीएल का, बीपीएल का, अंत्योदय का, केरोसीन का यह सारा मामला खा गया, पूरी जांच करके कलक्टर ने आपको चिट्ठी लिखी है और आपने उसको खाली एपीओ किया है । आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: आपने मांग की चर्चा में यह मांग उठाई थी क्या, यह बात बताई थी क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है । मेरी पार्टी ने अगर नाम नहीं दिया तो जरूरी थोड़े ही है रोज ही बोलें ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपका कटौती प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका कटौती प्रस्ताव दिया है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है ।

श्री अध्यक्ष: फिर ठीक है ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने कटौती प्रस्ताव दिया है, सुनो तो सही, गर्म क्यों हो रहे हो? आपने कटौती प्रस्ताव दिया है आप बोले नहीं, लेकिन आपके हाथ में जब तक कटौती प्रस्ताव का जवाब पहुंचेगा उसके पहले इसके निलम्बन के आदेश हो जाएंगे। अब बोलो, कितनी जबरदस्त सरकार है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करो, बोलने नहीं बोलने से क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: कर रहे हैं, बता दिया न आपको ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एलपीजी के मामले की बात माननीय बेनीवालजी ने उठाई । इन्होंने नई गैस एजेंसी खोलने की बात कही तो यह हम खोल नहीं सकते । हमने भारत सरकार को लिख दिया, और लिख देंगे । लेकिन हमने इसमें एक बात कही कि धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिये गैस सप्लाई की एक विशेष कैटेगरी बनायी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण ब्लैक होता है। शादी हो, दूसरे सामाजिक कार्यक्रम हों, और कोई कार्यक्रम हों, उसके लिये एक स्पेशल कैटेगरी बना कर स्पेशल कोटा राजस्थान के लिये भारत सरकार रिलीज करे, इसका पत्र भी विभाग के अधिकारियों ने लिखा, मैंने भी लिखा । हमने लिखा है कि डोमेस्टिक एवं नान डोमेस्टिक शादी ब्याह इत्यादि में घरेलू गैस सप्लाई करने की दृष्टि से एक नई कैटेगरी स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार को अनुरोध किया जाए। इसका भारत सरकार ने हमको मना ही कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मना ही नहीं किया भारत सरकार ने, मैं सदन को बताना चाहूंगा, एक नीतिगत फैसला और कर लिया है, अब तक तो सबको मिल रहा था, अब भारत सरकार ने यह जो गैस का है इसके लिये ज्यों का त्यों रखा है, किसी प्रकार की कोई स्पेशल सप्लाई नहीं की जाएगी। स्पेशल सप्लाई नहीं की जाएगी उसके बावजूद भी हमने विभाग की तरफ से प्रभावी कार्यवाही की। तेल कम्पनी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई। रसद अधिकारी, तेल अधिकारियों के द्वारा छापे डाले गये। जांच के अंदर जो दुरुपयोग पाये गये, कालाबाजारी पाई गई, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ और वाहनों पर छापे डाले गये। ऐसे सेंटर जहां पर आटो एलपीजी प्लांट नहीं हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन अंकित नहीं हो, यह भी हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखा है। स्केयरसिटी के कुछ कारण

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

हुए-शीत-ऋतु थी, शादी विवाह थे और अन्य कुछ सामाजिक कार्यक्रम थे। उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेण्डर को वाहनों में उपयोग करने के कारण भी स्केयरसिटी बढ़ी। स्केयरसिटी बढ़ी तो हमने भारत सरकार को प्रार्थना की। भारत सरकार के दिनेश राज पटेल मंत्रीजी का पत्र 6 फरवरी, 2007 का मिला कि जो आप विशेष कैटेगरी चाहते हो, उसको आपके अनुरोध को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, मैं कहना चाहूंगा, अगर विशेष कैटेगरी...

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के तो चार ही आदमी रह गये, पांच ही रह गये। नेता प्रतिपक्ष के साथ तो पाँच ही रह गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आ रहे हैं पानी वगैरह पीकर...(व्यवधान) मंत्री महोदय, एक निवेदन यह है कि सतर्कता समितियां बनाई हुई हैं जिला स्तरीय भी और तहसील स्तरीय भी, इनमें अन्य के अलावा स्थानीय विधायक भी हैं, आप तो बता दीजिए, पिछले तीन साल में हमारे सामने तो जिले में एक भी मीटिंग आज तक हुई नहीं, इन मीटिंग्स को क्यों नहीं चालू कराते?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आ रहा हूं इसी फालो पर। अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति केरोसिन की है। हमें इस समय राजस्थान में 53.862 किलोलीटर केरोसिन की आवश्यकता है और हमको मात्र 42.717 किलोलीटर मिल रहा है। 11.145 किलोलीटर हमको कम मिल रहा है। भारत सरकार को मुख्य मंत्रीजी ने, मैंने, विभाग के अधिकारी ने एक दर्जन से ज्यादा पत्र लिखे, लेकिन वहां तो जूं भी नहीं रेंगती। इसलिए हम गैस में पिट रहे हैं, हम केरोसिन में पिट रहे हैं, हमको केरोसिन भी पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार नहीं दे रही। बल्कि भारत सरकार ने यह मन बना लिया है, सिद्धान्ततः "The Government has accepted the recommendations of Dr. Rangarajan Committee report and has decided, in principle, that subsidy on PDS kerosene will be limited to BPL families only." बाकी को कुछ नहीं मिलने वाला, वहां तक उसको करने जा रहे हैं। बाकी के उपभोक्ताओं का भी ये गला घोटने में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 22326 उचित मूल्य की दुकानें हैं, 720 रिक्त हैं जिनको हमने भरने के निर्देश दे दिये हैं, इनको भर दिया जाएगा। 4245 सहकारी दुकानें, जनवरी, 2003 के बाद अब तक 3978 नई दुकानें खोली जा चुकी हैं। किसी माननीय सदस्य को इस बारें में पूछना हो...

श्री अध्यक्ष: दुकानें खोलकर क्या करोगे ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उचित मूल्य दुकान की हमने सलाहकार समिति बना रखी है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सामान ही नहीं मिल रहा आपको दिल्ली से, तो ये दुकानें किसके लिए खोल रहे हो? अध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं, जब आपको केरोसीन नहीं मिल रहा, एलपीजी गैस नहीं मिल रही, आपको गेहूं नहीं मिल रहा, तो फिर ये दुकानें किसके लिए खोल रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सोनियां गांधी के लिए।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह राशन कार्ड लेकर आ जाएंगी और गेहूं ले जाएंगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सोनिया गांधीजी दुकान में तो ...(व्यवधान) पूरे देश के लोग आते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) वहां से उठ जाएगी और आप जो दिखते हो न, छोड़-छोड़कर भाग जाओगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी शुरूआत हो गई डूंगरपुर से। आपकी शुरूआत हो गई है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब तक देश में प्रजातंत्र है, जब तक इस देश में डैमोक्रेसी है, कांग्रेस की दुकान नहीं उठ सकती। फासिस्ट ताकतें अगर कोई दूसरा इंतजाम कर देती हैं तो बात अलग है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब ये पुरानी बातें हो गई। फासिस्ट, फासिस्ट का नाम लेकर केवल सोनिया गांधी के नाम पर अपनी नाव तैराना चाहते हो, अब वे पुरानी बातें, गई-गुजरी हो गई। अब तो जाने की तैयारी करो। या ता काम करो, नहीं तो जाना पड़ेगा। जैसे भैंस में छिछड़े छोड़-छोड़कर जाते हैं न, वैसे छोड़-छोड़कर जाओगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जाने का तो आप लोगों का नम्बर है एक-सवा साल बाद। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब आपकी भी शायद रुचि कम हो गई है, इसलिए कम करूंगा। माननीय सदस्य ने पूछा, आपने कहा, दुकान में सामान नहीं है। दुकान में

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

सामान तो भारत सरकार के कारण नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा कि जिला सतर्कता समिति आपकी क्या कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन सतर्कता समितियां बना रखी हैं-एक, जिला स्तर पर, एक उपखण्ड स्तर पर और एक एफपीएस के स्तर पर। हमने दिशा-निर्देश दे रखे हैं कि उनकी मीटिंग हो। अगर कहीं मीटिंग नहीं हुई है तो पुन: दिशा-निर्देश दे देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की कुछ उपलब्धियां आप कहें तो मैं गिना दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब रहने दो। 11 बजने आए, अभी आधा घंटा और लगेगा। आपसे सब संतुष्ट हैं, सब राज़ी हैं। आपके जवाब से संतुष्ट है सदन। 10.56 हो रहे हैं, आधा घंटा मुख बंद का लगेगा इसलिए अब आप कृपा करो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं कुछ घोषणाएं तो कर दूं?

श्री अध्यक्ष: हां, घोषणा कर दो। घोषणा कर दो आप तो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना के खाद्यान्न वितरण में संशोधित बीपीएल सूची के प्रकाशन के बाद राशन टिकट प्रणाली स्थाई रूप से रखी जाएगी।

दूसरा, उपभोक्ता निदेशालय का गठन कर इसे कार्यशील किया जाएगा, इसकी बजट में घोषणा हो चुकी है। रिक्त उचित मूल्य दुकान के आबंटन में महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो उचित मूल्य दुकानें रिक्त होंगी उनके आबंटन में राज्य सरकार में एस.टी, एस.सी., ओ.बी.सी. जाति के व्यक्तियों के लिए प्रचलित आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण लागू किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की रोकथाम-पारदर्शिता लाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से तटस्थ आडिट व्यवस्था लागू की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल परिवारों और अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों के राशन कार्ड एवं अन्य विभागों द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर राज्य के चयनित जिलों के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्ड की परियोजना तैयार की जाएगी। पायलेट बेसिस पर टौंक

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

और झालावाड़ में यह चालू हो गई है। राज्य के सभी जिलों में स्थापित जिला मंच उपभोक्ता सरंक्षण को उपभोक्ता हितैषी स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंच में उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार के माध्यम से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सूचना का अधिकार हैल्पलाइन स्थापित किये जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32 पारित की जाए।

मांग संख्या-8 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,61,73,000/- (दो अरब सैंतालीस करोड इकसठ लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाएं ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,62,36,000/- (बयालीस करोड़ बासठ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29- का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,34,75,51,000/- (तेरह अरब चौंतीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(समय : 23.00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–32 का पारण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,27,62,000/- (तैंतालीस करोड़ सत्ताइस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,13,18,000/- (उन्नीस करोड़ तेरह लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2–मंत्रीपरिषद

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,94,63,000/- (पांच करोड़ चौरानवे लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3–सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,21,98,72,000/- (सोलह अरब इक्कीस करोड़ अठानवे लाख बहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 4–जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,83,63,000/- (एक अरब छियालीस करोड़ तिरासी लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,52,96,000/- (चौवन करोड़ बावन लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,29,49,000/- (चौदह करोड़ उनतीस लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9–वन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,39,96,19,000/- (दो अरब उन्तालीस करोड़ छियानवे लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,57,57,000/- (चौदह करोड़ सतावन लाख सतावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,04,38,000/- (तेरह करोड़ चार लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12–अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,40,65,000/- (पचपन करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13–आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13- आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,02,73,000/- (उनसठ करोड़ दो लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 14–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,31,04,000/- (एक अरब चार करोड़ इकत्तीस लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,54,41,63,000/- (छब्बीस अरब चौवन करोड़ इकतालीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,13,65,000/- (ग्यारह करोड़ तेरह लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,66,30,000/- (दो अरब ग्यारह करोड़ छियासठ लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,11,43,000/- (सड़सठ करोड़ ग्यारह लाख तैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,91,49,000/- (उनहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31–पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,62,000/- (चौदह लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,00,60,82,000/- (आठ अरब साठ लाख बियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,88,81,14,000/- (छह अरब अठासी करोड़ इक्यासी लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,72,58,71,000/- (छह अरब बहत्तर करोड़ अठावन लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36–सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,14,43,000/- (एक अरब तीस करोड़ चौदह लाख तैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,97,61,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ सतानवे लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,63,000/- (पचानवे लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,17,70,76,000/- (आठ अरब सत्रह करोड़ सत्तर लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,58,67,000/- (छिहत्तर करोड़ अठावन लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,01,27,000/- (चालीस करोड़ एक लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,13,06,000/- (चौदह करोड़ तेरह लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,32,18,000/- (चालीस करोड़ बत्तीस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,38,50,38,000/- (छब्बीस अरब अड़तीस करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज

(श्री अध्यक्ष)
संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,07,61,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,25,06,000/- (सत्तर करोड़ पच्चीस लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2007

पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक, श्री वीरेन्द्र मीणा।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.15 बजे गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगंज की बी.पी.एल. परिवारों के चयन में व्याप्त अनियमितताएं

156. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कितने-कितने बी.पी.एल. पात्र परिवारों को सूची में रखा गया है ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के बी.पी.एल. सूची से वंचित परिवारों की तरफ से अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बी.पी.एल. सूची से वंचित परिवारों को सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार द्वारा बी.पी.एल. सूची में वंचित व्यक्तियों के लिए क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं ? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 11189 परिवार चयनित हैं जिनमें से पंचायत समिति किशनगंज में 7855, शाबहाद पंचायत समिति में 2535 एवं पंचायत समिति अन्ता की 4 ग्राम पंचायतें एवं एक ग्राम पंचायत के एक ग्राम में 799 पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में रखा है। पंचायतवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नाम जोड़ने व हटाने हेतु कुल 7957 अपीलें प्राप्त हुई हैं जिनमें पंचायत समिति किशनगंज में 4815, शाहबाद में 2659 एवं अन्ता में 483 अपीलें प्राप्त हुई हैं।

(3) जी हां। इसके लिए अपीलें प्राप्त होने पर गुणावगुण पर विचार कर नाम सम्मिलित किये जाते हैं। आगामी सूची बनने तक यह सतत प्रक्रिया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार द्विस्तरीय अपील का प्रावधान किया गया है। जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-ब)

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले के ऐतिहासिक/पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यकरण-जीर्णोद्धार

157. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार के पास जोधपुर शहर के विभिन्न ऐतिहासिक पुराने दरवाजों (गेटों) का पुनरुद्धार करने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन अथवा प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किस मद में कितनी राशि स्वीकृत की जानी है व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार के पास राजस्थान राज्य की न्यायिक व सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर शहर को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने हेतु किसी प्रकार की कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जोधपुर शहर व जिले के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यकरण व जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रावधान से जोधपुर शहर स्थित पुराने दरवाजों का पुनरुद्धार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। पुराने दरवाजों के पुनरुद्धार (Restoration) कार्य के लिए वास्तुविदों-सलाहकारों (Architect consultants) द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली रिपोर्ट एवं तखमीने (Report & Estimate) के अनुरूप बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रावधान स्वीकृत कराया जायेगा।

(2) जी नहीं। पर्यटन विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रावधित (Provided for) सीमित बजट आबंटन के अनुसार पूरे राज्य में पर्यटन विकास से सम्बन्धित कार्य कराए जाते हैं।

(3) जी हां। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष

(पर्यटन मंत्री)

2006-07 में आयोजना मद के अन्तर्गत जनान महल मण्डोर (जोधपुर) पर रुपये 11.33 लाख का संरक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रावधान से निम्न स्मारकों का पुनरुद्धार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है :-

1. देवताओं की साल या वीरों की दालान, मण्डोर, जोधपुर
2. सिटीवाल, जोधपुर
3. विष्णु मन्दिर, लाम्बा, जोधपु
4. देवल्स, मण्डोर, जोधपुर
5. महामन्दिर, जोधपुर
6. फलौदी फोर्ट, जोधपुर

बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

158. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बंजारा समाज को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने हेतु काफी समय से मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो इस मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 58952 दिनांक 17.10.1981 से भारत सरकार को सिफारिश की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28.10.1999 से सूचित किया कि जनगणना आयुक्त की राय के अनुसार बंजारा तुलनात्मक समुदाय से एक अग्रणी समुदाय है, बंजारा समाज में हमेशा जनजाति की विशेषताएं नहीं पाई जाती एवं ये अक्सर मैदानी इलाकों में रहते हैं। अत: राज्य सरकार प्रकरण की पुन: समीक्षा कर पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव को देखे कि क्या बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति के मानदण्ड पूरे करता है। भारत सरकार से प्राप्त उक्त निर्देशों के अनुसरण में समस्त

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जिला कलक्टरों से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त सूचना संकलित होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के मद्देनजर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी आवासीय योजना के व्यावसायिक भू-खण्डों का आबंटन

159. श्री विजय बंसल (भरतपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-9 का क्षेत्राधिकार कहां से कहां तक है एवं वर्तमान में उपायुक्त कौन है ?

(2) उक्त जोन में जयपुर विकास प्राधिकरण की कौन-कौनसी व्यावसायिक भूमि कहां-कहां पर कौन-कौनसी योजना में स्थित है ?

(3) उक्त व्यावसायिक भूमि में से किस-किस भूमि को नीलामी द्वारा नीलाम किया जा चुका है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जोन में जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना का क्या नाम है तथा उक्त योजना कब बनाई गई?

(5) उक्त योजना में कुल कितने आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड हैं ? कितने भूखण्ड कर्मचारियों को आबंटित किये गये व कितने रिक्त हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त योजना में व्यावसायिक भूखण्ड भी आबंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या योजना के व्यावसायिक भूखण्डों को नीलाम किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-9 का क्षेत्राधिकार जगतपुरा रेलवे फाटक से जयपुर देहली रेलवे लाइन के सहारे दक्षिणी दिशा में ढूंड नदी तक, पश्चिम में अमानीशाह नाले की उत्तरी दिशा में गोनेर-विधानी रोड से बम्बाला पुलिया टोंक रोड के पूर्वी भाग से सांगानेर फ्लाई ओवर से एयरपोर्ट बाउन्ड्री की दक्षिणी दिशा में मनोहरपुरी व कच्ची बस्ती तक जगतपुरा जाने वाली सडक के दक्षिणी भाग तक जगतपुरा रेलवे फाटक तक है। वर्तमान में श्री भगवान सहाय शर्मा जोन-9 के उपायुक्त हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जोन-9 के क्षेत्राधिकार में जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में व्यावसायिक भूमि की स्थिति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान जोन-9 के क्षेत्र में विक्रय किये गये व्यावसायिक भूखण्डों की सूची परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए जोन के क्षेत्राधिकार में दो योजनाऐं यथा जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारियों की योजना ग्राम टीलावाला (गणपति विहार) तथा ग्राम खूसर में बनाई गई है। टीलावाला योजना वर्ष 2003 में तथा खूसर योजना वर्ष 2006 में बनाई गई है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण की टीलावाला योजना के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों की संख्या 338 है तथा व्यावसायिक ब्लॉकों की संख्या 4 है तथा खूसर योजना के अन्तर्गत आवासीय योजना के भूखण्डों की संख्या 247 है, तथा व्यावसायिक भूखण्डों के दो ब्लॉक हैं। टीलावाला योजना में 325 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा 13 भूखण्ड रिक्त हैं जो हाउसिंग बोर्ड की 60' फीट रोड से प्रभावित है। उक्त भूखण्डों का बाद डिमार्केशन आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। खूसर योजना के अन्तर्गत 135 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं एवं रिक्त आवासीय भूखण्डों की संख्या 112 है।

(6) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीलावाला योजना में आरक्षित व्यावसायिक भूमि आर.ओ.बी. जगतपुरा व 200' महल रोड से प्रभावित व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण की अथोरिटी एवं राज्य सरकार की स्वीकृति की अनुपालना में मुआवजे के रूप में आबंटित की गई है। विस्थापितों को आबंटन के बाद अवशेष व्यावसायिक भूखण्डों का नीलामी के द्वारा निस्तारण किया जावेगा। खूसर योजना में आरक्षित 2 व्यावसायिक ब्लॉकों के डिमार्केशन की प्रक्रिया विचाराधीन है। डिमार्केशन के बाद ही नीलामी की कार्यवाही सम्भव होगी।

परिशिष्ट-1

जोन-9 के क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध व्यावसायिक भूमि का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्ड संख्या
1	टीलावा योजना	व्यावसायिक भू.सं. सी-1 से सी-4
2	खूसर योजना	व्यावसायिक भूमि के दो ब्लॉक उपलब्ध हैं।
3	चककरौल	व्यावसायिक भूखण्डों के 10 ब्लॉक आरक्षित हैं।
4	महल	व्यावसायिक भूखण्ड सी-1 से सी-11 तक हैं।
5	रामनगरिया विस्तार	व्यावसायिक भूखण्डों के 5 ब्लॉक आरक्षित हैं।
6	रामनगरिया	एक व्यावसायिक ब्लॉक (शॉपिंग सेन्टर हेतु) आरक्षित है।

परिशिष्ट-2

जोन-9 से सम्बन्धित वर्ष 2006-07 में नीलाम किये गये व्यावसायिक भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	नीलामी तिथि	योजना का नाम	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल व.मी.
1	2	3	4	5
1	4.04.2006	रामनगरिया (जगतपुरा) जोन-9	Com. Plot No. 1	5005.00 Sqm
2	15.05.2006	शिवशक्ति नगर विस्तार जोन-9	Com. Plot No. S-3	339.01 sqm
3	16.05.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-2	297.27 sqm
4	19.06.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-4	297.27 sqm
5	19.06.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-3	297.27 sqm
6	19.06.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-4	297.27 sqm
7	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-51	74.31 sqm
8	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-52	74.31 sqm
9	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-53	74.31 sqm
10	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-54	74.31 sqm

1	2	3	4	5
11	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-55	74.31 sqm
12	21.7.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-56	74.31 sqm
13	25.8.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-63	74.31 sqm
14	25.8.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-64	74.31 sqm
15	25.08.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-65 (Corner)	106.97 sqm
16	25.08.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-66 (Corner)	88.40 sqm
17	25.8.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-67	74.31 sqm
18	25.08.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-68	74.31 sqm
19	4.09.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-57	74.31 sqm
20	4.09.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-58	74.50 sqm
21	4.09.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-59	74.31 sqm
22	4.09.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-61	74.31 sqm
23	4.09.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-62	74.31 sqm
24	26.9.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-69	74.31 sqm
25	26.9.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-70	74.31 sqm
26	26.9.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-71	74.31 sqm
27	26.9.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-72 (Corner)	88.40 sqm
28	26.9.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-73 (Corner)	106.97 sqm
29	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-74	74.31 sqm
30	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-75	74.31 sqm
31	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-76	74.31 sqm
32	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-77	74.31 sqm
33	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-78	74.31 sqm
34	10.10.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-79 (Corner)	106.97 sqm

1	2	3	4	5
35	18.10.2006	शिवशक्ति नगर विस्तार जोन-9	S-1	380.99 sqm
36	11.12.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	Com. Plot No. C-6 (Corner)	329.94 sqm
37	11.12.2006	आर्यन एन्क्लेव जोन-9	C-60	74.31 sqm

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेन्शन/मानदेय राशि

160. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी समिति का पिछली बार गठन कब किया गया ? गठन के पश्चात् समिति की कितनी बैठकें हुई तथा क्या निर्णय लिए गए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वतंत्रता सेनानी स्मृति भवन, जयपुर में कब बनाया गया एवं बनने के बाद उसका कब-कब क्या उपयोग हुआ एवं वहां पर कितना स्टाफ कार्यरत है ?

(3) स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य में कितनी पेंशन/मानदेय दिया जाता है ? इसका अंतिम निर्धारण कब हुआ ? पेंशन/मानदेय के अलावा क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर के विकलांग स्वतंत्रता सेनानी श्री मेहता के चिकित्सा बिल लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस स्तर पर जोधपुर जिला कलक्टर द्वारा किन कारणों से उक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया ?

(5) सिरोही जिले में किस स्वतंत्रता सेनानी के निधन होने के पश्चात् किसी भी मार्ग, विद्यालय अथवा भवन का उनकी स्मृति में नामकरण नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी समिति का पिछली बार गठन दिनांक 2.3.2005 को किया गया। समिति की एक बैठक दिनांक 24.8.2005 को आयोजित की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है। उक्त

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

बैठक में प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है। उप समिति की अब तक दिनांक 5.12.2005, 23.5.2006 एवं 26.2.2007 को तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(2) स्वतंत्रता सेनानी स्मृति भवन, जयपुर का दिसम्बर, 2002 में उदघाटन किया गया था। इस भवन का निर्माण मुख्य मंत्री सहायता कोष से करवाया गया था। निर्माण के समय ही स्मृति भवन का दैनिक कार्य संचालन एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से करवाये जाने का निर्णय लिया गया था। अब समिति का संविधान तैयार कर सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन करवाया जाकर वैधानिक समिति का गठन कर दिया गया है। भवन का दैनिक कार्य संचालन इस समिति द्वारा ही किया जावेगा। फिलहाल कार्य संचालन हेतु सूचना केन्द्र, जयपुर के अधीक्षक को अधिकृत किया हुआ है।

(3) राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्व में रुपये 1500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। दिनांक 1.4.2005 से रुपये 500/- प्रतिमाह की वृद्धि के बाद अब 2000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पेंशन के अतिरिक्त देय सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(4) जोधपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी श्री किरोड़ीमल मेहता के चिकित्सा बिल जिला कलक्टर, जोधपुर के पास बजट के कारण बकाया थे उक्त बिलों के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति जारी कर जिला कलक्टर द्वारा भुगतान कराया जा चुका है।

(5) निर्धारित प्रक्रियानुसार दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के नाम से नामकरण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है। सिरोही जिले के स्वतंत्रता सेनानी स्व. श्री धर्मचन्द सुराणा का निधन दिनांक 2.5.2005 को होने के बाद उनके नाम से नामकरण का प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के नियम 14-ए के तहत गठित समिति की दिनांक 24.8.2005 को अपरान्ह 2.00 बजे मुख्य मंत्री महोदया के निवास पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन/सुविधाएं एवं नामकरण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959

के नियम 14-ए के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 24.8.2005 को अपरान्ह 2.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में निम्नलिखित महानुभाव उपस्थित हुए :-

1.	माननीय मुख्यमंत्री महोदया	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	श्री आनन्द लक्ष्मण खाण्डेकर, कोटा (स्वतन्त्रता सेनानी)	सदस्य
5.	श्री दामोदर प्रसाद कानूनगो, जयपुर (स्वतन्त्रता सेनानी)	सदस्य
6.	श्री बृजकिशोर शर्मा, एडवोकेट, केकडी (अजमेर) (स्वतन्त्रता सैनानी)	सदस्य
7.	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य सचिव

उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

1. माननीय सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया जो स्वतंत्रता सेनानियों से सम्बन्धित सभी प्रकरणों पर निर्णय कर माननीय मुख्यमंत्री महोदया के अनुमोदन के पश्चात प्रकरणों का निस्तारण कर सकेगी। इस समिति में निम्नानुसार सदस्य रहेगे :-

1.	सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय	अध्यक्ष
2.	श्री आनन्द लक्ष्मण खाण्डेकर, कोटा (स्वतंत्रता सेनानी)	सदस्य
3.	श्री दामोदर प्रसाद कानूनगो, जयपुर (स्वतंत्रता सेनानी)	सदस्य
4.	श्री बृजकिशोर शर्मा, एडवोकेट, केकडी, (अजमेर) (स्वतंत्रता सेनानी)	सदस्य
5.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य सचिव

2. पूर्व बैठकों में अस्वीकृत सभी प्रकरण जो उक्त बैठक में समीक्षा हेतु रखे गये थे, की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को अस्वीकृति की सूचना करने का निर्णय लिया गया। (सूची संलग्न परिशिष्ट 'क')

3. दिनांक 24.8.2005 के पश्चात प्राप्त नियमों में पात्रता नहीं रखने वाले प्रकरणों को भविष्य में उप समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं रखा जावे एवं तदनुसार सम्बन्धितों को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

4. समृति भवन पर स्वतन्त्रता सेनानियों का एक सम्मेलन आयोजित कर शेष रहे ताम्र-पत्रों के वितरण किए जावें।

5. उक्त बैठक में नामकरण के प्राप्त सभी प्रकरणों का अनुमोदन किया गया जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

6. समिति के सदस्यों (स्वतन्त्रता सेनानियों) ने निम्नलिखित सुझाव रखे :-

(i) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को भी गृह कर में छूट प्रदान की जावे।

(ii) स्मृति भवन में स्वतन्त्रता सेनानियों के ठहरने आदि के लिए डोर मेट्री का निर्माण कराया जाना चाहिए।

(iii) स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवा आश्रितों को रोड़वेज की बसों में एक सहयात्री सहित नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान।

(iv) स्वतन्त्रता सेनानियों को निजी चिकित्सालयों में उपचार की छूट प्रदान करना।

(v) चिकित्सा की राशि बढ़ाई जावे।

(vi) स्मृति भवन की समिति में स्वयंसेवी संस्थाओं को रखा जावे।

बैठक में प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सम्बन्धित विभागों से टिप्प्णी प्राप्त कर निर्णय लिए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदया द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त की गई।

प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-ख

राजस्थान के पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं

1. पेंशन :- स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में 2000/- रुपये प्रतिमाह सम्मान पेंशन देय है।

2. आश्रित पेंशन :- स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उनकी आश्रित विधवाओं को भी 2000/- से प्रतिमाह आश्रित पेंशन देय है।

3. चिकित्सा भत्ता :- स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को 300/- प्रतिमाह पेंशन के साथ नगद राशि चिकित्सा सहायता के रुप में देय है।

4. राजकीय समारोह में आमंत्रण :- राजकीय समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित किया जाता है।

5. यातायात :- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को एक सहचर के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा किये जाने की सुविधा उपलब्ध।

6. नगरपालिका/परिषदों में कर मुक्ति :- स्वतंत्रता सेनानी के नगरपालिका/परिषद में स्थित भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों के वार्षिक किराये पर कर के भुगतान से मुक्त किया गया है।

7. डाक बंगले में ठहरने की सुविधा :- राजकीय नौकरी वालों की तरह डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा दी गई है।

8. चिकित्सा सुविधा :-

स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध है।

पेंशन के साथ देय 300/- प्रतिमाह चिकित्सा सहायता से यदि चिकित्सा व्यय अधिक है तो राजकीय चिकित्सालयों में कराये उपचार पर बाजार से क्रय की गई ओषधियों आदि का एक वित्तीय वर्ष में 10000/- रुपये की सीमा तक 300/- को समायोजित कर अधिक राशि का पुर्नभरण देय है।

10000/- से अधिक के राजकीय चिकित्सालयों से कराये उपचार के वास्तविक व्यय का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान कर किया जा सकता है।

9. अनुदान :-

स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्री के विवाह पर 4000/- तक अनुदान देय है।

स्वतंत्रता सेनानियो के देहावसन पर उनके दाह संस्कार के लिए सम्बन्धित कलक्टर द्वारा तत्काल सहायता के रूप में 2000/- की राशि का अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार को देय है।

10. आवास सुविधा :-

राजस्थान आवासन मण्डल में भवन आबंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण।

नगर विकास न्यास/नगरपालिका क्षेत्र में 220 वर्ग गज का प्लाट आरिक्षत दर के 50 प्रतिशत भुगतान पर आबंटित।

11. स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार में :-

राज्य सरकार द्वारा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में उनके नाम राजकीय भवन, सड़क, चौराहे, स्कूल, अस्पताल आदि का नामकरण किया जा रहा है।

नागौर-मेड़ता-अजमेर निगम बस सेवा

161. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर से अजमेर हेतु परिवहन निगम की कितनी द्रुतगामी एवं साधारण बसें नागौर आगार एवं अन्य आगारों द्वारा संचालित की जा रही हैं ? विवरण समय सारिणी सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर चलने वाली द्रुतगामी एवं साधारण बसों के किराये में नागौर आगार और बीकानेर तथा भीलवाड़ा आगार की बसों मे काफी अन्तर है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नागौर से अजमेर वाया मेड़ता, रियाबडी, आलनियावास बस सेवा वर्तमान में नागौर आगार द्वारा बंद कर दी गई है। यदि हां, तो क्या इस बस को सरकार पुन: चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर से अजमेर के मध्य 21 अप एवं 21 डाऊन एकल परिचक्र द्रुतगामी एवं 21 अप एवं 21 डाऊन एकल परिचक्र साधारण बस सेवा के रुप में संचालित किये जा रहे हैं। तत्सम्बन्धी समय सारिणी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नागौर से अजमेर मार्ग पर चलने वाली द्रुतगामी एवं साधारण बसों के किरायें में चाहे व किसी भी आगार की बस हो कोई अन्तर नहीं है। निगम की समस्त द्रुतगामी सेवाओं में 47 पैसे तथा साधारण सेवाओं में 40 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराया लिया जा रहा है। किन्तु नागौर से अजमेर वाया मेड़ता के मध्य निगम की बसों में यात्रियों का रूझान बढ़ाने के लिए इस मार्ग पर संचालित समस्त साधारण सेवाओं का किराया, चाहे वे

(यातायात मंत्री)

किसी भी डिपो की हो, 28 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है। इस प्रकार इस मार्ग विशेष पर द्रुतगामी और साधारण सेवाओं में अन्य मार्गों की तुलना में किराये में अन्तर है किन्तु यह अन्तर सभी बसों में, चाहे वे किसी भी आगार की हो, है।

(3) जी हां। नागौर आगार की इस बस सेवा का संचालन लागत प्रति कि.मी. से भी कम आने के कारण माह फरवरी, 2006 से बन्द कर दिया गया है। उक्त मार्ग के अजमेर से मेड़ता वाया रिसाबड़ी, आलनियावास भाग पर निगम की 9 अप एवं 9 डाउन सेवायें संचालित हैं। किन्तु मेड़ता से नागौर भाग पर इस वाया होकर बस सेवा संचालन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-1

नागौर-अजमेर के मध्य संचालित निगम बसों की समय सारिणी

	द्रुतगामी बस सेवायें				**साधारण बस सेवायें**	
संचालित आगार	**नागौर**	**अजमेर**			**नागौर**	**अजमेर**
नागौर	06.00	10.05		नागौर	05.30	10.00
	07.30	12.05	कोटा 17.30		06.30	10.45
	11.30	15.45			07.00	11.30
	13.40	17.50			07.45	12.15
	15.00	19.40	दिल्ली 04.43		08.15	12.15
	18.30	23.15	उज्जैन 13.30		08.45	13.20
बीकानेर 0515	08.00	12.45	पाटन 21.00		09.15	13.40
0615	09.00	13.30	निम्बाहेड़ा 19.00		09.30	14.15
	12.00	16.30			10.00	14.30
	14.15	18.25			10.30	15.15
	15.30	20.30	भीलवाड़ा 23.00		11.00	15.30

	द्रुतगामी बस सेवायें				साधारण बस सेवायें	
संचालित आगार	नागौर	अजमेर			नागौर	अजमेर
	16.00	20.00			11.45	16.15
	17.40	21.30			12.15	16.45
	19.00	22.30			12.45	17.15
	21.30	01.30			13.15	17.45
	23.00	03.00			14.00	18.30
भीलवाड़ा	09.45	14.30			14.45	19.15
कोटा	10.45	14.45	कोटा 20.15		15.15	19.45
	20.00	00.15	कोटा 05.00		15.45	20.15
ब्यावर	12.30	17.00	ब्यावर 18.15		16.15	20.45
अनूपगढ़ 15.00	00.30	04.30			16.45	21.15

		द्रुतगामी बस सेवायें				साधारण बस सेवायें	
संचालित आगार		अजमेर	नागौर			नागौर	अजमेर
नागौर	उज्जैन 16.30	04.30	08.30		नागौर आगार	11.15	15.50
	दिल्ली 06.30	16.30	20.45			11.45	16.15
	23.00	08.30	12.30			12.15	16.50
	कोटा 07.10	13.00	17.10			12.45	17.20
		06.30	11.15	बीकानेर 14.00		13.15	17.50
		16.00	20.15	बीकानेर 23.00		13.45	18.20
बीकानेर	पाटन 0515	14.00	18.15	बीकानेर 21.00		14.35	19.00
	निम्बाहेड़ा 09.30	15.15	19.30	बीकानेर 22.15		15.00	19.35
		17.00	21.15	बीकानेर 00.00		15.45	20.30

		द्रुतगामी बस सेवायें				साधारण बस सेवायें	
संचालित आगार		अजमेर	नागौर			अजमेर	नागौर
		19.45	00.00	बीकानेर 02.45		16.15	20.45
		20.45	01.00	बीकानेर 03.45		17.30	22.00
		05.30	09.45	बीकानेर 12.30		07.00	11.00
		08.00	12.20	बीकानेर 15.00		07.20	11.45
		09.00	13.15	बीकानेर 16.00		07.45	12.15
		11.30	15.30	बीकानेर 18.30		19.00	23.30
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा 09.15	13.30	17.45	बीकानेर 20.30		08.45	13.20
	08.45	12.30	16.45	बीकानेर 19.30		09.30	14.00
कोटा	कोटा 04.15	10.00	14.30	बीकानेर 17.15		10.15	14.45
	17.15	23.15	03.30	बीकानेर 05.30		08.15	12.45
ब्यावर	ब्यावर 09.10	11.00	15.15	बीकानेर 18.00		06.00	10.30
अनूपगढ़		21.45	01.45	अनूपगढ़ 08.00		07.00	11.00

पंचायत समिति प्रधानों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

162. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति प्रधानों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की सहमति के स्वयं हस्ताक्षरों से विभिन्न समाचार पत्रों में संस्था सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनार्थ दिया जाता है ? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयराम जाटव)

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि राजकीय कोष से व्यय होती है ? यदि हां, तो किस मद से ?

(3) क्या सरकार ऐसे विज्ञापनों पर व्यय राशि के दुरुपयोग को रोकने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के विरुद्ध व्यय होने की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर शहर में हाइटेंशन लाइनों से होने वाले हादसों पर रोक

163. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर शहर व जिले में हाइटेंशन लाइनों की चपेट में आने से कितनी मौतें हुई व कितने लोग घायल हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भारतीय विद्युत आपूर्ति नियम, 1948 व भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत हाइटेंशन लाइनों के नीचे व लाइन से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी से कम पर निर्माण नहीं किया जा सकता और ऐसे अवैध निर्माण में बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा सकते ? यदि हां, तो गत वर्षों में हुए ऐसे अवैध निर्माण में बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या सरकार हाइटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने या भूमिगत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर शहर एवं जिले में हाइटेंशन लाइनों की चपेट में आने की वजह से कुल 59 (36 घातक एवं 23 अघातक) हादसे हुए। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 की धारा 80(2) के तहत निर्धारित सुरक्षा के मापदण्डों के अन्तर्गत 11 के.वी. तक की

(ऊर्जा मंत्री)

लाइन से 1.2 मीटर, 33 के.वी. की लाइन से 2.0 मीटर व उससे उच्च दाब की लाइन से प्रति अतिरिक्त 33 के.वी. क लिए अतिरिक्त 0.3 मीटर की दूरी से कम पर निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे अवैध निर्माणों में कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। कनेक्शन देने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा उक्त लाइनों की उपरोक्त सीमा में अवैध निर्माण अथवा विस्तार कर लिया जाता है जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार है।

(3) सामान्यतया 132 के.वी. एवं इससे ऊपर के वोल्टेज की लाइनों को निर्माण के बाद अन्यत्र शिफ्ट करना तकनीकी रुप से सम्भव नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में सरकारी विभाग व निकाय आदि से आवेदन प्राप्त होने पर शिफ्टिंग के तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर व आवेदक द्वारा शिफ्टिंग का पूर्ण खर्च जमा कराने की स्थिति में शिफ्टिंग किये जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार 33 के.वी. व उससे निम्न दाब की विद्युत लाइनों को शिफ्ट करना अथवा भूमिगत करना साध्य पाये जाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाये जाने पर उसके अनुमानित व्यय की आधी राशि आवेदक द्वारा वहन करने के उपरान्त शेष राशि विद्युत वितरण निगम द्वारा वहन की जाकर ऐसी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रावधान है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में निर्मित रंगमंच

164. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में 234 लाख रुपये खर्च कर वर्ष 1995 में रंगमंच का निर्माण करवाया गया जिसका उपयोग 31 जनवरी, 2007 तक एक दिन भी नहीं हो पाया है यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भवन की उपयोगिता के सम्बन्ध में विभिन्न जांचें करवाई गई/करवाई जानी है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा कब-कब तथा इन जांचों पर कितनी राशि व्यय की गई/की जानी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्टों में इस भवन को अनुपयोगी माना गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या सरकार करोड़ों की लागत से बने भवन के अनुपयोगी होने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी/फर्म का

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दायित्व निर्धारित करते हुए कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) इस भवन का निर्माण किस विभाग की देखरेख में किस एजेंसी/फर्म द्वारा किन नियम/शर्तों पर करवाया गया ? इस निर्माण के सम्बन्ध में जारी टेण्डर/नियम/शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायें कि सम्बन्धित फर्म/एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया तथा क्या भुगतान करने से पूर्व सहायक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इसके उपयोगिता एवं निर्माण सामग्री का जायजा नहीं लिया जाता था ? यदि हां,तो फिर निर्मित भवन को अनुपयोगी क्यों माना गया ?

(5) क्या सरकार करोड़ों रुपये के इस नुकसान की भरपाई सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/फर्म से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सरकार द्वारा रंगमंच का निर्माण जिला बीकानेर में करवाया जा रहा है। रंगमंच निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 234 लाख रुपये थी। जिसमें से 105 लाख रुपये का निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से करवाया गया है। यह सही है कि रंगमंच का पूर्ण निर्माण कार्य नहीं होने के कारण अब तक इसको उपयोग में नहीं लिया जा सका है।

(2) यह सही है कि रंगमंच के अधूरे निर्माण कार्य की जांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी (उत्तरांचल) से जांच करवाई जा रही है। जिसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी शेष है। अब तक 8,58,768/- रुपये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी को जांच हेतु राशि भेजी जा चुकी है तथा 4.55 लाख रुपये और व्यय होने का अनुमान है।

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी के द्वारा अधूरे रंगमंच के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की मौके पर जांच 06.03.2007 से 11.03.2007 तक की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी शेष है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् ही उपयोगिता/अनुपयोगिता के बारे में ज्ञात हो पायेगा।

(4) भवन का निर्माण कार्य नगर विकास न्यास की देखरेख में तत्कालीन आवास विकास संस्थान, बीकानेर खण्ड द्वारा करवाया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

कार्यादेश की प्रति नियम व शर्तें परिशिष्ट-1 'अ', 'ब' तथा 'स' पर संलग्न की जा रही हैं। तत्कालीन आवास विकास संस्थान को 104,92,684/- रुपये के अन्तिम बिल के विरुद्ध वर्ष 1994 से 1998 तक विभिन्न चरणों में 100 लाख रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान करने से पूर्व नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाता रहा है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके आधार पर ही उपयोगी/अनुपयोगी होने के बारे में ज्ञात हो सकेगा।

(5) इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीम एवं देवगढ़ पंचायत समिति में नवीन पंचायतें

165. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पंचायत समिति भीम एवं देवगढ़ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित बड़ी पंचायतों को अलग पंचायत बनाने का विचार रखती है :-

भीम पंचायत समिति :- डांसरिया, बिलियावास, हामेला की बैर

देवगढ़ पंचायत समिति :- अर्जुनगढ़, भारतसिंहजी का गुढा

यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायतों के पुर्नसीमन की नीति निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। नीति निर्धारण के बाद इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

मन्दिर श्री खाटूश्यामजी के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठकें

166. श्री पुंजीलाल परमार (डूंगरपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खाटूश्यामजी मंदिर के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मय उन्हें सौंपी गई जांच के आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें। सम्भागीय आयुक्त द्वारा कब-कब खाटूश्यामजी का दौरा किया गया ?

(श्री पुंजीलाल परमार)

(2) क्या यह सही है कि खाटूश्यामजी मन्दिर के सम्बन्ध में गठित समित की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो इस समिति के गठन के आदेश की प्रति व समिति की बैठकें कब-कब हुई एवं उसमें क्या चर्चा हुई, समिति ने कब-कब खाटूश्यामजी का दौरा किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसद एवं विधायकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों/ज्ञापन में दिये गये निर्देशों की पालना में खाटूश्यामजी मन्दिर के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट दिनांक 15.1.2007 को सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 11.1.2007 व 24.1.2007 को खाटूश्यामजी का दौरा किया गया।

(2) खाटूश्यामजी मन्दिर के सम्बन्ध में गठित समिति का आदेश दिनांक 13.1.2007 की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। समिति द्वारा दिनांक 13.1.2007 को खाटूश्यामजी का दौरा किया गया रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़ नगर पालिका की कच्ची बस्तियों का सर्वे

167. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगर पालिका हनुमानगढ़ द्वारा कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करने हेतु सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस-किसके द्वारा ? क्या ये सर्वे अब पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे के बाद अब सरकार सर्वेधारियों को पट्टे कब तक जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। नगर पालिका हनुमानगढ़ क्षेत्र में कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करने हेतु वर्ष 2004 में सर्वे करवाया गया है। इस सम्बन्ध में उपशासन सचिव नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.9(1)नविवि/03/95/पार्ट-जयपुर

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

दिनांक 04.08.2004 द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को प्रेषित किया गया है, जिसकी पालना में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक प.40(11)(349) क.ब. सर्वे/समा/04/3728-44 दिनांक 14.08.2004 द्वारा कच्ची बस्ती सर्वे के लिये सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 15.08.2004 द्वारा सर्वे दलों का गठन कर पालिका क्षेत्र में अवस्थित कुल 23 कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया गया था। सर्वेक्षित अतिक्रमी परिवारों की संख्या 7578 है। सर्वे उपरान्त 99 आपत्तियां प्राप्त हुई, जो विचाराधीन है। मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 1159/05 दुर्गा बिहार विकास समित बनान स्टेट व अन्य में दिनांक 24.07.2006 द्वारा कच्ची बस्तियों के नियमन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है, लेकिन स्वत्व पट्‌टा देने पर रोक को यथावत रखा गया है। मा. उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

बस्सी की चयनित बी.पी.एल. सूची में व्याप्त अनियमितताएं

168. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पूर्व सर्वे के अनुसार वर्ष 2006 में किये गये सर्वे में से कुल कितने व्यक्तियों के नाम बी.पी.एल. सूची में से वंचित रहे ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष किये जा रहे सर्वे के अनुसार जो लोग रह गये हैं उनसे आवेदन पत्र भरवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिन्हें इस सूची में सम्मिलित किया जा रहा है ? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. सूची में काफी विरोधाभास है ? जिसके कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का नाम न होकर अमीर व्यक्तियों के नाम इस सूची में शामिल कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके स्थान पर गरीबी की रेखा में आने वाले व्यक्तियों को शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के व्यक्तियों को ? नाम, ग्राम का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी से पूर्व सर्वे वर्ष 1997 में कुल 7900 परिवारों का चयन बी.पी.एल. में हुआ था, जिसमें से 5989 परिवारों के नाम सर्वे वर्ष 2006 की सूची में आने से वंचित रहे गये। वंचित रहने का कारण भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. सर्वे-2002 हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व चयन हेतु 17.36 लाख परिवारों की निर्धारित अधिकतम सीमा में नहीं आना रहा है।

(2) जी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी, जिस हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान किया गया है साथ ही राज्य सरकार द्वारा गत चयन वर्ष 1997 से 30 प्रतिशत + विचलन पाये जाने पर स्वमेव पुर्नसत्यापन (SUOMOTO Verfification) कर अपील दर्ज करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त अपीलों की कुल संख्या 4672 है जो कि अभी तक प्रक्रियाधीन है, जिन पर अपील अधिकारी के चयन सूची में सम्मिलित होने हेतु पात्र होने के निर्णय उपरान्त ही सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

(3) जी नहीं। बी.पी.एल. चयन सूची भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 सामाजिक आर्थिक सूचकों के आधार पर सर्वे उपरान्त आरोही क्रम में तैयार प्रोविजनल सूचियों को वार्ड/ग्राम सभा से अनुमोदन एवं द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया के उपरान्त भारत सरकार द्वारा दी गई अधिकतक सीमा तक एकल कट आफ स्कोर के आधार पर आने वाले परिवारों को सम्मिलित कर जारी की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाये जाने की प्रक्रिया सूची के प्रभावी रहने तक निरन्तर जारी रहेगी। अपील अधिकारी के चयन हेतु पात्र पाये जाने के निर्णय उपरान्त सूची में शामिल किया जावेगा, जो कि प्रक्रियाधीन है।

नागौर जिले के काश्तकारों को पुनर्विद्युत कनेक्शनों में राहत

169. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला नागौर के जिन किसानों द्वारा खेतों में पानी की कमी व पानी से खेत खराब होने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवा दिया गया है उन्हें विद्युत बिलों में राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, क्या व नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो वहां जी.एस.एस. बनाने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) सामान्य श्रेणी के काश्तकारों का कुआं सूख जाने पर स्वेच्छा से कृषि कनेक्शन विच्छेद के सम्बन्ध में दी गयी रियायत सम्बन्धी आदेश जो 12 जुलाई, 2005 को जारी किया था, की प्रति परिशिष्ट-''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) नागौर जिले में पंचायत समिति नागौर को छोड़कर शेष सभी पंचायत समितियों को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। तथापि पानी की गहराई बढ़ने के कारण उच्च क्षमता की मोटरों के उपयोग व अन्य कारणों से बढ़े हुए भार को वहन करने हेतु तथा उचित गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति के लिए नए जी.एस.एस. के निर्माण की आवश्यकता होती है। इससे विद्युत छीजत में बचत भी होती है।

परिशिष्ट ''अ''

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

राजस्थान सरकार का उपक्रम

क्र. अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ. (योजना)/2004 दिनांक 12 जुलाई 2005

<u>आदेश</u>

विषय:- सामान्य श्रेणी के काश्तकारों को कुआं सूख जाने पर स्वेच्छा से कृषि कनेक्शन विच्छेद के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा कृषकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जारी राहत पैकेज के क्रम में समन्वय समिति की दिनांक 02.07.2005 को आयोजित 83वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के ऐसे काश्तकार जिनके कुओं में पानी सूख गया है, उनके प्रार्थना पत्र पर उचित सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा करने के उपरान्त उनके कृषि विद्युत सम्बन्ध अस्थाई रूप से विच्छेद कर दिये जावें। ऐसे उपभोक्ता दो वर्ष की अवधि में कभी भी अपना विद्युत सम्बन्ध पुन: चालू करा सकेंगे, परन्तु यह सुविधा उपभोक्ता को एक बार ही दी जावेगी। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की अवधि का न्यूनतम जार्च नहीं लिया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आमेर/घाट की गूणी क्षेत्र जयपुर का पर्यटकीय विकास

170. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर शहर में घाट की गूणी व आमेर का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घाट की गूणी व आमेर के विकास हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए कोई कार्यकारी एजेन्सी बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए कोई बजट स्वीकृत किया गया है/किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब-कब कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। घाट की गूणी परियोजना के तहत तीन कार्यों की विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु निविदा आमंत्रित कर तकनीकी परामर्श दात्री फर्मों के आदेश दिये गये थे:-

<u>कार्य-1</u> घाट की गूणी के चारों तरफ इलाके एवं भवनों का विकास कार्य कर उनका उपयोग पर्यटन, वाणिज्यिक, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यावर्णीय, होटल, मीना बाजार कार्य आदि मे किया जायेगा व हैरिटेज को जैसा है बरकरार रखा जाना है।

<u>कार्य-2</u> घाट की गूणी के चारों तरफ पहाडों का विकास जेंटिग हाइलाइन पद्धति पर किया जाना प्रस्तावित है।

<u>कार्य-3</u> ट्रांसपोर्ट नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग-11 आगरा रोड़ का वैकल्पिक मार्ग, एक चार लेन की टनल एवं पहुंच सड़क बनाना प्रस्तावित है।

घाट की गूणी के कार्य-1 एवं आमेर के किले का पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य जयपुर हैरीटेज मैनेजमेंट एण्ड डवलपमेंट प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) आमेर के संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आमेर इनिशियेटिव रिपोर्ट वर्ष 2005 एवं घाट की गूणी हेतु पर्यटन विभाग द्वारा परियोजना बनवाई गई है।

(3) आमरे महल परिसर (Amber Fort Complex) के स्थापत्य संरचनाओं, भवनों, आवासों, स्मारकों तथा अन्य सम्बन्धित परिसम्पत्तियों, प्राकृतिक सौन्दर्य, भूगर्भिय महल वस्तुएं, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या कलात्मक मूल्य या महत्व की वस्तुएं और स्थानों के परिरक्षण, संरक्षण पुनरुद्धार, सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्यों के लिए 'आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण संस्था' का गठन किया गया है।

(4) जी हां। घाट की गूणी विकास कार्य-1, 2 व 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कन्सलटैन्ट द्वारा तैयार करने हेतु रुपये एक करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

उपरोक्त के अलावा घाट की गूणी में जीर्णोद्धार हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रुपये दो करोड़ आमेर विकास एवं प्रबन्ध प्राधिकरण को अग्रिम राशि के रुप में भुगतान किया गया है।

गंगपुरा (गंगरार) ग्राम में सीमेन्ट सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितता

171. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, राश्मि एवं गंगरार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों में किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये ? ग्राम पंचायतवार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सोमी के ग्राम गंगपुरा में सीमेन्ट सड़क का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब व किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि से? वर्तमान में उक्त सीमेन्ट सड़क की क्या स्थिति है ? क्या सरकार घटिया निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ राशिम, गंगरार मे पिछले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं में कराए गए कार्यों की पंचायतवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत सोमी के ग्राम गंगपुरा में सीमेन्ट सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 में एसजीआरवाई-20 व एसजीआरवाई-30 डावटेल तथा ग्राम पंचायत मद से करवाया गया था। इस कार्य पर कुल 2.30 लाख रुपये व्यय हुए थे। इसके अतिरिक्त ग्राम गंगपुरा के रावला चौक में रुपये 0.50 लाख की सी.सी. रोड का कार्य विधायक मद से कराया गया। वर्तमान में उक्त सीमेन्ट सड़क की स्थिति ठीक है। उक्त निर्माण घटिया होने की शिकायत नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुष्कर सरोवर का पुनरुद्धार

172. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा पुष्कर सरोवर के पुनरुद्धार के लिए राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि इस हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उसे स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में पुष्कर सरोवर के पुनरुद्धार हेतु दिनांक 28.12.2005 को राशि रुपये 96.71 लाख स्वीकृत किये गये है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर के माध्यम से जल संसाधन वृत्त (अजमेर) द्वारा पुष्कर सरोवर के पुनरुद्धार हेतु तैयार योजना की स्वीकृति दिनांक 19.1.2007 को दी जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेगाना (नागौर) तहसील मुख्यालय पर उपकोषागार की स्थापना

269. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप कोषागार खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नागौर जिले के डेगाना तहसील मुख्यालय पर उप कोषागार खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोषागार नियमावली 1999 के नियम संख्या 66 के प्रावधानुसार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उपकोषागार स्थापित है।

(2) नागौर जिले के डेगाना तहसील मुख्यालय पर पहले से ही उपकोषागार स्थापित है, जिसका कार्य तहसीलदार एवं पदेन उपकोषाधिकारी, डेगाना द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ऋण

270. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से 31 जनवरी, 2007 तक राज्य सरकार द्वारा किस-किस संस्था अथवा केन्द्र सरकार व अन्य से कुल कितना ऋण लिया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

01 दिसम्बर, 2003 से 31 जनवरी, 2007 तक केन्द्र सरकार, वित्तीय संस्थाओं तथा लोक ऋण के पेटे राज्य सरकार ने कुल 17818.98 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। वर्षवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट '1'

राज्य सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 2003 से 31 जनवरी, 2007 तक लिये गये ऋणों का विवरण

संस्था का नाम	शुद्ध ऋण प्राप्तियां				
	2003-2004 (1-12-03 से 31-3-04)	**2004-2005**	**2005-2006**	**2006-2007** (1-4-06 से 31-1-05)	**Total** (1-12-03 से 31-1-07)
I-आन्तरिक ऋण					
1. बाजार कर्जे	526.44	2076.16	643.24	865.30	4111.14
2. भारतीय जीवन बीमा निगम	0.00	887.38	-6.52	-185.25	695.61
3. भारतीय साधारण बीमा निगम	-4.68	-4.95	-4.95	-0.23	-14.81
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक					0.00
(अ) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि	53.90	-660.44	315.42	210.94	-80.18
(ब) दीर्घकालीन प्रवर्तन	-7.06	-6.61	-3.42	3.07	-14.02
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	-8.77	-6.53	4.85	4.84	-5.61
6. आवासन तथा वितीय विकास निगम (HDFC)	-6.77	-25.64	-27.89	-24.95	-85.25
7. भारतीय रिजर्व बैंक से अध्युपाय अग्रिम	-1053.17	0.00	0.00	0.00	-1053.17
8. एन.एस.एस.एफ.-विशेष प्रतिभूतियां	0.00	0.00	22680.96	1281.88	23962.84
9. अन्य संस्थाओं से ऋण	-1.27	-140.97	-86.42	-115.22	-343.88

1	2	3	4	5	6
योग– I-आन्तरिक ऋण :-	**-501.38**	**2118.40**	**23515.27**	**2040.38**	**27172.67**
II- केन्द्र सरकार से ऋण					
1. गैर आयोजना योजनाएं	709.65	3850.25	-19753.73	-2.67	-15196.50
2. आयोजना योजनाएं	1326.20	-823.78	-4721.72	214.60	-4004.70
3. संकलित ऋण (बारहवें वित्त आयोग)	0.00	0.00	5865.36	-216.09	5649.27
4. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	0.22	13.95	1.45	7.38	23.00
5. केन्द्र सरकार से अध्युपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1984-85 से पूर्व के कर्जे	-21.83	-48.96	-403.82	0.00	-474.61
योग - (II) केन्द्र सरकार से ऋण	**20.14.24**	**2991.46**	**-19012.46**	**3.22**	**-14003.54**
योग - I एवं II	**1512.86**	**5109.86**	**4502.81**	**2043.60**	**13169.13**
III-लोक लेखे					
1. राज्य प्रावधायी निधि	645.79	817.10	921.11	-62.81	2321.19
2. बीमा एवं पेंशन निधि	261.07	348.69	455.94	192.15	1257.85
3. आरक्षित निधि	-785.57	335.02	-36.44	569.92	82.93
4. जमा एवं अग्रिम	489.36	162.53	428.92	-92.93	987.88
योग - (III) लोक लेखे	**610.65**	**1663.34**	**1769.53**	**606.33**	**4649.85**
महायोग - I, II एवं III	**2123.51**	**6773.20**	**6272.34**	**2649.93**	**17818.98**

कोटा में नियम विरुद्ध बनी बहुमंजिली इमारतें

271. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में जीरो सैट बैक पर नियम विरुद्ध कितनी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं ?

(2) नियम विरुद्ध बनी बहुमंजिला इमारतों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा शहर के नगर निगम क्षेत्र में 3 व न्याय क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत जीरो सैट बैक पर नियम विरुद्ध बनी हुई है।

(2) नियम विरुद्ध बनी हुई बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने की कार्यवाही विचाराधीन है। शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

कस्तूरबा नगर आवासीय योजना, नया गांव (पाली) के रिक्त भू-खण्डों पर अतिक्रमण

272. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नया गांव (पाली) स्थित कस्तूरबा नगर आवासीय योजना भाग 'अ' एवं 'ब' में नगर परिषद के किस साइज के कितने भूखण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों योजनाओं में किस-किस व्यक्ति को कब-कब भूखण्ड आबंटित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त योजनाओं में कितने भूखण्ड रिक्त हैं एवं कितने भूखण्डों पर अतिक्रमण किया हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नया गांव (पाली) स्थित कस्तूरबा नगर आवासीय योजना भाग 'अ' तथा 'ब' मे भूखण्डों की साइजवार संख्या निम्नानुसार है :-

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

भाग ''अ''	
भूखण्ड की साइज (वर्गफीट)	**कुल भूखण्डों की संख्या**
60' x 70'	13
56' x 70'	01
35' x 70'	01
50'x 70'	116
कुल	**131**
भाग ''ब''	
भूखण्ड की साइज (वर्गफीट)	**कुल भूखण्डों की संख्या**
50' x 70'	35
4885 वर्गफुट	01
50' x 70'	02
कुल	**38**

(2) दोनों योजनाओं में जिन-जिन व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किये गये उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है, जिसमें वांछित विवरण अंकित है।

(3) कस्तूरबा नगर आवासीय योजना के भाग 'अ' में 4 तथा 'ब' में 2 कुल 6 भूखण्ड रिक्त हैं, जिसमें से भाग 'ब' के दो भूखण्डों, भूखण्ड संख्या 37 व 38 पर अतिक्रमण किया हुआ है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर परिषद पाली (राज.)

कस्तूरबा नगर खण्ड-'अ'

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा नं.	साईज	पट्टा जारी की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	पाबूराम/शिवाजी भाट	1	46	50'X70'	12.11.1963
2.	शंकरलाल/किस्तुर भाट	2	14	50'X70'	2.10.1963
3.	मोहनलाल/केसरीमल	3	63	50'X70'	5.1.1963
4.	राजकंवर/सुखराज	4	64	50'X70'	5.1.1963

1	2	3	4	5	6
5.	उस्मान खां/राजूखां पठान	5	14/7	50'X70'	5.3.1966
6.	सोहनलाल/रामलाल जांगीड	6	66	50'X70'	5.1.1963
7.	चैनाराम/गुणेश नाई	7	67	50'X70'	18.3.1963
8.	सायरा/नेनूखां पठान	8	68	50'X70'	7.1.1963
9.	मुरलीधर/पन्नालाल नाई	9	69	50'X70'	5.1.1963
10.	रामगोपाल/श्यामलाल सुथार	10	70	50'X70'	14.4.1963
11.	मोहनसिंह/आसूजी राजपुत	11	71	50'X70'	9.4.1963
12.	मोडसिंह/कुम्भुसिंह राजपुत	12	72	50'X70'	9.4.1963
13.	मांगीलाल/थाना राजपुत	13	73	50'X70'	18.4.1963
14.	मांगीलाल/रामा लौहार	14	74	50'X70'	14.4.1963
15.	जैतून/गफूर खां पठान	15	75	50'X70'	5.1.1963
16.	ममद सलीम/ममद शरीफ	16	76	50'X70'	5.1.1963
17.	दौलतराम/देवराज सिंघवी	17	88	60'X70'	5.1.1963
18.	देवराज/दीपराज सिंघवी	18	90	60'X70'	5.1.1963
19.	फताजी/करीम जी	19	16	50'X70'	22.5.1963
20.	एमद/फता जी	20	19	50'X70'	22.5.1963
21.	सैयद अमानत अली/अकबर अली	21	47	60'X70'	20.7.1963
22.	सैयद मुख्तार अली/अमानत अली	22	46	60'X70'	20.7.1963
23.	ईनायत अली/बरकत अली	23	31	35'X70'	10.11.1963
24.	मोहनलाल/चुन्नीलाल भाट	24	11	50'X70'	15.9.1963
25.	रतनाराम/रामा भाट	25	44	50'X70'	12.11.1963
26.	मोहम्मद यासीन/कालू छीपा	26	77	50'X70'	5.1.1963
27.	मोहम्मद साबीर/नूर मो. छीपा	27	78	50'X70'	5.1.1963
28.	लालजी/भारवाजी भाट एवं लालाराम /जगा भाट	28	78	50'X70'	25.4.1967
29.	गंगश्याम/शिवराज पुरोहित	29	45	50'X70'	10.7.1963

1	2	3	4	5	6
30.	घीसूलाल/रामा घांची	30	77	50’X70’	5.11.1964
31.	किसनलाल/चतरा बाई	31	79	50’X70’	5.1.1963
32.	पुखराज/गेरा कुम्हार	32	80	50’X70’	7.1.1963
33.	मांगीलाल/मोती नाई	33	81	50’X70’	5.1.1963
34.	रूपदास/हिम्मतराम वैष्णव	34	82	50’X70’	5.1.1963
35.	नाथूलाल/भीखा लौहार	35	6	50’X70’	22.8.1963
36.	बालूराम/लादूराम कुम्हार	36	83	50’X70’	6.4.1963
37.	कालूराम/खेताजी नायक बिंजारा	37	84	50’X70’	6.4.1963
38.	रूस्तम/फूल शां	38	85	50’X70’	6.4.1963
39.	मो. इकबाल/फरीद मोहम्मद	39	86	50’X70’	6.4.1963
40.	सुमरेचंद/लालचंद कोठारी	40	91	60’X70’	5.1.1963
41.	मोहनराज/अजेयराज मेहता	41	89	60’X70’	5.1.1963
42.	इस्माईल/करीम	42	19	50’X70’	23.5.1963
43.	गफूर/करीम रहमत/ममद शरीफ	43	20	50’X70’	23.5.1963
44.	मोहम्मद शरीफ/एमद	44	14	50’X70’	22.5.1963
45.	जहूर अली/असगर अली	45	35	50’X70’	10.11.1963
46.	हरिराम/अमराजी बाबरी	45 ए	27	56’X70’	24.2.1974
47.	चुन्नीलाल/नारायण भाट	46	45	56’X70’	12.11.1963
48.	मोहनलाल/प्रताप नाई	47	17/7	56’X70’	23.6.1966
49.	अहमद हुसैन/निजामुद्दीन शेख	48	43	56’X70’	12.11.1963
50.	मोहम्मद यासीन/गफूर छीपा	49	9	56’X70’	18.4.1963
51.	नन्दकिशोर/जैनारायण ब्राह्मण	50	10	56’X70’	18.4.1963
52.	जमानुदीन/लाल मो. घोसी	51	44	56’X70’	26.4.1964
53.	सोहनलाल/भूरजी जैन	52	55	56’X70’	10.9.1964
54.	चन्द्रसिंह/डूंगरसिंह	53	11	56’X70’	18.4.1963

1	2	3	4	5	6
55.	घीसूलाल/पन्नालाल जैन	54	16	56'X70'	15.1.1964
56.	प्रकाश कुमार/भंवरसिंह	55	36	56'X70'	30.6.1963
57.	सुमेरदास/कानाराम बारहठ	56	5	50'X70'	30.7.1963
58.	परबतसिंह/धोकलसिंह	57	4	50'X70'	30.7.1963
59.	मुस्ताक अहमद/ईशाक मो. चुडीगर	58	7	50'X70'	22.8.1963
60.	खलील अहमद/ईशाक चुडीगर	59	8	50'X70'	22.8.1963
61.	गफूर खां/समसुदीन पठान	60	49	50'X70'	20.7.1963
62.	मिश्रु खां/चिमन खां पठान	61	44	50'X70'	10.7.1963
63.	जवरीलाल/जीवराज	62	92	60'X70'	5.1.1963
64.	सुरेशचन्द/हनुवन्त राज मेहता	63	87	60'X70'	5.1.1963
65.	रमजान/करीम	64	17	50'X70'	23.5.1963
66.	इसूफ/करीम, एमद/अलारक	65	18	50'X70'	23.5.1963
67.	गुलाम मो./मो. शरीफ	66	15	50'X70'	22.5.1963
68.	ममद शरीफ/गफूर खां	67	40	50'X70'	12.11.1963
69.	शांतिलाल/रतनचन्द लौढ़ा	68	33	50'X70'	24.3.1964
70.	मोतीलाल/मोहनलाल मेडतावाला	69	36	50'X70'	24.3.1964
71.	हंसराज/बस्तीमल मूथा	70	37	50'X70'	24.3.1964
72.	हंसराज/बस्तीमल मूथा	71	35	50'X70'	24.3.1964
73.	सूर्यप्रकाश/पुखराज, दाउलाल/देवीलाल	72	38	50'X70'	30.3.1964
74.	पारसमल/हरकचंद कांकरिया	73	34	50'X70'	24.3.1964
75.	उत्तमचंद/बस्तीमल धारोलिया	74	32	50'X70'	24.3.1964
76.	जितेन्द्र कुमार/मदनलाल	75	32	50'X70'	10.11.1963
77.	टेकचंद/कुन्दोमल	76	47	50'X70'	12.11.1963
78.	खेताराम/गेराराम	77	39	50'X70'	18.4.1964

1	2	3	4	5	6
79.	मदनलाल/हीरालाल बोहरा	78	43	50'X70'	8.4.1964
80.	राजूराम/भूताजी कीर	79	57	50'X70'	20.9.1966
81.	इशाक मोहम्मद/अजीम खैरादी	80	2	50'X70'	30.7.1963
82.	मो. ईस्माइल/अजीम खैरादी	81	3	50'X70'	30.7.1963
83.	मो. रमजान/अजीम खैरादी	82	1	50'X70'	30.7.1963
84.	अनवर अली/कासम हाजी नागौरी	83	2	50'X70'	30.11.1963
85.	नबी बक्स/रमजान खां	84	50	60'X70'	30.11.1963
86.	अल्लादीन /वजीर खां	85	1	60'X70'	30.11.1963
87.	हकीम कादर बक्स/सदीक मो. शेख	86	20	50'X70'	5.10.1963
88.	जमालुदीन/रहीम बक्स शेख	87	7	60'X70'	15.6.1963
89.	युसूफ/करीम छीपा	88	73	50'X70'	5.11.1964
90.	प्रकाशचंद/लूणीया जैन	89	54	50'X70'	10.9.1964
91.	प्रकाशचंद/लूणीया जैन	90	53	50'X70'	10.9.1964
92.	रमेशचंद/जी.शाह संकलेचा	91	26	50'X70'	2.2.1964
93.	रमेशचंद/जी.शाह संकलेचा	92	25	50'X70'	2.2.1964
94.	सुखराज/कुमार कोचर	93	41	50'X70'	8.4.1964
95.	सुखराज/कुमार कोचर	94	42	50'X70'	8.4.1964
96.	उस्मान गनी/अ. रहमान छीपा	95	41	50'X70'	12.11.1963
97.	अब्दुल गफार/अलारक छीपा	96	42	50'X70'	12.11.1963
98.	समसुदीन/गुलाब बक्स शेख	97	3	50'X70'	10.12.1963
99.	आमना/मो. रमजान खैरादी	98	40	50'X70'	8.4.1964
100.	मो. ईस्माइल, मो. शरीफ/अहमद खैरादी	99	49	50'X70'	28.11.1963
101.	कमर हुसैन/अहमद खैरादी	100	48	50'X70'	28.11.1963
102.	अ.रहमान, ममद हामिद, अ.कादर मो. हुसैन/निजामुदीन खैरादी	101	29	50'X70'	10.11.1963

1	2	3	4	5	6
103.	निजामुदीन/चांद मो. खैरादी	102	30	50'X70'	10.11.1963
104.	मोहम्मद रमजान/चांद खैरादी	103	39	50'X70'	10.11.1963
105.	हसनअली/नबीबक्स खैरादी	104	33	50'X70'	10.11.1963
106.	न्याज अली/हसन अली	105	34	50'X70'	10.11.1963
107.	अ. कबीर, मो. इकबाल/ अब्दुल करीम खैरादी	106	6	60'X70'	20.12.1963
108.	अब्दुल गफार/अ. रहमान खैरादी	107	29	50'X70'	2.3.1964
109.	अब्दुल रहीम/अ. रहमान खैरादी	108	30	50'X70'	2.3.1964
110.	अब्दुल कादर/अ. रहमान खैरादी	109	31	50'X70'	2.3.1964
111.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
112.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
113.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
114.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
115.	परमानन्द/खुशलदास लौहाना	114	33	50'X70'	24.5.1974
116.	करनीदान/राणीदान चारण	115	34	50'X70'	24.5.1974
117.	डूंगरसिंह/गोविन्दराम माली	116	32	50'X70'	24.5.1974
118.	जैपाराम/सूजाराम कुम्हार	117	36	50'X70'	24.5.1974
119.	फकरुदीन/अब्दुल गनी शेख	118	30	50'X70'	24.5.1974
120.	जमालुदीन/रहीम बक्स शेख	119	35	50'X70'	24.5.1974
121.	बाबू खां/चांद खां	120	31	50'X70'	24.5.1974
122.	नसीर खां/गफूर खां (नियमन)	121	296	27'X60'	25.5.1990
123.	मुस्लिम मदरसा	122	2	50'X70'	15.2.1974
124.	मो. हनीफ/गफूर खां (नियमन)	123	543	49'X63'	20.1.1992
125.	खींवराज/नवला जटिया	124	3	50'X70'	15.6.1968
126.	बद्रीनारायण/भाणाराम जटिया	125	6	50'X70'	15.6.1968

127.	प्रतापमल/किसना जटिया	126	5	60’X70’	15.6.1968
128.	पुखराज/केशाजी जटिया	127	4	60’X70’	15.6.1968
129.	हाजीराम/पूनाराम जटिया	128	1	50’X70’	15.6.1968
130.	त्रिलोक/मोटा जटिया	129	2	50’X70’	15.6.1968
131.	भैराराम/पन्ना पटेल	67 के पास	37	50’X70’	24.5.1972

आयुक्त,

नगर पालिका, पाली

कस्तूरबा नगर खण्ड- ‘ब’

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा नं.	साईज	पट्टा जारी की दिनांक
1.	भंवरी देवी/मोहनलाल	1	12	50’X70’	18.4.1963
2.	खोमाराम/सदाजी भाट	2	69	50’X70’	11.4.1967
3.	पीराराम/किस्तूर भाट	3	68	50’X70’	11.4.1967
4.	कानाराम/पीराजी भाट	4	72	50’X70’	11.4.1967
5.	सैयद अख्तर अली/अनवर अली	5	39	50’X70’	30.6.1963
6.	सैयद शौकत अली/अनवर अली	6	37	50’X70’	30.6.1963
7.	सैयद लाल मोहम्मद/दीन मोहम्मद	7	38	50’X70’	30.6.1963
8.	सैयद मनोवर अली/आजम दली चुडीगर	8	21	50’X70’	27.6.1963
9.	सैयद इन्साफ अली/तुर्राब अली	9	29	50’X70’	30.6.1963
10.	सैयद मासुल अली/बरकत अली	10	32	50’X70’	30.6.1963
11.	सैयद मनोवर अली/सरदार अली	11	23	50’X70’	27.6.1963
12.	सैयद निसार अहमद/मुमताज अली	12	26	50’X70’	30.6.1963
13.	सैयद शौकत अली/उमराव अली	13	28	50’X70’	30.6.1963
14.	सैयद शब्बीर अली/इमत्याज अली	14	33	50’X70’	30.6.1963
15.	फरीद/करीम छीपा	15	41	50’X70’	10.7.1963

1	2	3	4	5	6
16.	ईब्राहीम/ईस्माइल छीपा	16	42	50'X70'	10.7.1963
17.	अस्सद अली/मो. अली	17	34	50'X70'	30.6.1963
18.	सैयद असगर अली/अनवर अली	18	35	50'X70'	30.6.1963
19.	नईमुदीन जेनूदीन/गुलाम मोहेयुदीन	19	48	1221.25 वर्गगज (2x2) गज	27.7.1963
20.	खीमाराम/रामा भाट	20	15	50'X70'	2.10.1963
21.	मदुरिया/रामा भाट	21	16	50'X70'	2.10.1963
22.	हीराराम/अदरा भाट	22	24	50'X70'	8.11.1963
23.	प्रताप/अदरा भाट	23	9	50'X70'	20.12.1963
24.	शहादत अली/अब्बास अली	24	16	50'X70'	5.10.1963
25.	न्याज अली/अब्बास अली	25	17	50'X70'	5.10.1963
26.	शौकत अली/अब्बास अली	26	18	50'X70'	5.10.1963
27.	सैयद मनोवर अली/आजम अली	27	22	50'X70'	27.6.1963
28.	सैयद इंसाफ अली/तुर्राब अली	28	30	50'X70'	30.6.1963
29.	सैयद मासूम अली/बरकत अली	29	31	50'X70'	30.6.1963
30.	सैयद मनोवर अली/सरदार अली	30	24	50'X70'	27.5.1963
31.	सैयद निसार अहमद/मुमताज अली	31	25	50'X70'	30.6.1963
32.	सैयद शौकत अली/उमराव अली	32	27	50'X70'	30.6.1963
33.	मोहम्मद शरीफ/अहमद छीपा	33	40	50'X70'	10.7.1963
34.	गुलाम मोहम्मद/ममद शरीफ	34	43	50'X70'	10.7.1963
35.	भीखाराम/प्रताप भाट	35	22	50'X70'	8.11.1963
36.	भेराराम/किस्तुर भाट	36	23	50'X70'	8.11.1963
37.	आबंटन नहीं	37	-	अतिक्रमण	-
38.	आबंटन नहीं	38	-	अतिक्रमण	-

सूरसागर तालाब, बीकानेर के गंदे पानी की निकासी पर व्यय

273. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के मध्य स्थित सूरसागर तालाब के गन्दे पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या एवं इस योजना हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई व इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक कितनी लागत का, कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस विलम्ब के लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

(4) सूरसागर की समस्या से निजात दिलाने हेतु 31 जनवरी, 2007 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस योजनान्तर्गत किस एजेन्सी के माध्यम से व्यय की जा चुकी है तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर शहर के मध्य में स्थित सूरसागर तालाब के गन्दे पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित 23.07 करोड़ रुपयों की लागत से 3 पैकेज की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

उक्त कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी हां। इस योजना का पैकेजवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैकेज	कार्यारम्भ की तिथि	जनवरी, 2007 तक कार्य पर आई लागत (लाख रु.)	कार्य की भौतिक प्रगति
1	BIK/DR-01	26.10.2002	679.87	60 प्रतिशत पूर्ण।
2	BIK/DR-02	26.10.2002	275.00	44 प्रतिशत पूर्ण। कार्य टर्मिनेट कर दिया गया है। शेष कार्य की निविदाऐं प्राप्त कर स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
3	BIK/DR-03	18.02.2006	268.00	80 प्रतिशत पूर्ण।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। गत तीन वर्षों में स्टील एवं सीमेन्ट के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण कार्यों की प्रगति में विलम्ब हुआ है। गुण-अवगुण के मध्यनजर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विलम्ब के लिये दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है एवं एक फर्म मैसर्स ई.पी.आई.एल. का एक अनुबन्ध निरस्त किया गया है।

(4) दिनांक 31.01.2007 तक आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा व्यय राशि का विवरण खण्ड 2 के उत्तर में निहित है। उपरोक्त सभी कार्यों के शत-प्रतिशत पूर्ण होने पर ही परिणाम प्राप्त हो सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

बीकानेर शहर के मध्य स्थित सूरसागर तालाब के गन्दे पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु आरयूआईडीपी द्वारा ड्रेनेज से सम्बन्धित निम्न तीन पैकेज स्वीकृत किये गए हैं :-

1. **पैकेज नं. BIK/DR/01 –** इस पैकेज के तहत पुलिस लाइन के पास नाले की पुलिया संख्या 4 से भुट्टों का बास, कीर्ती स्तम्भ, एम.एन. अस्पताल होते हुए थाना संख्या 4 के आगे नाले तक 2.5 कि.मी. लम्बा एक डाईवर्सन चैनल का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। जिसका कार्य मैसर्स इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को आबंटित किया गया है। अभी तक कलवर्ट नं. 4 से पुलिस लाइन चौराहा तक 300 मी. एवं स्टेडियम के पास से बी.एस.एन.एल. के एक्सचेंज तक लगभग 1050 मीटर लम्बाई में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य को जून-2007 तक पूर्ण करवाये जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
2. **पैकेज BIK/DR-02 –** इस पैकेज के तहत सूरसागर की पुलिया संख्या 12 से जंक्शन पाइन्ट तक 2.46 कि.मी. का वर्तमान में स्थित नाले का रिमोडलिंग का कार्य तथा जंक्शन पाइन्ट से वल्लभ गार्डन तक 3.69 कि.मी. का निर्धारित डिजाईन के अनुसार गहरा व डिसिल्ट करने का कार्य सम्मिलित किया गया है। यह कार्य मैसर्स इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को आबंटित किया गया था। अभी तक जंक्शन पाइन्ट से वल्लभ गार्डन तक कुल 3660 मीटर लम्बाई में गहरा करने व डिसिल्ट करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और कलवर्ट सं. 17 (आरटीओ कार्यालय) से जंक्शन

पोइंट के बीच लगभग 850 मी. में पक्के नाले का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एस्कैप चैनल पर स्थित 14 जीर्णशीर्ण पुलियाओं के पुनर्निर्माण हेतु 6 पुलियाओं के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं शेष 8 में से 6 पुलियाओं के कार्य अगले माह जारी किये जायेंगे व अन्य 2 पुलियाओं के कार्यादेश सा.नि.वि. नेशनल हाईवे की स्वीकृति पश्चात जारी किये जायेंगे। दो पुलियाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष कार्य मार्च-08 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

3. **पैकेज BIK/DR-03** – इस पैकेज के अन्तर्गत मुख्य नाले में मिलने वाले 1.50 कि.मी. लम्बे रेल्वे नालों की रीमॉडलिंग कार्य व 8 किमी. लम्बाई के 8 सैकेण्डरी नालों का निर्माण प्रस्तावित था जिससे शहर की ओर से आने वाले वर्षा जल के प्रवाह को Channelise कर सूरसागर की ओर जाने से रोककर सीधे एस्केप चैनल व डायवर्सन चैनल में डाला जा सके। इसके अलावा गिन्नाणी नाले की मरम्मत व ढ़कने का कार्य भी सम्मिलित किया गया है। अब तक 1.50 किमी. रेलवे नालों की रीमॉडलिंग व 4.54 किमी. नये नालों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य जून-2007 तक पूर्ण कर लिए जाने सम्भावित हैं।

गणेश कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर के अग्निकाण्ड पीड़ितों को मुआवजा

274. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 17 जनवरी, 2007 को गणेश कॉलोनी, सिवाड़ एरिया, आमेर रोड़ जयपुर की आवासीय कोलोनी के बीच स्थित आजाद बाडी बिल्डर्स में भीषण अग्निकाण्ड हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों की ओर से सम्बन्धित पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो पीड़ित परिवारों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या इस भीषण अग्निकाण्ड से किसी को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्ति अथवा फर्म को कितना-कितना नुकसान हुआ क्या इन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया व नहीं, तो क्यों ?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(3) क्या आवासीय क्षेत्र में जहरीले रसायनों और अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए कारखाना चलाया जाना उचित है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और नहीं, तो इसे अभी तक बन्द क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसे स्थायी रुप से बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आजाद बाडी बिल्डर्स के आस-पास गणेश कॉलोनी सिवाड़ एरिया के निवासीगण ने पुलिस थाना सुभाष चौक पर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकानों में आग से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की गयी थी, किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाये जाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

(2) इस भीषण अग्निकाण्ड से आजाद बॉडी बिल्डर्स के साथ-साथ पास के मकान नं. 34, गणेश कॉलोनी सिवाड़ एरिया, आमेर रोड़ जयपुर (मकान मालिक श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा) एवं मकान नं. 35, गणेश कॉलोनी सिवाड़ एरिया, आमेर रोड, जयपुर (श्री गोपाल लाल सैनी, टोडरमल सैनी व छुट्टन लाल सैनी) को नुकसान हुआ है। उक्त दोनों मकानों में हुई क्षति की मरम्मत का ही तकमीना सहायक अभियन्ता, हवा महल (पूर्व) नगर निगम, जयपुर द्वारा बनाया गया, जो क्रमश 3306.96 रुपये व 17223.47 रु. है।

उक्त में से किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। आजाद बॉडी बिल्डर्स को व्यवसायिक परिसर होने से आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मुआवजा देय नहीं है। मकान नं. 34 व 35 में हुए नुकसान का मुआवजा भी अग्नि दुर्घटना नियमों के अनुसार पात्रता नहीं रखने के कारण देय नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रकरण में आजाद बॉडी बिल्डर्स द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां, उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों व ज्वलनशील पदार्थों के सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जाकर शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मन्दिर ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी, जयपुर में अवैध निर्माण

275. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराडा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के जयलाल मुंशी के रास्ते के दूसरे चौराहे के ठीक उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित मालियों के मन्दिर में, जिसमें ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी विराजते हैं, में पुजारी द्वारा गत दस वर्षों से अब तक मन्दिर की पहली व दूसरी मंजिल में क्या-क्या निर्माण करवाया गया है ? प्रत्येक कार्य का विवरण माप सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिर की पहली व दूसरी मंजिल में कराये गये निर्माण कार्य और सरकारी जमीन पर निर्मित दुकानों के बारे में क्या सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और नक्शा पास कर दिया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृति और नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। पुजारी द्वारा विगत वर्षो में मन्दिर की पहली मंजिल में दो हाल एक कमरा, किचन व जीना का कार्य करवाया गया।

पहली मंजिल में किये गये निर्माण की नाप निम्न प्रकार है :-

दो हॉल (1) 25’X15 (2) 25’X23’

एक कमरा 14’X12’6’

किचन 14’X8’

जीना 8’X7’

दूसरी मंजिल में एक टायलेट उत्तरी पश्चिमी तरफ 10’X5’ निर्मित है।

(2) जी नहीं। उक्त मन्दिर में पहली व दूसरी मंजिल पर कराये गये निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई।

अन्य 4 दुकानें जो काफी वर्षों से सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं जिसकी नगर निगम द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई। सिटी सर्वे में अंकित इकढालिया के स्थान पर निर्मित पुरानी जीर्ण-शीर्ण पांचवीं दुकान की मरम्मत की स्वीकृति पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 07.10.2005 जारी की गई, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

बिना स्वीकृति किये गये निर्माण कार्य को तत्समय रोकने के प्रयास किये गये, लेकिन धार्मिक स्थल से मामला जुड़ा होने से अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकी।

कार्यालय आयुक्त, हवामहल जोन (पश्चिम), जयपुर नगर निगम, जयपुर

क्रमांक दिनांक

श्री रमेश चन्द शर्मा

पुत्र स्व. श्री नाथ शर्मा

म.नं. 1868 जयलाल मुंशी का रास्ता,

दूसरा चौराहा, पुरानी बस्ती, जयपुर।

विषय :- मरम्मत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपके द्वारा मरम्मत कराने सम्बन्धित अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.9.2005 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि आपकी दुकान जीर्णशीर्ण होने के कारण मरम्मत की स्वीकृति दी जाती है। आपके द्वारा मरम्मत के अलावा किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जावेगा, तो राजस्थान न.पा. अधि. 1959 की धारा 170/254 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त,
हवामहल जोन (पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर।

लालकोठी आवासीय योजना के सर्वेशुदा कब्जेधारियों को भू-खण्ड आबंटन

276. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लालकोठी योजना जयपुर में जिस जगह बसी हुई है, वहां के कब्जेधारियों का सर्वे दिनांक 21 सितम्बर, 1982 को कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वेधारियों की सूची मय सर्वे नम्बर व नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी सर्वेधारियों को लालकोठी आवासीय योजना में भूखण्ड आबंटित कर दिये गये ? यदि हां, तो सर्वे नम्बर के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(3) क्या यह भी सही है कि सर्वे नम्बर 17717, 17718, 17710, 17720 को अभी तक भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उनको भूखण्ड आबंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार सर्वे नहीं होने के कारण सूची उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) दिनांक 21 सितम्बर, 1982 को सर्वे नहीं होने तथा सर्वे सूची नहीं होने के कारण प्रश्न अनुसार सर्वे नम्बरों पर कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या-277

(स्थगित)

बनीपार्क के धारा 90-बी की कार्यवाही के विचाराधीन प्रकरण

278. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में 90 बी की कार्यवाही किये जाने बाबत समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में निजी खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजना को नियमित किये जाने हेतु धारा 90-बी की कार्यवाही बाबत आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों से विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क से सम्बन्धित विचाराधीन आवेदन पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा इन आवेदन पत्रों पर 90-बी की कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ? अब तक धारा 90-बी की कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धारा 90-बी की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही है तथा ऐसे निर्णयों के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील करने का प्रावधान है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी (4) में इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रथम सुनवायी की दिनांक से 60 दिवस में निस्तारण की अवधि निर्धारित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क से सम्बन्धित विचाराधीन आवेदन पत्रों की जोनवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) 90-बी की कार्यवाही के विचाराधीन आवेदन पत्रों में अपूर्ण दस्तावेज, तरमीम नक्शा ट्रेस नहीं किये जाने, तकासमा, खातेदार की सहमति, भू-उपान्तरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि की कमी के कारण प्रकरण लम्बित है। इन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। धारा 90-बी के लम्बित प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही कर निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	जोन	नाम ग्राम	खातेदार योजना	क्षेत्रफल	प्रार्थना-पत्र दिनांक	शेष रहने का कारण
1	3	शुदर्शनपुरा तहसील एवं जिला जयपुर	श्री प्रमोद भटनागर, सुशील भटनागर, राजीव लोचन हर्ष वर्धन पुत्र श्री नारायण चन्द, श्रीमती दिव्यानाग पुत्री नारायण चन्द भटनागर	1210 वर्गगज	31.05.2006	अपूर्ण दस्तावेज तरमीमी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया।

उपायुक्त जोन-3

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का दि.	जोन संख्या	ग्राम/तहसील	क्षेत्रफल	नाम खातेदार/विकासकर्ता	एनओसी जारी दिनांक	लम्बित रहने का कारण
1	11.9.2004	4	खोखाबास सांगानेर	855 वर्गमीटर	श्री गोपालदास सांखिया	-	सम्बन्धित योजना का मानचित्र पेश नहीं होने के कारण व तकाशमा।
2	11.9.2004	4	उपरोक्त	856 वर्गमीटर	श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल	-	उपरोक्त
3	11.9.2004	4	उपरोक्त	857 वर्गमीटर	श्री जगदीश प्रसाद ताम्बी	-	उपरोक्त
4	5.6.2006	4	उपरोक्त	8.27 हैक्टेयर	रडियन्ट होटल्स प्रा. लि.	-	योग्यता मापदण्डों में छूट हेतु लम्बित
5	2.4.2006	4	उपरोक्त	0.73 हैक्टेयर	श्रीमती इन्द्रा	-	हवाई अड्डा से प्रभावित

उपायुक्त (जोन-4)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

90-बी. के विचाराधीन प्रकरण जोन-5

क्र. सं.	खातेदार/सोसायटी, रशमि जी	योजना का नाम	ग्राम	क्षेत्रफल	
1	रश्मिी कान्त दुर्लभ जी पुत्र खेलशंकर दुर्लभ	निजी खातेदार	सुशीलपुरा	27 बीघा 13 बस्वा	भूमि अवाप्ती से सशर्त मुक्त अतः राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित
2	योगेन्द्र कुमार दुलर्भ जी पुत्र श्री खेलशंकर दुलर्भ जी	निजी खातेदार	सुशीलपुरा	18 बीघा 15 बिस्वा	भूमि अवाप्ती से सशर्त मुक्त अतः राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित
3	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जमनाराम	निजी खातेदार	देवरी	1 बीघा 15 बिस्वा	नाले से प्रभावित परीक्षण डायरी
4	राजेश राजोरिया, श्री दीपक कूलवाल श्री बैकुण्डनाथ राजोरिया	निजी खातेदार	सुशीलपुरा	24 बीघा 10 बिस्वा	खातेदार द्वारा तरमीमी नक्शा उपलब्ध न कराने के कारण

परिशिष्ट 'अ'

90-बी से शेष निजी खातेदार/सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत आवासीय योजनाओं की सूची

क्र. सं.	गृ.नि.स.स.	योजना	ग्राम	तहसील	वि. विवरण
1	2	3	4	5	6
1	म्यूचुअल	स्कीम 24	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	कोर्टकेस
2	मित्र	श्याम वाटिका	बोयतावाला	जयपुर	कोर्टकेस
3	मोती भवन	12 ई	झोटवाडा	जयपुर	विवादित
4	भैरव	रामनगर विस्तार	झोटवाडा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
5	भैरव	प्रताप नगर	माचडा	आमेर	सदस्यता सूची, नक्शा व इकरारनामा नहीं
6	भैरव	जगदम्बा नगर	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	एस.डी.एम. कोर्ट के स्थगन
7	श्री गणपति	बालाजी विहार	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं

1	2	3	4	5	6
8	श्री गणपति	श्याम नगर प्रथम	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची व नक्शा नहीं
9	श्री गणपति	जगदीश विहार	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
10	श्री गणपति	- गणेशम	महापुरा उर्फ कुकरखेडा	जयपुर	कार्यवाही विचाराधीन
11	श्री गणपति	गोविन्द नगर	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
12	श्री गणपति	ज्वाला नगर	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
13	श्री गणपति	केशव नगर	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
14	श्री गणपति	गणेश नगर 6 व शंकर विहार बी रामनगर प्रथम	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
15	श्री गणपति	ज्वाला नगर प्रथम	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
16	श्री गणपति	रामनगर	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
17	सुभाष सिंधी	नारायण विहार	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
18	सुभाष सिंधी	ग्रीन कुंज	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
19	सुभाष सिंधी	ग्रीन टाउन	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
20	सुभाष सिंधी	आनंद विहार	झोटवाड़ा, नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
21	सुभाष सिंधी	ग्रीनलेन	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
22	सुभाष सिंधी	चंदाबाड़ी	झोटवाड़ा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
23	सुभाष सिंधी	आकाश विहार	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
24	सुभाष सिंधी	ग्रीन विहार	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
25	सुभाष सिंधी	आशीष नगर	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
26	शंकर भवन	सीताराम कॉलोनी	माचडा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
27	शंकर भवन	महादेव नगर	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
28	शंकर भवन	चंचल वाटिका	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
29	शंकर भवन	सिंह वाटिका	बोयता वाला	जयपुर	सदस्यता सूची व नक्शा नहीं

परिशिष्ट अ

1	2	3	4	5	6
30	मित्र	मक्का कालोनी	झोटवाड़ा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
31	मित्र	चौमू रोड़	बीड सरकारी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
32	मित्र	भवानी नगर	बीड सरकारी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
33	महावीर स्वामी	रमणपुरी	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
34	महावीर स्वामी	रमणबाडी	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
35	महावीर स्वामी	मां वैष्णो देवी नगर	झोटवाड़ा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
36	महात्मा गांधी	हनुमान नगर ए	चरण नदी	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
37	महात्मा गांधी	सतीश विहार	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
38	महात्मा गांधी	हनुमान नगर	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
39	हथराई गढी	गोविन्द नगर	झोटवाड़ा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
40	बाबा आर. एन. गौड़	राजेन्द्र नगर	झोटवाड़ा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं
41	पटेल	आशीष नगर	नांगल जैसा बोहरा	जयपुर	सदस्यता सूची नहीं

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 01.01.2004 से फरवरी 2007 तक लम्बित 90-बी की सूचना

क्र. सं.	जोन	नाम ग्राम	खातेदार /योजना प्रतिनिधि	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	लम्बित रहने का कारण
1	7	लालरपुरा	फादरएडवर्ड एलिवेरा वास्ते आ.द.सि. डायोसिन आफ अजमेर प्रधानाचार्य सेन्ट ऐन्सलम पिंकसिटी स्कूल मालवीय नगर, जयपुर	0.51	संयुक्त खातेदारी होने के कारण
2	7	लालरपुरा	सिस्टर एनऐट फर्नाडिस एंजिला वैलफेयर सोसायटी	1.00	संयुक्त खातेदारी होने के कारण
3	7	लालरपुरा	ऊषा बाई पत्नी भागीरथ जाट	1.26	प्रक्रियाधीन

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा योजना क्षेत्र के बकाया नियमन प्रकरण

279. श्री सुभाष चन्द बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा योजना क्षेत्र के बकाया नियमन सम्बन्धी 2251 प्रकरणों में अनुमानित 20 प्रतिशत खाली भूखण्डों में से कितने भूखण्डों का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा योजना क्षेत्र के बकाया नियमन सम्बन्धी कितने प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं ? प्रकरणानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक इनका परीक्षण कर निष्पादित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के द्वारा योजना क्षेत्र के 2251 प्रकरणों में से 896 प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है। जिसमें रिक्त भूखण्ड व मकान सम्मिलित हैं। शेष योजना क्षेत्र के प्रकरणों का सत्यापन जारी है।

(2) अभी तक कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण करवाया जावेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुशीलपुरा कच्ची बस्ती के रिकार्ड का नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरण

280. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा, जयपुर, कच्ची बस्ती वर्ष 1993 में नगर निगम जयपुर को अन्य बस्तियों के साथ हस्तान्तरित कर दी गई थी ?

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

(2) क्या यह सही है कि नगर निगम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को रिकार्ड भिजवाने हेतु कई बार पत्राचार किया गया ? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को रिकार्ड नहीं भेजने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम जयपुर को रिकार्ड नहीं भिजवाने के कारण उक्त सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में मूलभूत सुविधायें यथा, सीवर लाइन, पाइप लाइन, सडकें आदि का कार्य नहीं हो रहा है ?

(4) क्या सरकार अब नगर निगम, जयपुर को सुशीलपुरा कच्ची बस्ती का रिकार्ड स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राजपत्र जुलाई 5, 1993 के अनुसार सुशीलपुरा कच्ची बस्ती नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 835 दिनांक 22.07.1999 के अनुसार सुशीलपुरा कच्ची बस्ती नगर निगम को हस्तान्तरित की गई है, जिसका रिकार्ड आज दिनांक तक नगर निगम को अप्राप्त है।

(2) जी हां। उक्त रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण नहीं भिजवाया जा सका।

(3) उक्त कच्ची बस्ती में संलग्न सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार विकास कार्य कराये गये तथा रोड लाईट भी लगी हुई है, जिसका संधारण जयपुर नगर निगम द्वारा किया जाता है। रिकार्ड प्राप्त नहीं होने से विकास कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 में यह पत्रावली तलाश करने पर उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। पत्रावली उपलब्ध होते ही तत्काल नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

परिशिष्ट ''अ''

सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में कराये गये विकास कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखा में)
1	सुशीलपुरा सरस्वती नगर में सड़क व नाली निर्माण कार्य	6.77
2	सुशीलपुरा गली नं. 3 में शेष सड़क निर्माण कार्य	0.83
3	सुशीलपुरा गली नं. 3 में शेष गलियों में सी.सी. निर्माण कार्य	4.08
4	सुशीलपुरा में नाली व सड़क निर्माण कार्य	5.24
5	सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में नाली व सड़क निर्माण कार्य	5.42

अधिशासी अभियंता (द्वितीय)
जयपुर नगर निगम

अजमेर नगर परिषद् द्वारा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन

281. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन उसी भूमि का बदला जायेगा जो सरकार या नगरपालिका द्वारा आबंटित है ?

(2) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोग अनुसार भूमि का उपयोग करने पर भी भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय है ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद अजमेर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2006 को लिया गया निर्णय बिन्दु सं. एक नियमानुसार है ?

उत्तर

(1) मास्टर प्लान से भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित नियम सरकारी भूमियों के अलावा सभी प्रकार की भूमियों पर लागू होते हैं।

(2) मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोग अनुसार भूमि का प्रयोग करने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय है, यदि उस भूमि का राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा मास्टर प्लान तैयार होने से पूर्व आबंटन या बेचान मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न किया गया है।

(3) दिनांक 06.09.2006 को आयोजित भू-उपयोग परिवर्तन समिति

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

की बैठक में बिन्दु संख्या-1 में वाणिज्यिक राशि वसूल करने या नहीं करने बाबत् विचार-विमर्श कर सदस्यों द्वारा राय व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उपरोक्त सम्बन्ध में विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण के पश्चात् उचित निर्णय लिया जायेगा।

शिवशंकर कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, जयपुर द्वारा बसाई गई आवासीय योजनाएं

282. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिव शंकर कापरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड जयपुर (2690/L) द्वारा पंजीयन से अब तक कौन-कौन सी आवसीय योजनाएं कहां-कहां कितने-कितने भू-खण्डों की काटी गई ? उक्त योजनाओं हेतु समिति द्वारा भूमि कहां-कहां एवं किस-किस से प्राप्त की गई ? आवासीय योजनाओं हेतु किये गये इकरारनामों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त समिति द्वारा अब तक किस-किस योजना के भूखण्डधारियों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराई गई एवं किस-किस योजना की धारा 90-बी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई एवं किस-किस योजना की किस-किस कारण से नहीं की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों की भूमि इकरारनामें के आधार पर गैर कानूनी तरीके से हथिया कर आवासीय योजना काटी गई है तथा भूमि का पंजीयन भी नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) शिव शंकर कापरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में 66 योजनाओं के रिकॉर्ड पेश किये गए हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इन योजनाओं के इकरारनामों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त समिति द्वारा जिन योजनाओं की भूखण्डधारियों की सूची प्रस्तुत की गई है वे परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। योजनाओं के 90-बी की कार्यवाही बाबत् सूचना परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(श्री नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त समिति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर भूमि प्राप्त कर योजनाएं काटी गई है लेकिन नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.5(3)/नविवि/3/99 दिनांक 10.07.1999 के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उक्त अध्यादेश की धारा 63 की उपधारा (1) के सब क्लाज (II) मे संशोधन किया जाकर यह व्यवस्था की गई है कि नगरीय सीमा के तहत कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग कर लिया गया है या ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग का कोई मूल्य प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, इकरारनामा या मुत्यारनामा या वसीयत या अन्य किसी प्रकार से अकृषि कार्य हेतु हस्तान्तरण कर दिया गया है तो ऐसी भूमि के खातेदार/व्यक्ति के सभी अधिकार एवं हित समाप्त किये जा सकेंगे और भूमि राज्य सरकार में पुनर्ग्रहित की जा सकेगी तथा नगीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (3)/यू.डी.एच./3/99 दिनांक 28.02.2004 के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने पर धारा 42(ख) में उल्लेखित भूमियों में भी धारा 90-बी (3) की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

एस.एम.एस. स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य हुए समझौते की पालना

283. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य क्रीड़ा परिषद ने एस.एम.एस. स्टेडियम का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ चार वर्ष का एम.ओ.यू. किया है ? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को बिजली पानी तथा अन्य खर्चे वहन करना था?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नवीनीकरण इंटीरियर पर होने वाला खर्च व मैदान के रखरखाव की भी जिम्मेदारी दी गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(5) क्या सरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। क्रीड़ा परिषद एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य दिनांक 30.12.2005 को एम.ओ.यू. किया गया है। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एम.ओ.यू. में वर्णित जिम्मेदारियों की पालना के लिये पाबन्द है।

(5) जी नहीं।

परिशिष्ट 'क'

Memorandum of Understanding
between
Rajasthan State Sports Council and
Rajasthan Cricket Association

This Memorandum of Understanding is made and entered into on the 30th day of December, 2005 between the Rajasthan State Sports Council (hereinafter called the 'Council'), a Society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 bearing registration No. 93/JPR/1969-70 and having as its objectives the promotion of games and sports in the State of Rajasthan; and the Rajasthan Cricket Association (hereinafter called the 'RCA'), a Society registered under the Rajasthan Sports (Registration, Recognition and Regulation of Association) Act, 2005 bearing registration No. क्री.सं./राज्य/020/2005 and having as its objectives the promotion of the game of Cricket in the State of Rajasthan.

Whereas the Government of Rajasthan has authorized Rajasthan State Sports Council to execute this MoU; and,

Whereas the RCA is affiliated to the Board of Control of Cricket in India (BCCI) and has been carrying on activities for the promotion of the cricket by holding international and national tournaments, sending players to various championships in India, and providing coaching facilities; and,

Whereas RCA has, with the permission of the Council, recently carried out development work in the President and Chairman boxes, dressing rooms and

toilet and other facilities, located in the South Pavilion of the SMS Stadium, Jaipur at an approximate cost of Rupees Ninety lacs; and,

Whereas the RCA wishes to develop further, the infrastructure for cricket as presently available in the SMS Stadium, Jaipur; and,

Whereas the RCA has approached the Council with a proposal in this regard, vide their letter dt. 31-08-2005 and subsequent letter dated 29.10.2005 addressed to the Council (annexed herewith); and,

Whereas in the letters referred to above, the RCA has inter-alia proposed to develop facilities as follows :

a) the South Pavilion would be used to make first class facilities for cricket player umpires, VIP boxes, press and media rooms, lounges, commentators' boxes, catering and seating arrangements with state-of-the-art and ultra modern facilities;

b) the plot of land on the N.E. part of the stadium admeasuring 400 feet x 400 feet (approx). would house an academy to nurture talent in Rajasthan, and give them the environment and facilities required in modern day sport including facilities such as a gymnasium; all weather nets with 12 pitches, fully equipped with bowling machines and coaching software; video room; learning center; lecture room; facilities for sports science and medicine; coaches rooms and players' locker room; and,

Whereas the Council appreciates the need for a cricket academy at Jaipur for training and developing players of Rajasthan, as well as the need to maintain and improve the facilities in the South Pavilion to an inter-national standard;

Now, therefore, the Council and the RCA hereby enter into a Memorandum of Understanding as follows :

1. The Council will :

1.1 allow RCA the use of the South Pavilion and the play field situated in the north-east of SMS stadium, Jaipur ad-measuring 400 feet x 400feet (approx. as indicated in the enclosed map) for a period upto 31-12-2009, while the possession remains with the council.

1.2 continue to have the right to organize any sporting activity and national functions and hand-over the premises to Government if required by them, as provided in clause 3.3 without being hindered / hampered by RCA.

2. **The RCA will :**

2.1 develop infrastructure facilities for imparting training and other facilities to cricketers of Rajasthan, on the area/premises they are being allowed to use by virtue og this MoU;

2.2 develop and maintain facilities in the South Pavilion to international standards;

2.3 incur all recurring and non-recurring expenditure on development, renovation and refurbishment (including electricity, water and other statutory dues) entirely from RCA's own resources, for the area/premises they are being allowed to use;

2.4 ensure that the play field and premises are used exclusively and only for coaching/training of the players and never for any non-sporting purpose;

2.5 pay to the Council, a match fee to be mutually determined, when a domesticon international match/fixture is played on the ground, keeping in mind the income of the RCA from the match;

2.6 in lieu of using the facilities being provided by the Council, maintain the play field of the main stadium as well as the area allowed to use, by the Council by virtue of clause 1.1, in good condition, and to the satisfaction of the President of the Council, at RCA's own expenses, including expenses on electricity and water;

Provided that the use of the main play-field will be as the Council may determine, and subject to clause 1.2;

Provided further that RCA may use the play field for practice and other local matches;

2.7 move out leaving the play fields and the premises on 'as is where is' basis for the Council immediately upon the expiry of the period of this MoU;

2.8 pay to the Council the amount incurred by it, on presentation of a bill thereof by the Council, if may activity or equipments or facilities has to be shifted from the South Pavilion on account of the pavilion's use by RCA;

2.9 pay electricity charges, for electricity consumed by it, on the basis of a separate meter/sub-meter the Council shall install; and also maintain the tubewell, motor, associated fittings etc. at RCA's own expense.

3. **The Council and the RCA will jointly :**

3.1 make efforts for motivating sponsors for national/international tournaments;

3.2 ensure that if the area referred to in clause 1.1 or any part thereof is used for advertising, other than during match time, then this will be only with the prior permission of the Council, and the revenue from such advertisements will be shared between the Council and the RCA in the ratio of 1:3;

3.3 ensure that the premises are made available to Government, as and when required, free of charge.

4. RCA shall have no claim on the immovable property as existing, or as improved upon by the RCA, and shall not claim any compensation for the improvements made, facilities developed or construction raised prior to or during the period of MoU, at the time of termination of this MoU.

5. The Council shall not be liable for any cost towards the maintenance of the premises that RCA is being allowed to use and the main ground which RCA is required to maintain by virtue of clause 2.6.

6. The RCA shall not allow the use of the premises of Council by any other person, body, or institution.

7. The RCA shall not carry out any structural changes or add to or change existing structures, without the prior written approval of the Council.

8. Either party to the MoU shall be at liberty to terminate the same by giving one month notice in writing, delivered at the official address of the other party and the MoU shall stand terminated on the expiry of one month from the date of such receipt.

9. In case any breach of any condition of this MoU, is ascertained by the Principal Secretary/Secretary Sports, GoR the MoU shall stand terminated.

It is certified that the signatories to this MoU are duly authorized by their respective bodies to affix their signatures to this document.

This MoU will come into force with immediate effect and would remain in force till 31-12-2009.

(Subhash Joshi)	**(J.K. Purohit)**
Honoray Secretary	**Secretary**
Rajasthan Cricket Association	**Rajasthan State Sports Council**

दुकान नं. पी-178, मोती कटला बाजार जयपुर का नीलामी प्रकरण

284. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्पदा निदेशालय, जयपुर द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1999 को मोती कटला बाजार, जयपुर की दुकान नं. पी-178 नीलाम की गई थी ? यदि हां, तो बोलीदाता का नाम, पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उच्च्तम बोलीदाता द्वारा उचित समय पर 25 प्रतिशत राशि रु. 2,03,000/- जमा कराने के पश्चात् भी प्रकरण को न्यायालय में लम्बित बताकर आबंटी की शेष राशि जमा नहीं की गई तथा दुकान का कब्जा भी नहीं दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बोलीदाता ने दुकान का कब्जा नहीं मिलने के कारण समय-समय पर उसकी जमा राशि मय 12 प्रतिशत बयाज के लौटाने हेतु आवेदन किया ? यदि हां, तो कब-कब ? दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बोलीदाता को उसकी जमा राशि मय ब्याज के लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) वैधानिक कार्यवाही किये बिना राजकीय सम्पत्ति को विक्रय/नीलाम करने में लापरवाही करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध तथा कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नीलामी में श्री सत्यनारायण जयसवाल निवासी बी-106 अर्जुन नगर, टोंक रोड, जयपुर द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई थी।

(2) जी हां। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत राशि जमा कराने का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण शेष राशि जमा नहीं की गई तथा दुकान का कब्जा नहीं दिया गया।

(3) जी हां। दिनांक 06.07.1999 व 19.07.2003 को जमा राशि मय ब्याज लौटाने हेतु आवेदन किया गया था।

(सम्पदा मंत्री)

(4) जमा राशि ब्याज सहित लौटाने के सम्बन्ध में प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जा रहा है, तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) राजकीय सम्पत्ति की नीलामी वैधानिक तरीके से की गई थी। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश में नीलामी कार्यवाही पर स्थगन नहीं दिया गया था, किन्तु एक दीवार की यथास्थिति कायम रखने एवं उक्त विवादित सम्पत्ति का भौतिक आधिपत्य किसी अन्य को अन्तरित नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिया गया था।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार वितरण हेतु गठित कोष

285. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संगीत नाटक अकादमी की ओर से क्या-क्या पुरस्कार वितरित किए जाते हैं ? अकादमी के बोर्ड का गठन कब से नहीं किया गया ?

(2) राज्य में सगीत नाटक अकादमी द्वारा कितनी अवधि से पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया है ? इससे राज्य के कलाकारों को क्या हानि हुई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कलाकारों को कठिनाई में मदद देने के लिए एक करोड़ रुपये के कोष के गठन का फैसला किया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कोष में कब-कब कितनी-कितनी राशि दी गई एवं शेष राशि कब तक दी जाएगी ?

उक्त कोष से अब तक किन-किन कलाकारों को कितनी-कितनी मदद दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2003-04 से अकादमी पुरस्कारों का वितरण नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य के कलाकार अकादमी अवार्ड प्राप्त करने से वंचित रहे हैं।

(2) अकादमी की ओर से नौ विधाओं में अकादमी अवार्ड, छः विधाओं में युवाओं में युवा पुरस्कार एवं एक बाल प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अकादमी के बोर्ड का गठन 07 मार्च, 2004 से नहीं किया गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 10 लाख रुपये तथा वर्ष 2001 में 15 लाख रुपये इस प्रकार कुल 25 लाख रुपये अकादमी के कलाकार

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

कल्याण कोष की स्थापना के लिए प्रदान की गई थी। इस राशि के ब्याज से असमर्थ असहाय कलाकारों व उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। 19 मार्च, 2003 को तत्कालीन मा. मुख्य मंत्रीजी द्वारा 75 लाख रुपये कलाकार कल्याण कोष हेतु देने की घोषणा की गई थी। यह राशि अकादमी को प्राप्त नहीं हुई है। कोष की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2004 तक कुल 74 कलाकारों को कोष की राशि पर प्राप्त ब्याज में से 5,44,419/- रुपये की मदद की गई है। सूची संलग्न प्रेषित है।

कलाकार कल्याण कोष योजनान्तर्गत कलाकारों/आश्रितों को वर्ष 1999-2000 से मई 2004 तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि का विवरण

क्र. सं.	कलाकार/आश्रित का नाम व स्थान	राशि	अवधि
1	2	3	4
सत्र 1999-2000			
1	श्री दीपक दीक्षित, उदयपुर	1000/- प्र.मा.	दिसम्बर 99 से सितम्बर 200 तक
2	श्री मिथीलाल परिहार, पाली	1000/- प्र.मा.	फरवरी 2000 से सितम्बर 2000 तक
3	श्री पुखराज खिलाड़ी, पीपाड़ सिटी	1000/- प्र.मा.	जनवरी 2000 से नवम्बर 2000 तक
सत्र 2000-2001			
1	श्रीमती फातिमा लंगा, जोधपुर	1000/- प्र.मा.	अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक
2	श्री बाल मोहन जाट, जयपुर	10,000/- प्र.मा.	एक मुश्त
3	श्रीमती सावित्री देवी, सुजानगढ़	1000/- प्र.मा.	दिसम्बर 2000 से नवम्बर 2001 तक
4	सुश्री अनवरी डागर, जयपुर	10,000/- प्र.मा.	एक मुश्त
5	श्री संजीव शर्मा, जयपुर	10,000/- प्र.मा.	एक मुश्त
6	श्रीमती कमला, नागौर	1000/- प्र.मा.	मार्च 2001 से फरवरी 2002 तक

1	2	3	4
7	श्रीमती नारायणी देवी, भीलवाड़ा	1000/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
8	श्री लक्ष्मीनारायण भट्ट, उदयपुर	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
9	श्री गुरु गणेशप्रसाद, बाड़मेर	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
10	श्रीमती गुलाब बाई, जयपुर	1000/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
11	श्री बिजलाराम मेघवाल, बाड़मेर	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
12	श्री संपतराम सेवग, मेड़ता रोड	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
13	श्रीमती फातिमा लंगा, जोधपुर	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
14	श्री भैरूसिंह मीणा, भरतपुर	500/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
15	श्री घीसाराम जोशी, सीकर	500/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
16	श्री नेमाराम ढ़ाढ़ी, जोधपुर	500/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
17	श्री महादेव नाथ, जयपुर	700/- प्र.मा.	जुलाई 01 से जून 02
18	श्री अंतिम कुमार पुरोहित, बीकानेर	10,000/- प्र.मा.	एक मुश्त
19	श्री सोहन लाल राजस्थानी, जयपुर	700/- प्र.मा.	सित. 01 से अगस्त 02
20	श्री अजीमुद्दीन खां, कंटानिया, पाली	700/- प्र.मा.	सितम्बर 01 से अगस्त 02
21	श्रीमती बच्ची लंगा, जोधपुर	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
22	श्री सोनाराम बावरा, जोधपुर	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
23	श्रीमती सावित्री देवी, सुजानगढ़	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
24	श्री शहजाद खां, सीकर	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
25	श्रीमती देवीबाई, सोजत सिटी	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
26	श्री मिथीलाल परिहार, पाली	700/- प्र.मा.	जनवरी 02 से दिस. 02
27	श्री अप्पानाथ जोगी, जोधपुर	5000/-	एक मुश्त
सत्र 2002-2003			
28	श्री लतीफ खां, जोधपुर	10,000/-	एक मुश्त
29	श्री शंकरलाल दयागी, पाली	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03

1	2	3	4
30	श्रीमती कमला, मेड़ता	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
31	श्री असलम खां, जयपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
32	श्री एन.डी. प्रकाश, बीकानेर	800/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
33	श्री घीसाराम जोशी, सीकर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
34	श्री पुखराज खिलाड़ी, पीपाड़ सिटी	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
35	श्रीमती शान्ति, जयपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
36	श्री बिजलाराम मेघवाल, बाड़मेर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
37	श्रीमती पन्नी देवी, चित्तौड़गढ़	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
38	श्री गणेश प्रसाद, बाड़मेर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
39	श्री सम्पतराज सेवग, मेड़ता	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
40	श्री रूपलाल, उदयपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 02 से जुलाई 03
41	श्री लक्ष्मीनारायण भट्ट, उदयपुर	700/- प्र.मा.	जुलाई 02 से जून 03
42	श्री आलीजा, जयपुर	700/- प्र.मा.	सित. 02 से अगस्त 03
43	श्री तोताराम मेघवाल, उदयपुर	1000/- प्र.मा.	जनवरी 03 से दिस. 03
44	श्रीमती बन्नो बेगम, जयपुर	1000/- प्र.मा.	फरवरी 03 से जनवरी 04
45	श्री उदयलाल भाट, भीलवाड़ा	700/- प्र.मा.	फरवरी 03 से जनवरी 04
46	श्रीमती मन्जू, जयपुर	700/- प्र.मा.	फरवरी 03 से जनवरी 04
47	श्रीमती सावित्री सांगड़िया, बाड़मेर	1000/- प्र.मा.	फरवरी 03 से जनवरी 04
48	श्री अश्विनी थूगी, कोटा	4,000/- रु.	एक मुश्त
49	श्री नेमाराम ढ़ाढ़ी, जोधपुर	500/- प्र.मा.	मार्च 03 से फरवरी 04
50	श्रीमती सावित्री देवी सारोठिया, जोधपुर	700/- प्र.मा.	मार्च 03 से फरवरी 04
51	श्री सुशील डांगी, जोधपुर	1000/- प्र.मा.	मार्च 03 से फरवरी 04
52	श्री भोमाराम दमामी, तेमा (शेरगढ़)	700/- प्र.मा.	जून 03 से मई 04

1	2	3	4
सत्र 2003-2004			
53	श्री नन्दकिशोर राव, कोटा	700/- प्र.मा.	जून 03 से मई 04
54	श्री सोनाराम बावरा, जोधपुर	700/- प्र.मा.	जून 03 से मई 04
55	श्री मोतीलाल स्वामी, सवाई माधोपुर	700/- प्र.मा.	जून 03 से मई 04
56	श्री नरेन्द्र कुमार चम्पावत, जोधपुर	700/- प्र.मा.	जून 03 से मई 04
57	श्रीमती नारायणी देवी, उदयपुर	1000/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
58	श्री अजीम खां, जालोर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
59	श्री अजीमुद्दीन खां, कंटीलय (पाली)	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
60	श्री जमालुद्दीन, नागौर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
61	श्री घीसाराम जोशी, सीकर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
62	श्रीमती सरजू देवी, जोधपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
63	श्रीमती मांडी देवी, ढोली, भदेरा नागौर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
64	श्री इलामुद्दीन लंगा, फलौदी	700/- प्र.मा. 7000/-	अगस्त 03 से जुलाई 04 एक मुश्त
65	श्रीमती कान्ता देवी, डांगी, जोधपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
66	श्रीमती गीजा देवी, जोधपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
67	श्री गोविन्द परिहार, जोधपुर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
68	श्री बिजलाराम, बाड़मेर	700/- प्र.मा.	अगस्त 03 से जुलाई 04
69	श्री शहजाद खां, सीकर	700/- प्र.मा.	सित. 03 से अगस्त 04
70	श्री पुखराज खिलाड़ी, पीपाड़सिटी	5000/-	एक मुश्त
71	श्री रणछोड़ भारती, जोधपुर	1000/- प्र.मा.	सित. 03 से अगस्त 04
72	श्री मठार खां, लंगा, फलौदी	700/- प्र.मा.	अक्टू. 03 से सित. 04
73	श्री पुखराज गिरासी, पालासनी	700/- प्र.मा.	अक्टू. 03 से सित. 04
74	श्री मांगीबाई पादरला, पाली	700/- प्र.मा.	अक्टू. 03 से सित. 04

बांदीकुई में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकृत ढाणियां/गांव

286. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत तीन वर्षों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने व कौन-कौन से गांव/ढांणियों को विद्युतीकृत किया गया ?

(2) वर्तमान में कौन-कौन से गांव व ढाणियां विद्युतीकरण से शेष हैं ? तथा इन्हें सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत तीन वर्षों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2006-07 में निम्न गांवों का विद्युतीकरण किया गया है :-

1. बासडा ब्राह्मण (1348300)
2. ढण्ड (1356300)
3. बड़ा बास (1360600)

उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी ढ़ाणी का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

(2) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा 227 चिन्हित ढ़ाणियों का विद्युतीकरण शेष है जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। इन 227 ढ़ाणियों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2008 तक प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अविद्युतीकृत ग्रामों हेतु आबंटित राशि

287. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने गैर विद्युतीकृत गांव हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक लक्ष्य के विरुद्ध कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) शेष अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने की सरकार की क्या कार्ययोजना है तथा उसके लिए कितने बजट का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार वर्तमान में 6246 गांव अविद्युतीकृत हैं। इनकी जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक विद्युत निगमों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के वार्षिक लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष अर्जित उपलब्धि निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	205	204
2005-06	250	256
2006-07	250	440
		(जनवरी 2007 तक)

उपरोक्त का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-''ब'' पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने जनवरी 2004 से अब तक 56 गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित 10 किलोवाट क्षमता के स्टेण्ड अलोन पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा भी विद्युतीकरण किया गया है। ऐसे 56 गांवों की सूची परिशिष्ट-''ब-1'' पर उपलब्ध है।

(3) शेष अविद्युतीकृत ग्रामों में से समस्त आबाद ग्रामों का राजीव गांधी गामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण प्रस्तावित है। इस हेतु 32 जिलों की 41 योजनाऐं तैयार की गई हैं जिनमें से 27 योजनाएं स्वीकृत हैं। 12 योजनाऐं सैद्धांतिक रुप से स्वीकृत हुई हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति अभी अपेक्षित है। 2 योजनाओं की स्वीकृति अभी होनी शेष है। इन सभी 41 योजनाओं की अनुमानित लागत 1091.49 करोड़ रुपये है। 27 स्वीकृत योजनाओं में से 26 योजनाओं के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं व एक प्रक्रियाधीन है। इस हेतु रखे गये बजट प्रावधानों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-''स'' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के माध्यम से राजस्थान अक्षय ऊजा निगम द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयनित गांवों में से शेष 6 गावों का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 243.60 लाख रु. के बजट का प्रावधान पूर्व में ही किया जा चुका है तथा जिन दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण सौर फोटोवोल्टीक घरेलू उपकरण लगाकर किया जा रहा है जिसका संख्या विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	कुल सिस्टम	गांव	बजट प्रावधान
2005-06	3980	230	6,40,18,300
2006-07	7618	73	12,25,35,530

परिशिष्ट "अ"

Status of Un Electrified Villages as on 31-01-2007			
State, Rajasthan			
S. No.	**Name of Distt.**	**Total Villages as per 2001 census**	**Total Un electrified villages**
1	2	3	4
	Jaipur Discom		
1	Alwar	1994	58
2	Baran	1207	190
3	Bharatpur	1472	158
4	Bundi	849	80
5	Dausa	1058	21
6	Dholpur	802	253
7	Jaipur	2131	59
8	Jhalawar	1600	256
9	Karauli	798	149
10	Kota	892	81
11	S. Madhopur	794	131
12	Tonk	1093	151
	Toal (A)	**14690**	**1587**

1	2	3	4
	Ajmer Discom		
1	Udaipur	2351	603
2	Chittorgarh	2395	368
3	Banswara	1504	639
4	Ajmer	1038	43
5	Sikar	992	47
6	Jhunjhunu	859	32
7	Rajsamand	987	114
8	Bhilwara	1745	186
9	Nagaur (excluding P.S. Ladnu)	1402	131
10	Doongarpur	858	81
	Total (B)	**14131**	**2244**
	Jodhpur Discom		
1	Barmer	1941	981
2	Bikaner	778	403
3	Jaiselmer	367	255
4	Jalore	706	42
5	Ganganagar	3014	269
6	Hanumangarh	1905	243
7	Sirohi	462	5
8	Pali	949	43
9	Jodhpur	1063	125
10	Churu	979	48
11	Nagaur (P.S. Ladnu)	98	1
	Total (C)	**12532**	**2415**
	Grand Total	**41353**	**6246**

परिशिष्ट "ब"

JAIPUR VIDYUT VITARAN NIGAM LIMITED
(RURAL ELECTRIFICATION CIRCLE)

STATEMENT SHOWING DISTRICT WISE TARGET & ACHIEVEMENT OF LOCALITIES ELECTRIFIED FROM 2004-2005 TO 2006-2007 (UPTO JAN. 2007

S. N.	Name of Distt/ Discom	Year wise target & Achievement					
		During 2004-05		During 2005-06		During 2006-07 (up to Jan. 2007)	
		Target	Achiev.	Target	Achiev.	Target	Acheiv.
1	2	3	4	5	6	7	8
	JAIPUR DISCOM						
1	Alwar	0	0	1	1	47	35
2	Baran	0	0	1	1	0	0
3	Bharatpur	0	0	0	0	0	0
4	Bundi	0	0	1	1	77	0
5	Dausa	0	0	0	0	34	25
6	Dholpur	2	2	119	125	35	35
7	Jaipur	0	0	1	1	0	0
8	Jhalawar	0	0	3	3	0	0
9	Kota	0	0	0	0	44	0
10	Swaimadhopur	0	0	0	0	0	0
11	Tonk	0	0	13	13	0	0
12	Karauli	9	9	0	0	0	0
	Total	**11**	**11**	**139**	**145**	**237**	**95**
	AJMER DISCOM						
1	Ajmer	0	0	0	0	14	9
2	Banswara	1	1	0	0	0	0
3	Bhilwara	0	0	0	0	0	43
4	Chittorgarh	5	5	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Doongarpur	0	0	0	0	100	36
6	Jhunjhunu	0	0	0	0	0	0
7	Nagaur (Exc. P.S. Ladnu)	0	0	0	0	0	0
8	Rajsamand	0	0	0	0	132	61
9	Sikar	0	0	0	0	13	12
10	Udaipur	46	44	6	6	0	0
	Total	**52**	**50**	**6**	**6**	**259**	**161**
	JODHPUR DISCOM						
1	Barmer	28	28	5	5	0	0
2	Bikaner	1	1	0	0	205	0
3	Churu	0	0	0	0	11	0
4	Nagaur (P.S. Ladnu Only)	0	0	0	0	0	0
5	Jaiselmer	32	32	21	21	107	38
6	Jalore	0	0	0	0	30	0
7	Jodhpur	0	0	0	0	173	123
8	Sirohi	0	0	0	0	8	4
9	Pali	0	0	0	0	0	0
10	Sriganganagar	67	67	50	50	11	10
11	Hanumangarh	14	15	29	29	10	9
	Total	**142**	**143**	**105**	**105**	**555**	**184**
	Grand Total	**205**	**204**	**250**	**256**	**1051**	**440**

परिशिष्ट "ब"

RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LIMITED

(Government of Rajasthan Undertaking)
E-166, Yudhishthir Marg, C-Scheme, Jaipur
Tel: 2382759 / 23822988 / 2383450 Fax : 0141-2381528

Solar Photovltaic—10 KW SAPP in Rajasthan
(Under PMGY Scheme from 2004 to till date)

S. No.	Name of District	Name of Viilage
1	2	3
1	Karauli	Naniya Ki Guwari
2		Ashaki
3		Nibhera
4		Marnmada
5		Rawatpura
6		Baharda
7		Daulatpur
8		Maharajpura
9		Chachari
10		Chorkalan
11		Chorghan
1	Chittorgarh	Beo
2		Leeliya
3		Reechri
4		Singaronka Khoti
5		Mandkala
1	Banswara	Bara
2		Billaria
3		Barawada
4		Imli Jahran

1	2	3
5	Banswara	Napla
6		Dhanakshri
7		Bori
8		Ghorwara
9		Pati Nagra
10		Bhameri
11		Talab
12		Mandiv
13		Kanpuri
14		Khar Khoti
15		Thikaria
16		Salon
17		Rel
18	Banswara	Hamirgarh
19		Haro
20		Lalpur
21		Ranpur
22		Jamliya
23		Kotra
24		Chhaliyabar
25		Sajwania
26		Thakra
27		Khorpara
28		Sakarpara
29		Rohania

1	2	3
1	**Jodhpur**	Meerpura
2		Dungarpura
3		Bhomsagar
1	**Udaipur**	Sati ki Chori
2		Sura
1	**Jaisalmer**	Mohranwala
2		Ghantiyali
3		Tanot
1	**Sawai Madhopur**	More Dongari
2		Bhavpur
	Bikaner	
1	Bikaner	Chake No. 5

(TOTAL VILLAGES-56 Nos.)

परिशिष्ट "स"

XI Five Year Plan (2007-08 to 2011-12

Final Plan out lay for the XI year plan (2007 to 2012) of all the Discoms have been proposed Rs. 7162 Crores. The year wise and head wise break up of Rs. 7162 Crores is as under :-

(Rs. In crores)

S. No.	Major/Minor heads of Development	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1	Sub Transimission	665	1195	980	560	315	3715
2	Re-Works (Including New connections)	319	367	551	503	537	2277
3	FRP	175	95	40	0	0	310
4	RGGVY/AREP	396	374	30	30	30	860
	TOTAL	**1555**	**2031**	**1601**	**1093**	**882**	**7162**

Resources of XI Five Year Plan

For above outlays an assessment for resources likely to be available for funding XI Five Year Plan has been made. These are as under :-

(Rs. In crores)

S. No.	Sources	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1	LIC	150	200	225	195	175	945
2	REC	314	365	548	513	517	2257
3	FRP	175	95	40	0	0	310
4	World-Bank (EAP)	240	632	468	160	0	1500
5	State Govt.	280	365	290	195	160	1290
6	RGGVY	396	374	30	30	30	860
12	**TOTAL**	**1555**	**2031**	**1601**	**1093**	**882**	**7162**

The physical targets for XI Five Year Plan and for the year 2007-08 have been proposed under.

फुलेरा के लम्बित कृषि कनेक्शन

288. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कितने कृषि कनेक्शन किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां व कब-कब जारी किये गये ? ग्रामवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कितने कृषि कनेक्शन किस-किस व्यक्ति के कहां-कहां व कब से लम्बित हैं ? उक्त कनेक्शन अब कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित उपखण्डों में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का उपभोक्तावार, ग्रामवार एवं जारी किये जाने की तारीख का विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर उपलब्ध है। उपखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	1 जनवरी, 2004 से माह फरवरी, 2007 तक दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या
1	सांभर लेक	48
2	जोबनेर	288
3	रेनवाल	146
	कुल योग	**482**

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित उपखण्डों में लम्बित उपभोक्तावार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट–''ब'' पर उपलब्ध है। उक्त कनेक्शन निगम द्वारा जारी नीति के अनुसार उनके वरीयता क्रम में जारी किये जायेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सलूम्बर के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

289. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत कितने राजस्व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत देवगांव का राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा विद्युतीकृत है ? यदि नहीं, तो इसको अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत आठ ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना 2005-06 के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में इन शेष रहे आठ ग्रामों में से ग्राम अरावेला एवं श्यामपुरा में सौलर फोटोवोल्टिक घरेलू लाइट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम रमीणा, कुण्डा, वालिया खेड़ा, सरवणी एवं वेन को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भिजवाया गया है शेष रहे एक भीमगांव गैर आबादी है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) रघुनाथपुरा राजस्व ग्राम नहीं है। यह देवगांव का फला है एवं मूल राजस्व ग्राम देवगांव विद्युतिकृत है।

उच्च शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

290. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कक्षा 06 से पी.जी. डिप्लोमा, इन्जिनियरिंग तथा एम.बी.बी.एस. तथा सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बहुत से अन्य कोर्स के अध्ययनरत अनुसूचित/जनजाति के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मंहगाई के हिसाब से छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिसकी दरें निम्न प्रकार हैं :-

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं को एक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए निम्नानुसार देय है :-

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह	
		छात्र	छात्रा
1	6 से 8	15/-	20/-
2	9 से 10	30/-	40/-

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दस जमा दो योजना एवं कालेज स्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त कोर्स में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 1.00

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

लाख तक है, को देय है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर छात्रवृत्ति विभिन्न दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नगत पाठ्यक्रम संलगन परिशिष्ट ''अ'' के समूहों में निहित है, जिन्हें 10 माह के लिए प्रति विद्यार्थी निम्नानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है :-

समूह	अनुरक्षण/निर्वाह भत्ता दर	
	छात्रावासी	डेस्कॉलर
I	740	330
II	510	330
II	355	185
IV	235	140

विद्यार्थियों को अनुरक्षण/निर्वाह भत्ता के साथ नोन रिफण्डेबल फीस का भुगतान छात्रवृत्ति के अन्तर्गत किया जाता है।

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में दिनांक 01.04.2003 से वृद्धि की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ब'' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वृद्धावस्था पेंशन योजना में व्यय राशि

291. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं ? नियमों/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 में सरकार ने कितने वृद्धों को पेंशन की कितनी राशि का भुगतान किया ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वृद्धावस्था पेंशन राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है। नियम/मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 2006-07 में फरवरी 2007 तक सरकार ने 4,03,098 वृद्धों को 12446.10 लाख रुपये की पेंशन राशि का भुगतान किया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन स्वर्णिमा योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाएं

292. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नवीन स्वर्णिमा योजनान्तर्गत राज्य में वर्ष 2004 से अब तक लक्ष्य के विरुद्ध कितनी पात्र महिलाओं को कितना ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया गया ? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितनी महिलाओं ने ऋण हेतु आवेदन किया तथा उक्त में से कितनों को ऋण सुविधा प्रदान की गई ? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत ऋण हेतु उपलब्ध कराई गई कुल राशि में केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा कितना-कितना है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से नेशनल बेकवर्ड क्लास फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा अतिरिक्त पात्रों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त राशि के लिए आवेदन कर मांग की गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन स्वर्णिमा योजनान्तर्गत राज्य में वर्ष 2004 से अब तक लक्ष्य के विरुद्ध पात्र महिलाओं को ऋण प्रदान कर लाभान्वित किये जाने की वर्षवार एवं जिलेवार संख्या परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक ऋण हेतु महिलाओं से प्राप्त आवेदन एवं उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत ऋण हेतु उपलब्ध कराई गई कुल राशि में राष्ट्रीय निगम का हिस्सा 95 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का हिस्सा 5 प्रतिशत है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वर्ष	केन्द्र सरकार का हिस्सा 95%	राज्य सरकार का हिस्सा 5%
2003-04	1788613	94137
2004-05	1903610	100190
2005-06	3472440	182760
2006-07	1871738	98512

(4) उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हुये जिससे अतिरिक्त पात्रों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी।

परिशिष्ट 'अ'

नवीन स्वर्णिमा योजना में वर्ष 2004 से 2006-07 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त आवेदन पत्र एवं लाभान्वितों की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	2003-04				2004-05				2005-06				2006-07			
		आबंटित लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या	राशि	आबंटित लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या	राशि	आबंटित लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या	राशि	आबंटित लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या	राशि
1	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2	90000	8	16	12	0
2	अलवर	0	0	0	0	4	10	4	200000	5	19	5	220000	11	0	0	0
3	बांसवाड़ा	6	14	6	200000	0	3	0	0	3	9	5	180000	5	4	2	0
4	बारां	5	7	4	140000	2	2	0	0	2	6	1	50000	4	23	0	0
5	बाड़मेर	0	0	0	0	3	3	3	110000	5	5	5	130000	8	8	8	330000
6	भरतपुर	0	0	0	0	4	1	1	50000	5	6	5	230000	0	0	0	0
7	भीलवाड़ा	8	45	7	280000	0	0	0	0	5	11	3	100000	7	12	0	0
8	बीकानेर	6	13	4	150000	0	0	0	0	4	3	3	120000	0	34	0	0
9	बून्दी	4	8	3	140000	0	0	0		2	2	2	70000	3	3	1	47500
10	चित्तौड़गढ़	0	0	0	0	10	26	6	245000	4	13	4	160000	6	13	4	170000
11	चुरू	8	6	0	0	0	0	2	55000	4	4	2	80000	7	4	1	50000
12	दौसा	0	0	0	0	6	6	5	240000	3	4	3	150000	4	4	4	180500
13	धौलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100000	0	1	0	0
14	डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	185000	4	4	4	0
15	हनुमानगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	2	70000	5	0	5	0

16	जयपुर	20	20	5	105750	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	0
17	जैसलमेर	2	3	0	0	0	0	3	90000	1	2	1	40000	4	9	3	90000
18	जालोर	0	14	0	0	0	8	5	166250	3	3	3	62700	5	0	0	0
19	झालावाड़	0	0	0	0	2	6	2	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	झुन्झुनू	0	0	0	0	3	0	0	0	4	1	1	50000	7	4	4	19000
21	जोधपुर	11	41	9	340000	0	0	0	0	7	37	10	310000	10	33	0	0
22	करोली	0	0	0	0	5	16	4	128500	6	18	5	187000	7	9	0	0
23	कोटा	6	14	5	150000	0	0	0	0	4	71	1	30000	6	15	0	0
24	नागौर	0	0	0	0	11	36	11	505300	6	0	5	250000	1	0	16	565250
25	पाली	7	18	7	230000	0	0	0	0	4	10	6	155000	6	0	0	0
26	राजसमन्द	0	0	0	0	2	1	1	25000	2	11	3	115000	3	4	3	104500
27	सवाई माधोपुर	0	0	0	0	1	10	1	40000	3	4	2	85000	4	6	2	100000
28	सीकर	0	0	0	0	4	0	0	0	5	4	2	100000	8	9	8	0
29	सिरोही	3	6	4	147000	0	0	0	0	2	2	2	84000	3	4	3	142500
30	श्रीगंगानगर	6	12	0	0	0	0	7	285000	4	6	5	220000	6	22	9	0
31	टोंक	5	4	0	0	0	0	0	0	3	7	1	31500	7	7	7	0
32	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**97**	**225**	**54**	**1882750**	**55**	**128**	**50**	**2003800**	**109**	**280**	**95**	**3655200**	**160**	**267**	**104**	**1970250**

चौरासी में सामाजिक सहायतान्तर्गत व्यय राशि

293. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाई गई ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत 512 विधवा व विकलांगों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासीय छात्रावास

294. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं ? इनमें छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी छात्रावास सरकारी भवनों में संचालित हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जो छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं उन्हें वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 में किस मासिक दर से किराये का भुगतान किया गया ? माहवार किराया भुगतान की राशि का विवरण छात्रावासवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु निम्नांकित स्थानों पर आवासीय छात्रावास संचालित हैं जिनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या छात्रावास के नाम के सामने अंकित निम्नानुसार है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम छात्रावास मय स्थान	प्रवेशित छात्र संख्या
1	राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, बामनवास (एस.टी.)	23
2	राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, बौंली (स्वच्छकार)	25
3	अनुदानित अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, पीपलवाड़ा (बौंली)	25

(2) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (स्वच्छकार) बौंली राजकीय भवन में दिनांक 05.02.07 से संचालित है तथा राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (जन जाति), बामनवास तथा अनुदानित अनुसूचित जनजाति छात्रावास, पीपलवाड़ा (बौंली) किराये के भवन में संचालित है।

(3) किराये के भवनों मे संचालित छात्रावासों का वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 में माहवार किराये की दर एवं भुगतान का छात्रावासवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास मय स्थान	मासिक किराया	भुगतान की गई राशि 2004-05	भुगतान की गई राशि 2006-07
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बामनवास	1862	22,344	18,620 (31.1.07 तक)
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बौंली	2500	30,000	25,000 (31.1.07 तक)
3	अनुदानित अनुसूचित जनजाति छात्रावास, पीपलवाड़ा	किराये का भुगतान संस्था द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा भवन किराया देय नहीं है।		

सहाड़ा के चयनित परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति

295. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा सहाड़ा में कक्षा 9 से 12 तक कितने चयनित परिवारों के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ? क्या उन सभी को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष रहे छात्र-छात्राओं को क्या सरकार छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कक्षा 9 से 12 तक चयनित परिवारों के कुल 63 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। (पं.स. सहाड़ा में 22 एवं पं.स. रायपुर में 41) उक्त छात्र-छात्राओं में से क्लेम हेतु 60 निर्धारित आवेदन पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवाये जा चुके हैं जिनमें से पंचायत समिति सहाड़ा से प्राप्त 22 आवेदन पत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा पंचायत समिति रायपुर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को 38 छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र भिजवाये गये हैं जिन की स्वीकृति जारी की जा रही है शेष 3 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र अविलम्ब भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवाने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

मुरलीपुरा (सांभर लेक) के ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अनियमितताएं

296. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुरलीपुरा तहसील मुख्यालय सांभर लेक जिला जयपुर में वर्ष 1995 से 2004 तक सरपंच के पद पर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने एवं भ्रष्टाचार आदि की प्राप्त शिकायतों की जांच करवाने हेतु जांच विकास अधिकारी सांभर लेक को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक की गई जांच प्रतिवेदनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मुरलीपुरा में सरपंच द्वारा वर्ष 2004 में एक विधवा महिला श्रीमती शारदा एवं उनके अविवाहित पुत्र की कब्जेशुदा जमीन में से 215.33 वर्गगज जमीन अपनी परिचित महिला श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा को धोखाधड़ी से आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महिला को अवैध रुप से पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो, प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं अब तक उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार की धोखाधड़ी करके पट्टे जारी करने वाली तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा को अवैध रुप से दिये गये पट्टे को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांभर लेक द्वारा अब तक की गई जांच प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(2) यह सही है कि ग्राम मुरलीपुरा में सरपंच द्वारा वर्ष 2004 में श्रीमती पार्वती देवी को 213.33 वर्गगज भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 150 के तहत जारी किया गया है जो नियम विरुद्ध है, किन्तु यह सही नहीं है कि उक्त भूमि पर आबंटन के समय श्रीमती शारदा एवं उनके अविवाहित पुत्र का कब्जा था। (परिशिष्ट-ब)

(3) जी हां। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–स)

(4) जी हां। दोषी तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(5) जी हां। अवैध रुप से जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने हेतु पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

झाला की चौकी (रायपुर) ग्राम पंचायत के दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

297. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कमला सरपंच ग्राम पंचायत झाला की चौकी पंचायत समिति रायपुर के अधिक सन्तान होने के आरोप पत्र बनाकर गत वर्ष सम्भागीय आयुक्त जोधपुर को आरोप पर प्रारम्भिक सुनवाई कर दोषी सरपंच को पद से हटाने की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था ?

(श्री मदन राठौड़)

यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक अधिक सन्तानों की दोषी सरपंच को पद पर बनाये रखने का दोषी कौन है ?

(2) सरकार अब कब तक दोषी सरपंच को हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध पाये जाने पर श्रीमती कमला सरपंच, ग्राम पंचायत झाला की चौकी, पंचायत समिति रायपुर को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया। वर्तमान में प्रकरण सम्भागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.3.07 रखी गई है।

(2) प्रकरण में सुनवाई कर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

फुलेरा के निगम बस स्टेण्डों पर आवश्यक सुविधाएं

298. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधाओं जैसे सफाई, पीने के पानी, शौचालय, छाया स्थल, बैठने के लिए कुर्सियों/बैंच आदि के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 2005-06 व 2006-07 में उक्त सुविधाओं के लिए निगम द्वारा कितने बजट का प्रावधान किस-किस मद में किया गया और उसमें से कितनी राशि का व्यय किस-किस जिले में किया गया ? मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल में यात्रियों के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन सुविधाओं का अभाव है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में यात्री सुविधाओं के लिए किस-किस बस स्टैण्ड पर क्या-क्या कार्य किये गये तथा उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस बस स्टैण्ड पर क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम में यात्री सुविधाओं का बजट मद ''35 यात्री सुविधा'' है। इसके अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं उक्त मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
2005-06	145.30	144.79
2006-07 (जनवरी, 07 तक)	139.00	81.80

निगम द्वारा बजट प्रावधान जिलेवार नहीं किया जाता है। अपितु आवश्यकता अनुसार आगारवार कुल बजट राशि में से व्यय किया जाता है। उक्त मद से व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) प्रश्न में दर्शाए गये स्थानों पर निगम का स्वयं का कोई बस स्टैण्ड नहीं है।

- सांभर में नगरपालिका का बस स्टैण्ड है, वहां पर बुकिंग, यात्री विश्राम गृह, प्याऊ, मूत्रालय व शौचालय की सुविधाएं हैं।

- फुलेरा में नगरपालिका का बस स्टैण्ड है, किन्तु उपयुक्त नहीं होने के कारण निगम द्वारा इस बस स्टैण्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

- जोबनेर में केवल मात्र बुकिंग की व्यवस्था है। शेष यात्री सुविधाऐं नहीं हैं।

- किशनगढ़-रेनवाल में निगम का कोई बस स्टैण्ड नहीं है। यात्री सुविधाओं का अभाव है।

(3) उक्त सभी स्थानों पर निगम के स्वयं के बस स्टैण्ड नहीं हैं। अत: स्थानीय प्रशासन द्वारा ही आवश्यक यात्री सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(4) जी नहीं। उक्त स्थानों पर निगम के स्वयं के बस स्टैण्ड नहीं हैं। अत: उक्त स्थानों पर कोई व्यय निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट "1"

यात्री सुविधाओं के बजट मद से व्यय की गई राशि का विवरण

जिला	वर्ष 2005-06 में व्यय की गई राशि	वर्ष 2006-07 में व्यय की गई राशि
जयपुर	18.34	1.32
अलवर	0.06	-
कोटा	1.64	0.81
झालावाड़	38.13	3.05
भरतपुर	1.06	2.52
धौलपुर	0.13	-
आबूरोड (सिरोही)	12.84	0.44
फलोदी	3.38	-
बीकानेर	6.07	4.76
बांसवाड़ा	0.14	-
अजमेर	8.87	0.18
नागौर	28.98	43.54
सरदारशहर (चूरू)	4.78	1.45
सीकर	11.51	5.96
पाली	4.40	7.57
श्रीगंगानगर	-	9.84
जोधपुर	4.46	0.36

अकृषि कार्यरत ट्रैक्टरों से कर वसूली

299. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्यों हेतु रजिस्टर्ड ट्रैक्टर पर जहां टैक्स की छूट है वहीं अकृषि कार्य हेतु रजिस्टर्ड ट्रैक्टर से टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो अकृषि कार्य पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर से कितना शुल्क वसूल किया जाता है ?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि कृषि कार्य हेतु रजिस्टर्ड ट्रैक्टर अकृषि कार्य हेतु बड़ी संख्या में शहरों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

(3) कया यह सही है कि बडे शहरों में ट्रैक्टरों के अवैध संचालन से जहां यातायात प्रभावित होता है वहीं सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को नियंत्रण करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कृषि कार्य हेतु रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कर मुक्त है। सभी श्रेणी के ट्रैक्टरों पर समान दर से एकबारीय कर देय है। यह दर यान की लागत का 0.30 प्रतिशत है।

(2) ट्रैक्टर का कृषि या अकृषि कार्यों हेतु अलग से पंजीयन नहीं किया जाता। अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल किये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(3) ट्रैक्टर-ट्रोली का अनाधिकृत रुप से संचालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा इस प्रकार के अनाधिकृत संचालन पर 1280 चालान बनाये जाकर 73.31 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी।

अजमेर जिला परिवहन कार्यालय में व्याप्त अनियमितताएं

300. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिवहन कार्यालय अजमेर में वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी कितने वर्षों से इसी कार्यालय में कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने 5 वर्ष से अधिक एक ही कार्यालय में एवं 3 वर्ष से अधिक एक ही पद प्रभार को परिवर्तन करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(4) जिला परिवहन कार्यालय अजमेर में 5 वर्ष से अधिक से कार्यरत एवं 3 वर्ष से अधिक एक ही पद प्रभार पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि जिला परिवहन कार्यालय अजमेर में परिवहन सम्बन्धी विभिन्न सरकारी पंजिकाओं का संधारण, इन्द्राज एवं अन्य कार्य ट्रांसपोर्ट एजेन्टों के द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय नहीं होकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, अजमेर है। इस कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की वर्गवार सूची परिशिष्ट-एक पर है।

(2) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापन की सूची परिशिष्ट-दो पर है।

(3) इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सामान्त नीति आदेश दिनांक 28.06.90 के द्वारा निर्धारित की गयी है। इस नीति के अनुसार सामान्यत: 2 वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा तथा कोई भी अधिकारी को एक सम्भाग में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जावेगा। इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यालय मे कार्यरत कार्मिकों के पद भार में परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश 33/2005 जारी कर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कार्यालय आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-4 पर है। कोई कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पदभार पर कार्यरत नहीं है।

(5) दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं करने के कारण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहीं नहीं की गयी है।

(6) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर के स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त
1	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	1	1	-
2	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	1	1	-
3	जिला परिवहन अधिकारी	2	2	-
4	लेखाकार	2	2	-
5	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	-
6	शीघ्र लिपिक	1	0	1
7	कम्प्यूटर आपरेटर	1	0	1
8	परिवहन निरीक्षक	6	6	-
9	परिवहन उप निरीक्षक	7	8	+1
10	कार्यालय अधीक्षक	1	1	-
11	कार्यालय सहायक	1	2	+1
12	वरिष्ठ लिपिक	2	0	2
13	कनिष्ठ लिपिक	8	8	-
14	वाहन चालक	5	5	-
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4	-
	योग	**43**	**41**	**2**

परिशिष्ट-2

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन की सूचना

क्र.सं.	नाम	पद	कार्य ग्रहण तिथि
1	श्री एच.एन. बैरवा	R.T.O.	18.07.2006
2	श्री बी.एल. वर्मा	A.R.T.O.	15.06.2003
3	श्री अशोक जैन	D.T.O.	18.07.2006
4	श्री शेर सिंह	D.T.O.	19.02.2007
5	श्री प्रेम चन्द पथरिया	Accountant	17.07.2006

क्र.सं.	नाम	पद	कार्य ग्रहण तिथि
6	श्री गौरीशंकर महेश्वरी	Accountant	18.10.2006
7	श्री भंवरलाल सांवरिया	O.S.	09.09.1991
8	श्री सुधीर बंसल	M.V.I.	11.06.2003
9	श्री अरूण कुमार माथुर	M.V.I.	20.07.2005
10	श्री जितेन्द्र माथुर	M.V.I.	12.10.2006
11	श्री नरेन्द्र कुमार भागवानी	M.V.I.	02.10.2004
12	श्री खेमसिंह	M.V.I.	15.10.2004
13	श्री मुकुल वर्मा	M.V.I.	20.07.2005
14	श्री नरेन्द्र सिंह जोधां	M.V.S.I.	02.08.2006
15	श्री कमल दुबे	M.V.S.I.	19.07.2006
16	श्री राजीव शर्मा	M.V.S.I.	20.07.2005
17	श्री आशीष जैन	M.V.S.I.	02.10.2004
18	श्री शिवचरण मीणा	M.V.S.I.	25.07.2006
19	श्री अतुल भारद्वाज	M.V.S.I.	20.07.2005
20	श्री जयन्त शर्मा	M.V.S.I.	20.07.2006
21	श्री महेन्द्र गोधा	M.V.S.I.	15.07.2004
22	श्री राकेश शर्मा	Stat. Insp.	01.07.2006
23	श्री अशोक अरोड़ा	O.A.	06.09.1992
24	श्री श्रवणलाल शर्मा	O.A.	19.07.2006
25	श्री सलाउद्दीन	L.D.C.	22.08.1994
26	श्री विष्णुदत्त शर्मा	L.D.C.	20.10.2004
27	श्री हजारी लाल	L.D.C.	12.06.2002
28	श्री हेमन्त इन्दौरिया	L.D.C.	27.07.2005
29	श्री राम सिंह	L.D.C.	05.07.2002
30	श्री हेमन्त शर्मा	L.D.C.	01.09.2003

1	2	3	4
31	श्री किशन लाल वर्मा	L.D.C.	03.08.2006
32	श्री रामस्वरुप	L.D.C.	05.07.2002
33	श्री शैलेन्द्र	Driver	04.07.1994
34	श्री डूंगर सिंह	Driver	18.08.1986
35	श्री सूरज चौधरी	Driver	06.09.1995
36	श्री हिम्मत सिंह	Driver	10.10.1994
37	श्री सुल्तान सिंह	Driver	06.10.2004
38	श्री ओमप्रकाश मीणा	Peon	22.02.1995
39	श्री मांगू सिंह	Peon	09.7.2003
40	श्री गोपाल चंडालिया	Peon	25.05.1998
41	श्रीमती दुर्गा देवी	Peon	26.02.1994

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-21) विभाग

क्रमांकः एफ.91(5)साप्र/2/09 जयपुर, दिनांक 28/6/90

आदेश

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार निम्न सामान्य नीति निर्धारित करती है :-

(1) किसी भी राजकीय कर्मचारी को साधारणतया दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा। दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण केवल निम्न कारणी से ही किया जा सकेगा।

(क) राजकीय कर्मचारी के खिलाफ ऐसी गम्भीर शिकायतें हों, जो प्राथमिक जांच के उपरान्त सही पाई गई हों। ऐसे मामलों में स्थानान्त्रण के तुरन्त बाद विभागीय जांच प्रारम्भ की जानी चाहिये।

(ख) कर्मचारी की पदोन्नति होने पर।

(ग) रिक्त स्थानों को भरने हेतु।

(घ) पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में।

यदि कोई राजकीय कर्मचारी स्थानान्तरण होने के बाद या दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान कर जाता है, तो उसे अवकाश से लोटने पर उसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा और वह वहां तब तक पदस्थापित रहेगा, जब तक उसका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाये।

उपरोक्त नीति के खिलाफ कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा। यदि अनिवार्य हो तो अगले उच्च अधिकारी की सहमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जावेगा। जो कर्मचारी विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, उनके लिए अगला उच्च अधिकारी सम्बन्धित विभाग का सचिवालय में प्रशासनिक विभाग होगा। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण यदि ऐसे प्रशासनिक विभाग द्वारा किये जाते हैं, जो मुख्य मंत्री महोदय के अधीन नहीं हो, इन मामलों में अगली उच्च अथारिटी मुख्य मंत्री महोदय होंगे, जिनकी सहमति मुख्य सचिव के माध्यम से पत्रावली भेज प्राप्त की जावेगी।

(2) साधारणतया कोई भी अधिकारी एक सम्भाग में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जावेगा। सम्बन्धित विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार, किसी भी विभाग को उनके अधिकारियों हेतु इस प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगी। यह छूट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त की जावे।

यह स्थानान्तरण नीति 1 जुलाई, 1990 से प्रभावी होगी। भविष्य में समस्त राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम, आयोग एवं मण्डल अध्यादेश निर्देशों के तहत ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण करेंगे।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत यदि कोई भी विभाग स्थानान्तरण करता है तो इसकी सूचना कार्मिक विभाग को मय कारणों के भेजी जायेगी। समस्त निरीक्षण अधिकारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी अपने सम्बन्धित विभागों का निरीक्षण करते समय इस बात का परीक्षण भी करेंगे कि सम्बन्धित विभाग ने स्थानान्तरण राज्य सरकार की इस नीति के अनुरूप ही किये हैं1 जिन मामलों में इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई जाये, उनकी जानकारी मय सम्बन्धित अधिकारी, जिसने स्थानान्तरण किये हैं, उसके नाम से, कार्मिक विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

इन आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जावेगा।

(वी. बी.एल. माथुर)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट-4

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर

5 वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	कार्य ग्रहण तिथि
1	श्री भंवरलाल सांवरिया	O.S.	09.09.1991
2	श्री अशोक अरोड़ा	O.S.	06.09.1992
3	श्री सलाउद्दीन	L.D.C.	22.08.1994
4	श्री शैलेन्द्र	Driver	04.07.1994
5	श्री डूंगर सिंह	Driver	18.08.1986
6	श्री सूरज चौधरी	Driver	06.09.1995
7	श्री हिम्मत सिंह	Driver	16.10.1994
8	श्री ओमप्रकाश मीणा	Peon	22.02.1995
9	श्री गोपाल चंडालिया	Peon	25.05.1998
10	श्रीमती दुर्गा देवी	Peon	26.02.1994

परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांकः- प.1(21)परि/स्था/2000/19550 जयपुर, दिनांक : 15.06.2005

कार्यालय आदेश 33/2005

प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में कर्मचारियों को विभिन्न शाखाओं एवं कर संग्रह केन्द्रों में रोस्टर से लगाये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में पदस्थापित निरीक्षक/उप-निरीक्षक तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्य आबंटन के समय सुनिश्चित करे कि किसी कार्यालय मे किसी एक शाखा/कर संग्रह केन्द्र पर एक मंत्रालयिक कर्मचारी एक बार में एक वर्ष की अवधि से अधिक कार्य नहीं करेगा। यह अवधि पूर्ण होते ही उसे दूसरी शाखा का कार्य

आबंटित कर दिया जावें। इसी प्रकार निरीक्षक/उप-निरीक्षक किसी एक शाखा/ कर संग्रह केन्द्र पर एक बार में 6 माह की अवधि से अधिक कार्य नहीं करेगा।

2. वर्तमान में किसी लिपिक वर्ग के कर्मचारी को किसी शाखा/कर संग्रह केन्द्र पर कार्य करते हुये यदि एक वर्ष से अधिक की अवधि हो गयी है अथवा किसी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को 6 माह से अधिक हो गयी हो तो उसको उस शाखा/कर संग्रह केन्द्र से तुरन्त हटा दिया जावे एवं दूसरी शाखा आबंटित कर दी जावे।

3. किसी शाखा के रिकॉर्ड को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उस शाखा पर उस समय कार्यरत कर्मचारी की होगी। कर्मचारी अपनी शाखा विशेष का कार्य छोड़ते समय अपने-अपने समय के सम्पूर्ण रिकार्ड को रोस्टर समाप्ति के दिन तक पूर्ण कर दूसरे कर्मचारी को सम्हलवायेगा।

4. पूर्व में इस विभाग के आदेश क्रमांक : 30/2004 दिनांक 30.06.2004 के लेखाकारों के लिए यह निर्देश जारी किये गये थे कि उनसे लेखा सम्बन्धी कार्य ही करवाया जावे। यदि लेखा कर्मचारियों से अन्य कार्य करवाये गये तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. उक्त निर्देशों के होते हुये भी आवश्यक प्रशासनिक कारणों से उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु इसके लिये स्पष्ट कारण होने चाहिये। साथ ही ऐसा परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई कर्मचारी लगातार लम्बे समय तक एक ही शाखा में कार्य नहीं करता रहे।

6. कर संग्रह केन्द्र, शाहजहांपुर एवं रतनपुर के कार्यालयों में अन्य शाखायें नहीं होने के कारण स्टाफ की पारियां पूर्ववत: परिवर्तित होती रहेगी।

7. यह व्यवस्था दिनांक 20.06.2005 से लागू की जायेगी।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

भील समाज को जनजाति वर्ग की सुविधाएं

301. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भील जनजाति के व्यक्तियों को निम्न सुविधाऐं दी जाती हो :-

(अ) ट्यूबवैल पर कृषि विद्युत कनेक्शन।

(ब) अनुसूचित जाति के आरक्षण के तहत घरों में विद्युत कनेक्शन।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

(स) पोप योजना का लाभ।

(द) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध इन्दिरा आवास एवं बी.पी.एल. सुविधाएं।

(ड) टाडा एवं माडा योजनाओं का लाभ।

(क) बिखरी जनजाति बस्ती की सुविधा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जनजाति क्षेत्र में स्थित आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं।

विभाग द्वारा जनजाति के आवेदकों को डिमाण्ड नोट का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 10,000 जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाता है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घरों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आरक्षण वर्तमान में नहीं है।

अनुसूचित जाति निगम द्वारा पोप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु लाभ दिया जाता है। यह योजना टी.ए.डी. द्वारा संचालित नहीं की जाती है।

जी हां। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनूसूचित जाति-जनजाति के बी.पी.एल. चयनित आवासहीन परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवृर्तित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत केवल चयनित बी.पी.एल. परिवारों को ही स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यदि भील जनजाति का कोई परिवार बी.पी.एल. में चयनित है तभी वह पात्र होगा।

टाडा/माडा का लाभ भील जनजाति के व्यक्तियों को दिया जाता है।

बिखरी जनजाति बस्ती की सुविधाये दी जाती हैं।

प्रश्न संख्या-302

(स्थगित)

बूंदी जिले के ग्रामीण विकास कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

303. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अनुभाग-3 द्वारा पत्र क्रमांक प.5 (3) ग्रावि./वि.स./2006 दिनांक 07 अक्टूबर, 2006 के द्वारा विधायक नैनवां को लिखकर गलत सूचना देने बाबत जिला परिषद बूंदी, पंचायत समिति नैनवां तथा ग्राम पंचायत जरखोदा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त बाबत अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? उक्त पत्र के पश्चात की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की नामजद सूची बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो प्रति सहित नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब कब तक नामजद सूची बनाकर कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या उक्त कार्यवाही एक वर्ष से अधिक समय से बूंदी जिले में पदस्थापित होने से जांच कार्यवाही को प्रभावित करने की स्थिति में है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी द्वारा जांच कराई गई है, जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रश्न के सम्बन्ध में गलत सूचना देने बाबत ग्राम पंचायत जरखोदा के तत्कालीन सचिव श्री लक्ष्मीचन्द वर्मा जो वर्तमान में ग्राम पंचायत गुढा देवजी, पं.स. नैनवां में कार्यरत हैं, दोषी पाये गये हैं, जिनको विकास अधिकारी, पं.स. नैनवां के आदेश क्रमांक 589-93 दिनांक 7.3.07 को निलम्बित कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इसी प्रकार इस प्रकरण की क्रियान्विति के सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच श्री भंवरलाल बैरवा, तत्कालीन सचिव श्री हनुमान प्रसाद शर्मा भी दोषी हैं, जिनका प्रकरण सिविल न्यायालय, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नैनवां द्वारा पत्र क्रमांक 88 दिनांक 29.8.2006 को उपलब्ध कराये

(ग्रामीण विकास मंत्री)

गये प्रमाणित फोटो प्रतियों से प्राप्त जानकारी अनुसार इस्तगासा के द्वारा पुलिस थाना, देई में 505/04 दिनांक 8.10.04 को एफ.आई.आर. तत्कालीन सरपंच श्री भंवरलाल बैरवा एवं सचिव श्री हनुमान प्रसाद के खिलाफ श्री रामफूल आत्मज कल्याण माली, निवासी जरखोदा द्वारा दर्ज करवाई गई थी। पुलिस थाना देई द्वारा बाद अनुसंधान एफ.आर. संख्या 58/05 से प्रकरण माननीय न्यायालय में अग्रिम प्रतिवेदन के रुप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं कर तत्कालीन सरपंच श्री भंवरलाल बैरवा, पूर्व सरपंच के विरुद्ध धारा 420, 406 व 120 आई.पी.सी. में दिनांक 14.7.2006 को प्रसंज्ञान लिया गया है, जिसकी प्रथम पेशी दिनांक 11.8.06 को नियत की गई थी। तत्पश्चात जार्च पूर्व साक्ष्य हेतु आगामी पेशी दिनांक 23.4.2007 को नियत है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: माननीय न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। उक्त प्रकरण में कराई जांच के आधार पर तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत जरखोदा श्री भंवरलाल बैरवा, तत्कालीन सचिव श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एवं तत्कालीन सचिव श्री लक्ष्मीचन्द दोषी हैं।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी एवं तत्कालीन विकास अधिकारी, पं.स. नैनवा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(3) जी हां। श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एक वर्ष से अधिक समय से बूंदी जिले में पदस्थापित है। उक्त कर्मचारी को बूंदी जिले से अन्य जिले में पदस्थापन करने हेतु ए.पी.ओ. को जयपुर मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय पंचायत समिति, नैनवां जिला-बूंदी (राज.)

क्रमांक : 89-93 दिनांक : 07.03.07

<u>आदेश</u>

श्री लक्ष्मीचन्द वर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत-गुढा देवजी (पंचायत जरखोदा) को कार्यालय के पत्रांक 737-38 दिनांक 01.03.07 के द्वारा संख्या 579 के गलत जवाब देने के सम्बन्ध में आरोप पत्र दिया गया

था। उक्त प्रकरण की गम्भीरता को मध्य नजर रखते हुए श्री वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री वर्मा का मुख्यालय कार्यालय पंचायत समिति, नैनवां

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, नैनवां

ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जारी जोब कार्ड

304. श्री अमराराम धोद (धोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के छह जिलों में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को जोब कार्ड जारी किया गया है ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत वर्ष में कितने लोगों को कितने दिन तक रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

(3) क्या सरकार टास्क बेस को रिलेक्स करने का विचार रखती है जिससे मजदूरी पूरी मिल सके ? अभी टास्क बेस क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य के छह जिलों में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2007 तक कुल 15,01,549 परिवारों को जाब कार्ड जारी किये है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत वर्ष में राज्य के छह जिलों में मजदूरों को उपलब्ध कराया गया रोजगार एवं दी गई मजदूरी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4 (23)ग्रावि/अनु.3/एनआरईजीएस/06-07 दि. 27.9.2006 के द्वारा वर्तमान में ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्धारित टास्क में 20 प्रतिशत की कमी की जाकर भुगतान के निर्देश 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी है।

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जिलेवार एवं पंचायत समितिवार जारी किये जॉब कार्ड का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला एवं तहसील	जारी जॉब कार्ड की संख्या
(अ)	**बांसवाड़ा**	
1	बांसवाड़ा	59247
2	बागीदौरा	66328
3	गढ़ी	49472
4	घाटोल	70276
5	कुशलगढ़	55715
	योग -	**301038**
(ब)	**डूंगरपुर**	
1	डूंगरपुर	85025
2	आसपुर	44588
3	सागवाड़ा	58677
4	सीमलवाड़ा	60070
	योग-	**248360**
(स)	**झालावाड़**	
1	झालरापाटन	29850
2	बकानी	35565
3	खानपुर	19754
4	सुनेल	30303
5	मनोहरथाना	34500
6	डग	33950
	योग-	**183921**

क्र.सं.	नाम जिला एवं तहसील	जारी जाब कार्ड की संख्या
(द)	**करौली**	
1	करोली	45418
2	हिण्डौन	45500
3	सपोटरा	35125
4	मण्डरायल	11255
5	टोडाभीम	33402
6	नादोती	22292
	योग-	**192992**
(य)	**सिरोही**	
1	सिरोही	26503
2	शिवगंज	21904
3	रेवदर	31905
4	आबू रोड	21237
5	पिण्डवाड़ा	37873
	योग-	**139422**
(र)	**उदयपुर**	
1	गिरवा	62672
2	गोगुन्दा	32957
3	मावली	31669
4	वल्लब नगर	38196
5	धरियावध	47748
6	खैरवाड़ा	54499

क्र.सं.	नाम जिला एवं तहसील	जारी जाब कार्ड की संख्या
7	साराढ़ा	39503
8	सलूम्बर	47299
9	झाड़ोल	39252
10	कोटड़ा	42020
	योग-	**435815**
	महा योग	**1501549**

परिशिष्ट-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में जिलेवार लोगों को उपलब्ध कराये गये रोजगार एवं किये गये भुगतान का विवरण

(माह मार्च, 2006 की प्रति रिपोर्ट के आधार पर)

क्र.सं.	नाम जिला	श्रमिकों की औसतन संख्या	सृजित मानव दिवस (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1	बांसवाड़ा	52801	7.89	116.55
2	डूंगरपुर	46550	11.66	614.89
3	झालावाड़	35155	6.21	364.65
4	करोली	32571	9.86	462.20
5	सिरोही	28858	4.65	199.95
6	उदयपुर	8041	1.93	105.00

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित अल्पसंख्यक

305. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया ? जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वरोजगारियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांगों का प्रतिशत मानदण्डों के विरुद्ध कितना रखा गया ? वर्षवार व जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से अल्पसंख्यकों के आरक्षण हेतु कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगारियों का जिलेवार आबंटन कर सहायता प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो जिलेवार आबंटित अल्पसंख्यक स्वरोजगारियों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) राज्य के किन जिलों को वर्ष 2005 से 2007 तक पायलेट फेज के लिए चयन किया गया तथा उक्त जिलों के लक्ष्य के विरुद्ध कितने युवाओं को कितनी राशि व्यय कर लाभान्वित किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत कुल 90492 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया। लाभान्वित स्वरोजगारियों की जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त स्वरोजगारियों में मापदण्डों के अनुसार कुल लाभान्वित स्वरोजगारियों में से अनुसूचित जाति/जनजाति को 50 प्रतिशत तथा महिलाओं को 40 प्रतिशत एवं विकलांगों को 3 प्रतिशत लाभान्वित होना रखा गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

वर्षवार व जिलेवार लाभान्वित अनुसूचित जाति/जनजाति/व विकलांगों के स्वरोजगारियों की संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर अवलोकनीय है।

(3) जी हां। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अल्पसंख्यकों के आरक्षण हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'स' पर अवलोकनीय है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगारियों का जिलेवार आबंटन कर सहायता प्रदान की जा रही है। जिलेवार आबंटित लक्ष्य एवं सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्वरोजगारियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-'द' पर अवलोकनीय है।

(5) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक निर्धारित लक्ष्य 12614.21 लाख रुपये के विरुद्ध 10508.208 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्षवार व जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-'य' पर अवलोकनीय है।

(6) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना पूरे राज्य में चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत पाइलेट फेज हेतु किसी जिले का अलग से चयन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

S.No.	Name of District	Total Benefiaciaries			
		2004-05	**2005-06**	**2006-07** Up to Jan. 2007	**Total**
1	2	3	4	5	6
1	AJMER	1170	1101	556	2827
2	ALWAR	1858	1481	927	4266
3	BANSWARA	1260	282	1299	2841
4	BARAN	663	922	195	1780
5	BARMER	1310	1409	1058	3777
6	BHARATPUR	1700	1247	387	3334

1	2	3	4	5	6
7	BHILWARA	1384	1766	1039	4189
8	BIKANER	861	962	1086	2909
9	BUNDI	644	556	397	1597
10	CHITTORGARH	1681	1774	1056	4511
11	CHURU	1084	1056	339	2479
12	DAUSA	677	599	444	1720
13	DHOLPUR	662	458	208	1328
14	DUNGARPUR	726	1086	706	2518
15	GANGANAGAR	884	716	474	2074
16	HANUMANGARH	696	522	294	1512
17	JAIPUR	1214	1306	471	2991
18	JAISALMER	445	336	54	835
19	JALORE	1102	1413	1039	3554
20	JHALAWAR	1100	1127	568	2795
21	JHUNJHUNU	1095	1044	223	2362
22	JODHPUR	1019	1017	368	2404
23	KAROLI	764	835	788	2387
24	KOTA	843	724	496	2063
25	NAGAUR	1213	1305	800	3318
26	PALI	1377	1353	486	3216

1	2	3	4	5	6
26	PALI	1377	1353	486	3216
27	RAJSAMAND	1138	1064	1030	3232
28	S.MADHOPUR	726	737	393	1856
29	SIKAR	1008	1142	314	2464
30	SIROHI	722	796	204	1722
31	TONK	1109	1007	816	2932
32	UDAIPUR	3090	2333	3276	8699
	TOTAL	**35225**	**33476**	**21791**	**90492**

यह पेज खाली रहेगा
तथा पेज संख्या 463-466
अगले पेज से जायेगी
आगे के पेज नम्बर सैट
करके मास्टर निकाले

[465

परिशिष्ट-''स''

No. J-11012/2/2006-SGSY-I
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 2nd November, 2006

NOTIFICATION

It is hereby notified that the Para No. 3.28 and 4.30 of SGSY guidelines are amended with immediate effect and these paras 3.23 and 4.30 may be read as under :-

Existing provisions of the SGSY guidelines	Amended provision of SGSY Guidelines
Para 3.28 : Safeguards for the weaker Section : The SGSY will particularly focus on the vulnerable groups among the rural poor. Accordingly, the SC/STs will account for a minimum of 50% women for 40% and disabled for 3% of the total swarozgaris assisted during the year.	Para 3.28 : Safeguards for the weaker Sections and minortities: The SGSY will particularly focus on the vulnerable groups among the rural poor. Accordingly, the SC/STs will account for a minimum of 50%, Women for 40%, Minorities* to the extend indicated by Ministry of Rural Development for each State and Disabled for 3% of the total Swarozgaris assisted during the year. (*Minority communities are those notified under section (2) of the National Commission for Minorities, 1992 Act, i.e. Muslims, Sikhs, Christians, Budhists and Parsis, In State where the minority, only other minorities will be treated as Minorities. Accordingly, Muslims in J & K, Sikhs in Punjab and Christians in Meghalaya, Nagaland and Mizoram will not be treated as Minorities in respective States).
Para 4.30 : To meet the small consumption needs of weaker section of society, a Risk Fund for Consumption Credit can be created with (one per cent) (1%) of SGSY fund at District level. The scheme is intended to enable Commercial Banks, Cooperative Banks and Regional Rural Banks to provide consumption loans, not exceeding Rs. 2000 per Swarozgaris from weaker sections of society. "Weaker Section" means all SGSY Swarozrgaris, small and managinal farmers, landless agricultural workers, rural artisans and	Para 4.30 : To meet the small consumption needs of weaker sections and minorities of society, a Risk Fund for Consumption Credit can be created with (one per cent) (1%) of SGSY fund at District level. The scheme is intended to enable Commercial Banks, Cooperative Banks and Regional Rural Banks to provide consumption loans, not exceeding Rs. 2000 per Swarozgaris from weaker sections and minorities of society. "Weaker Section" menas all SGSY Swarozgaris, small and

other people of very small means like carpenters, barbers, washermen etc. who form an integral part of the village community. Under this scheme, risk fund assistance is provided to the banks to the extent of 10% of the total consumption loans disbursed by them during the year to the above mentioned target groups.	marginal farmers, landless agricultural workers, rural artisans and other people of very small means like carpenters, barbers, washermen etc. who form an integral part of the village community. Under this scheme, risk fund assistance is provided to the banks to the extent of 10% of the total consumption loans disbursed by them during the year to the above mentioned target groups.

(Amar Singh)
Joint Secretary to the Government of India)
Tel. No. 23382313

परिशिष्ट-"द"

S. No.	Name of District	2006-07 (upto Jan. 07)		
		Minorities		
		Target	Ach.	% of Ach.
1	2	3	4	5
1	AJMER	122	26	21.31
2	ALWAR	205	42	20.49
3	BANSWARA	144	0	0.00
4	BARAN	53	0	0.00
5	BARMER	163	203	124.54
6	BHARATPUR	113	20	17.70
7	BHILWARA	107	18	16.82
8	BIKANER	126	63	50.00
9	BUNDI	62	7	11.29
10	CHITTORGARH	113	3	2.65
11	CHURU	154	15	9.74
12	DAUSA	19	2	10.53
13	DHOLPUR	38	0	0.00

1	2	3	4	5
14	DUNGARPUR	56	0	0.00
15	GANGANAGAR	185	93	50.27
16	HANUMANGARH	170	27	15.88
17	JAIPUR	102	4	3.92
18	JAISALMER	104	13	12.50
19	JALORE	41	34	82.93
20	JHALAWAR	62	31	50.00
21	JHUNJHUNU	50	1	2.00
22	JODHPUR	76	9	11.84
23	KAROLI	61	70	114.75
24	KOTA	92	22	23.91
25	NAGAUR	121	10	8.26
26	PALI	65	4	6.15
27	RAJSAMAND	32	3	9.38
28	S. MADHOPUR	90	36	40.00
29	SIKAR	56	9	16.07
30	SIROHI	22	4	18.18
31	TONK	101	24	23.76
32	UDAIPUR	156	120	76.92
	TOTAL	**3061**	**913**	**29.83**

परिशिष्ट–"य"

S. No.	Name of District	2004-05		2005-06		2006-07 (upto Jan. 07)	
		Allocation	Audited Exp.	Allocation	Audited Exp.	Allocation	Exp. (As per MPR)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AJMER	121.690	121.020	121.690	129.670	135.027	75.822
2	ALWAR	152.530	188.190	152.530	127.110	169.240	96.200
3	BANSWARA	328.190	258.010	328.190	161.980	364.134	240.500
4	BARAN	88.440	81.780	88.440	123.160	98.133	37.230
5	BARMER	152.120	15.390	152.120	142.450	168.787	112.020
6	BHARATPUR	88.840	97.500	88.840	139.650	98.573	49.410
7	BHILWARA	202.430	128.480	202.430	242.630	224.600	136.440
8	BIKANER	107.890	98.760	107.890	108.250	119.707	135.460
9	BUNDI	84.770	78.450	84.770	63.010	94.053	50.848

1	2	3	4	5	6	7	8
10	CHITTORGARH	257.600	176.860	257.600	205.700	285.814	162.230
11	CHURU	124.130	130.310	124.130	128.950	137.733	40.400
12	DAUSA	77.890	73.580	77.890	67.160	86.427	49.278
13	DHOLPUR	66.040	60.130	60.040	65.090	66.613	36.830
14	DUNGARPUR	252.320	70.720	252.320	141.180	279.960	172.750
15	GANGANAGAR	77.890	86.490	77.890	76.210	86.427	66.950
16	HANUMANGARH	73.430	48.00	73.430	63.560	81.467	59.720
17	JAIPUR	119.270	91.980	119.270	126.430	132.333	70.500
18	JAISALMER	36.510	39.780	36.510	88.060	40.507	7.850
19	JALORE	129.810	130.650	129.810	132.620	144.027	105.730
20	JHALAWAR	106.690	113.210	106.690	93.200	118.373	72.760
21	JHUNJHUNU	48.680	92.740	48.680	99.340	54.013	37.550

1	2	3	4	5	6	7	8
22	JODHPUR	67.350	81.910	67.350	91.570	74.720	36.700
23	KAROLI	117.230	77.200	117.230	132.350	130.67	105.270
24	KOTA	73.010	73.520	73.010	80.870	81.013	83.530
25	NAGAUR	108.720	103.380	108.720	124.800	120.627	81.900
26	PALI	124.530	125.140	124.530	132.980	138.173	65.880
27	RAJSAMAND	111.960	132.100	111.960	111.770	124.227	132.870
28	S. MADHOPUR	100.200	88.580	100.200	92.130	111.173	46.820
29	SIKAR	55.170	105.000	55.170	95.220	61.213	37.190
30	SIROHI	69.770	65.220	69.770	82.500	77.413	23.690
31	TONK	106.280	106.460	106.280	110.020	117.920	80.550
32	UDAIPUR	431.250	350.090	431.250	351.650	478.454	432.430
	TOTAL	**4056.630**	**3628.630**	**4056.630**	**3936.270**	**4500.950**	**2943.308**

विधायक दीगोद द्वारा अभिशंसित कार्य

306. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक कोष से कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्ण करवाये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत या कार्य एजेन्सी को प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस कार्य का प्रमाण-पत्र कब प्रदान किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांगोद व सुल्तानपुर पंचायत समिति को भी विभिन्न कार्यों हेतु कार्य एजेन्सी बनाया गया ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों हेतु तथा कितने कार्य अभी तक पंचायत समिति द्वारा पूर्ण नहीं करवाये गये ? कार्य में विलम्ब के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
2004-05	62	61	1
2005-06	89	82	7
2006-07	80	54	26
योग	**231**	**197**	**34**

वर्ष 04-05, 05-06 एवं 06-07 में कुल 231 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 197 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 34 कार्य अपूर्ण हैं। वर्षवार सूची परिशिष्ट 1 से 6 तक संलग्न है।

(2) पूर्ण कराये गये कार्यों 231 में से 162 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित एजेन्सी से प्राप्त होने के उपरान्त उनको समायोजन पत्र जारी कर दिये गये हैं। वर्षवार जारी समायोजन पत्रों की सूची परिशिष्ट 1 से 6 तक की सूचियों में वर्णित है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) हां। यह सही है कि सांगोद व सुल्तानपुर पंचायत समिति को भी विधायक महोदय की अभिशंषा पर कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। जिन कार्यों हेतु कार्य एजेन्सी बनाया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 7 से 10 संलग्न है। दोनों पंचायत समितियों ने आदिनांक तक 31 कार्यों को पूर्ण नहीं कराया है, जिनमें से वर्ष 04-05 के 1 कार्य 05-06 के 6 कार्य व 06-07 के 24 कार्य हैं। विशेष कारण सूची में कार्यों के सम्मुख विशेष विवरण में अंकित है। अन्य सामान्य कारण जैसे ग्राम पंचायतों के विवाद, कार्यों में परिवर्तन है। अधिकतक कार्य चालू वित्तीय वर्ष के हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नवलगढ़ पंचायत समिति में जलग्रहण विकास कार्यों पर व्यय

307. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत बसावा पंचायत समिति नवलगढ़ में जलग्रहण योजनाएं किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त योजनाओं में दिनांक 1 मार्च, 2005 से 31 जनवरी, 2007 तक कौन से कार्य कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये तथा इनका भुगतान किस-किस व्यक्ति/फर्म को कितना कब एवं किस कार्य पेटे किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बसावा पंचायत समिति नवलगढ़ में दिनांक 5.1.2004 को एक जलग्रहण परियोजना, जिसकी लागत रुपये 30.00 लाख रुपये है, स्वीकृत की गई ।

(2) जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत अलग-अलग कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की जाती। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें परियोजना अन्तर्गत ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होता है, की स्वीकृति जारी की जाती है। 1 मार्च, 2005 से 31 जनवरी, 2007 तक की अवधि में स्वीकृत कार्य, राशि, कार्य पूर्णता की सूचना एवं भुगतान सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रस्तावित जिले

308. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2003-04 से अब तक कुल कितनी राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई ? उसमें से कितनी राशि किन-किन जिलों में अब तक व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना किन-किन जिलों में संचालित की जा रही है तथा ऐसे कितने जिले हैं जो इस योजना से वंचित हैं ? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में शेष रहे जिलों में भी इस योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है और वर्ष 2003 से इस नाम की योजना में कोई राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है। इस वर्ष अन्य जिलों में इस योजना को सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या –155 की सूची)

परिशिष्ट ''क''

उपखण्ड/तहसील मुख्यालयों पर निर्मित/निर्माणाधीन स्टेडियमों की सूची

	तहसील	जिला
1. स्टेडियम	कामां	भरतपुर
2. स्टेडियम	अटरू	बारां
3. स्टेडियम	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
4. स्टेडियम	सुजानगढ़	चूरू
5. स्टेडियम	रतनगढ़	चूरू
6. स्टेडियम	शाहपुरा	जयपुर
7. स्टेडियम	बिलाड़ा	जोधपुर
8. स्टेडियम	फलौदी	जोधपुर
9. स्टेडियम	नावां	नागौर
10. स्टेडियम	डीडवाना	नागौर
11. स्टेडियम	मकराना	नागौर
12. स्टेडियम	कुचामन सिटी	नागौर
13. स्टेडियम	गजसिंहपुर	श्रीगंगानगर
14. स्टेडियम	फतेहपुर शेखावाटी	सीकर
15. स्टेडियम	श्रीमाधोपुर	सीकर
16. स्टेडियम	आबूपर्वत	सिरोही
17. स्टेडियम (सी.मा.वि.)	गंगापुर सिटी	सवाईमाधोपुर
18. स्टेडियम	खैरवाड़ा	उदयपुर

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-32 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-32 मुख्य शीर्षक नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. पाली जिले में ईंधन गैस आपूर्ति सुधारने व आवश्यक राहत सामग्री वितरण पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

2. बी.पी.एल. परिवारों सहित जनता को गेहूं, केरोसीन आदि वितरण में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

3. राशन वितरण की कालाबाजारी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. 2001 की जनसंख्या के अनुसार राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

5. उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन व डीलरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़, पारदर्शी, जवाबदेह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

9. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर में नागरिक आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

10. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

11. बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. को गेहूं नहीं मिलने तथा गैस की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. एस. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

12. प्रदेश में नागरिक आपूर्ति की समय-समय पर जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

13. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित उचित मूल्य की दुकानों को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. उचित मूल्य की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं की मात्रा प्रति राशन के स्थान पर प्रति सदस्य करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

15. ग्राम रसीदपुरा जिला सीकर के राशन विक्रेता द्वारा की गई अनियमितताओं की लगातार विभाग द्वारा अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

16. मंहगाई पर काबू पाने के लिये कन्ट्रोल आर्डर के जरिये जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियन्त्रण करने पर चर्चा के लिये।

17. अग्रिम सौदे, वायदा बाजार व एडवान्स ट्रेडिंग पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

18. विधान सभा क्षेत्र खैरथल नगर पालिका खैरथल में वार्ड नं. 21-25 में राशन डीलर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

19. विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

20. जिला चित्तौड़गढ़ में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. निम्बाहेड़ा व कनेरा में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति हेतु नयी गैस एजेन्सी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. चित्तौड़गढ़ जिले में तहसीलवार राशन डीलरों की जानकारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. चित्तौड़गढ़ जिले में राशन कार्ड एवं परिवार संख्या अनुसार केरोसीन कोटा आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

24. विधान सभा क्षेत्र लूणी में उचित मूल्यों की दुकानों में वृद्धि करने व उचित मूल्य की दुकानों में गेहूं, शक्कर व केरोसीन की आपूर्ति की मात्रा बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

25. विधान सभा क्षेत्र कपान में चीनी, केरोसीन व एल.पी.जी. का अधिक आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

26. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. राशन डीलर नियुक्ति, जिलों में जिला कलक्टरों द्वारा नहीं कराकर उपायुक्त खाद्य विभाग से कराकर कानून का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. रसोई गैस की कृत्रिम कमी दिखाकर ब्लैक करने की कार्यवाही को रोकने में विभाग पूर्णतया: असफल रहने की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. बी.पी.एल.-ए.पी.एल. आदि के अनाज, केरोसीन वितरण में डीलरों, निरीक्षकों द्वारा किये जा रहे घोटालों की जांच कर कठोर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. नागरिक आपूर्ति आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण में होने वाले

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

31. देसूरी, नाडोल व रानी में गैस की मांग को देखते हुए गैस एजेन्सी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

32. राज्य में गैस सिलेण्डरों पर कालाबाजारी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राज्य में गैस सिलेण्डर पर सबसिडी सीधी ग्राहक को मिलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. बी.पी.एल. परिवारों के खाने के तेल की आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

35. विधान सभा क्षेत्र तिजारा की तहसील तिजारा व तहसील कोटकासिम क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र तिजारा की तहसील तिजारा एवं कोटकासिम में नागरिक राशन आपूर्ति की व्यवस्था सही किये जाने एवं राशन सामग्री उचित मात्रा में डीलरों को आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) :

37. अलवर जिले में राशन की दोषपूर्ण वितरण प्रणाली पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

38. सभी गांवों में बी.पी.एल. को गैस दिया जावे किन्तु ए.पी.एल. के गरीब व्यक्तियों को भी गैस सरकारी दुकान से दिलाने के लिये विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

39. राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के अलावा भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को राशन की चीनी, चावल एवं गेहूं वितरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

40. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में राशन से मिलने वाले कैरोसीन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत निनामा (घाटोल) :

41. जिला बांसवाड़ा में राशन वितरण की व्यवस्था लैम्पस द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

42. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

43. राज्य के विभिन्न गांवों एवं शहरों में ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. का गेहूं वितरित नहीं होने तथा सार्वजनिक विवरण प्रणाली मृत प्रायः होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

44. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में काफी बड़े गांव व शहरी क्षेत्र में नवीन उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

45. विधान सभा क्षेत्र सीकर में कैरोसीन तेल एवं गेहूं की ठीक तरह से सप्लाई करने एवं हरिजन बस्ती में एक और डीलरशिप खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दराम चौहान (नोखा) :

46. गांवों में जहां अधिक राशनकार्ड हैं वहां अतिरिक्त राशन दुकान खोलने, राशन दुकानों में आरक्षण करने तथा कैरोसीन की चोरी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

47. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन वितरण में कमी करने के कारणों पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारी को सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

49. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा सुदृढ़ व व्यापक बनाने पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

50. राज्य में नागरिक आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

51. जयपुर शहर में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों के बने राशन कार्डों की जांच कर उन्हें रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा धार्मिक आयोजनों, पारिवारिक समारोहों के लिये गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जयपुर शहर में रसोई गैस की किल्लत एवं कालाबाजारी रोकने हेतु विभाग द्वारा समुचित प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

54. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वस्तु वितरण समान तरीके से कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

55. निर्धन और असक्षम उपभोक्ताओं के लिये सरकार द्वार चलायी जा रही विधिक सहायता योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से अनुसूचित जाति के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

57. राजस्थान के विभिन्न जिलों में निर्धारित सीमा से अधिक आवश्यक वस्तुऐं राशन डीलरों को उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

58. ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं मिड-डे मील को समय पर सुचारु आवश्यक राशन उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

59. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में एक ही गैस एजेन्सी होने के कारण तूंगा कस्बा, कानोता में भी गैस एजेन्सी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

60. बस्सी क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना में वितरित गेहूं व अन्य सामान को पूर्ववत डीपीईपी के ही माध्यम से वितरण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

61. राज्य में एपीएल परिवारों को भी राशन की दुकानों से उचित मूल्य का गेहूं का वितरण किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक कस्बों में अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकान, राशन वितरण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

63. राज्य में राशन की दुकानों को उन्हें आबंटित राशन कार्डों के अनुसार गेहूं एवं कैरोसीन का पूरा कोटा आबंटित कर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में कैरोसीन एवं राशन के गेहूं के राशन विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

65. विभाग द्वारा ए.पी.एल. के लोगों को नियंत्रित मूल्य की सामग्री उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा 03 कि.मी. की दूरी पर नियंत्रित मूल्य की दुकान खोलने बाबत चर्चा के लिये।

67. विभाग द्वारा नियंत्रित मूल्य की सामग्री की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

68. विभाग द्वारा तहसील मुख्यालय बसवा व पंचायत समिति मुख्यालय बांदीकुई में घरेलू गैस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. नवीन राजस्व न्यायालयों की स्थापना तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभाग द्वारा आम रास्ता खोलने एवं भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की निश्चित सयम सीमा तय कराने, नये राजस्व ग्राम घोषित करवाने व भूमि अधिग्रहण में भूमि के स्वामी को उचित मुआवजा दिलाने में पारदर्शिता एवं शीघ्र उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

3. विभाग द्वारा दस हजार की जनसंख्या से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत अचरोल के अलग गांव नयाबास, बिलोरा एवं अचरोल बनाने एवं एक के स्थान पर तीन ग्राम पंचायतें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. तहसील जमवारामगढ़ एवं विराटनगर में पटवारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. चन्दवाजी को आमेर एवं जमवारामगढ़ के गिरदावर सर्किल से जोड़कर तहसील घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. सरकारी धन से बने हुये कच्चे-पक्के रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल (दर्ज) करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

7. उप तहसील बालेसर को तहसील बनाने, पटवार सर्किल चामू, ढेचू व सेतरांवा को उप तहसील बनाने तथा शेरगढ़ क्षेत्र में सरकारी कटाव रास्ते खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

8. भू-माफियाओं द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को सस्ते भावों में खरीद कर उसका पूरा मूल्य नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

9. राजस्व विभाग को सुदृढ़ करने हेतु पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

10. तखतगढ़ जिला पाली को उप तहसील घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

11. ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते, चरागाह, बंजर भूमि पर अतिक्रमण की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

12. राजस्व भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड स्तर पर प्रतिमाह जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करके कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

13. कमान्ड क्षेत्र घोषित होने से पूर्व नि:शुल्क भूमि आबंटन करके गैर खातेदारी अधिकार देने के पश्चात् मिथूलू खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सिंचित से असिंचित घोषित की गई सवाई-चक भूमि को अभियान चलाकर आबंटन न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. पुराने लीजदारों को भूमि के तत्कालीन आरक्षित मूल्य पर ब्याज लेकर उन्हें खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में खाल, दर्ड़ा-बर्ड़ा किस्म की कृषि भूमि जो कृषि योग्य है उसकी जिला कलक्टर बूंदी की अभिशंषा के आधार पर किस्म परिवर्तन कर भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

17. तहसील नादौती में उपखण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

18. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि परिवर्तन करने के लिये विचाराधीन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

19. नये राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

20. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के दूर-दराज क्षेत्रों में जो लम्बे समय से काश्त कर रहे किसानों की भूमि पर किस्म परिवर्तन नहीं किये जाने से खातेदारी हक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

21. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सैटलमेंट द्वारा की गई गलतियों से बने 136 प्रकरणों से परेशान काश्तकारों का पुन: सैटलमेंट कराने व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पटवारियों एवं राजस्व विभाग के अन्य रिक्त पदों को भरने पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील रायपुर में चल रहे कैम्प कोर्ट को स्थायी उप-खण्ड कार्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. काश्तकारों द्वारा खोदे गये कुंए सैटलमेंट द्वारा गलती से आ. चाह दर्ज करने के कारण काश्तकारों के नाम पर नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. चरागाह, बिलानाम व अन्य भूमियों में वर्षो पुराने बने आवासों के नियमन पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

26. पावटा जिला जयपुर में तहसील स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये राजस्व गांवों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

28. विधान सभा क्षेत्र के बर कस्बे में सहायक कलक्टर कार्यालय की स्थापना तथा नये राजस्व गांव बनाने हेतु चर्चा के लिये।

29. ग्राम सेंदड़ा व चण्डावल में उप तहसील खोलने तथा रायपुर को नया जिला बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री सी.डी. देवल)

30. पाली जिले में गैर-मुमकिन जमीनों एवं सिवायचक जमीनों में पुराने बनाये गये मकानों के नियमन तथा कृषि भूमि के पुराने कब्जों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

31. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में टी.सी. भूमि के पुख्ता आबंटन, बालिग पुत्र, डिकोलोनाइजेशन, राव सिख प्रकरण पात्र लोगों को खातेदारी देने पर चर्चा के लिये।

32. राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राजस्व प्रशासन को अधिक कार्यकुशल व जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

34. बजट वर्ष 2007-08 में प्रतापगढ़ को जिला बनाये जाने की घोषणा पर नये जिले में सम्मिलित होने वाली तहसीलों व राजस्व गांवों की सीमा निर्धारित कर अधिसूचना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी तहसील में कृषि भूमि आबंटन करने, पुराने कब्जों को नियमित करने पर चर्चा के लिये।

36. कस्बा कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा में उप तहसील खोलने की स्वीकृति तथा भू-अभिलेख निरीक्षक के नये पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी तहसीलों में 250 से अधिक आबादी के मजरे, ढाणियों व फलों को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. तहसील छोटी सादड़ी में सहायता कलक्टर न्यायालय खोलने व स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

39. जिला अलवर में नये राजस्व ग्राम स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

40. विधान सभा क्षेत्र निवाई के तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर कर्मचारियों के आवास निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. राजस्व अधिकारियों के लिये स्वीकृत शीघ्रलिपिक के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र निवाई की निवाई तहसील कार्यालय भवन को कस्बे से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

43. राजस्व मण्डल में रिक्त स्थान भरने, अजमेर पेराफेरी गांवों के भू-संशोधन को ठीक करने व वर्ष 1972 के भू-संशोधन को मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

44. पंचायत समिति मकराना क्षेत्र में 9 पटवारियों एवं आर.आई. के रिक्त पद भरने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

45. बरड़ क्षेत्र की जमीनों को गैर-खातेदारी से खातेदारी में बदलने एवं कई गांवों को राजस्व गांव बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

46. नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द की पैराफेरी सीमा में आ रही ग्राम पंचायत भाणा, मुण्डोल, भावा में राजस्व सम्बन्धी अधिकारों पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

47. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

48. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के खैरथल कस्बे में उप-तहसील खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के पटवारियों को पटवार घरों में रहने हेतु पाबन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

50. मन्दिर माफी की भूमि पर किसानों द्वारा काफी लम्बे समय से कब्जाधारी होने के कारण उनको खातेदारी हक दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. मन्दिर माफी की भूमि पर शहरों में बने मकानों को नियमन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

52. तहसील बाड़मेर के भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल विशाला में उप-तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पटवार मण्डलों के भवनों के विस्तार व मरम्मत हेतु बजट आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अधिकतर पटवार मण्डलों में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में तहसील व पंचायत समिति बायतु मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में तहसील बायतु के भू-अभिलेख सर्किल बाटाडू में उप-तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

57. किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में पटवार सर्किल का रिकार्ड गायब होने से उत्पन्न स्थिति तथा क्षेत्र का सैटलमेंट कर नवीन रिकार्ड तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. निजी एवं राजकीय संस्थाओं को भूमि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

59. जिला अजमेर में वर्ष 2003 से अब तक सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को आबंटित भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विभाग के अधिकारियों द्वारा तहसील अजमेर में मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के रिकार्ड को अस्त-व्यस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

61. विभाग द्वारा मेयो कालेज के पीछे स्थित कस्टोडीयन की रिक्त भूमि को गुलाब बाडी सिटी डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण हेतु आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा आम रास्ता खोलने एवं भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने की निश्चित समय सीमा तय कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र अजमेर नगर (पूर्व) के खेल मैदान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

64. गिरदावर सर्किल अजमेर-II के गांव बीर, दाता, जाटिया व बलवन्ता को अजमेर उपखण्ड के बजाय नसीराबाद उपखण्ड में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

65. कलक्टर व डी.एम. के दो पद प्रत्येक जिले में जिनमें एक आर.जे.एच.एस. का हो वह न्यायिक समस्त कार्य का निस्तारण करें व दूसरा लॉ एण्ड आर्डर व विकास कार्य देखें जिससे सुशासन चुस्त-दुरूस्त व उत्तरदायी हो सके, पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

66. तहसील कार्यालय लूणी व उप तहसील झंवर कार्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त भवनों का शीघ्र निर्माण करवाने, उप तहसील झंवर को अपग्रेड कर तहसील बनाई जाने, विधान सभा क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे धुन्धाड़ा को उप तहसील बनाया जाने तथा विधान सभा क्षेत्र लूणी के पटवार मण्डलों व राजस्व निरीक्षक मण्डलों का पुर्नगठन कर नये पटवार मण्डल व नये राजस्व निरीक्षक मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र लूणी के गांवों की गोचर, आगोर, आरेण, नाड़ी, तालाबों व सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को तुरन्त हटाने तथा भवन विहीन पटवार घरों व भू-राजस्व निरीक्षक कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

68. विधान सभा क्षेत्र कपासन में भवन रहित पटवार मण्डलों का भवन निर्माण, जर्जर पटवार भवनों की मरम्मत, पंचायत समिति मुख्यालयों पर ई-मित्र राजस्व के लाइसेंस जारी करने एवं पटवारियों व अन्य रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

69. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के सुनेल कस्बे में तहसील खोलने व रायपुर में सब तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

70. देवस्थान की सम्पत्तियों का बकाया किराया प्रभावी ढंग से वसूला जाकर बाजार दर से किराया बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. वक्फ जायदादों के उचित रख-रखाव एवं अतिक्रमण हटाने हेतु एक विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. वक्फ, जायदादों का रिकार्ड दुरुस्त कराने के लिये सम्भागीय मुख्यालयों पर वक्फ सर्वे आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. किसानों की खातेदारी भूमि का रिकार्ड दुरस्तगी व छोटे-मोटे विवादों के निपटारे की समय सीमा निर्धारित कर जल्दी फैसला कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. निष्क्रान्त भूमि, कस्टोडियन भूमि तथा गैर-खातेदारों को खातेदारी देने की दर अलवर व भरतपुर में बहुत अधिक है उसे कम कर व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

75. जिला अजमेर को वर्ष 2000 से अब तक सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को आबंटित भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व पट्टे आदि प्राप्त करने में आ रही बाधाओं एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सरकारी जमीनों, स्कूलों के मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने व हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. अनुसूचित जाति, जनजाति व निर्बल किसानों की कृषि भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों व अवैध कब्जों को हटाने एवं भूमिहीन परिवारों को कृषि भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

79. विभाग द्वारा डी.एल.सी. की दरों के निर्धारण में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

80. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में रानी को तहसील बनाने व ढालोप ओरा को रुघनाथ पीट दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

81. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में सभी सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राज्य में चरागाह पर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. राज्य के किसानों की फसल कुर्क करने पर छूट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. तहसील लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में नेछवा में उप तहसील खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : एवं

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) :

85. राजस्व विभाग में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग-अलग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

86. राज्य में सरकारी मशीन (पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार) द्वारा किये जाने वाले गलत नामान्तरणों की वजह से होने वाली मुकदमेंबाजी से राहत देने, राजस्व कानून में संशोधन कर रिकॉर्ड दुरुस्त करने के अधिकार जिलाधीश या तहसीलदार स्तर पर दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

87. उदयपुर डिवीजनल हैडक्वार्टर में राजस्व मण्डल के एकपीठ कायम की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

88. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव जगपुरा, देलवाड़ा रावणा व देलवाग लोकिया दुदका के आदिवासी किसानों को भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

89. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव सजिया, डागल, मण्डेला में मकान के लिये आदिवासी किसानों को अपने कब्जा काश्त की जमीन आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. तहसील घाटोल के गांव कुवानिया के आदिवासी किसानों को नोन कमाण्ड-भूमि का प्रीमियम कमाण्ड भूमि की रेट से वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंह नगर) :

91. गंग कैनाल क्षेत्र में भूमि आबंटन के समय निर्वाचन नामावली 1955 की जगह 1983 या 2001 की लगाने के आदेश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. रायसिंहनगर क्षेत्र के किसानों को आबंटन के पश्चात् किस्ते पूरी जमा कराने पर खातेदारी अधिकार एक माह में देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. इंदिरा गांधी नहर परियोजना व गंग कैनाल क्षेत्र में छूट की मियाद 31.12.05 से बढ़ाकर 31.12.2007 तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. इंदिरा गांधी नहर परियोजना व गंग कैनाल क्षेत्र में बालिग पुत्रों को भूमि आबंटन की तारीख 1.1.85 की जगह 1.1.2005 तक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. तहसील रायसिंहनगर में सोसायटी का रकबा काश्तकारों को पुख्ता आबंटन करने व आबंटनशुदा रकबा रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

96. जिला अलवर की गोविन्दगढ़ उप तहसील को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

97. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रघुनाथपुरा को कमाण्ड से डि-कमाण्ड करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

98. तहसील कोटड़ा में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों व क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्ति तक नहीं पहुंचने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

99. श्रीविजयनगर में उप जिला कलक्टर कार्यालय खोलने, राजियासर, रावलामण्डी को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

100. वर्ष 2006-07 में स्वीकृत ए.सी.एम. कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

101. राजस्व नियमों में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

102. कुचामन की अतिरिक्त तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. कुचामन सिटी में एस.डी.एम. के कैम्प कोर्ट के स्थान पर स्थाई ए.सी.एम. न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

104. तहसीलदार तथा उप खण्ड अधिकारी को भूमि रुपान्तरण के वर्तमान सीमा को और अधिक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

105. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की ग्राम पंचायत तातीजा में पटवार मण्डल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

106. खानपुर तहसील में सारोलाकलां में उप तहसील व कोषागार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

107. तहसील गुढामालानी (बाड़मेर) की उप तहसील सिणधरी को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. तहसील सिवाना (बाड़मेर) में समदड़ी को उप-तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

109. मन्दिर मूर्ति दर्ज भूमि काश्त कर रहे किसानों के खातेदारी हक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

110. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम किरारपुरा में खसरा नं. 231 रकबा दो बीघा एक बिस्वा मंचपीर पोखर पर राशि स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण पर राजस्व विभाग का सहयोग नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के कोलारी गिरदावर सर्किल को उप-तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सैपऊ तहसील मुख्यालय को उपखण्ड बनाने पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 250 की आबादी वाले गांव/मजरों/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

114. सूरतगढ़ तहसील के टीसी से पुख्ता आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

115. राजस्थान राज्य के समस्त भू-अभिलेख निरीक्षकों की लम्बे समय से लम्बित विभागीय पदोन्नतियों के बैकलाग को भरने व समस्त भू-अभिलेख निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के निरीक्षण का मिलने वाला स्थायी भत्ता जो सन् 1983 से मात्र 75 रुपये ही मिल रहा है, उसे बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

116. सिकराय में अतिरिक्त कलक्टर का कैम्प कोर्ट प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

117. बारां जिले के अन्ता शहर में उपखण्ड कार्यालय सृजन की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. बारां जिले के सीसवाली कस्बे में उप-तहसील के सृजन की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

119. विधान सभा क्षेत्र सीकर में गांव को राजस्व गांव एवं ढाणियों को गांव बनाने, कालेज एवं स्कूल के लिये भूमि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

120. तहसील सांचौर में पटवारियों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

121. ग्राम नीदंड तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं. 811 गैर-मुमकिन आबादी के राजस्व नक्शे में मौके के अनुसार तरमीम न होने से हो रहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. ग्राम कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं कोथून में नियम विरुद्ध खोले गये नामान्तरण की जांच होने के पश्चात् भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 14 एवं 16 व 18 में खुदकाश्त भूमि आबंटन के लिये जिला कलक्टरों को दिये गये अधिकारों को समाप्त करने के लिये जारी किये गये परिपत्रों को निरस्त कर पुन: जिला कलक्टरों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों पर एक वर्ष से कई प्रकरणों पर निर्णय रिजर्व रखने से पक्षकारों को समय पर न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. जयपुर जिले में चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों पर प्रभावी कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

126. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

127. राज्य में राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

128. राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व विवादों का समय पर निपटारा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

129. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में उप तहसील बीदासर को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

130. फोती व रजिस्ट्री के नामान्तरण पंचायतों के द्वारा नहीं कराकर तहसीलदार के द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के नक्शों के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. राजस्थान के पचास वर्ष से अधिक समय से काबिज दो लाख से अधिक किसानों की भूमि को मन्दिर माफी में आ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. सैनिक छावनी हेतु बस्सी क्षेत्र के गांव बड़वा, पडासौली, बोरई टहरड़ा, नांगल बोहरा आदि गांवों की भूमि अवाप्त किये जाने से किसानों को हो रही समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में लम्बे समय से लम्बित सिवाय चक, चरागाह को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

135. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम धड़ानाखुर्द में गोचर भूमि पर काश्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम भुवाणा में 12 हजार बीघा गोचर भूमि में से हजारों भूमि पर हुये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में गोचर भूमि पर हुये कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

138. एल.आर.आई. सर्किल ताला तहसील जमवारामगढ़ एवं आमेर तहसील के क्षेत्र में मिलाकर आमेर के बजाय चन्दवाजी को तहसील घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

139. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अतिक्रमण हुई गोचर भूमियों पर से कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के असिंचित गांवों की भूमि को लगान से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

141. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जिस क्षेत्र में आज तक कोई भूमि विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं हुआ हो, फिर भी उन क्षेत्रों की कीमत, आस-पास के क्षेत्रों की कीमत से कई गुणा अधिक दर्शाने से उत्पन्न विसंगति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

142. श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड कार्यालय में सहायक कर्मचारी व स्टेनो की नियुक्ति अप्रशिक्षित कार्यरत स्टाफ को ट्रेनिंग व नये वाहन उपलब्ध कराने व अधिकारी/कर्मचारी आवासीय क्वाटर्स के निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

143. श्रीडूंगरगढ़ तहसील में पटवारियों व अन्य स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

144. किसानों के हित में राजस्व कानूनों के सरलीकरण व काफी समय से काश्तकारों की लम्बित समस्याओं को निपटाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

145. गैर खातेदारी से खातेदारी के नियमों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

146. केलवाड़ा नायब तहसील को तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) :

147. विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर के ग्राम दयालपुरा के खसरा नं. 131 की भूमि में सन् 1975 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आबंटित भूमि को आबादी में परिवर्तन नहीं करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

148. जयपुर जिले की सवाई चक एवं चरागाह की भूमियों पर हुये अतिक्रमणों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

149. जिला अलवर के ग्राम बदलेवगढ़ के खसरा नं. 473 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

150. झिझनीयाली (जिला जैसलमेर) को फतेहगढ़ तहसील क्षेत्र में उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. जैसलमेर एवं बाड़मेर में भूमिहीनों एवं कम भूमि वाले किसानों को भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

152. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियाबड़ी को तहसील बनाने हेतु चर्चा के लिये।

153. नगरपालिका मेड़ता सीमा के अन्दर राजस्व भूमि को आबादी हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में गौशालाओं, विद्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक भवन, पंचायत के भवनों हेतु भूमि का आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. मेड़ता तहसील में मेड़ता रोड को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

156. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में आपदाग्रस्त गांवों में भू-राजस्व की वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

157. स्कूल, कालेजों, चिकित्सालय, धर्मशाला, सार्वजनिक उपयोग के अन्य निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किये गये अभिनव प्रयोगों की विस्तृत चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) :

159. राजलदेसर को उप-तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

160. सुमेरपुर जवाई कमांड क्षेत्र में गैर खातेदार किसानों को खातेदार दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

161. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) में बस स्टेण्ड को भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. राजस्व भूमि पर बसे लोगों का नियमन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. आबंटित भूमि की रेफरेन्स सीमा तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. प्रत्येक पंचायत में एक पटवारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. राजस्व मुकदमों का निष्पादन न्यायिक अधिकारियों को सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

166. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नये राजस्व गांव बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-20 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-20 मुख्य शीर्षक आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए-

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में आवासन मण्डल की नई योजना शुरु नहीं करवाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर आवश्यक चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

2. विधान सभा सदस्यों द्वारा आवास (प्लाट) हेतु 3-4 वर्षों से आवासन मण्डल में रजिस्ट्रेशन करवाने, दो किस्त जमा करवाने के बाद भी आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

3. विभाग द्वारा घरोंदा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से सस्ते घर सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

4. विभाग द्वारा सुमेरपुर में घरोंदा की तर्ज पर आवास बनाकर जनता को देने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

5. हिण्डोली मुख्यालय पर घरोंदा योजना बनाई जाकर गरीबों को आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

6. पंचायत समिति कोटड़ा (उदयपुर) में आवास पूर्ण होने पर भी भुगतान नहीं किये जाने तथा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को सरकार द्वारा आवास दिये जाने हेतु आवश्यक चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

7. तख्तगढ़ जिला पाली में 'घरोंदा' योजनान्तर्गत आवास सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

8. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधायकों को मकान आबंटित नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

9. राज्य में विभिन्न आवासीय योजनाओं पर चर्चा के लिये।

10. राज्य में हर पात्र परिवार/व्यक्ति को आवास मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

11. निम्बाहेड़ा नगर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अधिगृहित की गई कृषि भूमि पर नई आवासीय कालोनी निर्माण के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

12. छोटी सादड़ी नगर में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना तैयार करने व भूमि का चयन करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी नगर में पत्रकारों को रिजर्व प्राइज पर भूखण्ड आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

14. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

15. पुष्कर व पीसांगन में हाऊसिंग बोर्ड कालोनी बनाने व अजमेर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी में सड़कों का निर्माण नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

16. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के खैरथल नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को आवासीय मकान बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शहर में स्थित आफिसर कालोनी को आधुनिक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

18. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आफिसर कालोनी में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु व्यावसायिक भूखण्डों हेतु भूमि आरक्षित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

19. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शहर में स्थित आफिसर कालोनी में रिक्त भूमि पर बहुमंजिले आवासीय क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

20. बारां शहर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने के लिये अवाप्त एवं कब्जाशुदा भूमि को लाखों रुपये में बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

21. मैसर्स गोपाल नारायण गुप्ता द्वारा नसीराबाद में 35 एच.आई.जी. वर्ग के आवास निर्माण का कार्य एक साल से अधूरा छोड़ भाग जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान आवासन मंडल के गृह निर्माण की घटिया क्वालिटी पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

23. विधान सभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय लूणी व विधान सभा क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे धुन्धाड़ा में आवासीय कालोनियों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

24. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राज आंगन, घरोंदा व बहु-मंजिली आवासीय योजनाएं आरम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

25. आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदारों, इंजीनियरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर काली सूची में नहीं डालने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

26. घरोंदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

27. आवासन मण्डल द्वारा विकलांगों, विधवाओं तथा समाज के प्रत्येक गरीब वर्ग के लिए मकान सुलभ नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

28. आवासन मण्डल द्वारा विधायकों, सांसदों तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों को पंजीयन के बाद भी लम्बे समय तक इन्तजार के बाद मकान नहीं देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

29. आवासन मण्डल द्वारा कृषि के लिए उपजाऊ तथा 90-बी हुई भूमि के अधिग्रहण किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) :

30. अलवर की नगर सुधार न्यास की आवास नीति एवं कार्यकलाप ठीक नहीं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. राज्य की आवास नीति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

32. आवास विकास संस्थान की बाकीयात को चुकाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. आवास विकास संस्थान द्वारा सभी नगरपालिका क्षेत्र में मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

34. नाथद्वारा नगर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा गलत जमीन को अधिग्रहण कर राजस्व की हानि पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

35. बी.पी.एल. एवं कच्ची बस्ती में रहने वालों को सस्ते एवं सुविधायुक्त मकान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

36. विधान सभा क्षेत्र सीकर में आवासन मण्डल द्वारा बनाई गई आवासीय कालोनी की दुर्दशा एवं देवीपुरा ग्राम में रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे आवासीय कालोनी बनाकर लोगों से भवन का एक साथ विकास शुल्क वसूल करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

37. विधायकों को आवास सुविधा हेतु मांगे गये आवेदनों पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

38. विभाग द्वारा जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित कालोनियों में लगी हुई थड़ियों को पक्की दुकानें आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बनी कालोनियां जो आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त है, के नियमन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा अधिक संख्या में ई.डब्ल्यू.एस. क्वाटर्स नहीं बनाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों की रजिस्ट्री में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल को आबंटित की गई भूमि को नियम विरुद्ध निरस्त किये जाने एवं सुनवाई का मौका न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

43. विधायकों को फ्लेट्स के बदले भूखण्ड आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. आवास विभाग द्वारा चार वर्ष पूर्व अपने क्षेत्राधिकार से हटकर अन्यत्र कार्यों में धन के अपव्यय करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

45. आवासन मण्डल द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच समय पर नहीं करने एवं आधुनिक भवन निर्माण नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. जयपुर शहर के विकास हेतु हाऊसिंग बोर्ड की विस्तृत योजनाएं तैयार कर जनता को आवास उपलब्ध कराने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

47. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के सभी अधिकारियों के सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. परबतसर में ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के लिये आवास सुविधा हेतु विभाग को पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

49. विभाग द्वारा मेड़ता कस्बे में आवास योजना आवासन मण्डल द्वारा तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

50. जयपुर जिले के ग्राम खातीपुरा, जगतपुरा, कुन्दनपुरा, गोविन्दपुरा उर्फ रोफाडा के कृषकों से आवासन बोर्ड द्वारा वर्तमान बाजार दर नहीं दी जाकर किसानों के साथ बदसलूकी किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पिछले तीन वर्ष में इन्दिरा आवास योजना में दी गई राशि से निर्माण कार्य नहीं करने वालों को भुगतान करने व निर्माण करने वालों को बिना कारण पंचायत समिति द्वारा राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. जिला-जयपुर ग्रामीण एरिया में गृह-निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बिना स्वीकृत आवासीय कालोनियां काटे जाने से विकास में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

53. विभाग द्वारा सुमेरपुर व तख्तगढ़ नगरों में मध्यम वर्ग के नागरिकों को रियायती दर पर मकान बनाकर देने की योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

54. विभाग द्वारा निर्धन, बी.पी.एल. एवं कच्ची बस्ती वासियों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर द्वारा निर्मित भवनों के निर्माण की जांच करने, बढ़ती निर्माण कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

56. विभाग द्वारा वीरांगनाओं को मुफ्त/रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. राजस्थान आवासन मण्डल बांसवाड़ा द्वारा अमरपुरा-बी, बांसवाड़ा की नगर पालिका द्वारा नियमित की गई भूमि का अधिग्रहण हेतु सर्वे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

58. आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना में वी.टी. रोड पर विधायकों से आमंत्रित आवेदनों पर बकाया रहे आवेदकों को भूखण्ड आबंटित नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. आवासन मण्डल द्वारा पत्रकारों से आमंत्रित आवेदनों में बकाया रहे आवेदकों को मकान या भूखण्ड आबंटित नहीं करने के बावजूद भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

60. बांदीकुई में आवासन मण्डल द्वारा आवास न बनाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

1. नगर पालिका नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़ में विकास एवं नगर पालिका नवलगढ़ के स्वयं का भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. नगर आयोजना के अन्तर्गत भीम कस्बे को नगर पालिका में परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

3. सुमेरपुर, तख्तगढ़ नगरों में सीवर सिस्टम कच्ची बस्ती विकास व सभी के घरों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

4. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में पर्यावरण प्रदूषण व अपर्याप्त सफाई व्यवस्था व जल निस्तारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

5. हिन्डौली, नैनवां, देई आदि ग्रामों का मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

6. छोटे शहरों में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. नगर निकायों को विकास के लिये मांग के अनुसार धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा नगर पालिकाओं में स्वयं की आय बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

9. पर्यटन स्थल आबू पर्वत एवं अन्य शहरों के मास्टर प्लान की चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

10. राज्य में नगरों, कस्बों की आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

11. राज्य में नगरों, कस्बों की विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा के लिये।

12. राज्य में नगर पालिकाओं की मास्टर प्लानिंग पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

13. कृषि भूमि आवासीय नियमन एवं भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

14. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में स्थित शिवाजी कालोनी को नियमित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

15. कृषि भूमि एवं कच्ची बस्ती नियमन, 90-बी में एकरुपता नहीं होकर भेदभाव बरतने, मास्टर प्लान की सेन्टिटी स्कीम एरिया से छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

16. नगर पालिका कुंचेरा, (नागौर) में कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद भी वहां कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को लाखों रुपयों का अवैध भुगतान करने के बावजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

17. नगरीय विकास योजनाओं की उचित क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

18. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित नगर पालिका को तीन ऊपरी पूल व एक निचला पूल निर्माण हेतु आवश्यक बजट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर नगरपालिका को सीवर लाइन निर्माण हेतु आवश्यक बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

20. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या के-34 योजना टी. वन विस्तार द्वारा अवैध निर्माण करने एवं कार्यवाही नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

21. विधान सभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत लूणी को अपग्रेड कर नगर पालिका बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

22. नगर क्षेत्र कपासन में नगरीय आधारभूत विकास परियोजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

23. विभाग द्वारा नगर पालिका भीनमाल को सहायता में भेदभाव पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

24. नगरीय विकास की योजनाओं हेतु जनता में जागरुकता एवं सहयोग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. भू-परिवर्तन के मामलों का लम्बे समय तक निस्तारण नहीं होने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

26. जे.डी.ए. की कार्यवाही की जटिलता समाप्त कर लोगों को शीघ्र सुविधा सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

27. विभाग द्वारा नगर आयोजना विभाग द्वारा छोटी नगरपालिकाओं को अधिक आर्थिक सहायता देने पर चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा नगर पालिका पार्षदों को भत्ते 700/- रुपये माहवार से बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा नगर पालिका पोकरण व जैसलमेर में सफाई व्यवस्था के लिये सफाई कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

30. पाली शहर के योजनाबद्ध तरीके (मास्टर प्लान) से विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

31. राज्य में नगर आयोजना में योजनाओं की योजना बनाते समय आमजन की मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में नगर आयोजना के तहत योजनायें बनाते समय उपजाऊ कृषि भूमि व विकसित प्लाण्टेशन को न बचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. राज्य में नगर आयोजना के तहत नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं में शमशान, कब्रिस्तान, ईसाई ग्रेबियार्ड व धार्मिक स्थलों का प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) :

34. राज्य की शहरी नीति पर चर्चा के लिये।

35. अलवर की नगर सुधार न्यास (यू.आई.टी) के कार्यकलाप व नीति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

36. उदयपुर के विकास के लिये आयड़ नदी को बांध कर नदी के दोनों ओर गंदे पानी के नाले निकालकर दोनों तरफ फुलबाड़ी लगाकर कार्य करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा उदयपुर नगर विकास न्यास की पैरापेरी में डबोक, गुडली तहसील मावली आदि गांव आते हैं, उनका भूमि रुपान्तरण नहीं हो पाता है, उसके विकास के लिये प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

38. जिला बांसवाड़ा नगर आयोजना में नये निर्माण करने का सर्वे नम्बर शामिल भूमि की जानकारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

39. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के खैरथल कस्बे में सीवर लाइन डालने का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. खैरथल कस्बे में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के घरों में शौचालय निर्माण करवाने व वार्डों में सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

41. नगर पालिका, निम्बाहेड़ा को विशेष अनुदान शहरी विकास हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

42. नगर पालिकाओं में शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये।

43. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी नगर में नया मास्टर प्लान तैयार करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

44. नगर पालिका पीलीबंगा क्षेत्र में से गन्दे पानी की निकासी हेतु स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

45. नाथद्वारा नगर को जवाहर लाल अरबन रिन्युअल फण्ड की योजना को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

46. जयपुर स्थित गणगौरी बाजार में सड़क पर सब्जी बेचने वालों को जनता मार्केट में सब्जी बेचने के स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. जयपुर स्थित कंवर नगर व जनता मार्केट के आवासीय क्षेत्र में लगने वाले हटवाड़े को अन्यत्र व्यवस्थित रुप से लगाए जाने हेतु विभाग को पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. छोटी चौपड़, जयपुर के गणगौरी बाजार एवं चौगान चौराहे से गोविन्द देवजी के मन्दिर तक हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने व पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित किये जाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. ब्रह्मपुरी, जयपुर स्थित पोण्डरिक उद्यान व जयनिवास उद्यान का सौंदर्यकरण करने तथा ऐतिहासिक म्यूजिकल फाउंटेन को चालू किये जाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

50. कुचामन सिटी नगर पालिका को द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हरीश चन्द)

51. नगर पालिका अध्यक्ष एवं सदस्यों का मासिक भत्ता नगर पालिका कुचामन के मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनसुार बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा नगर पालिका कुचामन एवं नावां शहर की मुख्य सड़क पर डिवाइडर बनाकर सड़क की चौड़ाई को बढ़ाना एवं लाइटिंग कराने हेतु 50-50 लाख रुपयों का विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. नगर पालिका कुचामन सिटी में राजारामजी की मेड़ी एवं धनजी का बाग क्षेत्र से गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज नाला निर्माण हेतु 50 लाख रुपयों का विशेष पैकेज स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

54. जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों के पट्टे जारी करने में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु विभाग को पहल करने पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा पुराने पागल खाने (चांदपोल) जयपुर के स्थान पर पार्किंग स्थल विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

56. जयपुर नगर निगम में हवामहल (पश्चिम) के आयुक्त की मिलीभगत से किये जा रहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करवाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा जयपुर शहर में स्थित मूल सुविधाओं से वंचित कच्ची बस्तियों के नियमन एवं उनमें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

58. राज्य के विभिन्न शहरों में कृषि भूमि को शहरी भूमि में परिवर्तित करने हेतु 90-बी की कार्यवाही करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. बीकानेर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा सभी निर्धारित मानदण्ड होते हुए भी न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

60. बीकानेर शहर के मध्य स्थित चार रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान करने हेतु रेल बाइपास बनाने हेतु रेलवे एवं राज्य सरकार के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

61. मनोहरपुरा कच्ची बस्ती में नियमन से वंचित रहे कच्ची बस्ती के लोगों को जे.डी.ए. पट्टा आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

62. धौलपुर नगर पालिका के गन्दे पानी एवं बरसात के पानी को निकालने हेतु सीवरेज लाइन नहीं बनाने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

63. नगर पालिका क्षेत्र धौलपुर की अति क्षतिग्रस्त सड़कें पटपरा रोड़, सराय गजरा रोड, किरी से महात्मा नंद की बगीची टाउन चौकी सड़क हाऊसिंग बोर्ड सड़क की पुन: मरम्मत तथा डामरीकरण नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

64. धौलपुर नगर पालिका में कच्ची बस्ती के बजट को कच्ची बस्ती के नाम पर अन्य योजना में खर्च करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा नगर पालिका क्षेत्र विस्थापित नई कोलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, खंराजे, नाली आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

66. धौलपुर नगर पालिका के गांधी पार्क एवं शहीद पार्क पर हो रहे अतिक्रमण से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

67. विभाग द्वारा सीकर शहर में पानी की निकासी के लिये सीवरेज कार्य करवाने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

68. विभाग द्वारा नगर पालिका क्षेत्र रायसिंहनगर में एस.टी.ओ./बी.आर. अम्बेडकर उच्च प्राथमिक विद्यालय को नि:शुल्क भूमि आबंटन करने हेतु पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. नगर पालिका क्षेत्र रायसिंहनगर में पब्लिक पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री लाल चन्द मेघवाल)

70. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बी.एस.एफ. हैड क्वाटर्स में मुख्य बस स्टैण्ड तक सड़क का निर्माण व पालिका क्षेत्र में सड़कों का पुन: निर्माण हेतु विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

71. बीकानेर शहर में नगर पालिका क्षेत्र में गन्दे पानी के निकासी व कच्ची बस्तियों को नियमन करने, गरीब लोगों को सस्ते दर पर पट्टे जारी करने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

72. जयपुर के चारों ओर स्थित कस्बों को सेटेलाइट टाउनस के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. जयपुर शहर की आवासीय बस्तियों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को नियमन करने के लिये मास्टर प्लान में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर शहर में पांच सौ वर्ग गज से अधिक के भू-खण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की अनुमति के अनौचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

75. नगर पालिका मालपुरा के अन्तर्गत बस स्टैण्ड मालपुरा में सड़क एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

76. आबू रोड नगर पालिका के अध्यक्ष पद का कार्यभार अनुसूचित जाति की महिला पार्षद को न सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. जे.डी.ए. में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. नगर पालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

79. सीकर में बस डिपो के पास गंदा पानी इक्ट्ठा होने तथा नानी ग्राम के खेतों को गन्दे पानी से हो रहे नुकसान से बचाने हेतु विभाग को कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

80. विभाग द्वारा कृषि कॉलोनियों के नियमन के सम्बन्ध में एवं कच्ची बस्तियों को मूलभूत सुविधायें देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

81. जयपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
82. जे.डी.ए. में 90-बी बार-बार खोलने व बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
83. जयपुर शहर में लम्बित पड़ी कालोनियों के रेगूलाइजेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
84. जयपुर शहर में व्याप्त पार्किंग की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
85. जयपुर शहर में भू-माफियाओं द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैधानिक कॉलोनियों एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

86. जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में अवैधानिक रूप से बिना स्वीकृत आवासीय योजनाओं में आवास हेतु प्लाट आबंटन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

87. विभाग द्वारा किशनपोल विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कों की मरम्मत/निर्माण/पुन: निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
88. विद्याधर नगर से शास्त्री नगर जाने वाली सड़क की समान चौड़ाई करने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. विभाग द्वारा जयपुर शहर में निजी डेयरियां/पशु रखने वालों का पुन: सर्वे कराकर जे.डी.ए. द्वारा सभी को भूखण्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

90. जयपुर विकास प्राधिकरण की धाउवास समूह आवास योजना में अन्य विभाग के कार्मिकों को भूखण्ड आबंटन करने से स्थायी कर्मचारियों के हितों पर हुए कुठाराघात पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरू खान)

91. विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की धाऊवास समूह आवास योजना में शेष रहे स्थायी कार्मिकों को आवास आबंटन हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जादोड़ा (नागौर) :

92. नगर पालिका मेड़ता को सफाई एवं कच्ची बस्ती में सुधार हेतु उचित धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता शहर के सौन्दर्यकरण के बारे में योजना बनाने एवं उसको क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

94. परबतसर शहर में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड का निर्माण शहर से बाहर नगर पालिका द्वारा आबंटित स्थान पर करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. नागौर जिले के मकराना शहर में स्थित रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विभाग द्वारा परबतसर शहर में गणेशजी मन्दिर के सामने गंदे पानी के नाले में पाइप लाइन डालकर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विभाग द्वारा परबतसर शहर के गन्दे पानी व बरसाती पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

99. श्रीमती भोली देवी पत्नी हरसहाय मीणा ग्राम बैनाड़ तहसील आमेर की निजी खातेदारी भूमि का भू-उपयोग रूपान्तरण हेतु जे.डी.ए. में दीर्घावधि तक लम्बित रहने पर चर्चा के लिये।

100. किसान की निजी भूमि का भू-रूपान्तरण या एन.ओ.सी. चाहने वाले व्यक्तियों के दीर्घावधि से जे.डी.ए. में लम्बित प्रकरण के सम्बन्ध में दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

101. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जे.डी.ए. क्षेत्र में आने वाले गांवों व कस्बों में विकास कार्यों को दीर्घावधि तक जे.डी.ए. द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान कराये जाने से दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी को नगर पालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

103. विभाग द्वारा सुमेरपुर व तख्तगढ़ नगरों में आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत विकास कार्यों की स्वीकृति दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

104. जोधपुर नगर निगम द्वारा कच्ची बस्तियों एवं कॉलोनियों का नियमन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. जोधपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

107. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क वार्ड 3 में स्थित पृथ्वीराज नगर योजना का नियमन व हाईकोर्ट में सरकार द्वारा जवाब में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की आवासीय कॉलोनी के नियमन हेतु जे.डी.ए. में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियमन में आ रही कठिनाई की वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में सभी 20 वार्डों में स्थित पार्कों व शमशान में हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये जे.डी.ए. तथा निगम द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड नम्बर 1, 8, 9 तथा 10 में प्रत्येक वार्ड में जे.डी.ए. तथा निगम द्वारा दो-दो सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बीरूसिंह राठौड़)

111. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थित कच्ची बस्तियों में संचालित सरकारी स्कूलों हेतु जे.डी.ए./निगम द्वारा भूमि का आबंटन तथा भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

112. आर.यू.आई.डी.पी. के द्वितीय चरण में किशनगढ़ (अजमेर) को शामिल कर नगरीय विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

113. जयपुर विकास प्राधिकरण की धाऊवास समूह आवास योजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों को आवास आबंटन करने के प्रयोजन से प्लाटों की साइज 162 के स्थान पर 120 करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

114. जयपुर विकास प्राधिकरण की धाउवास समूह आवास योजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों को आवास आबंटन करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

115. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. नगर पालिका राजगढ़ (चूरू) में सीवरेज सिस्टम चालू करने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका को अग्नि शमन वाह्न उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका को शॉकपिट सफाई की मशीन उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक मदद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका क्षेत्र की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

120. विभाग द्वारा नगर पालिका बांदीकुई के विस्तारित क्षेत्र में सड़क, नाली व सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

121. विभाग द्वारा विराटनगर (जयपुर) के पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा अजमेर जिले में स्थित पुष्कर सरोवर के आस-पास सम्पत्तियों की पक्षपातपूर्ण तोड़फोड़ के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने की आड़ में विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं व भेदभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।